

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

भारतीय अर्थशास्त्र

भारतीय अर्थशास्त्र

लेखको की विद्यात पुस्तक Indian Economics का हिन्दी रूपान्तर

[खण्ड २]

जे० बो० जथार, एम० ए०
तथा
एस० जी० बेरी, एम० ए०



राजकमल प्रकाशन

मूल पुस्तक Home University Library और Oxford University Press
द्वारा प्रकाशित की गई है। प्रस्तुत संशोधित हिन्दी संस्करण में अद्यतन सूचनाएँ
और आँकड़े संशोधनकर्ता द्वारा यथास्थान दे दिये गए हैं।

पूर्ववर्ती संस्करणों के रूपान्तरकार तथा संशोधनकर्ता :

डी० एस० कुशवाहा० (इलाहाबाद विश्वविद्यालय)

पंचम संशोधित संस्करण के संशोधनकर्ता : डी० डी० मेहता

(के० एम० कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय)

प्रथम हिन्दी संस्करण, १९५५

द्वितीय संशोधित हिन्दी संस्करण, १९६०

तृतीय संशोधित हिन्दी संस्करण, १९६१

चतुर्थ संशोधित हिन्दी संस्करण, १९६२

पंचम संशोधित हिन्दी संस्करण, १९६३

मूल्य

खण्ड १ : ८ रुपये

खण्ड २ : ८ रुपये

सम्पूर्ण : १५ रुपये

प्रकाशक : राजकम्ल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली-६

मुद्रक : शाहदरा प्रिंटिंग प्रेस, नवीन शाहदरा, दिल्ली-३२

पंचम संशोधित संस्करण की भूमिका

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भारत ने अनेक दिशाओं में प्रगति की है। आर्थिक समुद्धि किसी भी देश की शक्ति का प्रमुख आधार होता है। भारतीय अर्थ-व्यवस्था भी प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रही है। विविध योजनाओं द्वारा भारत अपने विस्तृत और मूलभूत साधनों के संतुलित विकास का मार्ग ढूँढ रहा है। और अपने आर्थिक ढंगे को शीघ्र ही बदलने का प्रयत्न कर रहा है। भारत की स्वतन्त्रता और उसका भविष्य पचवर्षीय योजनाओं पर निर्भर है।


इस दिशा में परिवर्तनशील होते हुए भारतीय अर्थशास्त्र का अध्ययन अत्यधिक रोचक एवं महत्वपूर्ण है। आज का भारतीय अर्थशास्त्र राष्ट्रीय इटिकोलोगी से देश की आर्थिक स्थिति के अध्ययन में लगा हुआ है। जधार और वेरी ने १९२८ में अपने ग्रथ 'अर्थशास्त्र का अध्ययन' का प्रथम संस्करण प्रकाशित करके इस विषय के विस्तृत एवं गम्भीर अध्ययन में महत्वपूर्ण योग दिया था। तब से लेकर १९४६ तक उनकी पुस्तक के अनेक संस्करण प्रकाशित हुए, किन्तु दुर्भाग्य से सन् १९४६ में श्री वेरी के देहान्त वे कारण इस पुस्तक के अन्य संस्करण न निकल सके।

उनका ग्रथ प्रथम प्रकाशन से आज तक भारतीय अर्थशास्त्र का विश्वकोश समझा जाना रहा है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस ग्रथ को आधुनिकतम रूप देने तथा संशोधित करने का कार्य सोना गया है। मैंने १९६६-६७ के बजट, इण्डिया १९६५, चतुर्थ पचवर्षीय योजना का संस्करण-पत्र और आर० बी० बुलेटिन इत्यादि से पर्याप्त सहायता ली है। इस कार्य में मुझे मेरे शिष्य आनन्द बी० चन्दन से बहुत सहायता प्राप्त हुई है। मैं आनन्द चन्दन का इसके लिए बहुत आभारी हूँ।

मुझे पूरी आशा है कि यह पुस्तक अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों दोनों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

किरोडीमल कॉलेज, दिल्ली-७
सून, १९६६

—ठो० ठो० मेहता



सूची : खण्ड २

१४ : औद्योगीकरण, साधन तथा विधि

20

भारत में सरकार के पक्ष में प्रमुख तर्क—सरकार और राष्ट्रीय स्व-निर्भरता—भारत में सरकार के पक्ष में प्रबल भावना—विवेचनात्मक सरकार—विवेचनात्मक सरकार नीति में युद्धकालीन व्यवस्था की आवश्यकता—सरकार से सम्भावित हातियाँ—सरकार के अतिरिक्त अन्य आवश्यक तत्व—शिक्षा—भारत में औद्योगिक शिक्षा की स्थिति—एड्वट-बुड रिपोर्ट—युद्ध-उद्योगों के लिए प्राविधिक व्यक्तियों की उपलब्धि—भण्डार-काय-नीति—औद्योगिक अनुमधान—प्रान्तीय उद्योग विभागों का कार्य—आयोजन और औद्योगीकरण।

१५ भारतीय उद्योग नवीन तथा पुरातन

22-519

अध्याय का थोंव—सूती मिल उद्योग—सन् १९४७ के बाद सूती मिल-उद्योग—दस्त्र-उद्योग को सरकारण—सूती मिल-उद्योग की कुछ कठिनाइयाँ—प्रशुल्क भण्डल द्वारा दूमरी जाँच (१९३२)—बन्त्र सम्बन्धी विशेष प्रशुल्क-भण्डल (१९३५)—भारत-ब्रिटेन व्यापारिक समझौते के अन्तर्गत प्रशुल्क-परिवर्तन (१९३६)—१९३६-४५ के युद्धकाल और बाद म सूती बस्त्र-उद्योग—जूट-उद्योग—घडसाद-पाल और तदनन्तर जूट-उद्योग—जूट मिल उद्योग पर द्वितीय विश्व-युद्ध का प्रभाव—जूट-उद्योग की समस्याएँ—लोहा और इस्पात-उद्योग—लोहा और इस्पात का आयात—लोहा और इस्पात उद्योग को सरकारण प्रदान करना—इस्पात-उद्योग की परिनियत जाँच (१९२६-२७)—लोहे और इस्पात के उद्योग के विषय में वरक्षण के अन्य कदम—लोहा और इस्पात-उद्योग की वर्तमान स्थिति—मूल्य नीति—योजना और इस्पात-उद्योग—सहायक उद्योग—उद्योग की समस्याएँ—चमड़ा सिभान और चमड़े वार उद्योग—सिभाद उद्योग को सरकारण—रासायनिक उद्योग—भारी रसायन-उद्योग तथा दवाईयाँ—तेल पेरने का उद्योग—कागज-निर्माण—कागज-उद्योग को सरकारण—शीशा-निर्माण—शीशे का आयात और उत्पादन—शीशा उद्योग को सरकारण—सीमेण्ट उद्योग—दियासलाई उद्योग—कुटीर-उद्योग—लघु प्रमाण उत्पादन के बने रहने के कारण—भारत में कुटीर उद्योग और उद्योगी कर—सूती (हस्तचालित) करधा-उद्योग—उनी उद्योग—कच्चा रेशम और रेशम का निर्माण—अन्य कुटीर-उद्योग—कुटीर-उद्योगों को सहायता की विधियाँ—कुटीर-उद्योगों की राजकीय सहायता के हाल के उपाय—योजना एवं औद्योगिक उन्नति।

श्रम-सम्बन्धी वहती हुई समस्याएँ—श्रीद्योगिक श्रम की पूर्ति और उसका देशान्तर-गमनीय स्वभाव—देशान्तर-गमन के प्रभाव—श्रीद्योगिक श्रम का प्रभाव—भरती करने का छग—पारिश्रमिक देने की अवधि—मजदूरी में से कटौती—जुर्माना—काम के घटे और भ्रमणशील प्रवृत्ति—मिलो में काम करने की कठोर परिस्थिति—भारतीय कारखानों में अनुपस्थिति—श्रीद्योगिक श्रम की कार्यक्षमता—भारतीय श्रम की अकुशलता के कारण—आवास (हाउसिंग) की परिस्थितियाँ—आवास की कठिनाइयों और स्वच्छता की कमी के दुष्परिणाम—सुधरे आवासों के लिए प्रयास—श्रीद्योगिक आवास-सम्बन्धी आधुनिक प्रयत्न—मजदूरी की दर—रहन-सहन का निम्न स्तर—शराबबोरी पर व्यय—ऊंची मजदूरी का पक्ष—निम्नतम वैध मजदूरी—क्षणिता—भारत में श्रम-विधान—भारत में श्रम-विधान का उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ स्तेच—श्रम-विधान की एकरूपता की आवश्यकता—भारत में फैक्ट्री-विधान का प्रारम्भ—१९११ का कारखाना अधिनियम (फैक्ट्री एकट)—१९२२ का कारखाना अधिनियम—१९३४ का कारखाना अधिनियम, १९४६ का सशोधन तथा १९४८ का अधिनियम—बम्बई की दुकानों और वाणिजिक संस्थाएँ नाम १९४८ का अधिनियम (१९३६) (दि बॉम्बे शॉप्स एण्ड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स एकट) —चाय के जिलों के प्रवासी श्रम अधिनियम १९३२ (दि टी डिस्ट्रिक्ट्स एमीप्रेट लेबर एकट) —खानों के लिए श्रम-विधान—रेलवे वे श्रमिकों से सम्बन्धित अधिनियम—सन् १९२६ का श्रमिक क्षतिपूर्ति कानून (सशोधित रूप में)—सामाजिक बीमा—भारत में श्रीद्योगिक भगडो का इतिहास—१९३६ के पश्चात् श्रीद्योगिक भगडे—श्रीद्योगिक भगडो की रोकथाम—व्यापार विग्रह विधान (ट्रेड डिस्प्यूट्स लेजिस्लेशन) —सन् १९२३ का व्यापार विग्रह अधिनियम—जांच किस प्रकार की होगी—जांचन्यायालय का निर्माण—समझौता बोर्ड—क्रिया-विधि—जनोपयोगी सेवाओं में हड्डताल—अवैध हड्डताल—१९३४ का बम्बई व्यापार विग्रह समझौता अधिनियम (दि बॉम्बे ट्रेड डिस्प्यूट्स कन्सीलेशन एकट) —बम्बई श्रीद्योगिक विग्रह अधिनियम (१९३८) —बम्बई श्रीद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम (१९४६) —श्रीद्योगिक विग्रह अधिनियम (१९४७) —भारत में श्रम-सघ आन्दोलन—भारत में श्रम-ग्रान्दोलन की कठिनाइयाँ—१९२६ का श्रम-सघ अधिनियम—श्रीद्योगिक कल्याण—कल्याण-कार्य की प्रकृति—कल्याण-कार्य का विभाजन—कल्याण-कार्य के मद—शिक्षा—प्रीपषि सहायता—प्रसवकालीन लाभ—ग्रामोद-प्रमोद—आवास—सहकारी समितियाँ—अन्न-बस्त्र की दूकानें—चाय की दूकानें और केष्टीन।

अनुमान—किष्टले शिराज़ का अनुमान—बी० के० आर० बी० राव का अनुमान—ईस्टर्न इकनामिस्ट का अनुमान—व्यास्था तथा तुलना की कठिनाइयाँ—अन्तर्राष्ट्रीय तुलनाएँ—उहन परीक्षण—क्या भारतीय दरिद्रना घट रही है—अधिक सही मांकों की आवश्यकता—बाड़ली-रावटेसन जांच—प्राकिंडे सकलिन वरने का सकलन—राष्ट्रीय आय की माप—उत्तरादन-गणना—ग्रामीण सर्वेक्षण—राष्ट्रीय आय-सम्बन्धी आधुनिक अनुमान—भारतीय दरिद्रता को बटान वाली उपयोग-मम्बन्धी कुछ भूलें।

१६ सवहन

१२७-१६५

परिवहन का महत्व—रेलव—स्वतन्त्रता से पूर्व—रेलवे के विकास के प्रधान काल-खण्ड—पुरानी गारण्टी प्रया—सरकारी निर्माण और प्रबन्ध (१९६६-७६)—नया गारण्टी सिस्टम (१९७६-१९८०)—रेलो का सीधे विस्तार और साम्र वा प्रारम्भ (१९८०-१९९४)—रेलो का विघटन (१९९४-१९२१)—ग्राकर्दर्य-समिति (१९२१-२५)—भारत म सरकारी प्रबन्ध क पक्ष मे मत—साधारण वित्त से रेलवे वित्त का पृथक्करण (१९२४-२५ मे १९२६-३०)—अवसाद-काल (१९३०-३१ से १९३५-३६) तथा वेजबुड रेलवे-जीव-समिति (१९३६-३७)—द्वितीय विश्वयुद्ध-काल और उसक बाद (१९३६-१९४७)—राज्य और रेलवे के बीच सम्बन्धी की विविधता—स्वतन्त्रता के पदचार्—रेलवे के आर्थिक प्रभाव—रेलो के और अधिक विकास की आवश्यकता—रेलव प्रशासन की समस्याएँ—स्वतन्त्रता से पूर्व—रेलवे-दर-नीति—प्रभावपूर्ण निरीक्षण का प्रभाव रेलवे बोडे का पुनर्गठन—भारतीयकरण की समस्या—रेलवे की समस्याएँ—स्वतन्त्रता के बाद—रेलव म प्रगति तथा पचवर्षीय योजनाएँ—सडक परिवहन—हाल का सडक इतिहास—भारतीय सडकों की विशेषताएँ—प्रधिक सडकों की आवश्यकता—सडक बनाम रेलवे—सडकों की प्रतिस्पदा को कम करने के लिए अपनाय गए उपाय—परिवहन समोजन-नीति—रेल-सट्ट-समोजन पर वेजबुड-समिति और उसके बाद—सडक के मोटर यातायात (ट्रॉफिक) का नियमन—भारतीय सडक-विकास-समिति और सडक वित्त—नवीन सडक नीति—सडक-न्याते की आर्थिक दशा—सडक-सम्बन्धी नवीन प्रस्ताव—नागपुर-योजना—नयी सडक योजना—पचवर्षीय योजनाएँ और सडक परिवहन—जल-परिवहन—मन्देशीय जल-परिवहन—सामुद्रिक परिवहन—जलयान के सम्बन्ध मे भारतीय साहस की बाधाएँ—विलम्बित छूट व्यवस्था, दर-युद्ध इत्यादि—व्यापारिक जहाजरानी समिति १९२३—तटीय यातायात को भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित करन का विल—विलम्बित छूट-व्यवस्था की समाप्ति सम्बन्धी विल—जहाजरानी पुनर्निर्माण नीति उप-समिति—भारतीय व्यापारिक बडे की आवश्यकता—भारतीय जलयान-निर्माण उद्योग की स्थिति—विजगापटम (प्रब विशासापटनम) का जल-यान-निर्माण प्रारंभ—वाय-परिवहन—नागरिक उद्ययन—वेगलोर की वायुयान-फंक्शन।

१८ : भारत का व्यापार

१६६-१८६

बाह्य व्यापार—ऐतिहासिक सिहावलोकन—१८६४-६५ से भारत का व्यापार—भारतीय बाजार के लिए संघर्ष—१८१४-१८ के युद्ध के पूर्व की स्थिति का सारांश—प्रथम विश्वयुद्ध का भारत के व्यापार पर प्रभाव—दोनों युद्धों के बीच के समय में व्यापार (१८१६-२० से १८३६-४०)—विश्व के आर्थिक अवसाद-काल में भारत का व्यापार—विश्व का आर्थिक समुत्थान और भारत का व्यापार—गिरावट (रिसेशन) के समय में भारत का व्यापार (१८३७-३८ से १८३८-३९ तक)—युद्ध-काल (१८३६-४५) में भारत का विदेशी व्यापार—ग्रेगरी-मीक मिशन—निर्यात-परामर्श-समिति तथा अन्य उपाय—राजकीय व्यापार-निगम और तदनन्तर—निर्यात-प्रोत्साहन—भारत के समुद्र-वाहित व्यापार की विशेषताओं में हुए परिवर्तन—१८५०-५१ के बाद—व्यापार की रचना में हाल में हुए परिवर्तन—भारत के व्यापार की दिशा—१८१४ से पहले भारत के व्यापार का वितरण—युद्धकाल (१८१४-१८) में भारत के व्यापार का वितरण—भारत के विदेशी व्यापार (१८१४-१८) की युद्धोत्तर प्रवृत्तियाँ—द्वितीय विश्वयुद्ध और उसके उपरान्त व्यापार की दिशा में परिवर्तन—भारत का मध्यागार (पुनर्निर्यात) व्यापार—व्यापारिक सतुलन—भारत के स्थिति-विवरणपत्रक (बैलेस शीट) में नामे और जमा की मद्दे—देश का (भौमिक) सीमान्त व्यापार—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक समृद्धि—अदायगी शेष तथा निर्यात उन्नति के साधन—आन्तरिक व्यापार—तटीय व्यापार—आन्तरिक व्यापार—भारत के प्रधान व्यापारिक केन्द्र—व्यावसायिक ज्ञान तथा व्यापार-संगठन—भारत के बाणिज्यिक संगठन।

२० : व्यापारिक समझौते

१६०-२१०

साम्राज्य अधिमान (इम्पीरियल प्रेफरेंस) आन्दोलन का इतिहास—साम्राज्य अधिमान के प्रति भारत का स्वर्ग—ग्रोटावा-समझौता—ग्रोटावा-समझौता : पक्ष—ग्रोटावा-समझौता : विपक्ष—बम्बई-लकाशाथर टेक्स्टाइल समझौता (मोदी लीज पैकट)—१८३५ का पूरक आग्ने-भारतीय व्यापारिक समझौता—ग्रोटावा-समझौते पर धारासभा का विरोधी निर्णय—आग्ने-भारतीय व्यापारिक समझौता (१८३६)—भारत-जापानी समझौते की उत्पत्ति (१८३४)—१८३४ के समझौते की धाराएँ—१८३४ के भारत-जापानी समझौते की कार्य-विधि—नवीन जापान-भारत व्यापारिक समझौता (१८३७)—१८४० का अस्थायी समझौता—१८४१ का नया वर्मा-भारत व्यापारिक समझौता—वर्मा द्वारा भारत को दी गई रिआयतें—भारत द्वारा वर्मा को दी गई रिआयतें—द्विपक्षी (बिलेटरल) व्यापारिक समझौतों की नयी रीति—जी० ए० टी० टी०—आधुनिक व्यापारिक समझौते।

२१ : चलार्थ और विनियम (भाग १)

२११-२४५

ब्रिटिश काल से पूर्व भारतीय चलार्थ (करेन्सी)—प्रथम युग (१८०१-१८३५)

—टिप्पणी—द्वितीय काल (१८३५-७४) —तृतीय काल (१८७४-९३) —चतुर्थ काल (१८६३-१६००) —भारत सरकार को वित्तीय कठिनाइयाँ—विनियम-दर की गिरावट का भारतीय जनता पर प्रभाव—विनियम और विदेशी पूँजी में गिराव—पूरोपोय अधिकारियों की दशा—हृदांग समिति की सिफारिशें—फाउलर समिति (१८६६) —द्रव्य सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपनाये गए उपाय—स्वर्ण का प्रचलन—नोट और रूपये जारी करना—स्वर्ण प्रमाप सुरक्षित काप—१६०७ और १६०८ का सकट—स्वर्ण प्रमाप अथवा स्वर्ण विनियम प्रमाप—स्वर्ण विनियम प्रमाप का स्वरूप—कौसिल ड्रापट प्रथा—चेम्बरनेन आयोग—१८१४-१८ वे युद्ध का भारतीय करेन्सी पर प्रभाव—प्रथम युग (अगस्त, १८१४ से फरवरी, १८१५ तक) —द्वितीय काल (फरवरी, १८१५ से १८१६ से अन्त तक) —चाँदी के मूल्य में वृद्धि—सरकार द्वारा किये गए उपाय—सरकार का विनियम पर नियन्त्रण—विनियम-दर की वृद्धि—रजत-न्यय—चाँदी की सुरक्षा और उसकी मितव्यता—पत्र-मुद्रा-प्रसार—आधिक उपाय—बैंकिंग समिति—रिपोर्ट पर सरकार की कार्यवाही—विनियम-नियन्त्रण—सावरेन के कानूनी मुद्रा मूल्य म परिवर्तन—युद्धकालीन प्रतिवर्धी की समाप्ति—रिवर्स कौसिल की विक्री—सरकारी नीति की परीक्षा—तिक्किप्रता की नीति (१८२१-२५) —भारतीय पत्र-मुद्रा—प्रारम्भिक इतिहास—नकद भुगतान और कानूनी मुद्रा-सम्बन्धी प्रतिवर्धन—पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष—पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष की आलोचना—१८१४-१८ वे युद्ध का पत्र-मुद्रा पर प्रभाव—पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष का पुनर्निर्माण—स्थायी विधान—३१ मार्च १८२५ और १८३५ के बीच पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष की बनावट और स्थिति—नोट प्रचलन और करेन्सी की खपत—कुल और सक्रिय नोट प्रचलन—करेन्सी के विविध रूपों की खपत।

२२ चलार्य और विनियम (भाग २)

२४६-२७६

चलार्य हिल्टन यग कमीदान—स्वर्ण विनियम प्रमाप के दोष—सुरक्षित कोष और शेष (बैंलेन्सिज) —विशेषित घनराशियों (स्ट्रेटेन्सिज) का प्रबन्ध—मुद्रासंरक्षित और मूल्यों की वृद्धि—अविचारित एव व्यवसील पद्धति—आन्तरिक बनाम बाह्य स्थिरता—स्वर्ण पिण्ड प्रमाप—स्वर्ण की क्रय-विक्रय दरे—नोटों की परिवर्तनीयता—सुरक्षित कोष का एकीकरण और बनावट—स्वर्ण पिण्ड बनाम स्वर्ण करेन्सी प्रमाप—स्वर्ण पिण्ड प्रमाप की आलोचना—भारत में स्वर्ण करेन्सी प्रमाप का पक्ष—ग्रायोग के प्रस्तावों के विहृद्ध अन्य आपत्तियाँ—रूपये का स्थायित्व—स्थायित्व का अनुपात—विमति टिप्पणी (मिनट औफ डिसेट)—विनियम दर के विवाद का परीक्षण—वहुमत के तर्कों की आलोचना—१ शिं ४ पैस की दर के पक्ष का आलोचनात्मक परीक्षण—अनुपात (विनियम-दर) के विवाद का तदनन्तर विकास (अप्रैल १८२० से सितम्बर १८३१ तक) —सरकार द्वारा हिल्टन यग ग्रायोग की रिपोर्ट का स्वीकरण—मार्च, १८२७ का करेन्सी एवट—स्टॉलिंग और स्वर्ण का सम्बन्ध तथा भारत में इसकी प्रति

कियाएँ—रुपये को १० शिं० ६ पैस से सम्बन्धित करना—भारत से स्वरंग-निर्यात—अनुपात का प्रदन और रिजर्व बैंक बिल—नये करेन्सी अधिकारी के रूप में रिजर्व बैंक फॉफ इण्डिया का विनियम दायित्व—करेन्सी के सम्बन्ध में आधुनिक व्यवस्था—अवमूल्यन का पक्ष और विपक्ष—अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्यात्मक कोष और रुपये का सम-मूल्य—रुपये का अवमूल्यन (सितम्बर १९४६)—द्वितीय विश्व-युद्ध का भारतीय चलार्थ (करेन्सी) और विनियम पर प्रभाव—रुपये के सिक्के को प्रचलन से बांप से लेना और एक रुपये के नोट का प्रचलन—चांदी के सिक्को के रजत तत्व में कमी—दशमलव प्रणाली—विनियम-नियन्त्रण—स्वरंग के आयात निर्यात पर प्रतिबन्ध—साम्राज्य का डालर संबंध तथा युद्धोत्तर डालर कोष अस्पायर (डालर पूल एण्ड पोस्ट वार डालर फण्ड)।

२३ . भारतवर्ष में मूल्य

२७७-२६०

१८६१ से हुए मूल्य-परिवर्तनों पर एक विहगम हट्टि—१८६१ से १८६३ तक—मूल्य जाँच-समिति (१८६० से १८१२)—१८१४-१८ के युद्ध से पूर्व मूल्यों की वृद्धि के कारण—विशेष रूप से भारतीय कारण—विश्वधारी कारण—पूर्व अवसाद-काल तथा युद्ध-काल (१८१४-१८) में मूल्य—मुद्रास्फीति—ज़ौनी कीमतों का प्रभाव—किसानों पर प्रभाव—उद्योगों पर प्रभाव—ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरों के श्रमिक—स्थिर आमदनी वाले व्यक्तियों पर प्रभाव—अवसाद और उसके बाद के समय में मूल्य—मूल्यों के घटने के कारण और प्रभाव—सितम्बर १८३६ के बाद कीमतों—द्वितीय महायुद्ध काल तथा युद्धोत्तर काल में मूल्य-परिवर्तनों का प्रभाव—स्वतन्त्रता के उपरान्त मूल्य—मूल्य-नीति।

२४ . अधिकोषण (बैंकिंग) और साख

२६१-३३७

भारतीय अधिकोषण का इतिहास—देशी अधिकोष—देशी अधिकोष की वर्तमान स्थिति—पुरानी तथा नई अधिकोष-प्रणाली के एकीकरण की आवश्यकता—देशी साहूकारों से सम्बन्ध स्थापित करने की रिजर्व बैंक की योजना—आधुनिक अधिकोष का उदय—प्रेसीडेंसी बैंक—सुरक्षित कोष-पद्धति—प्रेसीडेंसी बैंक के कारोबार तथा विकास—विनियम बैंक (विदेशी बैंक)—विनियम बैंकों के कारोबार तथा उनकी वर्तमान स्थिति—विदेशी बैंकों पर प्रतिबन्ध—भारतीय विनियम बैंक का श्रीगणेश—मिश्रित पूँजी के बैंकों का इतिहास—बैंकों का दिवाला—बैंकों का दिवाला निकलने के कारण—पर्याप्त नकद कोष का महत्व—बैंक-सम्बन्धी नियमन—संशोधित इण्डियन कम्पनीज एक्ट (१८३६) में बैंकिंग कम्पनियों से सम्बद्ध विशेष विधान—बैंकिंग के नियमन हेतु हाल में की गई वंघानिक व्यवस्थाएँ—निकासी एह—पोस्टल सेविंग बैंक—भारतीय द्रव्य बाजार की विशेषताएँ तथा त्रुटियाँ—द्रव्य की दरों में भ्रामकता तथा गोलमाल—द्रव्य-सम्बन्धी मोसमी तगी—हुँडी के बाजार का आभाव—

हृष्टी के बाजार की वृद्धि करने के उपाय—केन्द्रीय बैंक की उपयोगिता—इम्पीरियल बैंक की रचना—इम्पीरियल बैंक का विधान—इम्पीरियल बैंक के कार्य—सार्वजनिक संस्था के रूप में कार्य—इम्पीरियल बैंक की आलोचना के विषय—इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया सशोधन एक्ट, १६३४—स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया—रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट १६३४—रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया कार्यरूप में—रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (सार्वजनिक स्वामित्व का हस्तान्तरण) एक्ट १६४६—१६४६ के बाद भारतीय बैंकिंग—श्रीद्योगिक वित्त—श्रीद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १६४६—सचय करने की प्रवृत्ति—भारतीय बैंकों की संस्था—बैंकों की वर्तमान स्थिति।

२५ : वित्त और कर

३३८-३६८

परिचयात्मक विचार—आय के बेन्द्रीय शीघ्रपक्ष—निराकाम्य (कस्टम) प्रशुल्क का इतिहास—युद्धकालीन तथा उत्तर युद्ध-कालीन निराकाम्य प्रशुल्क पढ़ति—केन्द्रीय उत्पादन-कर—आय-कर का इतिहास—आय-कर में सुधार—कृषि-आय पर कर—उत्तराधिकार-कर—सम्पत्ति-कर—व्यय-कर—उपहार-कर—झफीम—माल-कर—गुजारी—आदकारी—आय के ग्रन्थ साधन—प्रान्तीय स्वायत्त-नासन के अन्तर्गत नये कर बिको-कर—भारत में सार्वजनिक व्यय—नागरिक प्रशासन पर व्यय—कर-भार का वितरण—भारतीय वित्त का सक्षिप्त इतिहास—घाटे के बजट—भारत में लोक ग्रहण का सर्वेक्षण—पोषण-पावना—प्रान्तीय और बेन्द्रीय सरकारों के बीच विस्तीय समझन्द—१६१६ के सुगारों के पूर्व के वित्तीय सबध—१६१६ के सुगारों के अन्तर्गत समझन्द—१६१६ के सुगारों के पूर्व के वित्तीय सबध—१६३५ के विधान के अनुसार बेन्द्र और भारत में सधात्मक वित्त की समस्या—१६३५ के विधान के अनुसार बेन्द्र और प्रान्तों के बीच आय-न्योतों का बैटवारा—सर ऑटो निमेयर द्वारा वित्त सम्बन्धीय जांच—प्रान्तों को सहायता—समझौते के सिद्धान्त—प्रान्तों द्वारा आपत्ति—केन्द्र की आवश्यकताएँ—प्रान्तों को आय-कर का भाग अभिहस्ताकित करने में निमेयर सूत्र में सशोधन—देशमुख परिनिरुद्ध—वर्तमान प्रान्तीय अर्थ-प्रबन्ध—रेल वित्त—सेपरेशन कान्वेशन के अन्तर्गत रेल विभाग के आर्थिक परिणाम—स्थानीय वित्त—स्थानीय (गांद-सम्बन्धी) बोर्ड—नगरपालिका वित्त—स्थानीय संस्थाओं के अपयाप्त साधन—साधनों के अपर्याप्त होने का कारण—साधनों की उन्नति।

२६ बेरोजगारी

३६६-३६६

अध्ययन का क्षेत्र—प्रामोण वृत्तिहीनता दुर्भिक्ष का वर्तमान रूप भी उसका उपचार—दुर्भिक्ष का उत्तरदायित्व—मध्यवर्गीय बेरोजगारी समस्या का विस्तार क्षेत्र—मध्यवर्गीय बेरोजगारी की समस्या की गम्भीरता और प्रसार—विशेष रूप से प्रभावित वर्ग—वृत्तिहीनता के कारण—वृत्तिहीनता को दूर करने के उपचार वृत्ति व्यूरो—वृत्ति विनियोगालय—ग्रन्थ उपचार—सप्रू (वृत्तिहीनता) समिति—बेरोजगारी तथा योजनाएँ।

२७ : भारतीय पंचवर्षीय योजनाएँ

४००-४०६

भूमिका—योजनाओं के लक्ष्य—पहली दो योजनाएँ—तीसरी पंचवर्षीय योजना—तीसरी योजना और रोजगारी—तीसरी योजना का मूल्यांक—चौथी पंचवर्षीय योजना—इस योजना में व्यष्टि—विशेष उद्देश्य—भारतीय योजनाओं में क्मी।

परिशिष्ट : स्पष्टे का अधमूल्यन

४१०-४१४

द्वितीय माग



अध्याय १

ओद्योगीकरण : साधन तथा विधि

१. भारत में संरक्षण के पक्ष में प्रमुख तर्क—संरक्षण के लिए भारतीय उद्योगों की स्थप्त उपयुक्तता की ओर सकेन करते हुए १६२४ के ग्रंथ-आयोग (फिस्कल कमीशन) ने प्रो० पीयू के निम्नलिखित शब्दों को उद्धृत किया—“उत्पादन के प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न किसी भी कृषि-प्रधान देश में उत्पादन-शक्ति बढ़ाने के लिए सरक्षण की नीति का हृद्दता से समर्थन किया जा सकता है। ऐसे देश में सरक्षण के फलस्वरूप देश के उत्पादन का विदेशी उत्पादन से कम विनियम होने के कारण जो हानि होगी, अन्ततोगत्वा राष्ट्र को देश की उत्पादन-शक्ति के विकास की तीव्र गति द्वारा उसकी पूर्ति से अधिक लाभ होगा। सरक्षण-कर, जिन्हें कालबट्ट ने नये उद्योगों को चलना सिखाने वाली वैसाखी बताया है, उद्योगों के स्वतं चलना सीखने की अपेक्षा उन्हें इनी जल्दी चलने की शक्ति प्रदान कर देती है कि वैसाखियों की लागत से कही अधिक लाभ प्राप्त होता है।”^१

२. संरक्षण और राष्ट्रीय स्व-निर्भरता—जो लोग सरक्षण के पक्षपाती होते हैं, वे हर सम्भव उत्तराय से निर्यात को भी प्रोत्साहन देने का समर्थन करते हैं। किन्तु यह स्थप्त है कि यह आत्म-निर्भरता के आदर्श के विपरीत है, वयोंकि निर्यात के साथ-साय आयात अवश्यमेव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त यह प्रश्न भी किया जा सकता है कि क्या एक राष्ट्र की स्व-निर्भरता व्यक्ति की आत्म-निर्भरता से किसी भाँति अधिक बाढ़नीय है? डॉ० एडविन कैनन का कथन है कि “संरक्षण का कट्टर पक्षपाती उस साधु की भाँति है जिसे अपने पड़ोसी मे कुछ भी खरीदना स्वीकार नहीं।”^२ और एक साधु राष्ट्र एक साधु व्यक्ति से किसी भी भाँति अधिक प्रशसनीय नहीं कहा जा सकता। साधारणतया आत्म-निर्भरता के आदर्श का पालन सापेक्षिक लागत के नियम द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही करना चाहिए और उन्हीं उद्योगों के सम्बन्ध में नीति पर विचार करना चाहिए, जिनके सम्बन्ध में एक देश को निश्चित रूप से प्राकृतिक सुविधाएँ प्राप्त हों।

राष्ट्रीय स्व-निर्भरता के सिद्धान्त का समर्थन बहुधा राष्ट्रीय सुरक्षा के हाटि-बोल से किया जाता है। भारत उत्पादन के विभिन्न साधनों से सम्पन्न एक विशाल देश है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए आत्मनिर्भरता ग्रेट

१. ‘फिस्कल कमीशन रिपोर्ट (१६२४)’, पैरा ७४।

२. ‘द्विनामिक जरनल’, मार्च १६१६, पृ० ७६।

ब्रिटेन की अपक्षा अधिक सुलभ है। किन्तु न तो यह सम्भव ही है और न बाछतीय ही, कि भारत अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य सारे देशों से सम्बन्ध विच्छेद कर ल।

इ भारत में सरक्षण के पक्ष में प्रबल भावना—ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनायी गई स्वतन्त्र व्यापार की नीति मुख्यतया इस सन्देह के कारण अलोकप्रिय रही कि मुक्त-द्वार की यह नीति भारत की अपक्षा ब्रिटेन के हितों की अधिक पोषक थी। युनाइटड स्टेट्स, जर्मनी और यहाँ तक कि जापान जैसे अन्य देशों की समृद्धि भी सरक्षण के ही बल पर हुई थी। लोगों को इस तर्क पर विश्वास ही नहीं होता था कि उनके विकास के कारण विलकुल दूसरे ही थे तथा सरक्षण उनके औद्योगिक विकास में सहायक होने के बजाय गतिरोधक सिद्ध हुआ था। यह भी कहा जाता था कि ब्रिटेन न स्वयं भी सरक्षण की नीति का तभी परित्याग किया, जब उसकी औद्योगिक श्रेष्ठता का सिवका निश्चित रूप स जम चुका था। यह बात भी सत्य थी कि ब्रिटेन में स्वतन्त्र व्यापार-काल का प्रारम्भ कृपि से सरक्षण हटाकर उद्योगों को सरक्षण देने के घटेय से हुआ था। अन्त में, १८१५ से स्वयं ही सरक्षण की नीति का अनुसरण करने के बारण ग्रेट ब्रिटेन किस मुँह से भारत को स्वतन्त्र व्यापार की शिक्षा दे सकता था?

प्रथम महायुद्ध (१८१४-१५) के बाद सार्वजनिक व्यय म हुई अत्यधिक वृद्धि ने सरकार को आयात कर बढ़ाने के लिए वाध्य कर दिया। यह एक ऐसी पद्धति थी जो बहुत-से उद्योगों के लिए स्वतं सरक्षक सिद्ध हुई। अव्यवस्थित और अनियमित होने के कारण ऐसे सरक्षणों के कुछ परिणामों का अहितकर होना अवश्यम्भावी था। किसी स्थायी नीति के आश्वासन के बिना ही इन्होंने उद्योगों को प्रश्रय दिया, अतएव यह आवश्यक नहीं था कि सरक्षण उन्हीं उद्योगों को मिलेगा जो इस योग्य थे। आप बढ़ाने के उद्देश्य से लम्हाये गए ऊने निराकाम्य कर (कस्टम डयूटीज), जो समोग से सरक्षणात्मक भी थे, औद्योगिक विकास में सहायक सिद्ध होने के बजाय अधिक बाधक थे।

४ विवेचनात्मक सरक्षण—अर्थ आयोग द्वारा निर्धारित निम्नलिखित सामान्य नियमों को पृथक प्रदर्शन के लिए अपनाया गया है—(१) उद्योगों को प्राकृतिक सुविधाओं से सम्पन्न होना चाहिए, उदाहरणार्थ कच्चे माल की पूर्ति की अधिकता, सस्ती ज्ञाति, श्रम की पर्याप्त पूर्ति और देश में विस्तृत वाजार की उपलब्धि। (२) सरक्षण उन उद्योगों को ही देना चाहिए जो या तो उसके बिना विलकुल पनप ही न सकते हों या इसके अभाव में जिनका विकास उस गति से न हो सकता हो, जो राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक है। (३) सरक्षण दिया जाने वाला उद्योग ऐसा होना चाहिए जो आगे चलकर बिना सरक्षण के ही विश्व-प्रतिस्पर्द्धा का सफलतापूर्वक सामना कर सके।

अन्य गोण सुझावों के अनुसार वे उद्योग जिनमें वृद्धिमान प्रत्युपलब्धि नियम लागू हो तथा वे उद्योग जिनसे निकट भविष्य में ही सारे देश की आवश्यकता-पूर्ति का आदानपान मिलता हो, सरक्षण-योग्य है। ऐसे उद्योगों को सरक्षण कभी नहीं मिलना

चाहिए जिससे देश की आवश्यकता की केवल आर्थिक पूर्ति हो सकती हो ।

कभी कभी बाहरी देशों द्वारा राशिपातन (डम्पिंग) वरने पर सरकारण अपनाया जा सकता है या उम्रम वृद्धि की जा सकती है । जब यह स्पष्ट रूप से विदित हो जाए कि अन्य देश राशिपातन कर रहे हैं और इस कारण उम्र राष्ट्रीय उद्योग को हानि पहुँच रही है, जिसकी समृद्धि से राष्ट्र की समृद्धि सम्बद्ध है तो एक विशेष राशिपातन-कर आवश्यक हो सकता है । जिन देशों में मुद्रा का मूल्य बहुत कम हो गया हो जिसके फलस्वरूप वे अन्य सुदृढ़ मुद्रा वाले देशों के साथ नीचे भाव पर निर्यात करने के योग्य हो गए हों, तो उन देशों की वस्तुओं पर भी ऐसे कर समाना उचित ठहराया जा सकता है । १८६६ के १४वें अधिनियम के अनुसार यदि कोई भी देश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्यात को आर्थिक सहायता देता है, तो गवर्नर जनरल को यह अधिकार है कि भारत गजट में अधिसूचित करके ऐसी सहायता की वास्तविक मात्रा के चरावर आमात पर अतिरिक्त कर लगा दे ।^{३१}

अर्थ आयोग के विचार में प्राय नवीन उद्योगों को ही सरकारण प्रदान करना चाहिए । फिर भी उनका मत है कि सुदृढ़ उद्योगों के साथ भी ऐसी आइस्मिक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जब उन्हें सरकारण देना उचित हो, ताकि वे उन कारणों में उन्मन सक्रमणिकालीन मन्दी का सामना कर सकें, जिनका उपचार उनकी शक्ति के परे है । ममय-समय पर मूर्ती वस्त्र उद्योग को दिया गया सरकारण इस कोटि में भली भाँति आता है क्योंकि यह उद्योग अब अपनी शैशवावस्था में नहीं है ।

पूर्ण रूप से नवीन उद्योगों के विषय में अर्थ-आयोग का सदस्यों का विचार था कि वास्तविक स्थिति का अध्ययन न कर नवीन उद्योगों के प्रवर्तनों के अनुसारों पर विद्वाम करके सरकारण प्रदान करना बहुत बड़ी जोखिम उठाना होगा । विन्तु विद्वाम उद्योगों के सम्बन्ध में भी अनिश्चितता और अनुसार का मामना किय बिना नीति निर्धारित करना सम्भव नहीं है । परिकल्पना की मात्रा उन उद्योगों के सम्बन्ध में और भी अधिक होगी, जिनको अन्य शाखाएँ खोलने के लिए सरकारण दिया जाएगा । फिर भी आयोग इस आधार पर सरकारण देने का विरोधी नहीं था ।^{३२} अतएव यह स्पष्ट है कि उन सभी दशाओं में, जिनमें सरकारण की माग की जाती है, अनिश्चितता अवश्य विद्वाम रहगी । सरकारण प्रदान किये जाने वाले एक नवीन उद्योग के विषय में यह सम्भव है कि बाहरी देशों में, जहाँ यह उद्योग भल्कु भारित स्थापित हो चुका है, ऐसे विवरणनीय तथ्य प्राप्त हो सकें जिनमें यहाँ इस उद्योग के विषय में कोई शक्ति न रह जाए । अर्थ-आयोग का मन है कि आमतौर से नये उद्योगों के लिए सरकारण अपर्तिजनक ही नहीं, बल्कि अनावश्यक मिल होगा, क्योंकि सरकार की आर्थिक

३१ अप्रैल, १८६३ में पापु लुप डायग-सुरद्वा-आधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल का यह अधिकार दिया गया था कि वह उन सभी दशाओं में अतिरिक्त कर लगा सकता है, जिनमें उसके अनुसार विद्वाम भाल का इतने कम मूल्य पर आमान हो रहा है कि उसमें एक रुपा पत उद्योग को सकट है ।

३२ मार्च, १८६५ को यह अधिनियम सनाक्त हो गया ।

३३ 'अर्थ-आयोग (क्रिस्कल कमीशन) रिपोर्ट', पैरा ३०० ।

आवश्यकताएँ आगम वरों के स्तर को ऊँचा रखने के लिए बाध्य करेंगी। फ्रेस्वरूप प्रारम्भ म आवश्यक सरक्षण स्वत ही प्राप्त हो जाएगा। अतएव ऐसे उद्योग को, अन्यथा जिसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है, भारम्भ करने के पहल पर्याप्त सरकारी सहायता का आश्वासन प्राप्त होना चाहिए। सरकार द्वारा नव माहसोशभिशो को कुछ बैंकों की निम्नतम व्याजन्दर की गारण्टी देने का सिद्धान्त, जिसका सभी क्षेत्रों में स्वागत हुआ है, मूलत उन्हें सरक्षण देने की नीति के अलावा और कुछ नहीं है (नीचे सेक्षण १४ देखिए)। हर एक दशा में यह आवश्यक है कि उद्योग नीचे दी हुई शर्तें पूरी करे। भारतवर्ष के राष्ट्रीय महत्व के आधारोद्योगों म साधारणतया निम्न लिखित उद्योगों का नाम लिया जाता है—भारी रासायनिक उद्योग, रजत द्रव्य, यन्त्र व औजार, रेल के डब्ब, इंजन, हवाई जहाज, मोटरगाडिया, कागज, छुरी-काट, बरतन और बिजली के सामान।

इसी उद्योग को सरक्षण देना निश्चय कर लेने के बाद मृद्य समस्या सरक्षण की मात्रा निश्चित करना है। उद्योग को इतना अधिक सरक्षण नहीं देना चाहिए कि वह स्वत प्रबल करना ही छोड़ दे। वास्तव म उद्योग को निश्चित करन की अपेक्षा उस उत्तेजित करने की आवश्यकता है। कर की एसी यथोचित मात्रा, जो न कम हो न अधिक, निश्चित करना बहुत मुश्किल है। भारत और विदेशों की उत्पादन लागत की तुलना के लिए हम एसी औसत फर्मों का लेकर अध्ययन करना होगा, जो न तो असाधारण रूप से कुशल है और न अकुशल ही।^१ सरक्षण की दर निवारित करते समय उपभोक्ताओं के हित का भी ध्यान रखना चाहिए। सरक्षण कर की दर ऊँची हानि म तीव्र औद्योगिक विकास हो सकता है, किन्तु मूल्या की अनुचित वृद्धि रोकने के लिए यह सम्भव है कि इस दर को कम रखना पड़ और विकास की अपेक्षाकृत मन्द गति वो स्वीकार करना पड़े।

विवेचनात्मक सरक्षण की अनुचित रूप स कठोर और अनुदार व्याराया बरन की प्रवृत्ति वो उस दूसरे शब्दों म रखकर कुछ सीमा तक ठीक किया जा सकता है। इगलैण्ड स्वयं वपास वाहर स मौगाता है, फिर भी सूती वस्त्रोद्योग म द्वंद तक उसका स्थान बेजाड न सही, परन्तु उच्च कोटि वा अवश्य है। फिर सूती वस्त्रोद्योग और अपने कई अन्य उद्योगों के निए उसे बाहरी बाजारों पर निभर रहना पड़ता है, अत अर्थ आधोग द्वारा सुभायी गई पढ़ति एक साधारण पथ प्रदर्शक के रूप म ही अपनायी जा सकती है। उसका शास्त्रिक या कठोर पालन करना उचित नहीं। समय समय पर नियुक्त प्रशुल्क मण्डला (टैरिफ बोर्ड) और सरकार न भी इस महसूस पुराव पर ध्यान नहीं दिया है। भारत म विवेचनात्मक सरक्षण की दूसरी आलोचना यह है कि

१. लागत विश्लेषण की जटिलता का अनुमान लगाने के लिए पाठक 'इंस्टियन फिस्कल प्रायलम', (जै० सु०० कोयानी द्वारा लिखित) प० ३६-३७ दर्ये दी० ली० काल 'इनामवस आफ प्रोटेवरान इन इंस्टिया', सी० एन० बर्कील और एम० सी० मुरारी, 'इंस्ट्रियन पालिसी आइ इंस्टिया विद रप्ताल रपरेन्ट्स ट्रु कम्पन्स टैरिफ', प० =०-५, तथा टैरिफ बोर्ड की विभाग रिपोर्टों दर्ये।

इसन ओद्योगीकरण की सम्पूर्ण समस्या को ध्यान में न रखकर उद्योगों पर प्रत्यग-प्रत्यग विचार किया है। फलत् ओद्योगिक विकास के पथ में अनावश्यक बाधाएँ उत्पन्न हो गई हैं और इसका स्वस्थ अनियन्त्रित-मा हो गया है।

भारतवर्ष में विवेचनात्मक सरकारण की असफलता का प्रमुख कारण देश के शीघ्र ओद्योगीकरण के प्रति विटिश सरकार की सहानुभूति का अभाव था। जैसा प्रो० बी० पी० अदारकर का बहना है, “पारचात्य देशों में सरकारों की सहायता से सरकारण के अतिरिक्त और भी उपाय काम में लाये गए हैं, जैसे आर्थिक सहायता, राजकीय सहायता, ओद्योगिक अनुमन्धान और ओद्योगिक संस्थाओं का पथ-प्रदर्शन एवं नियन्त्रण। वास्तव में वहाँ विवेचनात्मक सरकारण ने उद्योगों को बदामीन और अनमने भाव से नामन्मात्र की सहायता देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया है। तदनन्तर वे उद्योग अपने विकास के लिए स्वतन्त्र छोड़ दिय गए हैं। प्रशुल्क-मण्डल और सरकार की विलम्बकारी नीति के कारण प्राप्त सरकारण बहुधा लाभकर नहीं होता।” इस भावित भारतवर्ष में बहुत दिनों से ओद्योगीकरण की समस्या का रूप आर्थिक की अपेक्षा राजनीतिक अधिक रहा है। अब स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई है, अतएव इसका हल सरल हो जाएगा।

५. विवेचनात्मक सरकारण नीति में युद्धकालीन व्यवस्था की आवश्यकता—वास्तव में अब युद्ध-समाप्ति के बाहरी देशों की तीव्र संपर्क और सरकारण की अकस्मात् समाप्त कर दिन के फलस्वरूप उत्पन्न तीव्र असन्तुलन की स्थिति से अपने उद्योगों को बचाने के लिए एक सामान्य सरकारण काल की आवश्यकता है। १९४७ ई० से प्रशुल्क-मण्डल विभिन्न उद्योगों के सरकारण के लिए आये आवेदन-पत्रों पर विचार करने में लगा हुआ है और उनमें से बहुतों को सरकारण मिल भी चुका है।

प्रत्येक उद्योग के सम्बन्ध में मण्डल निम्न दातों की जाव करता है (१) वह उद्योग भनी भाति स्थापित और सचालित है या नहीं, (२) एक निश्चित समय में उसके विकास की सम्भावना है या नहीं, ताकि फिर सरकारण आवश्यकता की पहुँचाये विना सम्भव है या नहीं। सरकार के आदेश पर मण्डल को निम्न बायं भी करने पड़ते हैं—देश में ऐंडा होना जल्दी जरूरी जरूरतों के उत्पादन जागत की जांच जरूरत, और और मुटकर तथा अन्य मूल्यों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना, विदेशों की रानिपातन-नीति से उद्योग के लिए सरकारण-सम्बन्धी सिफारिशों प्रस्तुत करना, आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न वस्तुओं पर

१. श्री पी० सी० जैन द्वारा सम्पादित, ‘इण्टरस्ट्रियल प्राव्हृत्त आर्फ इंसिट्यू’ में अदारकर का ‘किंचन और वर्गील पालिसी’ नामक लेख देतिए।

२. हुद्य उद्योगों, जिनमें सती बस्त्रोद्योग, लोडा और इस्माल, कागड़ और लुगदी, ईगनेशियम इलोराइड और चीर्ना आदि के उद्योग भी सम्भित हैं, सरकार उद्योगों की कोटि से हजार दिये गए हैं।

मूल्यानुसार लगाये हुए तथा विशिष्ट करो के प्रभावो और प्रशुल्क-करो का मूल्यावन करना तथा अन्य देशों को प्रशुल्क-कर में दी गई छूट के प्रभावो का अध्ययन करना, मूल्य को ऊँचा उठाने वाली, गिरने से रोकने वाली या प्रभावित करने वाली और इस भाँति व्यापार को रोकन वाली स्थाओ, एकाधिकार, ट्रस्ट एवं संयोजनो (कम्बिनेशन) के विषय में रिपोर्ट देना और उनकी गतिविधि को रोकन के लिए उपायों को सुझाना तथा सरक्षित उद्योगों पर निरन्तर दृष्टि रखना।

अर्थ-आयोग द्वारा तैयार की गई प्रश्नावसी में मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित थीं—
 (१) आर्थिक पृष्ठभूमि में १९५२ से लेकर अब तक हुए परिवर्तन, (२) विवेचनात्मक सरक्षण की नीति और उसका प्रयोग, (३) गत प्रशुल्क-नीति के प्रभावो की समीक्षा, (४) संयोधित प्रशुल्क-नीति के सिद्धान्त, (५) व्यापार और उद्योग के लिए नम्भव गैर-आर्थिक उपाय, (६) व्यापार और नियोजन पर हवायता चार्टर के अनुसार निर्धारित अव-व्यवस्था, (७) सहायता प्राप्त और सरक्षित उद्योग के अधिकार और कर्तव्य तथा (८) अर्थनीति और अधिमान। इस अर्थ-आयोग (फिस्कल कमीशन) ने सरक्षण देने के लिए उद्योगों को तीन भागों में विभाजित किया—
 (१) सुरक्षा एवं मैनिक महत्व के उद्योग, (२) आधारोद्योग, तथा (३) अन्य उद्योग। पहले प्रकार के उद्योगों को सरक्षण अनिवार्य रूप से देने की सिफारिश की गई, भले ही इससे समाज को कितना भी कष्ट क्यों न हो। दूसरे प्रकार के उद्योगों के सरक्षण के रूप और मात्रा का पूर्णतया निश्चय अर्थ आयोग के ऊपर या। इन उद्योगों को सरक्षण देने के लिए कोई सीमित शर्तें नहीं रखी गईं। तीसरे प्रकार के उद्योगों को सरक्षण देने के लिए दो शर्तें रखी गईं। प्रथम, उचित समय के भीतर ये उद्योग इतने विकसित हो सक कि सरक्षण या किसी प्रकार की आर्थिक सहायता के बिना पनप सके और द्वितीय, सरक्षण की सम्भाव्य लागत समाज के लिए अधिक न हो। अर्थ-आयोग न एक स्थायी प्रशुल्क-आयोग (टैरिक अमीशन) वा नियुक्ति की सिफारिश की। प्रशुल्क-आयोग-अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत २१ जनवरी, १९५२ को सरकार ने प्रशुल्क-आयोग की स्थापना की, जिसके तीन सदस्य होते हैं (इनमें से एक सभापति होता है)। प्रशुल्क-आयोग को विस्तृत अधिकार दिये गए हैं, परन्तु इधर हाल में सरकार ने प्रशुल्क-आयोग की सिफारिशों में परिवर्तन करके उसके कार्य महसूलों भी किया है जो अवाक्षनीय है। सरकार न मई १९६६ में ३०० दी० क० आर० बी० राव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जो कि प्रशुल्क-आयोग के कार्य की जाच-पड़ताल करेगी तथा सुझाव देगी।

६. सरक्षण से सम्भावित हानियां—जब एक उद्योग को सरक्षण प्राप्त हो जाता है, तो वह स्वभावत उसका लाभ यथासम्भव समय तक उठाना चाहता है और वह जिन उपायों का बहुधा सहाया लेता है, उनमें से एक उपाय समृद्धि को दिपाना और प्रारम्भिक बाल की असमर्थता का प्रदर्शन करना है। दूसरा उपाय आयात कर कम करने वाली स्थापा पर राजनीतिक प्रभाव डालना है। सरक्षण की अवधि को पहले से ही निश्चित कर लेना ठीक नहीं है, क्योंकि यदि बीच में ही परिस्थितियों में

मौलिक परिवर्तन हो जाए तो सरक्षण वीं नीति पर पुन विचार करना और सम्भवतः मरक्षण की अवधि बढ़ाना होगा।

अर्थ-आयोग का भत है कि प्रशुल्क-मण्डल के लिए सन्तोषजनक नियन्त्रण बनाये रखने का एक ही रास्ता है कि वह सरक्षित उद्योगों की दशा की समय-समय पर जांच करे और तर्क्युक्त निर्णय दे कि अमुक वस्तु पर कर बना रहने दिया जाए या हटा लिया जाए, और यदि बना रहने दिया जाए तो उसकी दर में परिवर्तन किया जाए या नहीं। प्रशुल्क-मण्डल के सदस्यों के चुनाव में सबसे अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। मरक्षण के प्रयोग की सफलता इस स्थायी की कार्य-प्रणाली पर निर्भर करती है।¹ सरक्षण अपनाने वाले बहुत-से देशों में प्रशुल्क अधिनियम स्वार्थी गुटों में प्रभावित रहता है और समस्त देश के हित को ध्यान में रखकर निश्चित की गई योजना का दायर ही कभी अनुसरण करता है। अर्थ-आयोग का भत है कि विधानसभा में भिन्न-भिन्न स्वार्थी के प्रनिनिधित्व और विशेषकर कृपि तथा भूमि के भूदेव बने रहने वाले महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व के कारण भारतवर्ष में अन्य देशों की भाँति भ्रष्टाचार का भय नहीं है। किन्तु सम्भवत यह परिस्थिति का अनावश्यक एवं अति आशावानी हृष्टिकोण से अव्ययन है तथा राजनीतिक भ्रष्टाचार से उत्पन्न होने वाली हानियों को कम करके देखना है। सरक्षण द्वारा जो स्वार्थ फूले-फलेंगे वे अपने विरोधियों की अपेक्षा अधिक साधनपूर्क तथा मुमग्छिन होगे, वयोंकि विरोधी स्वार्थ भिन्न-भिन्न भाँति के होने के कारण प्रभाव-कारो ढण से मयुक्त नहीं हो सकते। विशेष व्यवहार की अपेक्षा अबने वाले उद्योगों की दशाप्रो में प्रशुल्क-मण्डल द्वारा की गई खोजों का अधिकाधिक प्रचार करने की आवश्यकता है।

राजनीतिक भ्रष्टाचार के प्रतिरिक्षण सरक्षण द्वारा प्रोत्साहित दूसरा दोप, जिसमें बचने की आवश्यकता है, उत्पादकों का सयोजन है। किसी भाँति पैदा हुआ पर्योजन वास्तव में देश के लिए हितकर है या नहीं, इसका उत्तरदायित्व प्रशुल्क-मण्डल पर ही है और यदि वह हानिकर है तो मण्डल को उस पर से मरक्षण उठा

¹. सन् १९३६ के भारतीय आर्थिक सम्मेलन के भाभापति-पद से भाषण करते हुए दिव्यान प्रोफेसर एन० एम० सुकाराम ने यह सुकाराम रखा था कि यूनाइटेड रेट्स के लेटरल ट्रैट कमोशन और टैरिफ कमोशन की भाँति, जो अपनी बिंगड़ कार्य-प्रणाली द्वारा सैक्षेचन-देने उपाय द्वैतवे रहते हैं, भारत में भी एक राष्ट्रीय आर्थिक परिषद का निर्माण होना चाहिए। प्रशुल्क-नस्टल को डेविल रूप से विस्तृत करना चाहिए और इसे उपभोक्तियों तथा व्यक्तिगत सुवेद्धकों की अनुमति देनी चाहिए। इसे स्वतः जाच और सुदृढ़ता करने का समय-समय पर अपने पायामर्दों को सुरक्षा के सम्बुद्ध रखने का अधिकार हाना चाहिए। यह शीघ्रता में की जाने वाली वै-मानवातीन अव्यवर्थित सोडां को पूर कर देगा, अवस्थित आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा और देश में आवश्यक औद्योगिक सुन्नुलन को सुन्नभ बना देगा। माच, १९३६ की विधानसभा में श्री एच० पी० मोदी ने सुमाव रखा कि ग्रेट-डिटन की आयान-कर परामर्गदात्रों समिति की तुलना में भारतीय प्रशुल्क-नस्टल को अधिक गति-शील और प्रभावशानी बनाने के लिए उनकी वार्षिकियों में मशोधन होना चाहिए।

लेने या कम कर देने का सुझाव देना चाहिए।

७ संरक्षण के अतिरिक्त अन्य आवश्यक तत्त्व — संरक्षण के बावजूद भी आधुनिक आर्थिक जीवन के अन्य अनिवार्य अगो, जैसे एक कुशल बैंकिंग व्यवस्था, आवागमन के समुन्नत साधन, रेलो और जहाजों की दर-सम्बन्धी सहानुभूतिपूर्ण नीति, विक्रय के लिए सुगठित संगठन, औद्योगिक और व्यापारिक सूचनाओं के लिए कुशल व्यवस्था, पूँजी-प्राप्ति के पर्याप्त साधनों आदि के अभाव में देश आर्थिक रूप से सदैव पिछड़ा रह सकता है।

८ शिक्षा—भारतवर्ष में जिस देश की सर्वोपरि आवश्यकता है वह है प्रत्येक वर्ग के लोगों के मानसिक हृषिकोण म परिवर्तन।^१ आत्मविश्वास की कमी और मरहस का अभाव, जो आज भारतीय चरित्र के अग बन चुके हैं, हमारी दोपपूर्ण शिक्षा-व्यवस्था के परिणाम है। नीचे से लेकर ऊपर तक हमारी शिक्षा-पढ़ति आवश्यकता स अधिक साहित्यिक और सत्यात्मक (एकेडेमिक) है। इसे श्री अधिकव्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने की आवश्यकता है। बुद्धिमानी से आयोजित शिक्षा-पढ़ति थम की प्रतिष्ठा के सिद्धान्तों पर जोर देने पर विशेष ध्यान देयी। हाथ से होने वाले कार्य अथवा भिन्न-भिन्न भाँति की रचनात्मक मानवीय कियाएँ प्रत्येक स्कूल के शिक्षा-क्रम

९. अपने एक पुराने शिष्य द्वारा पूछे जाने पर भारत के लिए सरकार के प्रश्न पर डॉ० माशल ने लिखा—“मिडान्ट भारत न शैराब-कालीन उद्योगों को सुरक्षण देने के विषय में मुक्त कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु इन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निराकार्य कर एक बहुत महंगी विधि है। मेरे विवार से जब तक अन्य उद्योगों की परीक्षा न कर ली जाए तबको प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। कम-से-कम उस समय तक इसे प्रयोग में नहीं लाना चाहिए जब तक कि वे उद्योग ह, जिन्हें माल पहुँचाने का लायत के लिए बहुत अधिक सरकार किला है, (कुछ दराओं में माल पहुँचाने की लायत का दूना सरकार मिला है) भारतीय साइरस को प्रोत्ताहित करने में सफल नहीं हो जाते। इस दृष्टिकोण से प्रमुख उद्योग चमड़ा, कागज और तिलहन के उद्योग हैं। यदि भारत के पास श्री टाटा के समान एक या दो कोडी व्यक्ति होते और जापानिया की भाँति वारतविकास से सम्बन्ध रखने वाले, राजनीति और न्यायालयों में भाषण देने से घोर धूणा करने वाले और विचारों से भर मरिताप्त के साथ अन्य ‘बस्तुओं’ का काम करने से धूणा न रखने वाले कुछ व्यक्ति भी होते, तो भारत शीम एक महान् राष्ट्र बन जाता। पसा होने पर कोई उसे रोक न सकेगा, न काइ निराकार्य कर ही वाधक सिद्ध हो सकेगा तथा अपनी परम्पराओं का वह शीन प्राप्त कर लेगा। किन्तु जब तक उच्च द्विद्वा-प्राप्त भारतीय सुनसूत विलास में अपनी समय नष्ट करते रहेंगे या भारतीय न्यायालयों में धनोपार्नन करते रहेंगे—जो दोनों ही समुद्र के किनारे की रेत का भाँति ही दर्श के बहयाय के दृष्टिकोण से अनुपयोगी ह—भारत के लिए कोइ भी बत्तु लाभकर नहीं हो सकती। मैं २० बष स केन्द्रिज में भारतीयों का जोर देकर बनला रहा हूँ कि वे दूसरों से पूछे कि इमर्जेंसी से कितने परिचम जाने समय अपने विकास के अतिरिक्त किमी अन्य विषय के बारे में सोचते ह? क्या जापानी संदैव अपने से नड़ा पूँछा करते कि वे बाप्त लौटने पर किस भाँति अपने को अपने राष्ट्र के लिए अधिक-से-अधिक उपयोगी बना सकेंगे? क्या उनको बास्तविक अव्ययन वी लालसा ‘नहीं रहता? क्या पश्चिम की राजि के भूल पर वे दृष्टिपान नहीं करते? क्या वही जापान के शीप्र विकास का प्रमुख कारण नहीं है? क्या हम उसका अनुकरण नहीं कर सकते? क्या हमें जापानियों का भाँति अपने देश के विषय में यहले और अपने विषय में बाद में सोचने का परिवर्तन लाने की आवश्यकता नहीं है?’

(कर्त्तव्युलम) में रखी जानी चाहिए।^१ हाथ से होन वाले कार्यों के प्रति भारतवर्ष म पाई जान वाली अहंकार के कारण मुख्यतया नामाजिक है। किन्तु इस तथ्य का एक कारण यह भी रहा है कि अभी हाल तक भारतवर्ष के स्कूलों में बच्चों के लिए हाथ के कार्यों के लिए सन्तोषजनक प्रबन्ध का विलकृत अभाव रहा है। कुछ कलाओं या उत्पादक क्रियाओं के माध्यम से प्रारम्भिक स्कूलों म शिक्षा देने के महात्मा गांधी के मीलिक विचारों पर आधारित वर्धान-शिक्षा-योजना का उद्देश्य हमारी शिक्षा-पद्धति के उपर्युक्त दायों को दूर करना है।^२ बहुत-स प्रान्तों एव राज्यों म इसका उपयोग हो रहा है।^३ विद्यार्थी को अपनी आखों और हाथ का अविकाविक उपयोग विखलाना चित्र शिक्षा पद्धति का एक उद्देश्य होना चाहिए। किसी भी भाँति की शिक्षा या उचित शिक्षा के अभाव से भारतीय श्रमिक वे दल अकुशल और अविद्यसनीय ही नहीं हो जाता, वरन् उसकी आत्मोन्नति की सारी अभिलापा ही मर जाती है। शिक्षा उम्बों आवश्यकताओं को बढ़ा दगी, उनको पूर्णि के लिए प्रधिक और अच्छी तरह से दाम करन के लिए उम्म प्रेरित करेगी और इस प्रकार उसन जीवन को समूलन कर दगी। भारतीय उद्योगों की एक समस्या यह है कि कुशल कार्यकर्ता, निरीक्षक एव यन्त्रों के चालक बाहर य मैग्नान पड़त हैं। य मनुष्य स्वभावन महंग पट्टन हैं और उन्हें कौंची दर स पारिश्रमिक देना पड़ता है। इसक अलावा उनके उनक देश वापस वारत भवय भी नारी सर्व उठाना पड़ना है। अब प्रायोग न मिफारिश की थी कि सरकार का चाहिए कि विदेशी फर्मों का आईंदर देन समय निकार्थियों (प्रप्रेटिसर) के प्रशिक्षण की दृष्टि भी टप्पडर म रख। कुशल कार्यकर्ता या, निरीक्षकों एव यन्त्र चालकों के अनिरिक्त भारतीय प्रबन्धकों की भी आवश्यकता है। इस क्षेत्र म आवश्यक प्रशिक्षण के हनु विद्य जान के लिए राज्य द्वारा दी गई प्राविधिक द्यात्रवृत्तियों बहुत सीमित भावा म ही आवश्यकता की पूर्ति कर मिली है। इन समस्या का एकमात्र वास्तविक हूल यह है कि दश म ही हर श्रेणी के प्राविधिक विद्यालय खाल जाएं ताकि भारतीय उद्योग प्रत्यक्ष प्रकार के विदेशी श्रम न छुटकारा पा जाए। श्रीगांगां भमस्याओं म अनुमन्त्रान द्वार्य अत्य त महत्वपूर्ण श्रेणी वा कार्य है। सरकार के नासन-सम्बन्धी आवश्यकताओं के उद्देश्य म बनायी गई अत्यधिक साहित्यिक डग की शिक्षा कुछ यशा मे विद्यालया तथा विद्यविद्यालयों मे आधुनिक विज्ञान क अध्यापन और उसकी बड़नी महत्ता के कारण कम ही गई है। विनिष्ट मत्या स व्यक्तिगत सम्पत्ति एव प्रयापदानों म सम्भव प्रमाणयत्व तर्क वा प्रम्याम मनुष्यों के विचारा और क्रियाया को लाभकारी दिशा प्रदान करते हैं। वासिनियत एव प्राविधिक स्कूल। तथा कॉलेजों के भी ऐसे ही वाद्यनीय फल होने चाहिए। जीवन-मध्य की बड़नी तोड़ना पड़े लिखे लागा को सरकारी नौकरियों की अपक्षा व्यवसाय की आक चीज़ रही है, क्याकि सरकारी नौकरियां अमर्त्य

^{१.} ३० एवं और ३१० एवं ३२० दु, 'रिपोर्ट आन व्हक्तव्य एनुक्तन इन इंडिया', प० ३२।

^{२.} 'रिपोर्ट आक द उद्यिरुमन कमटी', मज्जन १।

^{३.} ३० ले० दर्श, 'द व्हान्वीन आक एनुकेशन,' दिल्ली चुस्तरण, अयाव ६।

स्नातकों को प्राप्त नहीं हो सकती।

६ भारत में ओद्योगिक शिक्षा को स्थिति—विवटोरिया जयन्ती प्राविधिक शिक्षालय (विवटोरिया जुविली टेक्निकल इस्टीट्यूट), जो दम्बई में मुख्यतया व्यवितरण प्रयत्नों द्वारा १८७७ में प्रारम्भ किया गया था, ही स्थानीय मिल-उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश में इस प्रकार की एकमात्र संस्था है। भारतीय शिक्षा-पद्धति के दोपो की जाव पढ़तात ने, जो लॉड कर्जन ने प्रारम्भ की थी और १९०१ में शिमला में शिक्षा-विशेषज्ञों का एक सम्मेलन बुलाया था, प्राविधिक शिक्षा के प्रश्न को अर्थ-धिक महत्व प्रदान किया।

ओद्योगिक आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशों की—
 (१) कारीगरतथा थ्रमिक वर्ग के लिए ओद्योगिक विधि की समुचित प्रारम्भिक शिक्षा-व्यवस्था वा स्थानीय सरकार एवं अधिकारियों द्वारा प्रबन्ध। उसके अन्तर्गत ऐसे नियोक्ताओं को आर्थिक सहायता देने की भी व्यवस्था हो, जो अपने थ्रमिकों के लाभ के लिए शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करे।
 (२) उद्योग-विभाग के नियन्त्रण में कुटीर उद्योगों के लिए उद्योग और कला के शिक्षालयों की व्यवस्था, और (३) सगठित उद्योगों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था। इनका विभाजन हस्तसाध्य उद्योग जैसे अभियान्त्रिक और अहस्तसाध्य उद्योग जैसे रासायनिक पदार्थों के निर्माण में हुआ। पहले प्रकार के उद्योगों में शिक्षा कारखानों में ही देने और सेंद्रान्तिक शिक्षा की कक्षाएँ इनसे संयुक्त कर देने वी व्यवस्था बनायी गई। कुछ इशान्नों, जैसे वस्त्र-व्यापार के सम्बन्ध में, प्राविधिक स्कूलों के साथ उद्योगशालाएँ खोली गईं। दूसरे प्रकार के उद्योगों वे सम्बन्ध में प्राविधिक स्कूल की शिक्षा कारखानों में प्राप्त व्यावहारिक अनुभव से पूर्ण होती थी। वर्तमान प्रान्तीय शिक्षालयों के अतिरिक्त आयोग ने दो राजकीय विद्यालयों (इम्पीरियल कॉलेजों) की स्थापना की सिफारिश की—एक उच्चतम अभियान्त्रिक शिक्षा के लिए और दूसरा धात्विक एवं अनिज सम्बन्धी प्राविधिक शिक्षा के लिए।^१

प्राविधिक शिक्षा और ओद्योगिक प्रशिक्षण के प्रसार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दम्बई सरकार ने फरवरी, १९२१ में ओद्योगिक और प्राविधिक शिक्षा के लिए एक समिति नियुक्त की। समिति ने दो रिपोर्ट तैयार की—एक यूरोपियन बहुमत वी थी और दूसरी भारतीय अत्यमत की थी (अद्यक्ष एम० विश्ववश्वराया अल्पमत के समर्थक थे)। दोनों दलों वे मतभेद के मुख्य विषय ये स्थायों वा रूप, प्रशिक्षण पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या एवं लागत का अनुमान और सगठन तथा योजना कार्यान्वित करने के लिए तर्फ़ान एवं एजेसिया।

बहुमत वर्ग की सूचनाओं के आधार पर भी रच-मात्र कार्यवाही नहीं की गई यद्यपि उद्योग-विभाग द्वारा सचालित बुनाई के शिक्षण केन्द्र अब भी वरधा-उद्योग को मदद दे रहे हैं। इस भाँति सामान्य प्राविधिक एवं वाणिजियक शिक्षा की दशाएँ

१. भू-भास्त्रियों और खानों के अभियन्ताओं के लिए १९२६ के अन्त में धनबाद में इंसिट्यूट सूल ऑफ माइन्स खोला गया।

असत्तोपजनक ही रही और देश की विद्यालयों तथा बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार या व्यक्तिगत प्रयत्नों द्वारा को गई व्यवस्थाएँ विसी भी भाँति पर्याप्त नहीं कही जा सकती। जैसा हारटोग-समिति ने कहा था कि व्यावसायिक एवं प्राविधिक प्रशिक्षण के प्रयत्न शिक्षा-पद्धति से चिल्ड्रुल असम्बद्ध थे और इसलिए अधिकतर निष्फल सिद्ध हुए।

१०. एव्वट-बुड रिपोर्ट—भारत सरकार ने निम्नलिखित पर इगलैंड से दो शिक्षा-विशेषज्ञ श्री ए० एव्वट और श्री एस० एच० बुड नवम्बर, १९३६ म शिक्षा के पुनर्संगठन और खासकर व्यावसायिक शिक्षा की समस्याओं पर परामर्श देन भारत आये। उन्होंने जून, १९३७ मे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उनकी कुछ सिफारिशें निम्नलिखित हैं।

(१) प्रारम्भिक पाठ्यालाओं म छोटे बच्चों की शिक्षा पुस्तकों के ऊपर आरारित होनी चाहिए।

(२) उच्च (हाई) या उच्चतर माध्यमिक (हायर सेकंडरी) स्कूलों म भारतीय भाषाओं को यथासम्भव रूप से शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, जिन्हे इन स्कूलों मे अप्रेज़ी सारे विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य रखी जाए।

(३) व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार उद्योगों के विकास की तुलना मे बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। यदि व्यावसायिक शिक्षा अधिक विद्यिष्ट न हो और यदि उसका लक्ष्य विचारों म सहनशीलता और कुछ ऐसे व्यक्तिगत गुणों को उत्पन्न करना हो जो समान रूप से बौद्धिक और नेतृत्व दोनों ही हो, तो उद्योग और वाणिज्य मे वर्तमान आवश्यकताओं की अपेक्षा और अधिक अनुपात मे प्रशिक्षित मनुष्यों को बाम मिल सकता है।

(४) प्रत्येक प्रान्त को अपने उद्योग और वाणिज्य की शिक्षा-सम्बन्धी आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना चाहिए और इस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा के रूप तथा प्रतिवर्ष भरती किये गए व्यक्तियों को खपत का अनुमान लगा लेना चाहिए।

(५) व्यावसायिक शिक्षा के उपयुक्त और पर्याप्त होने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योग और वाणिज्य शिक्षा-सम्बन्धी भारत मे अभी कही भी विद्यमान नहीं है।

(६) सगठित उद्योगों के विकास की इस स्थिति मे देखरेख करने वाले व्यक्तियों, जैसे भिस्ट्री (फोरमेन) इत्यादि के शिक्षण और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दना चाहिए, क्योंकि उत्पादन की कुशलता की कुजी इन्हीं के पास है।

११. युद्ध उद्योगों के लिए प्राविधिक व्यक्तियों की उपलब्धि—देश की युद्ध-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति और औद्योगिक विकास के लिए प्रशिक्षित एवं प्राविधिक व्यक्तियों की उपलब्धि के उद्देश्य से भारत सरकार ने १९४० मे एक प्राविधिक

प्रशिक्षण-योजना (टेक्निकल ट्रेनिंग स्कीम) चालू की।^१

गृह-उद्योग और युद्ध की फैक्ट्रियों के लिए औजार बनाने वाले तथा यन्त्रों के हिस्से तैयार करने वाले कुशल कारीगरों की प्राप्ति के लिए एक नयी योजना तैयार की गई। इसके अन्तर्गत सावधानी से चुने हुए प्रशिक्षित व्यक्ति और कारीगर गृह-उद्योगों में लगी हुई फर्मों में लगाये गए, ताकि वे उच्चतम प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और बाद में युद्ध की फैक्ट्रियों या गृह-उद्योगों में लगाये जा सकें।^२

युद्ध के लिए इगलैण्ड में प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी को दूर करने तथा युद्ध-उद्योगों के लिए आवश्यक मजदूरों के प्रशिक्षण के लिए आरम्भ की गई राजकीय प्रशिक्षण-योजना (यवर्नमेण्ट ट्रेनिंग स्कीम) से यह योजना सम्बद्ध थी। इस योजना में निहित दूसरा मन्त्रव्य यह था कि भारतीय मजदूरों को नियित मजदूरों के निकट सम्बर्द्ध में लाया जाए और इगलैण्ड की भाँति भारत में भी सुहृद्द तथा सुसमर्टित श्रम-आन्दोलन के विकास में सहायता दी जाए। यह भी आशा की जाती थी कि भारतीय श्रमिक प्रशिक्षण के बाद एक विस्तृत सास्कृतिक, शैक्षिक तथा समाजिक विकास के साथ वापस आयेगा। इस प्रशिक्षण के लिए सदस्यों का चुनाव कारखानों के मजदूरों में से हुआ और वे राजकीय व्यय पर प्रशिक्षण के लिए इगलैण्ड भेजे गये। इगलैण्ड में तीन महीने राजकीय प्रशिक्षण बैच्न्ड में विताने के बाद उन्हें ब्रिटेन के मिनी-बिन्न युद्ध उद्योगों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कराने के उद्देश्य से और अभियान्त्रिकी की विद्यिष्ट शिक्षा प्राप्त कराने के लिए विभिन्न उद्योगों के कारखानों में भेजा गया। उनको ऐसे कारखानों में रखा गया, जो भारत लौटन पर उनके लिए सबसे अधिक लाभप्रद सिद्ध होते। प्रशिक्षण की कुल अवधि आठ महीने थी। भारत लौटने पर सभी प्रशिक्षितों की परीक्षा ली गई। इसके बाद उन्हें यथायोग्य काम दिये गए।

१२. भण्डार क्यनीति—लगभग ५० वर्ष पहले सरकार ने राजकीय उपयोग के लिए विदेशों में उत्पन्न या निर्मित वस्त्रों की अपेक्षा भारत में उत्पन्न या निर्मित भण्डारों को खरीदने की नीति की घोषणा की थी। भण्डार खरीदने के विषय में नियम भी बनाये गए, जिनमें समय-समय पर संशोधन किये जाते थे। इन नियमों के अन्तर्गत कोटि या गुण का ध्यान रखते हुए पूर्ण या आशिक रूप से भारत में तैयार हुए माल को प्राथमिकता देना निश्चय किया गया। ऐसी दशाओं में जब विदेशी वस्तुओं की तुलना में भारत में बनी वस्तुएँ उतनी ही अच्छी और उस ही मूल्य की हो, तो यह स्पष्ट ही है कि भारतीय वस्तुओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

१. १९३७-३८ के शाद बम्बई सरकार ने एक योजना बनायी, जिसके अनुसार प्राविधिक रिक्ति देने के उद्देश्य से विद्यार्थियों को भरती करके सरकार मिलों, कारखानों, प्रेस, रसायन या अन्य उद्योगों में बम्बई या अहमदाबाद भेजती थी। ये नये प्रशिक्षित नवयुवक युद्ध के विभिन्न विभागों में निरीक्षक और उप-निरीक्षक के पद पर रख लिए गए।

२. 'इंडियन लैबर गजट', अगस्त १९४३, पृ० २४।

कुछ लोग इस विचार के भी हैं कि यदि यहाँ की तैयार वस्तुओं की लागत कुछ अधिक हो तो उन्हीं वो खरीदना चाहिए। उद्योग-प्राप्तोग की जांच के अनुसार व्यवहार में कोटि एवं मूल्य में समान होने पर भी भारतीय भण्डारों की तुलना में द्विटिंज भण्डारों को प्राथमिकता दी जाती थी। विभिन्न सरकारी विभागों की मामों की पूर्ति करने के लिए लन्दन-स्थित भारतीय कार्यालय के भण्डार विभाग द्वारा मांगे गए टण्डर के मन्दन्मज्ज में प्रतिस्पर्द्धा करने में भी भारतीय निर्माताओं को प्रतेर कठिनाइयों तथा बाधाओं का सामना करना पड़ता था। भण्डार-नय के नियम से लाभ उठाने तथा इस भाँति देश की निरीक्षण-शक्ति का पूरण विकास करन के प्रयत्न में व्यसफल रहन के लिए सरकार न यह मफाई दी कि खरीद करने वाले भारतीय अधिकारी वो राय और सूचना देन के लिए कोई योग्य निरीक्षणात्मक एजेंसी नहीं है। इस कारण सारे उत्तरदायित्व और मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए वह सारे आँड़ा लन्दन-स्थित भारत-कार्यालय के भण्डार-विभाग को भेज देती थी। इस सफाई के विषय यह प्रत्यन उठा कि विशेषज्ञों की राय प्राप्त करने के लिए आवश्यक एजेंसी की नियुक्ति का प्रयत्न वयों नहीं किया गया? भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन दन के लिए क्रम-नीति को उपयुक्त रीति से नियोजित करन की नीति का भारतीय उद्योग मण्डल न भी समर्थन किया था। यदि भारतीय उत्पादकों को नरक्षणात्मक अधिमान दिये दिना ही 'उचित अवसर और निष्पक्ष व्यवहार' की नीति अपनायी जाए तो भरकार के लिए अधिक मात्रा म कर-प्राप्ति स्वयमेव एक स्वस्थ और बहुमूल्य प्रोत्साहन का काम करेगी।

श्रीद्योगिक विकास की प्रगति के साथ-साथ सरकारी मांग की अधिकाधिक पूर्ति स्थानीय उद्योगों द्वारा सम्भव होनी जा रही है—विशेषकर इसलिए कि निरीक्षणात्मक एजेंसियों तथा भारतीय भण्डारों नी प्राप्ति के स्थान और मूल्य के विषय म सूचना के अभाव के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों वो दूर करने का प्रबन्ध किया जा रहा है। श्रीद्योगिक विभाग की सिफारिशों के अनुसार नियुक्त भण्डार-नय समिति १९२१ न आयोग के इस मुमाल का समर्थन किया कि राजकीय भण्डार के निरीक्षण के लिए एक बेन्द्रीय विशेषज्ञ एजेंसी की स्थापना होनी चाहिए। फलस्वरूप भारतीय भण्डार-विभाग का सगठन हुआ, किन्तु प्रान्तीय सरकारों, नगरपालिकाओं, बन्दरगाह-ग्रिकारियों, कम्पनी द्वारा प्रदर्शित रेलव, अन्य सार्वजनिक तथा अद्वैत-सार्वजनिक स्थानों तथा भारतीय रियासतों के लिए भी इसकी सेवाएं प्राप्त हो सकती हैं। यह विभाग क्रय और निरीक्षक एजेंसी के रूप म परामर्शदाता की हैसियत से काम करता है। यह आँड़ों की जांच इस इटिकोण से करता है कि कोई भी आँड़े व्यर्थ ही वाहर न भेजा जाए जबकि उस भाँति वी वस्तुओं की उचित मूल्य पर पूर्ति भारतीय उत्पत्ति की वस्तुओं से सम्भव है। यह कुछ निर्दिष्ट वस्तुओं का भारत में क्रय करता है और निरीक्षण करता है, भण्डार के क्रय और मूल्य से सम्बन्धित सारे मामलों पर सूचनाएं एकत्र करने वे बेन्द्रीय कार्यालय के रूप में काम करता है और भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अन्य अनेक काम

वरता है। कलकत्ता और बम्बई में स्थानीय क्र्य-शाखाएँ स्थापित वीं गई हैं और मद्रास, कानपुर और दिल्ली में निरीक्षण एजेन्सियाँ स्थापित की गई हैं। विदेशी फर्मों से प्रतियोगिता करने वाली भारतीय फर्मों को सुविधा और प्रोत्साहन देने के लिए विभाग ने भारत में दिये जाने वाले टेंडरों को रूपयों में मांगने की नीति का अधिकाविक अनुसन्धान प्रारम्भ किया।

१३. श्रीद्योगिक अनुसन्धान—१९३५ में अलीपुर में श्रीद्योगिक अनुसन्धान कार्यालय (इण्डस्ट्रियल रिसर्च ब्यूरो) की स्थापना एक अनुसन्धान-शाखा के साथ हुई। एक सलग परामर्श-दात्री संस्था—श्रीद्योगिक अनुसन्धान परिपद् (इण्डस्ट्रियल रिसर्च-कौसिल) की सहायता से कार्य करने वाला यह कावालय भारतीय भण्डार-विभाग से मलब्द है। श्रीद्योगिक मूल्यनाप्ति को एकत्र तथा प्रसारित करना, श्रीद्योगिक अनुसन्धान में उद्योगों से सहयोग करना, श्रीद्योगिक प्रमापन के विषय में परामर्श देने वाली उपयुक्त परिकामों का सम्बादित और श्रीद्योगिक प्रदर्शन के सागर में सहयोग देना इसके कार्य है। ऐसी केन्द्रीय संस्था की आवश्यकता और श्रीद्योगिक अनुसन्धान के मूल्य के सम्बन्ध में प्रतिशयोक्ति नहीं की जा सकती। हाल ही में वैज्ञानिक एवं श्रीद्योगिक अनुसन्धान परिपद् (साइटिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च कौसिल) नामक एक नवीन संस्था स्थापित की गई है। विभिन्न प्रमुख उद्योगों के प्रतिनिधि इस परिपद् से सम्बद्ध हैं।

तीसरी पचवर्षीय योजना में तकनीकी तथा अनुसन्धान पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया, जिससे प्राविधिक ध्यक्तियों की सूख्या बढ़े, अनुसन्धान बढ़े तथा छोजन कम हो और श्रीद्योगिक प्रगति हो। तीसरी योजना में शिक्षा के ५६० करोड़ रुपये में से १४२ करोड़ रुपये तकनीकी शिक्षा, इजीनियरिंग की उन्नति के लिए रखे गए। इस प्रकार इस योजना में २५ प्रतिशत शिक्षा विभाग का खर्च तकनीकी शिक्षा के लिए निर्धारित हुआ जबकि पहली और द्वितीय योजनाओं में १३ तथा १६ प्रतिशत था। तीसरी पचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिए १४७५ करोड़ रुपया रखा गया है। तीसरी पचवर्षीय योजना में इन्जीनियरिंग तथा तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश की सूख्या १३,८२० और २५,८०० (१६६०-६१) से बढ़कर १६,१३७ तथा ३७,३९१ (१६६५-६६) के अन्त तक हो गई है। यह आशा की जाती है कि १६७०-७१ में ३८,६०० तथा ८८,६०० हो जाएंगी।

इस प्रकार वैज्ञानिक अनुसन्धान ने भी स्वतन्त्रता के पश्चात् बहुत उन्नति की है। पहली दो पचवर्षीय योजनाओं में इन कार्यों पर ८० करोड़ रुपया खर्च हुआ। तीसरी पचवर्षीय योजना में १३० करोड़ रुपया निर्धारित हुआ तथा ७५ करोड़ रुपया दूसरी पचवर्षीय योजना के कार्य पर, जो अभी चल रहे, खर्चना था। इस प्रकार सरकार के यत्नों के कारण देश में ६२ विश्वविद्यालयों के अनुसन्धानों के अतिरिक्त २८ नेशनल लैंबोरेटरीज, ८८ अनुसन्धान विभाग तथा केन्द्र और ५४ एसोसिएशन संस्थाएं तरनिकी कार्य कर रही है। पहली अप्रैल १६५७ से श्रीद्योगिक उन्नति के लिए डेसीमल सिक्कों को चलाया गया और पहली अक्टूबर १६५८ में मीट्रिक नापत्रौल यन्त्र बनाए गये जो १६६६ में सारे राष्ट्र में लागू हो जाएंगे।

१४. प्रान्तीय उद्योग विभागों का कार्य—ओद्योगिक आयोग की सिफारिदों के अनुसार प्रान्तीय उद्योग-विभागों की स्थापना की चर्चा हम पहल ही कर चुके हैं। इन विभागों के मुख्य कार्य तीन प्रकार के हैं—(१) ओद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा का विकास, (२) ओद्योगिक शिक्षा की पूर्ति, और (३) ओद्योगिक प्रदेशनियों, हस्तकला-मण्डारों एवं अर्थ (धन) द्वारा उद्योगों को सहायता। उनकी कियाएँ बड़े पैमाने के उद्योगों की अपेक्षा कुटीर तथा ग्रामोद्योगों से अधिक सम्बद्ध हैं।^१ ओद्योगिक आयोग के काल से ग्राज की ओद्योगिक दशा में महान् परिवर्तन तथा धनाभाव के कारण उद्योग-विभागों न ओद्योगिक आयोग द्वारा अनुमति मांजा एवं दिशा में मफलता नहीं प्राप्त की। १६११ और १६३५ के वैधानिक परिवर्तनों के कारण ओद्योगिक विकास का उत्तरदायित्व बहुत अद्वे में प्राप्ति पर आ पड़ा। इससे भी एक व्यवस्थित और सम्यक् ओद्योगिक नीति अपनान म वाधा पहुँची। अतिल भारतीय ओद्योगिक सम्मलन के बायिन् यविवशनों द्वारा, जिनम् प्रान्तर व मन्त्रीगण तथा उद्योग सचालक एवं कुछ भारतीय रियासतों व भी प्रतिनिधि उपस्थित रहते थे, कुछ अद्वे म उपयोगी सबोजन हो सका। बगान क उद्योग विभाग न अपेक्षाहृत अधिक सफलता प्राप्त की है। अपने पर्याप्त कमचारी-बग तथा कलवता म अनुसन्धान प्रयोग शाला खुलन व उपरान्त ओद्योगिक आयोगों की निवारित नीति का पालन करने के लिए बगान का उद्योग विभाग भली भांति मुसजिन समझा जा सकता है। उदाहरणाय मद्रास, म स्थाही बनान का आयोगों की चर्चा की जा सकती है। अन्य उद्योग असफल हो गए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश मे गिरी (बादिन) बनान का उद्योग।

१६३५ के राजकीय सहायता नियम क अपर्याप्त हान क कारण छाट उद्योगों के लिए वम्बई विधानमण्डल न एक प्रस्ताव द्वारा कुठ नय नियम बनाये हैं। ये नियम कई प्रकार की राजकीय सहायता की व्यवस्था करते हैं, जिनम् करणपन्था या हिस्सों पर व्याज की गारण्टी, हिस्सा या क्रेएपना का लाना, ऋण प्रदान करना और अनुसन्धान-कार्य के लिए सहायता देना आदि सम्मिलित है। कुछ दिशाप्रो मे उपर्युक्त नियमों के अनुसार नवे उद्योग आरम्भ नरन के लिए व्यक्तिगत साहसोदय-मियों को कहण भी दिया जा सकता है। नास्तक म य नियम बृहद प्रमाण उद्योगों की अपेक्षा लघु-प्रमाण उद्योगों के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हुए हैं।^२ बड़ी-बड़ी मिलों, जैसे कर्नाटक ऐपर मिल्स (मद्रास) और इण्डियन स्टील वायर प्राइडिंट लिमिटेड (बिहार), को दिये गए बड़े-बड़े रुपों की असफलता स यह सिद्ध है कि बड़े उद्योगों को आर्थिक सहायता की समस्या हल करने वे लिए दिशेप उपायों की आवश्यकता है।

उत्तर प्रदेश म स्वर्गीय सर एस० एन० पोचलनवाला की अध्यक्षता मे १६३४ मे ओद्योगिक वित्त समिति की स्थापना हुई। इसने प्रधान एवं अप्रधान

१० इन कियाओं का पुनरावलोकन अगले प्रधान मे किया गया है।

२० देखिए, 'ओमीडिन्स आव एव एफ इण्डस्ट्रीज वाप्सेस' (१६३३) ला थी० आर० गाडविल, इण्डियन इवन्गन आव इंडिया, चतुर्थ सत्तरण, प० २५।

उद्योगों को अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण देने के लिए २५ लाख की पूँजी तथा अधिक-से-अधिक २० वर्ष के लिए हिस्से पर ४% करमुक्त लाभाश पर सरकारी गारण्टी सहित 'दि यूनाइटेड प्राविसेज इण्डस्ट्रियल क्रेडिट बैंक लिमिटेड', की स्थापना के लिए सिफारिश की। इस समिति ने 'दि यूनाइटेड प्राविसेज फाइनेंसिंग एण्ड मार्केटिंग कम्पनी लिमिटेड' नामक एक विपणन (मार्केटिंग) संस्थान प्रारम्भ करने की सिफारिश की, जिसकी पूँजी ५ लाख रुपये होती तथा जो सम्मिलित पूँजी वाली कम्पनियों की भाँति चलाई जाती। समिति के मतानुसार इस पूँजी के हिस्सों के वितरण का उत्तरदायित्व औद्योगिक बैंक के ऊपर होगा।^१ जून, १९३६ में समिति की सिफारिशों के अनुसार निर्मित सरकारी योजना की उत्तर प्रदेश विधानमण्डल ने स्वीकार कर लिया।^२ दिसम्बर, १९३६ में बगाल विधानमण्डल ने भी एक औद्योगिक सांख्य-निगम संस्था की स्थापना स्वीकार की। इसका उद्देश्य कारापृह से मुक्त व्यनियो द्वारा लघु-प्रमाण उद्योगों की स्थापना के लिए ऋण देना था। बगाल के किसी ऐसे नागरिक को भी ऋण दिया जा सकता था जो व्यावहारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता।^३

१५. आयोजन और औद्योगिकरण—१९४४ में आठ प्रमुख भारतीय व्यापारियों ने भारत के औद्योगिक विकास की योजना का निरूपण करते हुए एक सक्षिप्त समृद्धि-पत्र का पहला भाग प्रकाशित किया। सामान्यतः यह बम्बई योजना (बॉम्बे प्लान) के नाम के प्रसिद्ध है।^४

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य पन्द्रह वर्ष की अवधि के भीतर प्रति व्यक्ति व्यक्ति राष्ट्रीय आय को दूना कर देना था। जनसंख्या की वृद्धि ५० लाख प्रति वर्ष अनुमान करने पर पन्द्रह वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को दूना करने का अर्थ है वर्तमान सम्पूर्ण आय को तिगुना कर देना। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह प्रस्तावित किया गया कि कृषि की वास्तविक उत्पत्ति को दुगुने से कुछ अधिक और बढ़े तथा छोटे उद्योगों के सम्मिलित उत्पादन को पांच गुना कर दिया जाए।

उद्योगों को दो प्रधान वर्गों में विभाजित किया गया—(१) आधारोद्योग, (२) उपभोग-पदार्थों के उद्योग।

महत्वपूर्ण आधारोद्योग में निम्नलिखित को योजना के आरम्भिक वर्षों में प्रधानता दी जाएगी : शक्ति—विद्युत्, खाने और धारुएँ—लोहा और इस्पात, अल्यूमिनियम, मैग्नीज, अभियात्रिकी—सभी भाँति के यन्त्र, यान्त्रिक भौजार;

१. 'स्टेट एक्शन इन रेपोर्ट ऑफ इण्डस्ट्रीज', १९२८-३५, पृ० ४२।

२. इस योजना का विशेष विवरण 'वैशिष्ठ और सात' वाले अध्याय में 'औद्योगिक वित्त' शीर्षक के नीचे दिया गया है।

३. विशेष विवरण के लिए देखिए, एन० दास, 'इण्डस्ट्रियल इंस्टरियल इन इण्डिया'।

४. इस योजना के नाम का लारण यह है कि एक-दो व्यक्तियों को छोड़कर इसके सभी लेनदेन व्यक्ति के हैं : सर पुरपोत्तमदास ठाकुरदास, जै० आर० ढी० टाटा, जी० ढी० विरस्ता, सर आरदेशर दलाल, सर श्रीराम, करतूभाई लालभाई, ए० डी० शॉन और जॉन मधाई।

रसायन—भारी रसायन, रासायनिक खादि, रग, प्लास्टिक, दवाएँ, यातायात—रेस के इच्छन और डिव्हेज, जहाजों का निर्माण, मोटर-गाड़ियाँ, हवाई जहाज, सीमेण्ट ।

उत्तमोग-पदार्थों के प्रमुख उद्योग, जिनका और विकास करना है, निम्नलिखित हैं वस्त्र—मूत्री, ऊनी और रेशमी, नीजे का उद्योग, चमड़े की वस्तुओं का उद्योग, कागज का उद्योग, तस्वारू का उद्योग, तेल उद्योग ।

बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ ही छोट तथा कुटीर-उद्योगों के विकास का भी प्रबन्ध किया गया था, ताकि योजना की आरम्भिक अवस्था में पूँजी, विशेषकर बाहरी पूँजी की आवश्यकता कम हो सके और लोगों को काम मिल सके ।

बम्बई योजना का दूसरा भाग जनवरी, १९४५ में प्रकाशित हुआ । प्रधान योजना (मास्टर प्लान) के अधीन उद्योगों के विकीरण तथा प्रादेशिक वितरण के सम्बन्ध में भी सुझाव रखे गए । कुटीर एवं लघु-प्रमाप उद्योगों के प्रोत्साहन की आवश्यकता स्वीकार की गई और राजकीय तथा व्यक्तिगत साहस के उचित सहयोग पर जोर दिया गया । बम्बई योजना के निर्माताओं के तीन प्रमुख उद्देश्य थे (क) पूर्वस्थित आर्थिक व्यवस्था के सुध्यवस्थित विकास की आवश्यकता, (ख) वैद्वीय नियन्नण की अपेक्षाएँ, (ग) समाज के सामाजिक और वितरणात्मक आदर्शों के अनुकूल कृपि और उद्योग तथा उत्पादन के साधनों और वास्तविक उत्पादन का अधिकाधिक विकारण ।^१

१९४८ ई० की राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना के बाद सरकारी और ऐर-सरकारी योजनाओं की भरमार-सी हो गई । १९४९ म युद्ध की घोषणा के पश्चात् शीघ्र ही कार्यस मन्त्रिमण्डलों के द्विन भिन्न हो जाने के बाद राष्ट्रीय आयोजन समिति का कार्य बिलकुल बन्द हा गया । पाँच वर्ष के विराम के पश्चात् सितम्बर, १९४५ मे समिति की पुनर बैठक हुई ।

मार्च, १९५० मे भारत सरकार ने योजना-आयोग की नियुक्ति की । जुलाई, १९५१ म योजना-आयोग न प्रथम पचवर्षीय योजना की प्रस्तावित रूपरेखा सामने रखी । दिसम्बर १९५२ मे योजना पालियामेण्ट के सामन प्रपने अन्तिम रूप मे रखी गई । योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की ऐसी प्रक्रिया प्रारम्भ करना था जो रहन-सहन के स्तर को ऊपर उठाए तथा जनता को अधिक सम्पन्न और यनेक रूप मे जीवन के नये अवमर प्रदान करे । इस योजना के अन्तर्गत १९५१-५६ मे २,०६६ करोड़ रुपये व्यय करना निर्दित किया गया । बाद मे यह राशि बढ़ाकर २,३५६ करोड़ रु० कर दी गई ।

यह योजना १९७७ तक प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय को दूना करने के उद्देश्य की प्राप्ति के प्रति पहला कदम है । बाद के अनुमानों के आवार पर यह पता लगा कि राष्ट्रीय आय १९६७-६८ तक दूनी हो सकती है तथा प्रति व्यक्ति आय १९७३-७४ म दूनी हा सकती है । प्रथम योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय आय मे १८४ प्रतिशत

१. दी न्यून इन्वेस्टमेंट, २८ जनवरी १९४५, पृ० ६५-६६ ।

तथा प्रति व्यक्ति आय में १०% प्रतिशत वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति उपभोग में व्यक्ति व्यक्ति आय में ५% प्रतिशत की वृद्धि हुई। विनियोग का प्रतिशत १९५०-५१ के ५% से बढ़कर ७% हो गया।

तृतीय पचवर्षीय योजना १५ मई, १९५६ के पालियामेट के सम्मुख रखी गई। इस योजना के चार प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य भारी तथा आधारोद्योगों के विकास पर जोर देते हुए तीव्र औद्योगीकरण करना था। इस योजना के अन्तर्गत ४,८०० करोड रु० का व्यय निर्दिष्ट किया गया। बाद में विदेशी विनियम की कठिनाइयों के कारण योजना को दो भागों में बांट दिया गया। योजना के प्रथम भाग—पार्ट ए—के ऊपर ४,५०० करोड रुपये का व्यय निर्धारित किया गया। इसके अन्तर्गत कृषि-उत्पादन की वृद्धि में प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित योजनाएँ, ऐसी योजनाएँ जिन पर काफी व्यय हो चुका है तथा आगामी योजनाएँ (Core projects) थी। इन आधारभूत योजनाओं में इसपात्र के बारकाने, कोयला और लिमनाइट-मन्दनीय योजनाएँ, रेलों तथा प्रमुख बन्दगाहों से सम्बन्धित योजनाएँ, शक्ति-योजनाएँ आदि हैं।

तृतीय पचवर्षीय योजना के बारे में विचार-विनियम प्रारम्भ हो गया है। योजना के प्रारम्भ में ७,५०० करोड रु० सरकारी क्षेत्र में तथा ४,१०० करोड रुपये निजी क्षेत्र में व्यय करने की व्यवहार्यता प्रस्तावित की गई है।

चौथी पचवर्षीय योजना में कुल २१,५००—२२५०० करोड रुपया व्यय करना निरिचित हुआ है, जिसमें से १४,५००—१५,५०० सरकारी क्षेत्र में यत्व होगा और शेष निजी क्षेत्र में होगा।

गण्डीय आय १९५१-५२ में ४४% और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय १८.५ प्रतिशत वढ़ी। तीसरी पचवर्षीय योजना के पहले तीन सालों में ६.५ प्रतिशत तथा २.५ प्रतिशत वढ़ी। १९५३-५४ में ४.५ प्रतिशत, जो कि वार्षिक आय के निर्धारित लक्ष्य ५ प्रतिशत से कम रही।

तृतीय योजना के पुनर्निरीक्षण करने पर यह पता चला है कि राष्ट्रीय आय १९५५-५६ में १६,००० करोड के स्थान पर १७,४०० करोड रुपया (१९५०-५१ के मूल्य अनुसार) रह गई।

चौथी पचवर्षीय योजना में इसे २५,००० करोड तक बढ़ान की आशा है।



अध्याय २

भारतीय उद्योग : नवीन तथा पुरातन

१. अध्याय का क्षेत्र—भारतीय उद्योग दो बगों में विभाजित किये जा सकते हैं। (१) कारीगरों के घरों में हस्तचालित यन्त्रों से सम्पादित उद्योग, जिन्हे कुटीर-उद्योग कहा जा सकता है। यहाँ काम का प्रमाण थोटा, सगड़न सीमित तथा उत्पादन मुख्यतया स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। इस अध्याय के अन्त में हम इन कुटीर-उद्योगों का विवेचन करेंगे। (२) शक्ति-चालित यन्त्रों से सम्पादित सुनपछित उद्योग जो कारखानों या उद्योगशालाओं में चलाए जाते हैं। इन सगठित उद्योगों का ग्राकार साधारण ग्रामीण कारखानों से लेकर कपड़े की बड़ी-बड़ी मिलों एवं अभियानिकी उद्योगशालाओं के समान होता है जहाँ हजारों मजदूर कार्य करते हैं और निर्माण एवं व्यापार के लिए पूर्ण सगड़न होता है। हृषि से सम्बन्धित सगठित उद्योग, जैसे चाय, कहवा, नील और चीनी उद्योग का बरंगन हृषि के अध्याय में हो चुका है।

२. सूती मिल-उद्योग—भारत के बृहद-प्रमाण के कुद्द उद्योगों का विवरण नीचे दिया जा रहा है। भारत में पहली सूती-बस्त्र मिल १८१८ में कलकत्ता में स्थापित हुई। बम्बई में, जो सूती-मिल उद्योग का गढ़ है, पहली मिल पांसी साहम के फलस्वरूप स्थापित हुई और इसने १८५४ में कार्य आरम्भ किया।

विवरण के हिट्कोण से १८७७ का वर्ष उद्योग के विकास को एक नवीन दिमा प्रदान करता है। कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के ठीक मध्य में स्थित नगरों, जैसे नागपुर, अहमदाबाद और शोलापुर, में इस वर्ष बड़ी तेजी से मिलों की स्थापना

३. भारतीय उद्योगों के हाल के वर्गीकरण में सगठित उद्योगों को पुनः दो बगों में विभाजित किया गया है—लघु-प्रमाण उद्योग तथा बृहद-प्रमाण उद्योग। उदाहरण के लिए बृहद की औद्योगिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण समिति का कहना है कि “लघु-प्रमाण उद्योगों से हमारा तात्पर्य उन उद्योगों से है जहाँ शक्ति का प्रयोग होता है, परन्तु काम करने वालों की संख्या ५० से अधिक नहीं होनी और न विनियोजित पड़ी ही ३०,००० रुपये से अधिक होनी है। मोटर की गरमत, तेल, हाजरी, धी-निर्माण, सावुन-निर्माण, चावल और आदि की चक्रिया इसका उदाहरण है। बृहद-प्रमाण उद्योग ऐसे जहाँ शक्ति का प्रयोग होता है, परन्तु वाम करने वालों की संख्या ५० से अधिक होती है तथा विनियोजित पड़ी भी ३०,००० रुपये से अधिक होती है। इसका उदाहरण कपड़ा, कपान और शब्दकर की मिलें हैं (रिपोर्ट-पैरा १५-१६)। आयोजनसमिति ने भी भारतीय उद्योगों को तीन बगों में विभाजित किया है : (१) कुटीर-उद्योग, (२) लघु-प्रमाण (ग्रामीण कार वाले) उद्योग, और (३) बृहद-प्रमाण उद्योग।”

४. देखिए, खण्ड १, अध्याय-६।

हुई। यह वितरण प्राकृतिक कारणों से हुआ, जैसे कच्चा माल, पर्याप्त थम तथा बड़े बड़े विपणन केन्द्रों की सन्निकटता। रेलों के विकास के कारण ही यह सम्भव हो सका। वर्तमान शताब्दी के आरम्भ में चीन से सूती न्यापार की कमी ने बम्बई के अद्वितीय महत्व को बहुत आधात पहुंचाया। स्वदेशी आन्दोलन ने भी बुनाई व्यवसाय को बम्बई के बाहर प्रोत्साहन दिया। ब्रिटिश भारत में कारखाना सम्बन्धी कानूनों (फैब्री लेजिस्लेशन) के विकास ने उद्योग के देशी रियासतों में स्थापित होने की प्रवृत्ति को जन्म दिया, योकि वहाँ कारखाना कानूनों का प्रशासन बहुत हीला था।

१९१४-१५ के युद्ध-काल में सूती वस्त्र-उद्योग को काफी प्रोत्साहन मिला। युद्ध के पूर्वी रागमच्चों में सूती सामान की संनिक आवश्यकताओं के कारण सरकार द्वारा मिलों को दिया गया प्रोत्साहन, जहाजों की कमी के कारण आयात की कमी तथा आयात किये हुए कपड़े के मूल्यों की बढ़ती से उत्पादन में पर्याप्त बृद्धि हुई, यद्यपि यन्हों के आयात की कठिनाई के कारण विकास उतनी अच्छी तरह नहीं हो सका जितना कि इस कठिनाई के न होने पर होता।

[३. सन् १९४७ के बाद सूती-मिल उद्योग—सन् १९४७ म अविभाजित भारत में ४२१ मिले थी। विभाजन के बाद भारत में ४०८ मिलें ही रहे गईं। १९४६-५० में मिलों की संख्या बढ़कर ४२५ हो गई।

१९५१ और १९५६ के आंकड़े देखने से प्रतीत होता है कि मिल, तकनी और करघा सभी की संख्या तथा सूत और कपड़े के उत्पादन में बृद्धि हुई है। सूती वस्त्र के प्रति व्यक्ति उपभोग के आंकड़े भी यही प्रदर्शित करते हैं। १९५०-५१ में सूती वस्त्र का प्रति व्यक्ति उपभोग ६ गज था। प्रथम पञ्चवर्षीय योजना के अन्त तक सूती वस्त्र के प्रति व्यक्ति उपभोग का लक्ष्य १५ गज था। यह लक्ष्य १९५४ ही में प्राप्त कर लिया गया। द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना के अन्त तक उपभोग की मात्रा बढ़कर १८.५ गज प्रति व्यक्ति हो जाएगी ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

नवम्बर १९५२ म कानूनगो समिति (Textile Enquiry Committee) मिलों, शक्तिचालित तथा हस्तचालित करघों के विभिन्न पहलुओं पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त की गई। १९५४ में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने अच्छे प्रकार के हस्तचालित तथा शक्तिचालित करघों द्वारा सूती वस्त्रों की मात्रा की समावित बृद्धि को पूरा करने की सिफारिश की। अतः एवं समिति ने बुनने वाली मिलों के प्रसार का समर्थन नहीं किया। साद करघों के स्थान पर स्वचालित करघों की स्थापना का भी सुझाव दिया है ताकि २० वर्ष में सादे करघों के बजाय केवल स्वचालित करघे हो प्रयोग में रहें। १२ लाख हाथ के करघों को शक्तिचालित करघों में बदलन के लिए समिति का सुझाव था कि प्रथम छ वर्ष में ३,००,००० हाथ के करघों को २,१३,००० अच्छे प्रकार के हस्तचालित तथा शक्तिचालित करघों में बदल दिया जाए तथा शेष करघों को दो या तीन पञ्चवर्षीय कालों में बदल दिया जाए। इस प्रकार २० वर्ष की अवधि म हाथ के करघों का समूर्ण उद्योग अच्छे प्रकार के हाथ के करघों तथा शक्ति-चालित करघा-उद्योग में बदल जाएगा। समिति ने मतानुसार १६६० तक उत्पादन

को हाथ के करधे या घेरेलू शक्तिचालित करघो के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। इस सम्बन्ध में १९५५ में प्रस्तुत की गई कार्बन कमेटी की रिपोर्ट में भी हाथ के करघो के लिए उत्पादन सुरक्षित रखन की वात कही है।

१९५१ म प्रथम पचवर्षीय योजना के प्रारम्भ ने सूती वस्त्र उद्योग के इतिहास म एक नय युग का सुत्रपात किया। योजना में आमीण और लघु प्रमाण उद्योगों की अद्यायना की घोषणा राजकीय नीति के रूप में बी गई। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित नीति अपनायी गई—

१ उत्पादन के क्षेत्रों का सुरक्षित करना।

२ बड़े पैमाने के उद्योग के विस्तार की क्षमता पर रोक लगाना।

३ बड़े पैमाने के उद्योग पर उप-कर लगाना।

४ कच्चे माल की पूर्ति की व्यवस्था करना, तथा

५ अनुसंधान, प्रशिक्षण इत्यादि का समन्वय करना।

इस नीति के अनुसार प्रथम पचवर्षीय योजना में सूती मूल उद्याग की १९५६ के अन्त तक कपड़े की उत्पत्ति ४,७०,००,००० गज तथा सूत की उत्पत्ति १६,४०० लाख पौंड तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उद्याग ने यह लक्ष्य सन् १९५४ में ही पूरे कर दिए। पचवर्षीय योजनाओं में सूनी उद्योग ने काफी उन्नति करली है। सून का उत्पादन १९५२-५३ में १६८५ मिलियन पौंड और कपड़ा ४६२१ मिलियन गज व्यवस्थित विभाग म था, १९५४-५५ म ५२५० मिलियन गज कपड़े का उत्पादन था। १९५०-५१ के अन्त तक ६,००० मिलियन गज तक उत्पादन हीन की आशा की जाती है।

सन् १९५६ में ही सूती मिल-उद्याग के सामन एक सकट आ गया। मिलों पास बिना विक हुए कपड़ों के स्टोक इकट्ठा हान लग। इस सकट के प्रमुख कारण तीन थे—

१ उद्योग के ऊपर अधिक उत्पाद-कर लगा हुआ था।

सम्भवत सरकार दूसरी योजना के अर्थ-प्रवर्धन के लिए इस प्रकार अधिक धन इकट्ठा करना चाहनी थी।

२ दश के अन्दर कपड़े के उद्याग को हतोत्साहित भी किया गया। उदाहरण ने लिए केंद्रीय सरकार ने जनता द्वारा बड़े हुए उत्पाद-करों को न देने के लिए सूब प्रचार किया।

३ खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक पदार्थों के मूल्य बढ़ जाने के कारण जनता की घटी हुई नय-शक्ति के कल्पनारूप भी सूती कपड़े का क्षय कम हो गया।

उपर्युक्त सकटों के कारण अनेक मिलें बन्द हो गईं। Textile Enquiry Committee, जिसने अपनी रिपोर्ट जुलाई १९५५ में प्रस्तुत की, के अनुसार २८ मिलें बन्द हो गईं जिसका अर्थ यह हुआ कि ५,००,००० तक और ६,००० करवे बन्द रह।

वाणिज्य और उद्योग के केंद्रीय मन्त्री ने ३० नवम्बर १९५६ को सोकसभा

मेरे यह कहा था कि १ अक्टूबर १९५८ से भी ४० मिले विलकुल बम्ब थी तथा २३ मिले अवात बन्द थी। मिल बन्दी तथा पारियो (shift) की सख्ती कम होने से हजारों मच्छूर देकार बैठ गए तथा उत्पादन की मात्रा से भी बहुत कमी हो गई।

परिस्थिति के अधिक विगड़ने के उपरान्त सरकार ने दिसंबर १९५७ में मध्यम थ्रेणी के कपड़ों पर लगे उत्पाद-कर बो कम करने की घोषणा की। मार्च और जुलाई १९५८ में भी प्रकार क कपड़े के सम्बन्ध में दो रियायते और दी गईं। अनुमान है कि इससे उद्योग को प्रतिवर्ष २० करोड़ रुपय की सहायता मिलेगी।

अब हम सूती मिल-उद्योग की कुछ कठिनाइयों पर विचार करेंगे।

मिलों की ओर से देश के बाजारों की उपेक्षा तथा उपभोग-केन्द्रों से प्रत्यक्ष भम्बन्ध स्थापित करने की असफलता क अलावा बम्बर्ड भी असमर्थता के और भी कई गम्भीर कारण थे, उदाहरणार्थ अपेक्षाकृत थम, ईंधन, जल-शक्ति की महेंगाई तथा उच्च स्थानीय कर (१९३६ से लगे हुए १० प्रतिशत के सम्पत्ति-कर को मिलाकर जो मद्द-निवेद की लागत को वसूलने के लिए लगाया गया था), मुक्सिल बाजारों तथा बच्चे पदार्थों के स्रोतों से दूरी भावि। उद्योग के इस सकट ने सरकार के प्रस्तुत को सामने ला दिया।

४ वस्त्र उद्योग को सरकार—यह स्पष्ट हो जान पर कि उद्योग विशेषकर बम्बर्ड में सन्तोपजनक स्थिति में नहीं था, पहला सर्वेक्षण १९२८ में किया गया। प्रशुल्क-मण्डल ने १९२७ में रिपोर्ट प्रस्तुत की।

सरकार के सम्बन्ध में मण्डल की मुख्य सिफारिशों इस प्रकार थी—आयात-वर ११ प्रतिशत के बजाय १५ प्रतिशत कर दिया जाए, उच्चकोटि (महीन) के सूत की कताई को अधिक सहायता दी जाए और वस्त्र-उद्योग के लिए आवश्यक यन्त्रों तथा मिलों के सामान को आयात-कर से मुक्त कर दिया जाए। भारत सरकार न केवल अन्तिम सिफारिश स्वीकार की। इस निर्णय का मिल-मालिकों ने बहुत विरोध किया और फलस्वरूप कानास के सूत पर मूलग्रन्तुसार ५ प्रतिशत या ढेढ़ आना प्रति पौढ़ (जो भी अधिक हो) के सरकारात्मक कर लगा दिये गए। ये कर ३१ मार्च, १९३० तक के लिए भारतीय प्रशुल्क अधिनियम (इण्डियन टेरिफ एक्ट, १९२७) के अनुसार लगाये गए। यन्त्रों और मिलों के सामानों पर लगे वर भी हटा दिये गए।

मण्डल की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार न एक वासिन्य शिष्टमण्डल (कमशियल मिशन) की भी नियुक्ति की। किन्तु ये सभी उपाय न तो मिल-उद्योग को ही सन्तुष्ट कर सक और न जनमत को ही। उद्योग में अवसाद बना रहा और सामान्य धारणा यह थी कि और अधिक सहायता अपेक्षित थी। अतएव कलकत्ता के कनवटर आव कस्टम्स थी जी० एस० हार्डी को जुलाई १९२८ में बाह्य प्रतिस्पर्धा की उग्रता और विस्तार की जाच के लिए नियुक्त किया। श्री हार्डी की रिपोर्ट के आधार पर अप्रैल १९३० में सूती-वस्त्र-उद्योग सरकार-अधिनियम पास हुआ और

१. देखिए, रिपोर्ट ऑन एस्टर्नल काम्पीशन ने पीस गुटम—जी० एस० हार्डी, पैरा ११।

सरकारी अधिकारी करों की मात्रा बढ़ा दी गई।

५. सूती-मिल उद्योग की कुछ कठिनाइयाँ—इधर हाल में सूती वस्त्र के निर्यात-व्यापार की कठिनाइयाँ और वह गई हैं। इसका एक कारण तो यह है कि विश्व बाजार में पहुँचने वाले कपड़े की मात्रा घटती रही है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले प्रतिवर्ष ६०,००० लाख गज कपड़ा विश्व-बाजार में खरीदा और बचा जाता था। अब यह मात्रा घटकर ५०,००० लाख गज प्रतिवर्ष हो गई है। इसका दूसरा कारण यह भी है कि देश में मानवीकृत रेशा का उपभोग तेजी से बढ़ रहा है। तीसरे अब अनेक देशों ने सूती कपड़े का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। अतएव विश्व-बाजार में प्रतिस्पर्धा और कठिन हो गई है। भारत को पाकिस्तान की नई मशीनों से सुसज्जित मिलों के बने कपड़े की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इधर चीन ने इस उद्योग में इतनी आदर्शवर्णनक उन्नति की है कि वह विश्व के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अपना स्थान बनाने का हीसला रखता है। दक्षिण-पूर्वी एशियाई दाजारों में जापान की तुलना में चीन १०-१५ प्रतिशत कम मूल्यों पर कपड़ा बच रहा है।^१ जापान तो अपनी प्रतिस्पर्धा-शक्ति के लिए मशहूर ही है। पुराने देशों के प्रतिरित इन नये देशों की प्रतिस्पर्धा ने सूती कपड़े के निर्यात-व्यापार को चिन्ता का विषय बना दिया है।

निर्यात-व्यापार विभाग के लिए सरकार भी चिन्तित है। सन् १९५४ में सूती वस्त्र-निर्यात प्रोत्साहन कोषिल की स्थापना की गई। सरकार न रियायतें तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान की। इनके फलस्वरूप ही १९५६ में अधिक निर्यात सम्भव हो सका। यो तो उद्योग के सामने १०,००० लाख गज कपड़े के निर्यात का लक्ष्य है, किन्तु अभी तक यह लक्ष्य बाकी दूर है। निर्यात को प्रोत्साहित करने व लिए अनेक उपाय किये गए हैं। पिछली जुलाई^२ (१९५८) में ग्रंथालय इन्वेस्टिगेशन कमेटी न यह सिफारिश की थी कि निर्यातकों को अपनी ज़रूरत के अनुसार मशीन व रासायनिक रजक पदार्थों व खरीदन की सुविधा दी जाए। निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए ३,००० स्वचालित करघों की स्थापना की स्वीकृति की मिकारिश भी कमटी न की। सूती कपड़े के निर्यात के आधार पर मशीन, कपास व ग्रासायनिक रजक पदार्थों के आयात के लिए उत्पादकों का दूट दिन के सम्बन्ध में भी सरकार न यथासमय घोषणा की। जनवरी १९५८ में यह घोषणा की गई कि नवीकरण तथा पुनर्स्थापन के लिए अप्रक्षित विशिष्ट साज़-मामाज़ के आयात की आज्ञा उन मिलों को दी जाएगी जो १९५४-५५-५६ के औसत निर्यात के ७५ प्रतिशत मूल्य से अधिक निर्यात करें या जिनका निर्यात ५०० ह० प्रति करघा प्रतिवर्ष के हिसाब में अधिक हो। इसी प्रकार की दूट सूत व निर्यात के लिए भी दी गई। फरवरी १९५८ में यह घोषणा की गई कि सूती कपड़े और मूत्र के निर्यातकों को निर्यात के ६५^३ प्रतिशत मूल्य के बराबर कपास आयात करने

^१ A Survey of the Indian Cotton Mill Industry, p. 14

(1960) Indian Cotton Mills Federation, Bombay.

^२ The Indian Cotton Mill Industry, pp. 27-28—R A Peddar

का अनुमति दी जाएगी। इसी माह में सरकार ने यह धोपणा भी की कि अमेरिका और धूरोप (इगलिस्तान को छोड़कर) को कपड़ा और सूत का निर्यात करने वाली मिलों को कोलतार, रजक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ और गोद का आयात करने की अनुमति दी जाएगी। यह आयात उनके निर्यात के (F. O. B.) मूल्य के ५ प्रतिशत के बराबर ही हो सकेगा। यह इगलिस्तान व अन्य देशों के निर्यात पर केवल ३ प्रतिशत के बराबर ही होगा। द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ७५ करोड़ रु० प्रतिवर्ष (१०,००० लाख गज कपड़ा) के निर्यात का लक्ष्य रखा गया। नवम्बर १९६५ में ही ६५७ लाख रुपये के मूल्य के कपड़े का निर्यात हुआ।

सूती मिल-उद्योग ऐसी स्पष्टी-शक्ति उसी समय प्राप्त कर सकेगा जबकि उद्योग का युक्तिकरण हो। इस उद्योग की यह दूसरी बठिनाई है कि मशीनों तथा अन्य साज-सामान पुराने और घिसे हुए हैं। सन् १९५२ में सूती वस्त्र-उद्योग की वकिंग पार्टी ने उद्योग की मशीनों का सर्वेक्षण किया। उद्योग के लगभग ५० प्रतिशत करधे १९१० के पहले के थे। २० प्रतिशत 'स्पिनिंग फ्रेम' भी १९१० से पहले के थे।

अनेक विशेषज्ञ निकायों ने, जिनमें टेक्स्टाइल इन्ड्यायरी कमेटी १९५८ अवधित है, इस मत का समर्थन किया है। सरकार ने इस समिति के विचारों का समर्थन करते हुए यह भी स्वीकार किया है कि 'हमारे निर्यात तेजी से गिरते जा रहे जब तक कि हम स्वचालित करधो पर कपड़े का निर्यात नहीं करते।' सन् १९५७ में भारत में १४,१२८ स्वचालित करधे थे जबकि इसी वर्ष स्वचालित करधो की संख्या इटली में ७६,५६७, जर्मनी में ५८,१६७, जापान में ६७,५३६, यू० एस० ए० में ३५०,१०६ तथा यू० के० में ४४,८६३ थी। इन आँकड़ों से नवीकरण की समस्या का तुलनात्मक रूप पता चलता है। टेक्स्टाइल इन्ड्यायरी कमेटी ने ३००० स्वचालित करधो की स्थापना का सुझाव दिया था जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। साथ ही वर्तमान करधों के स्थान पर प्रतिवर्ष २५०० स्वचालित करधों की दर से ७५०० स्वचालित करधों की स्थापना को स्वीकार करके सरकार ने व्यावहारिकता प्रदर्शित की है। नवीकरण के लिए उद्योग को लगभग ४०० करोड़ रुपए की आवश्यकता है। इतनी बड़ी राशि के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम तथा ऐसी अन्य संस्थाओं को उद्योग की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए।

विपास इस उद्योग का प्रमुख आधार है। १९४७ में भारत के विभाजन के बाद भारत में कपास के उत्पादन की मात्रा काफी कम हो गई है। भारत में मध्यम और छोटी तूलिपट (staple) की कपास ही अधिकतर उगाई जाती है। अद्विभाजित भारत में १०६ लाख एकड़ भूमि में सुधरे प्रकार की कपास उगाई जाती थी। इसमें से ४७ प्रतिशत अर्थात् ५१ लाख एकड़ भूमि भारत के हिस्से में आई। इस प्रकार

अच्छी विपास की कमी है और भारत विदेशों से ग्रीमतन ५२ लाख करोड़ रु० की विपास का आयात करता है।

६. प्रशुल्क-मण्डल द्वारा दूसरी जांच (१९३२) — चूंकि १९३० के अधिनियम में प्रस्तावित सरकारी-करों की अवधि ३१ मार्च, १९३३ तक थी, अतएव प्रशुल्क-मण्डल को भारतीय सूनी वस्त्र-उद्योग के सरकारी विषय में पुन जांच करने की आज्ञा अप्रैल, १९३२ में दी गई। वस्त्र-उद्योग पर प्रशुल्क-मण्डल की रिपोर्ट के ऊपर सरकार को विचार करने का भौका देने के लिए १९३० में लगाये गए सरकारी विचार को २१ अक्टूबर, १९३३ तक बढ़ा दिया गया। अन्त में भारतीय विधानमण्डल ने २६ अप्रैल, १९३४ को १९३४ का भारतीय प्रशुल्क (वस्त्र-सरकारी) सदोषन अधिनियम पास किया। यह अधिनियम १ मई से लागू हुआ। इसन भारत-जापान क समझौते (१९३४) तथा भारत और इंग्लिस्तान के वस्त्र-उद्योग के गैर-सरकारी समझौते (जिसे 'मोदी ली पैकट' कहा जाता है)^१ के आधार पर प्रशुल्क-मण्डल की वस्त्र-उद्योग को पर्याप्त सरकारी विधानमण्डल के कार्यान्वयित किया। इस अधिनियम ने गैर-विद्युतीय सूनी वस्त्रों पर मूल्यानुसार ५०% आयात-कर निश्चित किया, जो कि सादे भूरे वप्पों पर कम से-कम ५२% आना प्रति पौड़ था।^२ इस अधिनियम की अवधि ३१ मार्च, १९३६ तक थी।

७. वस्त्र-सम्बन्धी विशेष प्रशुल्क-मण्डल (१९३५) — मण्डल ने अपनी जांच दिसम्बर, १९३५ म समाप्त की और जून, १९३६ में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित होने के लिए दी गई। माथ ही भारतीय प्रशुल्क अधिनियम की धारा ४ के अन्तर्गत एक अधिसूचना द्वारा भारत सरकार न प्रशुल्क-मण्डल के सुभावों के अनुहूल लकाशायर के द्वारा वप्पों पर कर की दर में २५ जून, १९३६ से तत्काल कमी की घोषणा की। प्रशुल्क-मण्डल की मिफारिदों निम्नलिखित थीं^३—

(१) सादे भूरे वस्त्रों पर मूल्यानुसार २५% या ४२% आना प्रति पौड़ (जो भी दर ऊंची हो) स घटाकर, कर की दर मूल्यानुसार २०% या ३२% आना प्रति पौड़ (जो भी ऊंची हो) कर दी जाए।

(२) छान वप्पों के अतिरिक्त किनारेदार भूरे, कलफ किया या ग्रीन वस्त्रों पर कर की दर २५ प्रतिशत से घटाकर मूल्यानुसार २० प्रतिशत कर दी जाए।

(३) विपास के सूत पर कर की दर पूर्ववत् रहे। लकाशायर में निराशा प्रकट की गई कि कर म उतनी कमी नहीं की गई जितनी होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ प्रमुख भारतीय व्यवसायियों ने सरकार की कर घटाने की नीति की कही आलोचना की, क्योंकि यह भारतीय उद्योग, जिसके स्वभाविक विकास का क्षेत्र बहुत

^१. देखिण, अध्याय १३।

^२. ए जनवरी, १९३४ से ब्रिटेन क द्वारा के आयात की वस्तुओं पर यह आयत की दर थी। भारत-जापान समझौते के पलम्बरूप कर की दर ७५ प्रतिशत से घटाकर ५० प्रतिशत कर दी गई।

^३. रिपोर्ट ऑवर दि सैरल ईरिक बोर्ड ऑफ दि आरट ऑवर प्रोटेक्शन द्वि इडियन कॉर्न ट्रैटराइल इ डस्ट्री (१९३६), पृ० २०६-२४।

सीमित था, के लिए घातक थी ।

८ भारत-ब्रिटेन व्यापारिक समझौते के अन्तर्गत प्रशुल्क परिवर्तन (१६३६) — श्रोटावा-समझौते के स्थान पर भारत और ब्रिटेन के बीच एक नये व्यापारिक समझौते के प्रश्न पर लम्बी कारंवाइयो के दीरान में ब्रिटिश वस्त्रों पर लगाये गए प्रवेश करों में सशोधन का प्रश्न पुन प्रमुख हो उठा ।^१ २० मार्च, १६३६ को हस्ताक्षरित इस नये व्यापारिक समझौते के अन्तर्गत भारत से ब्रिटेन को कच्ची कपास के नियांति को ब्रिटिश वस्त्रों के आयात से सम्बद्ध कर दिया गया और इसके फलस्वरूप ब्रिटिश चस्तुओं पर आयात-कर में पुन कमी की गई । तदनुसार अप्रैल, १६३६ में पास हुए भारतीय प्रशुल्क (तृतीय सशोधन) अधिनियम के अनुसार ब्रिटेन के छपे कपड़ों पर मूल्यानुसार सरकारी आयातन-कर १७½% हो गया, भूरे वस्त्रों पर मूल्यानुसार १५% या २ आना ७½ पाई प्रति पौण्ड, जो भी ऊंचा हो, और शेष वस्त्रों पर मूल्यानुसार १५ प्रतिशत हो गया । ये आधारभूत कर थे । ब्रिटेन को ३,५०० लाख गज के निम्नतम कोटा के आयात वी स्वीकृति दी गई और यदि किसी भी वर्ष सूती वस्त्रों का आयात ब्रिटेन से ३,५०० लाख गज से कम हुआ तो आधारभूत करों में २½ प्रतिशत क्षूट देने की व्यवस्था थी । यदि किसी वर्ष ब्रिटिश आयात भारत में ५,००० लाख गज से अधिक हुआ तो आधारभूत करों में वृद्धि की भी व्यवस्था थी । यदि किसी भी वर्ष इगलिस्तान का कुल आयात ४,२५० लाख गज न होता तो उस वर्ष के बाद ये बढ़े हुए कर पुन घटाकर आधारभूत करों के बराबर कर दिए जाते । ब्रिटेन वे वस्त्रों पर कर की दर-निर्धारण के समय भारत की कपास के नियांति पर भी ध्यान देना आवश्यक था ।

भारतीय सूती वस्त्र-उद्योग और विधान सभा ने करों के इस नये प्रबन्ध का बहुत विरोध किया, क्योंकि भारतीय कपास पैदा करने वालों के सामेश्वरी लाभ पर ध्यान न देकर इस अधिनियम में लकाशायर का अनुचित पक्षपात किया गया था और ऐसे समय में जबकि भारतीय सूती वस्त्र-उद्योग तनिक भी अच्छी व्यवस्था में नहीं था, सरकारण की दरों में कमी करवे इस अधिनियम ने उसके हितों की बलि दे दी ।

उपरोक्त भारतीय प्रशुल्क (तृतीय सशोधन) अधिनियम (१६३६) ने सूती वस्त्र के लिए निश्चित सरकारी बढ़ाकर ३१ मार्च, १६४२ तक कर दी ।^२

६ १६३६ ४५ के युद्ध-काल और बाद में सूती वस्त्र-उद्योग—महायुद्ध के प्रारम्भ के समय सूती वस्त्र उद्योग एक निष्क्रिय व्यवस्था में था ।

२. देखिण, आयात २३ ।

२ देखिण ब्रिटेन के साथ हुए व्यापारिक समझौते के अनुसार ब्रिटिश कपड़ों पर आयातन-कर में १७ अप्रैल, १६४० से कमा कर दी गई । भारतीय प्रशालक (सरोधन) अधिनियम, १६४७ ने अनुसार तत्कालीन भरतव्यानुसार करों को आगम करों में परिणत कर दिया गया । १ जनवरी, १६४६ को मूल्यानुसार २५ प्रतिशत महीन बरत्तों पर और ३ पाई प्रति गज मध्यम और गोटे कपड़ों पर एक उद्यादन-कर लगा दिया गया ।

महायुद्ध के द्वितीय वर्ष से मुधार काल प्रारम्भ हुआ। वस्त्रों का आयान विशेष-कर जुलाई, १९४१ में जापान के आयात समाप्त करने के बाद से नगण्य हो गया। सरकार और पूर्वी दल द्वारा युद्ध के लिए वस्त्रों की माँग में अपूर्व वृद्धि हुई तथा पश्चिमी और दक्षिणी अफ्रीका, मध्य-पूर्व, आस्ट्रेलिया, मलाया और इच्छा पूर्वी द्वीप-समूह के लिए कपास से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में बहुत वृद्धि हुई। मूर्ती वस्त्रों के मूल्य में इतनी वृद्धि हो गई कि सरकार को उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बद्दम उठान को बाध्य होना पड़ा। सरकार के महयोग से मिलों द्वारा जनता के लिए सस्ते वस्त्रों के निर्माण की एक योजना चालू की गई और सरकार न अपनी एजेन्सियों द्वारा निश्चित मूल्य पर इन्हें बचने का निश्चय किया। बिन्तु यह योजना त्याग देनी पड़ी, क्योंकि ये 'उपयोगी' वस्त्र दिवं न सके और उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकी। मई, १९४६ में भारत सरकार द्वारा सती वस्त्र उद्योग के लिए मध्यान्तरकालीन योजना घोषित की गई। आगामी पांच वर्ष में प्रतिवर्ष के लिए वस्त्र उत्पादन की सीमा ५५,००० लाख गज निश्चित की गई।

१०. जूट-उद्योग—१९४८ से १९७२ तक मिलों न 'खूब स्पष्टा उनाया' और १५ से २५ प्रतिशत तक लाभाश दिये। परिणामस्वरूप बहुत-सी नई मिलें खोली गईं और अनि उत्पादन होने लगा। फल यह हुआ कि लाभ सीधा ही घटन लग। उद्योग को एक मजदूरकाल से गुजरना पड़ा और बहुत-सी मिल बन्द कर दी गई। बिन्तु जूट-उद्योग का आकार बहुत बढ़ा हो चुका था, यद्वां तक कि १९८१ में वगाल म ५,००० शक्तिचालित करघे चालू थे। १९४५ से उद्योग म टाट क बोरो की अपेक्षा जूट के कपड़ों के अधिक उत्पादन की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होने लगी। १९७७ और १९१५ के बीच जहां बोरे बनाने के करघे २,६५० से बढ़कर १७,७५० हो गए, जूट के कपड़ों के करघे ६१० से बढ़कर २२,६०३ हो गए, अधात् जूट क कपड़ा के करघों की वृद्धि २,४०० प्रतिशत हुई जबकि बोरे बनाने के करघों म ४३० प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रथम महायुद्ध म जूट-उद्योग में पायाप्त प्रसार और समृद्धि हुई, क्याकि विभिन्न युद्ध-स्थानों की खाइया के लिए बालू भरने के बोरे, तिरपाल, गाडियो बोटन क कपड़े आदि युद्ध-सम्बन्धी मार्ग की पूर्ति उद्योग का करनी पड़ी। सन् १९१५-१६ म स्तर पर जमीनी के आकमण के कारण हसी सन (फलंकन) की पूर्ति बन्द हो गई और उसके स्थान पर भारतीय जूट का प्रयोग आवश्यक हो गया। इससे भी जूट-उद्योग को प्रोत्साहन मिला। १९४४-४५ के युद्धकाल के लाभ के फलस्वरूप अति उत्पादन होने लगा और युद्ध समाप्त होने पर उद्योग को बुरे दिन देखन पड़े। एक ओर मांग कम हो गई और दूसरी ओर जूट के मूल्य और मजदूरी बढ़ जाने के कारण उत्पादन-न्यायत बढ़ गई।^१

११. अवसाह-काल और तदनन्तर जूट उद्योग—गिरते मूल्यों, प्रमुख उपभोग-केन्द्रों पर भण्डारों की उपस्थिति, अम अशान्ति आदि कारणों से जूट-उद्योग को भी हानि

१. जूट-उद्योग के सर्वेत्तर के लिए देखिए भेरिन्स, पूर्वोन्धृत मार्ग २, अध्याय ४।

पहुँची। इस सबके बावजूद भी इसन बम्बई के सूती मिल उद्योग की अपेक्षा युद्धोत्तर (१९२६) अवसाद की कठिनाइयों का सामना कही अच्छी तरह किया। यह पर्याप्त सुरक्षित कोष तथा समयानुसार वार्यावधि में कमी प्राप्ति उपायों वा परिणाम था। मार्च, १९३६ में समाप्त होने वाले दस वर्ष में उत्पत्ति को कम करने की नीति वा सदैव पालन किया गया था। जो मिले सस्था की सदस्य थी वे प्रति सप्ताह ४० घण्टे काम कर रही थी और उनके करघों का एक निश्चित प्रतिशत बन्द रहता था। यह प्रतिशत १९३१ में १५ और १९३५ में १० था। बन्द करघों की प्रतिशत में वर्षों आने के कई कारण थे, यथा सीमीकरण-योजना के बाहर वाली मिलों की प्रतिस्पर्धा, व्यापारिक परिस्थितियों में सुधार तथा अन्य उत्पादन-केन्द्रों से प्रतिस्पर्धा। सस्था के बाहर की मिलों से समझौता न हो सका, अतः सस्था की सदस्य-मिलों को भी काम के घण्टों वा वर्षों पर किसी प्रकार की रोक के बिना कार्य करने को स्वतन्त्र बन दिया गया।

सरकारी ऑफिनेन्स के स्थायी विधान में परिवर्तित हो जाने के डर से जनवरी, १९३६ में सस्था और बाहरी मिलों में कम घण्टे काम करने के लिए एक समझौता हो जाने से कानून द्वारा काम करने के घण्टे सीमित करने की आवश्यकता नहीं रही। जुलाई में एक पूरक समझौते के द्वारा मिलों ने २० प्रतिशत जूट के वर्षे और ७५ प्रतिशत बोरे बनाने के करघों को बन्द रखकर ४५ घण्टे प्रति सप्ताह काम करने का निश्चय किया। कच्चे जूट के मूल्य भ कमी और बगाल के जूट-उत्पादकों पर इसके बुरे प्रभाव के कारण अगस्त, १९३६ में कच्चे जूट और टाट के निम्नतम मूल्य निश्चित करने के लिए प्रान्तीय सरकार को दो ऑफिनेस जारी करने पड़े।

१२ जूट मिल उद्योग पर द्वितीय विश्वयुद्ध का प्रभाव—जहाजो द्वारा बाहर भेजी जाने वाली जूट-निर्मित वस्तुओं ने पूरे दशक के लिए एक रिकार्ड स्थापित कर दिया और १२,८०,४०० टन के बायिक उत्पादन में से १०,६८,७२५ टन का निर्यात हुआ। जूट और जूट-निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई जो मुख्यतया परिकल्पना का परिणाम थी। काम करने के घण्टों पर लगी रोक हटा ली गई और ६० घण्टे प्रति सप्ताह के अनुसार मिले पूर्ण उत्पादन करने लगी तथा फैक्टरी-अधिनियम की कुछ धाराओं को भारत सरकार ने एक ऑफिनेस द्वारा हस्तित कर दिया। बगाल सरकार ने भी जूट के कृषि-क्षेत्र को सीमित करने से सम्बन्धित एक बिल पर विचार करना स्थगित कर दिया।^१

जूट मिल सस्था ने अगस्त, १९४० में काम करने के घण्टों को कम करने ४५ घण्टे प्रति प्रति सप्ताह और मास में केवल ३ सप्ताह काम करना निश्चित किया। बायू भरने के बोरो के लिए नये आडंरों के साथ काम करने के प्रति सप्ताह घण्टे

१. बाद में बगाल विधान सभा ने अगस्त, १९४० में बगाल जूट रेगुलेशन विल जूट-उत्पादकों के हित में पास किया जो १९४७ में उत्पन्न होने वाली फसल पर लागू हुआ। इससे पहले नई, १९४० में सभी बायारों में कच्चे जूट और टाट के निम्नतम और अधिकतम मूल्य निश्चित करने के लिए बगाल सरकार ने दो ऑफिनेस जारी किये।

बढ़कर पुनः ६० हो गए, पर १८ मई, १९४७ से कम होकर ये फिर ५४ घण्टे प्रति सप्ताह हो गए और १० प्रतिशत करवे भी बन्द रहने लगे। विंगत् युद्ध में छत्तीस मिले सैनिक भण्डार और सामग्री के उत्पादन के लिए ले ली गई। यद्यपि उद्योग इम भाँति अपनी उत्पादन-क्षमता वे २५ प्रतिशत भाग से बच्चित हो गया, परन्तु फिर भी यह युद्ध की माँग सहित सारी माँग की पूर्ति करने में ममर्य था।

सन् १९४७ और उसके उपरान्त विभाजन के फलस्वरूप जूट-उद्योग का (जो भारतीय गणराज्य में है) जूट-उत्पादक क्षेत्र (जो पाकिस्तान में है) से सम्बन्ध-विच्छेद हो गया है। भारतीय गणराज्य कच्चे जूट का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जबकि पाकिस्तान सबसे बड़ा विक्रेता है। विभाजन न, विशेषकर मुद्रा-अवमूल्यन (सितम्बर, १९४६) से, जूट-उद्योग को पूर्ण रूप से अव्यवस्थित कर दिया। पाकिस्तान न भारत को जूट निर्यात करना पूर्णतः बन्द कर दिया और प्रत्युत्तर में भारत ने (दिसम्बर, १९४६) पाकिस्तान को कोयले का निर्यात बन्द कर दिया। अविभाजित भारत के जूट उत्पन्न करने वाले क्षेत्र जा बैठल २५१ ही भारत के भाग में आया था। भारत कच्चे जूट के विषय में आत्मनिर्भर होने के लिए तभी से प्रयत्नशील है।

१९४७-४८ की तुलना में क्षेत्रफल तीन गुना तथा उत्पादन टाई गुना हो गया है। जूट-उद्योग की समस्याओं के सम्बन्ध में मिफारिश प्रस्तुत करने के लिए सरकार ने श्री कें आर० पी० आयगर की श्रद्धाकृता म जूट-जांच आयोग दी नियुक्ति की। इस आयोग ने मई १९५४ म अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग न कच्चे जट के सम्बन्ध में सापेक्षिक आत्मनिर्भरता की मिफारिश की। भारत को बैठल उस क्षेत्र का जूट बाहर से माँगना चाहिए जो यहाँ पैदा न होना हो। जैप प्रकार के जूट की पर्याप्त मात्रा देना भी ही उगानी चाहिए। आयोग की अन्य प्रमुख मिफारिशें इम प्रकार थीं।

(i) आयोग न प्रति मप्ताह काम करने के घण्टों को सीमित करन तथा मरीनों के कुछ भाग को बन्द करने से सम्बन्धित (वॉकिंग टाइम एंथ्रीमेट) कायाकर्ति समझौते को समाप्त करने की सिफारिश की, क्योंकि इस समझौते वे कारण अकुशल मिलों को अवसर मिलना है तथा विदेशी मिलों लाभ उठानी हैं।

. (ii) कच्चे जूट के मूल्य के सम्बन्ध में आयोग का मत यह कि उसे जूट तथा सामान के मूल्य-स्तर की तुलना म न्यायोचित सम होना चाहिए।

(iii) आयोग न जूट उगाने वालों के हृष्टिकोण से सहकारी समितियों व नियमिन वाजारों के समठन-जैसे उपाय अधिक महत्वपूर्ण ठहराए।

प्रथम योजना के अन्तर्गत जूट के उत्पादन का लक्ष्य ५१ लाख गांठें तथा जूट के सामान के उत्पादन का लक्ष्य १२ लाख टन था। बिन्तु ये लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके। १९५५-५६ म बच्चे जूट का उत्पादन ४१६७ लाख गांठें तथा जूट के सामान का उत्पादन १०६३ लाख टन (१९५६ के लिए) था। द्वितीय पचासर्पीय योजना के अन्तर्गत १९६५-६६ के अन्तर्गत जूट के सामान के उत्पादन का १३ लाख टन तथा बच्चे जूट के उत्पादन का लक्ष्य ५० लाख गांठें हुआ। जूट-निर्मित वस्त्रों

वे उत्पादन के हाल के ग्रांकडे निम्न हैं
जूट-निर्मित वस्तुओं का उत्पादन^१

वर्ष	उत्पादन (लाख टन)
१९५५	१० २७
१९५६	१० ६३
१९५७	१० ३०
१९५८	१० ६२
१९५९	१० ५२
१९६५-६६	१३ ००

जूट-निर्मित वस्तुओं की माँग सप्ताह-भर की कृपि-सम्बन्धी उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है, क्योंकि आन्तरिक या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों ही में कृपि की उत्पादन वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए जूट-निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता होती है। भारत में कृपि के अच्छे साल में जूट-निर्मित वस्तुओं के निर्यात में कमी आ जाती है, क्योंकि फसलों की वृद्धि राशि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर टटान के लिए जूट-निर्मित सामानों की आवश्यकता पड़ती है। इसी भावानी वाहरी माँग में कभी भी उदाहरणार्थ आधिक अवसाद के समय की कमी जूट-निर्मित वस्तुओं के निर्यात पर बुरा प्रभाव डालनी है।

१ मार्च १९५६ तक उद्योग के १२% करबे बन्द थे। तदनन्तर बोरे के टाट का स्वाक बहुत मात्रा में एक नित हा जान के कारण २ मार्च, १९५६ से २१ मार्च, १९५६ तक १०% करबे और बन्द कर दिये गए। २२ जून के बाद इन १०% करबो का चालू कर दिया गया। बाद में २४ अगस्त तक के लिए २३% करबे चालू कर दिये गए। १९६३-६४ में जूट-उद्योग तथा व्यापार के लक्ष्यों को इस वर्ष में उत्पादन पार बर गया। उत्पादन १३ ५४ लाख टन और निर्यात ६.१३ लाख टन हुआ, जिसका मूल्य १५७ ४२ करोड़ रुपया था। जूट का निर्यात १६६४-६५ में और बढ़कर १७६ १४ करोड़ पहुँच गया। परन्तु जूट की विशेष प्रकार से कच्चे माल की समस्याओं तथा कीमतों इत्यादि का हल ढूँढने के लिए भारत सरकार ने सितम्बर १६६४ में जूट टेक्सटाइल्स परामर्श बोर्ड (Jute Tex-tiles Consultative Board) बनाया है और अद्य १९६६ अ जूट मिलों वो उत्पादन से एक सम्पाद से अद्यकारी दिया गया।

२. जूट-उद्योग की समस्याएँ—जूट-उद्योग की एक समस्या कच्चे माल की है। यह समस्या भारत के विभाजन के परिणामस्वरूप ही उत्पन्न हुई है। विभाजन के परिणामस्वरूप जूट उत्पादन करने वाले क्षेत्र अधिकांशत पाकिस्तान में चले गए।

१. वर्ष का अर्ध जुलाई से लेकर जून तक है। ये ग्रांकडे इण्डियन नट मिल्स एमोसियेरन की सदस्य-मिलों व एक गैर-भद्रस्य मिल के हैं। —इण्डिया १९६०, पृ० ३१२।

तब से सरकार जूट को किस्म और उत्पादन की वृद्धि के लिए बराबर प्रयत्नशील है। सन् १९५६-५७ में जूट (१,८८८ हजार एकड़) तथा मेस्टा (७३८ हजार एकड़) की खेती २,६११ हजार एकड़ भूमि में हुई थी। इस वर्ष जूट का उत्पादन ४,२२१ हजार गांठें तथा मेस्टा का उत्पादन १,४७४ हजार गांठें था। प्रारम्भ में कच्चे माल की समस्या के समाधान के लिए जूट की खेती पर लगे प्रतिबन्ध हटा लिये गए। कच्चे जूट के मूल्य पर लगा नियन्त्रण हटा लिया गया। बेकार भूमि की खेती-योग्य बनाया गया तथा धान के कुछ क्षेत्र जूट के उत्पादन के लिए प्रयुक्त होने लगे। इन सबका परिणाम यह हुआ कि अनेक ऐसे क्षेत्रों में जूट की खेती होने लगी जो जलवायु की हाविट से इस योग्य नहीं हैं। परिणाम यह हुआ कि उत्पादन में तो पर्याप्त वृद्धि हुई, जिन्हें निम्न निम्न कोटि की ही रही। अतएव उच्च कोटि के जूट के आपात की समस्या ज्यो-की-त्यो बनी रही। फरवरी, सन् १९५३ में भारत सरकार ने जूट की किस्म में सुधार करने के हेतु सुभाव देने के लिए एक प्रवर समिति (एक्सपर्ट कमेटी) नियुक्त की। इस समिति की लगभग सभी सिफारिशें सरकार द्वारा मान ली गईं और जूट की किस्म सुधारन पर बहुत जोर दिया जाने लगा। जूट की मुलायम या नरम करने के लिए नये तालाबों के निर्माण तथा पुराने तालाबों को पुन खोड़कर तैयार करने का काम हाय में लिया गया। बोज के कृषि क्षेत्र स्थापित किये गए ताकि उत्पादकों को अच्छा बोज मिल सके।

१९५८-५९ में कच्चे जूट के उत्पादन म पर्याप्त वृद्धि हुई। इस वर्ष जूट का उत्पादन ५१८ लाख गांठें तथा मेस्टा का उत्पादन १५८ लाख गांठें था। इस वर्ष ५७-५८ की तुलना में कृषि का क्षेत्रफल १७४ लाख एकड़ से बढ़कर १८३ लाख एकड़ हो गया। प्रति-एकड़ उपज भी १९५७-५८ की २ द३ गांठों से बढ़कर २ द८ गांठे हो गई, जिन्हें पाकिस्तान की प्रति एकड़ ३ द६ गांठों की उपज की तुलना में यह अब भी बहुत कम है। तत्पश्चात् मूल्यों के घटने के कारण १९५८-६० में कृषि के क्षेत्र में कमी आ गई।^१ कच्चे माल की समस्या के हल के लिए सामान्यतः कृषि का विस्तार किया गया है। आवश्यकता इस बात की है कि गहन खेती, अच्छे बोज और औजारों की व्यवस्था तथा सात्सन्सम्बन्धी मुदिधाओं द्वारा अच्छे जूट के उत्पादन की मात्रा और प्रति-एकड़ उपज में वृद्धि की जाए। कच्चे माल की समस्या हल करने के लिए इन सभी बातों के सम्बन्ध में सुभाव दिये गए हैं, परन्तु कृषि-विस्तार की अपेक्षा इन पर कम ध्यान के कारण ही इस समस्या का समाधान नहीं हो सका है। केन्द्र और प्रान्तों के भिन्न मरु होने के कारण भी कुछ कठिनाई उठती है।

पुन इस समस्या को हल करते समय हमें जूट की किस्म के सुधार पर बराबर ध्यान देना चाहिए। यों तो १९५८-५९ में उत्पादन की मात्रा के हाइटकोए से भारत आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुका है, योकि उस वर्ष अपेक्षित मांग ६५ लाख गांठें (जूट और मेस्टा) थीं और उत्पादन लगभग ६७-६ लाख गांठें (जूट और मेस्टा) था, जिन्हें

१. देसिए, वामसं स्तुअल, नवम्बर-दिसम्बर १९५८, पृ० २०६।

पाकिस्तान से जूट का आयान प्रावर हो रहा है, यद्योकि उच्चकोटि के उत्पादन में हम अभी आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं।

जूट-उद्योग की दूसरी समस्या निर्यात से सम्बन्धित है। यह उद्योग विदेशी विनियम अजित करने का प्रधान साधन रहा है।

निर्यात की कठिनाइयाँ बढ़ने के अनेक कारण हैं। भारत का एकाधिपत्य समाप्तप्राप्त है। अब अनेक एशियाई (जापान, थाईलैंड, बर्मा) और यूरोपीय देशों (फ्रांस, हालैंड, वेल्जियम) में जूट-मिलों की स्थापना हो रही है। भारत के पडोस में पाकिस्तान ही इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। कच्चे जूट की प्रचुरता तथा श्रेष्ठता और नई मशीनों से सुसज्जित मिलों के कारण पाकिस्तान का जूट उद्योग एक समर्थ प्रतिद्वन्द्वी का रूप धारण करता जा रहा है। विदेशों में जूट के स्थानान्तर ढूँढ़ निकाले गए हैं। मुख्यतः परिवेष्टन के लिए कागज का प्रयोग होने लगा है। इससे जूट की मांग में कमी और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा की वृद्धि हो गई है। इधर वस्तुओं को अलग-अलग परिवेष्टित करने वे बजाय सामूहिक परिवेष्टन (bulk banding) का प्रचलन होने के कारण जूट के बोरो की मांग प्रभावित हो रही है। निर्यात की समस्या का सन्तोषप्रद हल तभी हो सकता है जब कि जूट-उद्योग अपनी वस्तुओं को प्रतिस्पर्धामुक मूल्यों पर बेच। इसके लिए यह आवश्यक है कि सरकार कर-भार स उद्योग को मुक्ति प्रदान करे। जूट-जात आयोग ने भी ऐसी ही सिफारिश की थी। सरकार ने इस दिशा में कदम अवश्य उठाए है, किन्तु देर से उठाने के कारण उद्योग वे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धाशक्ति की हीनता के रूप मेहनि उठानी पड़ी। जनवरी से सितम्बर, १९५६ तक ६७५,३६६ टन जून के सामान का निर्यात हुआ जिसे ८४ ६७ करोड़ रुपये का मूल्य का विदेशी विनियम प्राप्त हुआ। इस अवधि में १९५८ में ६,१४,३३७ टन जूट के समान का निर्यात हुआ जिससे ८० करोड़ ६० के बराबर विदेशी विनियम प्राप्त हुआ। बोरो के निर्यात में बहुत कमी आ गई, यद्योकि पाकिस्तान, बर्मा, थाईलैंड, फिलीपाइन, वियतनाम और मिल्स आदि देशों में जूट-मिलों की स्थापना से प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई। हमारा लक्ष्य १९५५-५६ के ६,७५,००० टन के निर्यात को बढ़ाकर १६६०-६१ तक ६,००,००० टन करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने वे लिए हमें ठोस कदम उठाने चाहिए। एक ओर हमें उत्पादित वस्तु की श्रेष्ठता पर जार देना चाहिए (जो अशत कच्चे माल की श्रेष्ठता पर निर्भर है) तथा दूसरी ओर हमें उत्पादन में विविधता लानो चाहिए। इसके साथ ही हमें विदेशी बाजारों में वित्री बढ़ाने के उपाय करने चाहिए तथा मूल्यों के सम्बन्ध में भी एक स्थिर नीति बरतनी चाहिए। भारत सरकार ने भारतीय जूट मिल सघ (इण्डियन जूट मिल्स एसोसियेशन) को जूट के सामान का प्रचार और प्रसार करने के लिए १९५६-६० में १२५ लाख ८० का अनुदान दिया है। इस संस्था ने यू० एस० ए०, कनाडा और यू० के०—इन देशों में एक शिष्टमण्डल भेजा है जो जूट-उद्योग के लिए बाजारों के विकास और नये बाजारों की तलाश करेगा।

३१ मार्च, १९५६ तक स्थिति यह थी कि ५५ प्रतिशत मिलों में नये ढग के

कराई करकुए लग चुके थे। राष्ट्रीय ग्रीष्मीयिक विकास निगम ने २२ कम्पनियों (मिलो) को ४५५ करोड़ ६० का ऋण मजूर किया। इनमें से १६ कम्पनियों को ऋण मिल भी चुका है। युक्तीकरण के परिणामस्वरूप कुछ मिलें बन्द भी हो गईं, किन्तु सन्तोष की बात यह है कि इसमें बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि श्रमिकों को उन मिलों में काम मिल गया जो बन्द हुई मिलों के उत्पादन के लिए उत्तरदायी थीं। १४. लोहा और इस्पात-उद्योग—इगलैण्ड की नवीन ग्रीष्मीयिक व्यवस्था की ठोस नीव लोहा और इस्पात उद्योग तथा सहायक यात्रिक उद्योगों के सुहृद आधार पर पड़ी थी, किन्तु भारतवर्ष में व्यान्ति का पथ ऐसे विकास से नहीं निश्चित हुआ है। हाल तक भारतीय उद्योग पूर्ण रूपेण आयात किये गए यन्त्रों, यान्त्रिक वस्तुओं और धात्विक वस्तुओं पर साधारणतया निर्भर रहे हैं।

सिंहभूमि और मानभूमि जिलों की लोहे की स्थानों के नन्हे स्तोतों के प्रयोग के साथ १९१० में बगाल कम्पनी के इतिहास में एक नरे युग का सूत्रपात हुआ। टाटा कम्पनी की स्थापना उद्योग के इतिहास में दूसरा महत्वपूर्ण चरण था। स्वर्गीय जे० एन० टाटा द्वारा १९०७ में कम्पनी मिंहभूमि जिले में सकची नामक स्थान पर स्थापित हुई और कारखाने का निर्माण १९०८ से आरम्भ हुआ। दिसम्बर, १९११ म पहली बार अशुद्ध लोहा तंयार किया गया और वर्तमान काल में भारतवर्ष में इस्पात का उत्पादन पहली बार १९१३ में हुआ। १९१६ तक युद्ध की माँगों से उत्तेजना पाकर समस्त यन्त्र पूर्ण उत्पादन कर रहे थे। इस भाँति कुछ चिन्तापूर्ण समय के बाद कारखाना सुहृद आधार पर स्थित हो गए तथा इन्होंने फिल्स्टीन, पूर्वी अफ्रीका और मेलीनिका में संनिक रेलों के लिए खृदृ मात्रा में रेल की पटरी और स्लीपरों की पूति करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की। १९१७ में विस्तार की एक बड़ी योजना सामने रखी गई जो १९२४ म पूरी हो गई। कारखानों में स्थित पहली मशीनें इस्पात का तंयार माल, जैसे रेल की पटरी, निर्माण-सम्बन्धी भारी वस्तुएं, छड़े, निर्माण सम्बन्धी हल्की वस्तुएं, हल्की रेल की पटरियाँ और फिशप्लेटें आदि बनाती थीं। १९२६ से कारखानों म स्थित नये यन्त्रों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अन्य वस्तुएं लेटें, चढ़र (बाली और घानु चढ़ी हुई), चढ़रों की छड़े और चढ़रों की स्लीपर आदि थीं।^१ टाटा के साहस की सफलता ने कुछ नवीन कम्पनियों को जन्म दिया, जैसे कलकत्ता में मेसर्स चर्न एण्ड कम्पनी, १९०८ में आसानमोल के पास हीरापुर में स्थापित इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, १९२३ में भद्रावती में प्रारम्भ किये गए मैसूर स्टेट आयरन वर्क्स इत्यादि।

१५. लोहा और इस्पात का आयात—अपने बड़ते उत्पादन के बावजूद भी भारत बाहरी लोहे और इस्पात पर बड़ी मात्रा में निर्भर रहा। १९१४ के पहले भारत के सोहे और इस्पात का आयात ८,०८,००० टन था और इसका मूल्य १२४८ करोड़ रुपय था। १९१४-१५ के युद्ध-काल में आयात घटकर ४,२२,००० टन

^१. प्रशु कन्नेन्ऱा की इस्पात-न्योग पर रिपोर्ट (१९०४), पैग १४-१५।

रह गया जिसका मूल्य १० ११ करोड़ रुपये था। इसी काल में टाटा कंपनी ने अपना उत्पादन बढ़ाया और सरकार की युद्ध-सामग्रियों की पूर्ति की। प्रथम महायुद्ध के दाद आयात बढ़ता गया। यह बढ़ता आयात रेलो, अन्य सार्वजनिक कार्यों तथा निर्माण-व्यापार के बढ़मान उपयोग का परिणाम बताया गया। इस बढ़ते आयात ने उद्योग को सरकार द्वारा प्रदान करने के विषय में एक और तर्क प्रस्तुत किया।

१६. लोहा और इस्पात-उद्योग को सरकार प्रदान करना—अर्थ-आयोग ने सुझाव ने अनुसार भारतवर्ष में विवेचनात्मक मरक्षण की नीति पहले-पहल लोहा और इस्पात उद्योग में कार्यान्वित की गई। प्रशुल्क-मण्डल, जो जुलाई, १९२३ में संस्थापित किया गया था, का निष्पर्यं था कि अम को छोड़कर उद्योग अर्थ-आयोग द्वारा दी गई सभी शर्तों की पूर्ति करता है। थम के सम्बन्ध में भारत की स्थिति लाभपूर्ण नहीं थी, परन्तु यह किसी भी कृषिप्रधान देश म, जहाँ श्रीद्योगिक अनुभव तथा प्रशिक्षण प्राप्त करना जोप हो, अवश्यम्भावी है। इस कारण ही इस समय अमेरिका तथा यूरोप से कुशल निरीक्षकों का आयात आवश्यक है। किन्तु यह एक अस्थायी अमुविद्या थी जो बालान्तर में दूर हो जाती। मण्डल की सम्मति थी कि सरकार दिये विना आगामी वर्षों में उद्योग के विकास की कोई आशा न थी और यह भय अवश्य था कि वही उद्योग ही न ठप हो जाए।

जून, १९२४ म मण्डल की सिफारिशों का समावेश करते हुए इस्पात सरकार विल (स्टील प्रोटेक्शन विल) पास किया गया। इस्पात से हैंयार कुछ वस्तुओं पर कर बढ़ा दिया गया। भारत में निर्मित इस्पात की भारी रेलो, फिल्पेटो और रेल के डिव्हों को सहायता प्रदान की गई। १९२४-२७ तक का योग २४२ लाख रुपये था। अवधि के समाप्त होन पर कर और सहायता दोनों में संशोधन किया जा सकता था।

इस्पात के सरकार ने इस पहलू के लिए प्रशुल्क-मण्डल ने कुछ सिफारिशों की जो सरकार और विधान सभा द्वारा स्वीकार कर ली गई। कुछ अपवाद-सहित आयात विये हुए इस्पात पर उच्चतर कर लगाकर अभियान्त्रिक उद्योग को सरकार प्रदान किया गया।

१७ इस्पात उद्योग की परिनियत जांच (१९२६-२७)—३१ मार्च, १९२७ को समाप्त होने वाले १९२४ के इस्पात-सरकार अधिनियम के अनुमार १९२६ में प्रशुल्क मण्डल ने उद्योग की दशा की सावधानीपूर्वक जांच की और कुछ विशिष्ट दिशाओं में सरकार की अवधि सात वर्ष के लिए और बढ़ा देने की सिफारिश की। अब सरकार उत्पादन की सहायता के लिए न होकर बढ़े हुए आयात-कर के रूप में हो गया। इसका कारण यह था कि सात वर्ष तक सहायता के रूप में सरकार देना बहुत महँगा हता तथा इस अवधि के बाद पुन जांच करनी पड़ती कि कितना और कैसा सरकार द्वारा आयोग की आवश्यक है। तदनुसार १९२७ के दिल्ली-अधिवेशन में एक बिल पेश किया गया जो १ अप्रैल, १९२७ से लागू हुआ। इसके अनुसार लोहे और इस्पात की विभिन्न वस्तुओं पर करों की विभिन्न दरें, निर्धारित की गईं, साथ ही लिटिस उत्पादन की

वस्तुओं पर एक आधारभूत वर और ब्रिटेन से बाहर वनी वस्तुओं पर एक अनिरिक्त कर भी लगाया गया।

१६ लोहे और इस्पात के उद्योग के विषय में सरकार के अन्य कदम—भारतीय प्रशुल्क (ओटावा व्यापार समझौता) सशोधन अधिनियम, १६३२ ने, जो १ जनवरी, १६३३ से लागू हुआ, जुलाई और अगस्त, १६३२ में ओटावा में भारत सरकार और द्विजिस्तान की सरकार के बीच हुए समझौते तथा सितम्बर में लोहे और इस्पात के पूरक समझौते के फलस्वरूप हुए प्रशुल्क-सम्बन्धी परिवर्तनों को कार्यान्वित किया। लोहे और इस्पात की वस्तुओं की थेणी में केवल उन्हीं वस्तुओं को प्रायमिकता दी गई जो सरकार वरों से मुक्त थी। १६२७ के अधिनियम द्वारा लगाय गए सरकारण वरों की कार्यविधि बढ़ाकर ३१ अक्टूबर, १६३४ कर दी गई। इसी बीच इस्पात-उद्योग (सरकारण) अधिनियम, १६२७ के अनुसार प्रशुल्क-मण्डल ने सरकारण के नवी-वरण के प्रदृशन की पूर्ण समीक्षा की। लोहा और इस्पात-कर अधिनियम, १६३४ ने प्रशुल्क मण्डल द्वारा सुभाष्य गए सरकारण के उपायों को १ नवम्बर से लागू किया। मण्डल ने तिकारिशों के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के विषय में सरकारण-कर के स्तर में कमी और उसके फलस्वरूप प्राप्त आय में कमी होने के उत्पादन यह आवश्यक हो गया कि आय के लिए ब्रिटिश भारत में इस्पात दे पिण्डों के उत्पादन पर ४ रुप्ति टन वा उत्पादन-कर और इस्पात के पिण्डों पर समप्रभावोत्पादक वर लगा दिया जाए। यह समप्रभावोत्पादक कर मण्डल द्वारा सुभाष्य गए सरकारण-करों के अलावा है और जिन वस्तुओं को सरकारण नहीं दिया गया उन पर मूल्यानुसार लगाय हुए आगम करों का विवरण है। जैसा कि प्रशुल्क-मण्डल का सुभाव था, पूरक समझौता १६३४ में समाप्त कर दिया गया।^१

सब वानों का ध्यान में रखकर यह कहा जा सकता है कि १६२४ के बाद भारत सरकार की नीति लोहा और इस्पात-उद्योग के विषय में सहायक रही। राज्य के सामयिक हस्तक्षेप के बिना उद्योग युद्धोत्तर-काल की प्रतिस्पदा के घटकों को सहन नहीं कर सकता था, फिर भी १६२४ और १६२७ के बीच प्राप्त सरकारण पर्याप्त नहीं था और टाटा स्टील कम्पनी किसी भाँति अपना काम चलाती थी। इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी उद्योग ने प्रशसनीय उन्नति की, जैसा उत्पादन की वृद्धि, श्रम की कुशलता में सुधार, विदेशी वर्मचारियों की सत्या में कमी, कार्यशाला की लागत में विचारणीय कमी और अमिकों की दशा में भी विचारणीय सुधार, विशेष-कर मजदूरी, आवास तथा जीवन की अन्य विभिन्न सुविधाओं के सम्बन्ध में उन्नति से स्पष्ट है।^२

उद्योग के स्थायों प्रसार की भाँति उत्पादन और आयान के आँकड़ों से मिल सकती है। गतावधी के आरम्भ में अगुद्ध लोह का उत्पादन ३५,००० टन से बढ़कर

१. वी० एन० अदारकर, 'हर्सी आव इंडियन एरिं', प० २०।

२. Engineering News of India, Sept , '60, p. 301

१९३८-३९ में १४,७६,००० टन हो गया, जिसमें से २४५६ लाख रु० के मूल्य का ५,१४,००० टन निर्यात किया गया। जिसका आहक जापान था। जापान के बाद इगलिस्तान और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भारतीय अशुद्ध लोहे के आहक रहे हैं। भारत में उत्पादित अशुद्ध लोहा सब प्रकार से यूरोपीय अशुद्ध लोहे के समान है। वास्तव में अशुद्ध लोहे का आयात अब लगभग नगण्य है। इस्पात का उत्पादन १९१६-१७ के १,३६,४३३ टन से बढ़कर १९२७-२८ में ५,६६,५६५ टन हो गया और इसी अवधि में तैयार इस्पात का उत्पादन ६८,७२६ टन से बढ़कर ४,२८,६५४ टन हो गया। १९३८-३९ में इस्पात-पिण्डो का उत्पादन ६,७७,००० टन और तैयार इस्पात का उत्पादन ७,२६,००० टन था।

१६. लोहा और इस्पात-उद्योग को वर्तमान स्थिति—सितम्बर, १९३६ में युद्ध छिड़ जाने से भारत के लोहा और इस्पात उद्योग को एक नवीन प्रेरणा मिली। यह १९३६ और १९३८ के उत्पादन की तुलना से स्पष्ट हो जाता है जब दोनों वर्षों में अशुद्ध लोहे का कुल उत्पादन अमरा: १८,३५,००० टन और १५,७५,००० टन था। इस्पात-पिण्डो और तैयार इस्पात का उत्पादन बढ़कर अमरा: १०,६७,००० टन और १०,६२,६०० टन हो गया जो कि पिछले वर्ष की तुलना में अमरा ६०२ प्रतिशत और १४१ प्रतिशत अधिक था। १९३६ का उत्पादन १९३२-३३ के उत्पादन का लगभग दूना था।

पहिये, टायर और धुरो इत्यादि के निर्माण के लिए जर्मनेद्पुर में इस्पात उत्पादन करने के नये यन्त्र स्थापित किये गए हैं, जिससे इज्जनो और डिव्हो के बड़े पैमाने पर बनाने की सम्भावनाएँ हो गई हैं।

२०. मूल्य-नीति—अप्रैल, १९४६ में युद्ध के ठेके-सम्बन्धी मूल्य-नियन्त्रण समाप्त कर दिये गए तथा वाणिज्यिक मूल्य ही निश्चित किये गए। तब से दोहरे मूल्यों की प्रथा चली आ रही है। एक वित्तीय-मूल्य निश्चित किया जाता है। इस मूल्य पर स्टील बाजार में बेचा जाता है। वित्तीय से प्राप्त घनराशि एक कोप (equalisation fund) में जमा कर दी जाती है। इस कोप में से उत्पादकों को एक निश्चित मूल्य के अनुसार (जिसे retention price कहते हैं) आदायगी की जाती है तथा आयात करने वालों को आयात के भुगतान के लिए घनराशि दी जाती है।

२१. योजना और इस्पात-उद्योग—१९५१-५२ के आधोगिक विकास के कार्यक्रम में टाटा वक्स के आधुनिकीकरण तथा १० लाख टन पिण्ड से उत्पादन १२ लाख टन पिण्ड करने का लक्ष्य रखा गया। इसी प्रकार बनेपुर के लिए भी उत्पादन-क्षमता की वृद्धि का लक्ष्य ३ लाख टन पिण्ड से बढ़ाकर ५ लाख टन पिण्ड था। योजना-प्रायोग ने उद्योग की आर्थिक कठिनाइयों को अनुभव करके उद्योग को आर्थिक सहायता दी। टाटा तथा इण्डियन आइरन, प्रत्येक को दस करोड़ रु० का व्याजरहित ऋण-मूल्य समानीकरण कोप (Price Equalisation Fund) में से दिया। इण्डियन आइरन को योजना प्रारम्भ होने से पहले १९५० में प्रारम्भ विस्तार-योजना के लिए ७६ करोड़ रु० का ऋण मिल चुका था। योजना-प्रायोग का अनुमान था कि १९५७ तक

तंयार स्टील की माँग २८ लाख टन हो जाएगी।

प्रथम पचवर्षीय योजना में तीन प्रमुख उत्पादकों के तंयार स्टील का उत्पादन १०७ लाख टन (१६५१) से बढ़कर १२६ लाख टन (१६५४) हो गया। योजना-विधि में स्टील की खपत में वृद्धि हुई और मायात १,७८,००० टन (१६५१) से बढ़कर ६,००,००० टन (१६५५) हो गया।

सन् १६५४ में श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने स्टील की भावी माँग का अनु-मान लगाने के लिए एक नये सर्वेक्षण का मूल्यानन्द किया। इस सर्वेक्षण के अनुसार १६६१ तक तंयार स्टील की माँग ४५ लाख टन अवधा ६० लाख टन पिण्ड होगी। अतएव मार्च १६५५ में स्टील का कारखाना की स्थापना में रही सहायता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। अगले महीने तीसरे कारखाने की स्थापना के लिए सरकार ने ब्रिटिश मिशन को आमनिवृत किया। तीसरे कारखाने की स्थापना के लिए दुर्गपुर चुना गया। जुलाई १६५५ में एक पूरक सभीने द्वारा स्वरकेला के कारखाने को प्रारम्भ से ही दस लाख टन की क्षमता वाला कारखाना बनाना निश्चित किया गया।

१६५६ में सरकारी क्षेत्र के नीनो कारखानों ने दाय় प्रारम्भ कर दिया। उन्होने ७,७०,००० टन पिण्ड आइरन (भट्टी से निकला लोहा) तथा १,५०,००० टन स्टील (अर्द्धनिर्मित) का उत्पादन किया। १६५८ की तुलना में निजी क्षेत्र के दो कारखानों के उत्पादन में ४,५०,००० टन स्टील और ५,००,००० टन पिण्ड आइरन (भट्टी से निकले लोहे) की वृद्धि हुई।

लोहे और इस्पात के तीन प्रमुख उत्पादकों (टाटा आइरन एण्ड स्टील क०, इण्डियन आइरन एण्ड स्टील क०, जिम्मे स्टील कारपोरेशन आफ बगल विलिंग्टन है तथा मैसूर आइरन एण्ड स्टील बवसं) की प्रसार-योजनाओं के बाद भी इस्पात के उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि सम्भव नहीं है। यदि सब कुछ ठीक रह तो १६६३ तक ४५ लाख टन तंयार स्टील के उत्पादन का लक्ष्य पूरा हो सकता है।

लोहा तथा इस्पात बिजली की तरह औद्योगिक उन्नति के लिए एक बहुत आवश्यक चीज़ है। इस प्रकार पचवर्षीय योजनाओं में इसको बहुत महत्व का स्थान दिया गया है। पहली पचवर्षीय योजना के अन्त तक तंयार इस्पात का उत्पादन १३ लाख टन या जो अधिकतर निजी क्षेत्र के कारखानों में हुआ। दूसरी पचवर्षीय योजना में निजी क्षेत्र के इस्पात कारखानों को बड़ा बदल क अतिरिक्त तीन नये इस्पात के कारखाने खाले गए (दस लाख टन क्षमता वाले)। तीसरी पचवर्षीय योजना में तंयार इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य ६८ लाख टन रखा गया। १६६५ ६६ में इस्पात का उत्पादन ५५ लाख टन तक रहा। चौथी पचवर्षीय योजना में इस्पात (अर्द्धनिर्मित) १६५ करोड टन का लक्ष्य रखा गया है जो कि तीन सरकारी कारखानों व उत्पादन को बढ़ाने तथा एक चौथे कारखाने को बोकेरो (Bokaro) में खोलने पर। चौथी पचवर्षीय योजना में एक पांचवें सरकारी स्टील कारखाने के खोलने का भी

विचार है। इसके अतिरिक्त टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा इण्डियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी को उपनी उत्पादन शक्ति को २० लाख टन से ३० लाख टन और १० लाख टन से १३ लाख टन की अनुमति दे दी है।

मितम्बर १९६३ में जापान की ५ विशेष फर्मों की सहायता से दुर्गपुर में ६० हजार टन शक्ति के अलाय (Alloy) तथा ओजार स्टील को पैदा करने वाला कारखाना खोला गया। चौथी पचवर्षीय योजना में इस कारखाने की उत्पादन शक्ति तीन गुना बढ़ाई जायेगी। इसी प्रकार भद्रावती के स्टील कारखाने को भी अलाय के रूप में बदला जा रहा है। यूगोस्लाविया सरकार की सहायता से उदयपुर में भट्टी से निकलने वाले लोहे (Pig Iron) का कारखाना खोला गया है। महेन्द्रगढ़ (पजाह) में भी इस प्रकार का कारखाना खोलने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने दो स्टेनलेस स्टील (Stainless Steel) के कारखाने खोलने का विचार है—एक मद्रास में और दूसरा बंतवा (गुजरात) में।

अबतूबर १९६३ की ३० एन० राज की रिपोर्ट के अनुसार इस बात पर जोर दिया गया कि अभाव प्रधानता इस्पात के भरण पर सरकार का नियन्त्रण हटा दिया जाय और प्रधानता इस्पात पर नियन्त्रण रखा जाय। इसका विशेषतया सरकार की मूल्य नीति पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। किर भी इन बातों के होते हुए भारत विश्व के अच्छे औद्योगिक देशों से पीछे है। (प्रति व्यक्ति इस्पात का उपभोग भारत में १६ पोड़ है जबकि अमरीका में १२३७ पोड़ है।)

लोहा और इस्पात उद्योग के युद्धकालीन विकास से अभियान्त्रिकी उद्योग का विकास घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है। इसके निम्नलिखित अति महत्वपूर्ण पहलू है—

(१) युद्ध सामग्री की फैक्ट्रियाँ—रक्षा-विभाग-योजना के मन्तर्गत युद्ध-सामग्री की फैक्ट्रियों का बहुत अधिक विकास और अभिनवोकरण हुआ है। इसकी सिफारिश चंटफील्ड समिति ने भी की थी। बन्दूकों, गोलों और विस्फोटकों के उत्पादन की बृद्धि के साथ भारत पूर्व और मध्यपूर्व के देशों का आयुधागार बन गया।

१९६२ के चौनी आक्रमण तथा विशेषकर १९६५ के पाकिस्तानी आक्रमण के पश्चात युद्ध-सामग्री की फैक्ट्रियों को बहुत सहायता दी जा रही है।

(२) अभियान्त्रिक तथा यान्त्रिक ओजार (मशीन इलेक्ट्रिक) युद्ध सामग्री के लिए अपेक्षित विशिष्ट मशीनों से लेकर घरमा (एक प्रकार का ओजार) और खराद-जैमे साधारण ओजारों और सभी यान्त्रिक ओजारों के निर्माण में युद्ध-काल में कुद्रन-कुद्र उन्नति हुई, फिनु मिल, जहाज, मोटरगाड़ियाँ, हवाईजहाज आदि ने लिए आवश्यक भारी यन्त्रों के निर्माण में बहुत कम सफलता हुई।

युद्ध से अभियान्त्रिक मामलियों और भण्डारों के निर्माण को बहुत प्रोत्साहन मिला। इस सामग्री और भण्डार के कुछ उदाहरण निम्न हैं—स्टील पाइप, छादक (शेड), क्रेन, पेट्रोल और पानी एकत्र करने की टकियाँ, लारियाँ, हथियारवन्द कारे रेल के छिप्पे, रेलवे भण्डार, विजली का भण्डार, इस्पात वे तारों के रस्से, अग्नि से

लड़ने वाले औजार इत्यादि ।

यान्त्रिक औजार—स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत सरकार ने देश के यान्त्रिक औजारों के कारखानों को प्रोत्साहन दिया है, कई प्रकार की मशीनों तथा यन्त्रों के कारखान सरकारी क्षेत्र में खोले गए हैं और देश में दो-सौ करोड़ रुपये (२०० करोड़) का वार्षिक उत्पादन है। एक सेन्ट्रल मशीन ट्रूल इन्स्टीट्यूट (Central Machine Tool Institute) बगलौर में डीसाईट, ट्रेनिंग, अनुसंधान-कार्यों के लिए खोली गई है। इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तान मशीन ट्रूल और हैवी इलेक्ट्रिकल इंडिया लिमिटेड (Heavy Electrical India Ltd.) के खुल जाने के कारण इस प्रकार की चीजों का उत्पादन बढ़ जायेगा। उदाहरणतया १९५०-५१ में ७ करोड़ रुपये के मुकाबले में १९५५-५६ में ३० करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ और चीयी पचवर्षीय योजना के अन्त तक भारी विजली के साज-मामान का उत्पादन १९५५-५६ के २० करोड़ के अन्तर में ३८ करोड़ रुपया वार्षिक हो जाएगा।

२२. सहायक उद्योग—जमशेदपुर (पहले के सकारी) के पडोस में स्थापित गोरु उद्योगों के विकास पर भी हाष्ठिपात कर लेना उचित होगा। प्रसार-योजना के मन्तर्गत उत्पादित वस्तुओं में कुद्द निम्नलिखित हैं—स्टील ट्यूब, टिन प्लेट, क्लई का सामान, तार, कील, रेन के डिब्बे, छोड़ हुए लोहे के स्लोपर, चाय और जूट मिल के यन्त्र, कृषि के औजार, घातु चढ़ी हुई वस्तुएँ, लोहे और इस्पात की ढली वस्तुएँ, भारी रसायन, गन्धकीय अम्ल, क्षारीय अम्ल, रासायनिक खादि, चूना, अमोनियम सलफेट इत्यादि ।

सरकारी क्षेत्र में स्थापित इन कारखानों के लागत-सम्बन्धी अनुमानों की काफी आलोचना हुई है। सच तो यह है कि १९५५ के अन्त म सविदाओं को जल्दी में तैयार किया गया और इसलिए पारियामेण्ट म पेश होने से पहले लागत-सम्बन्धी अनुमानों पर विस्तार से विचार नहीं हो सका। इसरे, इन योजनाओं-सम्बन्धी विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनेक भूलों तथा अपेक्षित समायोजनों की ओर ध्यान आकृपित हुआ। इस कारण भी अधिक व्यय हुआ। तीसरे, द्वितीय योजना प्रारम्भ होने के समय इस आकार की योजनाओं के कुशल सञ्चालन के लिए आवश्यक और उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध ही नहीं थे। अन्त में, जिस गति से द्वितीय योजना के इन कार्यक्रमों को चालू किया गया, उससे विदेशी परामर्श और ठेकों की निर्भरता अत्यधिक बढ़ गई। तृतीय पचवर्षीय योजना में हर प्रकार से भारतीय प्रसाधनों के प्रयोग पर ही जोर दिया जाएगा ।

२३. उद्योग की समस्याएँ—उद्योग को एक समस्या कच्चे माल के सम्बन्ध में है। यद्यपि हमारे यहाँ कच्चे लोहे के निक्षेप बहुत हैं (लगभग २,१०,००० लाख टन प्रथम थिएं का लोहा), किन्तु कोकिंग क्षेत्रों के निक्षेप का अनुमान लगभग २०,००० लाख टन ही है। यदि इस बात को ध्यान में रखा जाए कि एक टन स्टील बनाने में १.५ टन कोकिंग क्षेत्रों की आवश्यकता होती है तो दीर्घकाल को ध्यान में रखते हुए भविष्य अवश्य ही अन्धकारपूर्ण है। अल्पकाल में भी इसात् उद्योग तथा अन्य

उत्पादकों के लिए पर्याप्त कोकिंग बोयला मिलना कठिन है। टाटा ने कोपले के प्रशालन (घुलाई) के लिए दो प्रकालनालय स्थापित किये हैं। इंधन अनुसंधान संस्थान, घनवाद में इस दिशा में खोज-कार्य हो रहा है और आशा है कि समस्या का हल सम्भव हो सकेगा। अन्य देशों में भी इस दिशा में प्रयत्न हो रहे हैं कि अभियान भट्टी की आवश्यकता ही न रहे और इस प्रकार समस्या का अन्त ही हो जाए।

इस समय सभी इस्पात के कारखानों के लिए चूना-पत्थर एक ही क्षेत्र सुन्दर-गढ़ (उडीसा) से आता है वेल मिलाई को पास में स्थित नदिनी की पत्थर की खान से कोयला मिलता है। दुर्गापुर-स्थित इस्पात के कारखाने वो बिहार के शाहबाद जिने से चूना-पत्थर मिल सकता है।

भारतीय इस्पात उद्योग अब नई विधियों का प्रयोग भी कर रहा है। हरकेला में इस्पात बनाने की नई विधि L—D विधि (Process) का प्रयोग कर रहा है। यह विधि आस्ट्रिया में १९४६ में विकसित की गई और पहला वाणिज्यिक कारखाना १९५२ में शुरू हुआ। इस विधि की विशेषता यह है कि पूँजी की लागत और चालू व्यय में बचत होती है।

एक दूसरी नवीनता अभियान भट्टी में जाने से पहले खनिज कूटने और उसे संरुचन की है जिसे ग्रेजी में ove-crushing and sintering कहते हैं। इससे अभियान भट्टी का काम हल्का हो जाता है और उसकी कुशलता बढ़ जाती है। टाटा के यहाँ इसका प्रयोग होता है तथा सरकारी क्षेत्र के तीनों कारखानों में भी इस विधि का प्रयोग होगा।

२४ चमड़ा सिङ्गाने और चमड़े का उद्योग'—भारत में चमड़ा और खाल बहुतायत से मिलती है। गाय की खाल, जो 'ईस्ट इण्डिया किंस' का नाम से जाता है, बकरी का चमड़ा, भैंस की खाल और भेड़ का चमड़ा इत्यादि भारत के कृषि-उद्योग के उपोत्पादन माने जा सकते हैं। १९१४ १८ के युद्ध ने पूर्व भारत न कही खाल का नियर्त बहुत मात्रा में, विशेषकर जर्मनी और आस्ट्रेलिया को किया, जिनका मूल्य १६१३ में ७ १७ करोड़ रुपय था। उसी वर्ष ३ ४ करोड़ रुपये के मूल्य का कच्चा धर्म विशेषकर समुक्त राज्य अमरीका को नियर्त किया गया। वाहरी देशों में इसकी बड़ी मांग थी और ऊंचे दाम दिये जा रहे थे।

कानपुर में जब सरकारी साज और जीन का कारखाना (हारनेस एण्ड सेंड-लरी फैक्ट्री) १८६० में खोला गया तभी से उत्पादन की दिशा में एक नया कदम उठाया गया। कुछ ही दिन बाद श्रीपुत्र एलन और कूपर न आर्मी बूट एण्ड इविंप-मेण्ट फैक्ट्री खोली और सरकार से उन्हें पर्याप्त आर्थिक सहायता मिली। आदमजी

१०. खाल डम-कर जाने समिति के अनुमान से भारत के लिए इस सम्पूर्ण उद्योग का कुल मूल्य ४० वा ५० करोड़ रुपय के लगभग है। इससे अनेक व्यक्तियों को रोज़ी भिलती है तथा भारत के दलित लोगों की आर्थिक उन्नति का वह एक साधन है।—टिपोर्ट आव दि वाइड्स सेस इन्कायरी कमेटी, १९३०, पैरा ५८।

पीरभाई ने बम्बई में स्पोन नामक स्थान पर बेस्टन इण्डिया आर्मी एण्ड इविवरमेण्ट फैक्ट्री स्थापित की। कुछ और फैक्ट्रीयाँ विभिन्न केन्द्रों पर खोली गईं जहाँ तैयार माल के उत्पादन का प्रयास किया गया। यद्यपि यूरोप की सिभावशालाओं (टेनरीज) और चमड़े का काम करने वाली फैक्ट्रीयों में यन्त्रों का पर्याप्त उपयोग होता है परन्तु भारतीय सिभावशालाओं में यह अभी हाल तक उपयोग में नहीं आया गया। १९१४ के पहले भिभाये हुए चर्म और खालों का निर्यात-व्यापार मुख्यतः दक्षिणी भारत में सीमित था, जहाँ दालचौनी के प्रकार के वृक्ष (कंसिया आरिकुलाटा) की छाल, जो मद्रास में अवैरम और बम्बई में तरबार नाम में जात है, मिलती है। मद्रास में सिभावशालाओं की संख्या सबसे अधिक है।^१

१९१७-१८ में ४ दश करोड़ रुपये के मूल्य की ३,६१,६७४ हॉण्ड्रेडवेट सिभाई हुई खालों का निर्यात हुआ, जबकि १९१९ में १७५ करोड़ रुपयों की १,६४,७६३ हॉण्ड्रेडवेट खालें ही बाहर भेजी गई थी। इस्ट इण्डिया किए के निर्यात-व्यापार के प्रतिरिक्ष, युद्ध-काल में भारतीय सिभावशालाओं न चमड़े के सभी तरह के सैनिक सामान तथा बूटों के उत्पादन में बढ़ि की। इस भाँति शस्त्रास्त्र-परिपद् के निर्देशानुसार सरकार ने सिभाव-उद्योग को बहुत प्रोत्साहन दिया। निमित बूटों और जूतों का वार्षिक उत्पादन युद्ध-समाप्ति पर युद्ध के पहले के वर्षों से बीस गुना अधिक था।

१९१४ के बाद बहुत तीव्र प्रगति हुई और भारतीय कोष चमड़े की सालों को एट ब्रिटन में लाभदायक बाजार प्राप्त हुआ। भारत में दोम भिभाव उद्योग के विकास के सम्बन्ध में बहुत-सी कठिनाइयों का अनुभव हुआ है, जैस रासायनिक ज्ञान और महेंगी यान्त्रिक सामग्रियों की अपेक्षा रखन वाली उच्च प्राविधिक विधाएँ। भारतीय गायों की खाल और बकरियों के चर्म वो एक पर्याप्त मात्रा इस श्रेणी का कार्य के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है और उद्योग के आशाजनक विकास का अनुमान किया जाता है। भारतीय सिभाव उद्योग की एक ग्रीष्मियिक जांच १९३६ में ग्रीष्मियिक अनुमधान ब्यूरो (इण्डस्ट्रियल रिसर्च ब्यूरो) ने की। इसका उद्देश्य भिभाव की प्रविधि के स्तर में सुधार करना और इस भाँति अच्छी किस्म के तैयार चमड़े के निर्यात-व्यापार वो विकसित करना था।

२५. सिभाव उद्योग को सरकार—१९१६ में १८६४ के भारतीय प्रशुल्क-अधिनियम का सशोधन हुआ और खाल तथा चर्म पर १५ प्रतिशत का निर्यात-कर लगाया गया। जो खालें और चर्म साम्राज्य के अन्य भागों को भेजी जाती थीं और वहाँ सिभाई जाती थीं, उन पर १० प्रतिशत की छूट दी गई। कर सरकारणाथें लगाया गया था, परन्तु भारतीय प्रयोगशालाएँ देश की कुल पूर्ति का अल्पांश ही प्रयोग कर सकती थीं। अतएव छूट का समर्थन इस आधार पर किया गया कि वह भारतीय खालों के सिभाव को जर्मनी से हटाकर ब्रिटिश साम्राज्य की ओर ले जाएगा और इस प्रकार साम्राज्य के सिभाव के लिए सहायक मिल होगा। किन्तु यह प्रयोग किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति

^१. मायेमन, दूर्व उद्धृत, भाग २, अन्याय ५, पृष्ठ ६४०५।

में ग्रसफल रहा। भारत सरकार ने १६२३ में कर को ५ प्रतिशत कर दिया और १० प्रतिशत छूट को समाप्त कर दिया। ५ प्रतिशत कर को वित्त-आवश्यकताओं के लिए आवश्यक बतलाकर न्यायोचित ठहराया गया। कर-जाँच समिति (टैक्सेशन इनकावायरी कमेटी) के बहुमत ने अर्थ-आयोग से सहमत होकर इसकी शीघ्र समाप्ति की राय दी, किन्तु उन चर्मों पर कर के पूर्ववत् रहने का भी मत दिया जिनकी विद्य-बाजार में अच्छी साख थी और जिन पर कर से कोई हानिकारक प्रभाव पढ़ने का भय नहीं था।

द्वितीय विश्वयुद्ध के अन्तर्गत बढ़नी हुई माँग की पूर्ति के लिए उद्योग वा और अधिक विस्तार हुआ। युद्ध के आड़ों की पूर्ति के लिए यन्त्रों और अधिक श्रम वा प्रयोग हुए। जनवरी, १६४२ में सरकार ने मगठित सिखावशालाओं के सारे उत्पादन को ले लिया।

खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग के इस उद्योग-सम्बन्धी विकास कार्यक्रम का लक्ष्य मरे हुए जानवरों के उपोत्ताद का पूर्ण उपयोग तथा बड़े पैमाने पर नोगों को काम देना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्योग की छोटी-छोटी इकाइयों की प्राविधिक समता के स्तर को ऊपर उठाने का लक्ष्य भी सम्मिलित है। अतएव कार्यक्रम के अन्तर्गत सिखाव-केन्द्र, निर्माण-केन्द्र, प्रशिक्षण-केन्द्र आदि स्थापित करने की व्यवस्था है। आयोग की सहायता करने के लिए इस उद्योग और व्यापार के प्रतिनिधियों से निर्मित एक परामर्श समिति भी है। १६४३-४४ से १६४५-५६ तक विभिन्न विकास-कार्यक्रमों पर ३१७८ लाख रु० व्यय किया गया। इस अवधि में १५५ चर्मपिनयन (चमड़ा उतारना) केन्द्र, ५६ आदर्श सिखावशालाएँ तथा ४० अस्थिचूरण (bone-crushing) केन्द्र स्थापित किये गए। १७६ व्यक्तियों को चर्मपिनयन की सुधरी विधि का प्रशिक्षण दिया गया। द्वितीय पचवर्दीय योजना के अन्तर्गत विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत विस्तार की श्रेष्ठता सुधार पर अधिक जोर दिया गया। खादी आयोग ने द्वितीय योजना के अन्तर्गत इस उद्योग के विकास के लिए जो योजना बनाई है उसमें ३,५०० चर्मपिनयन केन्द्र और ३५० सिखाव-केन्द्रों की स्थापना तथा ३५,००० मोत्तियों (जूता बनाने वालों) को सहाकारी समितियों के अन्तर्गत लाने की व्यवस्था की गई है। योजनावधि उत्पादन-केन्द्रों पर निर्मित विभिन्न सामानों के विक्रय के लिए ५० विपणन-केन्द्र संगठित करने का लक्ष्य भी है।

सन् १६५४ में जब उद्योग की स्थिति का पुनर्विश्लेषण किया गया था तो यह पाया गया कि संगठित (बड़े पैमाने) खेत्र की सिखावशालाओं की ५० प्रतिशत क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा था। सरकार न उद्योग की सहायता के लिए उन कच्ची खालों और चमड़ों का नियर्त बन्द कर दिया जिनकी पूर्ति कम थी तथा स्टॉलिंग खेत्र से इनका आयात मुश्लभ कर दिया। चमड़े और चमड़े के सामान के आयात पर सख्त प्रतिबन्ध लगा दिये गए। इस उद्योग की समस्या कच्चे माल के सम्बन्ध में चमड़ा, खाल और wattle bark से सम्बन्धित है। जहाँ तक चमड़े और खाल का सम्बन्ध है, वे पाकिस्तान से मैगाई जाती हैं। wattle bark के लिए मद्रास की सरकार ने

२६,००० एकड़ भूमि में *water* के राष्ट्र के लिए कदम उठाए हैं। अनुमति दिया जाता है कि १६६०-६१ तक सिखाये हुए चमड़े की मांग २३० लाख तथा सिखाव हुई खाल की मांग २६० लाख होगी।

२६ रासायनिक उद्योग—एक आधुनिक राज्य में रामायनिक उद्योगों का ऐसे प्रमाण पर विकास करने के लिए कि वे राज्य के आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाएं—जैसा कि इगलैंड, जर्मनी और अमरीका में है—यह आवश्यक है कि कुछ आवश्यकीय पदार्थ बहुत सस्ती दरों पर उपलब्ध हों। मे आवश्यक पदार्थ कमानुसार भारी रसायन, विशेषकर गंधकीय (सल्फ्यूरिक) और उद्नीरिक (हाइड्रोक्लोरिक) अम्ल, चूना, कास्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट, क्षारीय (नाइट्रिक) अम्ल इत्यादि हैं। देशी साधनों से उत्पादन अन्य रसायनों के निर्माण में इनका उपयोग होता है। विभिन्न प्राकृतिक उत्पादनों या ऐसे उत्पादनों से बने पदार्थों के परिशोधन में भी इनका उपयोग होता है। अतएव स्थिर और खनिज तेलों व शोधन में गंधकीय (सल्फ्यूरिक) अम्ल और क्षारीय की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। अन्य दो आवश्यक पदार्थ (१) गरम करन, घातिक क्रियाओं और शक्ति के लिए इधन तथा (२) रासायनिक स्थिर यन्त्र हैं।^१

इस्पीरियल कैमिकल इण्डस्ट्रीज तथा टाटा एन्ड सन्स के प्रबन्ध के अन्तर्गत सोडा एवं, कास्टिक सोडा और बाद म इसी प्रकार के अन्य रसायनों वे उत्पादन के लिए दो कम्पनियों की स्थापना एक नवीन आकर्षक विकास है।^२ १६४८-४९ म सरकार द्वारा भारी मात्रा म सोडा ऐसे और कास्टिक सोडा के शायात की अनुमति के बारण गृह-उद्योग वो गहरा घबका लगा।

यदि विभिन्न खनिज पदार्थों को बैबल उचित रूप से प्रयोग में लाया जाए तो भारत म भारी रसायन के लिए कच्चे भाल की कमी नहीं है। शुल्केय (सल्फाइड) की खान, शोरा (यव क्षार—साल्ट पीटर), किटकरी, चूने का पत्थर, मैग्नेशियम इत्यादि के रूप में उसकी सम्पत्ति का पहल ही सकेत किया जा चुका है। गंधकीय अम्ल के निर्माण म आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हो चुकी है जो सभी रासायनिक उद्योगों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण पदार्थ है, यहाँ तक कि इसके उत्पादन को किसी देश की सम्पत्ति आंकने की कसीटों कहो जाता है। १६३६-४५ के युद्ध के पहले उद्योग को नवितमान यूरोपीय सिडीकोटो के साथ तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। जर्मनी और फ्रेट विटेन सबसे बड़े प्रतिद्वन्द्वी थे।^३

रसायन उद्योग के अन्य आवश्यक पदार्थ इधन और यन्त्र हैं। इधन-सम्बन्धी परिस्थिति की समीक्षा पहले ही की जा चुकी है और यह दिखाया जा चुका है कि भारत की कोयल की लानें किसी भाँति असमर्जन रूप से वितरित हैं। विद्युत-चालित

१० इण्डस्ट्रियल हैण्डबुक, पृ० ५८।

२ रिक्व ऑर्ड दि ड्रेड ऑव इण्डिया, १६३८-३९, पृ० १०५।

३ डेविल, रिपोर्ट ऑर्ड दि टैरिक बोर्ड आन दि हैवी वैमिकल इण्डस्ट्री (१६२१), पैरा ७२।

धात्विक उद्योग और विद्युत्-वालित रासायनिक उद्योग के विकास के लिए सही विद्युत्-शक्ति की पूर्ति के विषय में प्रयत्न करना आवश्यक है।

२७. रसायन-उद्योग पर युद्ध का प्रभाव—द्वितीय महायुद्ध ने रसायन-उद्योग को एक नवीन प्रोत्साहन दिया और आयात, जो बहुत कम किये जा चुके हैं, को स्थानापन करने के प्रश्न को इसने पुनः प्रमुखता प्रदान की। रासायनिक एवं ओपेंचीय पदार्थों के निर्माण, जो नवम्बर १९३६ में कलकत्ता में हुए एक सम्मेलन में मिल चुके थे, रासायनिक पदार्थों को नई विधियों से उत्पादित करने की सम्भावनाओं का पता लगा रहा है। भारत सरकार ने हाल ही में भारी रसायनों के उत्पादन के लिए सरकारी यन्त्र स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। पहले आयात होने वाली बहुत अधिक सत्त्वा में विभिन्न दवाइया अब देश में तैयार हो रही हैं। भारतीय कच्चे (कूड़) तेलों से उड्डयन स्टिपरिट (एविएशन स्टिपरिट) का निर्माण हो रहा है, जबकि बाइकोमाइट का उत्पादन भी भली-भाति हो रहा है। ग-धकीय अम्ल और अमोनियम सल्फेट का उत्पादन १५ प्रतिशत बढ़ गया है, जबकि सरकार ने इवेतन-क्षोद (ब्लीचिंग पाउडर) के निर्माण की दिशा में कदम उठाया है। बैंजानिक एवं शौधोगिक अनुसन्धान परिपद् वनस्पति एवं तश्लिष्ट (सिथेटिक) रजक द्रव्यों के निर्माण की सम्भावनाओं पर विचार कर रही है। अन्य उद्योगों की भाँति इस उद्योग के लिए भी एक विकास-परिपद् समिति की गई है। यह परिपद् उद्योग के विकास के लिए प्रयत्नशील रहेगी।

विकास-परिपद् की दूसरी बैठक जुलाई, १९६० में मद्रास में हुई। इस बैठक में परिपद् ने निम्न सिफारियों की—

कच्ची तथा नमक लम्पी हुई खालों और चमड़े के आयात को मुक्त एवं सामान्य अनुज्ञापद्धति (Open General license) के अन्तर्गत रखा जाए। सू० एस० ए०, जापान और स्वीडन—इन देशों के प्रति नियर्न की वृद्धि के लिए सिभाई हुई भारतीय खालों और चमड़ों पर से आयात-कर हटाने के लिए भारत सरकार प्रयत्न करे। Wattle Bark and Wattle extract से आयात-कर हटाने के लिए सरकार से पुनः अनुरोध किया जाए।

विकास परिपद् ने इस सम्बन्ध में भी अपनी सहमति प्रकट की कि प्रमुख केन्द्रों पर कच्चे चमड़े और खालों के संग्रह के लिए (Cold Storage) शीत संग्रहागारों की व्यवस्था की जाए।

तीसरी योजना-सम्बन्धी कार्यक्रम पर अगली बैठक में विचार करने का निर्णय किया गया।

२८. भारी रसायन-उद्योग तथा दवाइयाँ—भारी रसायन-उद्योग आधारोद्योग है जिसकी सामियर्थी लगभग सभी उद्योगों में प्रयुक्त होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह अनिवार्य है तथा उद्योग और कृषि-सम्बन्धी रासायनिक अनुसन्धान का आधार है। सात वर्ष की अवधि के सरकारण के उपरान्त इस्पात-उद्योग की भाँति इस उद्योग की भी पुनः जीव होने वाली थी। सुपरफासफेट के निर्माण के लिए एक सहायता की स्वीकृति मिलने वाली थी। इसका उपयोग कृतिम खाद के रूप में होता है। भारत में वृहद्

प्रमाप रसायनिक उद्योग की स्थापना के उद्देश्य से सरकार ने रेलवे किराये में कमी होने की स्वीकृति प्रदान की।^१ काफी विसम्ब के बाद भारी रसायन-उद्योग (सरकार) अधिनियम १९३१ ने प्रशुल्क-मण्डल की कुछ सिफारिशों को कार्यान्वित किया। कर-मुक्त वस्तुओं की सूची से मैग्नेशियम क्लोराइड को हटाकर इस पर तथा कुछ अन्य भारी रसायनों पर विभिन्न दर से सरकारण-कर लगा दिये गए। केवल मैग्नेशियम क्लोराइड, जिसका सरकार मार्च, १९३६ तक था, तथा आवश्यकता पड़ने पर इस पर कर बढ़ भी सकता था, के अलावा अन्य वस्तुओं पर लगाये गए कर ३१ मार्च, १९३३ तक के लिए थे। अधिनियम द्वारा लगाये गए अन्य कर ३१ मार्च, १९३३ को समाप्त हो गए।

सन् १९५५ में भारी रसायन उद्योग की विकास-परिषद् (Development Council) की स्थापना की गई। सन् १९५७ में इसे पुनर्गठित किया गया और इसका नाम भारीप तथा सम्बन्धित उद्योगों की विकास परिषद् रख दिया गया। परिषद् का एक महत्वपूर्ण कार्य क्षमता के मानदण्ड (Norms of Efficiency) प्रस्तावित करना है। इस निर्मित एक उपसमिति की स्थापना की गई। इस समिति ने परिषद् के समक्ष क्षमता-सम्बन्धी विस्तृत सुझाव प्रस्तुत किये। विद्युदगिक (electrolytic), कास्टिक, सोडा एवं उद्योग के क्षमता-सम्बन्धी मानदण्डों को इस समिति ने पुनर्विभित किया, विशेषतः नमक तथा शक्ति और वाष्प की खपत के हृष्टिकोण से।

योजनाओं वे लक्ष्यों के अनुभार उत्पादन ठीक रूप से होता रहा। १९५५-६६ में लक्ष्य और उत्पादन में कुछ अनंतर रहा।

भारत सरकार ने दिल्ली तथा अलवाई (Keral) में २ D.D.T. के कारखाने खोले हैं, जिनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए ११० करोड़ रुपया और खर्च जाएगा। इसके अतिरिक्त पीपरी (पूना) में येन्युलीन तथा स्ट्रैपटोयाइसीन इत्यादि बनाने के कारखाने खोले हैं।

देश में रसायनों के उत्पादन की वृद्धि के परिणामस्वरूप आदा की जाती है कि निम्न रसायनों का प्रायोत्तम १९६० तक बन्द हो जाएगा (१) पोटेशियम क्लोरेट, (२) हाइड्रोजन पौरांवसाइड, (३) कास्टिक सोडा, (४) कैलशियम कार्बाइड और प्रेमिपिटिट फैलशियम कार्बोनेट।

२६. तेल पेरने का उद्योग—वाट्य या अन्य यान्त्रिक शक्ति से काम करने वाली मिलों को सूखा में, खासकर सरसों, घरण्डी और मूँगफली के तेल के विषय में, गत वर्षों में काफी वृद्धि हुई है। तेल और खली के स्वतं निर्माण के स्थान पर तिलहन का नियंत्रित अनुचित और ग्रनार्थिक है, व्योकि इससे वह निर्माताओं के लाभ, पशुओं के भोजन तथा अच्छी खाद से विच्छित रह जाता है। इसके अतिरिक्त बनस्पति तेलों के और भी अनेक महत्वपूर्ण उपयोग हैं और सभ्य समाज के आर्थिक जीवन में उनका बड़ा महत्वपूर्ण

१. रिपोर्ट ऑब दि ईरिक थोर्ड ऑन हैवी कैमिकल इंडस्ट्री (१९२६), पृष्ठ ७४।

स्थान है। बनस्पति तेल और चरबी साबुत और मिलसरीन बनाने, भोजन पकाने तथा मशीनों में तेल लगाने (लुब्रीकेटिंग) के लिए आवश्यक है। १९१४-१५ के युद्ध के बाद में भारतीय मिल-उद्योग को बड़े पैमाने पर विकसित करने की सम्भावना पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। द्वितीय विश्व-युद्ध ने इसे नवीन प्रोत्साहन दिया और नियति में कमी आ जाने के कारण विकास की आवश्यकता अब और अधिक बढ़ गई है। १९६०-६१ तक औद्योगिक तथा विविध उद्देश्यों के लिए बनस्पति तेलों की कुल मात्रा २,७५,००० टन होगी, ऐसा अनुमान किया जाता है।

३०. कागज-निर्माण—१९८५ में दक्षन पेपर मिल कम्पनी बनाई गई और उसने १९८७ से पूना में काम चालू किया। उत्तरी भागों में वर्तमान काल की सबसे महत्व-पूर्ण कागज मिल रानीगंज में है। यह १९८६ में बनाई गई तथा बगाल पेपर मिल कम्पनी द्वारा १९८१ में चालू की गई थी। पजाब पेपर मिल्स कम्पनी को सहारनपुर के निकट थपनी मिल के लिए भावर घास के सम्बन्ध में बहुत छूट (रियायत) प्राप्त है। आसाम में एक नई कम्पनी की स्थापना की गई है और चिटार्गांव में बांस से लुगदी बनाने के लिए एक नई फैक्ट्री खोली गई। १९३८-३९ में भारत में कुल ११ कागज की मिलें थीं बम्बई में चार, बगाल में चार, उत्तर प्रदेश में एक, मद्रास में एक और आवनकोर में एक। कागज के निर्माण के लिए तब से नई-नई कितनी ही संस्थाएं प्रारम्भ हुईं। इनमें मैसूर पेपर मिल्स, जिसने भद्रावती में १९३६ से कार्य आरम्भ किया तथा निजाम के राज्य में सिरपुर पेपर मिल्स (१९४२) विशेष रूप से उत्तेजनीय है। गत युद्ध से कागज-उद्योग को बहुत लाभ हुआ है जैसा कि उसकी उत्पादन की वृद्धि से प्रकट है—१९३८ म कागज का उत्पादन ४८,५३१ टन था जबकि १९४४ म बढ़कर १,०३८८ टन हो गया।^१ कागज के मूल्य में भी ३०० प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई।

अभी हाल वे वर्षों तक कागज बनाने वालों का मुख्य कच्चा माल सबाई घास थी, जो उत्तर भारत में बहुतायत से उत्पन्न होती है। कागज बनाने में भारतीय लकड़ी का उपयोग अभी नहीं हुआ है और लुगदी का आयात दूरोप से होता है। सस्ते कोटि के कागज के लिए जूट की रही और रही कागज प्रयोग में आते हैं। बांस की लुगदी से कागज बनाने वाली पहली कम्पनी इण्डियन पेपर पल्प कम्पनी थी। सबाई घास अन्य बनस्पतियों के साथ यव-तव गुच्छों में उगती है और इस पर प्रतिकूल मौसम का कुप्रभाव भी पड़ता है। बांस की प्रति एकड़ उपज घासों से अधिक है और उत्पाद की लागत कम है। बन-भनुसधान केन्द्र (फारेस्ट रिसर्च इस्टीट्यूट) द्वारा किये गए अनु-सवानों के फलस्वरूप बांस के कागज की लुगदी के उद्योग से बहुत आशाएं हो गई हैं। उद्योग अभी तक कुछ असुविधाओं, जैसे रसायनों की ऊँची लागत, कोयला छोटे की ऊँची दर, और स्कॉडिनेविया, जर्मनी, इगलैंड, आस्ट्रिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका से दौड़े प्रतिस्पर्धा आदि से ग्रस्त रहा है। १९३६ में युद्ध आरम्भ होने के

^१. इस्टर्न इकानोमिट, १९ जुलाई, १९४६, पृ० ११।

बाद—ग्रस्तायी रूप ही मे सही—यह प्रतिस्पर्धा अधिकासत् समाप्त हो गई।

३१ कागज उद्योग को सरकार—१६२५ मे बांसी कागज-उद्योग (बैम्बू पपर इण्डस्ट्री) (सरकार) अधिनियम पास किया गया जिसमे उद्योग को सुहृद आधार प्रदान करने के हेतु ३१ मार्च, १६३२ तक सात वर्ष के लिए एक आना प्रति पौण्ड का सरकारण कर लगाने की व्यवस्था थी। प्रशुल्क-मण्डल के सुझाव वे अनुरूप बांसी कागज उद्योग (सरकार) अधिनियम (१६३२) ने ३१ मार्च, १६३६ तक के लिए सरकारण-कर का पुन नवीकरण कर दिया। बांस की लुगदी के उत्पादन और उपयोग को निश्चित रूप से प्रोत्साहन देने के लिए इसी अधिनियम न आयात की हुई लुगदी पर ४५ रु० प्रति टन के हिसाब से एक नया सरकारण-कर लगा दिया। ३१ मार्च, १६३६ के बाद भी कागज-उद्योग को सरकारण देन का प्रश्न १६३७-३८ मे प्रशुल्क-मण्डल की जांच का विषय था। भारत सरकार न मण्डल द्वारा प्रस्तावित दर से नीची दर पर उद्योग के लिए सरकारण जारी रखने का निश्चय किया^१ और अपन निर्णय को भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १६३६ पास करके कार्यान्वित किया। सरकारण तीन वर्ष के लिए दिया गया, किन्तु बाद मे इसकी अवधि मार्च, १६४७ के लिए बढ़ा दी गई तथा इसी वर्ष सरकारण-कर समाप्त कर दिया गया।^२ कागज की लुगदी पर ३० रु० प्रति टन या मूल्यानुसार २५ प्रतिशत का कर (जो भी अधिक हो) लगाया गया। कागज पर सरकारण-कर ११ पाई प्रति पौण्ड के स्थान पर ६ पाई प्रति पौण्ड निश्चित किया गया।

१६३६ से आयात के बम हो जाने तथा जहाजरानी की कठिन परिस्थितियो के कारण बड़ी कठिनाई अनुभव की जान लगी। देश मे उत्पन्न विभिन्न प्रकार के कागज १६४४ के पेपर कण्ट्राल ग्रांडर क अन्तर्गत (मितन्यव) कर दिय गए और उत्पादन का बड़ा प्रतिशत सरकारी उपभोग के लिए निश्चित कर दिया जाने लगा। इससे नागरिक उपभोग के लिए कागज की कमी, विशेषकर वित्तविद्यालयो तथा अन्य शिक्षण-संस्थाओ के लिए, गम्भीर कठिनाई बन गई। देश मे कागज क उपभोग के सम्बन्ध मे पेपर पैनल (१६४७) का अनुमान (१६५१ के लिए) २,२०,००० टन था। १६५६ मे उपभोग की मात्रा ३,२०,००० टन अनुमानित की गई है। इस अनुमान मे न्यूज़प्रिण्ट शामिल नही है। योजना-आयोग के अनुसार १६५५-५६ तक उपभोग की मात्रा २,००,००० टन हो जाएगी। न्यूज़प्रिण्ट क सम्बन्ध मे उपभोग का अनुमान १६५५-५६ के लिए १,००,००० टन था।

सन् १६५६ मे लुगदी और कागज-उद्योग की योजना बनाने तथा विभिन्न प्राविधिक पहलुओ पर सरकार को परामर्श देने के लिए एक पैनल (Panel) साठित किया गया। इस निकाय ने चार उत्तमितियां बनाईं, जो कमरा (१) कागज मिल

१. कागज और कागज की लुगदी के उद्योगों पर प्रशुल्क-मण्डल की रिपोर्ट (१६३८), पैरा ७१ देखिए।

२. मार्च, १६४७ मे आयात किये हुए कागज पर मूल्यानुसार ३० प्रतिशत कर लगता है।

की मशीनरी के निर्माण की योजना बनाने, (२) प्राविधिक सामग्री और आंकड़ों के एकत्र एवं आदान-प्रदान करने, (३) कागज की माँग का अनुमान लगाने तथा (४) देश में कच्चे माल के स्रोतों का अनुमान लगाने के लिए है। कच्चे माल की उप-समिति ने देश में बैंस की उपलब्धि का सर्वेक्षण किया है तथा नयी मिलों की स्थापना के उपयुक्त अधिकता बाले क्षेत्रों की ओर संकेत किया है। मशीनरी उप-समिति के कार्यों के परिणामस्वरूप ५०-१० टन प्रतिदिन कागज मिलों की मशीनरी की तीन योजनाएँ तथा ५०-६० टन प्रतिदिन लुपदी और कागज मिल की मशीनरी की दो योजनाएँ स्वीकृत कर ली गई हैं।

१६५८ के २,५३,००० टन की तुलना में १६५८-६० में कागज और पट्ठे का उत्पादन बढ़कर ३,००,००० टन हो जाएगा, ऐसा अनुमान है। यह वृद्धि उद्योग की उत्पादन-क्षमता को वृद्धि का परिणाम है।

कागज बनाने के उद्योग ने १६५० के पश्चात् तेजी से प्रगति की है। कागज तथा पट्ठे का उत्पादन १०६ लाख टन (१६५०) से बढ़कर ४८० लाख टन (१६६४) हो गया। अब तक देश के उत्पादन की क्षमता ६८ लाख टन है जबकि तीसरी योजना का लक्ष्य था ७ लाख टन। इस प्रकार अखबारी कागज (न्यूज़प्रिंट) का उत्पादन नीपा (मध्य प्रदेश) के कारखाने में आरम्भ किया गया (जनवरी १६५५)। अब इमर्झी उत्पादन शक्ति ३० हजार टन से ७५ हजार टन तक बढ़ाने का सुझाव है। इसके अतिरिक्त दो और निजी क्षेत्र में कारखाने खोले जा रहे हैं। तीसरी योजना में न्यूज़प्रिन्ट का लक्ष्य १३५० लाख टन रखा गया था, जो कि करीब-करीब पूर्ण हुआ। तीसी पचासर्हीय योजना में कागज तथा पट्ठे का लक्ष्य १३५० लाख टन है और न्यूज़प्रिन्ट का १६५ लाख टन है।

३२ शीक्षा-निर्माण—प्राचीन उद्योग के कोई चिह्न अवशिष्ट नहीं हैं और अब निश्चित रूप से केवल इतना ही कहा जा सकता है कि सोलहवीं शताब्दी में यह एक भली भाँति स्थापित उद्योग के रूप में विद्यमान था। किन्तु उस समय भी यह उद्योग चूड़ियों तथा कुछ सीमा तक छोटी बोतलों और पलास्कों के निर्माण में प्रयुक्त निम्न कोटि की सामग्री के उत्पादन से अधिक विकसित नहीं हो सका था। आज की भाँति उस समय भी देश में चूड़ियों की बड़ी माँग थी। १८६२-६३ से बीच आधुनिक प्रकार की शीशे की पांच फैक्ट्रीयाँ खोली गईं।

ऐसा प्रतीत होता है कि शीक्षा-उद्योग के प्रति भारतीय विशेष रूप से आकृष्ट है, वयोंकि विद्युली असकलताओं के बावजूद भी १८०६-१३ के स्वदेशी काल में भारतीय साहसोदयियों द्वारा छोटे पैमाने पर सोलह फैक्ट्रीयाँ खोली गईं। विन्दु मन १६१४ में उनमें से केवल तीन ही चालू थीं और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लाभ नहीं उठा रही थी। यद्यपि पूना जिले में पश्चात् कोप की सहायता से तलगाव फैक्ट्री विविन्द और अंतर्राष्ट्रीय ढग से अपना वाम चला रही थी।

उद्योग की वर्तमान अवस्था में उसे दो स्पष्ट भागों में विभाजित किया जा सकता है (१) देशी कुटीर-उद्योग (चूड़ी बनाने का) और (२) आधुनिक फैक्ट्री

उद्योग। यो नो देशी उद्योग सम्पूर्ण भारत में विखरा हुआ है, किन्तु यह उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद और दक्षिण के बैलगांव में विशेष रूप से केन्द्रित है। फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वालों की एक बड़ी वस्ती है और चूड़ी की लगभग ६० फैब्रियाँ हैं। किन्तु जापान से आयात की हुई 'रेशमी' चूड़ियाँ देश में तैयार वस्तुओं की गम्भीर प्रतिटिन्दी रही हैं।

युद्धकाल (१९१४-१८) में अस्त्र-शस्त्र-मण्डल द्वारा स्वीकृत विनिष्ट प्रकार के शीशों की माँग के कारण मिले प्रोन्साहन के फलस्वरूप बहुत-सी फैब्रियाँ शीशों की नलियों, फ्लास्कों, बीकरों, पेट्रो तत्त्वरियों और ट्रैस्ट-ट्यूबों के उत्पादन में सफल रही और इण्डियन मेडिकल सर्विस द्वारा नियन्त्रित वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की माँग की पूर्ति के लिए भी कुछ फैब्रियाँ आरम्भ की गईं।

१९३६-४५ वे युद्ध के दौरान उद्योग ने परिमाण तथा उत्पादन की विविधना दोनों ही दिशाओं में पर्याप्त उन्नति की।

३३ शीशों का आयात और उत्पादन— १९१४-१८ के युद्ध-काल में चूड़ियों और लैम्प के सामानों का आयात कम हो गया और उनका स्थान अग्निक रूप से भारतीय सामान ने ले लिया। १९२६-३० में आयात का मूल्य २५२ लाख रुपये था और ये मुख्यतया जापान, इण्डिस्तान, जर्मनी, बेल्जियम और चीफोल्डोवाकिया से आते थे। इससे प्रकट है कि भारतीय उद्योग उस समय भी अपनी शैशवावस्था में ही था। आयात का मूल्य १९२६-३० के २५२ लाख रुपये से घटकर १९३१-३२ में १२२ लाख रुपये रह गया। १९३७-३८ में वह बढ़कर १५२ लाख रुपये हो गया, किन्तु १९३८-३९ में घटकर पुनः १२५ लाख रुपये रह गया। आयात-व्यापार में जापान का स्थान अब भी सर्वप्रथम था।

उद्योग की स्थापित सामर्थ्य ३,६२,२८४ टन प्रतिवर्ष है। यह १९५८ की तुलना में ११.५ प्रतिशत व्यापिक है। १९५६-६० और १९६०-६१ में कमशा १८,४४५ टन प्रतिवर्ष तथा १५,४८० टन प्रतिवर्ष की क्षमता और बढ़ जाएगी। उद्योग के उत्पादन में अब विविधता आ रही है। नई वस्तुओं में रगी हुई शीशों की चाढ़रें, मोटरों और हवाईजहाजों के लिए शीशा (safety glass), नीश की पिचकारियाँ आदि हैं।

इस समय शीशे के कारखानों (रजिस्टड) की संख्या १३१ है। इन कारखानों की वार्षिक क्षमता २,८६,००० टन प्रतिवर्ष है। इस क्षमता में ३५,००० टन चूड़ी-उद्योग का उत्पादन सम्मिलित नहीं है। इन १३१ कारखानों में १२ करोड़ रु० की पूँजी लगी हुई है तथा ३०,००० श्रमिक काम करने हैं और १६-१८ करोड़ रु० के मूल्य का वार्षिक उत्पादन होता है। १९५८ में १३१ कारखानों में से ८४ कारखाने चाल थे, २५ अन्यथायी रूप से तथा २२ स्थायी रूप से बन्द थे। इनके प्रधान केन्द्र, वर्मर्ड, जबलपुर, इलाहाबाद, नैनी, बहरोई, अम्बाला, कलकत्ता थे। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और नैनी को कच्चे पदार्थ और इंधन की पूर्ति की समिक्षिता के कारण वर्मर्ड-जैसे ग्रन्थ बेन्द्रों की तुलना में रही अधिक नुविवारे प्राप्त हैं।

इस उद्योग के सम्बन्ध में थम-सम्बन्धी कठिनाइर्या बहुत गम्भीर है। तेल-गाँव में पयसा फण्ड ग्लास बवसं ने शीशा घोकने वालों को प्रशिक्षित करने की दिशा में उपयोगी काम किया है और युद्ध की परिस्थितियों में उद्योग का प्रसार वैयल उन व्यवितयों की उपलब्धि के कारण हो सका जो तेलगाँव के थे, यद्यपि वहाँ के प्रशिक्षण में बहुत-सी वाञ्छनीय बातों का अभाव है। रेल-सम्बन्धी सुविधाएँ भी आवश्यक हैं।

३४. शीशा-उद्योग को संरक्षण—भारत सरकार का निर्णय, जो अत्यधिक विलम्ब से जून, १९३५ में घोषित हुमा, प्रशुल्क-मण्डल की खोज के विरुद्ध था। उन्होंने सरकार के तर्क को इस आधार पर अस्वीकार किया कि देश में कच्चे माल (सोडा ऐश) की पूर्ति का अभाव एक ऐसी कठिनाई है जो उद्योग के अन्य लाभों से पूरी नहीं की जा सकती। उन्होंने अपने अन्तिम निर्णय को उस समय तक के लिए स्थगित कर दिया जब तक कि सोडा ऐश के नवीन साधनों की पूरी खोज न हो जाए। इस बीच उन्होंने तीन वर्ष की अवधि के लिए आयात किये हुए सोडा ऐश पर कर में छूट देकर कुछ सहायता देने का निर्णय किया। भारत सरकार के इस निर्णय ने शीशा उत्पादकों से बहुत निराशा उत्पन्न की और यह निर्णय सामान्य रूप से आलोचना का विषय रहा। प्रशुल्क-मण्डल का मत यह था कि भारत में सोडा ऐश के पर्याप्त साधन न होते हुए भी इस आधार पर शीशा-उद्योग का सरकार पाने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाना।^१ प्रशुल्क-मण्डल के अनुसार शीशे की चादर के उत्पादन में पर्याप्त मुद्दार की गुजाइश है।

सन् १९५० में शीशे की चादर (sheet glass) को सरकार प्रदान किया गया जो बाद में दिसम्बर, १९६० के लिए बढ़ा दिया गया। सन् १९५० में सरकार-कर मूल्यानुसार ४५ प्रतिशत निश्चित किया गया, किन्तु जनवरी, १९५५ में इसे बढ़ाकर ७० प्रतिशत कर दिया गया। वह दर दिसम्बर, १९६० तक लागू रहेगी। ३५. सीमेण्ट-उद्योग—भारत में १९१४ के पूर्व भी सीमेण्ट की बहुत अधिक खपत थी और प्रतिवर्ष लगभग १,८०,००० टन का आयात होता था। १९१५ के बाद सीमेण्ट की मांग तीव्रता से बढ़ गई और यह मांग प्रतिवर्ष १०,००,००० टन से भी अधिक हो गई। पुलों तथा भारी भवन-निर्माण के सभी भाँति के कार्यों में लौह-ककड़ी का प्रयोग शीघ्रता से बढ़ रहा है। यह भी कहा जाता है कि अब इस्पात-युग के बजाय सीमेण्ट और लौह-ककड़ी का जमाना आ रहा है।

उद्योग मुख्यतः सरकार के सरकार से ही विकसित हुआ जो १९१४-१५ के युद्ध में उत्पादन का बहुत बड़ा भाग खरीदती थी। दोनों युद्धों वे बीच के अभिवृद्धि-काल में अनेक कम्पनियों का प्रबर्तन हुआ। तीन पुरानी कम्पनियों का उत्पादन दूना हो गया और सात नई कम्पनियाँ खोली गईं, जिसमें से छः कम्पनियों ने १९२३ तक कार्य करना आरम्भ कर दिया। १९३०-३१ में आयात और बम हुमा तथा १,१२,००० टन रह गया, जिसमें से इगलिस्तान ने ६३,२०० टन की पूर्ति की।

१. प्रशुल्क-मण्डल (शीशा-उद्योग) की रिपोर्ट, पैरा ३६।

अन्य प्रधान साधन जापान, जर्मनी, इटली और वेलजियम थे। १६३८-३९ में सीमेण्ट के आयात में और कमी हुई और १० लाख रु० के मूल्य के २१,००० टन सीमेण्ट का आयात हुआ। १६४०-४१ में ६ लाख रुपये का ४२०० टन आयात हुआ। इस सम्बन्ध में देश अब लगभग आत्मनिर्भर हो गया। १६३२-३३ में भारत में ५,६३,००० टन सीमेण्ट का उत्पादन हुआ जो १६३७-३८ में लगभग दुना हो गया। भारतीय सीमेण्ट त्रिटिश सीमेण्ट से खराब नहीं और यूरोप के सस्ते सीमेण्ट से भली भाँति स्पर्धा करता है। भारत के एसोशिएटेड सीमेण्ट कम्पनीज आँव इण्डिया लिमिटेड नामक एक प्रभावशाली संयोजन वा निर्माण प्रगति की दिशा में एक बड़ा बदम था। दस प्रधान कम्पनियों के इस आश्चर्यजनक संयोग ने उद्योग के प्रीधोगिक और वाणिज्यिक संगठन में सुधार ला दिया है।^१ जहाँ एक और १६३६-४५ के युद्ध ने उत्पादन-ज्ञान बढ़ा दी वहा दूसरी ओर निर्यात के लिए पर्याप्त मांग के द्वारा भी खोल दिए। सीमेण्ट-उद्योग पर उत्पादकों के दो समूहों का प्रभुत्व है—अमोशिएटेड कम्पनी और डालमिया, जिनके उत्पादन वा योग कुल उत्पादन का ८५ प्रतिशत है। गत वर्षों में सीमेण्ट की मांग बहुत बढ़ गई है और उद्योग की उत्पादन-क्षमता बढ़ाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

इस समय देश में सीमेण्ट की ३२ फैक्ट्रियाँ हैं। १६५८ के अन्त में उद्योग की उत्पादन-क्षमता ७० ५ लाख टन थी तथा १६५९ के अन्त में ८३ ५ लाख टन थी। १६५८ और १६५९ में सीमेण्ट का उत्पादन कमश ६० ६ लाख टन और ६८ २ लाख टन था।

मन् १६५८ में ४०,६०२ टन सीमेण्ट का निर्यात किया गया तथा १६५९ में १,७६,२०२ टन सीमेण्ट का निर्यात किया गया।

प्रशुल्क-मण्डल ने देखा कि उद्योग को कच्चे माल की सुविधाएँ प्राप्त थी, किन्तु कोपले की खानों से दूर होने के बारण इंग्रज के सम्बन्ध में बड़ी कठिनाई थी। बाजार के विषय में मण्डल का कहना है कि काठियावाड़ की फैक्ट्रियों को छोड़कर भारतीय सीमेण्ट फैक्ट्रियों के लिए देश वे अन्दर के बाजार स्वभावत सरक्षित बाजार हैं, यद्योऽपि वे किसी भी बन्दरगाह से ३०० भील से अधिक दूरी पर स्थित हैं। अन्यत्र भारतीय सीमेण्ट को विदेशी सीमेण्ट से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। किन्तु, भारत की सीमेण्ट का प्रधान बाजार मुद्रवर्ती आन्तरिक भाग में न होकर बम्बई और कलकत्ता के बन्दरगाहों के समीप है, अतएव भारतीय फैक्ट्रियों को बन्दरगाहों से दूर होने के बारण यहाँ असुविधा है।^२

१६२४ में मण्डल न इस आधार पर सरक्षण देने से इन्हार कर दिया कि उद्योग अति-उत्पादन में ग्रस्त था और मूल्य आयात के बजाय भारतीय उत्पादकों की

१. तब से एक इवाइ (कब्जी सीमेण्ट कम्पनी) बन्द हो गई है, परन्तु दो नद कम्पनियों ने काम करना आरम्भ कर दिया है।

२. प्रशुल्क-मण्डल की (सीमेण्ट-उद्योग) १६४५ की रिपोर्ट देखिए, पैरा ८-१२।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धा से निश्चित होता था। किन्तु उनका विचार था कि शीघ्र ही स्थिरता आ जाएगी। सीमेण्ट की फैक्ट्रियों के कोयले के क्षेत्रों और बन्दरगाहों से अधिक दूर होने के कारण उत्पन्न हुई कठिनाई को दूर करने के लिए मण्डल ने एक विधान बनाने की सिफारिश की, जिससे सरकार बन्दरगाहों के निश्चित अद्व्याप्त की परिधि के अन्दर भारतीय फैक्ट्रियों द्वारा भेजे जाने वाले सीमेण्ट को सहायता प्रदान कर सके।

डालमिया, भारत और रोहतास के लिए ५४.५० रु० प्रति टन, एस० सी० सी० के लिए ५८.०० प्रति टन तथा य० पी० की चुक्के सीमेण्ट फैक्ट्री के लिए ५७.०० रु० प्रति टन तथा इसी प्रकार अन्य फैक्ट्रियों के लिए विभिन्न मूल्य निर्धारित दिये। सरकार ने इन सिफारिशों को पहली जुलाई, १९५८ से लागू करने का निश्चय किया थायोंकि ३० जून, १९५८ तक सीमेण्ट कण्ट्रोल आर्डर के अन्तर्गत निश्चित मूल्य लागू थे। यह भी निश्चय किया गया कि ऐसे मूल्य जून, १९६१ तक लागू रहेंगे। यद्यपि प्रत्येक उत्पादक को मिलने वाले मूल्यों में कुछन्कुछ वृद्धि हुई है किन्तु उपभोक्ताओं के रेल-केन्द्रों पर सीमेण्ट ११७.५० रु० प्रति टन के भाव से ही मिलता रहेगा। पिछले दो वर्षों से सीमेण्ट के सम्पूर्ण उत्पादन के विक्रय को राज्यीय व्यापार निगम ही सम्भाल रहा है तथा उपभोक्ताओं को उपर्युक्त एक ही मूल्य पर सीमेण्ट देना, निगम द्वारा अपने पारिथमिक को $\frac{3}{4}$ प्रतिशत से घटाकर $\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर देने के कारण ही सम्भव हुआ है।

सीमेण्ट का उत्पादन १९५०-५१ में २७ लाख टन से बढ़कर ६४ लाख टन (१९६३-६४) में हो गया। १९६५-६६ में १ करोड़ १० लाख टन उत्पादन हुआ जबकि तीसरी पचवर्षीय योजना का लक्ष्य १३२ करोड़ टन था। १९७०-७१ तक उत्पादन ३ करोड़ टन तक बढ़ा देने का लक्ष्य है। भारत सरकार ने सीमेण्ट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया के नाम की एक कम्पनी बनाई है जो सीमेण्ट के अनुसन्धान सर्वेक्षण तथा उत्पादन को बढ़ाने की चेष्टा करेगी।

३६ दियासलाई-उद्योग^१—१८६५ में स्थापित अहमदाबाद की गुजरात इस्लाम मैच फैक्ट्री को छोड़कर, १९२१ तक दियासलाइयों का निर्माण व्यावसायिक स्तर पर सफलतापूर्वक नहीं होता था। वित्त के उद्देश्य से १९२२ में एक रुपया आठ ग्राम प्रति ग्रांस (ग्रांस=वारह दर्जन) या मूल्यानुसार, १०० प्रतिशत से भी अधिक आयान-कर लगा देने से गत वर्षों में उद्योग का पर्याप्त विस्तार हुआ है। प्रतिवर्ष सात करोड़ ग्रांस खपत के होने के कारण उद्योग को एक विशाल धरेलू बाड़ार प्राप्त है। अब सस्ता है और सरल यन्त्रों के सचालन में भली भाँति पढ़ है। आयान-कर लग जाने के कारण स्वीडन के विशाल संयोजन (कम्बाइन) द्वारा, जो ससार की ७० प्रतिशत माँग का नियन्त्रण करता है, भारत में दियासलाई की फैक्ट्रियों की

१. कोयला और नमक-उद्योग का विवरण प्रथम खण्ड के दूसरे अध्याय में दिया गया है और वही तथा नाय-उद्योग उसी भाग के छठे अध्याय में दिये गए हैं।

स्थापना उद्योग का महत्वपूर्ण विकास है। इस विदेशी ध्यापारिक संस्था का भारतीय उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पटने के कारण दियासलाई के भारतीय निर्माताओं ने इसका पर्याप्त विरोध किया। १९२८ में प्रशुल्क-मण्डल ने सरकार के सम्बन्ध में रिपोर्ट देते हुए कहा कि दियासलाई के मूल्य का नियमन आन्तरिक स्पर्धा द्वारा होता है तथा उपभोक्ता को वे यथासम्भव सस्ती मिल जाती हैं और इसलिए उद्योग विना सहायता कही अन्य देशों की प्रतिस्पर्धा का सामना करने में समर्थ है। किन्तु उन्होंने सिफारिश की कि एक रूपया आठ आना प्रति ग्रांस का चालू आयात-कर अनिवार्य काल के लिए एक सरकारी-कर में बदल दिया जाए, ताकि उद्योग को आवश्यकन प्राप्त हो सके कि अब तक प्राप्त सुरक्षा से वह एकाएक ही वञ्चित नहीं कर दिया जाएगा। इनका मत था कि स्वीडिश मैच कम्पनी भारत में उद्योग के प्रमाण के सम्बन्ध में उपयोगी काम करती रही है। परन्तु उन्होंने कम्पनी को रूपये की पूँजी और भारतीय सचालकों की नियुक्ति द्वारा भारत की राष्ट्रीय एवं राजनीतिक चेतना वे अनुरूप पुनर्निर्माण करने की राय दी। उन्होंने कम्पनी की देख रेख करने की आवश्यकता भी स्वीकार की ताकि वह अपने बृहद् सामनों द्वारा एकाधिकार न स्थापित कर से।^१

प्रशुल्क-मण्डल के सुभाव के अनुरूप विधान सभा न दियासलाई उद्योग (परकारण) अधिनियम (विल) सितम्बर, १९२८ में पास किया, जिसके अनुसार एक ग्राम डिवियो पर (जिनम् एक दियासलाई में १०० सलाहकारी होनी थी) १ रु० ८ आ० वा कर निर्धारित किया गया।^२

इस समय भारत में दियासलाई के उत्पादन की इकाइयाँ २४२ वे लगभग हैं। इनमें वेस्टर्न इण्डिया मैच कम्पनी द्वारा प्रबन्धित पौंच इकाइयाँ अन्तीकृत हैं, २५ इकाइयाँ अशन अन्तीकृत हैं। इस समय (१९५६-६०) उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम के अन्यगंत पजीकृत (regd.) दियासलाई की ६१ फैक्ट्रीयाँ हैं तथा इस वर्ष इनका उत्पादन ५० ग्रांस डिवियो के ६३७ हजार बक्से होते हैं। गत वर्ष ऐसा ६२६ हजार बक्सों का उत्पादन हुआ। शेष कुटीर-उद्योग की इकाइयाँ हैं। रामनद जिले में सतुर, सिक्कासी तथा तिनेवेती जिले में कोविलपट्टी कुटीर-उत्पादन के प्रधान केन्द्र हैं। देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त उद्योग थोड़ा-सा निर्यान करने में भी समर्थ हो गया है।

दियासलाई-उद्योग एक कुटीर-उद्योग की तरह मन्गठित किया जा सकता है और इससे गाँववालों, विनेपकर महिलाओं को बड़ी सरलता से रोजी मिल सकती है।

^१ यहाँ का मत था कि फैक्ट्रीया के बृहद् उत्पादन को टप्टि में रखते हुए कुटीरोग आधार पर दियासलाई का उत्पादन विलकूल असम्भव है। प्रशुल्क-मण्डल (दियासलाई-उद्योग) की रिपोर्ट (१९२८), पैरा १३१-२ देखिए।

^२ १९३४ में दियासलाई पर उत्पादन-कर लगाने तथा आयात-कर के परिवर्तन का विवरण १२वें अन्याय में देखिए।

दियामलाई-उद्योग आकार और उत्पादन के अनुसार १०, बी० और सी० वर्गों में विभाजित है। कुटीर-उद्योग के रूप में खादी और ग्राम उद्योग आयोग एक नये वर्ग—‘डी’ वर्ग की फैक्ट्रियों के विकास की ओर अग्रसर है। इस प्रकार की फैक्ट्रियों के उत्पादन की अधिकतम मात्रा २५ ग्रौंस डिब्बियाँ प्रतिदिन हैं तथा इनमें ४० व्यक्ति काम पर लगाये जा सकते हैं। द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दियासलाई के कुटीर-उद्योग के विकास के लिए १००० ‘डी’ वर्ग की फैक्ट्रियाँ स्थापित करन का लक्ष्य रखा गया है। इनकी उत्पादन-क्षमता २६२.५ लाख ग्रास डिब्बियाँ हैं तथा लागत का अनुमान १.१ करोड़ रु० है।

कुटीर-उद्योग

३७. लघु प्रमाप उत्पादन के बने रहने के कारण—भूल्य आन्तरिक तथा बाह्य मितव्यताओं के त्याग के बिना ही वाध्य के स्थान पर विद्युत् के बढ़ते हुए प्रयोग ने उत्पादन की इकाइयों को छोटा करने की प्रवृत्ति को जन्म दिया है। पुनः प्रत्येक उन्नतिशील समाज में बहुत-सी कलापूर्ण तथा विलास की सामग्रियाँ होती हैं जिनका प्रमाणीकृत उत्पादन नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त सम्भता के भौतिक उपस्थरों के ग्रनेक सुधार छोटे-छोटे कारखानों की जन्म देते हैं और इस प्रकार लघु प्रमाप उद्योग चलते रहते हैं। अन्तिम नये उद्योग जब तक वे प्रयोग-रूप में होते हैं, पहले छोटे पैमानों पर ही आजमाए जाते हैं और सफल होने पर ही बड़े पैमाने पर सगठित किये जाते हैं।^१ इस भाँति पश्चिम के अत्युन्नत देशों में भी बहुद् प्रमाप उद्योगों के साथ-ही-साथ बहुत से लघु प्रमाप उद्योग भी फूलते-फलते हैं। जापान की आर्थिक व्यवस्था में लघु-प्रमाप और कुटीर-उद्योगों का महत्वपूर्ण योग सर्वविदित है।

३८. भारत में कुटीर-उद्योग और ग्रीष्मोगीकरण—भारत में विशेषकर वर्तमान परिस्थितियों में, निकट भविष्य के ग्रीष्मोगिक विस्तार की विशेषता से देश-भर में लघु प्रमाप उद्योगों को बढ़ाया गया। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत की ग्रीष्मोगी-करण-सम्बन्धी प्रगति प्राचीन प्रणाली के सभी उद्योगों को यथास्थित रहने देगी और उनकी शक्ति में कभी न प्राएगी। नवीन उद्योगों के पालनों के पास सदब ही कुछ प्राचीन प्रणालीन उद्योग पड़े रहेंगे और यह अवश्य होगा कि वेगमान ग्रीष्मोगीकरण भाज भी विद्यमान कुछ दस्तकारियों के लिए हानिकर होगा। आर्थिक सक्रान्ति ने किस भाँति देश के विभिन्न उद्योगों को प्रभावित किया है, इसका सक्षिप्त विवरण यहसे ही दिया जा सकता है^२ भारत की वर्तमान परिस्थितियों में केवल इसी उपाय से अधिकतम उत्पादन, पूर्ण रोजगार और सम्पत्ति के न्यायोचित वितरण के आदर्श की उपलब्धि हो सकती है। बहुद् प्रमाप उत्पादन के बिना अधिकतम उत्पादन सम्भव

१. श्री राधाकमल मुकर्जी, ‘दि फाउण्डेशन ऑव इंडियन इकनॉमिस’, प० ३६०।

२. संग्रह १, अध्याय ५, पैरा २१, २२, २५ तथा रिपोर्ट ऑन दि सर्वे ऑव कॉटेज इण्डस्ट्री, मद्रास प्रेसीडेंसी, १९२६ भी देखिए।

नहीं, किन्तु आधुनिक उद्योगों की प्रगति कितनी भी तीव्र वर्षों न हो, सम्भवतः भारत की विश्वाल जनसंख्या को यह पूर्ण रोजगार नहीं दे सकती। अतएव छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। बड़े उद्योगों के विपरीत, जो धन को कुछ हाथों में ही बेन्द्रित करते हैं, छोटे उद्योग धन के समान वितरण का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

भारत के कुटीर-उद्योग निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित विषये जा सकते हैं—

(१) हाथ की कताई जैसे कुछ पुराने उद्योग लुप्तप्राय हो गए हैं, किन्तु जैसा हम पहले ही देख चुके हैं,^१ कृषि के सहायक उद्योग के रूप में अब भी हाथ की कताई के उद्योग के विकास की सम्भावना है। (२) कुछ अन्य उद्योग हैं जिनके उत्पादन यन्त्रोत्पादित वस्तुओं से सर्वांक रहते हैं और इनकी दशा त्रिशुकुं-जैसी है। जो इन उद्योगों में लगे हुए हैं वे अपने वैतृक पेशे को छोड़ने की अनिच्छा या फैविट्रियों में काम की कठोर दशाओं के कारण उन्हें नहीं छोड़ते। यह भी हो सकता है कि उनमें लगे रहने के लिए कारीगर अर्द्ध-प्रबन्धक सौदागर द्वारा वाध्य किया जाते हो, ताकि वह अनिश्चित काल तक उनका शोपण करता रहे और अपना धन प्राप्त कर ले।^२ (३) तीसरी श्रेणी उन कुटीर-उद्योगों की है जो आन्तरिक और निवारणीय त्रुटियों से मुक्त हैं तथा वर्तमान दशाओं में भी जीवित रहने योग्य हैं। उदाहरण के लिए, वे उद्योग जो खेती से सम्बन्ध रखते हैं और जिनमें सरल औजारों की आवश्यकता पड़ती है इसी प्रकार के हैं। उन्हें फैविट्री में उत्पादित वस्तुओं से डरने का कोई कारण नहीं है। ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ बारीगरों न नवीन दशाओं के अनुरूप अपने सफलता-पूर्वक ढाल लिया है और उत्तम कोटि के कच्चे पदार्थ तथा अच्छे औजारों का प्रयोग सीख लिया है। बुनहर मिल के सूत का रगरेज कृतिम रगों का, पीतल और ताँब के कारीगर धातु की चादरों का तथा लुहार सुविधाजनक भागों में खर्च किये हुए लोहे का उपयोग करने लगे हैं। प्रथेक दशा में उत्पादन की लागत कम हो जान से कारीगरों को सुविधा हो गई है और उनका बाजार बहुत बढ़ गया है। निचले बगाल में कुछ जिलों में बुनहर फलाई शटिल का उपयोग करने लगे गए हैं और हाल ही में मद्रास के तटवर्ती जिलों में वही अधिक संख्या में बुनकरों ने इसे अपनाया है। साथ ही अन्य स्थानों पर भी यह धोरे-धीरे प्रयोग में आ रहा है। दर्जी आवश्यक रूप से सिलाई की मशीनों का प्रयोग करते हैं और शहरों के कारीगर शीघ्र ही यूरोप या अमेरिका में बने औजारों को अपना लेते हैं।^३ फलस्वरूप गाँव के सामुदायिक समाज में कारीगरों में से कुछ अब भी अपना प्राचीन रथात स्थान अक्षुण्ण बनाये हुए हैं तथा पहले ही

१. नाग १, अध्याय ८, पैरा १६ देखिए।

२. कुटीर-उद्योगों के आर्थिक और अन्य कठिनाइयों-सम्बन्धी विस्तृत विवरण के लिए वॉन्ड्रे इक्नॉमिक प्रश्न इण्डस्ट्रियल सेंक्रेटी की रिपोर्ट देखिए, पैरा १०६—४२।

३. औद्योगिक आयोग रिपोर्ट, पैरा २५५।

बतलायी गई विधि से अपना पारिश्रमिक प्राप्त करते हुए गाँव के लोगों की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति प्राचीन काल की भाँति ही कर रहे हैं।^१ किन्तु गाँव की आत्मनिर्भरता पर अधिकाधिक आक्रमण होता जा रहा है और जब यह लुप्त हो जाएगी तो इन कारीगरों की दशा के प्रतिस्थापन की आवश्यकता होगी।

अब तक इस देश में आधुनिक उद्योग की प्रगति मन्द रही है। लगभग सभी शहरों या गाँवों की जनसंख्या का बड़ा शतांश विभिन्न कुटीर-उद्योगों में लग मजदूरों का है। उनकी संख्या अब भी सगठित उद्योगों में लगे मजदूरों से बहुत अधिक है।^२ ३६ सूती (हस्तचालित) करघा-उद्योग—सामान्यतया करघा उद्योग के महत्व और व्यापकता पर ध्यान नहीं दिया जाता। सूती वस्त्र प्रशुल्क-मण्डल ने १९५२ में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में १६,८४ ६५० करघों की संख्या का अनुमान लगाया था, जबकि १९३१ की गणना के अनुसार सूत और रेशम कातने और बुनने वे काम में लगे लोगों की संख्या २५,७५,००० थी।^३ यद्यपि पिराड़ का यह कथन है कि 'उत्तमाशा अन्तरीप (केष ग्राँव गुड होप) से लेकर चीन तक स्त्री और पुरुष सिर से पांव तक भारतीय करघों से उत्पन्न वस्त्र पहनते हैं,' अब सत्य नहीं है और उद्योग की वर्तमान दशा सन्तोषजनक होने से अत्यन्त दूर है, परन्तु फिर भी यदि इसको समुचित ढंग से सगठित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएं तो इसके संभव अब भी एक महान् भविष्य है। इस समय देश के विभिन्न भागों में २७ ५८ लाख हस्तचालित करघे रजिस्टर्ड हैं।

गरीब लोग, विशेषकर ग्रामीण, करघे के कपड़े को इस कारण पसंद करते हैं कि ये मिल के बने हुए कपड़ों की तुलना में कही अधिक मजबूत और टिकाऊ होते हैं। अनेक विशिष्ट प्रकार के वस्त्रों का उत्पादन, जिनका उपयोग मन्दगामी भारतीय रिवाजी द्वारा अनुमोदित है, मिले नहीं कर सकती। यद्यपि उनकी कुल मांग बहुत अधिक है, किन्तु प्रत्येक प्रकार के लिए माम इतनी कम है कि उनका पैकड़ी म उत्पादन आर्थिक हालिकोण से विचारणीय ही नहीं है। १९१४-१८ के युद्ध-काल में ग्रामीणता किये गए कपड़े के हास को पूरा करने में भारतीय मिलों की असमर्थता तथा युद्ध-समाप्ति के बाद के मिल के बने कपड़ों के बहुत ऊँचे भूल्य ऐसे कारण थे जिन्होंने बुनकरों को बहुत मदद दी। १९२२ के बाद विदेशी (विशेषकर जापान से) और भारतीय मिलों की बड़ी हुई प्रतिस्पर्धा से बुनकरों को अधिक हानि हुई, यद्यपि अधिक कुशल और साहसी व्यक्तियों ने रेशम की बुनाई तथा गोटे की कढाई का बाम अपना

१. खण्ड १, अध्याय ५, पैरा १४ देखिए।

२. औद्योगिक आयोग सिपोर्ट, पैरा २५५ देखिए।

३. विभिन्न राज्यों में सूती करघा उद्योग की तकालीन दशा के उक्षेष्ट विवरण के लिए सैण्डल वैकिंग इन्वेस्टी कमेटी की रिपोर्ट का पैरा २६६ देखिए। स्टेट एक्शन इन रिपैक्ट आव इंडस्ट्रीज, १९२८-३५, अध्याय ३ भी देखिए। बम्बई राज्य के हाल के सैण्डल के लिए (१९५०) देखिए, बम्बई की आर्थिक और औद्योगिक सैण्डल समिति की रिपोर्ट, पैरा ७०-३।

लिया। करघे के बुनाई-उद्योग ने अद्भुत जीवन-शक्ति और ग्रहणशीलता का प्रदर्शन किया है।

अपने घरों में काम करने वाला बुनकर फैब्री के मजदूर से अधिक धण्डे काम करता है और उसे कोई पारिश्रमिक दिए विना ही घर के कामकाज से फुरसत होने पर परिवार को स्थिरों से सहायता मिल जाती है। १९४१ के आरम्भ में ही भारत सरकार ने हाथ के करघे की बुनाई के उद्योग को मदद देने के लिए आवश्यक उपायों को निश्चित करने के उद्देश्य से आँकड़ों के सफलन हनु एक तथ्य-निर्देशक समिति (फैक्ट-फाइण्डिंग कमेटी) (करघे और मिली बी) नियुक्त की। इस समिति की रिपोर्ट ने स्पष्ट है कि मध्यस्थों की एक शृङ्खला द्वारा लाभ के बड़े भ्रष्ट को हथिया लेने के कारण उद्योग की उत्पादन-नागत ऊँची और बुनकर की आमदनी अनुचित रूप से कम है।

महात्मा गांधी की प्रेरणा से अखिल भारतीय वर्तक सस्या (आँल इण्डिया मिनर्स एसोसिएशन) ने करघा-उद्योग के उत्थान के लिए बहुमूल्य काम किया। इस सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकारों के कार्यों को आधिक सहायता देकर भारत सरकार ने भी १९३४ से सत्रिय प्रोत्साहन बी नीति अपनायी।

उद्योग की दशा वो सुधारने के उद्देश्य से अखिल भारतीय (हस्तचालित) करघा परिपद्द की हाल ही में स्थापना हुई है जिसमें बुनकरों, प्रान्तीय सरकारों तथा उच्चोग में ऊच रखने वाले राज्यों वो प्रतिनिधित्व प्राप्त है। परिपद्द के इस सुभाव वो सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि उद्योग को सूत और पूर्ति का आश्वासन मिलना चाहिए और युद्धोत्तरकालीन विवान योजना के पहले पाँच वर्ष में लगाय गए तकुमों के उत्पादन में से यांचा सुरक्षित रखकर इसको मात्रा बढ़ानी चाहिए। द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कपड़े के उत्पादन में १७,००० लाख गज बी वृद्धि होगी। वृद्धि को इस मात्रा में १०,००० लाख गज कपड़ के उत्पादन वा उत्तरदायित्व हस्तचालित करघा-उद्योग पर है। इसमें स ७००० लाख गज कपड़ा मिल के सूत से तथा ३००० लाख गज अम्बर चरखा के सूत से बनाने की व्यवस्था है।

अखिल भारतीय (हस्तचालित) करघा परिपद्द के अध्यक्ष ने एक निर्यात-अभिवर्द्धन समिति की स्थापना की। इस समिति में १४ सदस्य हैं। १९५६ के पहले छठे सहीतों में १५२ इलाज गज कपड़े का निर्यात, किंजा गपा, जिसका मूल्य २५६ रुपये ८० पास हुआ था, जबकि १९५८ में इतने समय में १६५६ लाख गज कपड़ा बाहर भेजा गया जिसका मूल्य २३७ रुपया था। निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सहकारी खेन के भीतर और बाहर के सभी निर्यातकों को बस्त्र-रसायन, सूती सूत, रज़िन पदार्थ (coaltar dyes) के आयात के लिए निम्न दर पर अनुकूल देने की व्यवस्था की गई है।

(१) गजों में निर्यात किये जाने वाले कपड़े पर प्रति १०० गज पर दस रुपये।

(२) बजन से निर्यात किये जाने वाले कपड़े पर प्रति २५ पौंड पर ७ ५० रुपये।

इस योजना के अन्तर्गत कोलम्प्टो, अदन, सिंगापुर, बदालालाम्पुर तथा देकाक में इम्पोरियम खोले गए हैं। १९५८-५९ में इस योजना के अन्तर्गत २४.४८ लाख हूँ की बिक्री हुई। सूती खादी हाथ करघे को प्रोत्साहन मिला और खादी १९६२-६३ में ६.७ करोड़ रुपया थी। तीसरी योजना के अन्त तक खादी का कुल उत्पादन १०० से ११० मिलियन गज हो गया। चौथी योजना का लक्ष्य ५००० मिलियन गज सब प्रकार के खादी वे कपड़े का लक्ष्य है।

४०. ऊनी उद्योग—किसी-न-किसी रूप में ऊनी वस्तुओं का उत्पादन देश के सब भागों में पाया जाता है, क्योंकि भेड़ हर स्थान पर पाया जाने वाला जानवर है। उनकी किसी प्रत्येक स्थान पर भिन्न है। मैदानी भेड़ों की तुलना में पहाड़ी भेड़ों का ऊन सामान्यतया अच्छी किसी का होता है। ऊनी करघा-उद्योग ४०,००० लोगों को आर्थिक समय के लिए काम देता है।

मुगल काल में ऊनी कालीनों का निर्माण उत्कृष्टता के उच्चतम शिखर पर पहुँच चुका था। कालीनों की माँग, विशेषकर शाही दरबारों और अमीरों के पहाँ से होती थी। अतएव उद्योग के स्वाभाविक स्थान राजधानी के प्रमुख नगर थे, यथापि मुगल साम्राज्य के छिन्न-भिन्न होने के बाद यह अन्य केन्द्रों में स्थापित हो गया। साम्राज्य के पतन ने व्यवहारत कालीनों की स्थानीय माँग को समाप्त कर दिया, किन्तु द्विदिशा शासन के स्थापित हो जाने के बाद इसका स्थान बाहरी माँग ने ले लिया। यथापि बाहरी माँग ने कारीगरों के आर्थिक विनाश को रोकने में मदद बी, परन्तु वस्तुओं की उत्कृष्टता के हास के लिए यही उत्तरदायी थी। इसने बाहर से भेजे गए नमूनों के आधार पर सस्ती वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। वर्तमान काल में भारत में कालीन की बुनाई लगभग पूर्णतया विदेशी माँग पर निर्भर है, जिसमें पूर्ण उत्पादन के ६० प्रतिशत भाग की खपत होती है।

द्विदिशा काल के पूर्व शाँखों के निर्माण में भारत ने, विशेषकर काश्मीर और पजाह ने, बड़ी स्थाति प्राप्त की थी और मुगल विशेष रूप से इसके विकास में हित लेते थे। १८३० के अकाल से उद्योग को ऐसा गम्भीर घबका पहुँचा जिससे यह पुनर्पतन सका तथा काश्मीर राज्य में लगाये गए अनेक करों से इसकी कठिनाइयाँ और बढ़ गईं। यूरोप से निर्यात व्यापार का विकास, जो ऊनीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में शुरू हुआ, उद्योग के पतन को रोकने में सहायक सिद्ध हुआ और अनुमान किया जाता है कि किसी समय इसमें १५,००० मजदूर नाम करते थे। किन्तु १८७१ के फ्रास-जर्मन युद्ध के कारण इसकी यूरोपीय माँग एकदम बम हो गई। यह आकस्मिक रोक अस्थायी प्रकृति की भी नहीं थी, क्योंकि यूरोप में शाँख शीघ्र ही फैशन से बाहर हो गए और युद्ध के बाद भी व्यापार में पुनरुत्थान का अनुभव नहीं हुआ। इस परिणाम में योग देने वाला अन्य कारण स्कॉटलैण्ड में पैसले नामक स्थान पर शाँखों के निर्माण का आरम्भ था।

१९३६-४५ के युद्धकाल में सेना के लिए कम्बलों की विशाल माँग के कारण ऊनी (हस्तचालित) करघा-उद्योग को बहुत लाभ हुआ, चूंकि इंग्लैंड द्वारा दिये गए

आईंडो को पूरा करने के लिए उनी मिले अपनी पूर्ण क्षमता तक कार्य कर रही थी, अनेक (हस्तकालिन) करघे की वस्तुओं का स्थानीय बाजार बहुत बढ़ गया। युद्ध-काल की यह समृद्धि अल्पकालीन सिद्ध हुई, किन्तु उद्योग के लिए सहकारी उत्पादन और विभागन अब भी नवीन सगठन और क्रियाओं की आवश्यकता दिलाते हैं।

४१. कच्चा रेशम और रेशम का निर्माण—भारत में कच्चे रेशम के उत्पादन में जो भी सफलता मिली है वह देश के उन भागों—जैसे बगाल, काश्मीर और मंसूर—तक ही सीमित है जहाँ शहतूत के पेड़ और श्रम प्रचुरता से उपलब्ध है।

मोटे तौर पर सबहबी शानदारी के प्रयत्न तीन-चतुर्थांश में ईस्ट इण्डिया कम्पनी प्रमुख रूप से कच्चे रेशम के व्यापार की ओर आकृष्ट थी। बाद में कम्पनी ने अनु-भव किया कि भारत-निर्मित रेशमी वस्तुओं को इगलैण्ड भेजन म और अधिक लाभ सम्भव था। उन्होंने इस नीति को ऐसी सफलता से अपनाया कि इगलैण्ड के बुनकर भयमीत हो उठे। ब्रिटिश बुनकरों के विरोध तथा अन्य कारणों से ईस्ट इण्डिया कम्पनी न पुन उच्चे रेशम के व्यापार की नीति अपना ली। कच्चे रेशम के उत्पादन को प्रथय देने और रेशमी उत्पादन को हतोत्तराहित करने की नीति वा देशी बुनाई-उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।^१

सक्षेप में, अभी हाल के वर्षों में कच्चे रेशम और रेशम की बुनाई के उद्योग हासिल-मुख रह है। भारत के कच्चे माल का नियाति के बल घट ही नहीं गया है वरन् उसका स्तर भी बदल गया है। वर्तमान समय में अधिकतर रेशम का कोवा बाहर भेजा जाना है। भारत में रेशम लपेटने (रीलिंग) का काम इतनी बुरी तरह किया जाता है कि अन्य देश भारत से कोवे लेकर सूत लपेटने वा काम स्वयं बरना पसन्द करते हैं। भारत में आयात किये गए रेशम की बहती लोकप्रियता का भी यही कारण है। भारतीय बुनकर स्वयं देशी माल की अपेक्षा जापान या चीन के एक-मान लपेटे सूतों को अधिक पसन्द करते हैं। भारतीय रेशम की इस्म को उन्नत करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। बगाल का कृषि-विभाग रेशम पैदा करने की शिक्षा देने के लिए दो विद्यालय चला रहा है। प्रासाम काश्मीर और मंसूर के भारतीय राज्यों में भी रेशम-उत्पादन को प्रोत्साहन देने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। १९३५ में भारत सरकार ने राजकीय रेशम-उत्पादन समिति (इम्पीरियल सेरीकल्चरल कमेटी) की स्थापना की और उसकी सिफारिश के अनुसार ₹३,००० रुपये की मदद विभिन्न प्रदेशों को प्रदान की गई, ताकि वे रेशम-उत्पादन के लाभ के लिए बगाल, आसाम, मद्रास, बिहार और उडीसा तथा वर्मा भे योजनाएँ कार्यान्वित करने में समर्थ हो सकें।^२ योजनाओं का सद्य रोगमुक्त बीजों से उत्पादन बढ़ाना और रेशम के कीड़ों के रोग के विषय के प्रश्नों के अनुसन्धान में सहायता देना है। भारत सरकार ने १ अप्रैल, १९३५ से ३१

१. नियाति व्यापार के आंकड़ों द्वारा रेशम-उद्योग का हास बिलकुल स्पष्ट हो जाता है। १८८८ में नियाति हुए रेशमी-उत्पादन का मूल्य ₹२,६६,००० रुपया, १९४१-४२ में केवल ₹२,६६,००० रुपया।

२. देखिए, 'इण्डिया इन १९३४-३५,' पृ० २५।

मार्च, १९४० तक पांच वर्ष के लिए १००,००० रुपये की वापिक सहायता देना स्वीकार किया। गत वर्षों में कृतिम रेशम के सूत का आयात बढ़ता रहा। आयात अपार की सभी शाखाओं में जापान का प्रभुत्व था, किन्तु उम देश में कृतिम रेशम-उद्योग में अवसाद और चीन-जापान युद्ध के आरम्भ होने के बाद कच्चे माल की प्राप्ति की कठनाइयों के फलस्वरूप इटली ने १९४० म युद्ध में उत्तरने से पहले ही जापान वो ग्रथम स्थान से छुत कर दिया।

१९४८ में केन्द्रीय रेशम परिपद अधिनियम पास किया गया। इसके अन्तर्गत १९४९ में भारत सरकार ने केन्द्रीय रेशम परिपद की स्थापना की। इस परिपद पर भारत में रेशम-उद्योग को विकसित करने का उत्तरदायित्व है। उद्योग के विकास की सही नीब डालने के लिए परिपद ने रेशम की हाप्टि से अधिक महत्वपूर्ण राज्यों से अनुसंधान घर जोर दिया। विदेशों से विशेषज्ञ भी बुलाये गए। उदाहरणार्थ, १९५७ ई में श्री शोहइ कारासबा, जो एशिया की रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग समिति के प्रमुख मन्त्री है, को आगमित किया गया। इन्होंने रेशम के कीड़ों को पालने के सम्बन्ध में प्रधोग किये।

द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत परिपद के नायंरुम का उद्देश्य उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने का है। द्वितीय योजना में रेशम-उत्पादन और रेशम उद्योग के लिए ६५ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई। बाद में राशि घटाकर ४४८ करोड़ रु० कर दी गई। प्रथम पचवर्षीय योजना की १३ करोड़ रु० की नगण्य राशि की तुलना में द्वितीय योजना के अन्तर्गत उद्योग पर काफी व्यान दिया गया है। जनवरी से लेकर जून, १९५६ तक कच्चे रेशम का उत्पादन १२,७७,३२१ पौड़ था, जबकि इसी अवधि में १९५८ में १२,७१,८७४ पौड़ का उत्पादन हुआ था। राज्यीय अपार निगम ने अप्रैल से दिसम्बर १९५८ तक ५६,८३,१६१ रु० के मूल्य के ३,३२,८६० पौड़ कच्चे रेशम का आयात किया। कतौ हुए रेशमी सूत का भी आयात किया गया और १५० लाख रु० की अनुज्ञाएं (Licences) प्रदान की गई।

अप्रैल, १९४० में रेशम और रेशम से बनी वस्तुओं पर लगाये हुए सरक्षण-करों को दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। भारतीय रेशम-उद्योग के पांच वर्ष के मरक्षण और आयात-कर में सर्वनं वृद्धि के लिए १९३८ के प्रशुल्क-मण्डल द्वारा की गई सिफारिशों को १९४२ में अपनाया गया और सरक्षण-कर पांच वर्ष के लिए बढ़ाकर २५ प्रतिशत + १४ अना प्रति पौड़ + कुल कर का $\frac{1}{4}$ कर दिये गए।

इबर हाल में रेशम-उत्पादन उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क-आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट १९५२ में दी। १९५३-५४ में प्रशुल्क आयोग ने १ जनवरी १९५४ से पांच वर्ष के लिए सरक्षण बढ़ा देने की सिफारिश की। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया, किन्तु करों की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया।

तीसरी पचवर्षीय योजना में २३ लाख किलोग्राम मलबरी सिल्क तथा अन-मलबरी सिल्क (Non-Mulberry) सिल्क का लक्ष्य था। सरकार ने मार्च १९५४ में राँची तथा लख्नऊ (मध्य प्रदेश) में टस्सर सिल्क सर्वेक्षण स्टेशन बनाये हैं।

४२. अन्य कुटीर-उद्योग—पहले भाग के पांचवें अध्याय में विभिन्न कुटीर-उद्योगों की वर्तमान दशा का सकेत पहले ही किया जा चुका है (खण्ड १, अध्याय ५), जबकि तेल पेरने, चमटा सिखाने, शीशा बनाने और दियासलाई बनाने के उद्योग के विवरण में हमन इनकी कुटीर-शाखाओं पर विचार किया है। कृषि के गौण उद्योगों की दशा और उनके भविष्य पर भी कृषि-सगठन के अन्तर्गत (खण्ड १, अध्याय १) विचार हो चुका है। अन्य अनेक कुटीर-उद्योग भी हैं, उदाहरणार्थ कढाई का काम, सकड़ी का सामान, घातु और छुरी काँटा, सोने और चाँदी के तारों का उद्योग, बरतन, सावुन बनाना, टोपी बनाना, खिलौन और मूर्नि-निर्माण, गुटके बनाना आदि को लिया जा सकता है।

४३. कुटीर-उद्योगों को सहायता की विधियाँ—कारीगरों की अज्ञानता और निर्धनता के कारण यह आवश्यक है कि उनको मदद देने की एक सर्वाङ्गीण योजना बनाई और वार्षिकत की जाए। इस दिशा में प्रकट रूप से पहला कदम अधिक अच्छी सामान्य शिक्षा देना है जिसके द्वारा कुछ दस्तकारी और औद्योगिक कारीगरी को शिक्षा देने का प्रयास किया जाए। बम्बई आर्थिक और औद्योगिक सर्वेक्षण समिति ने सिफारिश की कि प्रारम्भिक शिक्षा, विशेषकर गांवों में दस्तकारी के माध्यम से दी जाए। इसके अतिरिक्त विशेष औद्योगिक स्कूलों में, विशेषकर उद्योग-सचालक द्वारा नियन्त्रित स्कूलों में, भी कारीगरों की शिक्षा की व्यवस्था आवश्यक है। औद्योगिक आयोग ने भी सिफारिश की थी कि अधिक तीव्र बुद्धि के कारीगरों के प्रशिक्षण के लिए सरकार की सहायता में प्रदर्शनार्थ हस्तचालित करधे के कारखाने खाल जाएं और बुनाई के स्कूलों से एक वारिज्य विभाग सम्बन्धित कर दिया जाए, ताकि इम भाँति प्रशिक्षित साहसी कारीगर स्वयं अपनी छोटी करधा-फैक्ट्री खोल सकें। जेल और सुधारासमक स्कूलों की विशेषता उनमें रहने वालों को काठशिल्प, वेत और वांग के काम-जैसी औद्योगिक दस्तकारियों की शिक्षा दना है, ताकि छूटने पर उन्हीं कारीगरों की तरह जो दून प्रारम्भ कर सकें। विहार और उडीसा में प्रदर्शक उन्नत औजारों का धूम-धूमकर प्रदर्शन करते हैं। ये प्रदर्शन कुटीर-उद्योग विद्यालय (कॉटेज इडस्ट्रीज इस्टीट्यूट) पर निर्भर हैं जो अपने विभिन्न विभागों में प्रयोगात्मक कार्य करता रहता है और करधों, रग, अन्य सामान इत्यादि की पूर्ति का प्रबन्ध करता है तथा बुनकरों को नये कपड़ों तथा नये नमूनों से परिचित कराता है। भागलपुर रेसम विद्यालय द्वारा ऐसी ही सेवाएँ रेसम-उद्योग के लिए की जाती हैं और पटना प्रदेश के दक्षिण में गया की प्रयोगात्मक कम्बल फैक्ट्री प्राचीन कम्बल-उद्योग के लिए ऐसी ही प्रयत्न कर रही है। मध्य प्रदेश में उद्योग विभाग बुनकरों में अच्छे प्रकार की स्लेज़ के प्रयोग का प्रचार कर रहा है। प्रौद्योगिक प्रशिक्षण के लिए प्रौद्योगिक परामर्श और सुविधाएँ प्रदान करके तथा कारीगरों को नवीन तर्ज़ और उन पर काम करने के लिए नमून देकर उन्हें बहुत मदद दी जा सकती है तथा उनकी विनी बटाई जा सकती है। बम्बई आर्थिक और औद्योगिक सर्वेक्षण समिति ने कुटीर-उद्योगों से सम्बन्धित सम्प्रयोगों के अध्ययन के लिए कुटीर-उद्योग उत्तरालक का अधीन एक राजकीय कुटीर-

उद्योग अनुसन्धान विद्यालय की स्थापना की सिफारिश की। यह विद्यालय केवल औजारों तथा उत्पादन की विद्यमान विधियों में सुधार वा ही प्रयत्न नहीं करेगा, वरन् नवीन कुटीरोद्योगों के आरम्भ करने की सम्भावनाओं की भी खोज करेगा।

दस्तकारी में लगे मनुष्यों को आवश्यक पूँजी प्रदान करने के उद्देश्य से औद्योगिक आयोग ने सिफारिश की कि उद्योगों के सचालक द्वारा कुछ दशायों में छोटे ऋण दिय जाने चाहिए या यन्त्र और औजार 'किराये पर खरीद की पद्धति' पर प्रदान करने चाहिए ताकि अन्त में वे कारीगर की सम्पत्ति हो जाए। जर्मनी के खिलौन के उद्योग और जापान के कुटीर-उद्योग अपनी सफलता के लिए उन व्यावसायिक संगठनों के अस्तित्व के झरणी थे जो उनकी उत्पादित वस्तुओं को खरीदकर देश विदेश में विक्रय करते थे। इस समय भारत में विदेशी बाजार तो उपेक्षित हैं ही, परन्तु धरेलू बाजार का भी भलीभांति विकास नहीं किया जा रहा है। बम्बई के स्वदेशी-भण्डार 'देश में बनी वस्तुओं को देश के भीतर वितरित करने वाली सत्रिय और सफल एजेसी' के उत्तम तथा अनुकरणीय उदाहरण हैं। बम्बई के उद्योग विभाग न कुटीर-उद्योगों के उत्पादनों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से बम्बई में एक वित्तगोदाम (सेल्स डिपो) खाल रखा है। इसी लक्ष्य से बम्बई आर्थिक और औद्योगिक सर्वेक्षण समिति न सामयिक प्रदर्शनियों व प्रबन्ध तथा स्थायी संग्रहालयों के निर्माण की सिफारिश की थी।^१

१९३४ के छठे औद्योगिक सम्मेलन में करधे से बनायी हुई वस्तुओं के विक्रय व प्रदन पर विचार किया गया और उसके बाद मद्रास, बम्बई, मध्य प्रान्त और बरार, विहार और उडीसा आदि की प्रान्तीय सरकारों ने सहकारी प्रयत्नों के प्राधार पर अनेक आशाप्रद योजनाएं अपनायी। बम्बई में मुरथ-मुख्य केन्द्रीय पर आठ जिला सहकारी संस्थाएं बनायी गई हैं। प्रत्यक्ष संस्था की अपनी दूकान है जो सामान भेजने के लिए कुछ अप्रिम लती है और करघा-बुनकरों की बनायी हुई वस्तुएं कमीशन के आधार पर वचती हैं। एक वित्त-प्रविकारी और एक व्यवस्था-डिजाइनर की भी नियुक्ति की गई है।^२ बम्बई की आर्थिक और औद्योगिक सर्वेक्षण समिति ने भी सिफारिश की थी कि प्रत्यक्ष जिले में एक स्थानीय परामर्शदात्री समिति की सहायता से जिला उद्योग-अधिकारी व आधीन एक जिला औद्योगिक संस्था होनी चाहिए।^३

४४ कुटीर-उद्योगों की राजकीय सहायता के हाल के उपाय—भारत सरकार कुछ वर्षों से कुटीर-उद्योगों, विशेषकर मूती (हस्तचालित) करघा-उद्योग रेशम पैदा करने के उद्योग के उत्पादन में भनोयोग से लगी हुई है। जुलाई, १९३४ में हुए छठे अन्तप्रन्तीय उद्योग सम्मेलन ने देश के प्रधान कुटीर-उद्योग—करघा-उद्योग—के

१. रिपोर्ट, पैरा २०८।

२. विभिन्न विक्रय-आजानाओं के सम्बन्ध में अन्य विवरण के लिए देखिए, 'स्टेट एक्शन इन रिपोर्ट आव इंडस्ट्रीज' १९३८-३९, पृ० २६-३६; और बम्बई आर्थिक और औद्योगिक सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट, पैरा १५६।

३. रिपोर्ट, पैरा २०६ और २१२।

विकास के लिए विभिन्न प्रान्तीय सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं पर विचार किया। सरकार ने सम्मेलन में हस्तचालित करधा-उद्योग के विकास के लिए पाँच वर्ष तक ५ लाख रुपया प्रतिवर्ष संचय करने की घोषणा की।^१ इस नीति विभिन्न प्रान्तों में चालू की गई योजनाएँ विभिन्न प्रकार की हैं। इन योजनाओं में उन्नत उत्पादन-विधियों में चुनकरों का प्रदिशण, हाथ के करघे की वस्तुओं को वेचन के लिए विक्रय-गोदाम और चुनकरों की सहकारी समितियों की स्थापना, तथा नवीन तर्जों, नये नमूनों और उन्नत योजनाएँ का प्रचलन भी शामिल है। प्रान्तों को अनुदान उनके व्यय और सूत की खपत के आधार पर दिया जाता है। सातवें उद्याग सम्मेलन ने भी करघे के यन्त्रों तथा वस्त्रों के प्रदर्शन के पश्च में निश्चय किया है।^२ हम रेशम उत्पन्न करने के उद्योग को सरकार और प्रोत्साहन देन के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाये गए उपायों की समीक्षा कर चुके हैं।

१९३७ में स्थापित कार्यसी मन्त्रिमण्डलों के अन्तर्गत प्रान्तीय सरकारों ने कुटीर-उद्योगों को पुनर्जीवित करने की ओर विशेष ध्यान दिया। इण्डियन नशनल कार्प्रेस के तत्त्वावधान में १९३५ में स्थापित अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ (आॅल इण्डिया विलेज इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन) ने भी देश की आर्थिक योजना में कुटीर-उद्योग के महत्व की ओर ध्यान आकृष्ट किया। कुटीर और लधु प्रमाप उद्योगों को प्रभाव-पूर्ण ढंग से विकसित करने के लिए १९४८ में अखिल भारतीय कुटीर-उद्योग परिषद् की स्थापना की गई। वाद में इसके स्थान पर अखिल भारतीय दस्तकारी परिषद् (१९५२ में) तथा अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग परिषद् (१९५३ में) की स्थापना की गई। १९५७ में एक अधिनियम के अन्तर्गत सरकार ने 'खादी ग्रामोद्योग आयोग' की स्थापना की। पहले वीं इन नाम की परिषद् पुनर्गठित कर आयोग के लिए परामर्श-निकाय के स्पष्ट म परिवर्तित कर दी गई। मुख्यतः हस्तचालित करधा-उद्योग की समस्याओं को हल करने के लिए अखिल भारतीय (हस्तचालित) करधा-परिषद् की स्थापना भी १९५२ में की गई।

नवम्बर १९५३ में आय फाउण्डेशन आयोजन दल ने छोटे पैमाने के उद्योगों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट मार्च, १९५४ में प्रस्तुत की। सरकार ने निम्न सिफारिशों को यथासीम्ब कार्यान्वयन करने का निश्चय किया।

(१) चार प्रादेशिक प्राविधिक संस्थाओं (रीजनल ट्रेनर्सॉलैंडिकल इन्स्टीट्यूट्स) की स्थापना,

(२) विपणन-नियम (मार्केटिंग सर्विस कॉर्पोरेशन) की स्थापना, तथा

(३) लधु-प्रमाप उद्योग नियम की स्थापना।

फोइंड फाउण्डेशन दल की सिफारिशों के अनुहान भारत सरकार ने स्पाल स्टेट इण्डस्ट्रीज बोर्ड, अॉफिस ऑफ दी डेवलपमेण्ट कमिशनर फॉर स्पाल स्पेल इण्डस्ट्रीज, नेशनल स्पाल स्पेल इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन आदि की स्थापना की, ताकि मध्यम-प्रमाप

१. स्टेट एक्सेस इन रिपब्लिक आव इडस्ट्रीज, १९२८-३५, पृष्ठ २०।

२. अक्टूबर १९३५ में दिल्ली में हुए उद्योग सम्मेलन के सातवें अधिवेशन की वारंवाह।

उद्योग द्वारा श्रौद्धोगिकरण की योजना कार्यान्वित की जा सके। उद्योग के प्रकार-आकार, विषयण आदि के सम्बन्ध में सरकार ने डॉ० यूजीन स्टेली को एक परामर्शदाता के रूप में आमन्वित किया। विषयण-निगम की स्थापना तथा अन्य सम्बन्धित समस्याओं के लिए न्यूयार्क यूनीवर्सिटी के प्रोफेसर लिंकन बलार्क को भी आमन्वित किया गया था।

११ जून, १९५५ को सरकार ने लघु प्रमाण उद्योगों को 'प्रसार सेवा' प्रदान करने के लिए चार प्रादेशिक संस्थाओं की स्थापना के निर्णय की घोषणा की। ये संस्थाएँ कलकत्ता, वर्माई, फरीदाबाद और मदुराई में स्थापित की जाएँगी। प्रत्येक संस्था में ३० से अधिक अधिकारी होंगे, जो अधिकतर प्राविधिक विशेषज्ञ होंगे। प्रत्येक संस्था सादी मशीनों और अच्छे योजारों का प्रयोग दिखाने के लिए आदर्श कार्यशालाएँ स्थापित करेंगी तथा उनका प्रचार करेंगी।

उदाहरणार्थ, केन्द्रीय सरकार यन्त्र-सम्बन्धी व्यय का ७५% तथा भूमि और जमीन-सम्बन्धी व्यय का ५०% अनुदान के रूप में देती है, यदि आदर्श कार्यशालाओं आदि के लिए राज्य सरकार इनकी सिफारिश कर दे।

पचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कुटीर-उद्योगों को श्रौद्धोगिक सहकारी समितियों के संगठन द्वारा विकसित करने की नीति अपनायी गई है। जैसे कुटीर-उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग में प्रतिस्पर्धा हो, वहाँ एक सामान्य उत्पादन योजना (common production programme) अपनाने की सिफारिश की गई है।

पहली और दूसरी पचवर्षीय योजना में २१८ करोड़ रुपया ग्राम तथा कुटीर-उद्योगों पर व्यय किया गया। तीसरी पचवर्षीय योजना में २६४ करोड़ रुपया इसके लिए निर्धारित किया गया। इस प्रकार इन कुटीर-उद्योगों का अवादान राष्ट्रीय व्यय में १९५०-५१ में ६१० करोड़ से बढ़कर १९६२-६३ में १२१० करोड़ रुपया हो गया।

चौथी पचवर्षीय योजना में मूल आधार इन कुटीर-उद्योगों के लिए इस प्रकार है कि प्रत्येक थर्मिक (Artisan) को उत्पादन के बढ़ाने में उसका हाथ हो तथा स्वामित्व में उनका स्थान बढ़े। इस विकेन्द्रीकरण की नीति को बढ़ाने के लिए १० सुझावों की एक आर्थिक नीति बनाई गई है। चौथी पचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में ४५० करोड़ रुपया तथा ४०० करोड़ रुपया निजी क्षेत्र में खर्च जाएगा।

४४ योजना एवं श्रौद्धोगिक उन्नति—पहली दोनों पचवर्षीय योजनाओं में, विशेष रूप से दूसरी योजना में उद्योगों की भिन्न-भिन्न शाखाओं में बहुत उन्नति हुई। तीन नये लोहे तथा इस्पात वे कारखाने सरकारी क्षेत्र में खोले गए तथा निजी क्षेत्र के कारखानों की उत्पत्ति का दुगुना कर दिया गया। इसके अतिरिक्त विजली, भारी मशीनों, इजीनियरिंग तथा सीमेण्ट बनाने की मशीनों का राष्ट्र में पहलो बार उत्पादन आरम्भ हुआ। रासायनिक तथा उसकी शाखाओं में बहुत उन्नति हुई। यूरिया, अमोनियम कासेट, पैनसलीन का उत्पादन शुरू हुआ। साइकिल, कपड़े सीने की मशीनें तथा टेलीफोन इत्यादि उद्योगों का उत्पादन तेजी से बढ़ा। इन दस वर्षों में

मगठिन औद्योगिक उत्पादन दुगुना हो गया (औद्योगिक सूचाक १०० जो कि १६५१ में या १६६१ में १६४ हो गया) यह ठीक है कि कुछ क्षेत्रों में कमियाँ भी रह गई (लोहे और इस्पात में, रासायनिक खाद उद्योग, भारी मशीनों के कारखानों में)। दूसरी पचवर्षीय योजना से यह सुझाव मिलता है कि विशेष रूप से प्रारम्भिक तथा आधार-नम्बन्दी उद्योगों पर जोर दिया जाए तथा तकनीकी धमना इस प्रकार बढ़े कि आने वाली योजनाओं में आर्थिक व्यवस्था आत्मनिर्भर हो जाए। इस प्रकार तीसरी योजना में ये प्रधानताएँ रखी गईं—

(१) जो कार्य दूसरी योजना में कार्यान्वित नहीं हुए उन्हे पूर्ण रूप से किया जाए।

(२) मशीनों, तकनीकी, रासायनिक खाद के उद्योगों को बढ़ा दिया जाए तथा विशेष स्थान दिया जाए (*Diversify*)।

(३) औद्योगिक उन्नति के लिए अच्छे माल तथा मध्यम किस्म की सामग्री तथा खनिज तेलों की उत्पादन-शक्ति बढ़ाई जाए।

(४) उन उद्योगों को अच्छा ह्यान दिया जाए जो प्रतिदिन प्रयोग होते वाली वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे कि दबाइयाँ, कपड़ा, तेल, कागज तथा चीनी आदि।

इस प्रकार तीसरी पचवर्षीय योजना में खनिज तथा उद्योगों की उन्नति के लिए २,६६३ करोड़ रुपया निर्धारित हुआ। यह आशा की गई कि वार्षिक औद्योगिक प्रगति ११ प्रतिशत बढ़ेगी। तीसरी योजना के मध्य मूल्याक (Mid Term Appraisal) से यह पता चला है कि निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं हो सके।

चौथी पचवर्षीय योजना में प्रगति का कार्य एक प्रधानता के रूप में सुचारू रूप से हो। जो उद्योगों की वर्तमान स्थायी शक्ति है उसका ठीक प्रकार से प्रयोग हो। निजी क्षेत्र में विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तुओं तथा मध्यम वर्ग की वस्तुओं के उत्पादन पर जोर दिया जाए। चौथी पचवर्षीय योजना में औद्योगिक उन्नति पर ५,६०० करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा जिसमें से निजी क्षेत्र में २,४०० करोड़ रुपया होगा। चौथी पचवर्षीय योजना में इस बात का व्यान रखा जाएगा कि प्रोजेक्ट्स को ठीक प्रकार से चलाया जाए और समयानुसार पूर्ण कर लिये जाएँ। और जो ब्रुटि डिजाइन बनाने तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में है, उसे दूर किया जाए जिससे राष्ट्र आत्म-निर्भर हो सके।



अध्याय १६

ओद्योगिक श्रम

१. अम सम्बन्धी बढ़ती हुई समस्याएँ—हमारे ओद्योगीकरण की गति धीमी होने के कारण यद्यपि यहाँ थम-समस्या यूरोपीय देशों के समान कठिन नहीं है, परन्तु उनके जैसी होने में अब देर भी नहीं है। १६१४-१८ के महायुद्ध के साथ आए नव-जागरण ने अभिक-वर्ग को उनके महत्व तथा अधिकारों के प्रति अधिक सजग बना दिया है। लीग ऑफ नेशन्स भी स्वीकार कर चुकी है कि भारतवर्ष सारांश के आठ प्रमुख ओद्योगिक राष्ट्रों में एक है। अब सरकार और जनता दोनों ही राष्ट्रहित में, कुशल और सन्तुष्ट श्रम के महत्व को अनुभव करने लगी हैं। मई, १९२६ में माननीय जै.० एच० ह्लिटले की अध्यक्षता में 'राजकीय श्रम-आयोग' (रॉयल कमीशन ऑन लेवर) की नियुक्ति इस बात की पुष्टि थी। आयोग की सिफारिशों सरकार की श्रमनीति का आधार भानी जा चुकी है और हाल के थम-सम्बन्धी कानूनों को उन्होंने काफी प्रभावित किया है।^१ बम्बई सरकार का यह कार्यक्रम अखिल भारतीय श्रमनीति के आधार-रूप में स्वीकृत हो चुका है। कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने श्रम-सम्बन्धी कानूनों के खोने से बहुत ही क्रियाशीलता दिखाई है। नवम्बर, १९३६ में उनके पद-त्याग वे बाद इस दिशा में शिथिलता आना अवश्यम्भावी था। पर इधर द्वितीय महायुद्ध ने श्रम-समस्या को पुन प्रमुखता प्रदान की, क्योंकि अभिक-वर्ग ने इस बार प्रथम महायुद्ध की अपेक्षा अधिक मुचाइ रूप में सगठित होकर मैंहगाई तथा अन्य रियायतों की सफल माँग की है।

२. ओद्योगिक श्रम की पूर्ति और उसका देशान्तर-गमनीय स्वभाव—कारखानों के क्षेत्र का लालन-पालन पश्चिमी देशों के अभिक की श्रेष्ठता के लिए बहुत-कुछ उत्तरदायी है, पर इस देश के कारखानों का अभिक तो प्राय प्रवासी होता है और शायद ही कभी गाँव से सम्बन्ध-विच्छेद करता हो। पर यह भी कहना ठीक नहीं कि भारतीय कारखाने का प्रतिनिधि अभिक यससे मे खेतिहार है जो अस्थायी रूप से कृपि-कार्य छोड़कर अपनी आय बढ़ाने के लिए शहर मे आता है। अधिकांश मजदूरों का शीघ्र ही गाँव को लौटना तथा एक कारखाने मे अधिक दिन न टिकना अवश्य ही इस बात का द्योतक है कि वे कृपि कार्य अल्पकाल के लिए ही छोड़ते हैं। खेती से आर्थिक

^१. १९३१ में प्रकाशित ह्लिटले-आयोग के प्रतिवेदन का निर्देश इस परिच्छेद में 'श० आ० प्र०' के द्वारा तथा उसके पृष्ठों का निर्देश अको द्वारा किया गया है। इस प्रकार 'श० आ० प्र० ४' का अर्थ अम आयोग प्रतिवेदन पृष्ठ ४ है।

लाभ प्राप्त करने वाले धर्मिकों की सत्या का प्रायः जो अनुमान किया जाना है चास्त्रव में वह उत्तीर्णी नहीं है। वहुतों का कृपि ने प्रायः ग्रंथस्य सम्बन्ध ही होता है, उद्दाहरणार्थ, वे या तो किनीं भयुक्त कृपक-परिवार के सदस्य होने हैं या उनका कोई धनिष्ठ भम्बन्धी कृपि-कार्य करता है। अधिकारा ग्रौद्योगिक धर्मिक गाँवों म ही पैदा होने हैं तथा उनका पालन-पोपण भी वही होता है। अब तो उत्तरस्थानों म जाम उन्ने वाले वच्चों की उम्र की निम्नतम नीमा बड़ जान से यह प्रवृत्ति और भी बड़ रही है। वहुत-ने धर्मिक अपना परिवार गाँवों म ही रखते हैं। गढ़र में अपने पति के साथ आने वाली भी प्रमद के समउ प्रायः गाँव ही चली जाती है। हमारे उद्योगों के विकास के साथ ही गाव ने आने वाले भजदूरों की नव्या तेजी से बढ़ती ही जा रही है। ग्रामीण दृष्टिकोन से उपयुक्त होने पर ही वे गाव जाने हैं।

धर्मिजों के गाँव से शहर अरन क बारगांग पर दृष्टिपान करन पर हम देखेंगे कि कृपि पर पड़ने वाली विवरति का पहला अनर भूमिहीन खेनिहर भजदूरों पर ही पड़ता है, अत उन्हें गाँव छोड़कर बारस्थानों, नौका-निर्माण स्थानों वगीचों तथा रेन, निचाई आदि भरकारी निर्माण-कार्य वाल स्थानों मे अधिक बनने के लिय जाम हूँटने-न्तु जाना पड़ता है। उनके इन प्रवास-कार्य मे भयुक्त परिवार-ग्रणाली इन अर्थ भ सहायक होनी है कि परिवार के कुछ सदस्य अनन धर तथा खेन स सम्बन्ध विच्छेद विव बिना ही उने परिवार के अन्य व्यक्तियों की दल-रेत्र मे छोड़कर गाँव ने चले जाने हैं। कभी कभी वे हृषक गाँव क साहूकार य वचन या भूमि और पशु खरीदने के लिए पदाप्त धन अमान व उद्देश्य त शहरों म नौकरी तलाज करते हैं। फिर कभी अपनी जीविका और भावी जीवन को इसम बनाने की आशा स निम्न श्रेणी के ग्रामीण धर्मिक (जो कि दलिन-वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं) शहरों और वस्त्रों को चले जान हैं। चैकिं उनके नगर जाने का प्रधान कारण क्षट है न कि महत्वाकांक्षा, अत हम यह कह नक्कने हैं कि गाँवों से नगरों का प्रवास वरने वाले लोग सदसे कम कुशल और अत्यन्त निष्पाप ग्रामीण होते हैं।

३. देशान्तर-गमन के प्रभाव—देशान्तर-गमन क परिणामस्वरूप कारस्थानों म जाम वरन वालों क तिनन ही वर्ग अपन को एकदम अपरिचित रीति-रिवाजों और परम्पराओं के मध्य पात है। यह भी हा सकता है कि वहाँ गाया भी दूसरी हो। पुरानो प्रयाप्रो और मान्यताभ्रो के बन्धन टीके पट जान हैं। “वे मद बन्धन, जो ग्रामीण जीवन को सन्तुष्ट स्प प्रदान करते हैं, टीके पट जान हैं नवीन सम्बन्ध शीघ्रता से नहीं स्थापित हा पान। पलन जीवन अधिकाविक वैयक्तिक हो जाता है।” जलवायु के अत्यविक्ष परिवर्तन, दायपूर्ण भोजन, स्थानाभाव के कारण अत्यधिक भीड़-भाट, मकाई का अभाव तथा पारिवारिक जीवन से विच्छेद हान क बाद पुन मिलने का प्रलोभन, इन मधका भयुक्त प्रभाव धर्मिक क स्वास्थ्य पर वहुत बुद्ध पड़ता है। कुछ दुर्घ-मनों क बारण धर्मिक क नैनिक जीवन का और भी पतन होता है। गराव और जुम्हा इन दुन्नेसना क उदाहरण हैं जो कि गाँवों मे अपक्षाहृत अजात हैं। ग्रामीण धर्मिक ना जाम कभी-कभी होना है और काम के दीच उने सम्ब-सम्ब विधाम लेने

की आदत रहती है। इसके विपरीत औद्योगिक थमिक होने पर अनुशासित जीवन में उसे नियमित रूप से लगातार कई घटे काम करना पड़ता है, इससे उसके स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति पर भी दुरा प्रभाव पड़ता है। उसके बार-बार गाँव लौटने तथा अन्य कारणों से मालिक और थमिक के बीच सम्पर्क की घनिष्ठता नष्ट हो जाती है और उनमें प्रभावपूर्ण सगठन का भी अभाव हो जाता है। थमिक जब लम्बी अनुपस्थिति के बाद लौटता है तो यह निश्चित नहीं होता कि उसे काम मिलेगा ही। पुनः काम मिलने की विठ्ठलाइया उसे साहूकार, मजदूरों के ठेकेदार, शराब बेचने वाले आदि की दया पर आश्रित कर देती है।^१

जिस प्रकार गाँवों के आधिकार भार को नगर-प्रदास हत्का कर देता है, उसी प्रकार गाँव नगरों की वृत्तिहीनता के प्रति एक प्रकार की सुरक्षा (वीमा) प्रदान करते हैं। ग्रामीण और नागरिक जीवन का सयोग दोनों (नगरों और गाँवों) के लिए हित-कर होता है। इससे ग्रामीण जीवन में बाहरी दुनिया का थोड़ा-सा ज्ञान आ जाता है तथा पुरानी जर्जर प्रथाओं की श्रृंखला तोड़ने में सहायता मिलनी है। इसी प्रवार नागरिकों को भारतीय जीवन की वास्तविकताओं का सूधम ज्ञान होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर थम-आयोग का सुविचारित मत यह था कि इस समय गाँवों से सम्बन्ध की कड़ी को बनाए रखना लाभदायक है और उद्देश्य यह होना चाहिए कि समाप्त करने के बजाय इसे सुनियमित और प्रोत्साहित किया जाए। (देखिए अ० आ० प्र० १७-२०)

४. औद्योगिक थम का प्रभाव—हम भारतीय औद्योगिक थम की कमी और मौहगेपन की ओर संकेत कर चुके हैं।^२ इस प्रभाव के वास्तविक कारण वर्षाई-जैसे नगरों में ऐह और निवास की भयंकर परिस्थिति, कम मजदूरी और रहन-महन का कँचा ध्यय तथा मजदूरों को भरती बरने के लिए सुच्चवस्थित सगठन का अभाव है। इन सबक अतिरिक्त समय-समय पर लेग और इनफलुएन्जा तथा अकाल से होने वाली अधिक सख्त्या म मृत्यु भी थम की कमी को और बढ़ा देती है। थम का देशान्तर गमनीय स्वभाव इस कमी का अनुभव और तीव्र कर देता है। कुशल थम का एक प्रकार से अभाव ही है। इसका कारण यह है कि यहा आधुनिक उद्योगों के लिए थमिकों के प्रशिक्षण की सुविधाओं का अभाव है। प्रविधिक एवं व्यापारिक अनुभव से युक्त मिस्त्री अथवा फोरमैन-वर्ग के अभाव का कारण साधारण शिक्षित-वर्ग की हर प्रकार के हाथ के काम के प्रति ग्रस्ति भी है।

५. भरती करने का ढग—अब भी अधिकाश मिलोंके प्रबन्धक सीधे सीधे ही आवश्यक थम की भरती नहीं करते। कुछ हालतों से ठेकेदारों द्वारा गाँवों में चूम घूमकर भरती करता आवश्यक हो सकता है। उदाहरणार्थ, आसाम के धाय के बगीचों में ऐसा ही होता है, परन्तु अब साधारणतया ऐसा नहीं होता। लेकिन अब भी सामन्यन

१. देखिए वी० इर्स, 'लेवर एण्ड हाउसिंग इन बंगलौर', आमुख्य-लेखक श्री रघुनाली रोड, पृ० ५-६।

२. देखिए सुण्ड १, अध्याय ३, सैक्षण २४।

मध्यस्थो (जाँवर) या फोरमेन के माध्यम से ही श्रमिकों की भरती होती है। जहाँ पर विभागाव्यक्त यूरोपियन हैं वहाँ उनके और मजदूरों के बीच भारतीय मध्यस्थ (जाँवर) एक अनिवार्य कड़ी है। उसकी महत्ता का एक कारण यह भी है कि नियोक्ता श्रम-सघों से दूर रहने हैं। यह कभी-कभी हृष्टाल के नेता का भी काम करता है।^१ उसके कुछ कार्य पास्चात्य श्रम-सघ के अधिकारियों की भाँति हैं। वह अत्रेक प्रकार से श्रमिकों के लिए अनिवार्य बन जाता है। वह उन्हें घन देता है, झगड़ों में मध्यस्थ का काम करता है और कुटुम्ब-सम्बन्धी भासलों में राय देना है। चूंकि सभी श्रमिक उसी के द्वारा भरती किये जाते हैं, अत नवीन श्रमिक स्थायी अधिकारीयों किसी भी प्रकार का काम पाने का एक-मात्र उपाय उने घूम देना समझते हैं। कलवत्ता की जूट-मिलों में दम्भुरी के नाम पर घूमावोंरी खूब फैली हुई है और सरदार द्वारा इधर-उधर से बसूल की गई रकमों से उसकी आय कभी-कभी मासिक मजदूरों की पांचगुना तक हो जाती है, यहाँ तक कि लनरवाह देने वाले थोट-ठोट बलकं भी इन प्रवार की आमदनी करते हैं। भरती करन वाला एजेंट प्राप्त ऐसा प्रबन्ध करता है कि श्रमिक काम छूटने के भय से उसे कुछन-कुछ देने पर सदैव मजबूर होता है। स्थियों को भी, विशेषकर विधवा होने पर, ओवरसियरों द्वारा मजदूरों पर लगाये गए भार में भाग देनाना पड़ता है।^२

श्रम-प्राप्तों की सिफारिशों के अनुमरण म बिन्ने ही बड़े बड़े सगठनों, जैसे ही^३ ३० सालून एण्ड कम्पनी तथा बर्मा शैल कम्पनी आदि, ने मजदूरों की भरती और कलवाण के लिए 'विशेष श्रम-कल्याण अधिकारी' नियुक्त किय है। बम्बई के मिल-मालिक सघ ने 'वदली-नियन्त्रण-पद्धति' जारी की है जिसम केवल कार्ड रखने वालों को ही रिक्त स्थान पर रखा जाता है। बिन्ने ही जूट-मिलों ने श्रम-नियोजनालय (बूरो) स्थापित किय हैं जिनका एक प्रधान काम श्रमिकों की भरती है।

कानपुर श्रम-जाँच समिति (कानपुर लेवर इन्वेस्टिमेंट) ने श्रमिकों वी नियुक्ति से भिस्तियों को बिलकुल अलग करन का सुझाव रखा और सरकारी नियन्त्रण में श्रम-विनियम की स्थापना पर जोर दिया जो कि फैक्ट्रियों की भाँति पर प्राप्तियों को नीतिरों देंगे।^४ उत्तर भारत नियाक्ता सघ, कानपुर न इही आधारों पर एक वृत्तिविनियमालय (एम्प्लायमेण्ट एक्सचेंज) स्थापित किया है। यह वाच्चनीय होगा कि नियमित छुट्टियाँ मिले और छुट्टियों में भत्ता देना भी युह किया जाए, ताकि मध्यस्थों (जाँवर) की शाकिं क्षीण हो जाए और एक सन्तुष्ट एवम् कुशल श्रम-जाकिन का निर्माण हो।^५

जनवरी, १९४० मे हुए श्रम-मन्त्री सम्मेलन मे भारतीय श्रमिकों को सदेतन

१. भारत के विभिन्न भागों में 'जाँवर' ने भिन्न-भिन्न नाम है, यथा सरदार, मुकद्दम, निरवी आदि।

२. देविल, जै० एच० केलमैन, लेवर इंगिलिश, पृ० १०८-९।

३. रिपोर्ट, पैरा १३६-८०।

४. थ० आ० प्र०, २३-२४।

चुट्टी देने के प्रश्न पर भी विवाद हुआ। सम्मेलन ने इस प्रश्न पर केन्द्रीय अधिनियम का पक्ष लिया।

भरती करने के दण को अधिक युक्तियुक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने प्रमुख औद्योगिक बैन्डो पर रोजगार-सेवा (Employment Service) की स्थापना द्वारा नियोक्ताओं के लिए अपनी आवश्यकतानुसार श्रमिकों को भरती करने का अवसर दिया है। अनेक राज्यों में Decasualization Schemes चालू हैं। उत्तर प्रदेश में इसके अन्तर्गत १६५८ में ६,८६१ व्यक्ति रोजगार के लिए रजिस्टर किय गए तथा ८,५६२ को रोजी मिली। अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की योजनाएं चालू हैं।

६ पारिश्रमिक देने की अवधि—बम्बई की प्राय सभी मिलों में वेतन माहवारी दिया जाता है। यह अगले महीने की ८ तारीख को दिया जाता है। इस प्रकार भरती होने के बाद नये मजदूर को वेतन के लिए छ सप्ताह तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मासिव वेतन देने से काम छोड़ने वाले श्रमिक को यह आवश्यक हो जाता है कि वह एक महीने पहले सूचना द। कितने ही श्रमिक इस नियम की अज्ञानता से विना सूचना दिए ही काम छोड़ देने हैं और इस प्रकार एक महीने के वेतन से हाथ धो बैठते हैं। माधवरण रूप से यह कहा जा सकता है कि अम की अवधि जितनी ही लम्बी होगी, पारिश्रमिक मिलन में उतनी ही देर भी होगी। बलवत्ता की जूट-मिलों में साक्षात्कृत पारिश्रमिक मिचता है, अत केवल एक सप्ताह की ही मजदूरी रक्की रहती है। ग्रहमदादाद म मजदूरी दो सप्ताह बाद मिलती है अर्थात् १४ या १६ दिन बाद।

१६३६ म पास किये गए पारिश्रमिक देन के अधिनियम के अनुसार (१) मजदूरी की अवधि एक महीने स अधिक न रखी जाए,^१ (२) सब मजदूरी सिवको मा करंसी नोटों म दी जाए, (३) १००० से अधिक कमस्चारियों के रेलवे या अन्य किसी भी औद्योगिक कारखाने में प्रत्येक व्यक्ति की मजदूरी ७वें दिन के समाप्त होने के पूर्व मिल जानी चाहिए और अन्य रेलवे तथा औद्योगिक कारखानों में मजदूरी की अवधि के अन्तिम दिन से दसवें दिन तक अवश्य मिल जानी चाहिए।

पारिश्रमिक भुगतान (सशोधन) अधिनियम १६५७ मे पास किया गया और पहली अप्रैल १६५८ से यह अधिनियम लागू किया गया। सशोधित नियम के अन्तर्गत ४०० रु० प्रतिमाह तक पान वाले व्यक्ति हैं, जबकि १६३६ के अधिनियम के अन्तर्गत २०० प्रतिमाह तक पाने वाले व्यक्ति ही थे।

७ मजदूरी मे से कटौती—१६५७ के सशोधित अधिनियम के अनुसार नियोत,

१० अम सदस्यों द्वारा प्रस्तावित उपर्युक्त अधिनियम का नशोधन, जिसमे १५ दिन से ७ दिन पर पारिश्रमिक देने की व्यवस्था थी, बहुमत न प्राप्त कर सका। इसका प्रधान कारण मासिक वेतन पाने वालों का विरोध था। उनका कहना था कि मकान का किराया और सर्व क विल महीने पर आये और उन्हें तनखाह सप्ताह पर मिलेगी, तब तक वह समाप्त हो जाएगी—‘इण्डियन इंशर बुक’ १९४४-४५, पृ० ५१५।

सरकार, परिनियत आवास परिपद् इत्यादि द्वारा दिये गए रहने के मतान के लिए कटीनी, बीमा चुकाने के लिए कटीनी, तथा सरकारी धरिमूलियाँ खरीदने के लिए कटीनी। १९५७ के सशोधित अधिनियम वे प्रनुसार सेवा-नियम (Service Rules) के अन्तर्गत किये गए जुर्माने कटीनी में सम्मिलित नहीं होंगे।

जुर्माना—विसी भी वृत्ति-प्राप्त व्यक्ति पर जुर्माना उसी दशा में किया जा सकता है जबनि हानि या भूल के बल भली प्रकार अधियूचित कार्यों के सम्बन्ध में उस स्थान पर हो, जहाँ काम होता है। पन्द्रह वर्ष से नीचे के विसी भी व्यक्ति पर जुर्माना नहीं किया जा सकेगा।

इस अधिनियम के परिणामस्वरूप जुर्माना करभा प्राय बन्द-सा हो गया है, परन्तु नियोक्ताओं ने अधिनियम से बचने के कितने ही तरीके निकाल लिए हैं। उदाहरण के लिए, वे मजदूरों को जिन वेतन के छट्टी पर जाने के लिए विवश करते हैं तथा मजदूरी की भेदात्मक दरें प्रारम्भ करते हैं।

ध. काम के घंटे और भ्रमणशील प्रवृत्ति—भारत के नियोक्ता की हमेशा से यह विवायत रही है कि भारतीय श्रमिक लगतार स्थिर रूप से काम नहीं करता। वह अनेक बहाने बनाकर इवर-उधर सभय विताया करता है। काम करने वाले अपनी मशीनों से अनुस्थित रहते हैं जिनके बदले दूसरे आदियों को लगाना पड़ता है। १९०८ के भारतीय फैक्ट्री आयोग (इण्डियन फैक्ट्री कमीशन) ने अनुसृत “यद्यपि भारतीय श्रमिक योड़ी देर तक काफी ज़क्कि और कुशलता से काम कर सकता है, परन्तु स्वभावत वह काम को काफी देर तक फैलाए रहना चाहता है तथा उसकी प्रवृत्ति आराम के साथ काम करने और परिश्रम बरने की अनिच्छा होन पर विश्राम लेने की होनी है।” काम के घण्टों में कमी, सफाई की दशा में सुधार, वारस्तानों में हवादानों का प्रबन्ध, उचित निरीक्षण आदि से धूमगों की आदत कम हो जाएगी और श्रम की कुशलता बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए, कलकत्ता की जूट-मिलों में भ्रमण की आदत कम है वयोःकि वहाँ श्रमिकों व काम करने की पारी (विपट) कम घण्टों की है। यही हालन अभियन्तण की दूकानों की है जहाँ काम के घण्टे आठ से अधिक नहीं हैं।

१९४८ के कारखाना-अधिनियम के अन्तर्गत काम करने के घण्टे ४८ प्रति सप्ताह तथा ६ घण्टा प्रतिदिन निश्चित किये गए हैं। काम का अधिकान्तम फैलाव विसी दिन १०२ घण्टे तक हो सकता है किन्तु इसमें बीच में आराम के लिए दिया गया मध्यान्तर भी शामिल है। बच्चों के लिए कार्यावधि ४१ घण्टा प्रतिदिन रखी गई है और कार्यावधि का अधिकान्तम फैलाव ५ घण्टे तक हो सकता है। जहाँ कार्यावधि की उपर्युक्त सीमाओं का उल्लंघन किया जाता है, वहाँ अधिनियम में यह व्यवस्था है कि (अ) प्रत्येक श्रमिक के काम के घण्टे प्रतिदिन १० घण्टे से अधिक नहीं और प्रति सप्ताह ५० घण्टे स अधिक नहीं होना चाहिए तथा (ब) किसी भी दिन काम का फैलाव १२ घण्टे से अधिक नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति निरिक्त अवधि से अधिक काम करें उन्हें उस सभय के लिए सामान्य मजदूरी की दूनी दर में पारिश्रमिक दिया

जाएगा।

६ मिलों में करम करने की कठोर परिस्थिति—हवा और प्रकाश का प्रवृत्त वपड़े की मिलों में पर्याप्त बठिनता प्रस्तुत करता है। वम्बई जैसे शहरों में मिले कई मजिलों में होती है। अन्तिम मजिल को छोड़कर शेष मजिलों में दूत स प्रकाश नहीं आ सकता। जितने भी प्रयोग किये गए हैं उनसे मालूम हुआ है कि गरमी में पर्याप्त रूप से हवादान न होने से कुशलता में २० प्रतिशत तक कमी हो जाती है। नमीकरण एक अन्य कठिन समस्या है। भारत की जलवायु स्वतं नम नहीं है। वपड़े की बुनाई के लिए इसी प्रकार की जलवायु आवश्यक है। वपड़े के धारे की दृटने से वचान के लिए कारखानों में कृनिम उपायों से नमी रखना आवश्यक हो जाता है। जब इस प्रवार का नमीकरण अन्दर भाष पहुँचाने तथा गन्दे पानी के प्रयोग से किया जाता है तो यह काम करने वालों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। भारत सरकार ने इस विषय के एक विशेषज्ञ की नियुक्ति की है जिसका काम नमीकरण की सर्वोत्तम विधि बताना है।

जलपान घृहों की अत्यन्त आवश्यकता है जिनमें स्त्रीपुरुष दोनों वर्गों के लोग जा सक। पीन के लिए शुद्ध जल की पूर्ति, स्नान-सम्बन्धी व्यवस्था—जो कि एक गरम देश में अत्यन्त आवश्यक है—स्वच्छ शौचालय आदि अन्य बातें हैं जिन पर श्रमिक की सुविधा और कुशलता बढ़ाने के हाप्टिकोए से अभी तक नियोक्ताओं ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए अधिनियमों द्वारा भी काम करने की परिस्थितियों में सुधार करन का प्रयत्न किया गया है। उदाहरण के लिए, भारतीय डॉक श्रमिक अधिनियम १९३४ (Indian Dock Labourers Act, 1934), जा १० फरवरी १९४८ से लागू हो सका, के अन्तर्गत कार्य के स्थान पर मेडबन्डी और उचित प्रकाश, तथा उन स्थानों की पहुँच को सुरक्षित करने की व्यवस्था है। १९५३ में इस अधिनियम में पुनः सशोधन किय गए।

१०. भारतीय कारखानों में अनुपस्थिति—भारतीय श्रमिकों के एक वडे भाग (प्रनिशत) की अनुपस्थिति कारखानों के काम को अत्यन्त ही कठिन बना देती है। मिल मालिकों का कथन है कि बानस तथा मजदूरी बढ़न या मिलन से अनुपस्थिति बहुत बढ़ जाती है। भारतीय श्रमिक जीवन-यापन के लिए पर्याप्त धन मिल जाने पर सन्तुष्ट हो जाता है। अनुपस्थिति की मात्रा (जो वम्बई में ८ से १२ प्रतिशत तक है) मौसम के अनुमान भी बदलती रहती है। यह मानसून के समय तथा विवाहर्षिद अवसरों पर अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है अर्थात् मार्च से जून तक बहुत अधिक होती है तथा दिसम्बर और जनवरी में सबसे कम रहती है।

उपस्थिति के लिए भर्ते (ग्लाडन्स) देकर कुछ सफलता प्राप्त की गई है। टैक्सटाइल टैरिक बोर्ड (वस्त्र प्रशृतक-मण्डल) ने श्रम सचय के निमणि पर जोर दिया है। इससे अस्थायी 'बदली बालो' की आवश्यकता न पड़ेगी और छूटों देने के काम में भी सरलता होगी (रिपोर्ट, पैरा ६०)।

एक कारखाने से दूसरे कारखाने में श्रम के आने-जाने से भी अनुपस्थिति अधिक

होनी है।^१ बम्बई, मद्रास और नागपुर जैसे ओद्योगिक केन्द्रों में श्रीसतन मिल-कर्मचारी १३ वर्ष म प्राप्त. सब-है-सब बदल जात है। इस प्रकार कर्मचारियों की कुशलता घटने के साथ ही-साथ उत्पादन-लागत भी बढ़ जाती है।

११ ओद्योगिक श्रम की कार्यक्षमता—सर बलीमेट सिम्पसन के अनुमान के अनुसार, लक्षाशायर की मिल का एक थ्रमिक २६७ भारतीय श्रमिकों के बराबर वाम करता है। डॉ० गिलग्रेट स्टेटर के मतानुसार, इन मण्णनाओं में भारतीय थ्रमिकों की अकुशलता अधिक बटा-चड़ाकर प्रदर्शित की गई है। भारत और इंग्लैंड में एक वरघे (लूप) का चलाने के लिए लगाय गए थ्रमिकों की सख्त्य से परिस्थिति का यथार्थ अवन नहीं होता। भारत में अधिक व्यक्ति खगाए जान का बारण यह है कि इनके उत्पादन का मूल्य दिय गए पारिथमिक की अपक्षा अधिक होता है। इंग्लैंड में पारिथमिक अधिक होने के कारण श्रमिकों की बरता म निव्ययता करनी पड़ती। डॉ० स्टटर भी यह स्वीकार करते हैं कि यद्यपि भारतीय थ्रमिक की अकुशलता अधिक बटा-चड़ाकर प्रदर्शित की जाती है परन्तु इसका अस्तित्व प्रसिद्ध है। इंग्लैंड के थ्रमिकों की अपक्षाकृत कही अच्छी शारीरिक गठन, लगातार वाम करने की शक्ति, अनुसासनबद्धता के बारण इसमें काई आश्वर्य नहीं कि व भारतीय थ्रमिक की अपक्षा अधिक कुशल है। उपर्युक्त प्रकार के गणितरक अनुमानों को अपनान में सावधानी स वाम लना चाहिए। भारतीय गिलों के कम उत्पादन का उत्तरदायित्व बदल भारतीय थ्रमिक पर ही नहीं रखा जा सकता। इसका आशिक कारण प्रबन्ध वीं अकुशलता भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त कपास की खराबी के बारण भी सूत बराबर दटा करता है परिणामस्वरूप अधिक आदमी काम म लगाने पड़ते हैं। यह भी शिकायत है कि लक्षाशायर व मिल मालिकों की तरह भारत के मिल मालिक अवनन मारीनों का उपयोग नहीं करत।

उद्योग-आप्नोग व मनानुसार निम्नतम मजदूरी के बावजूद भारतीय थ्रमिक वा उत्पादन पाइचात्य थ्रमिका स सस्ता नहीं पड़ता। १६०८ म डा० नंयर न कहा कि “यदि लक्षाशायर वा एक थ्रमिक भारत के २६७ के बराबर है तो लक्षाशायर में काम करने वाले की मजदूरी ४ पनी या ६० रु है, जबकि मद्रास के एक मजदूर की मजदूरी १५ रु है। इस प्रकार स्पष्ट है कि समान व्यय करने पर अग्रेज मिल-मालिक की तुलना म भारतीय मिल-मालिक लगभग द्वना काम करा लेत है।” इसका अभिप्राय यह हुआ कि बस्तुत भारतीय थ्रमिक अधिक कुशल है। किन्तु अप-

१. काम क धर्मा और पारिथ्रमिक-भन्नधी अन्नाय के बारण एक कारखाने से दूसरे कारखाने में बदली हानी होती है। प्रामाणिक भन्नदूरी के अभाव में कारखाना छाड़ने की भावना और प्रबल होती है—(आर० क० दास फैक्ट्र लेवर इन इडिया, पृ० ४४-५)। मन्यस्य (नावर) न कारण भी इन काम म कारी कुशलता पैदा हो गहरा है। इस दूर करने के लिए सरकारी कृत्त व्यरा को बाज में लाया जाएगा।

तो यह सर्वमान्य है कि पाइन्चार्ट अधिक की तुलना में भारतीय अर्थिक अकुशल है।^{१०} १२ भारतीय अर्थ की अकुशलता के कारण—अकुशलता के कुछ स्थायी कारण हैं, परन्तु कुछ अस्थायी और उपचार-योग्य कारण भी हैं। प्रथम प्रकार के कारणों में भारत की जलवायु का नाम लिया जा सकता है जो कि अधिक ऊँची कार्यक्षमता के प्रतिकूल है। उदाहरण के लिए, यदि हम कपास के उद्योग के बारे में सोचें तो भारत की मिलों की अपेक्षा लकाशायर की ठण्डी और प्राणदायी जलवायु बहुत ही अनुद्वृत है। इस प्रकार लकाशायर अधिक लाभप्रद स्थान पर स्थित है। भारत की उपर्युक्त जलवायु को ध्यान में रखते हुए यह भी बहुत जा सकता है कि वास के घट्टे अब भी काफी लम्बे हैं और इस कथन म पर्याप्त सत्य है कि भारतीय अर्थिक की ढील डालने और विश्वामित्र लन की आदत स्वास्थ्य-रक्षा का एक उपाय है जिसे वह अचेतन रूप से अधिक कठोर परिथम से अपनी शारीरिक रक्षा के लिए अपनाता है। यह निविदाद है कि भारतीय अर्थिक की शारीरिक शक्ति एक योगेज की अपेक्षा बहुत है। इसके दो प्रधान कारण हैं—(१) दीमारी के कारण होने वाली हानियाँ, (२) भोजन में कमी। जैसा कि स्पष्ट है भारत के गांवों में भी मलेरिया, लेग, हैजा, काला अजार, टूक वर्म जैसी दीमारिया होती है, परन्तु घनी आवादी वाले औद्योगिक क्षेत्रों में उनका प्रभाव कही अधिक है। अंधेरी और घनी वसी कौठरियों (स्लम्स) में दीमारियाँ पलती हैं। इन स्थानों में उनके प्रसार की आदर्श दशाएँ होती हैं।

जहा तक भोजन की कमी का सबाल है, वह समस्त भारत से सम्बन्धित है और इसका विस्तृत विवरण अध्याय ४ में किया जाएगा।

१३ आवास (हाउसिंग) की परिस्थितियाँ—अधिकाश औद्योगिक नगरों में ऐसी घनी आवादी और सफाई की दुर्बर्थाएँ हैं जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बहुत अधों में यह अर्थ की अकुशलता के कारण है। उन औद्योगिक क्षेत्रों में, जहाँ कारखाने नगर से कुछ दूर स्थित हैं, मजदूरों की आवास सम्बन्धी समस्या अपेक्षाकृत सरल है। यहीं स्थिति कलकत्ता के औद्योगिक क्षेत्रों में भी है। इन स्थानों में वर्मर्इ वी अपेक्षा तम दाम पर भूमि मिल जाती है। यहाँ मजदूरों के घर फोपडियों की कतारे हैं जिन्हें वस्ती कहा जाना है। ये भोपडे मिल-मालिकों द्वारा नहीं बनाये गए हैं और मिलों में काम करने वालों को उचित किराय पर दिय जाते हैं। कुछ स्थानों, जैसे बांग्लादेश कलकत्ता और अहमदाबाद, में बुद्धिमान् नियोक्ताओं ने स्वयं अर्थिकों के लिए रहने के स्थान बनवाए हैं जाकि वे अर्थ-बाजार पर प्रभाव स्थापित कर सकें।

१० श्री (अब हिन्दूमेलेन्सी सर) एच० पी० मादी ने, जो कि वर्मर्इ मिल-मालिक रुप के चेयरमैन थे, अपनी भौतिक गतिहाई में अम-आयोग के समक्ष अम-कुशलता के निम्न आकड़े दिये 'ज्ञापन में एक बुनदे वाला १० करबे देखता है, उसकी कुशलता ६५% है। चीन में एक बुनदे वाला ४ करबे देखता है, उसकी कुशलता ८०% है। अमर्इ में एक बुनदे वाला २ करबे देखता है, उसकी कुशलता ८०% है। चन और बायान की गणना के बाथार पर एक बुनदे वाला वर्मर्इ में चीन, बापाल और अपेक्षा २००% और ३००% अधिक पाता है।'

और उम प्रकार के धर्म को प्राप्त कर सके जिम पर प्रधान रूप से कपास की मिले चलती है।¹ अन्य श्रीदेवीगिक वेन्द्रो की अपदान अहमदाबाद में मजदूरों के रहने की व्यवस्था अधिक खराब है। प्राप्त सभी श्रीदेवीगिक वेन्द्रो में घनी आवादी की समस्या बढ़ती गई है, क्योंकि श्रीदेवीगिक विवास के लिए स्थान चुनन पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं रखा जाता। इस दुर्बलवस्था का यही कारण है। श्रमिक वर्ग में से अधिकादा चालों में रहते हैं जोकि प्राप्त एक कमरे की होती है, लेकिन इनमें दो से अधिक कमरे नहीं होते। इन चालों का प्रधान उद्देश्य सस्ते-से-सस्ते म अधिक-से-अधिक श्रमिकों को तिवास-स्थान देना है।²

अधिक श्रामिकों का निवास-स्थान दना ह। १४ आवास की कठिनाइयों और स्वच्छता की कमी के दुष्परिणाम—“अच्छे घरों का अर्थ है, गृह-जीवन की सम्भावना, मुख और स्वास्थ्य, बुरे घरों का अर्थ है, गन्दगी, शराबलोरी, दीमारी, आचारहीनता, व्यभिचार और अपराध। इनके लिए अस्ताल, जेल और पागलखानों की आवश्यकता होती है, जहाँ समाज के भ्रष्ट और पतित लोगों को छिपाया जाता है जो स्वयं समाज की लापरवाही के ही परिणाम हैं।” अपूर्ण और गंदे मकान भी औद्योगिक अशान्ति का बारण है। ये सब बुराइयाँ न्यूनाधिक मात्रा में बम्बई में पाई जाती हैं। इनमें से एक सबसे बड़ी बुराई अधिक सख्त्या में शिशु मृत्यु है जो बम्बई की गन्दी वस्तियों (स्लम्स) में पाई जाती है। मृत्यु-सख्त्या निवास क कमरों के विपरीत अनुपात में है। उदाहरण के लिए, १९३६ में एक कमरे वाले निवास स्थानों में मृत्यु सख्त्या ७८ ३ प्रतिशत थी।^१ सबसे गंदे स्थानों में मृत्यु-दर २६८ प्रति-हजार थी जबकि साधारण दर २०० से २५० प्रति-हजार ही थी।^२ अन्त में चाल के जीवन की भयकर दशाएं तथा गोपनीयता के अभाव के कारण लोग अपने कुटुम्ब को नहीं ला पाने, जिससे श्रम की कुशलता और स्थिरता पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। श्रम जांच समिति (लेवर इन्वेस्टीगेशन कमेटी) इस परिणाम पर पहुँची कि शिक्षा और औपचार्य-सम्बन्धी सहायता की भाँति सरकार को औद्योगिक आवास का भी उत्तरदायित्व संभालना चाहिए।

आद्यागक आवास का भा उत्तरप्रदेश राजनीति में है। १५ सुधरे आवासों के लिए प्रयास—१६२० तर नगरपालिका (म्युनिसिपलिटी) ने भी अपने कर्मचारियों के लिए २,६०० मकान बनवाए और २,२०० के लिए स्वीकृति दी। पोर्ट ट्रस्ट ने ५,००० व्यक्तियों के लिए मकान बनवाए। इवर नगर की जन-सत्या बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, परन्तु भिल-मालिकों ने अपन मज़बूरों के आवास के लिए कोई प्रयास नहीं किया। घनी आवादी से बचने वे लिए तथा अच्छी आवास-

१०. अमिक नियोजनाओं द्वारा दी गई आवाम-सुविधाओं से पूरा-पूरा लाभ नहीं उठाते। करण यह है कि इसमें उनकी स्वतन्त्रता में वाधा पहुँचनी है, क्योंकि हड्डतान और लिल-बन्दी के समय वे उन आवामों से निकाल दिये जाने ह। उनके अन्य कार्यों की, जिन्हें नियोजना अनुचित समझना है, लिंग-रानी से अवश्य होगी। बी० गिराव, 'इण्डस्ट्रियल बर्कर इन श्रीटिया'।

रानी भी अवश्य होगा। वार्षिक ग्रन्थालय, देवदासपुर, राजस्थान-४१
पृष्ठ ३०, अम-आयोग ३, रिपोर्ट, पैरा -४१ भी देखिए।

२ हर्ट—पूर्वाध्यत, प० ३०, अम-अधिकारी ८, त्रिपाठ, परा २५० ।
हर्ट—सिलेस इन्डियन कम्पनी, बम्बई, १८३६, पैरा २६ ।

३. रिपोर्ट आक दि रेण्ट इन्वेस्टर कमटा, बन्वद, १२७५, ५२।

ପ୍ର. ଅନୁ ଆନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦୀ, ୨୭୧ ।

व्यवस्था के लिए उद्योग आयोग ने कुछ अपवादसहित नई कर्मों की स्थापना के लिए स्वीकृति देना बन्द करने की सिफारिश की।^१ औद्योगिक विकास के लिए एक विशिष्ट शेत्र चुनने, रेलवे के कारखाने नगर से उचित दूरी पर स्थापित करने, रेलवे, सरकार और सार्वजनिक सम्याग्रोद्धारा अपने नौकरों को निवास-स्थान देने, उपनगर-निर्माण के लिए सचार-साधन के आयोजन तथा नगर में स्थित आवासों में रहने की सम्या का निश्चित प्रमाप तथा स्थानीय अधिकारियों द्वारा निर्माण योजना बनाने और कार्यान्वित करने की सिफारिशें भी की। १९१४-१५ के युद्ध के उपरान्त बम्बई सरकार द्वारा इस समस्या को सुलझाने के लिए सुविस्तृत योजना तैयार की गई। इसके लिए ह करोड़ के विकास-करण तथा बम्बई आने वाली सभी कपास पर १ रु० प्रति गाँठ के हिसाब से नगर-कर (टाउन ड्यूटी) लगाकर आवश्यक धन इकट्ठा किया गया। किन्तु इस प्रकार बनी कितनी ही चाले, विसेपकर 'कोरली' की चाले, लगभग दस साल तक खाली पड़ी रही। इनमें रहने के लिए मजदूरों के अस्करित न होने के निम्न कारण थे—बहा तक पहुँचने की कठिनाइयाँ, बाजार-सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव, उनका सीमेण्ट से बना होना—जिसके कारण वे गरमी में अधिक गरम तथा जाढ़ में अत्यन्त ठण्डी रहती है—किराये की ऊँची दर तथा प्रकाश-सम्बन्धी व्यवस्था और पुलिस-सुरक्षा का अभाव। इन दोषों को दूर करने के लिए कुछ प्रयास किये गए हैं।

कानपुर, नागपुर, अहमदाबाद, मद्रास इत्यादि स्थानों में अधिक सुविधाजनक परिस्थितियाँ हैं। यहाँ पर मिल-मालिकों ने कर्मचारियों के हित पर अधिक ध्यान दिया है। इससे दोनों दलों को लाभ हुआ है। इस सम्बन्ध में एम्ब्रेस मिल्स, नागपुर और टाटा के जमशेदपुर के लोहे और इस्पात के कारखानों के प्रबन्धकों द्वारा किये गए आवास-सम्बन्धी सुल्त्य प्रयत्नों की चर्चा करना उचित है। इस समय कर्मचारियों के मकान की समस्या को हल करने में प्रधान कठिनाइयाँ निर्माण के लिए उचित स्थलों का अभाव, अम तथा भवन-निर्माण सामग्री की ऊँची कीमतें और अभाव हैं।

थम आयोग ने अनेक प्रकार के सुभाव पेश किये—(१) भूमि प्राप्त करने के अधिनियम को इस प्रकार सशोधित किया जाए ताकि मिल-मालिक कर्मचारियों के हेतु मकान बनवाने के लिए भूमि प्राप्त कर सकें। अतएव १९३३ में स्वयं भारत सरकार ने इस अधिनियम को सशोधित किया। (२) प्रान्नीय सरकारें उद्योग और नगर-क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर आवास-सम्बन्धी आवश्यकताओं का पता लगाएं और दलों के सहयोग के लिए व्यावहारिक योजनाओं पर परस्पर-परामर्श का प्रबन्ध करें। (३) सरकार को एक निम्नतम मात्रदण्ड स्थापित करना चाहिए जिसमें घनफल, स्थान, हवादारी, प्रकाश आदि की उचित व्यवस्था हो। (४) जहाँ आवश्यक हो नगर आयोजन अधिनियम पास किये जाएं। (५) प्रत्येक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट पर वैध-रूप से अधिकारी के लिए भवन-निर्माण का उत्तरदायित्व रखा जाए। (६) सरकारी आवास-समितियों को प्रोत्साहन दिया जाए। (७) स्वास्थ्य, सफाई और आवास से सम्बन्धित उपनियमों को सशोधित एवं अद्यतन बनाया जाए और उन्हें कठोरता के

१. यह सुमात्र रवीकार कर लिया गया और दम्बई खास में नह मिलें नहीं बनायी जाती।

साथ लागू किया जाए। (श्रम आयोग रिपोर्ट, अध्याय १५)'

कानपुर श्रम जौच समिति ने श्रपनी रिपोर्ट (पैरा २११-१२) में सिफारिश की कि प्रान्तीय सरकार को ५० लाख करण लेना चाहिए और ५ वर्ष तक १० लाख प्रतिवर्ष इम्प्रूवमेट ट्रस्ट को श्रमिकों के लिए १२,००० मकान बनवाने के लिए दें। १६३८ में बम्बई सरकार द्वारा नियुक्त किराया जौच समिति (रेण्ट इन्वायरी कमटी) ने एक दस वर्षीय आवास-योजना अपनाने की सिफारिश की, जिसमें राज्य की सहायता से नगरपालिकाओं द्वारा छोटे-छोटे और सस्ते मकानों के निर्माण का सुभाव रखा गया था। समिति ने यह भी मुझब रखा कि १०,००० या इससे अधिक श्रमिकों को रखने वाला नियोजित कमन्से-कम २५ प्रतिशत श्रमिकों के लिए आवास की व्यवस्था दें।^१

तीसरी पचवर्षीय योजना में मकानों तथा शहरों की उन्नति पर २२७ करोड़ रुपया रखा गया, चौथी योजना न ६८० करोड़ रुपया। निजी क्षेत्र में १३५० करोड़ रुपया रखा गया और चौथी योजना में १८७० करोड़ रुपया रखा जाएगा।^२

श्रीद्योगिक आवास सम्बन्धी आधुनिक प्रयत्न—श्रमिकों के आवास के लिए इवर हाल में कुछ महत्वपूर्ण प्रयत्न किये गए हैं। अप्रैल १६४८ में बेन्द्रीय सरकार ने १० वर्ष में श्रमिकों के लिए १० लाख मकान बनाने का निर्णय किया। अप्रैल १६४६ में श्रमिकों के आवास के लिए अपशित पूँजी के आधार पर एक नई योजना बनायी गई। इसके अन्तर्गत $\frac{3}{5}$ पूँजी बेन्द्रीय सरकार तथा $\frac{2}{5}$ पूँजी प्रान्तीय सरकार या उसके द्वारा प्रस्तावित नियोजना देता। यह योजना भी सफल नहीं हुई क्योंकि राज्य सरकारों से उचित सहयोग नहीं मिल सका।

राज्यीय सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों के प्रतिनिधियों से परामर्श वरने के बाद भारत सरकार न बिनम्बर, १२५२ में आर्थिक महायना प्राप्त श्रीद्योगिक आवास-योजना (सविसडाइज़ इण्डस्ट्रियल हाउसिंग) को अन्तिम रूप दिया। यह १६४६ की योजना का संशोधित रूप था।

१६६६ के अन्त तक इम योजना के अन्तर्गत ६४,५४८ मकान बन जायेंगे। इसके लिए तीनरी योजना में २६८ करोड़ रुपया रखा गया था।

१०,०५,२७७ घरों में से ७६,००० घर अर्थात् ७५% १६५८ के अन्त तक बन चुके थे। स्वीकृत राशि में से १६३१ ४७ लाख रुपये की रकम १६५८ के अन्त तक दी जा चुकी थी। १६५७ में आवास-मन्त्रियों के द्वारा सम्मेलन की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सहशारी समिनियों को दिये जाने वाले करण की मात्रा ५० प्रतिशत स बढ़ाकर ६५ प्रतिशत तथा निजी नियोक्ताओं को दो जान वाली करण की मात्रा ३७ $\frac{1}{2}$ प्रतिशत

१. नगरपालिकाओं द्वारा आवास-मन्त्रालय में एक कठिना—यह है कि वे विशेष रूप से स्लन के नालिकों द्वारा प्रभावित और पर्टिक्युलर होते हैं।

२. रिपोर्ट ऑफ़ दि रेण्ट इन्वाक्शन कमेटी (इन्वै), १२३६, पैरा ८५-७।

३. रिंब्र दैक रिपोर्ट।

से बढ़ाकर ५० प्रनिशन कर दी गई। अन्नद्वार, १९५८ में आवास-मन्त्रियों का तीमरा सम्मेलन दार्जिलिंग में हुआ। इसकी सिफारिशों सरकार के विचाराधीन हैं।

सभी राज्यीय सरकारे औद्योगिक आवास के वार्षिक्रम में आगे बढ़ रही है। विभिन्न राज्यों में इस सम्बन्ध में आवश्यक विधान भी पास लिये जा चुके हैं, उदा-हरणार्थ, वाम्बे हार्डिंग एक्ट, मैसूर लेवर हार्डिंग एक्ट, १९४४, मध्य प्रदेश हार्डिंग बोर्ड एक्ट, १९५० तथा यू० पी० शुगर एण्ड पावर अलबोहल इण्डस्ट्रीज लेवर बेलफेस्ट एण्ड डेवलपमेण्ट एक्ट, १९५१। इसके लिए आवश्यक घन केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अनुदान, नियोक्ताओं के अशदान तथा वाम करने वालों से प्राप्त किराये द्वारा निलंबन है। प्रथम पचवर्षीय योजना के १३ लाख घरों की तुलना में द्वितीय योजना के अन्तर्गत १६ लाख घर बनाने की व्यवस्था है। १९५८ से योजना के प्रारम्भ में प्रस्तावित १२० करोड़ रुपये की राशि घटाकर ८४ करोड़ रुपये कर दी गई। द्वितीय योजना के अन्तर्गत आवास-सम्बन्धी निम्न योजनाएं चालू हैं।

(क) ग्रामिक सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास-योजना, (ख) गन्दी वस्तियों (स्लम्स) को हटाने की योजना, (ग) निम्न आय वाले बांग की आवास-योजना, (घ) रोपण-उद्योग के अभिकों की आवास-योजना, (च) ग्रामीण आवास-योजना तथा (छ) मध्यम आय वाले बांग की आवास-योजना। इनमें से (क), (ख) और (ग) औद्योगिक अभिकों से सीधे-साथे सम्बन्धित हैं।

पहली योजना की चर्चा उपर की जा चुकी है। गन्दी वस्तियों को हटाने की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार राज्यीय सरकारों को सहायता देती है। राज्यीय सरकार मूलिकियत या अन्य स्थानीय निकायों को गन्दी वस्तियों के हटाने तथा उनमें रहते वालों को पुन वसाने के लिए सहायता देती है।

नवम्बर, १९५८ तक २० ५५ करोड़ रुपये की लागत की १६१ ऐसी योजनाएं आनंद्र प्रदेश, यासाम, बिहार, बम्बई, बेरल, मध्य प्रदेश, मैसूर, उडीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल से प्राप्त हुईं। दिसम्बर, १९५८ तक १०३ योजनाएं मजूर हो चुकी थीं, जिनके अन्तर्गत १८,८४८ घर बनाने तथा ६,७४३ खुले हुए प्लाट वा विकास समिलित था।

१६. मजदूरी की दर—कारखानों में वाम करने वाले अभिकों की प्रतिव्यक्ति वार्षिक (ग्रोसत) मजदूरी-सम्बन्धी आंकडे विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों से पारिश्रमिक भुगतान अधिनियम १९३६ के अन्तर्गत एकत्रित किये जाते हैं। इन आंकडों के आधार पर निष्कर्ष निकालते समय सावधानी बरतने वाले जरूरत हैं। १९३६ के पारिश्रमिक भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत मजदूरी से अभिप्राय द्रव्य से प्रदर्शित करने योग्य उस सभी राशि ने है जो काम के वदले में पूर्व-निर्धारित रातों के अनुसार मिले। इस राशि में निम्न समिलित नहीं है—(क) मकान, प्रकाश, पानी इत्यादि वा मूल्य, (ख) नियोक्ता द्वारा पेन्द्रान कोष अथवा पूर्वोपाय कोष के लिए दिया गया अवासदान, (ग) सफर का भत्ता या इस हेतु दी गई रियायतें, (घ) विशेष व्यय पूरा करने के लिए दी गई राशि, और (च) निकाले जाने पर प्राप्त राशि (gratuity)।

यह कहना बड़ा कठिन है कि अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत पारिश्रमिक-सम्बन्धी पांचडे कहीं तक एक स्पष्ट होते हैं। कारखानों को निम्न पांच मदों के अन्तर्गत सूचना देनी होती है।

(१) आधार मजदूरी (Basic wages), (२) नकद भत्ता, जिनमें महगाई का भत्ता भी शामिल है, (३) रियायत या छूट या द्राविक मूल्य, (४) बोनस तथा (५) बकाया (arrear)। तीसरी मद में भिन्नता की पर्याप्त गुजाइश है क्योंकि द्राविक मूल्य निकालने के लिए कोई सर्वभान्य आधार नहीं है। इसके अलावा सभी कारखाने पह सूचना प्रस्तुत नहीं करते। सूचना देने वाले कारखानों की संख्या प्रतिवर्ष अलग-अलग होती है। अतएव इनके आधार पर प्रतिवर्षिक वार्षिक पारिश्रमिक पूरणत तूलना योग्य नहीं होता।

सरकार की उदार थम नीति के कारण पारिश्रमिक म बढ़ने की स्पष्ट प्रवृत्ति है। सन् १९५८ के विभिन्न निर्णयों और समझौतों का परिणाम सम्बन्धित उद्योगों में किसी-न-किसी रूपम पारिश्रमिक की वृद्धि ही रहा है। उदाहरणार्थ पश्चिमी बगाल के सूती बस्त्र उद्योग में जून १९५८ के निर्णय के अनुसार वेसिक मजदूरी २८ १७ रुपय तथा महगाई भत्ता ३२ ५० रुपये और इस प्रकार कुल मासिक मजदूरी ६० ६७ रुपय हो गई, जबकि १९४८ के आधिकारिक ट्रिव्युनल ने २० रु० २ आ० ५ पा० की वेसिक मजदूरी तथा ३० रु० का महगाई भत्ता निश्चित कर कुल मासिक मजदूरी ५० रु० २ आ० ५ पा० निर्धारित की थी। बढ़ते हुए मूल्यों को हाईट मे रखने पर मजदूरी की वृद्धि पर आश्चर्य नहीं किया जा सकता।

वास्तविक वेतन म बढ़ोतरी हुई, यद्यपि कीमते बढ़ी है, इसका पना हम निम्न तालिका से चलता है—

	१९५७	१९६३
(१) आम सूचाक वेतन का	१७०	१६५
(२) भारतीय श्रमिक संघ उपभोक्ता कीमतों का सूचाक	१२८	१५४
(३) वास्तविक वेतन का सूचाक	—	—
	१३४	१२६

१७. रहन-सहन का निम्न स्तर—भारतीय कृषक की अकुशलता का एक प्रधान कारण उसके रहन-सहन के स्तर की निम्नता भी है। पूर्ण कुशलता के लिए आवश्यक जीवन यापन स्तर से भारतीय श्रमिक का स्तर बहुत नीचा है। इस आमदनी से सन्तोष-जनक जीवन-स्तर कायम रखना प्राय असम्भव सा ही है। काम करने वाला स्वास्थ्य-वर्धक भोजन नहीं खरीद सकता, चाह वह अपनी आय बित्ती ही बुद्धिमानी से खर्च करे। हम रहने के मकानों के सम्बन्ध में दयनीय अवस्था का विवरण पहले ही केर आए हैं। देश की गरम आवहना को ध्यान में रखते हुए उसके कपडे बहुत ही कम हैं। शिक्षा पर होने वाला व्यय प्राय नहीं के बराबर है। उसके फर्नीचर है कुछ

लकड़ी के हूटे सन्दूक, लोहे की चढ़ार के बक्स, बांस के डडे, देशी कम्बल और कागजों पर वने कुछ पौराणिक चित्र।

भारत सरकार श्रमिक-परिवारों के रहन-सहन-सम्बन्धी सर्वेक्षण ५० प्रमुख ओद्योगिक केन्द्रों में कर रही है। सर्वेक्षण-कार्य अगस्त-सितम्बर, १९५८ में प्रारम्भ किया गया। अनेक राज्य भी पारिवारिक बजट-सम्बन्धी जांच कर रहे हैं।

१९५१ की जनगणना के अनुसार १.६ करोड़ मकान शहरों में है और प्रति घृह के हिस्से में १.६३ वर्ग आते हैं। प्रति कमरा घर के सदस्य २.६ हैं। खाद्य के उपभोग पर ६१.४ प्रतिशत आय-भाग खर्चा जाता है। कोयले और बिजली पर ६.३ प्रतिशत, कपड़े पर ६.२ प्रतिशत।

१८. शराबखोरी पर व्यय—कारबाहों में काम करने वालों में शराबखोरी बड़ी ही तीव्र गति से फैल रही है। लगभग कुल आय का ४ प्रतिशत शराब पर खर्च होता है। यह सर्व्या परिवार-बजट की साक्षी पर दी जा रही है। भगी जैसे निम्न श्रेणी के श्रमिकों के मामले में यह सर्व्या १० प्रतिशत तक पहुंच जाती है। पुरुष श्रमिक (स्त्रियाँ शायद ही कभी पीती हैं) अपने दिन के बठोर श्रम को भूलने के लिए शराब की शरण लेता है। शराब पीने की अभिलाषा और गन्दे निवास-स्थान, काम करने की अस्वास्थ्यकर परिस्थिति, दरिद्रता तथा भोजन की कमी में कुछ अनिवार्य-सा सम्बन्ध है। यदि शराब पर खर्च किया जाने वाला घन अच्छा भोजन खारीदने पर व्यय किया जाए तो भोजन की कमी कुछ अश में घट जाए। श्रमिक न केवल दरिद्र है वरन् वह अपनी आय को अच्छी तरह व्यय करने में भी अयोग्य है। शराबखोरी पर होने वाला व्यय उसकी दरिद्रता को और बढ़ाता है तथा दरिद्रताजन्य परिस्थितियाँ शराबखोरी को और बढ़ाती हैं।

स्वतन्त्र भारत के सविधान में शराबखोरी को पूर्णतया समाप्त करने के लिए कहा गया है। दिसम्बर, १९५४ में नियुक्त मद्य-नियेध जांच-समिति की यह महत्व-पूर्ण सिफारिश कि मद्य-नियेध की योजनाओं को विकास-योजनाओं का अग बना देना चाहिए, ३१ मार्च १९५६ को ससद का समर्थन प्राप्त कर चुकी है। सभी राज्य इस दिशा में प्रयत्नशील हैं। बम्बई मद्य-नियेध अधिनियम, १९५६ के १९५६ के सशोधन ने सम्पूर्ण बम्बई राज्य में (चन्दा ज़िले के विशेष रूप से उल्लिखित स्थानों को छोड़कर) मद्य-नियेध की घोषणा कर दी।

१९. ऊँची मजदूरी का पक्ष—नियोक्ताओं वा कथन है कि यदि मजदूरी अधिक दी जाती है तो उसका आधिकाश शराबखोरी में खर्च हो जाता है और श्रमिकों की नुस्खी बढ़ जाती है। श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि नहीं होती और न उसका जीवन-यापन का स्तर ही ऊँचा उठता है। प्रो० पीयू इस आक्षेप का निवारण निम्न शब्दों में करते हैं—

“इसमें सन्देह नहीं कि गरीबों की मनोवृत्ति अपने बातावरण के अनुदूल ढल जाती है और अचानक आमदनी बढ़ जाने से अवश्य ही अनेक देवकूफों के खर्च किये जाएंगे, जिनसे स्वभावत आर्थिक सुख की अधिक वृद्धि या कुछ भी वृद्धि नहीं होती।”

किन्तु यह वृद्धि कुछ अधिक दिन तक कायम रहे तो यह दशा समाप्त हो जाएगी। और यदि यह वृद्धि कमिंग होगी तो यह वेवकूफी की दशा शायद आए ही नहीं। लेकिन यह कहना कि गरोब आदियों की फिल्मवर्ची और वेवकूफी इतनी अधिक है कि उसकी आय में वृद्धि ही अवाञ्छनीय है, क्योंकि उससे आर्थिक सुख-समृद्धि की वृद्धि ही नहीं होगी, नितान्त भ्रामक है।^१

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की दशा भी पारिश्रमिक को समता की ओर से जाने में भयानक बाधा डाल रही है। यह तो मानना पड़ेगा कि कम-से-कम अल्पकाल के ही लिए कोई भी देश अपने श्रमिकों से भरपूर परिश्रम लेकर काफी साम उठा सकता है। लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि सभी देश इसी नीति का अनुसरण करें। यह कहा जा सकता है कि अत्यन्त घोर परिश्रम से अर्जित व्यापार में स्थायी साम नहीं होगा, क्योंकि अन्त में इस प्रकार के श्रम का परिणाम यह होगा कि कार्यक्षमता घट जाएगी। इसके विपरीत कोई भी सम्य देश यह नहीं भूल सकता कि उत्पादन-वृद्धि के आर्थिक आदर्श के समान ही महत्वपूर्ण आदर्श मानव-जीवन को उच्चतर बनाना है।

२० निम्नतम वंघ मज़दूरी^२—जनेवा में हुए १६२८ के ११वें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में एक ऐसे यन्त्र के निर्माण और कायम रखने पर जोर दिया, जिसके द्वारा विशिष्ट व्यापार और उद्योग में लगे कर्मचारियों के लिए एक न्यूनतम वेतन का मानदण्ड निश्चित किया जाए। यह ऐसे उद्योगों, विशेषकर गृह-उद्योगों, से सम्बन्ध रखता है जिनमें वेतन का कोई निश्चित मानदण्ड नहीं है और जिनमें पारिश्रमिक काफी नीचा है। श्रम आयोग का सुझाव है कि न्यूनतम पारिश्रमिक-निर्धारिक यन्त्र की स्थापना स पहले ऐसे उद्योगों को चुनना होगा जिनके सम्बन्ध में यह निश्चित धारणा है कि उनमें वेतन की दशा शोचनीय है और विस्तृत गवेषणा बाज़ूदीनीय है। इन गवेषणाओं का आधार पर यह निश्चित किया जाए कि व्या न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण व्यवहार्य और वाञ्छनीय है^३। इस प्रकार के निरुंय के पश्चात् व्यय पर विशिष्ट रूप से अंख रखनी होगी, क्योंकि नियोक्ताओं की उदासीनता और कर्मचारियों के अज्ञान वे कारण इन नियमों के पालन में बड़ी असुविधा और शिखिलता होती है। यदि विना भयकर परिणामों के बाज़ूदीय उद्देश्य प्राप्त करना है तो गति को धीमा करना होगा।^४

१६८८ में नियुक्त विहार श्रम जात्य-समिति ने जून, १६४० में रिपोर्ट दी तथा अन्त में श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए १५० सिफारियों की। १६४७ के केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट ने ऊँची श्रेणी से लेकर नीची श्रेणी के सरकारी

१. ए० सी० पी०, 'इनानिक्स आफ वेलफेदर'।

२. देखिए, दरटथन जनल आफ इनामिक्स, बॉफेरेम न्वाहर १६४०, म-दूरी विधान तथा भारतीय दराओं से इनका सम्बन्ध, दी० आर० सेठ और एम० पी० सज्जेना।

३. ए० आ० प्र०, २१०-१४।

कर्मचारियों के लिए वेतन का एक नया ढाँचा स्वीकार करने की सिफारिश की है। इसके प्रस्ताव के अनुसार न्यूनतम वेतन ३० रुपये माहवार से कम न होना चाहिए और अधिकतम वेतन २००० रुपये माहवार से अधिक नहीं होना चाहिए।

१६४८ में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पास किया गया। यह अधिनियम केन्द्रीय और राज्यीय सरकारों से अनुसूचित उद्योगों में नियत अवधि के भीतर कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने की अपेक्षा रखता है। अधिनियम के अन्तर्गत कर्मचारी (employee) से अभिश्राय किसी भी किराये या पुरस्कार वे बदले काम पर लगाये कुण्डल या अकुण्डल, हाथ के या दफतर आदि के काम में लगे व्यक्तियों से हैं। १००० से कम साल्हा में कर्मचारियों को रखने वाले रोजगारों को न्यूनतम मजदूरी निश्चित करना आवश्यक नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत पुरुष, बवस्क, बच्चा और प्रशिक्षार्थी, सभी के निए विभिन्न पेशी, स्थानों अथवा काम की प्रकृति के अनुसार (क) न्यूनतम समय दर, (ख) न्यूनतम कार्यानुसार दर, (ग) गारण्टी की हुई समय दर तथा (घ) निश्चित समय से अधिक काम की दर अथवा अधिसमय दर निर्धारित करने की व्यवस्था है। न्यूनतम मजदूरी (सशोधन) अधिनियम, १६५७ ने अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की तिथि बढ़ाकर दिसम्बर १६५६ कर दी। सशोधन अधिनियम ने यह व्यवस्था भी की है कि जिन अनुसूचित उद्योगों में निर्धारण के ५ वर्ष तक मजदूरी का पुनर्व्यक्षण (रिव्यू) नहीं हुआ है, वहाँ मजदूरी का पुनर्व्यक्षण किया जाए।^१ १६६१ में इसमें थोड़ा और परिवर्तन साया गया।

२१ ऋणिता—भारत के अधिकाज्ञ श्रमिक अपने क्रियाशील जीवन में ऋणी रहते हैं। ऐसा अनुमान किया गया है कि कितने ही उद्योग-बन्दों में लगभग दो-तिहाई श्रमजीवी ऋणी हैं और उनका ऋण तीन महीने में गिलने वाले पारिश्रमिक के बराबर है। श्रम आयोग ने सुभाव रखा था कि ३०० ह० प्रति मास से कम पाने वाले सब श्रमजीवियों के वेतन को कुर्की से मुक्त कर देना चाहिए और पूर्वोपाय कोष (प्राविडेण्ड फण्ड) के प्रति अक्षदान से भी श्रमिकों को मुक्त कर देना चाहिए। भारत सरकार ने इसी आधार पर व्यवहार-विधि-सहिता (सिविल प्रोसीजर कोड) को सशोधित किया, ताकि एक निश्चित सीमा के नीचे के वेतन कुर्की से मुक्त रहे। यह भी सुभाव रखा गया है कि ऋण के सम्बन्ध में औद्योगिक श्रमिकों की गिरपतारी और जेल की सजा बन्द कर दी जाए। गिरपतारी और जेल की सजा केवल उन हालतों में दी

१. अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित उद्योग इस प्रकार है। उनीं कालीन, शाल बुनने के कारखाने, चाबल, आटा या दान की चमिकर्याँ, तमाङ् (बीड़ी बनाना समिलित है) बनाने के बारानाने, रोपण, तेल मिल, स्थानीय अधिकारी, सड़क बलाना या निर्माण-कार्य, पत्थर तोड़ना या धीसना, लकड़ि-निर्माण, अभ्रक के कारखाने, सरकारी मोटर परिवहन, सिमाकाशालाएँ और चर्म-निर्माण के कारखाने तथा छूपि। सरकार के यह अधिकार है कि वह अधिनियम को आ य उद्योगों पर भी लागू बर सकती है। प्रत्यक्ष अनेक राज्यों में यह अधिनियम आ य उद्योगों पर भी लागू किया गया है।

जाए जबकि श्रमिक कर्ज़ चुकाने योग्य होकर भी उसे अदा नहीं करता। श्रमिकों के अप्राप्य कर्ज़ को समाप्त करने में सरसरी विधि का उपयोग करना चाहिए और कर्ज़ की अदायगी दो श्रमिक के बेनन के साथ इस प्रकार सन्तुलित करना चाहिए ताकि उसे चुकाने में अधिक वठिनाई का सामना न करना पड़े। कर्जदार श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कानपुर श्रम जौच मणिनि ने मध्य प्रदेश के कर्जदार सुरक्षा नियम (१६३७) के आधार पर उपाय अपनाने का प्रस्ताव किया।^१ इस अधिनियम के अनुसार विमी कर्जदार के साथ बुरी तरह से व्यवहार करना दण्डनीय अपराध है। बगाल में अधिक सीमित अवनियम प्रचलित है। सरकारी करण इस समस्या का अधिक स्पायी समाधान है।^२

भारत में श्रम-विधान

२२ भारत में श्रम-विधान का उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ क्षेत्र—भारत में श्रम विधान इग्लैण्ड-जैसे ओद्योगिक देश के समान महत्वपूर्ण नहीं है। भारत यह है कि यहाँ यान्त्रिक शक्ति का प्रमाण और प्रभाव-क्षेत्र सीमित है। उद्योगीकरण के दुर्गुणों को दूर करने के लिए हटापूर्वक सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है, चाहे इसमें उद्योगीकरण में थोड़ी बाधा ही पहुँचे। अब तक हम यूरोपीय देशों के अनुभव से लाभ उठाने में अमर्फत रहे हैं। अज्ञानता का बहाना किये दिना ही हमने अपने बीच अनेक दुर्गुण ही रखन दिए हैं, जैसे स्लम बाले शहरों का बन्ना, रियु-श्रम का शोपण, बाम के अधिक लम्ब घण्ट, सफाई की कमी, सुरक्षा का अभाव इत्यादि। इन्हे दूर करने का हम अब प्रयास कर रहे हैं।

२३ श्रम विधान की एकहपता की आवश्यकता—१९३५ के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार स्थापित प्रान्तीय स्वतन्त्रता के साथ ही प्रान्तों में लोकप्रिय मन्त्र-मण्डलों का शासन प्रारम्भ हुआ। इन्होंने श्रम की स्थिति के मुघार पर जोर दिया। इससे अनेक प्रान्तीय सरकारों के श्रम अधिनियम में एकहपता का अभाव भी स्पष्ट हुप से लक्षित होन लगा। एकहपता का अभाव निश्चिन हुप से ओद्योगिक प्रगति के लिए धानक है, विशेषकर उन प्रान्तों के लिए जो ओद्योगिक विकास में आगे बढ़े हुए हैं। इस प्रन क पर श्रम-मन्त्रियों और राज्य-प्रशासकों (स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर्स) के प्रथम सम्मेलन में विचार किया गया। सम्मेलन न निश्चय किया कि बेन्फ़ीय सरकार चार अनुबंध विषयों पर जानून बनाए (ओद्योगिक भगट, सरकार छुट्टियाँ, श्रम और उद्योग-सम्बन्धी आकड़ों का सकृन और पारिश्रमिक देने के अधिनियम का सशोधन), जिन पर प्राप्ति और श्रम मन्त्रियों के दूसरे सम्मेलन द्वारा विचार किया जाए।

२४. भारत में फंक्शन विधान का प्रारम्भ—दम्बई में बनाम-उद्योग की प्रगति से लक्षातार के निमाण करन वालों की ईप्पा जाग उठी। इन्होंने आनंदोलन खड़ा किया,

१. दलि, रिपा, पृष्ठ २३७।

२. दलि, भाग १, अन्तर १०, नेत्रन १५।

जिसका दिसावटी उद्देश्य तो भारत के श्रमिकों को लाभ पहुँचाना था, किन्तु अन्तिम उद्देश्य भारत के उद्योगपतियों के मार्ग में बाधाएँ खड़ी करना था। इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप १८७५ में वस्त्रई सरकार ने कारखाना आयोग की नियुक्ति की। फलस्वरूप १८८१ में प्रथम फैब्री अधिनियम पास हुआ।

प्रथम कारखाना अधिनियम के पास होते ही उसमें परिवर्तन करने के लिए आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। किन्तु लकाशायर के हृतों के दबाव के कारण राज्य-सचिव (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) ने हस्तक्षेप किया और १८८१ में एक और भी कठोर अधिनियम पास किया गया। यह कानून कम से कम पचास व्यक्तियों द्वारा शक्ति-परिचालित कारखानों तक लागू होता था। परन्तु स्थानीय सरकारों को इसे बीस व्यक्तियों वाले कारखानों पर भी लागू करने का अधिकार था। बच्चों के लिए निम्न और ऊर्ध्व-आयु की सीमाएँ नमूना ६ और १४ हो गईं। उनके काम के घटे किसी भी दिन ७ से ज्यादा नहीं हो सकते और वह भी ५ बजे प्रातः से ८ बजे सायकाल के बीच में ही हो सकते थे। औरतें किसी भी कारखाने में ८ बजे के बाद और ५ बजे से पहले काम नहीं कर सकती थीं।

२५. १८११ का कारखाना अधिनियम (फैब्री एक्ट) — १८११ का फैब्री एक्ट पास हुआ। इसके अन्तर्गत ४ महीने से कम समय तक काम करने वाले मौसमी कारखाने भी आ गए। इसमें आयु प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया और सूत की मिलों में काम करने वाले श्रमिकों की कार्यविधि ६ घण्टे कर दी गई। इस अधिनियम द्वारा कपास से बिनोला निकालने और उसे दबाने के काम को छोड़कर श्रीरतों का रात में काम करना बन्द कर दिया गया। प्रथम बार प्रौढ़ पुरुषों के घटे वैध रूप से नियमित किये गए, जिसके प्रनुसार कपास की मिलों में १२ घटे दैनिक काम करने की व्यवस्था की गई। जिन कारखानों में पारी-प्रवा (शिपट सिस्टम) है उन्हें छोड़कर कपास के कारखानों में कोई भी व्यक्ति प्रातः ५ बजे से पहले और रात्रि में ७ बजे के बाद काम पर नहीं लगाया जा सकता—ऐ सीमाएँ विशेष रूप से श्रीरतों और बच्चों के लिए थीं। यन्त में स्वास्थ्य और सुरक्षा की व्यापक व्यवस्थाएँ की गईं तथा फैब्री का निरीक्षण और अधिक प्रभावपूर्ण दर्ना दिया गया।

२६. १८२२ का कारखाना अधिनियम — १८१६ में वाशिंगटन में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की मान्यताओं को स्वीकार करने के कारण भारत में थम-विवान सम्बन्धी अन्य परिवर्तन आवश्यकीय हुए। १८२२ के कारखाना अधिनियम (फैब्रीज एक्ट) के प्रनुसार २० से अधिक व्यक्तियों द्वारा शक्ति से परिचालित सभी कारखाने अधिनियम की परिधि में आ गए। स्थानीय सरकारों को स्वतन्त्रता दी गई कि वे इसे दस से अधिक व्यक्तियों वाले कारखानों पर भी लागू कर सकती थीं, चाहे उनमें विद्युत-शक्ति का उपयोग होता हो या नहीं। काम करने वाले बच्चों की निम्नतम आयु १२ और उच्चतम १५ वर्ष कर दी गई। इनके काम के घटे छ तक सीमित कर दिए गए। बच्चे और औरते मुबह ५३ बजे से पहले और शाम के ७ बजे के बाद काम पर नहीं लगाये जा सकते थे। प्रौढ़ पुरुषों के काम के घटे ६० घटे प्रति सप्ताह और ११ घटे

प्रतिदिन से अधिक नहीं हो सकते थे। सप्ताह ६ दिन से अधिक का नहीं हो सकता था। सभी वर्ग के श्रमिकों के लिए मध्यान्तर और विधाम का आयोजन किया गया। ६ घण्टे के बाद १ घण्टे का विधाम आवश्यक घोषित किया गया। इसे श्रमिकों की प्रार्थना पर $\frac{1}{2}$ घण्टे के दो विधामों में विभाजित किया जा सकता है, यदि लगातार ५ घण्टे से अधिक काम न किया जाता हो। निरीक्षण की पद्धति में और सुधार कर दिया गया। पूरे समय तक काम करने वाले निरीक्षकों की नियुक्ति की गई। सुरक्षा और स्वास्थ्य से सम्बन्धित घाराएँ और व्यापक बना दी गई। स्थानीय सरकारों को प्रकाश और कृतिम नमीकरण के मानदण्ड स्थिर करने के अधिकार दिये गए।

२७. १९३४ का कारखाना अधिनियम, १९४६ का सशोधन तथा १९४८ का अधिनियम—१९२२ के अधिनियम में १९२३, १९२६ और १९३१ में सशोधन करके कितनी ही प्रशासकीय कठिनाइयाँ दूर कर दी गईं। कुछ मामूली सुधार भी किये गए। १९३४ में एक नवीन अधिनियम पास किया गया। अम-आयोग द्वारा तिफारिया पर पास किया गया यह अधिनियम १ जनवरी, १९३५ में लागू किया गया। यह अधिनियम (१) वर्ष-भर चालू रहने वाले और मौसमी कारखानों में भेद स्थापित करता है।

(२) १५ और १७ वर्ष की आयु वालों के एक तृतीय किशोर-वर्ग को स्थापना करता है, जिन्हे वयस्कों के काम के उपयुक्त न समझा जान पर बच्चा समझा जाएगा।

(३) मौसमी कारखानों में काम करने वालों के लिए ११ घण्टे प्रतिदिन और ६० घण्टे प्रति सप्ताह की सीमाएँ अब भी लागू हैं। किन्तु वर्ष-भर चालू रहने वाले कारखानों के श्रमिकों के सम्बन्ध में सीमाएँ १० घण्टे प्रतिदिन और ५४ घण्टे प्रति सप्ताह कर दी गईं। बच्चों के लिए सर्वत्र ५ घण्टे प्रतिदिन की व्यवस्था है।

(४) प्रथम बार प्रसार का सिद्धान्त व्यवहार में लाया गया, अर्थात् लगातार काम करने की सीमा पुरुषों के सम्बन्ध में १३ और बच्चों के सम्बन्ध में ७ $\frac{1}{2}$ घण्टे कर दी गई।

(५) कृतिम नमीकरण की वर्तमान धाराएँ और व्यापक बना दी गईं। इस अधिनियम द्वारा स्थानीय सरकारों द्वारा एक निरीक्षक नियुक्त करने का अधिकार दिया गया, जिसका कार्य सब कारखानों के प्रबन्धकों को हवा भ ठण्डक बढ़ाने का प्रबन्ध करने का निर्देश देना और पालन करना था।

(६) भलाई के लिए भी कुछ व्यवस्थाएँ की गई हैं। उदाहरण के लिए कारखानों में विधाम के लिए समुचित व्यवस्था, जिनमें स्त्री और बच्चों के लिए कमरे सुरक्षित रहे और प्राथमिक सहायता की व्यवस्था आदि।

(७) स्थानीय सरकारों द्वारा यह अधिकार दिया गया है कि वे कार्य-समयों के सम्बन्ध में नियम बनाएँ और उन बच्चों को कारखानों में काम न करने दे जो काम करने के अयोग्य प्रमाणित किये गए हैं।

(८) निरीक्षकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे प्रबन्धकों से कारखानों

के निर्माण के ऐसे दोष दूर बरने के लिए कहे जिनसे काम करने वालों को खतरा पहुंचता हो।

(१) निर्धारित समय से अधिक समय तक काम करने की सीमाएँ निर्धारित कर दी गई हैं। उसका वेतन भी नियमित है। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत में वर्ष-भर चालू रहने वाले कारखानों में ४८ घण्टे का सप्ताह होता है। प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वे चाहे तो जनता के हित में इस सीमा को छढ़ा सकती है।

१९४५ का फैक्ट्रीज एक्ट १ अप्रैल १९४६ में लागू किया गया। इसके अन्तर्गत दस या दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा परिचालित शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा बीस या बीस से अधिक व्यक्तियों द्वारा चालित परन्तु शक्ति का प्रयोग न करने वाले सभी कारखाने आ जाते हैं। राज्यों की सरकारें व्यक्तियों की संस्था तथा शक्ति के प्रयोग के प्रति निरपेक्ष होकर इस कानून की धाराओं को जहाँ उचित समझे लागू कर सकती हैं। ये नियम केवल वही लागू न होंगे जहाँ एक व्यक्ति बाहरी मजदूरी की लगाए विना केवल अपने खरिचार की सहायता से काम कर रहा हो। अब मौसमी और वर्ष भर चलने वाले कारखानों वाला भेद हट गया है।

राज्य की सरकारों को कारखानों की रजिस्ट्री और अनुज्ञा देने के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। इस नियम के अनुसार कारखाने के मालिक को कारखाना लेते समय कारखानों के प्रधान निरीक्षक के पास उसका पूर्ण विवरण भेजना चाहिए।

२८ अक्टूबर की दुकानों और वाणिज्यिक संस्थापन-सम्बन्धी अधिनियम (१९३६) (वि बॉम्बे शॉप्स एण्ड कमर्शियल एस्टाइलिशमेण्ट्स एक्ट) — अक्टूबर की कार्यस सरकार ने एक नया अम-विधान प्रारम्भ किया। इस विषय में इसने अन्य प्रान्तों की अनुआई की। वाणिज्य और उपभोक्ताओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसका उद्देश्य दुकानों, रेस्टरां, थिएटरों और अन्य संस्थानों में काम के घण्टे का नियन्त्रण करना है। इसका उद्देश्य काम के लम्बे घण्टे — ११ से १५ घण्टों तक — और छुट्टियों की अपर्याप्त व्यवस्था तथा विधाम की कमी का निराकरण करना है। जहाँ तक दुकानों का सम्बन्ध है, काम के अधिकतम घण्टे ६३ हैं। ५ घण्टे के काम के बाद १ घण्टे का विधाम और सप्ताह में १ दिन की छुट्टी आवश्यक है। अक्टूबर के कानून में १९४६ में संशोधन किया गया।

१९४६ में विभिन्न राज्यों में निम्न अधिनियम पास किये गए—राजस्थान का दुकान और वाणिज्यिक संस्थापन अधिनियम, मध्य प्रदेश का दुकान और वाणिज्यिक संस्थापन अधिनियम, पंजाब का दुकान और वाणिज्यिक संस्थापन अधिनियम। इनके अलावा केरल और मेसूर में दुकानों और वाणिज्यिक संस्थापनों में कार्य की दशाओं को सुधारने तथा तत्सम्बन्धी विधान को संशोधित करने के लिए विल प्रकाशित किये गए ताकि जनसत का संग्रह हो सके। उडीसा की सरकार ने १९५६ में पास किये गए उडीसा के दुकान और वाणिज्यिक संस्थापन अधिनियम की धारा १२ और १५

को सशोधित किया। इनका सम्बन्ध वटीनी तथा हटाने से पूर्व कर्मचारी को नोटिस देने से था। १९५८ में मद्रास आहर-प्रदान (केटरिंग) संस्थापन अधिनियम पास हुआ। इस नियम के लागू होने के पश्चात् आहर-प्रदान नस्थापन साप्ताहिक छुट्टी अधिनियम १९४२, कारखाना अधिनियम १९४८ तथा मद्रास के दुवान और वार्षिक संस्थापन अधिनियम १९४७ से मुक्त हो गए।

२६. चाय के जिलों के प्रवासी श्रम अधिनियम १९३२ (दि टी डिस्ट्रिक्ट्स एम्प्रेंट लेवर एक्ट) — चाय लगाना ओद्योगिक श्रम से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है, परन्तु इसकी कुछ अपनी समस्याएँ हैं जो विशेष रूप से आसाम के चाय के बगीचों के लिए श्रमिकों को भरती से सम्बन्धित हैं। चाय के बगीचे लगाने वाले श्रमिकों की नियुक्ति-सम्बन्धी मामले उपर्युक्त अधिनियम द्वारा नियन्त्रित होते हैं। १९३२ का अधिनियम श्रम-प्रायोग की सिफारियों पर आधारित है। यह सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत (जिसमें भवाल परगना भी शामिल है) में लागू होता है। १९३२ के नियम का मध्यम उद्देश्य नियुक्ति पर नियन्त्रण करना, सहायता-प्राप्त प्रवासियों को आसाम के चाय बगीचों की ओर भेजना तथा यह देखना था कि उनके ऊपर अनुचित प्रतिवधन न लगाए जाएं। भारत सरकार के नियन्त्रण में स्थानीय सरकारों को यह अधिकार दिया गया कि वे सहायता-प्राप्त प्रवासियों के ऊपर नियन्त्रण रखें। नियोक्ताओं को प्रभारण-प्राप्त बगीचों के सरदार अथवा अनुज्ञा-प्राप्त भरती करने वालों के अलावा अन्य विसी माध्यम द्वारा भरती करने से रोका गया। १६ साल से नीचे के व्यक्तियों को प्रवास में सहायता देना अवैध घोषित किया गया, जब तक कि वे अपने माता-पिता या अभिभावकों के साथ न हो। जहाँ तक फिर से लौटने का सम्बन्ध है, प्रत्येक प्रवासी श्रमिक आसाम में आने के तीन वर्ष वाद लौटने का अधिकारी है, भले ही विसी नियोक्ता ने उसे पुन नोकर रख लिया हो। तीन साल के पहले भी लौटना सम्भव था, परन्तु यह ऐसी दशा में ही हो सकता था जबकि प्रवासी का स्वास्थ्य खराब हो रहा हो, या उसे नमुक्ति काम न मिला हो, या उसकी मजदूरी रोक ली गई हो, या और कोई पर्याप्त काम न हो।

फलत केन्द्रीय सरकार न १९३३ में चाय के बगीचों के प्रवासी श्रम नियम बनाए। सन् १९५४ में एक अधिसूचना द्वारा इन सशोधन किया गया। इन मशीघनों में श्रम का पूर्णनया भारतीय रेल मार्ग द्वारा आसाम भेजना, भरती करन वालों को दण्ड देने की व्यवस्था, श्रमिकों के बापस जाने के अविकारों की रक्षा आदि वाने नमिलिन थी। १९५१ के लेवर एक्ट के अनुमार चाय कहवे के बगीचों ने काम वरने वाले मजदूरों की मकानों तथा वस्त्रों की देख-रेख, जिक्षा तथा मनोरजन का साधन बनाय गए। इस अधिनियम को १९६१ में नशोधित किया गया जिससे मानिक देयता स छुट्कारा न पा सके।

३०. यानीं के लिए अम-विधान— उपडे के उद्योग की अपेक्षा खानों ने श्रमिकों के सम्बन्ध में अम-विधान काफी धीरे-धीरे प्रारम्भ हुआ। १९०१ में पहला भारतीय खान अधिनियम (इंडियन माइन्स एक्ट) पास हुआ और निरोक्षकों की नियुक्ति हुई।

१९०१ के अधिनियम (जो कि १९२३ में सशोधित किया गया था) के अनुसार भारत सरकार को जो अधिकार मिले थे उनका उपयोग करते हुए उसने १९२६ में नियम बनाए, जिनका उद्देश्य उसी समय से खाने के अन्दर औरतों का काम करना बन्द कर देना था। वे केवल इन अधिनियमों से मुक्त खानों, जैसे बगाल, बिहार, उडीसा तथा मध्यप्रान्त की कोयने की खानों और पजाव की नमक की खानों, में काम कर सकती थीं। उपर्युक्त खानों को भी धीरे-धीरे इन नियमों की मुक्ति से भ्रमण करने की व्यवस्था थी, ताकि १ जुलाई १९३६ तक औरतों का खानों के अन्दर काम करना एकदम बन्द हो जाए। युद्धकालीन उत्पादन की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए खाने के अन्दर औरतों के काम करने पर जो प्रतिबन्ध लगाया गया था वह १९४३ में कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया, परन्तु फरवरी, १९४६ में फिर से लागू कर दिया गया। १९२३ के अधिनियम में काम के दैनिक घण्टों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। १९२८ (माचं) में एक सशोधन-नियम पास किया गया। इसके अनुसार किसी भी खाने के कर्मचारियों के एक ही समूह द्वारा किसी भी खाने में १२ घण्टे से अधिक काम नहीं कराया जा सकता था। यह व्यवस्था भी की गई कि मालिक कार्यालयों के सामने काम के घण्टों को निर्धारित करने वाले नोटिस लगाएँ। १९३५ के सशोधन अधिनियम द्वारा निम्न परिवर्तन हुए।

कोई भी व्यक्ति खाने में एक हफ्ते में ६ दिन से अधिक काम नहीं कर सकता। खाने के ऊपर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हफ्ते में ५४ घण्टे से अधिक काम नहीं कर सकता। एक दिन में १० घटे से अधिक कोई भी व्यक्ति काम नहीं करेगा। कार्य काल इस प्रकार होगा कि विश्राम काल को लेकर वह एक दिन में १२ घटे से अधिक नहीं होगा। उसे ६ घटे लगातार काम करने के बाद १ घटे का विश्राम अवश्य मिलेगा। खाने के अन्दर काम करने वाले व्यक्ति को एक दिन में ६ घटे से अधिक काम नहीं करना होगा। खाने के अन्दर एक ही प्रकार का काम ६ घटे से अधिक नहीं किया जाएगा। यदि वारी-वारी से काम करने की पद्धति हो तो उसे अपवाद माना जा सकता है, किन्तु इसमें भी एक वार में ६ घण्टे से अधिक काम नहीं होगा। खाने के अन्दर १५ साल से कम उम्र के बच्चों को काम करने की मनाही है।

१९३७ में एक विशेषज्ञ समिति वी नियुक्ति हुई जिसका काम दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करना था। समिति का कोयलों की खानों का विवरण उद्धृत करने योग्य है—“सक्षेप में एक खेल के रूपक का उपयोग करने पर यह कहा जा सकता है कि कोयले की खाने का काम भारतवर्ष में एक दोड के समान है, जिसमें लाभ हमेशा प्रथम रहा है। बेचारी सुरक्षा ‘द्वितीय’, अच्छी पद्धतियाँ ‘नाम के लिए दीड़ने वाली’ तथा राष्ट्रीय हित एक ‘मृत अश्व’ के समान रहा है, जिसका नाम तो दर्ज कर लिया गया किन्तु जो दोड न सका।”

१९४८ में नये फैक्ट्री कानून पास हो जाने के बाद खानों में काम करने वाले धर्मिकों से सम्बन्धित विशाल को सशोधित करना आवश्यक हो गया। इस उद्देश्य से ८ दिसम्बर, १९४६ को खानों में काम करने वाले धर्मिकों के विधान

मेर सशोधन करने के लिए एक विल पेश किया गया जो १५ मार्च, १९५२ को पास होकर १ जुलाई, १९५२ से लागू किया गया। जम्मू और काश्मीर को छोड़कर यह कानून सारे भारत पर लागू है। इस कानून के अन्दर खानों की परिभाषा और विशद रूप से दी गई। मजदूरों की सुरक्षा तथा भलाई के विषय मेरी भी विशद व्यवस्थाएँ की गईं। इस कानून के अनुसार खान के ऊपर काम करने वाले श्रमिकों का काम ६ घण्टे प्रतिदिन तथा ४८ घण्टे प्रति सप्ताह कर दिया गया। खान के भोजन काम करने वाले श्रमिकों की अवधि ८ घण्टे प्रतिदिन तथा ४८ घण्टे प्रति सप्ताह कर दी गई। स्त्रियों खानों के ऊपर खाम के ७ बजे से प्रातः ६ बजे तक काम नहीं करेंगी। केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध मेरोडा-वट्टन परिवर्तन कर सकती है, परन्तु वह रात्रि के १० बजे और प्रातः ५ बजे के बीच स्त्रियों और बदस्तों का काम करना बैध नहीं कर सकती। इस कानून मेर सबेतन द्यृष्टियों की भी व्यवस्था है।

खानों मेर काम करने वाले मजदूरों की भलाई के लिए एक प्रकार का कोप खोला गया है जो ५६ सस्थानों, ६१ व्यवस्थों की दिक्षा के लिए तथा ५६ स्त्रियों की भलाई के लिए बुद्ध आराम-गृह चला रहा है। इसकी वार्षिक आमदनी ३५ करोड़ है। इसी प्रकार १९६१ के एकट के अनुमार (Iron Ore Mines Labour Welfare Cess) इनमे काम करने वालों की हालत को कोयले और मायका जैसा बनाया गया। ३१. रेलवे के श्रमिकों से सम्बन्धित अधिनियम—रेलवे के सभी भारतीय रेलवे के कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं। भारत अन्तर्राष्ट्रीय धर्म सभा के प्रति अपने परिवित कर्तव्यों को पूरा कर सका। इसके अनुसार कोई भी रेलवे कर्मचारी, एक सप्ताह मेर ६० घण्टे से अधिक काम न करेगा। ऐसा रेलवे कर्मचारी, जिसका काम स्थायी नहीं है, ८८ घण्टे से अधिक काम नहीं करेगा। उपर्युक्त व्यवस्थाओं से अस्यायी दूट प्राप्त हो सकती है (१) ऐसी कठिन परिस्थिति मेर जबकि रेलवे के काम मेर कोई भयकर बाधा उपस्थित हो गई हो, (२) या कार्यभार अत्यन्त अधिक हो। परन्तु ऐसी दशा मेर अधिक समय तक काम करने का बेतन मिलेगा। सप्ताह मेर लगानार २४ घण्टे का विवाह आवश्यक था। इसमे कभी-कभी, उदाहरणार्थ उपर्युक्त परिस्थितियाँ आने पर, व्यक्तिगत हो सकता है। गवर्नर-जनरल-दन-कौसिल को रेलवे धर्म के निरीक्षकों की नियुक्ति का अधिकार था, ताकि वह इस बात का पता लगा सके कि कानून की धाराओं का पालन हो रहा है या नहीं।

३२. सन् १९२३ का अधिक क्षतिपूर्ति कानून (क्षतिपूर्ति रूप मेर)—प्राय सभी पालनात्य देशों मेर इस बात को बैध स्थान प्राप्त हो गया है कि यदि धर्म के नियमित घण्टों के बीच किमी कर्मचारी को काम करते समझ किसी प्रकार की शारीरिक हानि पहुँचे तो उसे क्षतिपूर्ति दी जाए। भारत मेर क्षतिपूर्ति दने के विचार की प्रगति थीभी रही है। १९२३ के अधिनियम के पूर्व दुर्घटना से मृत्यु हो जाने पर १८८५ के घानक दुर्घटना अधिनियम (फेल एक्सीडेण्ट्स एक्ट) के अन्तर्गत नियोजना पर मुकदमा दायर किया जा सकता था, परन्तु इस अधिनियम का शामद हो कभी प्रयोग किया गया हो। इसके अतिरिक्त नियोजना का उत्तरदायित्व भी अनिश्चित था।

१९२३ के अधिनियम का सिद्धान्त यह था कि दुर्घटना से धायल हुए कर्मचारियों को मुआवजा दिया जाएगा, यदि दुर्घटना काम करते समय हुई हो। कुछ हालतों में वीमारियों के लिए भी मुआवजा (क्षतिपूर्ति) दिया जाता था।

१९३३ के अधिनियम के अन्तर्गत रेलवे, ट्रामवे, कारखाने, खाने, सामुद्रिक व्यक्ति, बन्दरगाह, सड़कों पर इमारतों, सुरगों और पुलों की मरम्मत या निर्माण या उन्हें गिराने के काम में लगे व्यक्ति, सामुद्रिक कार्य, तार, टेलीफोन से सम्बन्धित काम या विजली के तार उत्पादना या खोदना, नौसेना, प्रकाश-स्तम्भ, चाय, कॉफी, रबर या सितकोना के बगीचे, विद्युत् या गैस बनाने के स्टेशन, सिनेमा कर्मचारी, देनन-प्राप्त मोटरों के ड्राइवर तथा जमीन के नीचे बहने वाली नालियों की सफाई करने वाले कर्मचारी आदि सभी आते हैं। इन सभी कामों में लगे हुए प्रशासकीय या वाहूगीरी (क्लेरिकल) ढंग के काम करने वाले तथा ३०० रुपये से अधिक वेतन पाने वाले लोग इसमें शामिल नहीं हैं।

वास्तविक आश्रितों को ही मुआवजा भिलेगा, जैसे पली या अबमस्क (नाबालिंग) पुत्र। दूसरे वे लोग, जो इस परिस्थिति में नहीं हैं, जैसे पति या माता-पिता आदि। ऐसी व्यवस्था की गई है कि घातक दुर्घटनाओं से आश्रितों का हित अच्छी तरह सुरक्षित रहे। यह भी प्रबन्ध है कि ये दुर्घटनाएँ आयुक्तों के सामने भी लाई जाएँ, जो ग्रान्तीय सरकारों द्वारा कानून के अन्दर नियुक्त किये जाते हैं।

इस अधिनियम का प्रशासन और भगड़ों का निर्णय इन्हीं आयुक्तों को सौंपा गया है जिन्हे बहुत अधिकार दिये गए हैं। क्रिया-पद्धति सीधी है और अपील करने के अवसर सीमित हैं। इस प्रकार के विद्यान की सफलता के लिए कुशल डॉक्टरों द्वारा चोट की ठीक-ठीक जाँच और रिपोर्ट की आवश्यकता है, साथ ही सरकार द्वारा निष्पक्ष जजों की नियुक्ति भी आवश्यक है ताकि थ्रमिक अपना उचित प्राप्त (लाभ) पा सके। भारतीय थ्रमिक की प्रवासी प्रवृत्ति, कानून के अन्दर प्राप्त आर्थिक सहायताओं के विषय में अज्ञान तथा थ्रमिकों के पक्ष को मुआवजे के लिए प्रस्तुत वर सकने वाले व्यक्तियों का अभाव—इन सब कारणों से यह विधान कठिनता से लागू हो पाता है। १९४६ के मुआवजा (सशोधन) विधान ने मुआवजा पाने वालों की वेतन की सीमा ३०० रु. से बढ़ाकर ४०० रु. कर दी है और इनके बीच की यामदनी के लिए मुआवजे की दर भी निर्धारित कर दी है।

यह कहा जा सकता है कि नियोक्ताओं के भय के विपरीत इस मुआवजा अधिनियम से उत्पादन लेन्डर में बृद्धि नहीं हुई है, परन्तु सुरक्षा का स्तर बहुत ऊँचा हो गया है। इस अधिनियम में पुनर सशोधन करने के लिए २४ तितम्बर १९५८ को राज्यसभा में एक दिल पश किया गया। इस दिल में निम्न सशोधनों की व्यवस्था है (क) क्षतिपूर्ति के लिए वयस्क और अल्पवयस्क का भेद मिटाना, (ख) सात दिन के प्रतीक्षा वाल को घटाकर तीन दिन करना तथा जहाँ कार्य-योग्य न रहने का समय अट्टाश या और अधिक दिन हो, अपोग्य होने के दिन से क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था करना तथा (ग) अनुमूल्य १, ॥, III के धोन का विस्तार करना।

३ सामाजिक वीमा—ओद्योगिक श्रमिक की सुरक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा का पहलान ओद्योगिक हृष्टि से विकसित जर्मनी और ब्रिटेन-जैसे सभी देशों में स्वीकार किया गया है। इसमें श्रमिकों को होने वाली कठिनाइयों, जैसे वीमारी, वृत्तिहीनता, द्रावस्था आदि, से बचाने की व्यवस्था है। बम्बई की काग्रेस सरकार न सामाजिक वीमा के विकास की एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की तथा इस बात पर भी विचार किया कि वीमारी के समय में भी बेतन दिया जाए। यह इस आदा से किया गया कि इससे वीमारी के बीमे का मार्ग प्रशस्त होगा।^१

गवर्नर-जनरल-इन-कौसिल ने १९४४ म एक धम जाँच समिति (लबर इन-वेस्टिगेशन कमेटी) नियुक्त की। इसने ३६ उद्योगों की विस्तृत तथ्य स्थापक जाँच की। इस समिति द्वारा प्राप्त तथ्यों ने नीति-निर्धारण को पुष्ट आवार प्रदान किया। सामाजिक वीमा की योजनाओं के सम्बन्ध में विचारणीय महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्योग इस प्रकार से पड़े हुए भार वो कहाँ तक सह सकता है? यह बाज़दीनीय है कि त्रिसामाजिक वीमा की योजनाएँ अन्य देशों की योजनाओं के समान अवशायी हो और श्रमिक, नियोक्ता तथा सरकार तीनों ही अपना-अपना न्यायेचित भार वहन करें।

श्रमिक राज्यीय वीमा अधिनियम (एम्प्लाईज स्टट इश्योरेंस एक्ट), जोकि अप्रैल, १९४८ में पास किया गया, में इस बात की व्यवस्था है कि वीमारी और काम के समय लगी चोट आदि के सम्बन्ध में अनिवार्य राज्यीय वीमा हो तथा ४०० रु० माहूरार से बम पाने वाली स्थियों को प्रसूति-सहायता प्राप्त हो, चाहे वे हाथ का काम करती हो या बाबूगीरी (बलर्की)। राज्य सरकारों वो अस्पताल द्वारा देख-रेख और दवा का व्यय संभालना होगा। वीमारी के लिए नकद सहायता एक वर्ष में अधिक-से-अधिक आठ सप्ताह मिलेगी। काम में लगने वाली चोट से उत्पन्न अयोग्यता के समय अयोग्यता-सहायता (डिसेवलमेण्ट बेनीफिट) प्राप्त होगी। कुछ दशाओं में विध-वाप्रो, पुत्रों और पुत्रियों को 'आश्रितों की सहायता' देने की भी व्यवस्था की गई है।

१९५१ के सशोधन के अनुसार नियोक्ताओं का अवशायन उनके द्वारा दी जाने वाली कुल मज़दूरी का ३% निश्चित कर दिया तथा १% इसके प्रलाभ निश्चित किया। इस प्रकार नियोक्ताओं का अवशायन अब ११% है।

इस स्वीम को १०० से अधिक बेन्ड्रो में लागू किया गया है और १७ लाख मज़दूरों को वीमा से लाभ पहुँचाया गया है। तीसरी योजना में ३० लाख मज़दूरों को लाभ पहुँचेगा।

३४ भारत में ओद्योगिक जगड़ों का इतिहास—१६१७ से पहले भारत में हड्डाले प्राय नहीं होनी थी। १६०५ में बम्बई में कई हड्डालें हुईं, जिनका कारण विजली का प्रचार था, जिससे काम बहुत अधिक समय तक सम्भव था। १६१६-२० में जब

१. लेवर ग्रन्ट (बम्बई), अगस्त १९३७, पृ० ६३।

बम्बई में कपास की मिलों के १,५०,००० श्रमिकों की बड़ी हड्डताल हुई, तब से स्थिति विशेष रूप से सकटापन हुई। इन हड्डतालों के सहायक कारणों में काम के लम्बे घण्टे, आवास की बुरी परिस्थितियाँ, चोट के खिलाफ मुशाबजे की अव्यवस्था, सरदारों (फोरमेन) द्वारा श्रमिकों के साथ होने वाला दुर्व्यवहार तथा एक वर्ग की हड्डताल की अन्य वर्ग की हड्डतालों के साथ सहानुभूति आदि का नाम लिया जा सकता है।

१९१९-२१ में हड्डताल की स्थिति अधिक भयकर हो गई। परिणाम यह हुआ कि श्रौद्योगिक केन्द्रों में हड्डतालों की एक लहर आ गई। १९२६-२७ अपेक्षाकृत शान्त वर्ष थे। १९२८ में श्रौद्योगिक अशान्ति पुनः उत्पन्न हो गई और इसने ही बड़ी-बड़ी हड्डतालों हुई। उदाहरण के लिए, बम्बई की कपास की मिलों की बड़ी हड्डताल (अक्टूबर, १९२८) का नाम लिया जा सकता है। १९२९ में पूर्व वर्ष की श्रौद्योगिक हलचल जारी रही तथा साम्यवादी प्रभाव स्पष्टत लक्षित हुए। बम्बई में किर एक सम्मूर्ख हड्डताल रही। इन तूफानी वर्षों के बाद कुछ समय तक देश-भर में शान्ति रही। १९२६-३३ के आर्थिक अवसाद में मजदूरी में कटौती हुई और कुछ हड्डतालों भी हुई। बम्बई की सरकार ने प्रान्त में मजदूरी में कटौती के प्रदन पर वैभागिक जांच प्रारम्भ की। १९३४ में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसी समय अर्ध-साधारण हड्डताल, जो बम्बई की मिलों में चालू थी, समाप्त कर दी गई। इस जांच का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम बम्बई सरकार द्वारा ट्रेड डिस्प्यूट्स कंसीलियेशन एक्ट पास किया जाना था। इसकी समीक्षा आगे सेवशन ३७ में की गई है। इस अधिनियम के पास होने के तीन वर्ष बाद तक बम्बई नगर की कपास की मिलों में हलचल न रही। १९३७ में बम्बई, भ्रह्मदाबाद, कानपुर और मद्रास-जैसे श्रौद्योगिक केन्द्रों में किर श्रम-अशान्ति प्रारम्भ हो गई। इसका कारण श्रौद्योगिक एवं व्यापारिक समृद्धियों द्वारा भड़काया जाना था। श्रमिक वर्ग में फैला हुआ भीपण असन्तोष, यद्यपि पहले वर्ष में ही उनकी दशा सुधारने के नियम पास हो चुके थे, १९३७-३८ में हुई बड़ी हड्डतालों के रूप में प्रकट हुआ।

३५. १९३६ के पश्चात् श्रौद्योगिक झगड़े—१९३६ में झगड़ों की श्रीसत सर्वा ४०६ थी। यह उस समय तक की उच्चतम सर्वा थी।^१ बम्बई में झगड़ों की सर्वा १९४२ में और भी अधिक अर्थात् ६६४^२ थी। युद्ध के उपरान्त श्रम-अशान्ति का प्रधान कारण सूल्यों तथा जीवन-स्तर में दृढ़ि थी जो कि प्रधानतया मुद्रास्फीति के कारण थी। भजदूरी और कीमतों के बीच होने वाली दौड़ में मजदूरी सर्व पीछे रह गई। इस स्थिति पर तभी काबू पाया जा सकता है जबकि कीमतें नियन्त्रित और स्थिर

१. बम्बई का श्रम गजट, जून १९४०, पृ० ८६६।

२. सन् १९४४ में अमरस्त के महीने तक केवल बम्बई नगर में ही ३०० से आधिक हड्डतालों हुई। अन्य श्रम-केन्द्र भी इसी प्रकार प्रभावित थे।

कर दी जाएँ। यद्यपि अनेक उद्योगों में अभूतपूर्व लाभ हुए परन्तु सामान्य रूप से श्रमिकों की दशा गिरती ही गई। हड्डालों का भूत सवार हो गया और देश में श्रम-असन्तोष की लहर सी आ गई। इसका कारण राजनीतिक एवं सामाजिक भी है और अशत् साम्यवादियों की क्रियाएँ भी हैं, लेकिन प्रधान कारण कीमतों और मजदूरी के बीच की गहरी खाई ही है।^१

३६. ओद्योगिक झगड़ों की रोक-थाम—ओद्योगिक झगड़ों को निपटाने के लिए स्थापित यन्त्र की विवेचना करने से पूर्व उन्हे रोकने के सम्बन्ध में दो शब्द कह देना उचित होगा। इन्हे रोकने के लिए नियोक्ताश्रो और श्रमिकों का हड्ड सगड़न पहली आवश्यक वस्तु है। भारत में नियोक्ता प्राय अच्छी तरह समर्थित हैं, लेकिन श्रमिकों की दशा ऐसी नहीं है, अत मजदूर श्रम-सघों की आवश्यकता है। दोनों पक्षों के मुद्दे सघों (जो अपने-प्रते पक्ष के लिए अच्छी तरह थोन सकते हैं) के निर्माण से यत्र-तत्र होने वाली हड्डालों और काम-बन्दी रुक जाएगी। साथ ही हड्डाल करने के पहले ही मांगों की स्परेक्षा तैयार हो जाएगी न कि हड्डाल करने के बाद, जो भारतीय हड्डाल की प्रधान विजेपना है। अहमदाबाद की कपड़े की मिलों के भगड़ों में मध्यस्थिता करने के लिए एक स्थायी मध्यस्थ परिपद् (आरबीट्रेन बोर्ड) की स्थापना की गई है।

अब हम भगड़ों को तय करने के लिए मध्यस्थिता और समझौते के तरीकों की विवेचना करें। १६१४-१८ के बाद हुए अनेक भगड़ों से उन्हे मुलभाने और जाँच करने के लिए उचित साधन की आवश्यकता स्पष्ट हो गई। इस और सबसे पहला कदम भद्रास सरकार ने उठाया। १६२१ में बगाल सरकार द्वारा नियुक्त तथा १६२२ में वस्त्रही सरकार द्वारा नियुक्त समितियों ने बहुत अच्छा प्रारम्भिक काम किया और झगड़ों के निवारण और मध्यस्थिता के सम्बन्ध में विस्तृत सिफारिशों पेश की। भारत सरकार ने समस्या की अविन भारतीयना पर जोर दिया। लेकिन श्रम सध विल (ट्रेड यूनियन विल) पास होने से पूर्व इस अपरिपक्व माना गया। श्रम सध विल १६२६ में कानून बन गया और अगले वर्ष स लायू कर दिया गया। व्यापार विश्रह अविनियम (ट्रेड डिसप्लूट्स एक्ट), जो १६२६ में पास किया गया था और प्रारम्भ में केवल आगमी ५ वर्ष तक लायू रहता, १६३४ में स्थायी बना दिया गया।

सन् १६४० से भारत सरकार ने एक नवीन परामर्शदात्री सत्या को जन्म दिया और उसे पूर्णता प्रदान की। इसका नाम भारतीय श्रम सम्मेलन (निदलीय श्रम सम्मेलन)^२ था।

१. १६५८ में १६५७ की तुलना में ओद्योगिक झगड़ों की संख्या में कमी हुन। १६५७ में ओद्योगिक झगड़ों की संख्या १६३० थी, जबकि १६५८ में १५२४ थी। इसके बावजूद भी झगड़ों से स्वपिन व्यक्तियों की संख्या तथा कान के दिनों में कान से अलग रहने वालों की संख्या में ४४ प्रतिशत तथा २१३ प्रतिशत दी वृद्धि हुड़। १६५८ के प्रथम अर्द्ध-वर्ष की तुलना में दूसरे अर्द्ध-वर्ष में ओद्योगिक असान्ति का तोर कम रहा। इनका कारण नियोक्ताओं तथा श्रमिकों के सगड़ों द्वारा अनुशासन-सम्बन्धी नवीनदात्रों (कोड ऑफ डिसिलिन) की स्वीकार करना था।

२. ट्रिपार्ट्ट हेवर कॉम्परेन्स।

३७. व्यापार विप्रह विधान (ट्रेड डिसप्पूट्स लेजिस्लेशन) — (१) सन् १९२६ का व्यापार विप्रह अधिनियम—यह अधिनियम अग्रेजी कानून के अनुसार है। इसमें अनिवार्य मध्यस्थता की व्यवस्था नहीं है। क्रिटेन की तरह झगड़ों के निरुद्ध में जनमत को एक निश्चित साथन माना गया है और निहित विचार यह है कि निश्चित प्रश्नों पर विवाद हो और निष्पक्ष (मध्यस्थ) न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) द्वारा उन पर मत प्रकट किया जाए, ताकि भली प्रकार सूचित जनमत का निर्माण हो सके। इस विधान में जाँचन्यायालय (इनकवायरी कोर्ट्स) और समझौता परिषदों (कसीलियेशन बोर्ड्स) के निर्माण की व्यवस्था है।

(क) जाँच किस प्रकार की होगी—प्रान्तीय सरकार या गवर्नर-जनरल तथा जहाँ नियोक्ता गवर्नर-जनरल-इन-कोसिल के अधीन किसी विभाग या रेलवे कम्पनी का अध्यक्ष है, वहाँ गवर्नर-जनरल-इन-कोसिल को झगड़ों को तय करने के लिए एक जाँचन्यायालय या समझौता बोर्ड (कसीलियेशन बोर्ड) स्थापित करने का अधिकार है। आवेदन देने वाले व्यक्ति दोनों दलों के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। (ख) जाँच न्यायालय का निर्माण—इसमें एक निष्पक्ष सभापति, अन्य ऐसे स्वतन्त्र व्यक्ति जिन्हे नियुक्ति-अधिकारी योग्य समझे प्रथमा एक स्वतन्त्र व्यक्ति हो सकता है। (ग) समझौता बोर्ड का विधान अलग है। इसमें एक सभापति, दो या चार अन्य सदस्य जिन्हे नियुक्ति-अधिकारी योग्य समझे या एक ही स्वतन्त्र व्यक्ति होगा। सभापति एक स्वतन्त्र व्यक्ति होगा तथा अन्य व्यक्ति भी स्वतन्त्र होंगे या ब्रावोर सह्या में नियुक्त ऐसे व्यक्ति होंगे जो दोनों पक्षों की सिफारिशों पर उनका प्रतिनिधित्व करते होंगे। (घ) क्रियाविधि—ऐसे बोर्ड का काम झगड़ों के गुण-दोषों का विवेचन तथा वे सब काम करता होता है जिनसे दोनों दलों के झगड़े शान्तिपूर्वक तथा न्यायोचित ढंग से तय हो जाएं और उन्हे (दलों की) इसके लिए पर्याप्त समय मिल जाए। असफल होने पर इसे अपनी कार्यवाही का पूर्ण विवरण नियुक्ति-अधिकारी के पास भेजना पड़ता है जिसमें बोर्ड द्वारा उठाये गए कदम, उसकी जाँच के परिणाम और सिफारिशें भी होती हैं। नियुक्ति-अधिकारी को इसकी मध्यवर्ती (इंटेरिम) या अन्तिम रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रकाशित करनी पड़ती है। (च) जनोपयोगी सेवाओं में हड्डताल—जनोपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित अधिनियम का द्वितीय भाग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जनोपयोगी सेवा का अर्थ यह है—(१) गवर्नर-जनरल-इन-कोसिल द्वारा जनोपयोगी घोषित कोई भी रेलवे सेवा। (२) कोई भी तार, टेलीफोन और डाक की सेवाएँ। (३) कोई भी व्यापार या व्यवस्था जो जनता के लिए प्रकाश और पानी की व्यवस्था करता है। (४) जन-स्वास्थ्य और स्वच्छता की कोई भी सेवा। इन सेवाओं में मासिक वेतन पर नियुक्त अधिक यदि अपने नियोक्ता को हड्डताल करने से पहले एक महीने के अन्दर कम-से-कम १४ दिन की अग्रिम सूचना न देतो उन्हें विशेष दण्ड दिया जाता है। इसी प्रकार यदि

१. अम आयोग ने अधिनियम के अन्तर्गत तदर्यां न्यायालयों के स्थान पर स्थायी न्यायालयों की स्थापना सम्बन्धी सम्बाल्यना की जाँच करने की निपारिश की। (अ० आ० प्र०, १० इ४५)

जनापयोगी सेवाओं के नियोक्ता पूर्व-सूचना दिय बिना ही उन्हे स्वय बन्द करते हैं तो उन्हे विशेष दण्ड दिया जाता है (इनका दण्ड अधिक होता है)। अपराध को प्रोत्साहन देने वालों का साधारण अपराधी सशोधन अधिनियम (क्रिमिनल अमेण्डमेण्ट लॉ) के अनुसार सजा मिलती। (छ) अवैध हड्डताले—१९२७ के विटिश व्यापार विग्रह अधिनियम (विटिश ट्रैड डिस्प्यूट्स एक्ट) के अनुसार अवैध हड्डतालों के सम्बन्ध म और भी व्यवस्थाएँ हैं। ऐसी हड्डताल या मिल-बन्दी को अवैध करार दिया जाता है।

इस विधान के अनुसार नियोक्ता और श्रमिकों के सगठन का अस्तित्व पहले से ही मान लिया जाता है। इसका उद्देश्य इस प्रकार के सगठन का विकास करना, यत्र-न्तत्र होने वाली हड्डतालों को रोकना तथा इस बात मे सहायता करना है कि मार्गे हड्डताल होने से पहले ही व्यवस्थित रूप धारण कर लें (न कि हड्डताल होने के बाद)। अधिनियम के अन्तर्गत सहानुभूति मे की गई हड्डतालें अवैध होती हैं। इसके विपक्ष म कहा गया है कि सरकार इस आधार पर किसी भी हड्डताल को अवैध घोषित कर सकती है। लेकिन इसके प्रत्युत्तर मे कहा जा सकता है कि इगलैण्ड की त्रिगुट हड्डताल (ट्रिपल स्ट्राइक) (१९२६) जैसी हड्डताले देश के लिए धातक मिछ हो सकती हैं। कानून की धन्य धाराओं के समान इस धारा का भी केवल इसी आधार पर विरोध नहीं किया जा सकता है कि इसका दुरुपयोग हा सकता है। यह भी कहा गया है कि हड्डतालों को अवैध घोषित करने वाली धाराएँ श्रमिकों के आधारभूत अधिकारों मे हस्तक्षेप करती हैं और अम-सघ आन्दोलन का अंशव-काल मे ही गला घोट देंगी तथा मजदूरों के मन म अविश्वास उत्पन्न करेगी। यह भी कहा जाता है कि अधिनियम मे जनोपयोगी सेवाओं और अवैध हड्डतालों से सम्बन्धित भाग अनावश्यक हैं। समाज-सुरक्षा, जैसे पानी की पूर्ति, प्रकाश तथा सफाई आदि, मे एकाएक की गई हड्डताले पहले से ही दण्ड-विधान (पीनल कोड) के अन्तर्गत दण्डनीय हैं। साधारण जनोपयोगी सेवाओं मे होने वाली हड्डतालों (उदाहरण के लिए, डाक, तार टेलीफोन या रेलवे) के सम्बन्ध मे इतनी सख्ती न बरतनी चाहिए।

प्रगत्त, १९३७ से लोकप्रिय मन्त्रिमण्डलों की स्थापना के बाद अधिनियम का प्रायः उपयोग किया जा रहा है, विशेष रूप से मद्रास प्रान्त मे। जाँच न्यायालय और समझौता परिषद् की नियुक्ति-सम्बन्धी कार्यविधि भाराकान्त प्रतीत हुई। परिणामस्वरूप बम्बई की सरकार ने १९३४ मे नवीन अधिनियम दास किया।

(२) अम-आयोग न सिफारिश दी थी कि अत्येक शान्तिय सरकार समझौते के लिए एक या एकाधिक अफसर रखे। मद्रास के श्रमायुक्त, पजाव के उद्योग-सचालक-भव्य प्रान्त के साहियकीय सचालक, सहायुक्त और उद्योग-सचालक को समझौता अफसर के अधिकार दिये गए हैं।

(३) १९३४ का बम्बई व्यापार विग्रह समझौता अधिनियम (द बॉम्बे ट्रैड डिस्प्यूट्स कसीलियेशन एक्ट) — इसमे एक अम-आयुक्त की नियुक्ति दी व्यवस्था भी की गई जो पदेन प्रधान समझौताकार होता है। इसम श्रमायिकारी और सह-नमझौताकार की भी व्यवस्था थ श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए १९३४ म एक अम-

अधिकारी की नियुक्ति हुई। मिल-मालिक सघ ने भी सरकारी अमाधिकारी और प्रमुख समझौताकार की कार्यवाहियों में अपनी मिलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अमाधिकारियों की नियुक्ति की।^१

(४) बम्बई आद्योगिक विग्रह अधिनियम (१९३८) — १९३४ के अधिनियम के स्थान पर बने १९३८ के इस नियम का उद्देश्य हड्डताल या मिल-बन्दी से पहले समझौते और मध्यस्थता के सभी अस्त्रों का पूरा उपयोग करना है।

इस अधिनियम में उन सधों की रजिस्ट्री की व्यवस्था है जो नियोक्ताओं द्वारा स्वीकार किये जा चुके हैं या सदस्यता की कुछ शर्तों को पूरा करते हैं। रजिस्ट्री सधों को मज़दूरों का प्रतिनिधित्व करने के अनेक अधिकार मिल जाते हैं। अमाधिकारी और समझौताकार (कसीलियेटर) प्रान्त के विभिन्न क्षेत्रों या उद्योगों के लिए नियुक्त किये जा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था की जाएगी ताकि मज़दूरों की माँगों, शिकायतों या उनकी सेवा की शर्तों में किये गए परिवर्तनों पर पूरा विचार किया जा सके। हड्डताल और मिल-बन्दी उस समय तक अवैध मानी जाएगी जब तक कि बाद-विवाद और विचार-विनियम के सभी साधनों का प्रयोग न कर लिया जाए। समझौते की कार्रवाई के दो महीने बाद हड्डताल या मिल-बन्दी के अधिकार का उपयोग करना चाहिए।

यदि दोनों पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुँचते तो समझा जाएगा कि व्यापार-विग्रह प्रारम्भ हो गया है और सरकारी समझौताकार भगड़े को शान्त करने का प्रयास करेगा। यदि समझौताकार भी असफल रहता है अथवा सरकार आज्ञा देती है तो समझौता-परिवर्तन नियुक्त की जाती है।

ऐसे उद्योगी और केन्द्रों में, जहाँ नियोक्ता और अम-सधों में भगड़े का फँसला मध्यस्थों को सौंप दिया गया है, सरकारी कार्यवाही प्रारम्भिक दशा में और हो सकती अन्त तक नहीं की जाएगी। फिर भी सभी समझौतों और परिनिर्णयों (अवाइंस) की रजिस्ट्री अवश्य होगी।

अधिनियम के अन्तर्गत एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति हुई है जिसका काम सधों की रजिस्ट्री, उनकी ग्राहनता का निर्णय, समझौतों, परिनिर्णयों, सूचनाओं तथा अन्य रिपोर्टों का लेखा रखना है।

एक महत्वपूर्ण विषय में अधिनियम एकदम नवीन है। इसमें हाईकोर्ट के जज या जज होने योग्य बचील की अध्यक्षता में एक आद्योगिक न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था है। यह न्यायालय स्वचिक्षक मध्यस्था में निर्णायक का काम करेगा और इस अधिनियम के अन्तर्गत उठ खड़े होने वाले अन्य भगड़ों के लिए भी न्यायालय का काम करेगा। यह मिल-बन्दी और हड्डतालों की अवैधता का निर्णय करेगा तथा समझौतों और परिनिर्णयों की व्यवस्था करेगा। ऐसे न्यायालय की स्थापना हो चुकी है।

सन् १९३८ का बम्बई उद्योग-विग्रह अधिनियम देश में अम-सम्बन्धी महत्वपूर्ण और सर्वांग अधिनियम है। इस विधान की आलोचना में कहा जाता है कि यह

^१ ऐसे ही अमाधिकारी बगाल, उत्तर प्रदेश, मद्रास और विहार में भी नियुक्त हुए हैं।

आवश्यकता से अधिक नहीं और कामगरों के हड्डताल धोपित करने के स्वतन्त्र अधिकार का विरोधी है। इसके विपरीत यह भी कहा जाना है कि यह हड्डनाल करने के अधिकार को समाप्त नहीं करना बल्कि इसके उपयोग को तब तक टालता रहता है जब तक कि मधीं शान्तिपूर्ण तरीके, जिसे व्यापारिक विग्रह का समझौता किया जा सकता है, समाप्त न हो जाएँ।

इस अधिनियम की दृष्टरी आलोचना यह है कि आन्तरिक भगठन के मूल को अविनें के लिए कुछ भी नहीं करता, जिससे श्रमिकों के सहयोग में वाधक मनो-वैज्ञानिक अन्तर दूर किये जा सकते हैं। इसका आधारभूत विचार सामूहिक सौदे (क्लेविट्र वार्गेनिंग) का प्रचलन है, जिसमें एक और नियोक्ता और दूसरी और सगठित श्रमिक-समाज होता है।^१

मन् १६३६-४५ के युद्ध-काल में और भी कानूनी व्यवस्थाओं की आवश्यकता प्रतीत हुई, जो न केवल पर्याप्त रूप से लचीली ही हो बल्कि भगड़ों के समझौते के निश्चित उनाय भी प्रस्तुत करें। १६४२ में भारत सरकार द्वारा पास किये गए भारत-सुरक्षा नियम द१ 'ग्र' का यही मूल सिद्धान्त था। इससे श्रमिकों की हड्डताल करने की स्वतन्त्रता बहुत सीमित हो गई। १६४१ का आवश्यक सेवा (स्थापन) अध्यादेश (असेवियल सर्विसेज मेडिटेनेम एवट) भी इसी प्रकार था। इसका उद्देश्य श्रमिकों को नरकार द्वारा आवश्यक धोपिन की गई सेवाओं को छोड़ने से रोकना था।

(५) बम्बई ओद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम (१६४६) का उद्देश्य १६३८ के ओद्योगिक विग्रह अधिनियम को स्वानान्तरित करना है, जिसकी प्राय सभी धाराएँ पूर्ववत् रखी गई हैं तथा कुछ नई धाराएँ भी जोड़ी गई हैं। अनुभव से सिद्ध हुआ है कि मध्यस्थता तथा समझौतों और निर्णयों स पर्याप्त सफलता मिली है तथा श्रमिकों वो भी लाभ हुआ है।

ओद्योगिक विग्रह अधिनियम (१६४७) — यदि समझौता कार मंत्रीपूर्ण ढग से समझौता नहीं करा सकता तो मामला समझौता-परिपद के हाथ म चला जाना है, जिसमें एक स्वतन्त्र सभापति और दो से चार तक अन्य सदस्य होते हैं। यह आशा की जाती है कि परिपद अपना काम दो महीने में समाप्त करेगी। यदि परिपद समझौता कराने म बफल होती है तो यह समझौता द्वारा महीने या दोनों दलोंद्वारा स्वीकृत अवधि म से उस समय तक के लिए लागू किया जाता है जो अधिक लम्बा हो। इसमें एक जीवन्यायालय की नियुक्ति की भी व्यवस्था है जो कि सार्व गए विवादास्पद प्रस्तुत की ढानवीन करता है। न्यायालय में एक या अधिक स्वतन्त्र व्यक्ति होते हैं। इसे उचित सरकार को अपनी जीवन्य द्वारा महीने के अन्दर देनी होती है। उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) के न्यायाधीशों द्वारा नियमित एक ओद्योगिक मध्यस्थ न्यायालय (इण्डस्ट्री-यल ट्रिब्युनल) का निर्णय द्वारा महीने या दोनों पक्षों को मजूर कियी अन्य अवधि—

^१. देखिए, इस्टिंशन बैनन आफ इकनॉमिक्स, वर्न्सरेन्स अक, १६४०, में श्री पी० एन० लोकनाथन का 'इण्टरिड्यूक्शन' टिनारूद्वन्द्व लेटि० लेटरनृ नानक लेख।

इन दोनों में जो भी अधिक हो—तक मान्य होगा। समझौते की कार्रवाई के समय हड्डताल या मिल-बन्दी की इजाजत नहीं है।

सौ या सौ ने अधिक व्यक्तियों को काम में लगाने वाले औद्योगिक कारखानों या संस्थापनों (एस्टाविलशमेण्ट) में थम-समितियों (वर्कर्स कमेटी) को स्थापित करने की व्यवस्था है। इनमें नियोक्ताओं और श्रमिकों के प्रतिनिधि होंगे। श्रमिकों के प्रतिनिधियों की सख्ता (जोकि रजिस्ट्रीशुदा थम-संघों की सलाह से चुने जाएँगे) कम-से-कम नियोक्ताओं की सख्ता के बराबर होगी। इन समितियों का काम थपिकों और मालिकों के बीच अच्छे सम्बन्ध बनाये रखना और उन्हें ऐसे अनौपचारिक ढग से मिलने-जुलने देना है कि वे एक-दूसरे से मिलकर रोज़मर्रा के झगड़े तय कर सके। अधिनियम में अनिवार्य मध्यस्थता के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है। इसने विषद् यह कहा गया है कि यह श्रमिकों की सामूहिक सौदा करने की शक्ति को नष्ट करता है और इस प्रकार नियोक्ताओं के विरुद्ध प्रयोग में लाए जाने वाले सबसे जटिली अस्त्र अर्थात् हड्डताल को छीन लेता है। प्रत्युत्तर में कहा जाता है कि समस्त राष्ट्र के हित को व्यान में रखते हुए सरकार द्वारा अनिवार्य मध्यस्थता लागू करना उचित है। यह भी कहा जाता है कि व्यवहार में उसूलन समझौते के प्रयोग और ऐच्छिक मध्यस्थता को भी व्यवस्था है। सरकार के अनिवार्य मध्यस्थता पर हठ करने की नीति से दोनों दल अधिक विवेकपूर्ण ढग तथा सरलता से समझौता कर सकेंगे।

सन् १९४७ की घाराओं को पूरा करने के लिए दिसम्बर, १९४६ में इण्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट्स (बैंकिंग एण्ड इन्स्योरेंस कम्पनीज) एकट पास किया गया। सन् १९४७ के केन्द्रीय कानून को कुछ राज्य सरकारों ने भी सशोधित किया है, उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश (१९५१), मैसूर (१९५३)। केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के कानूनों के अन्तर्गत किये गए निर्णयों की अपील की व्यवस्था करने के लिए २० मई, १९५० म इण्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट्स (एपीलेट ट्रिब्यूनल) एकट पास किया गया। अमूर और काश्मीर को छोड़कर यह कानून सारे भारत में लागू है। अपील सुनने के लिए एक न्यायालय (अपील ट्रिब्यूनल) की स्थापना हो चुकी है। इस न्यायालय के तीन स्थान हैं—बम्बई, कलकत्ता और लखनऊ। १९४६ के इण्डस्ट्रीयल अधिनियम का १९६१ तथा १९६३ में संशोधन किया गया। चीनी आक्रमण के बाद नवम्बर १९६२ में इण्डस्ट्रीयल अस्थायी विराम रेजोल्यूशन (Industrial Truce Resolution) द्वारा इन झगड़ों को मिटान की कोशिश की गई। फिर भी १९६३ में १४७१ औद्योगिक झगड़े हुए जिसमे ३२,६८,५२४ श्रमिक दिनों की हानि हुई।

३८. भारत में थम-सघ आन्दोलन—श्री बी० पी० वाडिया के नेतृत्व में मद्रास में १९१८ में ही थम-संघों का सम्गठन किया गया था। मद्रास से थम-सघ आन्दोलन धम्बई पहुँचा। १९१७ में प्रारम्भ होने वाली औद्योगिक अशान्ति के परिणामस्वरूप कितने ही थम-सघ स्थापित किये गए। ये सब अस्थायी थे और उद्देश्य पूरा होते ही—धाहे वह मजदूरी की वृद्धि हो या कुछ और—विनष्ट हो गए। ये हड्डताल-

समितियाँ-सी थीं जिनमें कुछ अफसर और कुछ चन्दा देने वाले सदस्य थे।^१ परिस्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। आन्दोलन की प्रारम्भिक दशा में आर्थिक कट्टे के एकमात्र सूच से श्रमिक बैंधे रहते थे। यह बन्धन आर्थिक स्थिति के मुद्घार के साथ ही कमज़ोर होता जाता था। बाद में आन्दोलन में शक्ति आती गई। इसे १९२६ के अमन-सघ अधिनियम द्वारा काफी बल मिला। भारत के व्यापार-सघ आन्दोलन की प्रारम्भ से ही एक अखिल भारतीय संस्था—अखिल भारतीय श्रम सघ कार्प्रेस (ग्रॉल इण्डिया ट्रेड यूनियन कार्प्रेस) —का सहयोग प्राप्त हुआ, जिसके प्रविवेदन १९२० से होते आ रहे हैं।

१९४८ के अन्तिम तथा १९४९ के प्रारम्भिक महीनों में ट्रेड यूनियन कार्प्रेस से कितने ही सघ अलग हो गए। ट्रेड यूनियन कार्प्रेस और कम्यूनिस्टों के अधिकार में है। इधर हाल में कार्प्रेस के सिद्धान्तों का अनुसरण करते हुए अहमदाबाद में भी एक सघ बनाया गया। इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय श्रम-सघ कार्प्रेस (इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कार्प्रेस) है और यह धीरे-धीरे शक्ति संग्रह कर रही है। श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में समाजवादियों ने हिन्दू मजदूर पञ्चायत नाम का एक शक्तिशाली संगठन बनाया है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय की स्थापना से भारत में केन्द्रीय श्रम सघ स्थापित होने में शीघ्रता हुई। जेनेवा सम्मेलनों में भारतीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति से भारतीय श्रम आन्दोलन परिचयी दुनिया के सम्पर्क में आ गया।

१९४० में अखिल भारतीय श्रम सघ कार्प्रेस में कुल १९१ सघ ये तथा इससे मम्बद्द सदस्यों की संख्या ३५४,५४१ थी। १९४६-४७ में रजिस्ट्रीशन श्रम-सघों की संख्या १,७२५ थी। जिनमें से ६६८ ने अपना लेखा पेश किया। उनकी सदस्यता १,३३१,६६२ थी। स्थियों की सदस्यता कुल सदस्यता के ४ प्रतिशत से भी कम थी। १९५७-५८ में (जम्मू और काश्मीर, मैसूर और मनीपुर को छोड़कर) भारत में ६,६४४ श्रम-सघ थे। इनमें से ५,३१६ श्रम-सघों ने अपना लेखा प्रस्तुत किया। इनकी सदस्यता २५,८५,५१६ पुरुषों तथा ३,१०,५६४ स्थियों की है। ये सब सघ शक्ति और मामर्थ्य में समान नहीं हैं। लगभग आधे सघ तो सरकारी नौकरियों से सम्बद्ध व्यवितयों के थे।

३६. भारत में श्रम-आन्दोलन की कठिनाइयाँ—सबसे प्रधान कठिनाई भारतीय श्रमिकों की परिवर्तनशीलता है (देखिए, सेवन ३)। द्वितीय, बहुई तथा कलकत्ता-जैसे उद्योग केन्द्रों में काम करने वाले व्यवितयों में इतनी विभिन्नता है कि वे अलग-अलग भाषाएँ बोलते हैं और इसलिए एक-दूसरे के प्रति आकृष्ट नहीं होते। जहाँ पर प्रवासी श्रमिकों की संख्या कम है, जैसे अहमदाबाद में, वहाँ व्यापार-सघ काफी मुहूर हैं। तीसरे, बहुत-में श्रमिक नियमित चढ़ा तथा सघ अनुशासन से भी घबराते हैं।

यही बजह है कि सधो में नाम लिखे गए व्यक्तियों का प्रतिशत बहुत कम है। साधारण मजदूर इतना गरीब होता है कि योड़ा-सा भी चन्दा देना उसे भारी मात्रा म होता है। चौथे, अधिकाश मजदूर निरक्षर होते हैं। परिणाम यह होता है कि उन्हें अपने वर्ग से नेता नहीं मिल पाते। इसी बजह से भारतीय थम सघ आन्दोलन की यह विशेषता है कि इसके नेता अधिकार थम वर्ग के व्यक्ति रहे हैं, जैसे पेशेवर वकील या अन्य ऐसे व्यक्ति जिन्हे राजनीतिक या आर्थिक क्षेत्र में कोई विशिष्टता प्राप्त नहीं हुई है।^१ इसके अतिरिक्त उनके हित कितने ही सधो में विभक्त होते हैं और उनका कानूनी पेचीदगी-सम्बन्धी ज्ञान भी अत्यन्त सीमित होता है। अन्य बाधा वास्तविक जनतन्त्रीय आदर्श का अभाव है जो कि थम सधो के लिए अत्यन्त आवश्यक है। अन्त में, सफल थम-सघ वर्तमान सामाजिक व्यवस्था की स्वीकृति पर भी निर्भर करते हैं ताकि अभिको के लिए अधिक-से-अधिक लाभ उठाया जा सके।^२ यदि अभिक वर्ग के नेता वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था को विनष्ट करन पर तुले होंगे तो उनका प्रभाव इस आन्दोलन को कमजोर ही बनाएगा।

४०. १६२६ का थम-सघ अधिनियम— १६२० म बद्रास उच्च न्यायालय न एक निर्णय दिया, जिसमें थम-सघ के कर्मचारियों तथा सगठनकर्ताओं को अभिको को नियोक्ताओं के साथ अधिक मजदूरी के लिए समझौतों को हड्डताल करके तोड़ने के लिए प्रभावित करने से रोका गया। इससे भारतीय थम-सधो की रजिस्ट्री और सुरक्षा के लिए विधान की आवश्यकता प्रतीत हुई। रजिस्ट्रीशुदा सधो को अपना नाम और उद्देश्य निश्चित करना होता है। इन्हे सदस्यों की सूची रखनी पड़ती है और अपने धन कोष की जाँच करानी होती है। यह धन कुछ निश्चित विषयों पर सदस्यों के हित के लिए व्यय किया जाता है। रजिस्ट्रीशुदा थम सघ के कम-से-कम आधे पदाधिकारी उसी उद्दोग के होने चाहिए। इन प्रतिवन्धा क साथ ही कानून न सभी थम-सधों के कर्मचारियों को थम-सघ के वैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये गए कामों में अपराध की ज़िम्मेदारी से छूट दे दी है। उनके ऊपर पद्यन्त्र का दोष नहीं लगाया जा सकता है। अधिनियम में ऐसी व्यवस्था है कि (१) किसी रजिस्ट्री-शुदा सघ कर्मचारी के खिलाफ व्यापारिक भगडे को अग्रसर करने के लिए किये गए किसी काम का मुकदमा दीवानी कचहरी में इस आधार पर दायर नहीं किया जा सकता कि वह नौकरी के खिलाफ भड़वाता है या व्यापार अथवा व्यवसाय या दूसरे की नौकरी या अपनी सम्पत्ति को प्रयोग करने के अधिकार में हस्तक्षेप करता है। दीवानी

१. ऐसा कि ब्रिटिश थम-हृष्ट आन्दोलन के प्रारंभिक दिनों में हुआ था जब अधने नेटूब के लिए रार्ड ओवेन, प्राइस लेस, विरले, लडलो और फ्रेडरिक हेस्टिन काल्डर्वर्ट यों द्वारा निर्भर थे। इसी प्रकार भारतीय आ दोहन डप्पने प्रारा अक टों में प्राय हृष्ट और दूसरी द्वारा निर्भर था। इसी वर्ग से अध्यक्ष और सचिव मिलते थे। इस विषय पर रोचक आलोचनाओं के लिए देखिया, थ्र० आ० प्र०, पृष्ठ ३२४-२५ और ३२८-२९।

२. अहमद मुख्तार, डेड यूनियनियम एण्ड लेवर डिमध्यूम इन इण्टिया।

कबहंगी में (२) किसी भी रजिस्ट्रीशुदा श्रम-सघ के लिलाफ़ इस आधार पर भी कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता कि कोई कर्मचारी ज्यापारिक विग्रह को अप्रसर कर रहा है, जब तक कि यह न साक्षित हो जाए कि वह यथा की कार्यकारिणी को चिना बताए या उसके प्रकट आदेशों के विहङ्ग काम कर रहा है। रजिस्ट्रीशुदा श्रम-सघ सदस्यों के नागरिक एवं राजनीतिक हिन्दों की पूर्ति के लिए कोप इकट्ठा कर सकता है किन्तु इसके लिए चन्दा पूर्णतया ऐच्छिक होता है। १९६३ में श्रम सघों की संख्या २,६२५ थी और सदस्यों की संख्या २२,०८,२१६ थी।

श्रीद्योगिक कल्याण^१

४१. कल्याण-कार्य की प्रकृति—सरकार, श्रमिकों, नियोक्ताओं या सामाजिक संस्थाओं द्वारा ऐसे प्रयत्न किए जा सकते हैं। एक हृष्टिकोण से ऐसे प्रयत्नों की मानवता का कार्य कहा जा सकता है जिसका उद्देश्य श्रीद्योगिक जनता का हित होता है। सकुचित और केवल उपर्योगितावादी अर्थ में तथाकथित कल्याण-कार्यों को कुशलता-कार्य भी कहा जा सकता है। इसका श्रमिक के शारीरिक स्वास्थ्य और कुशलता पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

४२. कल्याण कार्य का विभाजन—कल्याण-कार्य के दो प्रधान भाग हैं (१) कारखान के अन्दर के कल्याण कार्य तथा (२) कारखाने के बाहर के कल्याण-कार्य। जहाँ तक कारखाने के अन्दर काम की दशाओं के सुधारने का सबाल है इसके विषय में सरकार, नियोक्ताओं तथा अन्य साधनों द्वारा किये गए प्रयत्नों का विवेचन अध्याय में पहले ही किया जा चुका है।

बीते युग के नियोक्ताओं की ओर से श्रमिकों के अवकाश का सदुपयोग करने के प्रति पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। जो प्रयत्न किये गए वे श्रीपथि-सम्बन्धी सहायता या शिक्षा और आवास की सहायता के रूप में थे। वर्तमान समय में बढ़ती हुई श्रीद्योगिक अशान्ति के कारण इस पर अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है। मई, १९२६ में भारत सरकार ने सभी प्रान्तीय सरकारों से काम पर न होने के समय श्रमिकों की रहने की दशा सुधारने के लिए किये गए प्रयत्नों के ग्रांकडे एकत्रित करने के लिए कहा। यह जांच अन्तर्राष्ट्रीय थम-सम्मेलन के छठे सम्मेलन की सिफारिश पर की गई। अन्तर्राष्ट्रीय थम-सम्मेलन ने विभिन्न सरकारों से इस बात की प्रार्थना की कि वे श्रमिकों के स्वाली समय के उपयोग से सम्बन्धित अवानन सूचना दें।

वर्माई के कुछ उदार नियोक्ताओं द्वारा प्रदर्शित रुचि वे अतिरिक्त कितने ही नियोक्ताओं ने अन्य श्रीद्योगिक केन्द्रों, विशेषकर नागपुर, मद्रास, जमशेदपुर और कानपुर, में श्रम-कल्याण-कार्य की योजनाएँ प्रारम्भ की हैं। वर्किंगम कन्टिक मिलों

१. इन विषय पर अम-आयोग की रिपोर्ट का चैरहवा अध्याय देखिए।

द्वारा भूतकाल में किया गया कल्याण-कार्य सभी को ज्ञात है। नामपुर की इम्प्रेस मिल ने श्रमिकों के हित की देख-भाल का काम बाई० एम० सी० ए० (नवयुवक ईसाई सघ) को सौंप दिया है। जमशेदपुर के टाटा आइरन और स्टील कम्पनी के सचालकों का कहना है कि कम्पनी के प्रारम्भ से ही श्रम के प्रति उनका रुख तथा श्रमिकों के लिए सफाई, सुरक्षा, शिक्षा, जल-वितरण, आवास, जल-निकासी, अस्पताल तथा अन्य सार्व-जनिक सेवाओं की व्यवस्था भारत में बेजोड़ है और भारतीय जनता के सभी मतों के व्यक्तियों ने उसे सहर्ष स्वीकार किया है। कानपुर में ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन ने कल्याण कार्य अधीक्षक को व्यवस्था की है जो कि श्रमिकों के रहने के लिए बनाई गई दो बस्तियों की देख-रेख करता है। बम्बई कारपोरेशन, पोर्ट ट्रूस्ट-जैसी नगर-पालिकाओं और रेलो-जैसी जनोपयोगी सेवाओं ने भी अपने कर्मचारियों के हित के लिए काम किया है।

प्रान्तीय स्वशासन के अन्तर्गत कितनी ही सरकारों ने नियोक्ताओं द्वारा किये गए कल्याण और आमोद-प्रमोद की कियाओं को पूरा करने के लिए स्वयं कल्याण-योजनाएँ प्रारम्भ की हैं। उदाहरणार्थ, बम्बई की सरकार ने बम्बई के श्रीयोगिक शेत्रों तथा गज्ज के अन्य नगरों में कल्याण-केन्द्र खोले हैं।^१

४३ कल्याण-कार्य के लद—(१) शिक्षा—श्रीयोगिक श्रमिकों की शिक्षा से सम्बन्धित दयनीय दशा की चर्चा की जा चुकी है।^२ टाटान्जेसे कुछ उदाहरण नियोक्ताओं ने श्रमिकों की शिक्षा का भी प्रबन्ध किया है। उनके और उनके बच्चों के लिए दिन और रात्रि की पाठशालाएँ खोली गई हैं। बम्बई के समाज सेवा संघ और ईसाई नवयुवक सघ ने भी श्रीयोगिक श्रमिकों की शिक्षा के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण काम किया है। इन्होंने स्कूल और रात्रि पाठशालाओं के अतिरिक्त पाठ गृहों और पुस्तकालयों की भी व्यवस्था की है। (२) श्रीवधि सहायता—भारत के बड़े कारखानों में श्रीवधि-सहायता की सुविधाएँ सामान्यत प्राप्त हैं, किन्तु लेडी डॉक्टरों द्वारा स्त्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत कम पाई जाती है। (३) प्रसवकालीन लाभ—स्त्रियों और उनके बच्चों के हित के लिए प्राचीन देशों में प्रसवकालीन लाभ और बच्चा होने के कुछ दिन पूव और पश्चात् तक काम न करने देने की प्रथा है। चूंकि भारत में स्त्रियाँ गृह-सेवक का भी काम करती हैं, प्रत्येक यहा भी यह व्यवस्था अत्यन्त महत्त्व-पूर्ण हो जाती है। १९१६ के वाशिंगटन अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने औरतों को काम में लगाने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास किया। इसमें प्रसवकालीन लाभ के प्रश्न पर भी विचार किया। यह आशा नहीं की जाती थी कि भारत इस प्रस्ताव को तुरन्त स्वीकार कर लेगा, किंतु भी भारत सरकार वो इस प्रश्न की ध्यानबीन करने के लिए आमनित किया गया ताकि वह दूसरे सम्मेलन को अपनी रिपोर्ट दे सके। प्रस्तुत की गई जांचों से यह सिद्ध हुआ कि बहुत थोड़े-मे ही नियोक्ताओं ने इस प्रकार

१. इण्डियन इश्टर बुक, १९४०-४१, पृष्ठ ५५६।

२. देखिण, अध्याय १, सेवण ६।

वा काम प्रारम्भ किया है। प्रान्तीय सरकारों ने ऐसी देच्छक योजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की। जून, १९२४ में भारत सरकार द्वारा को गई अन्य जांचों से भी स्पष्ट हो गया कि बगाल के तीन प्रवान और संगठित उद्योगों—जूट, चाय और कोयला—में प्रसवकालीन लाभ की निश्चित योजनाएँ चालू थीं। आसाम के चाय के बगीचों, आसाम-रेलवे तथा व्यापार क्षम्पनी, विहार और उडीसा की खानों और बम्बई के कारखानों में भी इस प्रकार की योजनाएँ चल रही थीं। इनमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त हैं, जैसे गर्भावस्था में कुछ समय की छुट्टी, दूध तथा दूध पिलाने वाली घोतलों का निर्मल्य वितरण। इन मध्यके प्रतिरिक्ष बम्बई में प्रमुख-गृह भी हैं। बम्बई सरकार द्वारा नियुक्त लेडी डॉक्टर बेनेंस ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में टाटा मिल-समूह द्वारा दी गई प्रसवकालीन सुविधाओं का रोचक विवरण दिया है। बम्बई के कम ११ महीने काम कर चुके वाली स्त्री को बच्चा पैदा होने के एक महीने पहले और एक महीने बाद की तनखाह भर्ते के रूप में दी जाती है, यदि वह किसी लेडी डॉक्टर द्वारा गर्भावस्था के आठ महीने पूरे होन का प्रमाण-पत्र पक्ष करे और यह आश्वासन दे कि वह मजबूरी पर अन्यत्र काम न करेगी।

१९३४ में संशोधित अधिनियम द्वारा बच्चा पैदा होने के चार सप्ताह तक काम करना अवैध घोषित किया गया। आठ आठ महीने के हिसाब से प्रसवकालीन लाभ बच्चा पैदा होने के चार सप्ताह पहले और बाद तक मिलेगा, बशर्ते कि वह नियोक्ता को इस बात की सूचना देने की विधि के नो महीने पहले से काम कर रही हो और सूचना देने के एक महीने बाद ही बच्चा पैदा होने को हो। यदि इस छुट्टी की अवधि में वह कहीं और काम करेगी तो उसे यह लाभ नहीं मिलेगा। १९३८ में यह अधिनियम सभी ग्रौद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाली स्त्रियों पर लागू कर दिया गया। १९५८ में प्रसवकालीन लाभ अधिनियम मध्य प्रदेश में तथा १९५७ में केरल में भी पास किया गया। १९३५ में मद्रास में भी बम्बई-जैसा एक अधिनियम पास किया गया, जिसमें १९४८ में सदोघत विद्या गया। आसाम का अधिनियम ही कारखानों और चाय के बगीचों, दोनों में लागू हाता है। जेप सभी अधिनियम के बल बारखानों पर ही लागू होते हैं। सभी प्रसवकालीन लाभ विधानों के माधारभूत सिद्धान्त एक ही हैं, अर्थात् बच्चा पैदा होने के कुछ समय पूर्व और पश्चात् स्त्रियों का नक्द आर्थिक सहायता दी जाए, प्रसव के बाद उन्हें अनिवार्य रूप से कुछ समय तक विश्राम करने दिया जाए और यदि व बच्चा पैदा होन की सूचना देती है तो पहले भी करने दिया जाए। सभी अधिनियमों में लाभ मिलने के लिए एक निश्चित अवधि की नीकरी या काम आवश्यक है।

(४) आमोद-प्रमोद—आमोद प्रमोद का महत्व स्वयं इतना स्पष्ट है कि उस पर विशेष बल दन की आवश्यकता नहीं है। अभिका के नीरस जीवन में थाड़ी भी हृरियाली लान वाली कोई भी चीज स्वागत योग्य है। अभिक को ऐसे काम में लगाना आवश्यक है ताकि उसका फालतु समय गराबखारी और नशे में व्यतीत न हो तथा ग्रौद्योगिक बन्दों में ग्रौद्योगिक काम के प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाए और

वह विना हिचक के बहाँ बस जाए। बम्बई सरकार के कल्याण-केन्द्र की स्थापना के प्रयत्न भी स्तुत्य है। इन विद्यालयों के फलस्वरूप सिनेमा, मेजिक लेप्टर्न की सहायता से भाषण, सगीत-सम्मेलन, नाटक, अद्वाडे, दगल आदि के आयोजन का नाम लिया जा सकता है। (५) आवास—इस समस्या का विवेचन इस अध्याय में पहले ही हो चुका है।^१ (६) सहकारी समितियाँ—सहकारी आन्दोलन के विवरण में इसका पूरा बरण न हो चुका है।^२ (७) अन्न-वस्त्र की दूकानें—कुछ मिलों में श्रमिकों को सत्ती दर पर अन्न-वस्त्र बेचने के लिए दूकानें भी खोली गई हैं, जिससे वे धोखेबाज बनियों के चमुल से बच सकें। इस समस्या का सन्तोषजनक निदान सहकारी स्टोर खोलने से ही ही हो सकता है। (८) चाय की दूकानें और केटीन —चाय और स्वास्थ्यजनक खाद्य की आवश्यकता प्रतीत होने पर भी हमारी मिलों में इनका प्रबन्ध नहीं के बराबर है।

ऊपर बताय गए फैक्ट्री एवट के आधुनिकतम सशोधन में कल्याण-कार्य के लिए अनेक धाराएँ हैं, जिनमें विश्राम के लिए सुन्दर विश्राम-गृहों का निर्माण, ५० से अधिक स्त्रियों को नौकर रखने वाली फैक्ट्रीयों में उनके बच्चों के लिए कमरों की व्यवस्था तथा प्राथमिक सहायता के उपस्कर की व्यवस्था आदि का नाम गिनाया जा सकता है। श्रमिकों को दृढ़ावस्था में काम आने के लिए १९५२ में श्रमिक प्रोवीडेन्स फंड पास हुआ जो जनवरी १९६५ के अन्त तक ६६ इन्डस्ट्रीज और अन्य संस्थाओं में लागू हुआ। इसकी सदस्य-संख्या ३६ लाख हो चुकी है और तीसरी पचवर्दीय योजना के अन्त तक भजदूरों को लाभ पहुँचायेगी। इस योजना के अन्त तक इस संघ के पास ७०० करोड़ रुपये की साल हो जायेगी।

१. देखिण, सेवरान १३-१५।

२. देखिण, खण्ड १, अध्याय १०, सेवरान २।

अध्याय १७

राष्ट्रीय आय

१ राष्ट्रीय आय के अनुमान : दादाभाई नौरोजी का अनुमान—दादाभाई नौरोजी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'पॉवर्टी एण्ड दी ब्रिटिश लल इण्डिया' में पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय आँकने का गम्भीर प्रयास किया। यह अनुमान १८६७-७० के सरकारी आँकड़ों पर आधारित है। डॉ० नौरोजी ने जिन सिद्धान्तों का अनुसरण किया, उनकी व्याख्या वह निम्न शब्दों में करते हैं—“मैंने प्रान्त की एक या दो मुख्य उत्पत्तियों को उस प्रान्त की कुल उत्पत्ति का प्रतिनिधि मान लिया है। मैंने प्रत्येक ज़िले की जोती जाने वाली सम्पूर्ण भूमि, प्रति एकड़ उत्पादन एवं उसके मूल्य को लिया है, अब साधारण गुणा और जोड़ से कुल उत्पादन की मात्रा और मूल्य भालूम हो जाता है। इससे प्रति एकड़ औसत उत्पादन और सम्पूर्ण उत्पादन का मूल्य भी सही-सही मालूम हो जाता है।” इस आधार पर काम करते हुए वह इस परिणाम पर पहुँचे कि कृषि-उत्पादन का कुल मूल्य २७७,०००,००० पौड़ है। इसमें से ६% वह बीज के लिए घटा देते हैं। इसके बाद २६०,०००,००० पौड़ बचा। नमक, अम्फीम, कोयला और व्यापार म होने वाल लाभ का मूल्य प्राय १७,०००,००० पौड़, निमित वस्तुओं का मूल्य १५,०००,००० पौड़, लगभग इतना ही मछली, दूध, गोश्त इत्यादि का मूल्य तथा ३०,०००,००० पौड़ अन्य वातों के लिए रख लेने पर इन सबका योग ३४०,०००,००० पौड़ होता है। जनसंख्या को १७०,०००,००० मानने पर ब्रिटिश भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय ४० रुपये हुई। जेल में दी जाने वाली खुराक और प्रवासी कुलियों को दिये जाने वाले राशन के आधार पर वह इस नतीजे पर पहुँचे कि यह केवल जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक आय—३४ रु०—से भी कम है। “बूँकि राष्ट्रीय आय दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ण के लिए भी पर्याप्त नहीं थी, अतएव देश की उत्पादक पूँजी धीरे-धीरे प्रतिवर्ष व्यय होती गई और देश की बढ़ती गरीबी के साथ उत्पादन-शक्ति का ह्रास होता गया।”

डॉ० बी० के० शार० बी० राव का मत है कि दूध, मछलियां तथा मास के सम्बन्ध में दादाभाई नौरोजी का अनुमान कम है। दूध, मास और मछलियों का उत्पादन कृषि का चतुर्थांश है। इस प्रकार इन साधनों से प्राप्त आय ६५० लाख पौड़ होगी न कि १५० लाख पौड़। उद्योगों पर आवलम्बित जनसंख्या कृषि-जनसंख्या के ६% से अधिक है तथा कृषि-जनसंख्या की तुलना में ग्रोथोगिक शक्तियों की आय भी अपेक्षाकृत अधिक है। अतएव निर्माणों से प्राप्त आय १५० लाख पौड़ के बजाय ६०० लाख पौड़ होनी चाहिए। इसी प्रकार प्रशासन, परिवहन, पेशी और एह-सेवकों

के लिए भी कुछ जोड़ना होगा। इन संबोधनों के बाद राष्ट्रीय आय २० हू० प्रति व्यक्ति से बढ़कर २३ या २४ हू० प्रति व्यक्ति हो जाएगी।^१

२. राष्ट्रीय आय १८७५ से १९११ तक—दादाभाई नौरोजी के बाद, १८८२ में दूसरी जांच अलं कोमर (उस समय, मेजर ईवलिन वेरिंग) तथा सर (उस समय मिस्टर) वेविड वारवर ने की और उनके परिणाम इस प्रकार थे—

कृषि-आय	₹० ३५०,००,००,०००
गंर-कृषि-आय	₹० १७५,००,००,०००
योग	₹० ५२५,००,००,०००

१६४,५३६,००० व्यक्तियों में बाँट देने पर, जो तत्कालीन जनसंख्या थी, प्रति व्यक्ति औसत आय २७ हूपये हुई।

१६०१ की जनगणना के अनुसार जनसंख्या २३,१०,००,००० थी। इस आधार पर एक अच्छे वर्ष में प्रति व्यक्ति आय १८ हू० द आना ११ पाई होती। दुर्भिक्ष वर्ष १८६६-१९०० के लिए डिग्वी द्वारा अनुमानित आय १२ हू० द आने थी।

दुर्भिक्ष आयोग के लिए आकलित आँकड़ों के आधार पर कृषि-आय को ४५०,००,००,००० रु० मानकर लाठं कर्जन ने उपर्युक्त कथनों के उत्तर में अपना अनुमान प्रस्तुत किया। १८८० की गणना के अनुसार कृषि-आय १८ हू० प्रति व्यक्ति थी। उसी क्षेत्र की अवासन जनगणना की संख्याओं को लेकर यह अनुमान लगाया गया कि कृषि-आय १८ हू० से बढ़कर २० हू० हो गई। यह मानने पर कि गंर-कृषि-आय भी उसी अनुपात में बढ़ी होगी, १९०० में भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय १८८० के २७ हू० के बजाय ३० हू० हुई। लाठं कर्जन ने स्वीकार किया कि आँकड़े निर्विवाद नहीं थे। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि १८८० की संख्याएं भी अनुमानित ही थी और यदि एक तरफ के समर्थन के लिए एक संख्या प्रयुक्त बीं जा सकती है तो उसी प्रकार दूसरी संख्या का प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि गणना के आधार पर निर्दिष्ट आर्थिक दशा की प्रगति न तो महत्वपूर्ण ही थी और न सतोपनक ही। लेकिन इससे यह बात तो स्पष्ट हो ही जाती है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं लौट रहे हैं।

१६०२ में एफ० जे० अटकिसन ने एक लेख 'स्टेटिस्टिकल रिव्यू ऑफ दि इनकम एण्ड बेल्य ऑफ विटिश इण्डिया' लिखा जो लन्दन में रॉयल स्टेटिस्टिकल मोसाइटी के सामने पढ़ा गया। उन्होंने सम्मूर्ण जनसंख्या को तीन वर्गों में विभाजित किया—(१) कृषि जनसंख्या, (२) गंर-कृषि जनसंख्या (गरीब), (३) गंर-कृषि जनसंख्या (घनी)। पहले वर्ग की आय क्षेत्रफल, उत्पादन और कीमतों के आँकड़ों पर निर्भारित की गई। दूसरे वर्ग की आय प्रत्येक वर्ग के अधिकों की संख्या को

१. देसियर, बी० के० आर० बी० राव, 'इण्डियन नेशनल इन्कम', १९२५-२६, प० १७-२२।

उनकी पारिवर्त्यमिक दर से गुणा करके प्राप्त की गई। तृतीय वर्ग में सरकारी नौकरों के लिए सरकारी अनुमान (तिविल एस्टिमेट्स) और पेशेवर लोगों के लिए आय-कर वो प्रयोग में लाया गया। इस आधार पर अटकिसन न अनुमान लगाया कि १८७५ में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय ३० ५ रु० तथा १८८५ में ३६ ५ रु० थी। इनमें से बीज, घिसाव आदि के लिए कुछ नहीं घटाया गया। इस प्रकार अन्तिम परिणाम में अनिरजन का दोप आ गया और डॉ० राव ने इसमें सुधार करना आवश्यक समझा तथा अनुमान वो ३६ ५ रु० था जो से घटाकर ३१ ८० रु० आ० कर दिया।^१

३. बाड़िया और जोशी का अनुमान—१८१३-१४ की राष्ट्रीय आय का अनुमान श्री पी० ए० बाड़िया और श्री जी० एन० जोशी न लगाया है।^२ हम उनकी जाच का परिणाम सक्षेप में नीचे दे रहे हैं। कृषि-उत्पादन का मूल्य १०,७२,६६,६३,२८२ रु० रखा गया। इसमें से बीज और खाद के लिए प्रतिशत घटाया गया। अतएव बास्तविक कृषि-आय ८,५८,३६,६४,६२६ रु० हुई। खनिज पदार्थों का मूल्य १४,४०,६५,००० रु० अनुमान किया गया। इसमें २० प्रतिशत घिसाव और मजदूरी से सम्बन्धित खनन का व्यय घटाया गया। (गणना में प्रागे खनिज-उत्पादन निर्माण (मेनूफेक्चर्स) में जोड़ लिया गया है।) इस तरह बास्तविक मूल्याकृत ११,५२,७६,००० रु० हुआ। जहाँ तक निर्मित वस्तुओं (मेनूफेक्चर्स) के मूल्य-निर्धारण का प्रक्षण है, इसे कच्चे माल का $\frac{1}{3}$ अर्थात् २० प्रतिशत माना गया। इसका मूल्य (२०४,७६,६५,००० - ५) = ४०, ६५,३३,००० रु० हुआ। लेखकगण ऊपर बतायी गई पढ़तियों से इस कुल आय में से कई चीजें घटाकर निम्न आलेख प्रस्तुत करते हैं जो कि १८१३-१४ की कुल राष्ट्रीय आय में से घटाई गई राशि प्रदर्शित करता है—

(१) गृह-व्यय	२००,००,००० पौण्ड
(२) सरकार की ओर से विदेशी पूँजी का विनियोग	८०,००,००० पौण्ड
(३) भारत में लगी विदेशी पूँजी पर लाभ	३६०,००,००० पौण्ड
(४) भारत में नई विदेशी पूँजी का विनियोग	५०,००,००० ^३ पौण्ड
(५) सरकारी अफसरों, यूरोपीय नौकरों आदि द्वारा भारत से बाहर भेजा जाने वाला व्यय	१००,००,००० पौण्ड
	८२०,००,००० पौण्ड
	<u>= १२३,००,००० रु०</u>

इस आय को डिटिश भारत की जनसंख्या में विभाजित करने पर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय ४४ रु० ५ आ० ६ पा० आ० ही है। १८११ की जनगणना के अनुसार डिटिश भारत की जनसंख्या २४,४१,८६,७१६ थी। इसमें तीन वर्ष की सम्भावित वृद्धि

१०. पूर्व उद्धृत, पृ० ८८-९६।

२. 'दि बैल ऑक इस्टिंश', पृ० ६५-६१२।

३. बाड़ी रावर्ट्सन की रिपोर्ट के लेटकों का कहना है कि इस मद का मूल्य दो बार घटाया गया है।

के लिए १०,००,००० जोड़ दिया गया है।

४. शाह और खबाटा का अनुमान—२० टो० शाह और कें० जे० खम्बाटा के अनुमान का सारांश इस प्रकार है—

मंदे	पुढ़-पूर्व काल	पुढ़-पुढ़ोत्तर काल	कुल अवधि	वष
	१६००-१४	१६१४-२२	१६००-२२	१६२१-२२
कृषि-उत्पादन	१०१४ घ	१६८६ ५	१२५७ १	२१५५ ८
बीजों के लिए घटाया गया	२०	३५	२५	५८
वास्तविक कृषि उत्पादन	६६४ ८	१६५१ ५	१२३८ १	२०६७ ८
बन-धन	१०	२०	१४	२८
मद्दलियाँ	१२	२५	१६	३२
निमित वस्तुएँ	५०	१५०	१०६	१८६
खनिज पदार्थ	१०	२१.६	१४	२८७
मकान इत्यादि	१०	१६.४	१२	२०३
योग	११०६	१८६२	१३८०	२३६४

करोड़ रुपयों में

इस प्रकार प्रति व्यक्ति कुल आप

—१६००-१४—३६ रु०
 —१६१४-२२—५८ रु०
 —१६००-२२—४४ रु०
 —१६२१-२२—७४ रु०

५. किण्डले शिराज का अनुमान—१६२०-२१ और १६२१-२२ के लिए किण्डले शिराज के अनुमान में कृषि-उत्पादन कमश १,७१,४६४ लाख रु० तथा १,६८,३४१ लाख रु० तथा गंर-कृषि-उत्पादन ददृ करोड़ रु० रखा गया। इस आधार पर १६२१ और १६२२ के लिए प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कमश १०७ रु० तथा ११६ रु० हुई। शिराज ने बताया कि १८८१ से १८११ तक की अवधि में किये गए सब अनुमानों में यह मान लिया गया था कि कृषीय और गंर-कृषीय आय दोनों बगों में उनकी सह्या के अनुपात से विभाजित है। यह गणना तब तक थी कि जब तक देश का आर्थिक विकास अपनी शैशवावस्था में था। लेकिन इधर हाल में कुछ शीघ्रता से परिवर्तन हुए हैं, अतएव कुल गंर-कृषीय उत्पादन पर पहुँचने के लिए कुछ और जोड़ना आवश्यक हो गया है। इसके लिए ७५ करोड़ रु० जोड़ना उपयुक्त होगा और इसे जोड़ने पर कुल ददृ करोड़ रुपये हुए। शिराज के अनुमान के विरुद्ध एक स्पष्ट आलोचना यह है कि कृषि-उत्पादन-गणना में उन्होंने बीज इत्यादि को घटाने की आवश्यकता समझी।

१. क० टो० शाह और क० जे० खम्बाटा, 'द वेल्थ पर्स टेक्सेवल कैपेसिटी ऑफ शिराज', पृ० १६६२००।

६ बी० के० आर० बी० राव का अनुमान—डॉ० राव ने १९३१-३२ के लिए राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया है। उनके अनुसार वास्तविक आय (ब्रिटिश भारत की) १,६०,००० लाख और १,८०,००० लाख रु० के बीच है और प्रति व्यक्ति आय ६५ रु०। इसमें मूल संशोधन के लिए ५% जोड़ या घटाया जा सकता है। नीचे की सारणी में विस्तृत वर्णन दिया गया है—

	मूल्य दस लाख रुपयों में	मूल की सीमा, प्रतिशत
कृषि-उत्पादन का मूल्य	५,६२७	—
पशु " "	२,६८३	= १०
मछली और शिकार "	१२०	= २०
जगल के उत्पादन "	६२	—
खनिज " "	१६०	—
आय वर पर लगी हुई आय	२,१६१	—
" से मुक्त आय (उद्योगों में लगे श्रमिकों की)	२,१००	= १७
" " " रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ	५६०	—
व्यापार में लगे लोगों की आयकर से मुक्त आय	१,२३३	= १५
शिक्षा इत्यादि में " " " "	४१६	= १५
रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ को छाड़कर परिवहन में लगे लोगों की आयकर से मुक्त आय	२८३	= २०
गृह-सेवाओं में लगे श्रमिकों का आय-कर	३२५	= २०
विविध मदों से मुक्त आय	७८०	= १०
योग	१६,६६०	= ६

डॉ० राव अपने अनुमान को इस आधार पर अधिक सही बताते हैं कि उन्होंने प्राप्य आंकड़ों को मास, दूध की उत्पत्ति, उद्योग में लगे हुए लोगों की आय, स्थानीय अधिकारियों की सेवाओं इत्यादि के सम्बन्ध में की गई तदर्थ (एड हॉक) जांचों द्वारा भूर्ण किया है।

७ ईस्टर्न इकनामिस्ट का अनुमान—ईस्टर्न इकनामिस्ट ने अपने वार्षिक अंक (३१ दिसम्बर, १९४८) में १६३६-४० से १६४७-४८ के लिए राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में निम्न मस्थाएँ दी—

ब्रिटिश भारत की आय (१६३६-४० से १६४७-४८ तक)
(दस लाख रुपयों में)

	१६३६-४०	१६४०-४१	१६४१-४२	१६४२-४३	१६४३-४४	१६४४-४५	१६४५-४६	१६४६-४७	१६४७-४८
कृषि तथा अन्य सम्बन्धित पेशी से आय	६५२७	१०३६५	१०४८	१७४०२	२१२८६	२२६३८	२२२४५	२५६६३	२१२६३
उद्योगों से आय	३७४०	४०६२	६०२०	६५६०	९२४००	१३१२०	१०३३८	६३८२	६३००
अन्य मर्दों से	६०२६	६१२६	६२६३	६७७२	८६५१	८६५१	६७६६	६७६८	८३१८
कुल आय	१६३४३	२०५८३	२३२६०	३३७८४	४२३३८	४२७०१	४२३८२	४४८७२	३६४३१

जीवन-निर्वाह-व्यय देशनाक की सहायता से व्यवस्थित (दृव्य आय से भिन्न) वास्तविक आय के परिवर्तन निम्न तालिका में प्रदर्शित किये गए हैं—

वास्तविक आय १६३६-४० में ६७ रु० प्रति व्यक्ति थी, १६४७-४८ में घट कर ६२ रु० हो गई। इसके अतिरिक्त इस आय का कुछ भाग उपभोग पर नहीं व्यय किया गया, वरन् पौण्ड पावना के निर्माण में खर्च हुआ। वह वात निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाएगी जो कि उपभोग (खाना और कपड़े) की कमी प्रदर्शित करती है।

खाना और कपड़ा प्रति व्यक्ति उपभोग

	१६३६-४०	१६४०-४१	१६४१-४२	१६४२-४३	१६४३-४४	१६४४-४५	१६४५-४६	१६४६-४७	१६४७-४८
प्रति व्यक्ति भोजन का उपभोग	३८८	३६६	३४८	३७८	३७६	३७०	३४०	३५८	३५७
प्रति व्यक्ति कपड़े का उपभोग (गणीय में)	१६	१६	१४	१०	१४	१४	१२	१२	११

८. व्याख्या तथा तुलना की कठिनाइयाँ—इन परिणामों की तुलना करते समय पाठक को बहुत-सी वातों का ध्यान रखना होगा। पहली वात तो यह है कि वे विभिन्न तिथियाँ और वर्षों की हैं, प्रत्येक इस बीच हुए मूल्यों के अन्तर का ख्याल रखना होगा। मूल्यों में ८०% वृद्धि की मान्यता पर १६१३-१४ का ४५ रु० १६२१०-२२ का ८१ रु० के बराबर होगा। दूसरी वात यह है कि गणना में लिया गया क्षेत्र हर गणना में एक ही नहीं है। उदाहरणात्मक शाह और खानादान ने बेवल ब्रिटिश भारत ही नहीं, अपिनु भारतीय रियासतों का भी समिल कर लिया है। अतएव इस गणना ग्राह उस गणना के बीच, जोकि बेवल ब्रिटिश भारत तक सीमित है, तुलना करते

समय हमें शाह-नवग्राहों की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना पड़ेगा, जबकि द्वितीय भारत रियासतों की अपेक्षा थोड़ा अधिक धनी और अधिक हृषि से विकसित है। हमें अपनायी गई पद्धतियों से उत्पन्न अन्तर भी ध्यान में रखना होगा। जैसा कि हम देख चुके हैं, शिराज़ कुछ भी नहीं धटाते जबकि अन्य गणनाओं में थोड़ा बहुत घटाया गया है। राष्ट्रीय आय के तत्त्वों के सम्बन्ध में भी मतभेद है, जबकि शिराज़ पश्चों में हुई आमदनी को जोड़ता है अन्य गणनाएँ ऐसा नहीं करती।^१ अतएव विभिन्न अनुमानों की तुलना करते समय हम दी गई वास्तविक संरक्षणों को ध्यान में न रखकर उन संरक्षणों को ध्यान में रखना चाहिए जो सबके द्वारा एक ही पद्धति अपनाने पर होती। एक और ध्यान देने वी बात यह है कि बाद की गणनाएँ अधिक वैज्ञानिक आधार पर हैं। जैसा कि शिराज़ ने कहा है, यदि उसके विस्तृत तरीके के स्थान पर पुरानी पद्धति का अनुसरण किया जाए तो कृपि और अन्य पश्चों से होने वाली आय का मूल्य काफी कम होगा।

इन गणनाओं से आर्थिक समृद्धि के सम्बन्ध में परिणाम निकालते समय भी काफी सावधानी से काम लेना होगा। यहाँ केवल प्रति व्यक्ति औसत आय को ही ध्यान में नहीं रखना होगा बल्कि राष्ट्रीय आय विन अगों से मिलकर बनी है इसका भी ध्यान रखना होगा। भारत-जैसे देश के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि आय का वित्तना भाग खाद्य-सामग्री के रूप में है, जबकि यदि खाद्य-सामग्री जैसी जीवन को आवश्यकताओं में नमी है तो अन्य प्रकार की आय में वृद्धि उतने महत्व की नहीं होगी। यदि सेवाओं को राष्ट्रीय आय के अन्तर्गत लिया जाए है तो यह ध्यान रखना जोगा कि यथा हमारी परतन्त्रता वे युग में कुछ सेवाओं का बहुत बढ़ा-चढ़ाकर मूल्य बन नहीं किया जाता था?

कभी-कभी तो दरिद्रता को तासबीर इसलिए बढ़ा चढ़ावर खीच दी जाती है कि वे समझते हैं कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय एक औसत कुटुम्ब की आय का प्रति-निधित्व करती है। यदि हम जनता को ऊरुरत से राधादा खुशहाल समझते हैं तो हम दूसरी दिशा में गलती करते हैं, जबकि ऐसा करने में हम यह भूल जाते हैं कि आय का वितरण असमान है। कुछ लोगों की आय औसत से बहुत ज्यादा और बहुतों की औसत से बहुत कम है। विद्वत्पूर्ण पश्चों और जमीदारियों में अपेक्षाकृत अधिक आय है। छोटे-मोटे व्यापारियों को आय मध्यम थेरेणी की है। नगरों में आधी आय आबादी के दशमाश लोगों के हाथ में है। पड़े-लिखे, पश्चों वाले तथा बड़े-बड़े जमीदारों की आमदनी काफी ज्यादा है। ऐसे लोगों का ३८%, जिनकी आय २,००० हूँ से ज्यादा है, कुल आय के १७% का अधिकारी है, जबकि १% व्यक्तियों के पास बुल आय का १०% है।

शाह और खम्बादा की गणना के अनुसार १ लेविशत या आधितो को

१. शिराज़ अपने खास अनुमान में कुले रूप से सेवाओं को शान्ति नहीं करता, लेकिन अपनी गैर-राष्ट्रीय आय की बाँच पक्का लालिका द्वारा करता है जिसमें सेवाएँ सम्मिलित हैं।

सम्प्रसित करने पर अधिक-से-अधिक ५% व्यक्ति देश की एक-तिहाई सम्पत्ति का उपभोग करते हैं और देश की सम्पत्ति के एक-तिहाई से कुछ अधिक लगभग ३५% आय का उपभोग एक-तिहाई जनसंख्या (आश्रितों को मिलाकर) करती है और तत्कालीन ब्रिटिश भारत के शेष लगभग ६०% व्यक्ति देश में उत्पन्न सम्पत्ति के ३०% का उपभोग करते हैं। हमारे पास ये विश्वास करने के आधार हैं कि दूसरे और तीसरे बगों से प्रायः सिक्ख वर्ग की (कृषि की) और प्रबाह हो रहा है, साथ ही असिक्खों की आविष्कार एवं वास्तविक आय में भी वृद्धि हुई है। यह भी सच है कि कुछ उद्योगों में श्रम की उत्पादकता घट जाने से उनकी वास्तविक आय १३% कम हो गई है। उत्पादकता के हास का कारण अशत तो मर्दीतों की दुरवस्था तथा अशत काम के घट्टों का घट जाना भी है। १९४३ के बाद से वास्तविक मुनाफा भी घट रहा है।^१

यह भी ध्यान देने की बात है कि एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में भी प्रति व्यक्ति आय में अन्तर पड़ता है।^२ ध्यावसायिक कसले बोने वाले तथा अधिक उद्योगीकृत प्रान्तों में आय अधिक है, जैसे व्यावर्षिक, ब्रिहार, मध्यप्रान्त और बरार, जबकि उडीसा, उत्तर प्रदेश और मद्रास अपेक्षाकृत गरीब हैं।

६. अन्तर्राष्ट्रीय तुलनाएँ—सर जोशिया स्टॉम्प का कथन है कि ‘जिन देशों की तुलना करनी है उनके निवासियों का निश्चित बस्तु के प्रति एकसा ही इच्छिकोण होना चाहिए तथा उनके पारस्परिक मूल्यों का मानदण्ड भी समान होना चाहिए। इस बात में जहाँ तक देशों में विभिन्नता होगी, तुलना सारहीन होगी।’^३ भारत और इग्लैण्ड-जैसे देशों की एक ही सम्याचों के मूल्य में बड़ा अन्तर होगा। कारण यह है कि न केवल इन देशों के मूल्य का मानदण्ड विभिन्न है, अपितु भिन्न बाह्य परिस्थितियाँ भिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को जन्म देती हैं।

७०. गहन परीक्षण—व्यक्तिगत रूप भ की गई जांचों, जैसे व्यवहार म डॉ० मैन द्वारा की गई जांच तथा मद्रास में डॉ० स्टेलर द्वारा की गई जांचों, के अतिरिक्त ग्रामीण और नागरिक विभाग, पजाव आधिक जांच परिपद (पजाव बोड ऑफ इकनामिक इन्वेस्टिगेशनी) के तत्त्वावधान में कई सर्वेक्षण किये गए। भारतीय वेन्ट्रीय क्षपास समिति न भी कुछ वर्ष हुए, कपास उगाने वालों की आधिक और विपणन परिस्थितियों के सम्बन्ध में ग्राठ जार्चे की। भारतीय आधिक जांच समिति द्वारा प्रस्तावित नमूने

१. ईस्टर्न इकनामिस्ट, वार्षिक अंक १९४८, पृ० ११२३-४।

२. बर्कल और मुरजन, पूर्वाद्धृत, ३५६-७।

३. तुलना कोजिए, “दो देशों की आकिक तुलना बड़ा ही सुदिन्ध विषय है। मकान, वप्पें शौर सान-पत्त में भी तुलना नहीं की जा सकता, अन्पारिश्रमिक आय का महत्व भी घटना-घटता है। एक दरा में कुछ ऐसी चीजें खरीदी जानी हैं जो दूसरे देश में देकार होंगी या उन्मुक्त रूप से प्रकृति के दान के रूप में मिलती होंगी। हमें औद्योगिक बगों की तुलना नहीं करनी चाहिए—जैसे इंजीनियरिंग, द्विपाई, मकान-निर्माण इत्यादि में लगे लोगों की, क्योंकि काग के तरीके और परिस्थितियों में बड़ा अन्तर होता है। इन बातों को ध्यान में रखे दिला तुलना अर्थहीन है।”—ए० एल० बाडली, ‘नेचर एण्ड परपज ऑफ दि मेजरमेंट ऑफ सोशल एनामेना’, इकनामिक इन्वेस्टिगेशनी रिपोर्ट में उद्धृत, पृ० ११७।

की यह पहली नहन जाच थी तथा इसमें अत्यन्त महत्वपूर्ण ज्ञान भरा है।^१ इन सब जाँचों से भारतीयों की आर्थिक दशा के सम्बन्ध में उपर्युक्त निष्कर्षों की पुष्टि होती है।

११. क्या भारतीय दरिद्रता घट रही है?—घोर निर्वनता को एक निविवाद सत्य के रूप में स्वीकार करने पर प्रश्न यह उठता है कि यह घट रही है या बढ़ रही है या स्थिर है। अब दिग्दिता केवल कुछ प्रारम्भिक आवश्यकताओं की भ्रतूप्ति हो नहीं बल्कि इम युग की नवीनतम वस्तुओं में भाग न पा सकने का नाम हो गया है। हालांकि आज पाइचात्य देशों में पचास साल पहले की अपेक्षा जनता को अच्छा भोजन, कपड़े और मकान प्राप्त है, किन्तु उसका असतोष पहले से कहीं तीव्र है। कुछ लोगों के मतानुसार भारत में भी बैसा ही परिवर्तन हो रहा है और असन्तोष आर्थिक अवस्था में सुधार का परिणाम है। ऊपर दिये गए विविध अनुमान अपनी अपूर्णता के बावजूद इतनी बात तो स्पष्ट करते ही है कि भारत की आर्थिक अवस्था की गति सुधार की ओर है। इम बात की पुष्टि इससे भी हो जाती है कि भारतीय आर्थिक तथा कृषि श्रमिक की भावना में एक प्रकार की स्वच्छन्ता व दर्शन होते हैं। १९३६-४५ के युद्ध-काल के पूर्व इस पर भी विश्वास किया जा सकता था कि भारत में प्रति व्यक्ति भोजन और कपड़े के उपयोग की मात्रा बढ़ रही है। सरकारी अधिकारियों का निश्चित मत था कि देश की आर्थिक दशा सुधार रही है, जैसा कि निम्न उद्धरण से स्पष्ट हो जाएगा—“जहाँ तक साधारण कसीटी का उपयोग किया जा सकता है यह कहा जा सकता है नि भारतीय भू-पारक, व्यापारी, रेयत और दस्तकार की दशा आज से पचास बर्ष पूर्व की अपक्षा मुधरी हुई है। वह चीनी, नमक, तम्बाकू तथा आयान-विलासिताओं (इम्पोर्ट-लैक्सीज) का पहली की पीढ़ी की तुलना में अधिक मात्रा में उपयोग कर रहा है। जहाँ घर-पर जींच की गई है वहाँ पना चला है कि साधारण आमोंग अपने पिता की अपक्षा अच्छा खाना खाता और मन्दिर कपड़े पहनता है। पीतल या अन्य धारु के वरन्ती न पुराने मिट्टी के वरन्ती का स्थान ले लिया है और उसके घर में पहल की अपक्षा अधिक कपड़े हैं।”^२ इम प्रकार की तसवीर की सत्यता पर गैर-सरकारी लापों ने भत्तेदार और कुछ छोटी छोटी वातों पर तो खुले आम सम्बेद प्रकट किया। उदाहरण के लिए, आमोंगों का अधिक भोजन स्वर्वमत से स्वीकृति न पा सका। अन्य वातों के साथ यह बताया गया कि विशेषकर कस्तों के समीप के गाँवों का आहार-स्तर बहुत ही गिरा हुआ है। दूध का, जो कि एक शाकाहार-प्रधान देश में प्रधान खाद्य है, नितान्त अमाव होता जा रहा है और उसी उपयोगिता के आहार-रूप में और कोई

१. देखिए, कपान बगान बाला का आर्थिक पूर्व विवर में की गई आठ जाँचों पर साधारण रिपोर्ट, १९३८।

२. ‘रिचल्स ऑफ इंडियन एनिलेशन इन दि पास्ट पि फटी इथन’, १९०६, पृ० २६। एल० नी० ८० बातल्ल द्वारा ‘इकनामिक डेवेलपमेंट ऑफ दि विनियोक्त और सीन एन्पाइर’ में उद्धृत (१७६३-१८१४) भाग १, पृ० २७५।

पदार्थ उसका स्थान नहीं ले पाया है। यह मान लेने पर भी कि थोड़ा-बहुत सुधार हुए हैं यह तो सच ही है कि भारत पाश्चान्य देशों, विशेषकर इगलैंड, की तुनना में एक थण्डा भी दर्ढा नहीं हो सकता, जब कि हम वहाँ की दरिद्रता में कमी, मृत्यु की दर तथा गरीबी से उत्पन्न बीमारियों में घटती, शिक्षा का प्रसार, आमोद-प्रमोद के साधनों में वृद्धि, अधिक अच्छी सफाई और मकान की दशाओं को देखते हैं। पश्चिम में भी धन के वितरण में बड़ी असमानता है, किन्तु आर्थिक समृद्धि का भी विस्तृत प्रसार है, यह निस्सन्देह कहा जा सकता है। जीवन की अच्छी वस्तुओं की अधिकता और आमदनी में सावधारण रूप से वृद्धि ने सर्वसाधारण की क्षयशक्ति की क्षमता के अन्तर्गत अनेक ऐसी वस्तुएँ ला दी हैं जो पहले बहुत थोड़े-से धनी लोगों का एकाधिकार थीं।

१२. अधिक सही आँकड़ों की आवश्यकता—भारत की आर्थिक दशा से सम्बन्धित समस्याओं के सुलझाने या निर्धारित करने के लिए जो त्रुटियाँ और अव्यवस्थाएँ आ जाती हैं उनका प्रधान कारण है सही आँकड़ों का अभाव। धोर निर्धनता को छोड़कर और सब विषयों से हम लोग प्राय अन्वकार में हैं। ठीक आँकड़ों के प्राप्त हो जाने पर अनेक अनुमानित मान्यताओं का सहारा न लेना होगा और हमारी गणना अधिक सही और विश्वसनीय होगी। इससे देश की अनेक दुरवस्थाओं के कारणों का ठीक-ठीक पता लगेगा तथा उन्हे सुलझाने में बड़ी सहायता मिलेगी। प्रशासन की कितनी ही कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। १९२५ की भारतीय आर्थिक जांच समिति ने इस सम्बन्ध में (लन्दन) 'टाइम्स' का उपयुक्त मत उद्धृत किया है। १९२१ में हुए साम्राज्य आँकड़ा ममेलन (एम्पायर स्टेटिस्टिक्स कॉम्फ्रेन्स) के सम्बन्ध में 'टाइम्स' का मत है कि "युद्ध से पूर्व जर्मनी में स्टेटिस्टिकल ब्यूरो अविराम गति से उन आँकड़ों का सकलन करने में सलग्न था जिनसे देश के भविध-निर्माण में किंचित भी सहायता मिल सकती थी। अब जो युग प्रारम्भ हो गया है उससे जो राष्ट्र आँकड़ों के द्वारा की गई व्याख्या से सुसज्जित है वे उससे प्रस्तुत किये गए लाभों का पूरा उपयोग कर सकते हैं तथा उस राष्ट्र की अपेक्षा निश्चित ही अच्छे हैं जो केवल अनुभवजन्य ज्ञान पर निर्भर है।" इस समय एकत्रित आँकड़े विशेषज्ञों के निर्देशन से रहित एवं असम्बद्ध हैं। वस्तुतः वे सरकारी वैभागिक कार्रवाई के उपोत्पाद हैं, उनका उद्देश्य जनता को सामाजिक और आर्थिक महत्व की बातों की जानकारी कराना नहीं होता।

यह बात सच है कि भारत में आँकड़ों के एकत्र करने के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। पहले तो देश का विशाल आकार ही काम को व्यवसील और कठिन बना देता है। दूसरे, जनता कस्बों और नगरों में केन्द्रित न होकर गाँवों में विखरी पड़ी है। तीसरे, जनता की अशिक्षा और अज्ञान के कारण आँकड़े एकत्र करने के काम में उससे

जरा भी सहायता नहीं मिलती, इससे यह प्रायः व्यावहारिक असम्भावना का रूप बारण कर लेता है। इगलैण्ड या अन्य देशों में उत्पादन, पारिश्रमिक एवं कीमतों के आँकड़े व्यक्तियों को अनुसूचियाँ बांटकर एकत्र किये जाते हैं जो भरकर निश्चित समय में लौटा देते हैं। वैतनिक कर्मचारियों की अपेक्षा यह अधिक सहय और कम व्यपकाध्य होना है। व्यक्तिगत सहायता ने भी बड़ी सहायता मिल जानी है। इस प्रकार की सहायता भारत में नहीं है।

१३. बाउली-राबटेसन जांच—नवम्बर, १९३३ में भारत सरकार ने प्र०० ए० ए० वाउली (लन्दन स्कूल ऑफ इकनामिक्स) और मि० ही० ए८० राबटेसन (कैम्ब्रिज में इकनामिक्स के प्राच्यापक) को अधिक सही और व्यापक आँकड़े इकट्ठा करने तथा उत्पादन-गणना बरने की व्यावहारिकता पर परामर्श देने के लिए नियुक्त किया। इनके साथ ही तीन भारतीय अर्थशास्त्रियों ने भी काम किया और इन लोगों के सम्मिलित प्रयत्न के फलस्वरूप १९३४ में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसका नाम या 'भारत की आर्थिक गणना की योजना' (ए स्कीम फॉर एन इकनामिक्स सेन्सस ऑफ इण्डिया)। सक्षेप में उसको नीचे दिया जाना है—

१४. (१) आँकड़े संकलित करने का संकलन—वेन्द्रीय कार्यकारिणी की आर्थिक समिति से सलग एक स्थायी आर्थिक कर्मचारी-बर्ग नियुक्त किया जाए, जिसमें चार सदस्य हो। पुराना सदस्य कार्यकारिणी की आर्थिक समिति के सचिव वा काम करेगा और यह आर्थिक समिति के प्रति समूर्ण आर्थिक सूचना के संगठन कार्य के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रकार वह अत्यावश्यक प्रश्नों पर, जैसे-जैसे वे सामने आएंगे, रिपोर्ट करेगा। साहित्यकी मचालक को सूचना वा प्रमुख अग तथा सदस्य होने वे अतिरिक्त और भी कार्य करने पड़ने थे—(१) जनगणना कराना, (२) उत्पादन गणना कराना (३) वेन्द्रीय आँकड़ों का संयोजन और (४) प्रान्तीय आँकड़ों का संयोजन। इस कार्य में उसकी सहायता बरने के लिए वाणिज्य सूचना विभाग की साहित्यकीय दाखिला उसके अधीन कर दी जाएगी और उसके बुद्ध स्थायी सदस्य भी बढ़ा दिए जाएंगे। 'वाणिज्य सूचना विभाग', जो केवल व्यावसायिक दुनिया की जांच-पट्टाल का जवाब में लगा रहता है, वाणिज्य-विभाग का एक अग हो जाएगा।

उत्पादन-गणना हर पाँचवे दर्ये होनी चाहिए। एक स्थायी साहित्यकीय विभाग गणना की तैयारी तथा उसके परिणामों का विवेलेपण करेगा और उसे प्रायः सदैव कार्य लगन रहना पड़ेगा तथा दसवर्षीय जनगणना की अवस्था पर उसे धोड़ा-ना और बढ़ा दिया जाएगा। वर्गीकरण में एकता लाने के लिए साहित्यकीय मचालक को अन्य विभागों में आँकड़े प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से सलाह ले सकने का अधिकार होना चाहिए। इससे साधारण उपयोग के लिए आँकड़े प्राप्त होंगे और विभाग के कार्य के लिए भी आवश्यक आँकड़े एकत्र रहेंगे। उसे साहित्यकीय सारांश (स्टडीस्टिक्स एवंट्रैवल) प्रकाशित करने के लिए भी उत्तरदायी होना चाहिए। हर प्रान्त में पूरे समय तक बाय करने वाले साहित्यशास्त्री होंगे। प्रशासनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखने हुए उन्हें यथासम्भव स्वतन्त्रता मिलेगी तथा उसकी सेवाएँ हर

विभाग को प्राप्य होगी। वह उन सबके आँकड़ों का मुन्हिलोकन करेगा। वह केन्द्रीय सारियकीय सचालक से हर प्रकार से सहयोग करेगा और उसके निर्देशानुसार जन-गणना कराएगा।

१५. (२) राष्ट्रीय आय की माप—रिपोर्ट के लेखकों के मतानुसार वर्तमान समय में प्राप्य सामग्री भारत की आय और धन की माप करने के लिए अत्यन्त दोषपूर्ण है। अब तक किये गए विभिन्न अनुमान पुराने पड़ गए हैं और समस्या को फिर शुरू से जांच करनी आवश्यक है।

जैसा कि सभी जानते हैं, गणना की दो विधियां हैं—पहली बस्तुओं और सेवाओं के मूल्याकृत वृद्धि है और दूसरी व्यक्तिगत आयों के योग वृद्धि है। ये दोनों पद्धतियां एक-दूसरे की सत्यता सिद्ध करते भौम हर जगह सहायक नहीं होती—उदाहरण के लिए, मनिक्षण्डल के मन्त्रियों की सेवाएँ उनको मिलने वाले वेतन के बराबर हैं क्योंकि उनको नापने का और कोई तरीका ही नहीं है। भारत के विषय में तो ऐसा असम्भव दीखता है कि पूरे क्षेत्र या केवल उद्योगों के सम्पूर्ण क्षेत्र में भी प्रथम (उत्पादन-गणना) विधि पूरी तरह से लागू होगी। दोनों विधियों के परिणामों को मिलाने में भी विशेष सावधानी आवश्यक हो सकती है। प्रथम (उत्पादन गणना) विधि में तिम्म वाले हैं।

(१) खेती, खनिज, उद्योग इत्यादि उत्पादन की विभिन्न शाखाओं के वास्तविक उत्पादन वो उत्पादन होते ही आँक लिया जाए ताकि दुबारा गणना करने की गलती से बच जाएँ।

(२) गृह-उत्पादित बस्तुओं एवं आयातों में परिवहन और व्यवसायियों की सेवाओं द्वारा हुई मूल्य-वृद्धि को जोड़ा जाए।

(३) गृह-उत्पादित बस्तुओं पर लगाया जान वाला उत्पाद कर जोड़ा जाए।

(४) निर्यात (जिसमें सोना चांदी भी शामिल है) का मूल्य घटाया जाए।

(५) आयात (जिसमें सोना चांदी भी शामिल है) का मूल्य जोड़ा जाए।

(६) आयात पर लगे आयात-कर (कस्टम्स ड्यूटीज) को जोड़ा जाए।

(७) उन बस्तुओं के मूल्य को—चाहे वे देश में उत्पन्न की जाती हों या विदेश से मैगामी जाती हों, जो स्थिर वैज्ञानिकों को आयम् रखने में प्रयोग में लायी जाती है—घटा दिया जाए।

(८) सब प्रकार की वैयक्तिक सेवाओं को जोड़ा जाए।

(९) मकानों का सालाना किराया जोड़ा जाए—चाहे वे किराये पर उठे हों या मालिक-मकान द्वारा उपयोग किए जाते हों।

(१०) धन-राशि में (चाहे सरकारी हों या व्यक्तिगत) विदेशी प्रतिभूतियों द्वारा हुई अभिवृद्धि को जोड़ा जाए, या इस प्रकार की धन-राशि में से देश में विदेशियों की प्रतिभूतियों की वृद्धि को घटाया जाए या इनकी कमी को जोड़ा जाए।

इनमें से कुछ पर टिप्पणी की आवश्यकता है—

(१) कृषि का वह भाग जो उत्पादकों द्वारा उपयुक्त होता है—भारत में यह

हिस्मा वहुन अविक है—ग्रोर वह हिस्मा जोकि स्थानीय सेवायों से बदला जाता है, इनका भी मूल्याकन होना चाहिए। पह मूल्याकन स्थानीय मूल्य में ही होना चाहिए, न कि दूर के बाजारों के फूटकर मूल्य पर, जिसमें उठाने, स जान आदि की मजदूरी भी शामिल रहती है जोकि स्थानीय मूल्य में नहीं होती।

(३,६) यह आवश्यक है क्योंकि जिस योग की हस्त खोज है वह उपभोक्तायों के विनिमय-मूल्य का कुल जोड़ है।

(४,५,१०) यह आसानी से देखा जा सकता है कि जब भारत सरकार रेलवे नियमण के लिए इगलैण्ड से क्रृष्ण लेनी है तो जिन प्रतिभूतियों का आयात होता है वे इगलैण्ड के विनियोक्तायों की बास्तविक आय का एक भाग होती है, ठीक उसी प्रकार जैसे भारतीय चाय का आयात बास्तविक आय का भाग है।

(६) (१) सरलता के लिए यह मान लिया जाता है कि सरकारी नौकरों की मदाएं जनता को सीधा लाभ पहुँचानी हैं और उपयागी हैं। अतएव व बास्तविक राष्ट्रीय आय का एक अग है। इन बूल्याकन में पेशन-अधिकारा को भी शामिल करना चाहिए।

राष्ट्रीय आय निकालन के लिए उत्पादन गणना विधि दोनों विधियों में अतिक आधारभूत है। दूसरी विधि (आय-गणना) के परिणाम उपयन्त्र विधि के परिणामों से मिल सके इसके कुछ सावधानिया बगतनी पड़ती है।

(१) स्वयं उपयुक्त बम्बुओं तथा वस्तु ऐप में प्राप्त आय को गणना में शामिल करना हाया। इसकी कीमत उत्पादन के स्थान की कीमत व अनुमार लगानी होगी। इसी प्रकार जिन घरों में लाग रहत है—चाहे व उपकरण में स्थान मालिक ही क्या न हो—उसका भी वार्षिक मूल्य लगाना हाया।

(२) सब प्रकार के याज चाहे व उपभोग के लिए लिय गए क्रृष्ण पर ही वयों न दिय गए हाय, व्यक्ति की आय में से घटान होय।

(३) इसके अतिरिक्त हर एक व्यक्ति की आय, जिसमें सरकारी नौकरों की पेशन और सरकारी क्रृष्ण पर व्याज ज्या की-मो शामिल करनी होगी। अर्थात् इन्हें वर देन से पूर्व शामिल करना हाया। वर में मालगुजारी भी शामिल है। सरकारी नौकरों की आय में उस वय के पेशन के अधिकार भी जाड़ लन चाहिए। इस प्रकार के योग में कन्तनियों के अविभाजित मुनाफे और सरकारी कामों से होने वाले लाभों को भी जाच्ना हाया। इस प्रकार प्राप्त योग में से उत्पादक क्रृष्णों के अतिरिक्त जेप भरकारी क्रृष्ण के व्याज की राशि तथा पहले के सरकारी नौकरों की पश्चात—चाहे व देश म दी जाएं या विदेश म—भी घटानी होगी।

(४) इस प्रकार प्राप्त योग में आयान-कर, उत्पाद-कर, स्टाम्प-कर और स्थानीय कर (लाकल रेट्स) नी जोड़न होंगे, व्योंकि यह उत्पादवा को मिलन वाले विनिमय मूल्य का कुल योग है, जबकि उत्पादन गणना-विधि से आवश्यक बास्तविक राष्ट्रीय आय उपभोक्तायों वो मिलन वाले विनिमय-मूल्यों का समूह है। अत जब सब यह नहीं जोड़ा जाता, गलतिया होने की सम्भावना है।

नीचे जो सुभाव दिये गए हैं वे राष्ट्रीय आय के बड़े भागों से सम्बद्ध हैं। ऊपर निर्देश की गई विभिन्न व्यवस्थाएँ अन्तिम गणना में अपना स्थान रखेंगी।

यद्यपि ठीक-ठीक राष्ट्रीय धन का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है, फिर भी स्थायी कामों में सरकारी खर्च, नयी पूँजी के विनियोग तथा पूँजी के विनियोग की तरह के व्ययों के अनुमानों से राष्ट्रीय आय के परिवर्तनों का निर्देश तो किया ही जा सकता है।

राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए प्रस्तावित गवेषणा प्रधानतया उत्पादन के आधार पर है, लेकिन जैसा सभी देशों में हीता है कुछ भाग वैयक्तिक आय पर निर्भर रहता है। भारत में इस प्रकार की आय नगरों में ज्यादा है, परन्तु पाइकात्य देशों की तुलना में बहुत ही कम है। कुछ तो उत्पादन के स्वभाव और कुछ इसलिए व्योगी गवेषणा के विभिन्न तरीके आवश्यक हैं, ग्रामीण आय नागरिक आय से भिन्न रखी जाती है।

ग्रामीण आय के लिए उन्होंने सुभाव रखा कि कुछ चुने हुए गाँवों का धन सर्वेक्षण करके भूमि से उत्पादित सब वस्तुओं और गाँवों में की जाने वाली सब सेवाओं का पता लगाया जाए।

नागरिक आय के लिए उन्होंने अन्यत्र सफलतापूर्वक काम में लायी गई विधियों पर बड़े नगरों के सर्वेक्षण की सिफारिश की। यह कुटुम्बों की जाँच द्वारा किया जा सकता है, जिसमें नमूने के कुछ कुटुम्ब लेकर कुछ तो उनके स्वयं वे विवरणों द्वारा और कुछ प्रचलित वेतन और पारिश्रमिक की दर के अनुसार उनकी आय का पता लगाया जाए। कर-मुक्त आयों से ऊपर की आयों के लिए आय-कर के आंकड़े बड़े ही लाभदायक सिद्ध होंगे।

उन्होंने यह भी सुभाव दिया कि एक माध्यमिक शहरी गणना कर ली जाए। इन तीनों जाँचों की पूर्ति विद्युत-शक्ति वा उपयोग करने वाली फैक्ट्रियों, खानों तथा अन्य कुछ उद्योगों की उत्पादन-गणना से की जाएगी। यह बहुत अशों में नागरिक सर्वेक्षण तथा कुछ अशों में ग्रामीण सर्वेक्षण की पुनरावृत्ति होगी। लेकिन यह स्वतं बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है और अन्य सर्वेक्षणों की तुलना में सम्पूर्ण जाँच के कुछ भाग का बहुत महीने विवरण प्रस्तुत करेगा। ऐसा विवास है कि जब सब प्रकार की सामग्री सामने होगी तो शहरी या ग्रामीण उत्पादन-गणना या अन्य विधियों में सम्मिलित आय का अनुमान लगाकर दोहरी गणना के दोप से बचने के तरीके निकाले जा सकेंगे।

१६ (३) उत्पादन-गणना—इगलैण्ड की तरह उत्पादन-गणना की व्यवस्था धारा-सभा के अधिनियम द्वारा कर देनी चाहिए, जिसके अन्तर्गत माँगे गए तथ्यों के सम्बन्ध में सूचना देना अनिवार्य हो। कुछ छोटे कारखाने ऐसे हो सकते हैं जिनमें उत्पादन-गणना सरलता से लागू हो सकती है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे काम जो बड़े पैमाने पर चल रहे हों और जिनमें किसी प्रकार की यान्त्रिक शक्ति का उपयोग न किया जाता हो—उदाहरण के लिए ईंटें बनाना, मकान बनाना और दरी बुनना—उत्पा-दन-गणना-विधि के अन्तर्गत लाने चाहिए। इसी प्रश्नार 'खान-अधिनियम' के प्रन्तर्गत

कारखानों और रेलों को भी इसी विधि के अन्तर्गत लाना होगा।

यद्यपि फैक्ट्रीयो में लगे व्यक्तित उद्योगों में लगे व्यक्तियों से अनुपात में बहुत कम हैं, फिर भी नियर्ति की दृष्टि से विशेष महत्व होने के कारण इस पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। यह ध्यान में रखना होगा कि फैक्ट्री उद्योग कुछ अशों में कुटीर उद्योगों को नष्ट करके आगे बढ़ रहा है और इन दोनों को साहियकीय हृष्टि से सम्बद्ध करना होगा। इन उद्योगों की गणना सामग्री की इस प्रकार भी तात्पुरता बनायी जा सकती है कि जब वे फैक्ट्री के आँड़ों के माथ उपयोग में लायी जाएं तो इन दोनों सगठनों (उद्योगों) के आपेक्षिक महत्व का भी पता चल जाए।

प्रामीण सर्वेक्षण—भारतीय प्राथिक सर्वेक्षण में यह आवश्यक है कि अन्य आयों के साथ भूमि से प्राप्त आय (चाहे रूपये के रूप में हो या अन्न इत्यादि के रूप में) की जानकारी प्राप्त की जाए और यह देखा जाए कि वह किस तरह मालिकों और मजदुरों के बीच वितरित होती है।

यह तो मम्भव नहीं है कि भारत के लाखों गावों में सबका विस्तृत सर्वेक्षण दिया जा सके। वर्वं वरदाहत होने श्री इतनी सत्या में जाँच करने वाले व्यक्ति मिलने पर भी यह काम शीघ्र ही नहीं हो सकता।

राष्ट्रीय आय-सम्बन्धी आधुनिक अनुमान—राष्ट्रीय आय-सम्बन्धी जितने यनुमानों की चर्चा अभी तक की गई है, वे सभी अविभाजित भारत से सम्बन्धित हैं। स्वतन्त्रता के बाद भारत सघ की राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में अनुमान करने की आवश्यकता हुई। अतएव अगस्त, १९४६ में भारत सरकार ने गण्डीय आय समिति (नेशनल इकम कमेटी) नियुक्त की, जिसके अध्यक्ष प्रो० पी० मी० महालनोविस थे। फरवरी, १९५४ में समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। समिति ने उत्पादन-गणना तथा आय-गणना दोनों विधियों के समन्वय से काम किया। कृपि, वन, पशु-पालन, खनन आदि के सम्बन्ध में उत्पादन-गणना-विधि अपनायी गई, जबकि व्यापार, परिवहन, प्रशासन आदि के मध्यमें आय-गणना-विधि अपनायी गई। समिति ने चालू मूल्यों तथा १९४८-४९ के मूल्यों के आधार पर राष्ट्रीय आय के अनुमान प्रस्तुत किए हैं। इन दोनों मूल्यों के आधार पर १९४८-४९, १९४९-५० तथा १९५०-५१ के लिए समिति ने राष्ट्रीय आय के निम्न अनुमान प्रस्तुत किए हैं—

वास्तविक उत्पत्ति	प्रति व्यक्ति वास्तविक उत्पत्ति			
वरोडे ६० में	करोडे ६० में			
चालू मूल्य १६४८-४६ के मूल्य	चालू मूल्य १६४८-४६ के मूल्य			
१६४८-४६	८६५०	८६५०	२४६६	२४६६
१६४८-५०	८,०१०	८,५२०	२५३.६	२४८.६
१६५०-५१	८,५३०	८,६५०	२६५२	२४६३

चालू मूल्यों तथा १६४८-४६ के मूल्यों पर अनुमानित राष्ट्रीय आय की तुलना से एक चात स्पष्ट हो जाती है कि १६४८-४६ से १६५०-५१ तक राष्ट्रीय आय में द्रव्य के हप में तो वृद्धि हई है, परन्तु वास्तविक आय की वृद्धि नहीं के बराबर है,

जैसा कि १९४८-४९ के मूल्य पर अनुमानित राष्ट्रीय आय के अंकड़ों में स्पष्ट है।

यद्यपि राष्ट्रीय आय के अनुमान के सम्बन्ध में समिति ने ३० बी० के० आर० बी० राब की तरह ही उत्पादन-गणना तथा आवन-गणना के समन्वय से काम किया है किन्तु समिति वे अनुमान अधिक सही है। इसका कारण साहित्यकीय सम्प्री का अधिक मात्रा म उपलब्ध होना था। इन विधि से राष्ट्रीय आय का अनुमान करने से एक लाभ यह भी है कि विभाजन के फलस्वरूप हुए प्रादेशिक परिवर्तनों तथा मूल्य-परिवर्तनों के लिए नज़ोदी कर लेने पर इन अनुमानों को तुलना पुराने अनुमानों ने की जा सकती है।^१

१९५१ से भारतवर्ष में राष्ट्रीय आय की वृद्धि के लिए नियोजित विकास द्वारा प्रयत्न हो रहे हैं। प्रथम योजना के अन्त में राष्ट्रीय आय में (चालू मूल्यों पर) १८ प्रतिशत वृद्धि हुई। द्वितीय योजना के अन्त तक २० प्रतिशत वृद्धि की आशा है। १९५१-५२ के बीच राष्ट्रीय आय की वृद्धि का अनुमान ४२ प्रतिशत तथा प्रति वर्षित राष्ट्रीय आय की वृद्धि का अनुमान २० प्रतिशत है।^२

१७ भारतीय दरिद्रता को बढ़ाने वाली उपभोग-सम्बन्धी कुछ भूलें—जा भी बात देश की उत्पादन शक्ति को घटान म सहायक होती है उसे अवश्य ही भारतीय दरिद्रता का कारण मानना पड़ेगा। निम्न उत्पादन के अनिवार्य बुद्धिहीन उपभोग भी अर्थात् विकास के मार्ग में एक भारी झावट है। बुद्धिसंगत उपभोग या 'उपयोगिताओं के नाश' के लिए 'विचारशीलता, बुद्धि और कल्पना' की आवश्यकता है।^३ धन का अपव्यय धनवान को तो वरदाद बर ही सकता है किन्तु साध ही ऐसी विलासिताओं पर किया गया निरर्थक व्यय, जो जीवन की अधिक समृद्धि और पूर्ण नहीं बनाना, ममान के लिए भी धातक सिद्ध हो सकता है। कारण यह है कि इससे इतनी पूँजी और अम आवश्यकताओं के उत्पादन सह हटकर विचासिताओं के उत्पादन में लग जाता है। यह कहना गलत होगा कि केवल धनी लोग ही अपव्यय क दोषी हैं। प्राय सभी दग्धि देशों में गरीब अपनी गरीबी के ही कारण अनेक प्रकार की फिजूलखन्चिया करते हैं। इसके विपरीत कुछ वर्गों के व्यक्ति जैसे मध्यवर्गीय लोग और मारवाड़ी, मित्रव्ययिता के नाम पर इतने कज़ूस होते हैं कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति न करवे कौड़ी-कौड़ी को दाँत से पकड़ते हैं और जहा उन्हें स्वच्छन्दता से खचं करना चाहिए वहाँ भी कज़ूसी वरतन से बाज नहीं आते। ऐसा देखा गया है कि पुरानी पद्धति में सन्तानों के लिए धन का एकत्रीकरण किया जाता था ताकि जीवन प्रारम्भ करने में उन्हें अच्छे साधन प्राप्त हों, परन्तु अब इसका स्थान नवीन विचारधारा ले रही है।

१. देशीर राष्ट्रीय आय समिति (अनिम रिपोर्ट) फरवरी १९५४, पृ० ५, पैरा २,४।

२. देविण तृतीय पञ्चवर्षीय योजना का प्रारूप (अमेरी), पृ० १७।

३. तुलना कैजिए, "रूपये को अच्छा तरह पैदा करने की अपेक्षा उसका नदूपयाग करना कठिन काम है। रूपये पैदा करने के तरीके निश्चिन हैं, काम निश्चिन है, किन्तु गर्च करने के लिए व्यवहारी स्वतन्त्र है। अब केवल नियित आदाकारिता के स्थान पर सद्बुद्धि की आवश्यकता है।"^४—जै० '४३० निवन्मन, 'प्रिभिप्लस झॉर्प डॉलिट्रिकल डकनेमी', खण्ड ३, पृ० ४३६।

जिम्मे अर्जन करने वाले के बर्तमान जीवन को अधिक पूर्ण बनाने का प्रयास किया जाता है और अपनी मुख-समृद्धि के लिए सन्तान स्वयं अपने ऊपर ही निर्भर होती है। सन्तान को निजी पूँजी से युक्त अर्थात् भली भाँति प्रशिक्षित अवश्य करा दिया जाता है।^१

यहाँ भारत की उपभोग-समस्या के सब पहलुओं का विवेचन सम्भव नहीं है। परन्तु इतना तो सच ही है कि यद्यपि भारतीय दरिद्रता बहुत अशोमे कम उत्पादन का परिणाम है, फिर भी बुद्धिमत्ता और अवश्यकता उपभोग ने भी समस्या को और जटिल बना दिया है। यहाँ हम केवल एक प्रकार के बुद्धिमत्ता उपभोग का, जिस पर इधर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है वर्गन वरेंग। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि शारीरिक स्वास्थ्य, कुशलता तथा भोजन के बीच बड़ा ही गहरा सम्बन्ध है। जर्मन कहावत 'मनुष्य जो खाता है वही बनता है' में बहुत सत्य है। भारतीयों वा भोजन स्थानीय दरिस्थितियों और प्रथाओं पर निर्भर है। प्राय जो वस्तुएं एक स्थान पर उत्पन्न होती हैं वे ही वहाँ के भोजन में सम्मिलित होती हैं। इसको सीमित करने में अनेक धार्मिक एवं सामाजिक बन्धनों न भी सहायता पहुँचायी है। परिणामत कुछ प्रान्तों के जोड़ने में आवश्यकीय पौष्टिक पदार्थों का अभाव रहता है। भारत की विभिन्न जातियों, यथा मढ़ासी, पञ्जाबी, बगाला, सरठा आदि, की शारीरिक क्षमता के विषेद को उनके भोजन की विभिन्नता द्वारा समझा जा सकता है और "अब तो इसे निश्चित रूप से भोजन के जीव मध्यन्धी भूल्यों में सम्बद्ध कर दिया गया है।" शारीरिक असमता के वारण के रूप में आहार की अपौष्टिकता के सम्बन्ध में लपिटनपट बर्नल मैंक के गिरन द्वारा किये गए अनुसन्धान दडे शिक्षान्मक हैं तथा उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय आहारों की सापेक्षिक पोषणता को ही अच्छे ढंग से प्रदर्शित किया है। इन अनुसन्धानों से पना चलता है कि चावल, जो भारत में बहुत लोगों द्वा, विशेषकर बगालियों और मढ़ासियों का भोजन है, अनिन्द कोटि का आहार है। इसमें कितने ही महत्वपूर्ण कार्बनिक (आर्गनिक) नमूने नहीं हैं तथा अत्यन्त आवश्यक विटामिनों का अभाव है। इनकी तुलना में गेहूँ और मौस आदि का भोजन करने वाले मिथ, पठान और गोरखे अधिक शक्तिशाली होते हैं। चावल के साथ गेहूँ, दूध, माम इत्यादि का सेवन करने से चावल का आहार बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसा कि हृषि प्रायोग न कहा था, 'अपौष्टिक आहार और मुबमरी एक ही बात नहीं है।' ऐसा सम्भव है कि अपोपणता से ग्रस्त एक व्यक्ति शरीर द्वारा आसानी से पचाए जा सकने वाली तुलना में अधिक भोजन कर रहा हो, जब कि उसका भोजन भली प्रकार सन्तुलित होने पर कम होता। भोजन में किमी खास पोषक तत्व के अभाव में

१. 'रिपोर्ट आइ दि बमेनी आन नरानेत हेट एण्ट ट्रेनेशन' पर उल्लू एच० को०न दे कथन के लिए देखिए 'बर्नल और रायन रेडिटिवल सोसायटी', '१९२७, खण्ड XC, भाग २, पृ० ३५६।

बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। उनका होना दरिद्रता^१ का परिचायक नहीं है, और न खाद्यान्न की कमी का ही। अपोपक तत्त्वों से मुक्त भोजन, ऐसा सम्भव है, स्वास्थ्यवर्द्धक एवं भली प्रकार सन्तुलित भोजन से अधिक व्ययशील भी हो सकता है।

१६१५ में कर्नल मेंके द्वारा बगाल और सयुक्त प्रान्त के जेलों के भोजन के सम्बन्ध में की गई खोजों से पता चला कि भोजन जनता के शारीरिक विकास और साधारण सुख का एक महत्वपूर्ण कारण है। उन्होंने बताया कि बगाली की शारीरिक अशब्दता के मूल में उसके भोजन में प्रोटीन-जैसे तत्त्वों की कमी है। परिवहन के साधनों में सुधार के साथ एक प्रान्त के खाद्यान्नों को उन प्रान्तों में, जहाँ उनकी कमी है, पहुँचाया जा सकता है और इस प्रकार असन्तुलित भोजन की समस्या को हल किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि लोग अपने भोजन में परिवर्तन करने के लिए तैयार हों और उस प्रकार के पौष्टिक आहार की मांग करे जिसकी उनके प्रान्त में कमी है। भोजन के विषय में शिक्षा और जातकारी से यह काम सरल हो सकता है। हृषि आयोग ने जनता के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए जो सुझाव रखे उनमें एक यह भी है कि देश के मध्यली के मत्स्य-साधनों का सरक्षण किया जाए। यह एक ऐसा काम है जिसे सरकार, स्थानीय बोर्ड और साधारण लोग से ग्रामीण समुदाय अपने सक्रिय सहयोग से सफल बना सकते हैं। यह इसलिए आवश्यक है कि मध्यली चावल खाने वाले लोगों के लिए अधिक आहार-मूल्य प्रस्तुत करेंगी।^२ जनता के एक विशाल भाग में मध्यली खाने के प्रति किसी प्रकार का धार्मिक विरोध नहीं है और इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए।

एक जमाना था जब कि इंगलैण्ड में लेखकों और सुधारकों का यह फैशन था कि वे 'चाय पीने के दुर्गुणों' को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर सामने रखने थे,^३ लेकिन इंगलिश धार्मिक इसका प्रयोग करते आ रहे हैं और अब तो इसका उपयोग इतना बढ़ गया है कि यह जीवन की आवश्यकताओं से एक हो गई है। जनसत भी धीरे धीरे बदल गया है और चाय पीने को दुर्गुण बताने के बजाय जल-पान में एक प्रकार की

^१ डाक्टर स्लेटर इन बात की ओर ध्यान आकृष्ण करते हैं कि रहन-सहन के दरजे की दृष्टि से कुछ अर्थ में शारीरिक हानि हुइ है। उदाहरण के लिए चावल की भिलों ने शियों को परिव्रम से लो दबाया किन्तु वह परिव्रम राहीर ने लिए लाभदायक था। साथ ही चावल की दुहत-न्यूट्रिटिविटी भी नष्ट हो गड। एकदम बाहरी नष्ट हो पर जो विटामिन रहता था वह भिलों में नष्ट हो जाता है।—इकान्मिक फरहीशल इंशैलिङ्ग, पिल्लई की भूमिका से उद्घृत, पृ० २६।

^२ वही, पृ० ४३-४७। आयोग ने यह भी सुझाव रखा कि एक सेंट्रल इनिटियूट आव ह्यूमन न्यूट्रिशन की स्थापना की जाए तथा स्थानीय सरकारों द्वारा भगाइत अनुसन्धानों का भी उससे वियो-जित के दिया जाए। उन्होंने यह भी स्थिरारिश की कि पश्च-आहार एवं मानवीय आहार में निकट सहयोग आपि लिया जाए तथा भारत में को गड इस प्रकार की खोजों को विद्रोहों में होने वाली ऐसी ही रसों से मुक्त किया जाए। समर्थायें इतनी महान् हैं कि समस्त कर्मचारिया (स्टाफ) और प्राप्य सामनों को समस्या के समाधान के लिए काम में लगाना होगा।

^३ हेलेन नाथवेट, 'दि स्टेटहॉप आफ लाइक', पृ० ३०।

शालीनता का चिह्न समझा जाने लगा है। चाय पीना अधिक शराब पीने के दुरुणों को दूर करने का एक साधन माना जाने लगा है। डॉ० स्लेटर का मत है कि भारतीय किसान एक बात में बड़ा गरीब है और वह है पेय पदार्थ तथा वह इसके मूल्य को भी नहीं समझता।^१ “जनता का बड़ा भाग गन्दे स्थिर तालाबों, सिचाई की नालियों या नदियों से प्राप्त गन्दा पानी पीता है जिसमें हर प्रकार की अशुद्धता और गन्दगी मिली रहनी है।” डॉ० स्लेटर का मत है कि वर्तमान समय में उबाले हुए पानी के पेय पदार्थों में सबसे सस्ते पेय अर्थात् चाय का प्रचार करने से बहुत लाभ होगा। यह सच है कि जब तक भी पानी पिया जाता है तब तक गन्दा पानी पीन से होने वाली हानियाँ पूरी तरह से दूर नहीं की जा सकती। अच्छा तो यह होगा कि किसी प्रकार शुद्ध पानी की व्यवस्था की जाए। शराब के स्थान पर तो चाय एक बरदान ही है। हाँ, अधिक चाय पीना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, विशेषकर जब निम्न कोटि की चाय का प्रयोग किया जाता है, जैसी कि भारत की अधिकतर चाय की दुकानों पर मिलती है। अच्छी चाय की व्यवस्था करने के लिए कुछ कदम उठाना आवश्यक प्रतीत होता है, ताकि गन्दी चाय पीने को न मिले, यद्यपि सबसे मधिक प्रभावपूर्ण कदम तो यह होगा कि जनता को रुचि में ही सुधार किया जाए।

उपभोग के स्वरूप में परिवर्तन तो धीरे-धीरे ही होगा। सामाजिक और धार्मिक भावनाओं से निमित उपयोग का स्वरूप सहज ही परिवर्तित नहीं हो सकता। उसके लिए सतुरित आहार और पौष्टिकता के विषय में जनमत को शिक्षित करना होगा।

स्वतन्त्रता के पश्चात् योजनाओं के कारण, देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई है। राष्ट्रीय आय १६५१-६१ में ४४ प्रतिशत और प्रति व्यक्ति आय १६५ प्रतिशत वढ़ गई। तीसरी योजना के पहले तीन सालों में राष्ट्रीय आय ६५ प्रतिशत और प्रति व्यक्ति आय २५ प्रतिशत बढ़ी। इस प्रकार १६६१-६४ में तीसरी पचवर्षीय योजना के ५ प्रतिशत वार्षिक आय के बढ़ने के मुकाबले में कम रही। निवेश दर १६५१-६१ में लगभग दुगुना हो गया। घरेलू बचत का दर इस समय में ५ प्रतिशत से बढ़कर ८ ५ प्रतिशत हो गया।

तीसरी पचवर्षीय योजना बनाने के समय यह आवाहा की गई थी कि राष्ट्रीय आय १६ हजार करोड़ रुपया १६६५-६६ से बढ़कर १६७०-७१ में २५ हजार करोड़

१. भग साउथ इंडियन विलेजेज, पृ० २३२।

२. दक्षिण भारत में प्रचलित कॉफी पीने पर भी इसी प्रकार के आवेदन किये जाते हैं। गराब पीने पर चय और उसके सन्दर्भ में बरती जाने वाली नीति का अन्यत्र विवरण दिया जाएगा (देखिए अन्याय १२)। और भी इनी प्रकार के गलत उपयोग भारतीय अर्थरास्त के विश्वार्थियों के दिनान में आयेंगे, जैसे शादी और मृत्यु के अपव्यय, सोनेन्चादी के गहने बनाने की आशंका आदि (अन्याय ११ में आनुचयन स्वभाव का सेवन देखिये)। आहार की पौष्टिकता के मन्दन्म में पाठक बगल केरीन इन्काशपरी कमीशन रिपोर्ट, भाग २, पृ० १०६-१० देखें।

हो जाएगी और पाचवी पचवर्षीय योजना के अन्त तक ३३ ३४ हजार करोड़ हो जाएगी। परन्तु तीसरी पचवर्षीय योजना के मध्य मूल्यांकन को देखकर यह लगता है कि राष्ट्रीय आय १९६५-६६ में १७,४०० करोड़ तक रह जाएगी। इस प्रकार १९६५-६६ में कुल निवेश (Net Investment) राष्ट्रीय आय का १६ प्रतिशत और घरेलू बचत राष्ट्रीय आय का १३ प्रतिशत।

चौथी पचवर्षीय योजना के उत्पादन लक्ष्य इस प्रकार हैं कि उत्पत्ति दर ६.५ प्रतिशत रह। उदाहरण के रूप में वाष्पिक आय सेती-बाड़ी का ५ प्रतिशत, सगठित उद्योग में ११ प्रतिशत से, लघु उद्योग ८ प्रतिशत से, रेलवे, यातायात तथा सचार ८ प्रतिशत से, बैंकों का तथा बीमा ८ प्रतिशत से, बिंगंज (Commerce) तथा नौकरी क्षेत्र में ६.५ प्रतिशत से।

Government College, 13
KOTA (Raj.) *

अध्याय १८

संवहन

१ परिवहन का सहज—उन्नीसवी शताब्दी के मध्य तक भारत में परिवहन के साधन अत्यन्त ही अविकसित थे। उनकी तुलना इगलैण्ड की अठारहवीं सदी की परिस्थिति से को जा सकती थी। हाँ, कुछ अच्छी जलवायु की परिस्थितियों के कारण भारत में मटकों की हानत इगलैण्ड की अपेक्षा कुछ अच्छी थी। देश में उस समय तक रेले नहीं चली थी नथा उत्तर भारत में मुगल शासकों द्वारा बनवाई गई योड़ी-सी मुख्य सड़के भी काम देने लायक नहीं रह गई थी।^१ कितनी ही तथाकथित मटकों खुमि पर गाड़ियों और ढकड़ों द्वाग बनवाई गई थी, जिन पर वर्गसान में किमी भी पहियादार गाड़ी का चलना अनम्भव था। भारवाही पनु ही दश के अन्दर जान के एकमात्र साधन थे। मटके मुरक्किन नहीं थी। उन पर टगों और पिण्डारियों का बोलबाला था। नौगम्य नहर नहीं थी। कुछ स्थान जैसे गगा और मिन्नु व बिनारे के स्थान, अन्य स्थानों की अनज्ञा इस हृष्टि में ध्याविक भाग्ययाली थे। कुल मिलाकर सुन्तु भी मम में सफर योग्य मैदान, कुछ नौगम्य नदिया और योड़ी सी नदाड़ हृष्ट सड़कों के कारण उत्तरी भारत में सचार वी दजा दक्षिण प्रायद्वीप की अपेक्षा ध्याविक मतोपजनक थी। दक्षिण मध्य इन्हीं पहाड़ों और तज नदियों के कारण परिवहन की स्थिति बड़ी ही असतोपजनक थी उबल दोनों समुद्री बिनारों पर योड़ी-नी मुदिया थी।

इस अध्याय में हम इस सम्बन्ध में किये गए विभिन्न प्रयासों का सक्षिप्त विवरण देगे।

विवरण की सुविधा के लिए हम इस चार उप-विभागों में विभाजित करेंगे—

(१) रेलवे, (२) सड़क, (३) जल-पथ, और (४) वायु परिवहन।

रेलवे

भारतीय रेलवे के इतिहास को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—(१) स्वतन्त्रता से पूर्व और (२) स्वतन्त्रता के पश्चात्।

(१) स्वतन्त्रता से पूर्व

२. रेलवे के विकास के प्रधान काल-जड़—भारतीय रेलों के इस धरविधि के इनिहास

१. 'ट्रास्टी' के लिए परिवहन और 'इन्वॉनिकेशन' के लिए नचार शाद वा प्रयोग किया गया है।

—अनु०

२. देखिए, डब्ल्यू० एच० मोरलैंगह, 'इंडिया एट दि ट्रैय और अक्टबर', पृष्ठ १६६-६७।

मे १० काल-खण्ड स्पष्ट रूप से व्यक्तिगोचर होते हैं—(१) १८४४-६६ पुराना गारण्डी सिस्टम, (२) १८६६-७६ सरकारी निर्माण और प्रबन्ध, (३) १८७६-१८०० तई गारण्डी पढ़ति, (४) १८००-१४ तीव्र प्रगति और विकास, (५) १८१४-२१, १८१४-१८ की युद्ध-जनित परिस्थितियों के परिणामस्वरूप रेलवे का विघटन, (६) १८२१-२५ आंकवर्ध कमटी की रिपोर्ट तथा सरकारी प्रबन्ध और नियन्त्रण, (७) १८२४-२५ से १८२६-३० तक संपरेशन कर्नेशन और तत्कालीन प्रगति, (८) १८३०-३१ से १८३५-३६ तक अवसाद, १८३६-३६ आंशिक पुनरुत्थान तथा रेलवे जाँच और (९) १८३६ से १८४७ तक।

३. पुरानी गारण्डी प्रथा—१८४४ मे पहली बार रेलवे बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसमे इगलैंड मे संस्थापित कम्पनियों को ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा निश्चित लाभ के आश्वासन पर भारत मे रेले बनाने देने के प्रश्न पर विचार किया गया। कलकत्ता और बम्बई के पास दो छोटी-छोटी रेलवे बनाने के टेके दिये गए। ये टेके क्रमशः ईस्ट इण्डियन रेलवे कम्पनी और ग्रेट इण्डियन प्रेनिनसुला रेलवे कम्पनी को दिये गए। १८५३ मे लार्ड डलहौजी की प्रसिद्ध टिप्पणी ने वीति द्वारा निश्चित दिशा प्रदान की। इस टिप्पणी मे लार्ड डलहौजी ने रेलो का निर्माण ट्रूक सिस्टम पर करने का प्रस्ताव रखा, ताकि प्रेसीडेसी प्रान्तो मे आन्तरिक भाग को उसके प्रधान नगरो एवं बन्दर-गाहो मे जोड़ दिया जाए तथा एक प्रेसीडेसी का दूसरी प्रेसीडेसी से जोड़ दिया जाए। उन्होने रेलो के निर्माण से भारत तथा इगलैंड को होने वाले सामाजिक, राजनीतिक तथा आंशिक लाभो की ओर सकेत किया। रेलो के शीघ्र निर्माण और प्रसार के लाभो मे लार्ड डलहौजी ने यह भी देखा कि इससे इगलैंड की पूँजी और साहस का भारतीय बस्तु-निर्माण (मेन्युफेक्चर्स) और व्यापार मे उपयोग होगा। उन्होने राज्य के नियन्त्रण और नियोजन मे कम्पनियों द्वारा रेलो के प्रबन्ध और निर्माण को सरकारी निर्माण से अधिक प्राथमिकता दी, योकि उनके विचार मे व्यावसायिक कार्य सरकारी कार्य-क्षेत्र से बाहर थे विशेषकर भारत मे, जहाँ हर बात के लिए जनता की सरकार पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति को घटाने की आवश्यकता है।

१८४४-६० के बीच डलहौजी की योजना के अनुसार द कम्पनियों के साथ भारत के विभिन्न भागो मे रेलो के निर्माण और नियन्त्रण का टेका किया गया।

लेकिन यह पढ़ति सरकार के लिए बड़ी व्ययशील और करदाता के लिए बड़ी भारस्वरूप सिद्ध हुई। कम्पनियाँ अपना व्याज पैदा न कर सकी और सरकार से व्याज अदायगी की माँग करने लगी। १८६६ मे रेलवे बजट मे १,६६,५०,००० रु० का घाटा हुआ। लार्ड लारेस, जिन्होने १८६७ मे गारण्डी सिस्टम की बड़ी निन्दा की थी तथा ऐसे अन्य आलोचको ने इस गारण्डी सिस्टम की भी कड़ी आलोचना की और घाटे को कम्पनियों के अपव्यय का परिणाम बताया जिन्हे निर्माण म घन की मितव्यता का कोई ध्यान ही न था।' आंकवर्ध रेलवे समिति ने राय दी कि

१०. देखिए, आर० सी० दत्त, 'दि इकनामिक द्वितीय आक इण्डिया इन दि विक्टोरियन एव', १०४५-४६।

तत्कालीन परिस्थिति में इगलैंड में वर्षे हुए लोगों की कम्पनियों का निर्माण ही उचिन था, जोकि रेलों का निर्माण अत्यन्त आवश्यक था और भारतीय पूँजी के लज्जारीतता को देखते हुए अंग्रेजी पूँजी को आकृपित करने के लिए कुछ सुविधाएँ और भारत्वासन देना अत्यन्त आवश्यक था। इसके विपरीत (१८७२ में) विलियम थार्नटन न तुसदीय (पार्लियामेण्टरी) समिति के सामन पह गवाही पेश की कि यदि गारण्टी न दी गई होती तो भी अंग्रेजी पूँजी भारत में रेलों के निर्माण में विनियोजित की जाती, क्योंकि इण्नेण्ड की अपार घन-राशि दक्षिणी अमेरिका तथा अन्य देशों में विनियोग के साधन ढूँढ रही थी और कोई कारण नहीं दिखाई देना था कि वह लगातार भारत की उपक्षा करती।^१

४. सरकारी निर्माण और प्रबन्ध (१८६६-७६) —भारत सरकार पुरान गारण्टी सिस्टम पर अधिक दिनों तक चलन के लिए तैयार न थी। इसके विनेय कारण ये—प्रथम, कम्पनियां अवब्धी थीं। दूसरे, सरकार का उन पर नियन्त्रण अधूरा था। तीसरे, व्याज-दर और उसे चुकाने का आश्वासन सरकार के लिए काफी खर्चीला सिद्ध हुआ। चौथे, सरकार को कम्पनियों द्वारा बाल साम की भी निकट भविष्य में कोई आशा न दिखाई पड़ी। इसलिए दो परिवर्तन किय गए। कुछ कम्पनियां दे सम्बन्ध में, जैसे जी० आई० पो०, सरकार ने मुनाफे के विनाश की व्यवस्था बदल दी। सरकार ने २५ साल के बाद रेलों द्वारा खरीदन का अधिकार छोड़ दिया और प्रति छमाही में होने वाले साम का आधा हिस्सा मांगन लगी। इससे भी महत्वपूर्ण परिवर्तन—उस समय जब कि राज्य-निर्दायिता का व्यक्तिगती मिठान अपने विद्यम की चरम सीमा पर था—तब हुमा जबकि भारत-भविष्य (सेनेटरी ऑफ़ स्टेट) न यह निश्चय किया कि सरकार को अपनी साथ का पूरा लाभ उठाकर स्वयं सत्त में रेलों का निर्माण करना चाहिए। अब १८६६ के बाद कर्दं बर्दं तक सरकार न स्वयं पूँजी संगाई और नये ढेके नहीं दिये गए। यह निश्चय किया गया कि सरकार द्वारा प्रबन्धित और अधिकृत रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए प्रति वर्ष २० लाख पौण्ड रुपए लिया जाएगा तथा सस्त अर्थात् बीटर मेज पर रेलों का निर्माण होगा। पलन रेलों के निर्माण का कार्य बड़े जोर-शोर से और सुने दाम पर होने लगा, लेकिन लगातार घन की व्यवस्था सबन बठिन समस्या थी। पहल तो संनिक्ष एवं योद्धिक कारखानों से पजाव और सिन्ध की लाइन (जो बाद म नार्थ-ेस्टन रेलवे के नाम से प्रतिष्ठ हुई) भीटर मेज से ब्राड मेज पर रेलों का निर्माण होगा। दूसर, १८७४ और ३६ क हुमिक तथा सौमास्रान्त और अफगान दुर्दो के बारह मरकारी खजान पर दाफी भार पड़ा। इसके अतिरिक्त १८८० के हुमिक आयोग न ५००० मील रेलों का निर्माण अनिवार्य बनाया ताकि देश को हुमिक के चगुल से बचाया जा सके। यह तभी सम्भव था जब इस निर्माण (५००० मील) को मिलाचर बुल रेलवे लाइन ५०,००० मील हा जानी।

^१. शर्त, भार० सी० दर, 'दि इग्ना आन इन्डिया इन रिविगोरियन इ०', ७०-७०।

५ नया गारण्टी सिस्टम (१९७६-१९८०) — इस प्रकार सरकारी प्रबन्ध में रेलों के निर्माण की विवारधारा की शक्ति क्षीण होने लगी और रेलवे के इतिहास का एक नया अध्याय प्रारम्भ हुआ। पुरानी प्रधा से भिन्न नई प्रधा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं—(१) नई कम्पनियों द्वारा बनाई गई लाइनें भारत-सचिव की सम्पत्ति घोषित की गईं। भारत-सचिव को २५ वर्ष के बाद, या हर दस वर्ष के बाद दो गईं पूँजी वी कम्पनियों द्वारा दे देने के बाद पुन ठेका निश्चित करने वा अधिकार था, (२) कम्पनियों द्वारा एक घन पर गारण्टी की हुई व्याज-दर पहले की अपेक्षा कम थी। प्राय यह ३१% भी और (३) सरकार ने लाभ का अधिकाश ($\frac{2}{3}$) अपने हित के लिए सुरक्षित रखा।

इस प्रकार, नई पद्धति पर निर्मित रेलवे लाइने प्रारम्भ से ही सरकारी सम्पत्ति थी, यद्यपि कम्पनियों को व्याज-दर की गारण्टी दी गई थी और रेलें बन जाने पर प्रबन्ध भी उन्हीं के हाथ में दिया गया था। इसी प्रकार जब कम्पनियों को पुरानी पद्धति पर दिये गए ठेके समाप्त हो गए तो सरकार ने उन्हें खत्म करने का तरीका अपनाया, हालांकि यह तरीका लागू करने में काफी भेदभाव बरता गया। कई कम्पनियों के ठेके समाप्त होने पर, हालांकि प्रबन्ध कम्पनियों के हाथ में ही रहने दिया गया, सरकार ने विभिन्न तरीकों से अपने लिए लाभदायक शर्तें तय की, जैसे कम्पनी दे हिस्से की पूँजी और गारण्टी की हुई व्याज-दर घटा दी तथा लाभ के बटवारे से सम्बन्धित शर्तों में भी परिवर्तन किया।

इस प्रकार सरकार प्राय सभी ट्रूक लाइनों की मालिक हो गई। रेलों की पूँजी भी सरकारी हो गई, चाहे वह प्रारम्भ में लगाई गई सरकारी पूँजी का परिणाम हो या पुराने ठेकों वे समाप्त होने पर सरकार द्वारा प्राप्त कर ली गई हो। थोड़े-से अपवादों को छोड़कर प्रबन्ध प्राय कम्पनियों के हाथ में ही रखा गया, परन्तु सरकार ने निरीक्षण और कम्पनियों की परिषद् में एक सचालक की नियुक्ति का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। १९०५ से इजन, डिब्बे (रोलिंग स्टॉक), जन-सुरक्षा, रेल-संयोजन, रेल-सेवाएं, निरावे की दर इत्यादि विषयों के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के द्वारा सरकार उपर्युक्त अधिकार का प्रयोग (अर्थात् निरीक्षण) करने लगी। एक कम्पनी को छोड़कर, जिसका ठेका २५ साल के लिए था, शेष कम्पनियों के ठेके भारत सचिव की इच्छानुसार कम्पनियों को वरावर पूँजी देकर समाप्त किये जा सकते थे। बगाल, नागपुर का ठेका सन् १९५० में समाप्त हुआ और यह आखिरी था। लेकिन सरकार ने लाइन को १ अक्टूबर, १९४४ में ही ले लिया था।

६ रेलों का शोब्र विस्तार और लाभ का प्रारम्भ (१९००-१९१४) — इस काल की विदिष्टता यी राष्ट्र विकास की जोरदार नीनि, जिसने सम्पूर्ण आर्थिक जीवन को प्रभावित किया। १९०८ म जन मैके-समिति न रेलों के लिए १२,५००,००० पौण्ड वापिक पूँजी व्यय करने वा सुझाव रखा—यद्यपि यह सचय समय पर सदोषन के अधीन थे—तो एक नवीन प्रेरणा मिली। यद्यपि सरकार मैके-समिति द्वारा रखे गए मुझावों को कार्यान्वित न कर सकी और न उत्तमा घन ही व्यय कर पाई, किन्तु यह

भानना पड़ेगा कि पहले की अपेक्षा उमन काफी अधिक घन व्यय किया। इस काला-
चय में रेलों की मीलों में दूरी १६०० में २४,७५२ मील से बढ़कर १६१३-१४ में
३४,६४६ मील हो गई और विनियोजित पूँजी ३२६५३ करोड़ रुपये से बढ़कर
४६५०६ करोड़ रुपये हो गई।

इम कालाचय की दूसरी विशेषता १६०० से रेलों को लाभ होना है। इससे
पहले रेलवे से लाभ न होने का कारण अशतः तो कम्पनियों का मितव्यविनारहित
निर्माण और पुरानी गारण्टी-कम्पनियों का प्रबन्ध था और अशत यौद्धिक लाइनों,
जैसे नार्थ बेस्टन रेलवे तथा दुर्भिक्ष में सहायता पहुँचाने के लिए बनाई गई रेलवे
लाइनों, का निर्माण था। प्रारम्भिक अवस्था में यातायात की कठिनाइयों के कारण
भी लाभ नहीं हुआ। रेलवे के प्रथम ४० वर्षों में सरकार का रेलों द्वारा हुआ घटा
प्रद करोड़ ५० था। इसके बाद सरकार को विनियोजित पूँजी पर लाभ होना
प्रारम्भ हो गया। इससे देश के आर्थिक विकास, विशेषकर सिंचाई के विकास, के
पलस्वरूप दजाव और मिल्ड के आर्थिक विकास ने भी सहायता पहुँचाई, जिसके
पलस्वरूप फटियर रेलवे भी सुचाह रूप से सञ्चालित होने लगी। लाभ होने का
अन्य कारण पुराने टेक्नो को बन्द कर अपने लिए लाभदायक शर्तों पर फिर से नया
करना था। १६००-१० तक सरकार को लाभ कम ही हुआ, लेकिन १६२४ तक
कुल लाभ १०३ करोड़ रुपये था। रेलवे से होने वाला मुनाफा प्रतिवर्ष बढ़ता
रहता है, यदोकि यह देश की कृषि एवं आन्तरिक व्यवसाय और बाणिज्य की अवस्था
पर निभर करता है। अववर्य-समिति के सुभावों को अपनाने तथा (१६२२-२३)
इच्छेप समिति द्वारा सुभाई गई छेन्टनी (रिट्रैचमेट) के परिणामस्वरूप रेलवे एक
मुद्रणर आर्थिक आघार पर स्थित हो गई। वात्तविक आय का प्रतिशत (कुल प्राप्ति
में से चालू वर्च घटान पर) पूँजी पर लगने वाले व्याज को बिना घटाए, १६१८-१९
में ७ ५ प्रतिशत और १६२१-२२ में २ ६ प्रतिशत था। १६१२ और १६३६ के बीच
भौसत दर ४ प्रतिशत से थोड़ी अधिक ही थी।^१

छेन्टनी समिति (रिट्रैचमेट कमेटी) ने निर्धारित किया कि रेलों का उद्देश्य
विनियोजित पूँजी से ५ ३ प्रतिशत लाभ प्राप्त करना होना चाहिए। सरकार द्वारा
घोषित रेल के लाभ के मध्यवर्ती में चन्द्रिकाप्रसाद का मत है कि “रेलों से लाभ की
घोषणा करते समय स्टॉक के धिसने की व्यवस्था के साधारण व्यावसायिक सिद्धान्त
को न्यान में नहीं रखा गया।” उनके मतानुसार इस प्रकार घोषित मुनाफे में से इस
मद के लिए काफी घटाना चाहिए। आववर्य समिति ने भी इस बात को स्वीकार
किया है और जोरदार सिफारिश की कि हर रेलवे को अपने स्थायी मार्ग और रोलिंग
स्टॉक को फिर से नया करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। रेलों की कार्य-
वाही के आर्थिक परिणामों की १२वें अध्याय में विवेचना की गई है।

^१. व्यापारिक मन्दी के परिणामस्वरूप १६३०-३१ से १६३८-३७ तक व्यापार चुकाने के बाद
रेलों को बढ़ा धारा घटाना पड़ा।

७. रेलों का विघटन (१६१४-२१) — आकवर्य-समिति ने युद्ध के भार से रेलों के विघटन का चित्र निम्न शब्दों में प्रस्तुत किया है, “बीसियों ऐसे पुल हैं जिन पर से आधुनिक भारी बोझों से लदी गाड़ियाँ नहीं चल सकती और कितने भील ऐसी रेलें, सेकड़ों ऐसे इंजन और हजारों ऐसे डिव्हें हैं जिनकी बदलने को सही तारीख बहुत दिन पहले बीत चुकी है।” ऐसी स्थिति में यदि जनता तथा व्यापारी वर्ग ने बस्तुओं और मनुष्यों के परिवहन में होने वाली असुविधाओं के विरुद्ध शिकायतें की तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। विदेशी कम्पनियों द्वारा रेलों के प्रबन्ध के प्रति जनता अधिकारिक विरोध कर रही थी और चाहती थी कि जहाँ तक सम्भव हो इनका प्रबन्ध सरकार अपने हाथों में ले।

८. आकवर्य-समिति (१६२१-२५) — यह भी अनुभव किया जाने लगा कि तत्कालीन रेलवे-बोर्ड रेलवे की नीति-निर्धारण में असफल रहा और रेलवे प्रशासन, विदेशकर किराये और दरों के सम्बन्ध में, प्रभावपूर्ण नियन्त्रण नहीं कर सका। आवश्यकता से अधिक प्रतिवर्ष, कामों का निश्चित क्रम, स्थानीय दशाओं की अज्ञानता और प्राविधिक (टेक्निशियन) एवं विशेषज्ञ कर्मचारियों की कमी इसका कारण थी। रेलवे की भावी आधिक नीति को नवीन ढंग से संचालित करने की आवश्यकता भी प्रतीत हो रही थी। ये सब प्रश्न नवम्बर, १६२० में नियुक्त एक विशेष समिति को सौंप दिये गए, जिसके सभापति इंगलैण्ड के (भूतपूर्व) सर विलियम आकवर्थ थे। इस समिति द्वारा नियुक्ति का तात्कालिक कारण ईस्ट इण्डियन रेलवे के सम्बन्धों में कार्यवाही नियंत्रण करने का प्रश्न था, जो कम्पनी द्वारा प्रबन्धित सरकार की सम्पत्ति थी और जिसका ठेका दिसम्बर, १६१६ को समाप्त होने वाला था। अस्थायी उपचार के रूप में पुराना ठेका १६२६ तक बढ़ा दिया गया और प्रबन्ध के विकल्पों के गुण-दोषों के परीक्षण का काम आकवर्थ जांच-समिति को सौंप दिया गया। विस्तृत जांच के बाद समिति ने १६२१ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर समिति के निष्कर्ष निहित थे। किन्तु इसका सारांश देने के पहले हम सरकारी प्रबन्ध बनाम कम्पनी-प्रबन्ध के विवाद की विवेचना करेंगे।

९. भारत में सरकारी प्रबन्ध के पक्ष में मत — सैद्धान्तिक स्तर पर राज्य-प्रबन्ध के विरोधी मत काफी शक्तिशाली है। लेकिन जब हम किसी खास देश के सम्बन्ध में इसकी विवेचना करते हैं तो सैद्धान्तिक मत अधिक उपयोगी नहीं सिद्ध होता। वस्तुतः किसी भी देश में प्रचलित पद्धति का निर्धारण सैद्धान्तिक कारणों ने नहीं बरन् ऐतिहासिक कारणों ने किया है। यही कारण है कि भिन्न-भिन्न प्रकार की पद्धतियों का अनुसरण करके फल-फूल रहे हैं। सरकार अनेक कारण-वश रेल-व्यापार अपने हाथ में लेती है, यथा राजनीतिक अवयव व्यक्तिगत साहस की कमी को पूरा करने के लिए, जनता वो अधिक सस्ती दर का साम देने के लिए अच्छी सुविधा प्रदान करने के लिए तथा विभिन्न हितों के प्रति निष्पक्ष व्यवहार करने

१. इस प्रबन्ध में देविप, डब्ल्यू० एम० आकवर्थ, ‘रेट रेलवे ऑनरशिप’।

के लिए। ये सब कारण किसी द्वारा भारत में सरकार द्वारा रेलों के प्रबन्ध को पुष्टि करते हैं। इसके अतिरिक्त इस देश में यथायंत कम्पनी द्वारा प्रबन्ध घसम्भव और अधिक्वाहर्य है।

हालांकि कम्पनियाँ, जो अपना रुपया लगाती, अपनी सम्पत्ति का स्वयं प्रबन्ध करती और लाभाद्य के रूप में परिणाम के आधार पर अपने अधिकारियों की नियुक्ति करती हैं, निश्चय ही सरकार द्वारा प्रबन्धित साहसिक कार्यों की अपेक्षा अधिक कार्य-कुशल होगी। परन्तु भारत में रेलों का प्रबन्ध करने वाली अपेक्षी कम्पनियाँ इस अर्थ में कम्पनियाँ नहीं थीं। उनको प्रबन्ध के लिए सौंपी गई सम्पत्ति उनकी अपनी नहीं थी और उनके द्वारा विनियोजित पूँजी भी अपेक्षाकृत कम थी।^१ इस प्रकार की योजना भूतकाल में कभी सफल नहीं हुई और न भवित्व में ही सफल हो सकती है। प्रबन्ध बेवल नामनामत के लिए ही कम्पनियों के हाथ में था क्योंकि सरकार अपने को मानिक समझती थी और कम्पनियों को प्रेरक जक्ति के कार्य के लिए कोई स्थान न था। सभी महत्वपूर्ण बातें, जैसे नये स्थानों और पक्षों का निर्माण सरकार वे हाथ में था। जहाँ तक अल्पमत रिपोर्ट वे इस प्रस्ताव का प्रदर्श है कि प्रबन्ध अपेक्षी कम्पनियों से भारतीय कम्पनियों के हाथ में सौंप दिया जाए, इसके सम्बन्ध में पहला विरोध यह है कि इस बाम में भारतीय कम्पनियों का अल्पहित होगा और सरकार प्रभावशाली सामीदार बनकर आधे से अधिक सचालकों की नियुक्ति बरेंगी तथा अपना नियन्त्रण धधावत् बनाए रहेंगी। सरकार और सचालक-मण्डल (बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स) के बीच कार्य का विभाजन अब भी रहेगा। अधिकारियों की भक्ति नियुक्त बनने और तनावाह देने वाले सचालक-मण्डल और सरकार के बीच विभाजित रहेंगी और वे पूर्ण समना तथा ध्यान से काम न कर पाएंगे। योग्य व्यापारी सचालक-मण्डल में आने में इन्कार कर देंगे, क्योंकि यहाँ उनकी प्रतिभा को पूरा अवतर न मिलेगा, सरकारी नियन्त्रण और नियमन से उनका हाथ बंधा रहेगा। अतएव कम्पनियों को भारतीय कर देने से ही मामला हल नहीं हो सकता। भारत में सरकारी नियन्त्रण से पूर्णतया मुक्त कम्पनियाँ बनाना भी शास्त्रान न था, क्योंकि ऐसी स्थिति में आवश्यक घन मिलना बहुत कठिन होगा। सरकार को हमेशा इस काम में अधिक हिस्सा बैटाना पड़ेगा और सरकारी प्रबन्ध कम्पनियों के प्रबन्ध से कहीं अच्छा रहेगा। कम्पनी-प्रबन्ध भारत में कभी भी लोकप्रिय न रहेगा।

१. इस सम्बन्ध में निन्दा स्थूल भजोरवक है—मार्च १९४० के अन्न में कुल लगी पूँजी, जिनमें बनानी हुड़ रेलों में गांधिल है, ८२५.५६ करोड़ रुपये थी। इसमें ७५८.६२ करोड़ २० सरकारी रेलवे का था, ६३.६७ करोड़ भारतीय रियामनी, फिला बोर्डों और कम्पनियों का था। इनमें अधिकारा प्रायः ७२६.७२ करोड़ रुपये सरकारी पूँजी थी और बेवल १/२५ भाग, आया २८.८८ करोड़ रुपये कम्पनियों की पूँजी थी। इन सरकारीयों में मार्चे के अन्त तक का अवय (अप्र० २२ दरोड़) भी शामिल है जो कि वैदिक महसूस की लाइन के लिए अवय किया गया था। देखें, ‘रिपोर्ट आन शिव्यन रेलवे’ (१९३६-४०), चाल्यून १, पृष्ठ ३३।

राजनीतिक और आर्थिक हिट्टोण से भी यह आवश्यक है कि जहाँ तक सम्भव हो रेलवे-निर्माण के लिए जनता धन दे और यह शोधता से तभी सम्भव हो सकता है जबकि प्रबन्ध सरकार के हाथ में हो। किर भी यदि वाहरी कर्ज लेना चल्ली ही हुआ तो कहुए देने वालों की निगाहों में भारत सरकार की प्रतिष्ठा अधिक मूल्यवान बस्तु होगी। सरकारी प्रबन्ध के पक्ष में एक सदसे बड़ा तर्क यह भी था कि विदेशी कम्पनियों ने जान-बूझकर राष्ट्रीय हितों की चिन्ता नहीं की, बल्कि विरोधी बनी रही। मे सब कुराइयाँ राष्ट्रीय प्रबन्ध से दूर हो जाएँगी। सरकार द्वारा किये गए प्रबन्ध से प्राप्त अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया था कि सरकारी प्रबन्ध किसी भी अदा में कम्पनियों की तुलना में बुरा नहीं है। इन पूँजीपतियों ने न केवल देश के विभिन्न भागों में सामग्री और मनुष्यों के परिवहन पर ही नियन्त्रण रखा, बल्कि प्रधान (ट्रक) और सहायक नई लाइनों तथा दो या अधिक लाइनों के सम्बन्ध को भी नियन्त्रित किया। प्रभाव-क्षेत्र उत्पन्न हो गए थे, जिनसे रेलवे के उचित प्रसार में बाधा उत्पन्न हो रही थी। सरकारी प्रबन्ध में यह दोप दूर हो जाएगा और लाइनों देश के हिनों को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। व्यापारियों और यात्रियों की सुविधाओं का भी अधिक ध्यान तरह ध्यान रखा जाएगा।^१

१६२४-२५ में ईस्ट इण्डिया रेलवे और जी० आई० पी० रेलवे के ठेके स्वतं होने के समय यह विवाद और तीव्र हो गया। फरवरी, १६२३ में विषय धारासभा के समने रखा गया। गैर-सरकारी भारतीयों का मत निश्चित रूप से सरकारी प्रबन्ध के पक्ष में था। परिणामतः इन दोनों रेलवे कों सरकार द्वारा ले लिये जाने का प्रस्ताव पास हो गया। ये दोनों प्रत्यक्ष सरकारी प्रबन्ध के अन्तर्गत आ गई। (जनवरी, १६२६ में बर्मा रेलवे भी सरकारी प्रबन्ध में आ गई)। १६३० म सरकार न दक्षिण प्रान्त रेलवे खीद ली। यह सरकार द्वारा अधिकृत और प्रबन्धित पश्चिमोत्तर रेलवे के अन्तर्गत कर दी गई। बी० बी० एण्ड सी० आई० तथा आसाम बगाल रेलवे १ जनवरी, १६४२ से सरकार के प्रबन्ध में आ गई।

१०. साधारण वित्त से रेलवे वित्त का पृथक्करण (१६२४-२५ से १६२६-३०) — आकर्षण-समिति ने अनक आधारों पर रेलवे वित्त को साधारण वित्त से अलग करने के लिए जोर दिया। प्रथम, वार्षिक आय व्ययक (बजट) से रेलवे के लाभ के कारण होने वाली सदिगति दूर हो जाएगी। रेलों का मुनाफा मौसम और व्यापार के साथ बदलता रहता है, फलत बजट के अनुमान कई करोड़ रुपयों से भी गलत हो सकते हैं। रेलवे के हिट्टोण से भी दोनों को अलग करने की आवश्यकता और भी अधिक प्रतीत होती है। केन्द्रीय सरकारी बजट पर निर्भर होने से रेलों को व्यावसायिक रूप से बलाने में बाधा पहुँचती है। ऐसी व्यवस्था, जिसमे यह मान लिया जाता है कि हर

१०. जैसा कि श्री एन० बी० मेदेता का कहना है अन्तर रेलवे-प्रतिस्पदा के अभाव और जागृत जन-मत के प्रभाव ने रेलों के सरकारी नियन्त्रण को एक नैतिक आवश्यकता में परिवर्तित कर दिया है। देखिए, ईस्ट इण्डियन रेलवेज रेट्स रेग्लेशन, ४०-४१।

वर्ष की ३१ मार्च वो काम समाप्त हो जाता है और नय सरकारी वर्ष के साथ फिर प्रारम्भ होता है, रेलवे के विकास के लिए घातक थी। अतएव केबल व्यावसायिक आधार पर रेलों के मुचारु सञ्चालन की इटि से ही नहीं, बरत् पुरानी पद्धति की अनेक सदिंचताओं और बुराइयों से सरकार को स्वतन्त्र करने के लिए भी रेलवे वित्त को पृथक् करने का निश्चय किया गया। विषय के महत्त्व को ध्यान में रखकर सितम्बर १९२१ में धारासभा में एक प्रस्ताव रखा गया और इस प्रश्न पर विचार करने के लिए दोनों सदनों की एक सदूक्त समिति की नियुक्ति हुई। समिति ने यह निरांय किया कि तुरन्त अलग करना व्यावहारिक राजनीति के बाहर की बात होगी। किन्तु उन्होंने इस बात की आवश्यकता प्रतीत हुई कि बर्तमान रेलवे लाइनें, जो युद्ध के बारण विमड गई थीं या उपेक्षित थीं, उनको फिर से चालू किया जाए। इस काम के लिए उन्होंने १५० करोड़ रुपये व्यय करन की सिफारिश की जो कि बाँच वर्ष में रेलों के मुधार और तृतीय श्रेणी के यात्रियों को अधिक सुविधाएँ देने के लिए व्यय किये जाएं। १९२४ में धारासभा ने इसे स्वीकार किया और रेलवे वित्त को अलग करने वी योजना को भी मानने के लिए तैयार हो गई। शर्त यह थी कि रेलवे के मुनाफे से प्रति वर्ष एक निश्चित धनराशि सरकारी बजट के लिए दी जाए। यह हिस्सा इस आधार पर तय किया गया कि वर्ष के अन्त में वाणिज्य-सम्बन्धी लाइनों पर लगी पूँजी पर १% (वर्षनियों और रियासतों द्वारा दी गई पूँजी को छोड़कर) तथा लाभ का $\frac{1}{2}$ भाग उसी वर्ष के घाट तथा योद्धिक लाइनों पर लगी पूँजी के व्याज को घटाकर सरकार को दिया गया। धारासभा ने यह तय किया कि इस प्रकार निश्चित धनराशि का देन के पश्चात् यदि रेलवे सुरक्षित कोप (रिजर्व) को हस्तान्तरित किया जान वाला मुनाफा ३ करोड़ स अधिक हो तो इस अधिक धन का $\frac{1}{2}$ साधारण आगम (रेवेन्यू) म दे दिया जाए। रेलवे सुरक्षित कोप (रिजर्व) का उपयोग वापिक अशदान, बकाया अपकर्ष (डिप्रेशियेशन) पूरा करन और साधारण हृष से रेलवे की आर्थिक स्थिति सुधारन के लिए था।

११ अवसाद काल (१९३०-३१ से १९३५-३६) तथा बेजबूद रेलवे जाँच-समिति (१९३६-३७) — १९३०-३१ से १९३५-३६ तक का समय रेलवे के इतिहास में अवसाद का समय है। रेलवे को वार्षिक आय घटनी चली गई। परिणाम यह हुआ कि बजट को सन्तुलित करने के लिए सुरक्षित कोप और अपकर्ष कोप (डिप्रेशियेशन फ़ाउंड) का महारा लेना पड़ा तथा सामान्य बजट के प्रति अशदान भी बांद करना पड़ा। इस अवधि मे रेलवे की आर्थिक दशा म हाने वाले भयवर हास न विषय की जाँच-पढ़ताल अनिवार्य कर दी। सर आंटो नेमियर (एक दिसीय विशेषज्ञ, जो १९३६ मे भारत आये) ने रेलवे के खर्च मे सम्पूर्ण परिवर्तन की राय दी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट, '१९३५ के मविधान के अन्तर्गत प्रान्तों और केंद्र म वित्तीय न्यवस्था' म परिवहन के विभिन्न साधनों के स्थोरन पर ज्ञार दिया।^१

^१. इटियन फाइनेशल इन्वार्ड (नेमियर) रिपोर्ट, पैग ३२ - १९३६ मे एकाग्र वास्तव २१।

जून, १९३७ में प्रकाशित समिति की रिपोर्ट में रेलवे के हर पट्टू को समर्पित करने वाले ऐसे सुभाव हैं जिनसे उसकी कार्यकुशलता और आर्थिक परिस्थिति दोनों ही सुधारी जा सकती हैं। इसने पोष-समिति, जिसने १९३२-३४ में मित्रांशु किया था, वे सब सुभावों का समर्थन किया तथा एक पर्याप्त अपकर्ष-कोप (डिप्रेसियेशन फण्ड) की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके विचार में ३० करोड़ रुपये की बचत साधारणत ज्यादा नहीं कही जा सकती। इसने रेलवे क साधारण सुरक्षित कोप के निर्माण की सिफारिश की, इससे बहुत जी हुई पूँजी और व्याज को चुक्ता किया जा सकेगा।^१

समिति ने रेलों की अपनी लोकप्रियता बढ़ाने और जनता से अपने सम्बन्ध अच्छे करने के सुभाव रखे। इस काम के लिए समाचारपत्रों से घनिष्ठता बढ़ाने पर जोर दिया। समिति ने अनेक रेलों को एक में मिलाने पर अधिक जोर नहीं दिया, क्योंकि इससे प्रबन्ध और प्रशासन में असुविधा उत्पन्न होती।^२ देज़बुड़-समिति की रेल-सहकारी समोजन, तथा किराये की दर में सशोधन की सिफारिशों की चर्चा अन्य भागों में की गई है।

१२ द्वितीय विश्व-युद्ध-काल और उसके बाद (१९३९ से १९४७) — द्वितीय विश्व युद्ध का एक परिणाम यह हुआ दि यातायात में काशी वृद्धि हो गई। फलत परिवहन-क्षमता पर असाधारण भार पड़ा। समृद्धि काल के कारण रेलवे इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए थोड़ी-बहुत सुसज्जित थी। रेलवे के निर्माण में बड़ा रुपया खर्च किया गया था। कार्य विधि में सुधार भी किया गया तथा अच्छे शक्तिशाली इजन भी मोगाय गए थे। १९४१ में अपने बजट भाष्यामें सर गुरुरी रसेल, रेलवे चौक कमिशनर न अनुमान लगाया कि आवश्यकता पढ़ने पर अपनी वर्तमान कार्य-क्षमता से रेलवे को यातायात को संभाल सकती है।^३

१३ अगस्त, १९४७ को स्वतन्त्रता प्राप्ति और विभाजन ने समस्याओं के अकाल और रूप को ही बदल दिया। देश के विभाजन के साथ ही रेलवे और तत्सम्बन्धी अन्य सम्पत्ति का भी विभाजन हुआ।

१४ राज्य और रेलवे के बीच सम्बन्धों की विविधता^४ — नियन्त्रण और स्वामित्व की हापिट से राज्य और रेलों के बीच विभिन्न सम्बन्ध रहे हैं। मुख्य लाइनों में से चार लाइनें सरकार के स्वामित्व में थीं (नार्थ-वेस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न बंगाल रेलवे, ईस्ट इण्डियन रेलवे जिसमें १ जुलाई, १९२१ को अवघ और रुहेलखण्ड रेलवे मिला ही गई थी और चौथी जी० थाई० पी० रेलवे)। अन्य पाँच वा स्वामित्व तो सरकार ने

^१ रिपोर्ट, पैरा २०६, २१०-११।

^२ इण्डियन रेलवे इन्वायरी रिपोर्ट, अध्याय १२०-१३।

^३ देखिए, रेलवे बजट १९४०-४१, पैरा २।

^४ देखिए, रिपोर्ट ऑन इण्डियन रेलवे (१९३८-३९) भाग १, अनुसूची बी।

पास था जिन्हुं वे सरकार की तरफ से वैयक्तिक वम्पनियो द्वारा प्रबन्धित थी जिन्हें सरकार व्याज की सुरक्षा दे चुकी थी (त्री० बी० एप्ड सी० आई० रेलवे और एम० एप्ड एस० एम०, आसाम-बगाल रेलवे, बगाल-नागपुर रेलवे और एस० आई० रेलवे)। दो महत्वपूर्ण लाइनें (बगाल एप्ड नार्थ बेस्टन रेलवे तथा हृतेश्वर-कुमार्यूँ रेलवे) तथा कम महत्व की अनेक लाइनें व्यविनियत कर्मनियो की सम्पत्ति थी। इनमें से कुछ तो स्वयं वम्पनियो द्वारा तथा कुछ सरकार द्वारा शासित होती थी। कुछ लाइने देशी रियासतों के अधीन थी जैसे बाढ़ी से हैदराबाद (हैदराबाद राज्य), खण्डवा से इन्दौर (होल्कर राज्य) तथा इन्दौर से नीमच-उज्जैन होते हुए (ग्वालियर राज्य) कितनी ही छोटी-छोटी लाइनें तो जिला बोडीं के स्वामित्व में थी या उन्हें इन बोडीं द्वारा व्याज की गारन्टी प्राप्त थी।

अब लगभग सभी रेले सरकारी अधिकार और प्रबन्ध के अन्तर्गत हैं।^१

(२) स्वतन्त्रता के पश्चात्

१९४७ में विभाजन के फलस्वरूप रेलवे की पूँजी, रोलिं स्टॉक, कारखाने आदि का बैटवारा रेडिलिफ-निर्णय के अनुमार रेलवे भण्डार उपसमिति (रेलवे स्टोर्स सब-कमिटी) ने तथा निया। कुल रेलमार्ग का लगभग १६ प्रतिशत पाकिस्तान के हिस्से में प्राप्त था। वित्तीय देयता में भी पाकिस्तान का भाग लगभग १६ प्रतिशत ही रहा। पाकिस्तान की देयता लगभग १५० करोड़ रु० तथा भारत की देयता ६६० करोड़ रु० थी (१९४७-४८ के बजट के आधार पर)।

१९४८ में भारत सरकार न अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से रेलों के पुनर्स्थापन के लिए, ३४ करोड़ डालर का ऋण प्राप्त किया। इस ऋण की सहायता से ४१८ इजन, २६ वायलर तथा अन्य भागों वी स्ट्रोड के लिए आईंडर दिये गए। इसके अलावा भारत सरकार ने अपने साथों से भी इजन, डिव्वे तथा अन्य रोलिं स्टॉक पर्याप्त मात्रा में स्ट्रोडे। दिसम्बर, १९४८ में भारत सरकार ने यू० स० टेक्नीकल मिशन के साथ रेलों के पुनर्स्थापन के लिए एक और समझौता किया।

अगस्त १९४८ में भारत में ३७ रेल-व्यवस्थाएँ (रेलवे सिस्टम) थी। रेलवे संगठनों की अधिकता व्यवस्थित और अनुसाल प्रबन्ध को जन्म देनी है। अतएव भारतीय रेल व्यवस्था को पुन नये क्षेत्रों में बाँड़त बनाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। रेल-व्यवस्था के पुनर्गठन के भूल में यही सत्य निहित था। इसके अतिरिक्त पुनर्गठन के अन्तर्गत रेल-व्यवस्था के अनुसाल हैडवर्क्टर उच्चतम कानून से नियन्त होने सकेगा तथा रेलवे की अद्यतन प्रविधियों के अनुसारण में समर्थ होगा। अन्तिम पुनर्गठन से बोईं गविरोध और अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होगी।^२ इन सिद्धान्तों के आधार पर रेलवे को विभिन्न बगों में विभाजित करने की योजना १५ अप्रैल, १९५२ को तैयार हो गई थी। प्रारम्भ में

१. सरकारी रेलवे की लम्बाई ३४,१८१.०५ मील तथा गैर-न्यरकारी रेलवे की लम्बाई ७७२.८२ मील है। देखिए, टाइम ऑफ इंडिया बाइरेक्ट्री प्राइंट ड्राइव बुक, १९६०, पृ० २६०।

२. देखिए, सेकंड फाइबर इंजिन लाइन, पृ० ४६२।

रेलों को ६ वर्गों में विभाजित करने की योजना थी, जिन्हुंना बाद में दो वर्ग और बनाए गए। इस समय रेलवे आठ वर्गों में विभाजित है। ये वर्ग निम्नलिखित हैं तथा बोर्डक में इनके समान की तिथि और हेडक्वार्टर का नाम दिया हुआ है— (१) दक्षिण-सेवा (१४ अप्रैल, १९५१, मद्रास), (२) मध्य-सेवा (५ नवम्बर, १९५१, चम्बई), (३) पश्चिमी सेवा (५ नवम्बर, १९५१, चम्बई), (४) उत्तरी सेवा (१४ अप्रैल, १९५२, दिल्ली), (५) उत्तर-पूर्वी सेवा (१४ अप्रैल, १९५२, गोरखपुर), (६) उत्तर-पूर्वी सीमा-सेवा (१५ जनवरी, १९५८, वंडु), (७) पूर्वी-सेवा (१ अगस्त, १९५५, कलकत्ता), (८) दक्षिण-पूर्वी सेवा (१ अगस्त, १९५५, कलकत्ता)। रेलों के इस वर्गीकरण के विशद मुख्यतः दो आपत्तियाँ थीं गईं। एक तो यह कि कुछ सेवों के अन्तर्गत रेल की सम्बाइ इन्हीं अधिक है कि प्रशासकीय कठिनाइयाँ घटने के बजाय बढ़ जाएंगी, ऐसी आवश्यकता थी। दूसरे यह कि रेल-परिवालन में रकावटें पैदा हो जाएंगी। वर्गीकरण के पश्चात् वेजवाहा और मुगलसदाय तथा अन्य स्थानों में घटावटों का अनुभव भी किया गया, जिन्हें सरकारी दृष्टिकोण यह रहा कि ऐसी कठिनाइया वर्गीकरण परिणाम नहीं थी। इन आपत्तियों के विशद सरकार ने यही कहा कि वर्गीकरण की योजना से (१) प्रशासन और वित्तीय नियन्त्रण में सुधार, (२) प्रदूष में नियन्त्रण और कार्यक्षमता में बढ़ि, तथा (३) परिचालन-व्यवस्थाओं और कर्मशाला (वर्काशाप, का युक्तीकरण होगा। वर्गीकरण विवादास्पद विषय नहीं था। अनेक समितियों ने, यथा एकवर्थ-समिति, वेजबुड़-समिति, सभी ने सिफारिश की थी। वर्गीकरण के विशद बेवल यही कहा जा सकता था कि यदि यह योजना कुछ समय बाद सागू वी जाती तो अधिक अच्छा होता। कुंजल समिति (१९५७-५८)^१ का यही मत था। वर्गीकरण हो जाने के बाद यह विवाद का विषय नहीं रहा है।

१९५१ में प्रथम पचवर्षीय योजना प्रारम्भ हुई। इन योजना में रेलवे के पुनर्स्थापन और विस्तार के ऊपर ४२३.७३ करोड़ ८० व्यय किये गए। प्रथम योजना का व्यय मुख्यतः चल स्टाक तथा स्थिर सम्पत्ति का पुनर्स्थापन और नवीकरण, उत्पादन और विकास-सम्बन्धी योजनाओं से उत्पन्न नई आवश्यकताओं की पूर्ति तथा यात्रा करने वाली जनता तथा रेलवे कर्मचारियों को सुविधाएँ प्रदान करना था। योजनावधि में द्वितीय महायुद्ध में उखाड़ी गई ताइनों में से ४३० मील लाइन फिर से बिछा दी गई तथा ३०० मील लम्बी लाइनों का निर्माण हुआ। योजना के प्रारम्भ में भारतीय रेलवे के पास ८,२०६ इक्कन, १६,२२५ कोचिंग डिव्वे तथा २२२,४४१ माल के डिव्वे थे। इनमें से २,११२ इक्कन, ७,०४१ कोचिंग डिव्वे तथा ३६,५८४ मालगाड़ी के डिव्वे अपनी आयु पूरी कर चुके थे और उन्हें बदलना आवश्यक था। प्रथम योजना के अन्त तक प्राप्त इक्कन, कोचिंग के डिव्वे तथा माल के डिव्वों की संख्या क्रमशः १,५८६, ४,८३७

१. कुंजल-समिति का मत था कि रेलवे का पुनर्बन्धन गतिरोध और अच्युतस्था को जन्म देगा। सार्वानि में निफातिकी थी कि युनर्डेन की योजना कुछ बयों के लिए वार्यान्वित न की जाए। जिन्होंना इनपर कहा था है, सरकार भन इसे भानने को लैपर नहीं था।

तथा ६१, ७१३ रही होगी।

द्वितीय योजना में प्रधानत रेलव्यवस्था के विस्तार पर जोर दिया गया था कि व्यापार और उद्योग की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। १९५८ में रेलवे को विश्व वैक से ४००५ करोड़ रु० का ऋण प्राप्त हुआ। ३१ मार्च १९५८ तक इस ऋण का उपयोग चलन्स्टाक तथा रेलवे सम्बन्धी अन्य साजन्सामान खरीदने के लिए किया जा चुका था। १९५८-५९ में रेलवे ने ३६६ इंजन (जिनमें ७१ डीजेल के इंजन भी शामिल हैं), १६४३ कोचिंग के डिव्हे तथा १३,४२२ मालगाड़ी के डिव्हे प्राप्त किए।

द्वितीय योजना में १४४२ मील लम्बी रेल की लाइन का विद्युतीकरण प्रस्तावित था। बाद में इस लक्ष्य में परिवर्तन किया गया। परिवर्तन का कारण शक्ति की कमी तथा विदेशी विनियम की कठिनाईयाँ थीं। हावड़ा-दर्दिवान की मुख्य लाइन व शोरापुली-न्तारकेश्वर व्यापार लाइन पर दद मील की दूरी के लिए विद्युतीकरण हो चुका है। १९५८-५९ तक इस क्षेत्र में ११२ विजली से जलने वाली रेलें चलने लगी थीं। पूर्वी तथा दक्षिणी-पूर्वी रेलवे की मुख्य लाइन पर विद्युतीकरण का काम चालू था।

१४. रेलवे के आर्थिक प्रभाव—रेलवे या अन्य दूरी को नष्ट करने वाले साधनों के साम इन्हें स्पष्ट हैं कि उन्हें गिनाने की आवश्यकता नहीं। योजनातिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हास्टि से इनका बहा ही महत्व है। कुशल प्रशासन, सुरक्षा, दुर्भिक्ष-सहायता, व्यापार और उद्योग का विकास, प्राकृतिक साधनों का अधिक अच्छा उपयोग, जनमत्या का सम-विभाजन, ये सब रेलों पर निभंग हैं। कस्बों और बन्दरगाहों का विकास भी बहुत हद तक रेलवे के कारण ही सम्भव हुआ। रेलों द्वारा सफाई और कृषि-मुदार में भी बड़ी सहायता पहुँच सकती है। अन्त में सरकारी आय प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों स्तर से बढ़नी है। प्रत्यक्ष रूप से सरकार रेलवे के मुनाफे में हिस्सेदार है। परोक्ष रूप से रेलों से देश को सम्पत्ति में वृद्धि होने से जनता की कर देन की शक्ति बढ़ जाती है।

१५. रेलों के और अधिक विकास की आवश्यकता—प्रारम्भ में रेलों से होने वाली अनेक हानियों का कारण देश में रेलों का निर्माण न होकर निर्माण की पद्धति और उसके सम्बन्ध में दिल्लाई गई अनुचिन जलदवाजी है। यह बात बहुत ज़हरी है कि कुछ प्रनिवन्धों के अन्तर्गत देश में रेलों का विकास यथासम्भव शीघ्रता से हो। इससे देश का व्यावसायिक और आर्थिक विकास सरलता से होगा। यह बात तो स्पष्ट है कि देश में अभी रेलवे का पूर्ण प्रसार नहीं हो पाया है। प्रमाण के लिए हम यूरोप को ले सकते हैं। यूरोप का क्षेत्रफल (हस को निकाल देने पर) १,६६०,००० वर्गमील है, जिसमें १६०,००० मील रेल है। भारत का क्षेत्रफल १२,५६,७६७ वर्ग मील है, लेकिन इनमें बेवज्ञ ३५,०८१ मील रेलवे साइन है।

रेलवे प्रशासन की समस्याएँ

१. स्वतन्त्रता से पूर्व—हम पहले रेलवे प्रशासन की उन समस्याओं की चर्चा

वरेंगे जो १६४४-१६४७ के काल में विचारणीय थी।

१६. रेलवे दर-नीति—एक बड़ी पुरानी शिकायत थी कि रेलवे की दर मूलत आधिक लाभ के सिद्धान्त पर आधारित है और यूरोपीय सौदागरों को फायदा तथा भारतीय उद्योग और साहस के विकास को बाधा पहुँचाती है। १६१५ में सर इब्राहीम रहीम-तुल्ला ने घारासभा (इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कॉसिल) में इसका ज़िक्र किया। उद्योग और वित्त-आयोग के सामने भी कितने लोगों ने इस बात की यावाही दी। आकर्षण-समिति ने भी इस ओर ध्यान आकृष्ट किया। एक खास शिकायत यह थी कि दरें इस प्रकार रखी गई थी कि वे आन्तरिक यातायात की अपेक्षा अन्दर ने बन्दरगाहों तक आने वाले और बन्दरगाहों से अन्दर जाने वाले यातायात को प्रोत्साहन देने वाली थी। इससे बच्चे माल के नियंत्रण और विदेशी निर्मित बस्तुओं के आयात को प्रोत्साहन मिलता था।^१ भारतीय व्यापारियों की शिकायत थी कि उन्हें देश के विभिन्न भागों से बच्चा माल मैंगने और विभिन्न बाजारों में तैयार माल भेजन में काफी ऊँची दर देनी पड़ती थी। अबरोधक दर प्रथा (ब्लाक रेट सिस्टम)^२ से भी काफी असन्तोष या क्योंकि इससे यातायात का कृत्रिम विकारण होता था जिससे उद्योग और व्यापार दोनों को असुविधा होती थी। रेलवे-दर का एक प्रभाव यह भी था कि भूतकाल में प्राय उद्योग बन्दरगाहों के पास बेन्द्रित होने लगे थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें भी किननी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

जैसा कि अर्थ-आयोग (फिल्कल कमीशन) ने स्वीकार किया था, भारतीय उद्योगों के साथ किये गए प्रनुचित व्यवहार की बात निश्चार नहीं थी। व्यवहार में रेलों को अपने ढांग से दर निश्चित करने की स्वतन्त्रता थी। यद्यपि यह स्वतन्त्रता रेलवे बोर्ड द्वारा दी गई स्वीकृतियों के अन्तर्गत ही थी, किन्तु उन्हें विशिष्ट सामग्री विशिष्ट वर्ग में रखने की स्वतन्त्रता थी। प्रश्न का गम्भीर अध्ययन करने के उपरान्त उद्योग-आयोग ने यह निफारिज़ की कि एक प्रकार की सामग्री को उतनी ही दूरी पर ले जाने का किराया बराबर होना चाहिए, नाकि बच्चा माल जहाँ तक सम्भव हो सके नियंत्रित के पूर्व निमित्त सामग्री की दशा में हो जाए। उन्होंने यह भी सुझाव रखा कि एक से अधिक लाइनों पर चलने वाली बस्तु की पूरी दूरी का किराया एक ही दर से एक ही बार ले लिया जाए। अर्थ-आयोग ने इन सुझावों को स्वीकार किया और यह भी सुझाव रखा कि नवे उद्योगों के लिए कुछ वर्ष तक विशेष रूप से रिश्याधती दर देनी चाहिए और अन्य उद्योगों को भी विशेष रिश्याधत ही जाए, यदि वे अपने को इस योग्य सिद्ध कर सकें। कूपीय-आयोग, जिसने रेलवे दर से कूपी-विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच की, ने यह सुझाव रखा कि कृपि विभाग और

१. फिल्कल कमीशन रिपोर्ट, पैरा २२७।

२. 'ब्लाक रेट' का अर्थलब है कि धोड़ी दूरी के लिए अधिक दर से किराया लेना। यह अक्षर के निकट किसी रेशेन से उम अक्षर तक और वहाँ से दूसरी रेलवे पर अधिक दूर तक जाने वाले यातायात पर लगाया जाता है। इसका उद्देश्य यातायात को प्रतिदून्धी लाइनों पर जाने से रोकना तथा एक लाइन तक ही सीमित रखना है।

रेलवे-विभाग के बीच अधिक सम्पर्क स्थापित किया जाए तथा कृतिम खादो, इंपन, चारा और दूध देने वाले पशुओं के यानायात को विशेष सुविधा दी जाए। उन्होंने कृषि के श्रीजारों के कच्चे मान और श्रीजारों के परिवहन की दर को फिर से जाँच करन की सिफारिश की।^१

१६२२ में आकबर्य-समिति के सुभाव के अनुसार एक अध्यक्ष, एक व्यवसायी हितों का प्रतिनिधि सदस्य, दूसरा रेलवे का प्रतिनिधि सदस्य, इनकी एक दर परा-मर्दानी समिति (रेट्रैट्रोफ्री कमेटी) का निर्माण किया गया। इसे जाँच करके निम्न विषयों पर सुभाव देने के लिए कहा गया

(१) ग्रनुचित अधिमान की शिकायतों को जाँच। (२) यह शिकायत की कि रेलवे कम्पनियां व्यापार को पूरी सुविधा देने का कार्य नहीं कर रही हैं तथा अन्तिम स्थान-सम्बन्धी (टर्मिनल्स) भगड़े। (३) य शिकायतें कि दरों उचित नहीं हैं। (४) नुकसान पहुँचने वाली सामग्री के परिवर्टन (पर्किंग) से सम्बन्धित शर्तों के भौतिक्य सम्बन्धी शिकायतें। (५) किसी दर से सम्बन्धित परिवेष्टन-सम्बन्धी शिकायतें। जैसी कि वेजवुड जाँच समिति न सिफारिश की थी, १६४० में समिति की कार्य-विधि अधिक सरल कर दी गई।

१७ प्रभावपूर्ण निरीक्षण का प्रभाव—रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन आकबर्य-समिति न रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन पर जोर दिया था ताकि इसे एक संगठोपजनक माध्यम बनाया जा सके जिससे भारत सरकार सम्पूर्ण रेल व्यवस्था के ऊपर प्रभावपूर्ण निरीक्षण सरलता से कर सके। पुनर्गठित रेलवे बोर्ड की सरचना एक प्रधानायुक्त (चौप कमिशनर), एक वित्तायुक्त और तीन सदस्यों से गठित है।^२ आकबर्य-समिति की सिफारिश थी कि रेलें तीन थोकों में विभाजित हो, जिनमें से प्रत्यक्ष थोक एक कमिशनर के अधीन हो। इसके स्थान पर विषय के आधार पर काम को विभाजित करन का ढग अपनाया गया। एक सदस्य प्राविधिक (टेक्निकल) विषयों का काम देखता है, दूसरा साधारण प्रशासन कर्मचारी और यातायात-सम्बन्धी विषयों का काम देखता है और तीसरा वित्तायुक्त, जो कि वित्त विभाग का प्रतिनिधि होता है, सभी आर्थिक पहलुओं की दख-रेख करता है। बोर्ड की सहायता के लिए पांच सचालक होते हैं। (सिविल इंजीनियरिंग, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, यातायात, वित्त और संस्थापन—एस्टेटिक्समेण्ट) जो कि प्रधानायुक्त और सदस्यों वे दिन-प्रतिदिन के काम म सहायता पहुँचाते हैं ताकि व अपना ध्यान रेलवे-नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बन्दिन बर मक और विभिन्न रेलों पर यात्रा करके स्थानीय सरकारों से पहले की अपक्षा कही अधिक व्यवित्रण सम्पर्क स्थापित कर सके।

१८ भारतीयकरण की समस्या—आकबर्य-समिति और ली आयोग (१६२३) दोनों ने उच्च रेलवे सेवाओं के लिए भारतीयों को प्रशिक्षित करन की सुविधाओं के प्रमाण की सिफारिश की थी। ली-आयोग ने ऐसे ७५ प्रनिधान पदों के लिए प्रशिक्षण की

^१ कृषिन्यायोग-प्रिपोट, पृ० ३६३-६।

^२ अतिरिक्त सुमारी व निष देसिप, इण्डियन रेलवे इन्वियरिंग (१६३७), पैरा ७८-८०

निकारिय की। सरकार ने यह बात स्वीकार कर ली और प्रशिक्षण-सुविधाओं के प्रसार के लिए कदम उठाया। वेजबुड़-समिति की रिपोर्ट पर विवाद होते समय भारत सरकार ने रेलवे-सेवाओं के भारतीयकरण की बात को पुन दुहराया। अब यूरोपीयों को नौकरियाँ मिलना बन्द हो गया है और भारतीयकरण का प्रश्न भी राजसत्ता भारतीय हाथों में हस्तान्तरित हो जाने से समाप्त हो गया है।

रेलवे की समस्याएँ

२ स्वतन्त्रता के बाद—स्वतन्त्रता के बाद रेलवे की समस्याओं का रूप ही बदल गया। कुछ समस्याएँ जैसे, भारतीयकरण की समस्या, अप्राप्तिक हो गई तथा कुछ अन्य समस्याएँ अधिक महत्वपूर्ण हो उठी। इस समय भारतीय रेलवे के समक्ष निम्न मुख्य समस्याएँ हैं

१ रेल चलाने के लिए शक्ति-उत्पादन के हेतु अधिकाशत कोयला प्रयुक्त होता है। भारत में अच्छी कोटि के कोयले के कुल निष्ठोप सीमित है तथा दीर्घकालीन प्रयोग की हप्ति से वे लोहा और इस्पात जैसे आधारभूत उद्योग के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। इन उद्योगों का भविष्य निम्नकोटि के कोयले के सुधार और तदनन्तर इनके उपयोग पर ही प्राप्तारित है। अतएव रेलवे में कोयले का प्रयोग निम्नतम करना आवश्यक है। इस हप्ति से भारत में विजली और डीजेल से चलने वाली रेलों की व्यवस्था करना आवश्यक है। द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस दिशा में प्रयत्न किये गए हैं जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं।

२ रेलवे की दुर्घटनाओं से सम्बन्धित दूसरी महत्वपूर्ण समस्या है। ये दुर्घटनाएँ अनेक प्रकार की होती हैं, यथा टक्कर, पटरी से उतरना, गाड़ी से जानवरों का कटना, सम-पार पर गाड़ी का सड़क यातायात से टकराना, गाड़ी का दूसरी रुकावटों से टकरा जाना आदि। १९५७-५८, १९५८-५९ तथा १९५९-६० में दुर्घटनाओं की संख्या क्रमशः ६,०११, ६,०७१ तथा ८,६१६ थी। १९५९-६० में इस प्रकार कुल दुर्घटनाओं की संख्या में कमी प्रा गई। किन्तु इस वर्ष रेल-पथ से उतरने और रेल-पथ की खराबी के कारण हुई दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ गई। टक्कर, गाड़ी का पटरी से उतरना, गाड़ी का सम-पार पर सड़क यातायात से टकराना, गाड़ी में आग लगना—इस प्रकार की कुल १,१२४ दुर्घटनाएँ रेलवे कर्मचारियों की असावधानी से हुई जबकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं की कुल संख्या (१९५९-६०) में २,११६ थी। अतएव उपर्युक्त प्रकार की लगभग ५०% घटनाओं के लिए रेलवे कर्मचारी ही उत्तरदायी थे। यह कहा जा सकता है कि इन घटनाओं को कम करना तो सरकार के ही हाथ में है। उपाय के रूप में सरकार दुर्घटना की कारण रूपों भूलों के सम्बन्ध में रेलवे कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए जनरल मैनेजरों तथा परिचालन अधीक्षकों की आवधिक बैठक में बराबर जोर देती रही है। दुर्घटना के सरकारी निरीक्षकों ने १९५९-६० में जिन दुर्घटनाओं की जांच की, उस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उन्होंने बहुत-से सुझाव दिये। तदनुसार रेल प्रशासन को हिदायतें भी दी गईं। दुर्घटनाओं को कम करने की हप्ति से अधिक महत्वपूर्ण

चात तो इन हिदायतों का पासन है। सम्यार के पाटकों की दुर्घटनाओं, रेल पथ म खराबी के कारण होने वाली घटनाओं नथा भमाज विग्रेधी तत्त्वों व तोड़ फोड़ के कार्यों को रोकने के लिए भी सरकार प्रयत्नशील है और आशा की जा सकती है कि आगामी वर्षों में रेल-यात्रा और ग्राहिक मुरक्षित हो जाएगी।

रेलवे की तीसरी महत्वपूर्ण समस्या यात्रियों की सुविधा पहुँचाने की है। रेलवे प्रशासन के विरुद्ध यह आलोचना प्रस्तुत की जा रही है कि तीसरे दर्जे के यात्री-जिनसे अन्य यात्रियों की अपेक्षा सबसे अधिक आय प्राप्त होती है—सुविधा की हाईट से सबसे अधिक उपक्रित है। लड़ाई के बाद भारतीय रेनो में यात्री-यातायात बराबर बढ़ता रहा है, उसकी बजह से गाड़िया म भीड़ रहती है। चूंकि रेलवे के उपलब्ध साधनों से भीड़ में कोई खास कमी नहीं की जा सकती, इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि इन साधनों का उपयोग इस तरह से किया जाए कि भीड़ कुछ खास क्षेत्रों और गाड़ियों में अधिक न होकर समान रूप से सब गाड़ियों और क्षेत्रों में बैठ जाए। फिर भी इस बात की कोशिश की जा रही है कि बड़ी और मीटर दोनों लाइनों में सबारी गाड़ियों की मील-सम्म्या बढ़े।

द्वितीय योजना में रेल-उपभोगकर्ताओं की सुविधा के लिए १५ करोड़ ८० भजूर किये गए थे। अनुमानित व्यय १५ १५ करोड़ ८० है। तीसरी योजना के प्रथम वर्ष में ३०२ करोड़ ८० व्यय करने का विचार है।^१ उपर्युक्त विवरण से इतना तो स्पष्ट है कि सरकार यात्रियों को अधिक सुविधा प्रदान करने के प्रति जागरूक है। यात्री-सुविधा की दिशा में अभी बहुन-कुछु करना जेष है। रेल के दिव्यों में बैठन की अग्रामदायक सीट, पख्ता शौचादि की स्थिति म सुधार आदि। साधारण जनता यात्री-सुविधा से तभी प्रभावित होगी जबकि उपर्युक्त सुविधाएँ हर गाड़ी में प्रस्तुत की जाएँ। १६ रेलवे में प्रगति तथा पचवर्षीय योजनाएँ—क्योंकि रेलव यातायात की सबसे बड़ी अभिकरण (Agency) है, इसलिए इसकी प्रगति सारी आधिक व्यवस्था पर बहुत प्रभाव डालती है। इसका पचवर्षीय योजनाओं में विशेष महत्व है। इसका विवरण निम्नलिखित तालिकाओं से मिलता है—

तालिका—१

व्यय तथा रेलवे का अशदान (करोड़ रुपयों में)

	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना
१ योजना भ रेलव पर व्यय	४२३ २३	१०४३ ६६	१,५८१ ००
२ रेलव का अशदान योजना के कार्य	२८० ००	४६५ ००	५३१ ००
३ विदेशी मुद्रा की रेलवे के लिए आवश्यकता	—	३१६ ४५	२८३ ५०

१० देखिए, भारत की सरकारी रेलों में दुर्घटनाओं की समीक्षा (१६५६०६०) रेलवे व्यवस्था परकी ६६० में प्रकाशित।

२ देखिए, यात्री सुविधा के प्रति—रेलवे भवालय (१६६१-६२)।

तालिका —२
योजनाओं के अन्तर्गत प्रगति

	पहली योजना (वास्तविक)	द्वितीय योजना (वास्तविक)	तृतीय योजना का लक्ष्य
नई लाइने खोली गई (किलोमीटर)	१,०३४	१,३११	२,६४०
दुगनी लाइने की गई (किलोमीटर)	३७०	१,५१२	३,८६४
रेलों में विजली का प्रयोग	—	३६१.५	२,४६८
रेलवे इजन	१,५८६	२,२१६	२,०७०
रेल के डिव्हे	४,७५८	७,७१८	८,६०१
मालगाड़ी के डिव्हे	६१,२५४	६७,६५६	१,५७,२२७

पहली पचवर्षीय योजना में यातायात, जिस पर लडाई तथा विभाजन का गहरा असर पड़ा था, वो किर में अच्छी दसा में लाने का कार्य था। उसके साथ-साथ यातायात को आर्थिक उन्नति के लिए भी आवश्यकताओं को पूर्ण करना था। दूसरी पचवर्षीय योजना, जिसमें भारी उच्चोग तथा यातायात सचार पर सूब जोर दिया गया था, में रेलवे प्रगति पर अच्छा ध्यान दिया गया। दूसरी योजना में १३४० करोड़ रुपया यातायात पर लगाया गया। तीसरी योजना में इम क्षेत्र में १४८६ करोड़ रुपया रखा गया। इसमें रेलवे पर ८६० करोड़ रुपया था, इसके अतिरिक्त ३५० करोड़ रुपया हूट-फूट के फँड (Depreciation) से ३५ करोड़ रुपया स्टोर स्पेन्स-खाते से (Suspense)।

चौथी पचवर्षीय योजना में सचार तथा यातायात पर ३,००० करोड़ रुपया सरकारी क्षेत्र में और ६५० करोड़ रुपया निजी क्षेत्र में खर्च होगा, जिसमें से रेलवे पर १,४०० करोड़ रुपया खर्च होगा और ६५० करोड़ रुपया रेलवे हूट-फूट फँड में से लगाया जाएगा। इस प्रकार रेलवे में कुल अवधारणा २२५ मिलियन टन से (१६६५ ९६) से बढ़कर (१६७० ७१) म ३५५ मिलियन टन हो जाएगा।

सड़क परिवहन

२० हाल का सङ्केत इतिहास—लाई डलहौजी के समय में भारत की सड़कों के निर्माण का नया युग प्रारम्भ हुआ। डलहौजी ने रेलों के निर्माण के अतिरिक्त सड़कों के निर्माण के लिए भी कुछ शक्तिशाली नीति का अनुसरण किया। इस काम के लिए वेन्ट्रीय सार्वजनिक कार्य-विभाग के अतिरिक्त (१८५५ में) प्रत्येक प्रान्त में संतिक बोर्ड (मिलिट्री बोर्ड) के स्थान पर सार्वजनिक कार्य-विभाग (पी० डब्ल्यू० ही०) की स्थापना की गई (१८५५)। प्राय. ६० वर्पें से रेलों के प्रभाव से भी सड़कों के निर्माण में सहायता मिलती थी रुटी है। ज्यो-ज्यो रेलों का प्रसार होता गया, रेलों की सामग्री, माल और जनता की मात्र पूरी करने के लिए एक सहायता के रूप में

न कि प्रतिफल्दी (वे रूप में) सड़कों का निर्माण आवश्यक हो गया। रेलवे न पकड़को मछड़ों की—जो कि रेलवे से समझोए पर देज के आनंदित भाग से साल-भर सतारी और माल लाने में सहायता पहुँचाएं—आवश्यकता की और भी तीव्र कर

दिया और यह माँग अज भी पूरी तरह से सतुष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन रेलो के प्रसार से होने वाले लाभ ने सरकार का ध्यान सड़कों की ओर कम जाने दिया, खास तौर से उन सड़कों की ओर जो रेलवे के समानान्तर चलती हैं।^१

२१ भारतीय सड़कों की विशेषताएँ—इस सभ्य देश के एक छोर से दूसरे छोर तक फैली हुई चार ट्रक सड़कें हैं। इनके साथ अनेक सहायक सड़के जुड़ी हुई हैं। सबसे प्रसिद्ध ट्रक रोड, जो पुराने जमाने में सेनाओं के आवागमन के लिए बनाई गई थी, ग्राड ट्रक रोड है। यह खंडवर से कलकत्ता तक जानी है। अन्य तीन सड़कों में से, एक कलकत्ता और मद्रास को मिलाती है, दूसरी मद्रास को बम्बई से मिलाती है और तीसरी बम्बई को दिल्ली से मिलाती है। इन चारों प्रधान सड़कों की लम्बाई ५,००० मील है जब कि कुनूर पक्की सड़कें १२१,६१३ मील हैं। दक्षिण भारत में सहायक सड़कें अच्छी दशा में हैं, उनकी स्थिता भी अधिक है। पक्की सड़कों के अतिरिक्त काफी कच्ची सड़कें भी हैं (१६५०-५१ मील)। ३८,१३६ मील लम्बी कच्ची सड़कों का निर्माण तो प्रथम याजना-काल में १६५६ तक सामुदायिक विकास-योजना तथा राष्ट्रीय प्रसार-सेवा के अन्तर्गत हुआ। इनमें से कुछ तो सूखे मौसम में मोटर इलादि के लिए भी काफी अच्छी हैं। मोटरों के आविकार और प्रचलन के पहले भी देश की आवश्यकता के लिए भारतीय सड़के अपराधित थी।^२

जिस आन्धर्यजनक शीघ्रता से मोटर परिवहन—बस और निजी बारे—का दश में विकास हुआ है उससे सड़कों का निर्माण और सुरक्षा से सम्बन्धित वित्ती ही नयी समस्याएँ उठ खड़ी हुई हैं। यह बात सच है कि मोटर-लारी ने कृषि-उत्पादन और तैयार माल को (ले जाने) ढोने में बेलगाड़ियों के काम वो कम ही प्रभावित किया है। सड़कों की यह दुर्दशा विना पुलवाली नदियों और रेलगाड़ी की प्रतिष्ठिति के कारण है। जब ये सब कटिनाइयाँ दूर हो जाएँगी तो हमें प्राशा है कि यन्त्र-सञ्जित परिवहन (मेकनाइज्ड ट्रांसपोर्ट) यातायात के अधिकांश भाग को अपन अधिकार में कर लेगा। यह विकास खासकर पहाड़ी इलाकों में अधिक प्रभावशाली होगा, क्योंकि वहाँ रेलवे निर्माण की अपेक्षा सड़के बनाना सस्ता पड़ेगा और सम्भव भी होगा। इसके अतिरिक्त बड़े नगरों के समीप नाट होने वालों दस्तुओं के लिए भी

१. देखिए, रोड डिवेलपमेंट कमेटी रिपोर्ट, पैरा १७।

२. कृषि-आयोग (१९२८) ने बताया कि द्वाक प्रति २०० कमील छेत्र में सुनुतरात्म्य में ८० मील सड़कों हैं, भारत में वेवल २० मील (प्रतिशत बाजील) ह (रिपोर्ट, पैरा १६)। भारत अब भा केनेथ मिचेल द्वारा रखे गए आदर्श में काफी दूर है। जब मिचेल भारत सरकार के सड़क परिवहन के नियन्त्रक थे, उन्होंने कहा था कि १००० जनसंख्या का बोड भी गाव भड़क से आपे मल से अधिक दूर न हाना चाहिए। भारतीय सड़क अमेर परिवहन-विकासन्स्ट्र्य (इंडियन रोड्स प्रष्ट ट्रांसपोर्ट इंडेल्पू मेरन एनोमिस्टिक्स) ने सुमाव रखा कि प्रत्येक ३०० लिंकिंसों के गार्वा से अधिक-मैनेजिंग विकास १ मील ८० फीट चौड़ी सड़क होनी चाहिए। यदि भारत के न्यू ७००,००० गाँवों का निकट के बाजारों, गावों और रेलवे स्टेशनों से बोडने के लिए औसतन १ मील सड़क भी मिल तो कुल ५००,००० मील सड़क की आवश्यकता होगी, जबकि इन सभ्य वेवल ३००,००० मील सुन्दर है।

मोटर परिवहन के लिए पर्याप्त अवसर है।

२२ अधिक सड़कों की आवश्यकता—जैसा कि कृषि-आयोग न कहा है, 'परिवहन विवरण का आवश्यक अग है। आधुनिक व्यावसायिक विकास ने अच्छी सड़कों के सचार-महत्व को बहुत बढ़ा दिया है।' अच्छी परिवहन-व्यवस्था से कृषि-उत्पादन को निश्चय ही प्रेरणा मिलेगी और जीवन-निवांह कृषि का स्थान व्यवसायिक कृषि ले लेगी जिससे ग्रामीणों का जीवन स्तर भी ऊँचा उठेगा। इससे खीचने वाले और भारतवाही पशुओं की शक्ति और प्राणवत्ता पर भी कम भार पड़ेगा और उनकी कार्य-क्षमता बढ़ेगी। इससे सदारियों का विस्तार भी कम हो जाएगा, समय की भी बचत होगी। निर्यात या आन्तरिक उपभोग वाले कृषि-उत्पादन से सम्बन्धित उद्योगों को भी कृषि से पर्याप्त सहायता पहुँचेगी। वे (सड़कें) उद्योगों के विकेन्द्रीकरण में भी सहायक होगी। इस प्रकार अनुचित स्थानीयकरण से उत्पन्न श्रम और मकानों की जटिल समस्याओं भी कम होगी, ग्रामीण बातावरण में उद्यान-फैलिट्रियों का स्वप्न सत्य होने लगेगा। अन्त में, उपयुक्त सड़क-परिवहन वौ सहायता से भारत की अपार धन-राशि का भी पूरा-पूरा उपयोग किया जा सकेगा।

२३ सड़क बनाने रेलवे—सड़क-परिवहन रेल-परिवहन में इस अर्थ में अच्छा है कि इसके लिए स्टेशनों, सिगनलों, द्वारकों आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती। न तो इसमें समाप्ति (टरमिनी) पर समय का ही नुकसान होता है, न खाली डिब्बे ही ढोने पड़ते हैं और न रोलिंग स्टॉक ही बेकार रहता है। सड़कों का स्पष्ट स्तरापन इसलिए भी है व्योकि रेलवे को अपनी लाइने बनाने और उन्हे सुरक्षित रखने का सब खर्च स्वयं बरदाश्त करना पड़ता है, इसके विपरीत, सड़कों का निर्माण और सुरक्षा साधारण कर देने वालों के घन से होती है। यदि मोटरों को ही सड़कों की सुरक्षा का खर्च भी बरदाश्त करना पड़े तो भी सड़क-परिवहन स्तरा ही पड़ेगा। यह बात थोड़ी दूर की यात्रा और हल्के यातायात के विषय में ही लागू होगी। इसके विपरीत दूर की यात्रा और भारी वोग ढोने का काम रेलवे द्वारा अधिक सस्ते में होगा, व्योकि उनके चलाने का खर्च कम पड़ा स्थानों पर वे एक-दूसरे को सहायता पहुँचाती और पूरक का काम करती है। इसे निम्न शब्दों में भली प्रकार प्रकट किया गया है, "सड़क किसानों की जोतों को बाजारों और पास के स्टेशनों से समुक्त करती है। इसके विपरीत रेलवे उत्पादन-क्षेत्र और दूर के उपभोक्ताओं के बीच सम्बन्ध स्थापित करती है तथा नगर के उत्पादकों और हल, कृत्रिम खाद और वपडा खरीदने वाले किसानों को मिलाती है। अच्छी और पर्याप्त सड़कों के बिना कोई भी रेलवे परिवहन के लिए पर्याप्त सामग्री इकट्ठी नहीं कर सकती। इसके विपरीत सबसे अच्छी सड़कें भी फसल का उत्पादन करने वालों को उपभोक्ताओं के सम्पर्क में नहीं ला सकती।" इसलिए यह सोचना कि रेलवे में लगी लगभग १२२६ करोड़ रुपये की पूँजी को सड़कों के प्रसार

से हानि पहुँचेगी, विलकुल भ्रामक है। यह ठीक है कि रेलवे और सड़कों के बीच थोड़ी-सी प्रतिवृद्धिता रहेगी, इसे विलकुल समर्पण नहीं किया जा सकता। यह बात वह नगरों के समीप और उपनगरों के लिए भी उतनी ही सच है, जितनी देश के अन्य भागों के लिए जहाँ रेलवे और मोटर समानान्तर पर चलती हैं, जैसे अहमदनगर और पूना के बीच। रेलवे की सामान्य नीति सड़क-परिवहन से अधिक सुविधा देना तथा मोटरों द्वारा ढोये गए माल और व्यापार का भी पूरा लाभ उठाना है। मोटरों तभी चालू की जाती है जब किसी-न-किसी प्रकार जनता की माँग रेलों द्वारा पूरी नहीं हो पाती। जनता के हृष्टिकोण से यह प्रतिस्पर्धा लाभदायक ही सिद्ध हुई है, क्योंकि इसने रेलवे को जनता की सुविधाओं का अधिक ध्यान रखने के लिए बाध्य किया है।

२४. सड़कों की प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए अपनाये गए उपाय—सड़क की प्रतिस्पर्धा कम करने के लिए रेलवे ने निम्नलिखित तरीके अपनाए हैं—रेलवे आमी-वस सेवाएँ, सन्तरी कोचेज, शटल ट्रेनें, टाइम ट्रेवल में परिवर्तन, मस्ते वापसी टिकट, नृतीय थ्रेणी के मौसमी और ज्ञोन टिकट, गारातों के लिए रिआयती दर, यम दर पर स्पेशल ट्रेनें, रेलवे की सेवाओं का प्रचार तथा अन्य सुविधाएँ।^१ बेजबुड़-समिति ने इस प्रकार के अनेक तरीके बताएं जिनसे सड़कों की प्रतिवृद्धिता को कम किया जा सकता है।^२ जहाँ तक पैमेंजर ट्रेनों का सवाल है, सरकार न रुज़ चलने वाली पैसेजर ट्रेनें, ट्रेनों वा एक-दूसरे में मेल, अधिक अच्छी सेवाएँ और नीचे दर्जे के यात्रियों को अधिक सुविधाएँ देना पसन्द किया। उन्होंने सड़कों की प्रतिस्पर्धा कम करने के लिए किराये को एक साथ कम करने का विरोध किया। किनाये किसी स्थान-विशेष पर जनता को रेल के प्रति आकर्षित करने के लिए कम किये जा सकते हैं या वहाँ कम किये जा सकते हैं जहाँ यह भय है कि अन्य सवारियाँ रेलों से विमुख होकर किसी अन्य परिवहन की ओर चली जायेंगी। भारतीय रेलों को बुकिंग एजेंसी द्वारा यातायात के विकास का प्रयास करना चाहिए। यह ध्यान देने की बात है कि इधर बेजबुड़-समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप रेलवे प्रशासन का व्यावसायिक पक्ष पर्याप्त सुदृढ़ कर दिया गया है। जहाँ तक माल वे यातायात का सवाल है, इस समिति ने तेज़ मालगाड़ियाँ, माल वा जल्दी उतारना-चढ़ाना, लिखा पढ़ी की विधि को सरल बनाना, एकत्र करने और छोड़ने की सेवाओं में विकास, कन्टेनर और रेलवे रेफिजरेटर ट्रूकों का प्रयोग आदि के सुझाव दिये।

२५. परिवहन संयोजन-नीति—१९३२-३३ में रेलवे और सड़कों की प्रतिवृद्धिता वी जाँच करने के लिए नियुक्त अफसरों की एक थोड़ी-सी समिति की जाँच का कल थी। वे दोनों अफसर भारत सरकार के सड़क इंजीनियर सर वे० जी० मिचेल और एन०

१. रिपोर्ट आ० दि रेलवे थोड़ी आन इंसिट्यूशन रेलवे (१९३३-४०), पैरा ६२-४।

२. भात सरक र द्वारा बेजबुड़-रिपोर्ट की सिफारिशों पर विदेश वाम के विशेष विवरण के लिए देखिए, रेलवे दर्जे (१९६८-६९), पैरा ८-१० और (१९३३-४०), पैरा ८०-१७।

एच० कर्कनस रेलवे बोर्ड मे विशेष अधिकारी थे। इसमे प्रतिद्वन्द्विता को उचित बनाने के लिए मोटर परिवहन पर और अधिक नियन्त्रण करने का सुझाव दिया गया।^१ १६३३ मे हुए रेल-सड़क सम्मेलन मे विभिन्न प्रकार के परिवहन के संयोजन से सम्बन्धित कई प्रस्ताव पास किये गए ताकि इनकी प्रतिद्वन्द्विता घट जाए। अन्य तरीको मे सम्मेलन ने रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली बस-सर्विस पर से कानूनी प्रतिबन्ध हटाने का सुझाव दिया। सड़क परिवहन सेवाओ को, ग्रामीण सेवाओ के विकास को दृष्टि मे रखकर, एकाधिकार दे दिया जाए तथा केन्द्र और प्रान्तो मे संयोजन का काम सरल करने के लिए संस्थाएं स्थापित की जाएं। परिवहन-मंत्री की अव्यक्तता मे एक परिवहन परामर्शदात्री समिति की स्थापना हुई (१६३५)। इसका काम रेल, सड़क तथा परिवहन के अन्य माध्यमो को संयोजित कर सड़को के सम्बन्ध मे ऐसी नीति प्रस्तुत करना था जो रेल, सड़क तथा अन्य परिवहन-साधनो के विकास वे लिए प्रान्तो द्वारा अपनाई जाए। यह उद्देश्य देश के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण था।^२ संयोजन नीति का अनुसरण १६३७ मे सचार-विभाग की स्थापना द्वारा सरल हो गया। इस तरे विभाग ने १६४७ से रेलवे, पोस्टर, तार, वायुयान, सूचना-प्रसार आदि का काम संभाला। २६ रेल-सड़क-संयोजन पर वेजबुड़-समिति और उसके बाद—वेजबुड़-समिति के बताया कि प्रान्तीय सरकारो का सड़क-परिवहन का नियमन अपर्याप्त और अस्तव्यस्त था। प्रान्तीय सरकारो द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीति ने एक असरगठित और अकुशल सड़क-परिवहन को जन्म दिया, जिसने रेलवे को कमज़ोर बनाने मे गहायता दी पर स्वयं विश्वसनीय सेवाएं न दे सका। इसके विपरीत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रान्तीय सरकारो को सड़को के निर्माण के लिए दिए गए धन को देने मे देर करके ही केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण को प्रभावशाली बनाया जा सकता था जो (सड़क-निर्माण) स्वयं जनता की प्राथमिक आवश्यकताओ मे से है। अतएव इस नीति से भारत मे रेल—अवनत रेल—और सड़के अपर्याप्त रहेगी।^३ प्रभावपूर्ण संयोजन तो रेलवे और सड़क दोनो को जन-सेवाओ के रूप मे चलाने पर ही हो सकता है। समिति इससे सहमत नही थी कि सड़को का नियमन वेवल रेलवे की सुरक्षा की दृष्टि से ही किया जा रहा था। सड़को का उचित नियमन वेवल सुरक्षा की दृष्टि से ही आवश्यक नही था, अपितु वह उन (सड़को) के विकास को पुष्ट आधिक आधारो पर लाने के लिए भी आवश्यक था। रेलवे को एक नये प्रतिद्वन्द्वी की अनुचित और अनाधिक प्रतिद्वन्द्वी से बचाना भी बाढ़खुनीय है। केन्द्रीय सरकार द्वारा नियमित सिद्धान्तो के अनुसार प्रान्तीय सरकारो को सड़को का नियमन करना चाहिए, किन्तु सड़को के परिवहन पर इस प्रकार के कोई प्रतिबन्ध त लगाने चाहिए जिनसे उनके

१. देखिए, मिनेट कर्कनेस रिपोर्ट, पृ० २४।

२. संयोजन के विषय पर शिवाप्रद विकास के लिए देखिए, अम० के० रुदा, 'प्रोस्लन्स आफ दास्टरो' को-ऑर्डिनेशन इन इण्डिया।

३. रिपोर्ट, पैरा १३८।

विकास में वाधा पड़े। जन-सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही प्रकार वे नियम बसो-लारियों दोनों के लिए लागू किये जाने चाहिए। परिवहन की आवश्यकता (अधिक) व्यवस्था और दृग्दिनरण से बचने के लिए जनता की आवश्यकताओं के अनुमार लाइसेंस दिए जाने चाहिए। टाइम-टेबल और किराया निश्चित होना चाहिए तथा यात्रियों को ले जाने वाली मेवाओं का मार्ग अनुमा (लाइसेंस) द्वारा नियमित होना चाहिए। समिति ने माल टोने वाली गाड़ियों की प्रादेशिक अनुज्ञा-प्रणाली (रीजनल लाइसेंसिंग) की सिफारिश की और भविष्य में वस्तुओं के भाड़े को नियन्त्रित करने के लिए वैधानिक व्यवस्था का सुभाव रखा। व्यक्तिमत और सार्वजनिक दोनों ही लारियों के लिए एक-से ही नियम लागू किये जाने चाहिए। प्रान्तीय नियन्त्रण को कार्यान्वित करने के लिए पुलिस की शक्ति और नियन्त्रण को सुदृढ़ बनाना होगा। प्रान्तों को मोटरयाड़ियों की कर-सम्बन्धी नीति में एकता लानी चाहिए।

प्रैन्ट, १९४५ में भारत सरकार ने एक पूरक माँग पेश की ताकि रेलवे समानान्तर सड़कों पर वर्म कम्पनियों में पूँजी लगा सके, लेकिन यह माँग स्वीकार करने के पहले धारासभा ने सरकार से सड़क और रेलवे के सयोजन के सम्बन्ध में एक स्पष्ट नीति के कथन की माँग की। अतएव सरकार ने जनवरी, १९४६ में एक ब्लाइट पेपर प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया कि सरकार का उद्देश्य दोनों प्रकार के परिवहनों का विकास इस प्रकार करना है दि य प्रतिद्वन्द्वी न होकर पूरक रहे। जहाँ रेलवे और मड़के सामानान्तर थीं और भीपण होड़ की मम्भावना थी, वहाँ सबसे सन्तोषजनक समाधान दोनों पक्षों के आर्थिक हितों का एकीकरण था। इसलिए एक मधुकृत मोटर वस सेवा प्रारम्भ करने का विचार किया गया जिसमें बसों के बर्तमान मालिक, रेलवे और प्रान्तीय सरकार तीनों का हिस्सा रहे। ये समुक्त कम्पनियां एक नवालक-मण्डल द्वारा प्रशासित होने की थीं। इसके लिए प्रबन्धकारक एजेण्ट (मेने-जिग एजेण्ट) रखने की आवश्यकता नहीं थी। अनेक प्रान्तीय सरकारों ने योजना को कार्यान्वयन करने का प्रयास किया, किन्तु ऐसा करने में बहुतों ने निर्दिष्ट साधारण नीति का उल्लंघन किया। वेन्ट्रीय धारासभा द्वारा सड़क रेल-सयोजन की जांच करने के लिए नियुक्त की गई समिति ने योजना कार्यान्वयन करने में अनेक गलतियाँ देखीं और इस निष्कर्ष पर पहुँची कि जब तक प्रान्तों में लोकप्रिय सरकार न बन जाए तब तक इस प्रवाग की कम्पनियां बनाने का काम स्थगित कर देना चाहिए।

भारत-सरकार उधर कुछ दिनों से पुनर परिवहन के सभी साधनों वल्कि मुख्यतः रेल और सड़क के सयोजन तथा भावी विकास पर विचार चर रही है। परिवहन के क्षेत्र में नियोजित विकास की हाइट से इन समस्याओं का विस्तृत परीक्षण सहायक सिद्ध होगा। इम हाइट से भारत सरकार ने थी वे० सी० नियोगी की अध्यक्षता में मई, १९४६ में एक उच्च-सत्रीय समिति की स्थापना की जो निहित समस्याओं का अध्ययन करके राष्ट्रीय परिवहन-नीति निश्चित करने के लिए सुभाव प्रस्तुत करेगी।

२७. सड़क के मोटर यातायात (ट्रैफिक) का नियमन—१९४४ के अधिनियम के

वाढ १६३६ का मोटर विहिकल्स अधिनियम पास हुआ, जिसम पुरान अधिनियम की त्रुटियों को दूर करने और मोटर-प्रयोग के प्रसार के कारण उत्पन्न नई परिस्थितियों की पूर्ति करने का प्रयास किया गया था।

अधिनियम के दो खास पहलू है—(१) नियमन करने वाला, (२) सयोजन करने वाला। इसकी साधारण योजना थी कि किराये पर या किसी भी प्रकार माल और यात्रियों को ढोने वाली सभी सवारियों का नियंत्रण रोजनल ट्रासपोर्ट प्राधि कारियों के हाथ में रहेगा, जोकि प्रान्त के नियिचत भागों के लिए नियुक्त किये जाएंगे तथा अपील सुनने और सयोजन के वाम के लिए सारे प्रान्त के लिए एक प्रान्तीय परिवहन-प्राधिकारी होगा। कोई भी व्यक्ति जिसका विसी भी परिवहन कम्पनी से जरा सा भी आर्थिक सम्बन्ध होगा प्राधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा और सदस्य की तरह ही रह सकेगा। प्रत्येक गाड़ी के पास परमिट का होना अनिवार्य है जो कि उस क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा दिया जाएगा। परमिट पान वाले को कुछ शर्तें स्वीकार करनी होगी, जैसे गाड़ी को अच्छी दशा में रखना, गति की सीमा को पार न करना, अधिक भीड़ न करना और ड्राइवरों से बहुत अधिक वाम न लेना।^१

मोटर बसों और ट्रैक्सियों को अनुज्ञा (परमिट) देत समय परिवहन अधिकारी निम्न वाहनों का ध्यान रखते हैं—जनता की आवश्यकता और सुविधा, आधिक ट्रॉफिट से हानिकारक प्रतिद्वंद्विता को रोकना तथा उन परिवहनों को बरदाश्त करने के लिए सड़कों की उपयुक्तता। जनता के माल के यातायात के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त है कि शीघ्रता से नष्ट होने वाले पदार्थों का थोड़ी दूर टक का यातायात सड़क भूमि वहन के लिए छोड़ दिया जाता है, किन्तु लम्बी दूरी का यातायात प्रधानतया रेलवे के लिए रखा जाता है। सड़क वे परिवहन का आवश्यक नियन्त्रण प्रान्तीय सरकारों के हाथ में रहता है। यह व्यवस्था की गई है कि मार्ग-सम्बन्धी अनुज्ञा (हट परमिट) प्रान्त व्यक्ति अनावश्यक होड से सुरक्षा करने के बदले में नियमित सेवाएँ दें अर्थात् अपना उत्तरदायित्व एवं जन सेवा कम्पनी में समान समझे। नियमन प्राधिकारी को सड़क यातायात के सम्बन्ध में उच्चतम और निम्नतम दरें नियिचत करने का अधिकार है।

यह भी व्यवस्था की गई है कि मोटर लाइसेंस समस्त भारत में बैंध होगा। प्रत्येक राज्य अपना कर नियिचत करने के लिए स्वतंत्र है। नय प्राधियों को लाइसेंस लेते समय कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं।

यद्यपि नवीन अधिनियम की कुछ धाराओं न विवाद को जन्म दिया है, परन्तु सिद्धान्तत यह विवादहीन है और इसे 'सड़क सहित' (हाईवे जोड़) का नाम ठीक ही दिया गया है। अराजकता से व्यवस्था की ओर बढ़ने, सुरक्षा की विधियों को अपनाने, जनता की सुविधाओं का ध्यान रखने तथा परिवहन की सयोजित पहलियों की अपनाने की आवश्यकता सबको प्रतीत हो रही है।

मद्रास और केरल राज्य में तीसरे पक्ष के जोखिम की बीमा के सम्बन्ध में

^१. ड्राइवरों के वाम के ६ घण्टे प्रतिदिन और ५४ घण्टे प्रति सप्ताह दृष्टि सम्बन्धी ५ घण्टे के वाम के बाद आपा घरना विश्राम मिलना चाहिए।

एकहृष्ण लान वे लिए १६३६ के मोटर वहीकिल्स प्रधिनियम में अपेक्षित सशोधन कर्त्तव्य के लिए २ मार्च, १९६० में संसद ने एक विल पास किया।

२८ भारतीय सड़क-विकास-समिति और सड़क वित्त—जैसा कि भारतीय सड़क-विकास (जपकर) समिति ने कहा—“भारत का सड़क-निर्माण और विकास स्थानीय बोर्डों और स्थानीय सरकारों की आधिक क्षमता वे बाहर होता जा रहा है और एक ऐसा काम होना जा रहा है जिसमें राष्ट्र को दिलवायी लेनी चाहिए। इन वेन्ट्रोय वित्त से उसका काम करना उचित होगा। केन्द्रीय वित्त को सड़कों के विकास से बेवल रेलवे की प्राप्ति में वृद्धि होता ही लाभ नहीं होता, बल्कि सड़कों पर चलने वाली मोटरों, मोटर स्पिरिट से प्राप्त चुनी इत्यादि से भी लाभ होता है, जो (मोटर-यातायात) इस समय शीघ्रता से बढ़ रहा है। एवं मुस्तुलित मोटर-कर योजना में, पट्रोल कर, गाडियों का कर, किराये पर चलने वाली गाडियों की लाइसेंस-फीस इत्यादि शामिल होने चाहिए। इन सबमें होने वाली आमदनी को सड़कों के विकास पर खर्च करना चाहिए। सड़कों का पुनर्विभाजन इस प्रकार होना चाहिए कि बुद्ध स्थानीय सड़कों की प्रधान (आरटीरियल) सड़कों के बगं में बर दिया जाए ताकि स्थानीय सम्पाद्य उनके भार से मुक्त हो जाएं और अपना ध्यान सहायक और स्थानीय महसूब की सड़कों के निर्माण और सुरक्षा की ओर लगा सके। सड़क-समिति ने बताया कि उसमें दुनिया में यह बात अपेक्षित रूप में स्वीकार की गई है कि स्थानीय छोटी-छोटी सम्पाद्यों पर प्रधान सड़कों के निर्माण और सुरक्षा का भार छोड़ना न्यायतरण नहीं है। स्थानीय सम्पाद्यों का प्रान्तों से और अधिक आधिक सहायता मिलनी चाहिए। यदि सड़क-समिति की सिफारिशों अपनाई जाती हैं तो उससे गाँवों में सड़के बनाने के काम में परोक्ष रूप से सहायता मिलेगी, जिसके इस प्रकार स्थानीय और प्रान्तीय धन जो बड़ी-बड़ी सड़कों की देखरेख और निर्माण में प्रयुक्त होता है, इस काम से बच जाएगा। सड़क-समिति न यह भी सुझाव रखा कि रेलवे को भी अपनी सहायता सड़कों के निर्माण और देखरेख की जिम्मेदारी प्रदूषण करनी चाहिए। समिति न सड़कों पर किसी प्रकार की चुनी (सिवाय पुलों के जहाँ नदियों को पार करने के लिए नावों के स्थान पर विशेष सेवा की जानी है) का सड़कों के निर्माण की प्रगति में वादक और तेज परिवहन के विकास में अनुचित रक्कावट माना।

कृषि-प्रायाग के मत में प्रचलित वित्त पर निर्भर न रहकर यदि सड़कों के विकास के लिए क्रहण लिया जाए तो उनके विकास में सरलता और शीघ्रता होगी। सड़कों और उनसे सम्बन्धित काम के अधिक स्थायी स्वभाव को देखत हुए उनका विचार था कि क्रहण को चुकाना करने के लिए आधिक धन प्रान्त के साधनों की सीमा के बाहर न होगा।^१ सड़क समिति का यह मत था कि क्रहण किसी योजना के स्थायी भागों, जैसे पुलों के निर्माण, वे लिए खर्च करना चाहिए, जिसके पुल का जीवन निर्धित रूप से मासूम किया जा सकता है तथा क्रहण चुकाने के लिए आवश्यक कोप की

^१ कृषि-प्रायाग-ट्रियार्ट, पैरा ३०६।

गणना सरलता से की जा सकती है तथा पुल की सुरक्षा का व्यय भी अधिक नहीं होता। १९३३ के रेल-सड़क-सम्मेलन में सुरक्षा के साधनों के अन्दर कहाँ लिये बन से प्रधान और स्थायक सड़कों के विकास की सम्भावनाओं की परीक्षा के लिए एक विस्तृत योजना तयार की गई। भारतीय सड़क और परिवहन-विकास-संस्था लिं० की वारेंटी बैंडक (१९४०) में सड़कों के निर्माण और रक्षा के लिए उचित आर्थिक व्यवस्था से युक्त एक नयी सड़क नीति का समर्थन किया, जबकि रेले कहाँ लिये गए धन से बनायी गई थी और सड़कों का निर्माण आगम (रेवेन्यू) से हुआ था, अतएव कहाँ लिये हुए धन का प्रयोग किये बिना सड़कों के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था अव्यवहार्य है।

२६ नवीन सड़क-नीति—सड़क समिति की खास सिफारिशों के आधार पर भारत, १९२६ में भारतीय वित्त अधिनियम ने मोटर स्ट्रिट पर ५ थाने वे स्थान पर ६ थाने प्रति गेलन उत्पादन-कर लगा दिया (इससे १९२६-३० में ६४ लाख रुपये मिले)। भर बी० एन० मित्रा ने घारासभा में एक प्रस्ताव रखा (११ सितम्बर, १९२६), जिसका आधार सड़क समिति के पैरा ७०-७६ में की गई सिफारिशों के विवाद थे। इसकी प्रधान बातें ये थी—(१) सड़क के कार्यक्रम को जारी रखने का प्रयत्न किया जाए। मोटर स्ट्रिट पर कम-से-कम पांच वर्ष तक रखना चाहिए, (२) पांच वर्ष तक इस अधिक कर की आय को सड़कों के विकास पर खर्च किया जाए। एक अलग रोड-विकास-खाता खोल दिया जाए और उसका बाकी रुपया वित्तीय वर्ष के अन्त में कालातीत न माना जाए, (३) वार्षिक अनुदान को इस प्रकार विभाजित किया जाए—(क) भारत सरकार दो वर्ष तक १० प्रतिशत अपने पास सुरक्षित रखती, उसके बाद फिर दिलार किया जाता। इस सुरक्षित धन में से आवश्यकता पड़ने पर विशेष अनुदान दिये जाते। ये विशेष अनुदान उन परिस्थितियों में दिये जाते जबकि कोई योजना स्थानीय संस्थाओं की आर्थिक शक्ति के बाहर होती या दो प्रान्तों की सीमाओं पर १८ने के कारण किसी विशेष प्रान्त का काम न होती या प्रान्तीय या केन्द्रीय सीमाओं पर पुलों के निर्माण से सम्बन्धित होती। (ख) शेष में से (१) विद्युत वर्ष में भारत में उपभोग किये गए कुल पेट्रोल का जितना हिस्सा प्रान्तों में उपयुक्त होता उसी हिस्से से उसे धन दिया जाता, (२) बाकी जो छोटे प्रान्तों, रियासतों या प्रशासनों के उपभोग का प्रतिनिधित्व करता, वह भारत सरकार को दे दिया जाता। (३) सड़कों की स्थायी समिति की सलाह पर गवर्नर जनरल को सिल द्वारा स्वीकृत इन योजनाओं पर खर्च करने के लिए प्रान्तों को अनुदान दिया जाता। (४) प्रतिवर्ष सड़कों के लिए एक स्थायी समिति (स्टेंडिंग कमेटी) का निर्माण किया जाए, जिसमें भारतीय विधान-मण्डल के दोनों संसदों के कुछ निर्वाचित और कुछ मनोनीत सदस्य होते। इसका सभापति गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति का सड़कों से सम्बन्ध रखने वाला सदस्य होता। इसका काम गवर्नर जनरल को सड़कों से सम्बन्धित हर एक मामले पर परामर्श देना था, जिसमें केन्द्रीय सड़क अनुसंधान और सामयिक सड़क सम्मेलनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही भी

शामिल है। (५) वापिक अनुदान ने किये जाने वाले सब नया या एकत्रित बोय घन स्वीकृति के लिए वित्त-उप-समिति वे नमस्कर रखना होता था, जिसमें (वित्त-उप-समिति) स्थायी समिति का सभापति और वे सदस्य होते थे जो प्रारम्भिक के भी मदस्य थे।

१६३० के दिल्ली के अधिवेशन में ५ बर्पे के लिए इसे स्वीकार कर लिया गया।

३०. सड़क-खाते की आर्थिक दबाई—पेट्रोल पर लगाये गए अधिभार के साथ ही सड़क के लिए प्राप्य पेट्रोल-कर का भाग १ अक्टूबर, १६३१ से २ आना प्रति गेलन से २½ आना प्रति गेलन हो गया।

३१. सड़क-सम्बन्धी नवीन प्रस्ताव—(१) सड़क-खाते का ५ बर्पे का परीक्षण-काल १६३३-३४ में चीत गया। १६३४ में केन्द्रीय विधानमण्डल ने एक नया प्रस्ताव अपनाया जिससे सड़क-खाता स्थायी हो गया। इससे भारत सरकार का मुरक्खित घनकोप १०% से १५% हो गया ताकि वह अपेक्षाकृत अधिकसित प्रान्तों को उदारता से घन दे सके। इसमें से सड़कों के विकास, निर्माण एवं मुरक्खित रखने के लिए क्षण भी दिया जा सकता था।

(२) परिवहन परामर्शदाती समिति के मुमाल पर मड़क कोप से अनुदान के वितरण पर केन्द्रीय सभा द्वारा एक नया प्रस्ताव पास किया गया (फरवरी, १६३७)। इसके द्वारा निम्न परिवर्तन किये गए—(३) घनरंगों के प्रान्तों को दिये जाने वाले घन को गवर्नर-जनरल-इन-कॉसिल तब तक भरने पास रख सकता था जब तक कि प्रान्तों द्वारा उम घन का मुरक्खित उपयोग करने के लिए उसकी माँग न की जाती। (४) यदि कोई प्रान्त विभा ममुचित भारत के घनने घन का उपयोग सड़क-विकास के लिए समय दे न कर पाता तो केन्द्र को अधिभार होता कि वह सम्पूर्ण घनराशि या उमका एक अव देने से इकार कर दे। (५) लेकिन सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन यह या कि गवर्नर जनरल-इन-कॉसिल को यह अधिकार था कि यदि कोई प्रान्त उसके द्वारा बनलाय गए मोटरों के नियमन और नियन्त्रण से सम्बंधित नियमों को कार्यान्वित करने में चुक्का तो वह उमका भाग न दे। प्रान्तों ने इसे अनुचित हस्तक्षेप माना और कहा कि यह रेलवे की आय-व्ययक स्थिति वो दृढ़ रखने का एक तरीका था। केन्द्रीय सरकार न कहा कि इसका उद्देश्य एक मनुषित बचार व्यवस्था स्वापित करना था। (६) जीव ही मिलने वाली प्रान्तीय मनननकाना को हाप्ट म रखकर सड़क-कोप ने सड़कों का कर्ज़ चुकाए जान की नीति बन्द बैर दी गई।

मार्च, १६५६ के अन्त तक केन्द्रीय मड़क कोप वी कुल प्राप्ति ५७ ४३ रुपये ८० तथा मुरक्खित कोप की कुल प्राप्ति ११ करोड़ ८० थी। १६५६ के प्रारम्भ में कोप में प्राप्त होनेवाला वापिक आगम ५½ करोड़ ६० था। इसमें एक करोड़ ६० का वापिक विशेष मुरक्खित कोप भी नमिलित था। केन्द्रीय मड़क-कोप स्थापना के १५ बर्पे बाद नक यही कोप नयी मड़कों के निर्माण तथा विद्यमान मड़कों के सुधार और नवीकरण के लिए प्रयाप्त था, किन्तु अब स्थिति में बहुत परिवर्तन हो गया है। १६५६ में यह कोप मोटर-परिवहन पर लगे कर में प्राप्त कुल आय का केवल ६ प्रतिशत तथा द्वितीय

योजना में नयी सड़कों के कुल व्यय का १० प्रतिशत था।

नागपुर योजना—दिसम्बर, १९४३ में विभिन्न राज्यों के मुख्य अभियन्ताओं (चीफ इंजीनियर) का सम्मेलन नागपुर में हुआ। इस सम्मेलन ने देश की न्यूतम आवश्यकताओं के आधार पर एक सटक-योजना बनाई। इस योजना का लक्ष्य यह था कि सुविकसित कृषि क्षेत्र का कोई गाँव पक्की सड़क से पांच मील से अधिक दूर न हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सड़कों की मील दूरी में ५० प्रतिशत वृद्धि घोषित थी।

नयी सड़क योजना—१९४७ में विभाजन के पश्चात् नागपुर-योजना के लक्ष्यों में कुछ परिवर्तन करना पड़ा। अब नागपुर योजना लगभग पूरी हो चुकी है। भारत सरकार के बहने से मुख्य अभियन्ताओं ने २० वर्षीय नयी योजना बनाई। योटे तौर पर योजना की व्यापरेखा के अनुसार सड़कों की लम्बाई (१९६१ की) ३७९ लाख मील से बढ़कर १९६१ में ६५७ लाख मील हो जाएगी। योजना के अनुसार प्रति वर्गमील में ०.५२ मील सड़क हो जाएगी जबकि इस समय प्रति वर्ग मील में ०.२६ मील सड़क है। योजना के पूरे होने पर कृषि क्षेत्र के किसी गाँव की पक्की सड़क से दूरी ५ मील से घटकर ३ मील और कच्ची सड़क से दूरी ११ मील हो जाएगी। अतिविकसित क्षेत्र में यह दूरी पक्की सड़क से ८ मील तथा किसी भी सड़क से ३ मील हो जाएगी। अतिविकसित और कृषि के अयोग्य क्षेत्र में स्थित किसी भी गाँव की दूरी पक्की सड़क से १२ मील तथा किसी भी सड़क से ५ मील होगी। इस योजना की अनुमानित लागत ४७०० करोड़ रु० है तथा इसे चार पचवर्षीय योजनाओं में बांटा गया है। इन चार योजनाओं के बीच लागत का विवरण इस प्रकार है

१९६१-६२ से १९६५-६६	४७० करोड़ रु०
१९६६-६७ से १९७०-७१	६४० , ,
१९७१-७२ से १९७५-७६	१,४१० , ,
१९७६-७७ से १९८०-८१	१,८८० , ,

पचवर्षीय योजनाएँ और सड़क परिवहन—प्रथम पचवर्षीय योजना में १५६ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई थी। पांच वर्ष की अवधि में कुल ६८,१५६ मील की नयी सड़कों बनाई गई, जिनमें २४,०७१ मील की पक्की (मेटल्ड) तथा ४४,०८८ मील की कच्ची सड़कें थीं। इसके अतिरिक्त १७,३११ मील वी वर्तमान सड़कों में सुधार करके उन्हें अच्छी स्तर की सड़कों बनाया गया।

द्वितीय पचवर्षीय योजना में सड़क विकास के लिए २६६ करोड़ रु० की निर्धारित किमी गए। मार्च, १९५६ तक सड़क विकास की प्रगति आसाम, बम्बई, केरल, उठ० प्र० और बंगाल को छोड़कर अन्य स्थानों में धीमी रही है। १९५६-५८ की अवधि में कुल १४० करोड़ रु० यथा हुआ है। मार्च, १९६१ तक लगभग २५० करोड़ रु० यथा होने का अनुमान है। तृतीय पचवर्षीय योजना में प्रस्तावित यथा भी २५० करोड़ रु० है।^१

^१ लिखित, धर्म पाइन डायर कालन, ड्राफ्ट अपडेट लॉटन, १० १४८।

परिवहन के सुनियोजित विकास तथा विभिन्न प्रकार के परिवहन-साधनों तथा केन्द्र और राज्य की परिवहन-नीतियों में समन्वय स्थापित करने के लिए तीन परिवहन निकायों की स्थापना का निर्णय किया है। परिवहन-विकास-परिपद (ट्रास-पोर्ट डिवेलपमेंट बाउन्सिल) व सड़क और अन्तर्राष्ट्रीय जल परिवहन परामर्श समिति (द रोड एण्ड इन्लैंड ट्रान्सपोर्ट एडवाइजरी बमेटी) तथा केन्द्रीय परिवहन संयोग-जन समिति (सेन्ट्रल ट्रासोर्ट कोआर्डिनेशन बमेटी) प्रथम एक उच्च स्तरीय निकाय होगा, जिसके सदस्य राज्य के परिवहन मन्त्री, संघीय क्षेत्र (यूनियन टेरिटरी) के लैसिटेनेंट गवर्नर और मुख्य आयुक्त (चीफ कमिश्नर) तथा सम्बन्धित मन्त्रालयों के केन्द्रीय मन्त्री आदि होंगे। इसका कार्य सरकार को सड़क, सड़क-परिवहन तथा अन्तर्राष्ट्रीय जिला परिवहन के सम्बन्ध में परामर्श देना होगा।

राष्ट्र की उन्नति के लिए सड़के बनाने का कार्य एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। १९५०-५१ में देश में १,५६,००० किलोमीटर पक्की सड़कें तथा २,४२,००० किलोमीटर सड़कें थीं। पहली पचवर्षीय योजना में सड़कों के बनाने में १३५ करोड़ रुपया व्यय हुआ। दूसरी पचवर्षीय योजना में देश की प्रगति तथा रेल के यातायात के बोझ को कम करने के लिए २४५ करोड़ रुपया सड़कों इत्यादि बनाने के लिए खर्च गया। तीसरी पचवर्षीय योजना में इस कार्य पर और भी जोर दिया गया और यह आशा की गई कि १९६५-६६ में पक्की सड़के २,७०,००० किलोमीटर तक पहुँच जाएंगी। इसी प्रकार वसे तथा ट्रकों की संख्या को भी बढ़ाने का प्रयत्न किया गया। १९५०-५१ में व्यापार के उपयोग में आने वाली गाडियों की संख्या १,१५,००० (वसे तथा ट्रक) थी (१९६५-६६) में २,५५,००० तथा (१९६०-६१) में ४,७०,००० हो जाएगी तथा वसों की संख्या १९६५-६६ में ८०,००० से बढ़कर १,२६,००० हो जाएगी। तीसरी योजना में यातायात के राष्ट्रीयकरण करने के लिए २६ बरोड रुपया रखा गया है, तथा इसके अतिरिक्त १० करोड़ रुपया रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन (Road Transport Corporation), बनाने के लिए रेलवे भी लगायेगी। इस प्रकार चौथी पचवर्षीय योजना में यात्रियों की सेवाओं का ४० प्रतिशत भाग राष्ट्रीय-करण किये हुए परिवहन के हिस्से में आयेगा जबकि तीसरी योजना में ३३ प्रतिशत है।

जल-परिवहन

२२. (१) अन्तर्राष्ट्रीय जल-पथ—जल अस्थिर है तथा विवरण स्वभावत दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—(१) अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन, (२) सामुद्रिक परिवहन।

भारत में इगलैण्ड-जैसी नदियाँ, जो स्वाभाविक जल-पथ का काम देती हैं, नहीं हैं। उत्तर भारतीय और प्रायद्वीप की नदियों का जिन बग्से समय हम इस विषयमता की ओर सर्वेत बर चुके हैं।^१

प्रायद्वीप की नदियाँ इस प्रवार नौगम्य नहीं हैं। मौसम के अनुसार कभी तो वे

^१. खण्ड १, अध्याय २, संकरण १०।

तुकानी हो जाती हैं और कभी केवल जल की पतली रेखा साव रह जाती है और इस प्रकार इनमे नावे चलाना प्राय प्रसम्भव-सा हो जाता है। नमंदा और ताप्ती-जैसी कुछ नदियों की पथरीली सतह और तेज धार तौगम्यता के लिए जटिल समस्या बन जाती है। महानदी, गोदावरी और कृष्णा अवश्य ऊपर तक नौगम्य हैं, किन्तु उनसे याता यात कम ही है।

जल-पथ को इन सकुचित सुविधाओं के अतिरिक्त किनारे-किनारे कुछ छोटी-छोटी नदियाँ और खाड़ियाँ हैं, जिनका छोटी-मोटी नावों द्वारा उपयोग किया जाता है। लेकिन इस प्रकार के क्षेत्र के बाहर नौका-गमन प्राय डेल्टा और धाटियों तक ही सीमित है।

एक समय नौगम्य नहरों के पक्ष में बड़ा आनंदोलन चला था। भव्य कावेरी और गोदावरी नहरों के निर्माता सर आर्थर कॉटन ने नौगम्य नहरों की एक महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की, जो १८७२ में सासदीय समिति के समक्ष रखी गई। उनके मतानुसार रेलवे की अपेक्षा जल-परिवहन की सुविधाएं भारत वे लिए अधिक उपयुक्त तथा कम खर्चीली हैं। इसके अतिरिक्त उनसे यह भी लाभ होगा कि इनको सिचाई के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। खर्च की अधिकता (३०० लाख पौण्ड), वे कारण योजना को त्याग देना पड़ा। इसका एक कारण यह भी था कि अंग्रेज अपने देश के अनुभव के आधार पर भारत में नहरों की उपयोगिता भली भाँति नहीं समझ सके, क्योंकि उनके यहाँ रेलवे ही अधिक लाभप्रद सिद्ध हुई थी। रेलवे द्वारा किया गया विरोध भी एक और कारण था।

जब रेलवे से घाटा हो रहा था तो नहरों का निर्माण चाहे सिचाई के काम के लिए या केवल नौगम्य के लिए ही आकर्षक प्रतीत होता था। औद्योगिक आयोग ने मिफारिश की थी कि भारत सरकार को इस प्रश्न पर ध्यान देना चाहिए और जो भाग रेल और जल-पथ दोनों ही द्वारा सेवित हो वहाँ इनके प्रशासन समन्वय से काम करें तथा जल-पथ ट्रस्ट के निर्माण के प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाए। समुचित रीति से विचित्र जल-पथों से रेलों की भीड़ कम हो जाएगी और छोटे पैमाने वे परिवहन का कार्य भी इनके द्वारा पूरा हो सकेगा। कुछ सिचाई की नहरों को परिवहन की नहरों में भी परिवर्तित किया जा सकेगा। लेकिन जब हवा वा रुक बदला और रेलवे में लाभ होने लगा तो उत्साह कुछ ठड़ा पड़ने लगा। इस समय नौगम्य नहरे केवल थोड़ी सी है—उदाहरण के लिए पूर्वी तट के समानान्तर मद्रास की वर्किंगम नहर। अनक सिचाई की नहरें नौगम्य जल-पथ का काम नहीं दे सकती। दोनों प्रकार की नहरें सरलता से एक में संयुक्त भी नहीं की जा सकती।

अन्तर्राजीय तथा राष्ट्रीय जल-पथों के गमन पर केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण है तथा केन्द्रीय जल और शक्ति-आयोग जल साधनों के बहु-उद्देशीय विकास में सहायता करता है। श्री बी० के० गोवसे की अध्यक्षता में नियुक्त अग्न्तर्देशीय जल परिवहन-समिति ने अन्य बातों के अतिरिक्त ये मिफारियों की हैं कि केन्द्रीय प्राविधिक संगठन तथा एक प्रशिक्षण संस्था की स्थापना की जाए तथा देशी नाव बातों की सहायी

समितियों को बढ़ावा व नदी-धारी-योजनाओं में नीतिगति की सुविधाओं का विकास किया जाए; इम समिति की खिंचाई को ध्यान में रखते हुए तृतीय पचवर्षीय योजना में अन्तर्देशीय जल-पथों के विकास के लिए ७६० बरोड रु^१ का व्यय प्रस्तावित है जबकि द्वितीय पचवर्षीय योजना का अनुमानित व्यय ७५ लाख रु० है। तृतीय योजना में अन्तर्देशीय जल-पथों के सम्बन्ध में कुद्द मुद्द वाले अधिक महत्वपूर्ण नियोगों के सम्बन्ध में जलवर्णनात्मक सर्वेक्षण (हाइड्रोग्राफिक सर्वे) तथा ब्रह्मपुत्र नदी और सुन्दरदत्त क्षेत्र के लिए नियोगों (इंजिनियर) की खरीद आदि है। गगा, ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नियोगों पर जल-परिवहन के विकास को संयोजित करने के लिए गगा ब्रह्मपुत्र जल-परिवहन परियोग (गगा ब्रह्मपुत्र बाटर ट्रासपोर्ट बोर्ड) की स्थापना राज्यीय और बेन्द्रीय सरकारों द्वारा एच्चिक्क सहयोग से १६५३ में हुई। गगा-ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में प्रमुख जल-पथों का नियोग (इंजिनियर) तथा चुने हुए स्थानों में अन्तर्देशीय बन्दरगाहों का विकास आदि लाने नियोजित कार्यक्रम में सम्मिलित है। तीमरी पचवर्षीय योजना में प्रादेशिक सरकारों ने भी जल परिवहन परियोग पर १४६ बरोड रुपया खर्चना निश्चित किया। इस समय देश में ८ हजार किलोमीटर दरियाई जहाज या विद्युतीय चलाई जा सकती हैं। इनमें से ३ हजार मशीनों से चलनेवाले हैं और ६ हजार किसितर्यां हैं।

(२) सामुद्रिक परिवहन—जहाँ तक बाह्य जल परिवहन का प्रदूष है यद्यपि भारत की इगलैण्ड से तुलना न हो सकेगी क्योंकि यहाँ पर न तो इगलैण्ड जैसा कठा-फटा समुद्र-तट है और न प्राकृतिक बन्दरगाह ही है, किर भी उसकी सामुद्रिक स्थिति काफी महत्वपूर्ण है। जैसा एम० एन० हाजी न कहा है कि “एक दर, जो कि प्राचीन विश्व के महाद्वीपों में भुमके की भाँति जड़ा है, जिसका समुद्र-तट ४००० मील लम्बा है और जो अनेक प्रकार की वस्तुओं के निर्माण की खान है जिन्हे अन्यत्र नहीं पैदा किया जा सकता, प्रह्लि द्वारा एक नाविक देश होने के लिए ही दिया है। इसके बन्दरगाह सभ्या और आकार में इमण्डी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त हैं।”

शायद यहाँ अनिरिजित चित्र खीचा गया है। यह चित्र भारत में प्राकृतिक बन्दरगाहों की कमी को उचित रूप से हमारे सामन नहीं रखता, फिर भी अपनी भौगोलिक स्थिति और विस्तृत समुद्र के कारण वह दुनिया का एक मुख्य जल-परिवहन के देश हो सकता है। १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक भारत को एक नवीन देश कहा जा सकता था। ‘जलयानों का निर्माण ऐसी अच्छी दिना में था कि भारत के बन जटाज अग्रेजों जहाजों के सरक्षण में और उनके साथ टेम्स तक जाने थे।’ १८०० में गवर्नर जनरल न लीडेनहाल स्ट्रीट में अपने स्वामियों का सूचना देते हुए कहा कि ‘कलकत्ता के बन्दरगाह में भारत-नियमित १०,००० टन के जहाज हैं जो इगलैण्ड तक माल ले जान योग्य हैं। सागवान की लकड़ी के बने बम्बई के जहाज इगलैण्ड के

१. देविन्द्र, थर्ट फाइव इंशर प्लान—८ द्वारा आठठ लाइन, १० २५६।

२. देविन्द्र, इन्वेन्यूमें ब्रॉक शिर्पिंग, १० ३६५-६।

योशम की लकड़ी के जहाज से कही गच्छे थे।”^१

अक्षवर की मृत्यु के समय की दशा का वर्णन करते हुए भोरलैण्ड ना कहता है कि भारतीय समुद्र का अधिकाश वासिण्य भारत में बने जहाजों द्वारा होता था। भारत के यात्री-जहाज पुर्तगालियों द्वारा बनाये गए जहाजों को छोड़कर तत्कालीन सभी यूरोपीय देशों से बड़े थे।^२

३४. जलयान के सम्बन्ध में भारतीय साहस की बाधाएँ—ब्रिटिश इण्डिया स्टीम नेविगेशन कम्पनी न, जो फ्रैंसीसी एक ब्रिटिश कम्पनी है, प्राय १०० वर्ष से अधिक से देश का टटीय एवं समुद्र-पार व्यापार अपने कद्दे में कर रखा है। भारतीय और अंग्रेजी कम्पनियों ने दर-युद्ध (रेट वार) से बचने के लिए और व्यापार को अपने बीच बाट रखने की हृष्टि से अपने को एक सम्मेलन में समर्थित कर लिया है। जूँकि यह सम्मलन विदेशी हितों से अनुशासित है, इसका उद्देश्य देशी जलयानों को दबान का ही रहता है। जहाजों के भारतीय मालिकों की दो शिकायतें थी—(१) विलम्बित छूट-प्रथा (डेफैंड रिवेट सिस्टम),^३ (२) दर-युद्ध (रेट वार)।^४

३५. विलम्बित छूट-ध्यवधा, दर-युद्ध इत्यादि—इसकी व्याख्या दस प्रकार की गई है, ‘परिवहन कम्पनियाँ जहाज से मान भेजने वालों के लिए एक परिपत्र जारी करती है कि यदि उन्होंने एक निश्चित समय के अन्त तक (प्राय ४ या ६ महीने तक) कम्पनी के अतिरिक्त किमी अन्य जहाज से सामान नहीं भेजा है तो कम्पनी उन्हे इसके बदले म उनके इस अवधि के कुल भाडे में कुल का कुछ हिस्सा (प्राय १०%) रियायत के तौर पर उनके नाम लिल देगी और यदि इसके बाद कुछ और समय तक (प्राय ४ या ६ महीने तक) वे सम्मेलन (कारफोन्स) के जहाजी से ही सामान भेजन रहे, तो छूट की यह रकम उन्हे दे दी जाएगी। इस प्रकार दी गई धन-राशि को विलम्बित छूट कहते हैं।^५

इसमें दो दो आशय नहीं कि दिग्गत ४० वर्षों से भारतीयों द्वारा इस उद्योग में प्रवेश पाने के प्राय सभी प्रयत्न दिपल रहे। जितनी भी कम्पनियाँ वनी प्राय सब विलीन हो गई। इसके मार्ग मे दूसरी बाबा यह थी कि यूरोपीय बीमा-कम्पनियों ने भारतीय कम्पनियों के माथ भेदभार ध्यवहार किया और जो जहाज लन्दन मे भी प्रथम श्रेणी के ममझे जाने थे उनको भी वे द्वितीय श्रेणी मे इसलिए रख देते थे व्यवसीकि

१. डल्डू डिग्वी, प्रापेरस विटिर इण्डिया, पृ० ८५-६।

२. जै० १० वे स्टेलिनों का लेख, लानिंग इन ट्रास्पोर्ट, इरान इकनामिरट, “भारतवासियों ने नवे समुद्रों का अन्वेषण चाहे भले ही न किया हो किन्तु उनमें सामुद्रिक ज्ञान, दिशानिर्देशक यन्त्रों की अनुसत्ता एवं जलयान-दृष्टि वास्तविकामा को चरित करने वाली थी।”

३. इसके विग्रह विवरण के लिए देखिए, पृ० १०० हाजी, ‘इकनामिस आफ श्रिपिण’, अध्याय ५।

४. १९३८-३९ मे बम्बू राई नेविगेशन कम्पनी और भारतीय कृषि यो (जो कि सिंधिया राम नेविगेशन कम्पनी द्वारा नियन्त्रित थी) के बीच दर-युद्ध चला था।

५. हाजी, पृ० ८८-९२।

उनके मालिक भारतीय थे ।

विदेशी जहाजी कम्पनियों के विरुद्ध अन्य शिकायतें निम्न हैं—यात्रियों की सुविधाओं का कम ध्यान रखना, ऊंचे पदों पर केवल यूरोपियनों की नियुक्ति और उच्च पदों, जैसे इज़ज़ीनियर आदि, के लिए भारतीयों को काम न सिखाना आदि ।

३६. व्यापारिक जहाजरानी समिति (१६२३) — इस समिति की नियुक्ति फरवरी, १६२३ में हुई । इसका कार्य भारतीय जहाजरानी और जलयान-निर्माण उद्योग के विकास के प्रश्न पर विचार करना था । समिति के विशेष भुक्ताव निम्न हैं—

(१) भारतीय व्यापारिक जहाजरानी के लिए अनिवार्य अफसरों की प्रशिक्षा—हेतु सरकार द्वारा अवृद्धि में जलयान-प्रशिक्षण की स्थापना । (२) सामुद्रिक इज़ज़ी-नियरों की ट्रेनिंग के लिए इज़ज़ीनियरिंग कॉलेजों में सुविधाएं दिना तथा सामुद्रिक अनुभवों की सुविधाएं देना । (३) तटीय व्यापार लाइसेंस-प्राप्त जहाजों के लिए सुरक्षित रखना । (४) भारतीय अधिकारी और कर्मचारी वर्ग द्वारा तटीय व्यापार में पर्याप्त दक्षता दिखाने पर विदेशी समुद्र-पार व्यापार के लिए भारतीय कम्पनियों को अनुशासन देने के प्रश्न पर विचार करना । (५) कलकत्ता को सत्रत चालित जलयानों के निर्माण का केन्द्र बनाना, (६) भारतीय कम्पनियों द्वारा जलयान निर्माण प्रागण (शिप बिल्डिंग बार्ड) को स्थापना में सरकार का सहायता देना तथा (७) प्रारम्भ करने के लिए विदेशी से विशेषज्ञों की सहायता लना ।

३७. तटीय यातायात को भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित करने का विल—उपर्युक्त पहली सिफारिश के फलस्वरूप प्रशिक्षण जलयान 'डफरिन' की स्थापना के अनिवार्य सरकार समिति के अन्य किसी भी भुक्ताव को कार्यान्वित न कर सकी, अत निर्माण, १६२८ में मिठा द्वाजी न घारासभा में तटीय यातायात सुरक्षण के लिए एक विल पेश किया । इसमें कुल हिस्सों का ७५% भारतीयों के हाथ में निहित करने की व्यवस्था थी ।

गत कई वर्षों से जनता द्वारा की गई माँग के फलस्वरूप १६५० म भारत का तटीय व्यापार भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित कर दिया गया । १ जनवरी, १६५१ को नये (भारतीय) तटीय सम्मेलन ने कार्य प्रारम्भ कर दिया । इस सम्मेलन में अधिकादत भारतीय जहाजरानी कम्पनियाँ हैं । दो विलिंग जहाजरानी कम्पनियाँ भी इस सम्मेलन की सदस्य हैं ।

३८. विलम्बित छूट-व्यवस्था की समाप्ति-सम्बन्धी विल—मिठा द्वाजी ने विलम्बित छूट-व्यवस्था के उन्मूलन के लिए फरवरी, १६२६ में एड विल पश किया, जिसका उद्देश्य तटीय सुरक्षा विल का पूरा करना था । जबकि सुरक्षा विल जहाजरानी से होने वाली आय को भारत में रखना चाहता था विलम्बित छूट विल का उद्देश्य तटीय व्यापार के सुरक्षित हो जान पर व्यापार का भारतीय जहाजों के बीच समुचित वितरण करना था । इस विल का उद्देश्य था भारतीय-अभारतीय किसी प्रकार की कम्पनियों के एकाधिकार को समाप्त करना तथा एक नवीन युग का प्रारम्भ करना, जिसमें एकाधिकार का अन्त करके नवीन कम्पनियों के आगमन के पथ को प्रनाली कर दिया

जाएगा।

१९५१ से नये तटीय सम्मेलन के वार्षिक प्रारम्भ के बाद अब यह प्रदेश समाप्त हो गया है।

३६. जहाजरानी पुनर्निर्माण नीति उपनियोगिता—द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर भारत सरकार के योजना-विभाग ने जहाजरानी-नीति-समिति (पोलिसी बोर्ड शिपिंग) की नियुक्ति की। समिति ने कहा, “द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारम्भ होने के समय भारत के पास गहरे समुद्रों में जाने योग्य १,५०,००० टन (ग्रास) के ३० जहाज थे। युद्धोत्तर-काल में इस स्थिति को तुरन्त सुधारना चाहिए।” तदनन्तर भारत सरकार द्वारा जहाजरानी (शिपिंग) के लिए एक पुनर्निर्माण-नीति-समिति की नियुक्ति हुई। इसने अपनी रिपोर्ट १९४७ (प्रप्रैल) में प्रस्तुत की। समिति ने जहाजरानी के लिए एक सबल राष्ट्रीय नीति का अनुमोदन किया। इसने १९५४ तक प्राप्त करने के लिए २० लाख टन भारताहिकता का लक्ष्य रखा, ताकि भारतीय जहाजरानी को (१) सम्पूर्ण तटीय व्यापार, (२) भारत के बर्मा और सीलोन के व्यापार का ७५%, (३) भारत के दूरवर्ती व्यापार का ५०% और (४) पूर्व में घुरी काक्षियों द्वारा खोये गए व्यापार में ३०% प्राप्त हो जाए।^१

वहुमत रिपोर्ट ने भारतीय जहाजरानी उसे कहा है जो ‘भारतीय द्वारा अधिकृत, नियंत्रित एव प्रवचित’ हो। सर ए० एच० गड्ढनबी के मतानुसार भारतीय जहाजरानी का अभिप्राय उन कमियों से भी है जिनमें कम-से-कम ७०% हिस्से भारतीयों के हैं। इस मत वा आधार यह था कि बर्तमान परिस्थिति में अल्प सम्भा में विदेशियों का भाग लेना हानिकारक तो है ही नहीं, प्रत्युत लाभदायक ही है।

भारत सरकार ने अपने १२ जुलाई, १९४७ के प्रस्ताव में समिति के विचारों से पूर्ण सहमति घोषित की है।

जनवरी, १९४७ में १० करोड़ रु० की अधिकृत पूँजी से तीन निगमों की स्थापना के निर्णय की घोषणा की गई। ३० मार्च, १९५० को अधिकृत ईस्टन शिपिंग कारपोरेशन की रजिस्ट्री १० करोड़ की पूँजी सहित हुई। १५ अगस्त, १९५६ को यह पूर्णांतर सरकार के नियन्त्रण में आ गई। अगस्त, १९५६ के बेस्टन शिपिंग कारपोरेशन की स्थापना १० करोड़ रु० की अधिकृत पूँजी के साथ की गई। १९५७ में सरकार ने भारतीय जहाजरानी की प्रगति-हतु रूपये के अर्थ-प्रवर्थन का निश्चित साधन उपलब्ध करने के लिए जहाजरानी-विकास-कोप (शिपिंग डिवेलपमेंट फण्ड) की स्थापना के निर्णय की घोषणा की। इस कोप का नियमित भारत की सचित निविक (कम्सो)लिडेटेड फण्ड ऑफ इण्डिया) के अनुदानों से होगा। १९५८-५९ के बजाए में इस कोप के प्रति १ करोड़ रु० अनुदान की व्यवस्था थी। जहाजरानी के द्वेष

^१. भारतीय जहाजरानी का पनियों का ८५% प्रतिनिधिमण्डल गई, १९४७ को इग्लैंड के लिए रवाना हुआ। इसका ददेश्य ब्रिटिश सरकार और जहाजरानी के द्वातों से भारतीय जहाजरानी के विकास के सम्बन्ध में वार्तालाप करना था। यह सितम्बर, १९४७ में विज्ञाक्रिया पर पहुँचे लौट आया।

में एक अन्य महत्वपूर्ण घटना परिवहन विभाग में जहाजरानी-संयोजन-समिति (शिपिंग को-ऑडिनेशन कमेटी) की स्थापना है। यह समिति उपलब्ध भारतीय भारतवाहिता (टनेज) के अधिकृतम उपयोग की इच्छा से विभिन्न मवालयों तथा अन्य सरकारी संगठनों के बीच अधिक अच्छा सम्पर्क स्थापित करेगी। सरकार को जहाज-रानी नीति से सम्बन्धित वातों पर परामर्श देने के लिए राष्ट्रीय जहाजरानी परिषद् (नियन्त्रण शिपिंग बोर्ड) की स्थापना की गई (मार्च, १९५६)।

जहाजरानी पर प्रथम योजना में १८७ करोड़ रु० व्यय किये गए तथा द्वितीय योजना में उसके अन्त तक ५४ करोड़ रु० के व्यय का अनुमान है। तृतीय योजना में प्रस्तावित व्यय ५५ करोड़ रु० है।^१

राष्ट्रीय जहाजरानी परिषद् ने १९६५-६६ तक १४२ लाख टन की क्षमता का लक्ष्य रखा है।

अनुमान है कि इस समय भारत के समुद्र-पार व्यापार का ८ या ९ प्रतिशत भारतीय जहाज ही ले जाते हैं।

४०. भारतीय व्यापारिक बैडे की आवश्यकता—जहाजरानी और जहाज बनाने के सम्बन्ध में भारत के पास पर्याप्त सुविधाएँ हैं। ऐसा कहा जाता है कि जापान, समुक्त राज्य अमरीका और जर्मनी की भाँति सरकारी हस्तक्षेप से योड़े ही दिनों में एक पर्याप्त व्यापारिक बैडे का निर्माण हो सकता है। इग्लैण्ड की भी सामुद्रिक महत्ता और शक्ति का श्रेय बहुत अधो में नौकानगमन अधिनियमों को है। ये अधिनियम प्राय दो शताब्दियों तक लागू रहे और उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में समाप्त कर दिये गए। एक हड़ राज्य-हस्तक्षेप के अभाव में भारतीय नाविकता यूरोपीय प्रतिद्वन्द्यों से होड़ लेने में असफल रही।

१७ सितम्बर, १९५८ को लोकसभा ने मर्चेन्ट शिपिंग एक्ट, १९५८ पास किया। ३० अक्टूबर, १९५८ को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस अधिनियम के अन्तर्गत ही राष्ट्रीय जहाजरानी परिषद् तथा जहाजरानी-विकास-कोप की स्थापना हुई है। इसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार को किसी भारतीय जहाज को किराये पर लेने की दरें निश्चित करने तथा तटीय व्यापार में सलग्न जहाजों के लिए यात्रियों और व्यापारिक माल लाने-लेजाने की दरें भी निश्चित करने का अधिकार है। बेंगलुरु सरकार की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति जहाज-सम्बन्धी अपने हिस्से या हित को न हस्तातरित कर सकता है, और न प्राप्त ही कर सकता है। अधिनियम में यात्रियों के किराये पर अधिकार लगाने की भी व्यवस्था है। इससे प्राप्त आय यात्रियों के कल्याण पर ही व्यय की जाएगी। व्यापारिक बैडे प्रशिक्षण समिति ने १९४४ में सिफारिश की थी कि एक प्रशिक्षण-परिषद् की स्थापना की जाए। अब व्यापारिक बैडे-प्रशिक्षण-परिषद् (मर्चेन्ट नेवी ट्रेनिंग बोर्ड) की स्थापना हो गई है। इसकी उद्घाटन बैठक ४ फरवरी, १९६० को हुई।

^१ देविन, थड़े काश्च इब्रह ज्ञान—ए इंस्ट आउट लाइन, पृ० २५०।

४१. भारतीय जलयान-निर्माण-उद्योग की स्थिति—भारतीय जहाज बनाने का उद्योग भारतीय जहाजरानी से कोई सांस अच्छी परिस्थिति में नहीं है। गैर-भारतीय जहाज-निर्माताओं से वेवल छोटे जहाजों के सम्बन्ध में प्रतिस्पर्धा वी जा सकती है इयोकि उन्हें यहाँ लाने की लागत उनके मूल्य के अनुपात से अधिक है, अन्यथा विदेशी जहाज बनाने वाले कारखानों का स्वच्छमद् एकाधिपत्य है। अभी हाल तक भारत में बड़े जहाज बनाने के लिए उपयुक्त इस्पात कारखाने नहीं थे। थोड़े-से मरम्मत करने वाले कारखाने थे परन्तु वे भी गैर-भारतीयों के हाथ में थे।

४२. विजगापट्टम (अब विशालापट्टम) का जलयान-निर्माण-प्रागण—कम्पनी द्वारा बना पहला जहाज एस० एस० जलयान जनवरी, १९४८ में पानी में उतारा गया। कुल मिलाकर (जिसमें जलपखी दिसम्बर, १९४६, जलपद्मा सितम्बर, १९५० भी दाविल है) ६००० टन वाले ५ जहाज (विजगापट्टम में) तीन वर्ष में बनाये गए। जलयान-प्रागण को बन्द होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने जलपद्मा को खरीद लिया। १९४६ में सिन्धिया कम्पनी ने भारत सरकार से प्रागण अपने हाथ में ले लेने की प्रार्थना की।

मार्च, १९५२ में सरकार ने सिन्धिया से विशालापट्टम-जलयान-निर्माण-प्रागण खरीद लिया और उसका प्रबन्ध हिन्दुस्तान शिप्यार्ड लिं० को सीप दिया। इसमें दो-तिहाई पूँजी सरकार की है। अब तक जलयान-प्रागण ने समुद्र में जाने योग्य २३ जहाज तथा दो छोटे जहाज बनाये।

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत इगलिस्तान की सरकार ने एक प्राविधिक शिष्ट-मण्डल इस उद्देश्य से भेजा था कि वह दूसरे जलयान-प्रागण की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान का सर्वेक्षण और आवश्यक जानकारी एकत्रित करे। शिष्ट-मण्डल ने अप्रैल, १९५८ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसके अनुसार किसी भी स्थान को आदर्श स्थान नहीं कहा जा सकता, किन्तु उपयुक्तता की हृष्टि से उन्होंने कोचीन (इराकुलम), भजगांव डॉक, कौडला, द्वाब्बे तथा ड्यॉखली का नाम गिनाया। भारत सरकार ने एक अन्तर्विभागीय समिति की नियुक्ति की जिसने दूसरे जलयान-प्रागण की स्थापना के लिए कोचीन को चुनने की सिफारिश की। तीसरी पचवर्षीय योजना में नये जहाजों की जलपखी के लिए ५५ करोड़ रुपये रखे गए और इस प्रकार योजना के पहले दो सालों में जलपखी ८,५७,००० GRT अप्रैल १९६१ से बढ़कर १०,५७,००० GRT (अप्रैल १९६३) और यह आशा की जाती है कि १९६५-६६ के अन्त तक इसको सम्पूर्ण १५ लाख GRT तक पहुँच जाएगी। १९६३ में जल परिपद् बनाई गई जो सरकार को शिपिंग की नीति के बारे में समय-समय पर सुझाव देती है। इस प्रकार योजनाओं में पौत्रलय तथा बन्दर-गाहों को नवीन तथा उन्नत बनाने के लिए बड़ा जोर दिया गया है। पहली दो योजनाओं में ५८ करोड़ रुपया निर्धारित हुआ। १९६५ के अन्त तक बड़ी बन्दर-गाहों पर माल तथा और वस्तुओं के स्वीकार करने की क्षमता को ६२,००,००० तक

पहुँचाया गया है। कोचीन, मद्रास इत्यादि बन्दरगाहों को बढ़ा करने के लिए ७५ करोड़ रुपया रखा गया है। उडीसा सरकार परादीप नाम की बन्दरगाह को भी उन्नत कर रही है। इस प्रकार छोटी-छोटी बन्दरगाहों को उन्नत करने के लिए भी कोशिश की जा रही है और इस कार्य पर तीसरी योजना में १५६८ करोड़ रुपया अध्यय किया जाएगा और यह बन्दरगाह तीसरी योजना के अन्त तक ६० लाख टन को व्यापार तथा व्यवसाय को ठीक स्थान दे सकेगी।

चौथी योजना में जहाजों की जलपक्षी १६६५-६६ के अत तक १५ लाख से बढ़ाकर १६७०-७१ तक ३० लाख टन (GRT) की जाएगी। बड़ी बन्दरगाहों की शक्ति को लगभग ६ करोड़ तक बढ़ाया जाएगा और यह कोशिश की जाएगी कि भारतीय जलयान कुल व्यापार का ५० प्रतिशत भाग अपने जहाजों से बरने लगें। सरकारी क्षेत्र में जलयान का भाग १६७५-७६ तक कुल का ५० प्रतिशत हो जाए।

वायु-परिवहन

४३. नागरिक उद्ययन—१६१४-१८ के युद्ध के बाद से नागरिक उद्ययन में विशेष-तथा पात्त्वात्य देशों में बड़ी ही तीव्र प्रगति हुई है और इसने विश्व के परिवहन में एक नान्दि ला दी है।

कराची और बम्बई के बीच हवाई डाक-सेवा (पोस्टल एमर नेल सर्विस) के प्रारम्भ के साथ नागरिक उद्ययन में हचि जाग उठी। भारत से होकर जाने वाली ढच और फेन्च नागरिक उद्ययन सेवाओं के प्रारम्भ होने, इण्लैण्ड और कराची के बीच नियमित साप्ताहिक सामाज्य डाक के प्रारम्भ तथा विश्व के सभी देशों में नागरिक उद्ययन में हुई प्रगति के साथ ही भारतीय उद्ययन भी विकास की प्रेरणा पाने लगा। भारत अन्तर्राष्ट्रीय हवाई सम्मेलन (इण्टरनेशनल एयर कनवेन्शन) में सामिल हो गया है। भारत सरकार न नागरिक उद्ययन का एक सचालक एवं उप-सचालक तथा वायुयान-प्रधान निरीक्षक नियुक्त किये हैं। व्यक्तिगत साहसोद्योगी भी सामने आये और भारत में उद्ययन सिखाने वाले अनेक उद्ययन-क्लब स्थापित ही गए हैं। उच्च उद्ययन को प्रशिक्षा के लिए उडाकों को दी गई सहायता के अन्तर्कार सरकार ने नागरिक उद्ययन छावृत्तियाँ भी देना प्रारम्भ किया है। व्यक्तिगत सत्याग्रा, जैसे 'रतन और दुरावजी टाटा ट्रस्ट' तथा अन्य कम्पनियों द्वारा भी छावृत्तियाँ दी जा रही हैं। अन्तरिक्ष-विमान ने भी उद्ययन में मुद्दार किये हैं।

१६३६-४५ के युद्ध ने दीघता से उद्ययन का विकास करने की आवश्यकता का अनुभव कराया। केन्वेल में भारतीय सैनिक शिक्षार्थियों की ट्रैनिंग के उपरान्त १६३२ में भारतीय वायु सेना छोटे पैमाने पर स्थापित हुई। युद्ध के प्रारम्भ होने पर शीघ्रता से इसके विकास का कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया और तत्कालीन प्रशिक्षण की मुविधाएँ भी काफी बड़ी दी गईं।

जुलाई, १६४६ में एक वायु-परिवहन अनुज्ञा परिपद (एमर ट्रान्सपोर्टिंग लाइसेंसिंग बांड) की स्वापना हुई। १ अक्टूबर, १६४८ के बाद विना बोर्ड से अनुज्ञा

प्राप्त किये कोई भी वायु-सेवाएँ प्रारम्भ नहीं को जा सकेंगी। इस समय भारतीय वायु-परिवहन कम्पनियों द्वारा ही वायु-सेवाएँ सञ्चालित हो रही है। १९४७ के अन्त में एम्पर इण्डिया इण्टरनेशनल को स्थापना हुई, जिसमें भारत सरकार का हिस्सा ४६ प्रतिशत था जिसे वह किसी भी समय ५१ प्रतिशत कर सकती थी। ५ वर्ष में होने वाली सब हानि को सरकार पूरा करेगी, किन्तु बाद के लाभ से उसके द्वारा दिया गया धन चुकाना पड़ेगा।

प्रथम पचवर्षीय योजना में वायु परिवहन उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के लिए ६५ करोड़ ८० की व्यवस्था की गई। १९५३ में वायु निगम अधिनियम पास किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत पहली अगस्त, १९५३ को एक राजकीय निगम के द्वारा इण्डियन एम्पर लाइन्स कारपोरेशन की स्थापना की गई। यह निगम अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संस्था की सदस्य है। अप्रैल, १९५८ में प्रत्येक निगम के लिए एक परामर्शदात्री समिति नियुक्त की गई। इन दो निगमों के अतिरिक्त १४ उड्डयन-न्यूलन तथा ६ परिवहन कम्पनियाँ भी हैं, (३१ दिसम्बर, १९५८ तक)। नागरिक उड्डयन में बराबर प्रगति हुई है। १९४७ में अनुसूचित सेवाओं (बोइंग्स और सर्विसेज) की उडान की दूरी ६३,६२,००० मील तथा यात्रियों की संख्या २५५ हजार थी। १९५८ में ये संख्याएँ क्रमशः २,४६,१३,००० मील तथा ७,२२,००० थीं।

तृतीय पचवर्षीय योजना में नागरिक उड्डयन के ऊपर ५५ करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है। इसमें से २२-२५ करोड़ ८० हजार अड्डे तथा ३०-३३ करोड़ ८० दोनों निगमों पर व्यय होगा।^१

बत्तमान समय में भारत-उड्डयन-उद्योग उड़ने वाले जहाजों की संख्या की अधिकता का दिक्कार हो रहा है। कमज़ोर आर्थिक स्थिति का भी यही एक कारण है। सबसे आधारभूत कठिनाई जनता की दिक्किता है, जिसके कारण यात्रियों वा यातायात बहुत कम होता है। उद्योग का विकास सीमित होने से भाड़े की आय भी बहुत कम होती है। भारत में उड्डयन की प्रगति सरकारी सहायता और नियन्त्रण पर निर्भर है।

तीसरी पचवर्षीय योजना में एयर इण्डिया कारपोरेशन तथा इण्डियन एलाइन्स कारपोरेशन पर १४.५ करोड़ रुपया व्यय किया गया। एम्पर इण्डिया ने १९६४-६६ में ३२ लाख रुपये का लाभ दिखाया और इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने १४३ करोड़ रुपया लाभ दिखाया। तीसरी योजना में एयर इण्डिया की माल तथा व्यवसाय की शक्ति ६१ प्रतिशत तथा आई-ए-सी २० प्रतिशत से बढ़ गई है। चौथी योजना में १९७०-७१ के अन्त तक एयर इण्डिया की ४२ और इण्डियन एयरलाइन्स की ४६ प्रतिशत और शक्ति बढ़ जाएगी।

४४ बोगलौर की वायुयान फैब्रियो—द्वितीय युद्ध ने भारत में वायुयान-निर्माण के

१. देखिए, यह पाइ ईमर एलाइन्स—ए ड्राफ्ट आउट लाइन, पृ० २५२।

विकास की महत्ता को बहुत बढ़ा दिया। इस कार्य में भी अद्वगामी होने का श्रेय श्री चालचन्द हीराचन्द को है। एक सम्मिलित पूँजी वाली कम्पनी (ज्वाइट स्टॉक कम्पनी), जिसका नाम हिन्दुस्तान एयरकाप्ट कम्पनी लिमिटेड था और जिसकी अधिकृत पूँजी (प्रॉथराइज्ड के पिटल) ४ करोड़ ८० थी, को रजिस्ट्री दिसम्बर, १६४० में मैसूर राज्य में हुई। यह कम्पनी वालचन्द हीराचन्द और मैसूर सरकार के सरकाण में स्थापित हुई। एक अमेरिकन विशेषज्ञ के निवेशन में यह फैक्ट्री बंगलौर में स्थापित की गई। बंगलौर में कारखानों को स्थापित करने के दो कारण थे—एक तो वहाँ स्तूति विद्युत् शक्ति सरलता से प्राप्त हो सकती थी और दूसरे भद्रावती आइरन एण्ड स्टील वक्स से उत्तम इस्त्रात प्राप्त हो सकता था। जुलाई, १६४१ में पहला वायुयान तैयार हुआ, दूसरे महीने में एक और बना। कारखाने को योजना इतनी विकसित हो गई कि १६४२ तक यह आया की जाने लगी कि फैक्ट्री में शीघ्र ही प्रति मास १५ से ३० तक वायुयान तैयार होने लगें। इसी समय भारत सरकार ने कारखाने को कम सेन्ट्रम युद्ध काल तक स्वयं चलाने का निश्चय किया।



अध्याय १६

भारत का व्यापार

इस अध्याय का विषय भारत का व्यापार है जिसे अध्ययन की सुविधा के लिए निम्न प्रधान शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है—(१) बाह्य व्यापार, जिसमें (क) समुद्र-वाहित व्यापार, (ख) मध्यागार (एप्ट्रीपॉट) व्यापार, तथा (ग) सीमा-पार व्यापार समिलित हैं। (२) आन्तरिक व्यापार, जिसमें देश के अन्दर का तथा तटीय व्यापार शामिल है।

बाह्य व्यापार

१. ऐतिहासिक सिहावलोकन—भारत के प्राचीन व्यापार का बर्णन बहुत लक्षण में किया जाएगा, क्योंकि हमारा प्रधान लक्ष्य उन्नीसवीं शती के उत्तरार्द्ध से होने वाले विकासों से है। उन अन्य देशों में, जिनके साथ भारत का व्यापार सम्बन्ध था, चीन, अरब और फारस का नाम लिया जा सकता है। भारत या समस्त विश्व का पुराने जमाने का व्यापार दुर्लभ और बहुमूल्य वस्तुओं का व्यापार था, जबकि इसके विपरीत आज का व्यापार जनसाधारण की आवश्यकता की पूर्ति करने वाली सस्ती और भारी वस्तुओं का व्यापार है, जो वस्तुएँ दूर-दूर देशों से भेजी जाती हैं। पुराने जमाने के नियति की प्रधान वस्तुएँ कपड़े, धातु के बर्तन, हाथीदाँत, इत्र, रग और मसाले इत्यादि थीं। आयात में खनिज-पदार्थों की प्रमुखता थी जिनकी भारत में कमी थी, जैसे पीतल, टिन, रंगा आदि। इनके अलावा शराब और घोड़े आदि अन्य वस्तुओं का भी आयात होता था। चूंकि उस जमाने में विदेशी से सोना अधिक मात्रा में भारत आ रहा था, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आयात की तुलना में नियति अधिक था। नियति की अधिकता भारत के विदेशी व्यापार की विशेषता थी। योहा-सा मध्यागार व्यापार भी होता था। इसमें प्रधानतया चीन में चीनी मिट्टी के बर्तन और रेशम, सीलोन से मोती तथा भारतीय द्वीप-समूहों से कीमती पत्थर, बहुमूल्य हीरे इत्यादि का व्यापार समिलित था। यह इस बात का द्योतक है कि भारत के पास व्यापारिक जहाजी बेड़े अवश्य थे।

मुगल दरबार के सरकार ने कितने ही भारतीय उद्योगों को प्रेरणा दी। इनमें विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन प्रधान था। सामुद्रिक व्यापार—विशेषकर मालावार तट का, कुछ अशों में केढ़े की खाड़ी और कारोमण्डल तट का—मुसल-मानो के हाथ में था, जो कि बाद में वनियों और चेटियारों के हाथ में आ गया। मध्यागार मालावार और बन्दरगाह कालीकट था। मुस्लिम-काल में व्यापार प्राय

वैसा ही बना रहा और गिबन का यट कट्टु कथन कि, “पौर्वार्थ व्यापार की वस्तुएँ मध्य और तुच्छ थीं” वस्तुत १६वीं शताब्दी के लिए उत्तना ही साधू होना है जितना कि दूसरी शताब्दी के लिए।” आयात में प्रधानतया सोना, मिक्के बनाने और प्रदर्शन के लिए, बहुत बड़ी सत्त्वा में थोड़े, धातुओं में जस्ता, राँगा दारा, तरंवा इत्यादि, विलास की वस्तुओं में हीरे, जबाहर और एम्बर आदि वस्तुएँ थीं। इनके बदले भारत से कपड़े, रग की सामग्री, अफीम तथा अन्य मादक वस्तुएँ, काली मिर्च-तथा कुछ अन्य मसाले भेजे जाते थे।

पन्द्रहवीं शताब्दी में उत्तमादार अन्तरीप से होकर भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज हो जान से पूर्व और पश्चिम में सम्बन्ध स्थापित हो गया और व्यापारिक मार्गों में युगान्तकारी परिवर्तन हुए। इसके पहले भारत का यूरोप से सामुद्रिक व्यापार हिन्द महासागर से अद्वितीय तक होता था, इसके बाद माल उत्तर दिशा-जाता था तथा जल थल के मार्गों से भूमध्य सागर तक पहुँचाया जाता था। फिर इटली के व्यापारिया द्वारा यह माल बेनिस और जिनेवा पहुँचाया जाता था और वहाँ से समुद्र द्वारा तुद्र-पश्चिम या भूमि के रास्ते से आल्प्स के उस पार राइन द्वारा एण्टवर्प पहुँचाया जाता था जो उन समय पश्चिमी यूरोप का प्रबोन वितरक था। इस लाभ को अपनाने के लिए ही पुतंगालियों ने भारत के नवीन रास्ते की खोज प्रारम्भ की। इगलेंड, हालैण्ड तथा फ्रान्स के आकर्षण का प्रधान कारण कच्चा माल नहीं था, बरन् लिनेन, थ्रीट, हीरे, जरी के काम किय हुए कपड़े, छनी और रेतमी वस्तुएँ आदि थीं। यही वस्तुएँ ईस्ट इण्डिया कम्पनी के साम्राज्यक व्यापार का आधार थी, जिस पर अन्त में सप्तवर्षीय युद्ध की समर्पित और कान्सीसियों की हार के उत्तरान्त उसे पूर्ण एकाविकार प्राप्त हो गया। एक समय इगलेंड में भारत से व्यापार करने के कारण ईस्ट इण्डिया कम्पनी का बड़ा विरोध होता था। कारण यह था कि इगलेंड में भारतीय सफेद कपड़ों और मसाले की बड़ी मांग थी और उसके बदले में नक्कड़ रूपया देना पड़ता था, क्योंकि इगलेंड के लकड़ी कपड़ों की भारत में खपत न थी।^{१०} सन्धिवीं शती के अन्त में भारतीय कपड़ों का प्रयोग दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया गया। इसके लिए या तो भारतीय कपड़ों पर इतना अधिक्रृत आयात-नकर लगाया गया कि उसका आयात वित्तकुल बन्द हो जाए या उसके अप्रोग को बिलकुल भना ही कर दी गई।

उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में इगलेंड और भारत में होने वाले व्यापार के स्वभाव में काफी परिवर्तन हो गया। अब भारत उन्हीं वस्तुओं, उदाहरणार्थ कपड़ा और चीनी, का आयात करने लगा जिनका वह अब तक निर्यात करता आया था। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक उन्नाशाधर में कपड़े वा उद्योग इतना विकसित हो गया था कि भारत में भेजी जाने वाली वस्तुओं का आज नाम कपड़ा ही होता था।

^{१०} बगाल की दीवानी जिल नामे पर विनियोग की विधान पद्धति से (जिसमें भारतीय मालगुचारी से नियान के माल खरीदे जाते थे) भारत में सोने का आना बन्द हो गया और भारतीय व्यापार के प्रति विरोध कम हो गया।

ने चुनौती दी। युद्ध के उपरान्त भारतीय व्यापार में जापान की दिलचस्पी तेजी से बढ़ने लगी। इन देशों का उद्देश्य भारत में अपनी निर्मित वस्तुओं की विक्री बढ़ाना था, लेकिन इस उद्देश्य से निर्मित संगठनों ने भारत के कच्चे माल तथा साधान, जो इन देशों के उद्योगों के लिए आवश्यक थे, के निर्यात को प्रेरणा दी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित तरीके काम में लाये गए—
 (१) राष्ट्रीय जहाजरानी सेवाओं का विकास, (२) राष्ट्रीय बैंकों की साधारणों की स्थापना जैसे जर्मन ड्यूट्सके एक्सियाटिक बैंक और जापानी याकोहामा स्पेशी बैंक, जो अपने देशवासियों को साथ की विशेष सुविधाएँ देते थे और (३) बम्बई, कलकत्ता-जैसे व्यवसाय-प्रधान केन्द्रों में वाणिज्य-सदनों की स्थापना। इस कार्यवाही में उन देशों की सरकारों की भी पूरी सहानुभूति थी तथा उनके भारत-स्थित राजदूतों ने भी अपने देश के व्यापारिक हित को पूरा प्रोत्साहन दिया। संयुक्त राज्य अमरीका ने लंदन द्वारा भारत से सम्बन्ध स्थापित कर रखा था। १९१४-१८ के युद्ध के प्रारम्भ होने के बाद भी भारत में व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए संयुक्त राज्य के प्रयत्न इतने जागरूक एवं कटिवद्ध नहीं थे जितने कि जापान और जर्मनी के।

४. १९१४-१८ के युद्ध के पूर्व की स्थिति का सारांश—१९७३ से शताब्दी के अन्त तक व्यापार के विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी थी। इसके मूल्य में भारी चढ़ाव उत्तार से स्वर्ण-प्रमाण वाले देशों के साथ व्यापार में एक प्रकार की अनिश्चितता और परिकल्पना (सट्टेवाड़ी) चूरु हो गई, जिससे व्यापार वी साधारण गति रुक गई।

नवीन शताब्दी के प्रथम चौदह वर्षों में विदेशीकर १९०५ के बाद, भारत के विदेश-व्यापार में आश्चर्यजनक बृद्धि हुई। सबसे महान् बृद्धि प्रथम विश्व-युद्ध के प्रारम्भ होने से पहले पाँच वर्षों में हुई। इन वर्षों में इसके काम का मूल्य प्रायः स्थिर था। रेलवे और सिचाई-जैसे जन-कार्य वडी तत्परता के साथ किये जा रहे थे, शताब्दी के अन्त में पड़ने वाले दुर्भिक्षों-जैसे दुर्भिक्ष भी नहीं पड़े थे और महाभारी का प्रकोप भी कम हो रहा था। इसके अतिरिक्त, जैसे कि पहले बहा जा चुका है, जर्मनी, जापान तथा संयुक्त राज्य भी कुछ अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का संगठन प्रयत्न कर रहे थे, जो इन देशों में होने वाले आर्थिक परिवर्तनों के फलस्वरूप तेजी से बढ़ रहा था तथा जिसने ग्रोथोग्राफिक इक्टिं से उन्हें इगलेंड के समक्ष कर दिया था।

५. प्रथम विश्व-युद्ध का भारत के व्यापार पर प्रभाव—अगस्त, १९१४ में युद्ध प्रारम्भ होने पर भारत के विदेश व्यापार की दोनों शाखाओं का घबड़ा लगा। १९१६-१७ के बाद निर्यात का मूल्य तो अपनी पूर्व स्थिति में आने लगा, परन्तु आयान १९१८-१९ तक युद्ध-पूर्व की स्थिति से पीछे ही रहा। आयान व्यापार में विशेष हृप से कमी हुई और यह कमी युद्ध-काल में लगातार जारी रही। अब हम सक्षेप में इस परिस्थिति के लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना करेंगे। युद्ध प्रारम्भ होने पर शत्रु देशों के साथ व्यापार विलुप्त ठप हो गया। मिट्र-राष्ट्रों, जैसे इगलेंड, फ्रास, बेल्जियम इत्यादि, से भी युद्ध-पूर्व स्तर पर व्यापार कायम न रखा जा सका, क्योंकि ये देश स्वयं युद्ध में सलग थे। निष्पक्ष देशों के साथ होने वाले व्यापार पर भी अनेक प्रतिवर्ण लगाये

गए ताकि इन देशों द्वारा युद्ध-समझी जमानी न पहुँचने पाए और भारत की सामग्री के बिल पिन-राष्ट्रों को ही उपलब्ध हो। समुद्र से शत्रु के जहाजों के हट जाने तथा अवशिष्ट बलयाने पर युद्ध के बोझ के परिणामस्वरूप किराये में काफी वृद्धि हो गई। परिणाम यह हुआ कि यूरोप में भारतीय वस्तुओं की बढ़ती हुई मांग से भारत पूरी तरह लाभ नहीं उठा पाया। व्यापार की स्थिति को बिगाढ़ने वाले कारणों में तामुक्ति सुरक्षा के अभाव तथा विदेशी विनियोगों के विस्थापन, (डिस्लोकेशन) का नाम लिया जा सकता है।

१९१४-१५ के युद्ध-काल की विजेय दाता निर्मित वस्तुओं के नियांत में हुई वृद्धि है, कुल व्यापार से जिनका प्रतिशत १९१३-१४ में २२.४% बढ़कर १९१५-१६ में ३६.६ प्रतिशत हो गया। युद्ध द्वारा नी गई कृतिम प्रेरणा का उल्लेख हम क्षात्र, जूट, चमड़ा, लोहा इत्यादि के सम्बन्ध में कर गए हैं। इसी कारण निप्रित वस्तुओं का नियांत बढ़ा।

६. दोनों युद्धों के बीच के समय से व्यापार (१९१६-२० से १९३६-४०) — इन काल के प्रारम्भिक वर्षों में नियांत पर-लगाये गए युद्धकालीन प्रतिबन्धों के हट जाने, शत्रु देशों से पूर्ववत् व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित होने, तथा कियाये की स्थिति ने सुधार होने के परिणामस्वरूप व्यापार में समुद्रिन-भालूम होने लगी। इसके चिह्न १९२०-२१ के अन्त में स्पष्ट रूप से लक्षित होने लगे थे। सब से पहले निर्पत्ति-व्यापार पर प्रभाव पड़ा। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य तथा जापान के बाजार भारतीय उत्पादनों से अब गहरा और उनकी ओर से मार्ग काफी कम हो गई। यह ठीक है कि मध्य यूरोप के देशों में भारतीय वस्तुओं की मांग बहुत अधिक थी, लेकिन वे युद्ध से विच्छिन्न हुए साथर्नों तथा घटी हुई क्षय-नक्ति के कारण इन्हें खरीदने में असमर्थ थे। १९२० की असन्नीपञ्जनक वर्षा तथा खाद्यान्नों की बढ़ती हुई कीमतों के कारण मह आवश्यक हो गया कि खाद्यान्नों के नियांत पर लगाये गए प्रतिबन्ध जारी रखे जाएँ। जापान में भी भीयाण सकट-स्थिति उत्पन्न हो जान से उस देश को नियांत की जाने वाली कपास में रुकावट पड़ गई। सरकार द्वारा दो रिपोर्ट पर रूपये के विनियम-मूल्य को स्थिर करने के प्रयत्न ने भी पहले ही से कमज़ोर नियांत-व्यापार को और भी दुर्बल बना दिया। इसके विपरीत आयात-व्यापार शीघ्रता से बढ़ता गया। मुद्दनकाल में भारत की आयात-सम्बन्धी आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो सकी। मरीन तथा अन्य निर्मित वस्तुओं के लिए दिये गए ऑर्डर अब तक बैसे ही पड़े थे। अब ये सामान देश में आने लगे। उच्च विनियम ने भी आयात व्यापार को पर्याप्त प्ररणा दी और बहुत बड़ी मात्रा में विदेश-निर्मित वस्तुओं के लिए ऑर्डर दिय गए। इसलिए हमें इस बात पर आइचर्य न करना चाहिए कि भारत का व्यापारिक सम्बलन १९२०-२१ में ७६.८० करोड़ रूपये से प्रतिकूल था। यह सन्तुलन दूसरे वर्ष भी ३३.४४ करोड़ रूपये से प्रतिकूल रहा।

७. विवर के आधिक अवसाद-काल में भारत का व्यापार—वात स्ट्रीट के आधिक विषयन के उपरान्त अक्तूबर, १९२६ में एक अधीमूली प्रवृत्ति प्रारम्भ हो गई और वात

मे स्वर्ण मुद्राओं का अवस्थन—इन सबवे प्रभाव से कितनी ही बस्तुओं के मूल्य बढ़ने लगे। १९३७ के पूर्वार्द्ध मे मूल्यों की वृद्धि पर्याप्त रूप से हाप्तिगोचर होने लगी। इसका एक कारण और भी था—सरकारों द्वारा कितने ही देशों से शहरीकरण पर काफी धूत खर्च किया जा रहा था। इससे भारी उद्योगों को काफी प्रोत्साहन मिला और साथारण आर्थिक स्थिति पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ा।

भारत ने भी विद्व की समुदायन-प्रवृत्ति का भनुगमन किया, हालांकि अपनी विशेष परिस्थितियों के कारण उसका मार्ग अन्य देशों से कुछ मिल था। १९३८ मे प्रारम्भ हुई मन्दी ने भारत-जैसे कृषि-प्रधान देश को विशेष रूप से हाति पहुँचाई। इसका कारण प्रायमिक उत्पत्ति (कृषि-उत्पत्ति) के मूल्यों मे हुई अमूल्यपूर्व कमी थी। कृषि-उत्पादन की कीमतों मे सुधार भी कुछ पहले ही होने लगा। लेकिन जहाँ तक भारत के हृषि-उत्पादनों का सम्बन्ध है इनकी कीमतों मे पर्याप्त वृद्धि १९३६-३७ के बीच ही दिखाई पड़ी (दितिए, प्रध्याय ११)। यह सुधार विशेष रूप से प्रारम्भिक बस्तुओं एवं कच्चे माल की बढ़ती मांग का परिणाम था।

६. गिरावट (रिसेजन) के समय मे भारत का व्यापार (१९३७-३८ से १९३८-३९ तक)—अप्रैल, १९३७ के लगभग संयुक्त राज्य मे व्यापार में गिरावट प्रारम्भ हुई। ज्यों-ज्यों वर्ष बीतता गया यह ज्ञां और पकड़ती गई। इससे विद्व के आर्थिक समुदायान को एक आकस्मिक घटका लगा। आर्थिक दशाओं की लज्जेंगामी दिशा एकाएक विपरीत हो गई। वह परिकल्पना (सट्टेबाजी) का अनिवार्य परिणाम था। असत भविष्य मे कच्चे माल की सम्भावित कमी से उत्पन्न घबराहट भी इसके लिए उत्तरदायी थी। इनके परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य मे अकारण स्वर्ण भय उत्पन्न हो गया। देशों ने साथ-सुविधाओं पर प्रतिबन्ध लगा दिए और नियन्त्रित उत्पादन की योजनाओं मे टील दे दी गई। फलतः विद्व मे प्रायमिक बस्तुओं का मूल्य तेज़ी से घट गया और जून, १९३८ तक कम बना रहा।

फिर भी १९३९ के प्रारम्भ मे व्यापारिक क्रियाक्लीलता धीरे-धीरे बढ़ने लगी। इसका कारण असत आन्यिक प्रसार की नीति और सारे सासार मे विशेषतया संयुक्त राज्य मे बढ़ता हुआ सार्वजनिक व्यय तथा असत शस्त्रास्त्रों पर अधिकाधिक व्यय है।

विगत वर्ष की तुलना मे १९३७-३८ मे भारत के समुद्र-नार व्यापार के आमात मे घोड़ी वृद्धि और निर्यात मे घोड़ी कमी हुई। परिणाम यह हुआ कि भारत से व्यक्तिगत सौदों का निर्यात ५१ करोड़ रुपये (१९३६-३७) से घटकर ३७ ५६ करोड़ रुपये हो गया। भारतीय विदेशी व्यापार के व्यक्तिगत सौदों का कुल मूल्य (१९३६-३७ मे) २६३ करोड़ ८० था, जोकि १९३८-३९ मे घटकर ३२२ करोड़ ८० हो गया। निर्यात मे ४१ करोड़ ८० क मूल्य की कमी कुछ असी मे विद्व के बाजारों मे प्रारम्भिक बस्तुओं की मन्दी का परिणाम थी और इसका कारण असत भारतीय व्यापार के लिए जापान की क्रय जाकिन का घट जाना भी है। आयात की कमी का कारण कृपकों की क्रय शक्ति का ह्रास था। विगत वर्ष की भ्रष्टा १९३८-

इह मे आयात मे कमी होने के कारण लगभग २ करोड़ रु० से भारत का व्यापारिक संग्रहालय (वेलेंस ऑफ़ ट्रेड) सुधार गया।

१०. युद्ध-काल (१९३९-४५) मे भारत का विदेशी व्यापार—सितम्बर, १९३९ मे युद्ध के प्रारम्भिक तथा आगामी वर्षों मे उसके प्रसार और घनत्व के साथ-ही-साथ भारत के विदेशी व्यापार को प्रभावित करने वाले कितने ही कारण सामने आये। पहले तो इनमे से अनेक प्रतिकूल थे, लेकिन बाद मे अनुकूल कारण भी हप्तिगत हुए। वास्तविक परिणाम मे कोई क्रमिक हास नहीं दिखाई पड़ा, बल्कि कुछ सुधार ही हुआ। प्रतिकूल परिस्थितियाँ युद्ध-बोयला के पूर्व को राजनीतिक अनिश्चितता का परिणाम थी। जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड सितम्बर, १९३९ के पहले हप्ते मे ही समाप्त हो गए। १९४० के वसंत तक नार्वे, हालैण्ड, डेनमार्क, डेलजियम, फ्रास और इटली शत्रुओं द्वारा अविकृत क्षेत्र हो गए। दूसरे वर्ष मे शत्रु द्वारा पदाकान्त क्षेत्र के अन्तर्गत सारा दक्षिण-पूर्वी यूरोप आ गया। रूस के साथ व्यापार पहले ही समाप्त हो चुका था, लेकिन जून, १९४१ मे जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण किये जाने पर रूस से किर व्यापार शुरू हो गया। जुलाई, १९४१ मे भारत द्वारा जापान की सम्भति पर अधिकार कर लेने से भारत और जापान के व्यापारिक सम्बन्ध को घटका पड़ूँचा। दिसम्बर, १९४१ मे जापान भी एक शत्रु देश हो गया। जापान के तूफानी धावों तथा एक के बाद दूसरी विजय ने क्रमशः हिन्दचीन, स्थाम, ईस्ट इण्डीज़, मलाया और बर्माजैसे महात्वपूर्ण द्वाजारों को बन्द कर दिया।

इस तरह वे प्रधान देश, जिनके साथ भारत का व्यापार सम्भव रह गया, केवल संयुक्त राज्य, इग्लिस्तान, कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य देश और एशिया तथा अफ्रीका के निकट एव मध्य-पूर्वी देश थे, हालांकि यहाँ भी एक बहुत बड़ी बाधा जहाजी सुविधाओं की कमी थी। जर्मनी के यू बोट के डर के कारण किराये की दरें और बीमा का मूल्य बहुत बढ़ गया था। १९४० मे इटली के साथ अग्रेजो के राजनीतिक सम्बन्धों के खराब हो जाने के कारण भारत-यूरोपीय व्यापार उत्तमाशा अन्तरीप की ओर से होने लगा। तब जहाजारों की कमी का अनुभव बड़ी तीव्रता से हुआ। दिसम्बर, १९४१ मे जापान भी युद्ध के अस्ताडे से कूद पड़ा। इससे प्रशान्त महासागर के मार्ग भी अरक्षित हो गए और संयुक्त राज्य, आस्ट्रेलिया एव न्यूजीलैंड के साथ होने वाले भारतीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

उपर्युक्त कारणों मे अब हम एक और कारण भी जोड़ सकते हैं। युद्ध प्रारम्भ होने के उपरान्त, जिन देशों के साथ भारत का व्यापारिक सम्बन्ध था प्रायः उन सभी ने व्यापारिक प्रतिबन्धों का एक जटिल जाल फैला दिया। भारत ने भी अपनी तरफ से ऐसी ही नीति का अनुसरण किया। युद्ध प्रारम्भ होने के ठीक बाद बेन्द्रीय सरकार

१. द्वितीय विश्वयुद्ध से सम्बन्धित भारत के विदेशी व्यापार का विवरण बहुत अरों मे प्र० एन० प्स० पार्टीशनी द्वारा प्रस्तुत किये गए नोट पर आधारित है।

ने निर्यात-व्यापार को अनेक सामग्रियों पर प्रतिवन्ध लगा दिया। शत्रु-देशों के साथ च्यापार करना बिलकुल बन्द कर दिया गया। यह भी हप्टि में रखा जाता था कि विसी प्रकार परोक्ष रास्तों से भी सामान घटनुओं तक न पहुँचे और प्रत्येक प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति को मित्र-राष्ट्रों तथा भारत की आवश्यकताओं के लिए ही सुरक्षित रखा जाए। इस उद्देश्य को हप्टि में रखकर नियति-प्रतिवन्धों और अनु-ज्ञानों (लाइसेंसों) का एक विस्तृत जाल खड़ा कर दिया गया।^१ कुछ वस्तुओं के लिए नियति-अनुज्ञा (लाइसेंस) पूर्ति-विभाग द्वारा तथा कुछ वस्तुओं के लिए नियति-व्यापार-नियन्त्रक (एक्सपोर्ट हैंड कम्प्लेक) द्वारा दी जाती थी। मई, १९४० में आयात की ६५ मद्दों पर भी प्रतिवन्ध लगाये गए। इनका उद्देश्य विदेशी विनियम को सुरक्षित करना एवं सीमित जहाजों के बोझ को कम करना था। इसमें से अधिक वस्तुएं विलासिता की थी, जिनमें प्रतिदिन के प्रयोग की वस्तुएं भी शामिल थीं। इन लगाये गए प्रतिवन्धों के परिणामस्वरूप उन वस्तुओं की पूर्ति या वैकल्पिक पूर्ति के लिए कितने ही छोटे-बड़े उद्योग खड़े हो गए। इस सबका नतीजा यह हुआ कि व्यापार अपने साधारण मार्ग से बहुत-कुछ हट गया।^२

युद्ध-दशाओं के अलावा इधर हाल के कुछ वर्षों में व्यापारिक गति आवश्यक कच्चे माल, भौमिक और उपभोक्ता-वस्तुओं की पूर्ति को प्रोत्साहन देने वाली सरकारी नीति द्वारा अनुशासित होती रही है। सरकार की नीति राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के लिए अनावश्यक सामग्री के आयात को कम करने तथा आन्तरिक प्रयोग एवं हितों के लिए अनिवार्य वस्तुओं के नियति को पूर्णतया बन्द करने की थी।

११. ग्रेगरी-सौक मिशन^३— भारत सरकार ने जुलाई, १९४० में भारतीय नियति-व्यापार को पुनर्जीवित करने के विचार से एक व्यापारिक शिष्ट-मण्डल संयुक्त राज्य अमरीका वो भेजा। इस व्यापारिक मण्डल के सदस्य डॉक्टर टी० है० ग्रेगरी और सर डेविड भीक थे। जनवरी, १९४१ में प्रकाशित हुई अपनी रिपोर्ट में इन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि भारत को अपने खोए हुए बाजारों का स्थानापन्न अमरीकी बाजारों में नहीं मिल सकता।^४ कारण यह था कि भारत द्वारा यूरोप को भेजी जाने वाली सामग्री अधिकतर जूट, भूंगफली, कपास, खसी, गेहूँ, कच्चा चमड़ा इत्यादि थी। ये सब चीजें बड़ी मात्रा में संयुक्त राज्य को नहीं भेजी जा सकती थीं। अमरीका के पास स्वयं उसकी वापास ही आवश्यकता से अधिक थी। यही बात गेहूँ और भूंग-

१. विद्युत विवरण के लिए देखिए, 'रिक्व थान दि ट्रेड आफ इण्डिया' (१९३९-४०) अनुमूली।

२. युद्ध-काल के नियन्त्रणों के बन्द और स्वभाव से सन्दर्भित विशेष विवरण के लिए देखिए, श्री एल० सा० जैन की 'इण्डियन इकनोमी ड्वूरिंग दि वार', प० ६२-६७।

३. मार्च, १९४५ में कितने ही प्रकार की उपभोक्ता-वस्तुओं एवं आवश्यक वच्चे माल के आयात के लिए ओपन बनरल लाइसेंस-प्रधा प्रारम्भ की गई।

४. देखिए, सेक्रेन ११-१२ और ३६-३७।

५. रिपोर्ट, पेराग्राफ ६७।

फली के लिए भी लागू है। वह जूट के स्थान पर अधिकाधिक कपास और कागज की सामग्री का प्रयोग करता है, साथ ही अपनी खली स्थिति तैयार करता है और चमड़ा सिभाता है। दक्षिणी अमरीका में धुरी राष्ट्र की महत्वाकांक्षाओं को रोकने के लिए किया गया हवाना पान-अमरीकन सम्मेलन अन्तर-अमरीकी व्यापार के विकास का एक अन्य कारण है। दक्षिणी अमरीका के अनेक कच्चे माल, जैसे अर्जपटाइना के निल, मूँगफली, खली और बीज इत्यादि, प्रत्यक्ष रूप से भारतीय सामग्री के प्रतिस्पर्धी हैं। १२. निर्यात-परामर्श-समिति तथा अन्य उपाय—प्रेमरो-भीक की रिपोर्ट से यह बिल-बुल स्पष्ट हो गया कि भारत को अपन सोये हुए धूरोपीढ़ वाजारों के घाटे को भरने के लिए गैर-अमरीकी वाजार ढूँटने पड़ेंगे। इसमें थोड़े-से गैर-कॉमनवेल्थ देशों से होने वाले व्यापार का भी कुछ हाथ था। अफ्रीका और अरब को निर्यात किये जाने वाले कपड़े में ही वृद्धि को उदाहरणस्वरूप लिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मई, १९४० में स्थापित निर्यात-परामर्श-समिति का भी उल्लेख आवश्यक है। इसका सभापति वाणिज्य-सदस्य होता था तथा विभिन्न व्यापारिक एवं औद्योगिक हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले २६ अन्य सदस्य होते थे। इसके निम्न बार्य थे—(१) वर्तमान निर्यात-कठिनाइयों पर वाद-विवाद, (२) प्रधान निर्यात-सामग्रियों के प्रसार के लिए सुझाव तथा वैकल्पिक वाजारों की खोज, (३) भारत-निर्मित वस्तुओं के प्रसार को प्रोत्साहित करना और अन्तिम (४) भारत द्वारा अन्य समुद्र-पार देशों में भेजने वाले व्यापारिक शिष्ट-मण्डलों को दी जाने वाली सुविधाओं पर विचार।

१३. राजकीय व्यापार-निगम और तदनन्तर—१९४७ में स्वतन्त्र होने के बाद प्रारम्भिक वर्षों में भारत का निर्यात-व्यापार बहुत सन्तोषप्रद रहा था। १९४८-४९ और १९५१-५२ के बीच भारतीय निर्यात में ६० प्रतिशत वृद्धि हुई। किन्तु विश्व के निर्यात की वृद्धि की तुलना में भारत के निर्यात की वृद्धि-दर बहुत कम रही। सरकार ने १९५६ में राजकीय व्यापार निगम (स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन) की स्थापना की।

राजकीय व्यापार के सम्बन्ध में दो समितियों ने भी अपनी रिपोर्ट इसके पक्ष में प्रस्तुत की थी, किन्तु इनके अनुसार राजकीय व्यापार का क्षेत्र सीमित होना चाहिए। प्रथम समिति (१९४६), जिसके अध्यक्ष डॉ० पी० एस० देशमुख थे, ने साधान्न, उर्वरक, बैन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के आयात निर्यात सम्बन्धी कार्य, पूर्वी अफ्रीका के कपास का आयात, छोटे रेशे वाली कपास का नियन्त्रित तथा कुटीर उचांगों की वस्तुओं के निर्यात को ऐसे निगम को सौंपने की सिफारिश की थी। प्रथम योजना के द्वितीय चरण में श्री एस० वी० कृष्णमूर्ति राव को अध्यक्षता में नियुक्त दूसरी समिति ने केवल हथकरघे के कपड़े तथा चुने हुए छोटे पैमाने व कुटीर उच्चांगों के निर्यात को निगम को सौंपने की सिफारिश की। कर-जीव-आयोग (१९५२-५४) का मत राजकीय व्यापार के विरुद्ध था।

अस्तु, १८ मई, १९५६ को राजकीय व्यापार-निगम की स्थापना एक मिश्रित पूँजी वाली कम्पनी के रूप में की गई। प्रावक्तव्य-समिति (एस्टीमेट्स कमेटी)

ने सक्षेप मे इसके कार्यक्षेत्र को इस प्रकार व्यक्त किया

(१) भारत के विदेशी व्यापार—मुख्यत साम्यवादी देशों से—मे विविधता और विस्तार लाने की कठिनाइयाँ दूर करना ;

(२) स्थिर मूल्य-स्तर बनाए रखने तथा मांग और पूर्ति मे सामजस्य स्वापित करने का प्रयत्न करना ,

(३) ग्रावश्यक वस्तुओं की मांग और पूर्ति के अन्तर को पूरा करने के लिए बड़े परिमाण मे आयात का प्रबन्ध करना । तथा ,

(४) निजी व्यापार के पूरक के रूप मे काम करना ।

इन आधारो पर राजकीय व्यापार-निगम ने कार्य प्रारम्भ किया । जुलाई, १९५६ मे कच्चे लोहे और मैग्नीज के नियंता के लिए कुल कोटे का एक-तिहाई निगम को दिया गया । १९५७ मे लोहे का सम्पूर्ण कोटा तथा मैग्नीज का प्राप्ता कोटा निगम को सौप दिया गया । इनके इलावा नमक, कच्चे जूट का नियंता भी इसे सौप दिया गया और अब वह अतेक वस्तुओं के नियंता मे सलग्न है जिनकी सख्ता निरन्तर बढ़ रही है । साम्यवादी देशों से व्यापार करने के कारण निगम के व्यापार मे आशातीन वृद्धि हुई, किन्तु भारत के कुल नियंता मे १९५६-५७ मे निगम का भाग १ प्रतिशत तथा १९५७-५८, १९५८-५९ मे ३-४ प्रतिशत था । सरकार ने १९५६ मे ही निगम को सीमेन्ट का आयात तथा भारत के रेल-केन्द्रो पर सामान मूल्य पर इसके वितरण का कार्य भी सौंपा था ।

१४. नियंत-प्रोत्साहन—ग्रागस्त १९५९ मे नियंत-प्रोत्साहन परामर्श-समिति (एक्स-पोर्ट प्रोमोशन एडवाइजरी काउन्सिल) की अवधि समाप्त होने पर इसे पुनः संगठित किया गया तथा इसकी सदस्य-सख्ता बढ़ा दी गई । २६ ग्रागस्त, १९५६ को इसकी स्थापी समिति (स्टेंडिंग कमेटी) बनायी गई जो नियंत को प्रभावित करने वाली दिन-प्रतिदिन की समस्याओं के बारे मे सरकार को सलाह देती है । इस समय विभिन्न उद्योगों से सम्बन्धित यारह नियंत-प्रोत्साहन-समिति (एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल) काम कर रही हैं, यथा सूती और रेशमी वस्त्र उद्योग, लाख, चमड़ा, अभ्रक आदि मे ।

नुमाइश, व्यापारिक शिष्टमण्डलो द्वारा भी नियंत-प्रोत्साहन की दिशा मे काम हो रहा है । इटली, जापान, कनाडा तथा आस्ट्रेलिया की नुमाइशो मे भारतीय वस्तुओं का प्रदर्शन आयोजित किया जा चुका है । विभिन्न उद्योगों की नियंत-प्रोत्साहन-समितियो ने व्यापारिक शिष्टमण्डल भी बाहर भेजे है ।

उपर्युक्त उपायों का फल तो समय बीतने पर ही मिलेगा, किन्तु कुछ साम अब भी दिखाई पड़ रहा है । द्वितीय योजना के पहले चार वर्षों मे वार्षिक नियंत का औसत मूल्य ६१० करोड ८० था जबकि योजना का अनुमान ५६८ करोड ८० ही था ।

तृतीय योजना मे विदेशी व्यापार की नीति यही रहेगी—आयात की विफायत तथा नियंत को उच्चतम स्तर तक पहुँचाना । तृतीय योजना मे यह अनुमान

निहित है कि निर्यात में निरन्तर वृद्धि होगी—एक तो उत्पादन की वृद्धि द्वारा रुढ़ि-निर्यात (ट्रैडीशनल एक्सपोर्ट) की वृद्धि तथा दूसरे नई वस्तुओं के निर्यात की वृद्धि। १५. भारत के समुद्र-वाहित व्यापार की विशेषताओं में हुए परिवर्तन—१९४७ तक आयात और निर्यात की प्रमुख वस्तुओं का सापेक्षिक महत्व हजिंगत रखने पर प्रायः कठित इस सत्य की 'कि भारत के निर्यात का अधिकाश खाद्यान्न तथा कच्चा माल और आयात का अधिकाश निर्मित वस्तुओं का है' पुष्टि होती है।

भारत के वैदेशिक व्यापार की दूसरी विशेषता यह भी है कि जहाँ आयात वस्तुओं की परिधि काफी विस्तृत है वहाँ उसके द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुएं बहुत थोड़ी हैं, जैसे कपास, चूट, तिलहन तथा खाद्यान्न।

तीसरी विशेषता यह है कि भारत के वैदेशी व्यापार में इगलैंड की दशा बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में है, विशेष रूप से जहाँ तक हमारे आयात का सम्बन्ध है (दॊखिए, सेवशन १५-१६)। निर्यात की दृष्टि से, यद्यपि भारत का सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक प्रेट्रिटेन है, किन्तु कुल व्यापार सम रूप से अनेक देशों में विभाजित है।

१९५०-५१ के बाद

भारत के वैदेशी व्यापार की उपर्युक्त विशेषताएँ १९४७ से पूर्व काल की हैं। स्कृतन्वता के पश्चात् विशेषकर १९५१ के बाद से हमारे वैदेशी व्यापार की विशेषताओं में परिवर्तन हो गया। १९५१ के बाद भारत के वैदेशी व्यापार की विशेषताओं में हुए परिवर्तन इस प्रकार हैं—

आयात के १९५०-५१ के आँकड़ों की तुलना १९५८-५९ के आँकड़ों से करन पर पता चलता है कि प्रायमिकता का तम लोहे और इस्यात, खाद्यान्न, तेल, रसायन और घातुओं के बीच बदल गया है तथा मशीन संदर्भ चोटी पर रही है।

अब भारत के वैदेशी व्यापार में यू० के० और यू० एस० ए० महत्वपूर्ण हो गए हैं। यू० के० (इगलिस्तान) का भाग तो घट रहा है। इन दो देशों के अलावा इधर हाल में रूस और जर्मनी भी महत्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि उद्योगीकरण की आवश्यकताएँ इनके द्वारा पूर्ण की जा रही हैं।

हमारे वैदेशी व्यापार की एक अन्य विशेषता द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते हैं। इनका उद्देश्य आवश्यक पदार्थों को सुलभ करेन्सी (सोपट करेन्सी) क्षेत्रों से आवश्यक सामान प्राप्त करना तथा भारतीय सामान के निर्यात को प्रोत्साहित करना है।

राजकीय व्यापार की बढ़ती हुई महत्वा विदेशी व्यापार की ऐसी विशेषता है जिसकी तुलना अन्यत्र सरलता से नहीं की जा सकती। राजकीय व्यापार नियम का उद्देश्य अन्य दातों के अलावा साम्यवादी देशों के साथ व्यापार की वृद्धि करना है। १६ व्यापार की रचना में हाल में हुए परिवर्तन—१९३६-४५ के युद्ध-पूर्व कच्चे माल का निर्यात अग्रगण्य था। अब उनका स्थान निर्मित वस्तुओं ने ले लिया।

युद्ध-काल में कच्चे माल के निर्यात में जो कमी हुई उसका कारण यह नहीं था कि देश के बढ़ते हुए उद्योगों में इनका उपभोग होने लगा था। इसका वास्तविक

में ५.८% हो गया।

नियर्ति व्यापार में भी प्रेट ब्रिटेन से दूर हटने की प्रवृत्ति के दर्शन हुए। शताब्दी के प्रारम्भ में भारत के नियर्ति का २६% इंगलैण्ड, २५% शेष यूरोप, २४% सुदूर पूर्व, ७% सयुक्त राज्य तथा १५% अन्य देशों में वितरित था। १९१४ में इंगलिस्तान का हिस्सा घटकर २४%, शेष यूरोप का बढ़कर २६%, सुदूर-पूर्व का केवल १७% (अफीम और सूत का नियर्ति घटने के कारण), सयुक्त राज्य का बढ़कर ६% तथा अन्य देशों का २१% हो गया। इससे स्पष्ट हो गया कि व्यापार का जो भाग इंगलिस्तान ने खोया वह महाद्वीपीय यूरोप ने प्राप्त किया।

१६ युद्धकाल (१९१४-१८) में भारत के व्यापार का वितरण—इस काल में इंगलैण्ड से दूर हटने वाली प्रवृत्तियाँ तो क्रियाशील रही ही, साथ ही उसके युद्ध में व्यस्त हो जाने के कारण वे और भी तीव्र ही गई, व्योकि गृह-सरकार ने नियर्ति को प्रतिवन्धित कर दिया था तथा कीमते भी काफी ऊँची हो गई थी। अत इंगलैण्ड भारतीय बाजार में स्थान खोता गया। भारत के आयात-व्यापार में उसका हिस्सा ६४.१% से घटकर १६१८ १६ में ४५.५% हो गया। सम्पूर्ण युद्धकाल को हट्टिगत रखन पर, उसका हिस्सा युद्ध-पूर्व औसत ६२.८% से घटकर युद्धकाल में औसतन ५६.५% रह गया। इससे तथा भारतीय बाजारों में जर्मनी के स्थान रिक्त करने से जो कभी हुई उसकी पूर्ति जापान और सयुक्त राज्य ने की। अब लोहा, इस्पात और कितने ही ऐसे सामान इन देशों से मिलाए जाने लगे। जापान से शीशे के बरतन, कपड़ा तथा कागज और सयुक्त राज्य से रंग सामग्री आने लगी।

जहाँ तक नियर्ति वा प्रश्न है, युद्धकालीन क्रय तथा निप्पक्ष एव शत्रु-देशों को नियर्ति करने पर लगे प्रतिवन्धों के कारण, कुछ समय के लिए इंगलिस्तान और ब्रिटिश कामनवेल्थ के साथ व्यापार बढ़ा। इसका कारण यह था कि मिट्राप्ट होने से इनको लाभदायक स्थिति प्राप्त हो गई थी। इसके अतिरिक्त ये युद्ध के अखाड़ों से काफी दूर भी थे। इनका नियर्ति भी भारत के साथ पर्याप्त मात्रा में था और इन्होंने भारत के साथ अपने सम्बन्ध स्थापित करने के प्रयत्न भी किये। इसके अलावा अन्यत्र औद्योगिक उत्पादन के लिए भारतीय माल की माँग भी घट गई थी। इस प्रकार कुल मिलाकर, भारत को युद्धकाल में अपनी सामग्री एक सीमित बाजार में भेजनी पड़ती थी। यह ठीक है कि इसके लिए उसे युद्ध पूर्व कीमतों से ऊँची कीमते मिली, किन्तु इनके बदले में उसे आयात पर कही अधिक मूल्य चुकाने पड़े।

२०. भारत के विदेशी व्यापार (१९१४-१८) की युद्धोत्तर प्रवृत्तियाँ—युद्धोत्तरकाल में इंगलैण्ड भारत के आयातों के सम्बन्ध में अन्त धूर्वस्थिति स्थापित कर ही रहा था कि फिर हास आरम्भ हो गया। १९३०-३१ और १९३१-३२ में कुछ राजनीतिक कारणों ने इसमें विशेष योग दिया।

भारत के आयात व्यापार में जापान और सयुक्त राज्य को भी थोड़ा-सा स्थान छोड़ना पड़ा। जापान के स्थान छोड़ने का कारण १९२०-२१ का वागिज्य-सङ्कट था। दोनों देशों के नियर्ति को प्रभावित करन वाला अन्य कारण पुराने प्रति-

द्विन्दियों का आगमन और पुरानी होड़ का प्रारम्भ था। जापान ने १९३६-३७ तक जो हिस्सा बढ़ाया था वह १९३७-३८ में घटने लगा। इसका प्रधान कारण चीन-जापान का युद्ध था। युद्धोत्तर-काल में, विशेष रूप से १९२२-२३ में, जर्मनी आश्चर्य-जनक शीघ्रता से अपनी पूर्वस्थिति स्थापित करने लगा।

निर्यात-पक्ष में इगलिस्तान से दूर हटने की प्रवृत्ति और भी निश्चित रूप से काम कर रही थी। यह उसके युद्धोत्तर भीसत में स्पष्ट रूप से लक्षित होती है, जो कि घटकर २४.२% हो गया जबकि युद्ध काल का ओसत ३१.१% था। धीरे-धीरे फिर वृद्धि होने लगी, जो १९२८ में पर्याप्त रूप से दृष्टिगोचर होने लगी और १९२८-२९ में २१.४% से बढ़कर १९३६-३७ में ३४.३% हो गई। बस्तुत इगलिस्तान का निर्यात आयात से बढ़ गया और अनुकूल व्यापारिक सञ्चुलन १८ करोड़ रुपये हो गया। निर्यात व्यापार में जापान की दशा में भी अपेक्षाकृत सुधार हुआ। उसका हिस्सा ७.२% से बढ़कर १५.७% हो गया (१९३४-३५)। उस देश के कच्ची कपास, धातुएँ, बोरे तथा लाख-जैसी वस्तुएँ अधिकाधिक मात्रा में भेजी गईं। बाद में भारत जापान को कम माल भेजने लगा तथा जापान का व्यापार भी विनियमित नियंत्रण द्वारा नियमित किया जाने लगा। इस प्रकार १९३६-४० में जापान का हिस्सा केवल ६.६ प्रतिशत रह गया।

२१. द्वितीय विश्वयुद्ध और उसके उपरान्त व्यापार की दिशा में परिवर्तन—स्पष्ट कारणों से युद्धकाल में यूरोपीय देशों से व्यापार प्राय घन्द हो गया। नियमित वस्तुओं का निर्यात बढ़ा और कच्चे माल का निर्यात घट गया। पहले से ब्रिटेन की कमज़ोर होती हुई स्थिति इस युद्ध से और भी बिगड़ गई। ब्रिटेन से किये गए आयात का मूल्य १९३८-३९ के ४६.५ करोड़ रु० से घटकर १९४२-४३ में २९.५३ करोड़ रु० हो गया।

१९४५-४६ में हमारा निर्यात २४०.३६ करोड़ रु० का था जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा ५५.५% था। इगलिस्तान का हिस्सा १९३८-३९ में ३४.१% था जो कि १९४५-४६ में घटकर २८.२% रह गया, परन्तु मूल्य ५५.५१ लाख रुपये से बढ़कर ६७.६१ लाख रु० हो गया। अन्य विदेशों में संयुक्त राज्य ने हमारे नियर्यात की साथे अधिक मूल्य की सामग्री खरीदी, जिसका मूल्य ६१.६२ लाख रु० था। इसका लगभग आधा मूल्य काजू के कारण था।

२२. भारत का सध्यागार (पुनर्निर्यात) व्यापार—सध्यागार व्यापार देश में आयात की गई सामग्री के पुनर्निर्यात को कहते हैं। जिस देश से पुनर्निर्यात किया जाता है वह केवल विनरण के केन्द्र का काम करता है। अति प्राचीन काल से भारत अपनी भीगोलिक स्थिति के कारण थोड़ा-बहुत पुनर्निर्यात करता रहा है। सुदूर-पूर्व सौर पश्चिम के थोक विश्वाम-स्थल की स्थिति में होने के कारण यह पूर्वी और पश्चिमी गोलांचों के केन्द्र का काम करता रहा। प्राचीन समय में इस प्रकार के व्यापार की मूल्य सामग्री के रूप में चीन से रेताम, चीनी मिट्टी के बर्तन, लकड़ से सोती, पूर्वी हीप-समूहों से मसाले और कीमती पत्तवर भेंगाए जाते थे, जो पश्चिमी देशों को भेजे (पुनर्निर्यात किये) जाते थे तथा वेनिस के शीशी तथा अन्य इसी प्रकार की सामग्रियाँ पश्चिम

से मौंगाकर पूर्वी देशों को भेजी जाती थी।^१ इधर हाल में भी भारत के पुनर्निर्यात व्यापार में कुछ बढ़ि दिखाई पड़ी। १९२०-२१ के बाद से यह व्यापार कमश घटने लगा। १९३३-३४ में पुनर्निर्यात व्यापार की दशा कुछ सुधरी और १९३२-३३ के ३२२ करोड़ रु० से बढ़कर (जो १९२०-२१ के बाद निम्नतम था) ३४२ करोड़ रु० हो गया। १९३५-३६ से और विकास हुआ—१९३८-३९ में एक बार घटने के बाद १९४०-४१ और १९४१-४२ में फिर कमश बढ़ता हुआ यह ११८१ करोड़ रु० और १५३३ करोड़ रु० हो गया। प्रमुख देशों के हिस्से इस प्रकार रहे—(१९४१-४२) संयुक्त राज्य ८%, बर्मा ८%, अद्यन तथा अन्य आधिकारिक देश ६%, और अरब ५%, एग्लो मिस्ट्री सूडान, ईराक और मिश्र ४%, लका ३%। पुनर्निर्यात व्यापार का अधिकास सिन्ध और बम्बई से होकर गुजरता था, जो कमश ४५% और ४३% व्यापार के लिए उत्तरदायी थे। इसके बाद बगाल का स्थान था जिसके द्वारा व्यापार होता था। १९५१-५२ में भारत के पुनर्निर्यात का कुल मूल्य १३,७५,७४,००० रु० था। १९५६-५७ में पुनर्निर्यात का मूल्य ५,४६,६८,००० रु० था।^२

पुनर्निर्यात व्यापार प्रधानतया मूर्ती कपड़ो-जैसी निर्मित वस्तुओं का है, जो पश्चिमी देशों से मौंगाई जाती हैं तथा जिन्हे ईरान, मुस्कान और पूर्वी अफ्रीका खरीदते हैं। पश्चिमी देशों को नियति की जाने वाली प्रधान सामग्री कच्चा चमड़ा और ऊन है। ईरान से प्राप्त होने वाला थोड़ा-सा समूर भी बम्बई से बाहर भेजा जाता है। वही से पहले वहीन और मुस्कात से आयात किये हुए मोर्ती भी बाहर भेजे जाते थे।

यह ठीक है कि भारत उन एशियायी देशों के लिए जिनके पास अपने बन्दरगाह नहीं हैं, पुनर्निर्यात का यांत्रिक चित् काम करता रहेगा, जिन्हे वर्तमानकालीन प्रत्यक्ष व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने की प्रवृत्ति को देखते हुए यह बहा जा सकता है कि पुनर्निर्यात व्यापार में भारत का भविष्य बहुत उज्ज्वल नहीं है।

२३ व्यापारिक सन्तुलन—इगलैण्ड के स्वर्णप्रमाण त्यागने के वर्ष (१९३१) से दिसम्बर १९३६ तक भारत से निर्यात किये जाने वाले स्वर्ण की कुल कीमत ३४१४० करोड़ रु० थी। स्वर्ण ने नियति ने निस्सारण (ड्रैन) की समस्या को जन्म दिया। स्वर्णीय श्री रानाडे तथा अन्य लेखकों ने इस आधार पर इसकी कटु आलोचना की कि यह अंग्रेजी सरकार के अपव्यय का परिणाम था।

व्यापारिक सन्तुलन की हाप्ति से द्वितीय विश्वयुद्ध के समय १९३६-४० में स्थिति फिर सुधरी। १९४१-४२ में जमानाकी १०७६ करोड़ रु० तथा १९४२-४३ में ११६४ करोड़ रु० रही। ये सह्याएं भारत में इगलैण्ड की सरकार द्वारा किये गए क्रयों की गणना नहीं करती, अत यह समझना चाहिये कि वास्तविक जमानाकी इनमें अधिक थी। अनुकूल व्यापारिक सन्तुलन १९४३-४४ में ८६१७ करोड़ रु० और १९४४-४५ में ५०६५ करोड़ रु० था। १९४५-४६ में अपक्षाकृत स्वनन्द आयात नीति के परिणामस्वरूप व्यापारिक सन्तुलन प्रतिकूल रहा। व्यापारिक सन्तुलन इसरे

^१ दत्तिप, क० 'राइ ट्रेड, ट्रेपिस्ट एण्ड ट्रान्सपोर्ट इन इंडिया', प० ६२।

^२ देखें, रेगिस्टरेक्ट एन्ड्रेव्ट, १९५६-५७, प० ७७०।

वर्ष किर ४१ करोड़ रु० से अनुकूल हो गया। मार्च, १९४६ में समाप्त होने वाले वर्ष में आयात मूल्य ५१८ करोड़ रु० और निर्यात-मूल्य ४२३ करोड़ रु० था। इस ६५ करोड़ रु० के अन्तर में पाकिस्तान का प्रतिकूल व्यापारिक सन्तुलन शामिल नहीं है। आयात-संख्याएँ भी निम्नानुमान ही हैं, क्योंकि उनका उचित मूल्याकान नहीं किया गया है। सितम्बर, १९४६ में लघु के अवमूल्यन के कारण निर्यात की प्रोत्साहन दिया गया तथा आयात पर कठोर प्रतिबन्ध लग गए हैं। इससे व्यापारिक घाटे की समस्या नियन्त्रण में आ गई है। भारत सरकार की बाद की नीति प्रधानतया लेन-देन की बाकी (बेलंस ऑफ पेरेंट) की प्रवृत्ति से अनुशासित हुई है। पहले तो समस्या यह थी कि आयात को इस प्रकार नियन्त्रित किया जाए कि लेन-देन की बाकी की कमी को समझौते द्वारा एक वर्ष में दिये जाने वाले पौँड-पावने से अधिक होने से रोका जाए। इस दृष्टि से आमात को एक नियन्त्रित सीमा के अंदर रखना आवश्यक था। किन्तु मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को कम करने के लिए आयातों के साथ उदार नीति बरतने की भी आवश्यकता थी, अतएव १९४८ के उत्तरार्द्ध में आयात-नियन्त्रण कुछ ढीला कर दिया गया। इसका दूसरा उद्देश्य औद्योगिक तथा उपभोक्ताओं की अत्यावश्यक सामग्री की कमी की पूर्ति करना भी था। परिणामतः आयात में पर्याप्त वृद्धि हुई। जूट और जूट-निर्भित वस्तुओं की अमरीकी मौंग घट जाने के कारण निर्यात में काफी कमी हो गई। इससे जुलाई, १९४८ से जून, १९४६ तक व्यापारिक सन्तुलन अत्यन्त प्रतिकूल हो चढ़ा और पौँड-पावने से लगभग ८१० लाख पौँड बापत किये गए। अतएव मई, १९४६ में उदार आयात नीति को बदलने के उपाय काम में लाए जाने लगे। ओपन जनरल लाइसेंस ११ नरम मुद्रा थेट्र (साफ्ट करेंसी एरिया) के लिए रद्द कर दिया गया। बिना लाइसेंस के नरम मुद्रा थेट्र से आयात की जा सकने वाली वस्तुओं की एक सजोधित सूची प्रकाशित की गई (ओपन जनरल लाइसेंस १५)।^१

पिछले दस वर्षों (१९३०-५१) से हमारा व्यापारिक सन्तुलन प्रतिकूल है।^२ द्वितीय पचासर्षीय योजनाकाल में भी व्यापारिक सन्तुलन प्रतिकूल रहा है, जैसा कि नीचे दी हुई तालिका से प्रतीत होता है:

द्वितीय योजनाकाल में व्यापारिक सन्तुलन
(करोड़ रु० में)

१९५६-५७	५७-५८	५८-५९	५९-६०	६०-६१	प्रत्यम ग्रन्थ वर्ष	
					प्रत्यम ग्रन्थ वर्ष	प्रत्यम ग्रन्थ वर्ष
आयात	१०६६.५	१२०४.२	१०४६.२	४७३.१	१२७०.३६	
निर्यात	६३५.२	५६४.७	५७६.१	२७२.६	८१३.२६	
व्यापारिक सन्तुलन	४६४.३	६०६.५	४७०.४	२००.५	४८७.२६	

१. देखिये, 'इन्द्रियन ईंश्वर बुक', १९४८, प० ३३१-३२।

२. देखिये, 'इंद्रियन फारेंस ट्रेड इन द कंट्रोल आफ इकनायिक ट्रेनिंगसेमिनर'—जी० एम० कुशवाहा, इंद्रियन जनरल ऑफ इकनायिस, जुलाई ५६।

द्वितीय योजनाकाल में आयात और निर्यात-सम्बन्धी अनुमान गवर्नर सिद्ध हुए। निर्यात की अपेक्षा आयात-सम्बन्धी अनुमानों में अधिक गलती हुई। अनएव योजना में काट-ढाई आवश्यक हो गई। इस स्थिति के लिए सुख्खनः खाद्य-सम्बन्धी कठिनाई तथा विकास-सम्बन्धी आवश्यकताएँ ही उत्तरदायी हैं, किन्तु कुछ अन्य कारण, जैसे स्वेच्छ का मकान, व्यापारिक नीति को बायोनिवन करने में प्रशासकीय कमियां आदि का भी हाथ है।

२४ भारत के स्थिति विवरण पत्रक (बैलेस शीट) में नामे और जमा की-मद्दें—एक समुचित लेन-देन के लेखे में आयात और निर्यात में विलक्षण ठीक-ठीक भलुलन होगा। इस बान की स्थष्ट रूप से पुष्ट हो जाएगी, यदि हम बैल इश्यमान लेन-देन (बैले आयात निर्यात-वर के विवरण में सम्मिलित तथा प्रकाशित आकड़ों में सम्मिलित मद) को ही न देखकर अहस्य मदों को भी ध्यान में रखें। अहस्य मद वे हैं जिनका कस्टम या अन्य प्रकाशित आंकड़ों में विवरण नहीं होता।

इसका कारण यह है कि सौदों का आयात अधिक होगा और निर्यात कम। दूसरे, विकाम हेतु लिये गए क्षणों व उनके व्याज की अदायगी तथा विदेश-भ्रमण के मद को सर्व दृढ़त बड़ी राशि है। विदेशी क्षणों की सहायता से देन में आयात उद्योगों की स्थापना के बाद निर्यात म वृद्धि होत तथा क्षण और व्याज की अदायगी बढ़ होने के पश्चात् सम्भवत परिस्थिति बदल जाएगी, किन्तु इनमें समय लगेगा।

२५ देश का (भौमिक) सीमान्त व्यापार—भारत की भूमि-सीमा १००० मील लम्बी है। पर्दिमोत्तर और उत्तर-मूर्द्य तक फैली यह सीमा-रेखा उसकी तटीय रेखा से अधिक लम्बी है, किन्तु घन, अनेक जगलों और दुगम पहाड़ों के कारण व्यापार म अनेक वाधाएँ पहनी हैं। दर्रों की कमी के कारण सीमाप्रान्त देनों ने मचार कठिन था। हम भारत की पुरानन भूमि के स्वभाव और व्यापार की ओर निर्देश कर चुके हैं। मुगल काल में विदेशी व्यापार काझी जौर से चल रहा था।

स्वतन्त्रता के पश्चात् १९४७ में भारत के सीमा व्यापारों में एक मुख्य परिवर्तन हुआ। अफगानिस्तान और ईरान के साथ पाकिस्तान भी इन व्यापार का अग्र दृग गया। सीमा के निकटवर्ती स्थानों से तिक्कन, नपाल, सिक्किम और भूटान से अब भी व्यापार होता है।

पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से मुख्य बच्चा जूट, बच्ची बगाल, चमड़ा भाँत तान, फन और तरक्कारिया, नमक आदि का आयात तथा दोयला और कोक, मूनी कपड़े, रेशम की बनी वस्त्रों, ममाले, चाय आदि का निर्यात होता है। तिक्कन, नपाल, सिक्किम और भूटान को तून और मूती कपड़े, रजक पदार्थ, लाहे और इसान का सामान, चीनी, चाय आदि का निर्यात तथा बानवरों की खाले, रम्बाहू, बच्ची जन, निलहन आदि का आयात होता है।

२६ अस्तराएँ व्यापार और आर्थिक समृद्धि—भारत के व्यापार का आकार इनना अधिक है जिसे विदेश के दशों में पांचवां स्थान प्राप्त है।^१ निकट भूतकाल में भारत १. अपनी व्यक्ति व्यापार में भारत लगभग हमें नीचे है। सप्तशता भरत दैनी जनसूखा बने दश

की व्यापारिक वृद्धि को, जो रेलवे-प्रसार तथा सामुद्रिक सुविधाओं का परिणाम है, देश की श्रोतोगिक प्रमुखता का चिह्न न मानना चाहिए बरन् उसका प्रथम आवश्यक चरण मानना चाहिए।^१

अदायगी शेष तथा निर्यात उन्नति के साधन—विदेशी सहायता के बहुत अधिक हो जाने पर भी अदायगी शेष खराब होती गई। रिजर्व बैंक के पास विदेशी मुद्रा का भण्डार ७८५ करोड़ रुपये तक रह गया और दूसरी पचवर्षीय योजना में यह गिरकर १८६ करोड़ रुपये रह गया। तीसरी पचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में अदायगी शेष की स्थिति और भी खराब रही यद्यपि हमने अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से १३१ करोड़ रुपया लिया। १९६३-६४ में कुछ हालत सुधरी, व्योकि निर्यात १२० करोड़ रुपया बढ़ा और आयात १२६ करोड़ रुपया। विदेशी सहायता २२०० करोड़ रुपये के लगभग ली गई। इसके लेने के बाद भी १९६५-६६ में अदायगी शेष की हालत खराब रही। ऐसी स्थिति लाली अन्त तथा अन्य वस्तुओं के आयात होने के कारण हुई।

तीसरी योजना में व्यापारिक नीति का सदसे बड़ा लक्ष्य योजना को सफल बनाना था। इसके लिए नियर्ति को बढ़ाना, जिससे विदेशी पूँजी बढ़ाइ जा सके, तथा निर्यात वस्तुओं के बनाने वाली फर्मों को सुविधाएँ देना था। आयात वस्तुओं और व्यापक माल की जगह स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन करना, जिससे आयात की मात्रा कम हो सके। जहाँ तक हो सके कम आवश्यकता वाली वस्तुओं का आयात बन्द किया जाए और दुलंभ वस्तुओं का वितरण बराबर मात्रा में हो।

तीसरी योजना में नियर्ति का लक्ष्य ७४० से ७६० वर्षीय रेखा गया और इसकी पूर्ति के लिए उत्पादन को प्रोत्साहन देना, यातायात के अच्छे साधन और वस्तुओं को अच्छी कोटि का बनाना था। मई १९६२ में बोर्ड ऑफ ट्रेड (Board of Trade) की स्थापना हुई। इस बोर्ड ने अनेक समितियाँ तथा स्वदेशी वस्तुओं को सर्वेंश्रिय बनाने का प्रयत्न किया है। अब तक १८ के लगभग समितियाँ बना दी गई हैं जिससे वस्तुओं का नियर्ति बढ़ सके। इन वस्तुओं को सर्वेंश्रिय बनाने के लिए बोर्ड बनाये गए हैं। इस प्रकार हैंडीक्राफ्ट तथा हाथकरघा नियर्ति कारपोरेशन (Handicrafts and Handloom Export Corporation) और इंडियन चलचित्र कारपोरेशन (Indian Motion Pictures Export Corporation) देश के नियर्ति को उत्पादने में लगी है। एक नियर्ति नियीकण सलाहकार कोसिल (Export Inspection Advisory Council) अगस्त १९६४ में सूती कपड़े के नियर्ति को बढ़ाने के लिए सूती कपड़ा उद्योग की कमेटी बनाई गई। नियर्ति के लिए साथ भी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक

में प्रति व्यक्ति व्यापारिक वृद्धि में उत्पादन परिवर्तन होने के लिए यह आवश्यक है कि उसका व्यापार यहूत अधिक मात्रा में दढ़े। यह देखा जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय विनियम वडे देशों की अपेक्षा दोषे देश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

^१. देविप, खण्ड २, अध्याय ५, इकाईमिक द्रावनीशन इन इंडिया।

तथा स्टेट बैंक सविधान को परिवर्तित किया गया। एक नियंत्रित साल और भारतीय कारपोरेशन भी बनाई गई है। एक डाइरेक्टोरेट ऑफ एक्जीबीशन (Directorate of Exhibition) तथा इंडियन इनस्टीट्यूट ऑफ कॉरेन ट्रेड देश के नियंत्रित को बढ़ाने में जुटे हुए हैं।

इन सबके बाद भी अदायगी शेष की हालत खराब है। देश की बस्तुओं का नियंत्रित चौथी पचवर्षीय योजना में कुल ५१०० करोड रुपये होगा। इसके मुकाबले में बस्तुओं का आयात पाँच वर्षों में पी० एल० ४८० के आयात को छोड़कर ७२०० करोड रुपये का होगा। इस प्रकार बस्तुओं के लेखे में घाटा रिक्त (Deficit) २१०० करोड रुपये होगा। इस व्यापार तथा सिद्धान्त की अदायगी पर ११०० करोड रुपया देना होगा। इस प्रकार अदायगी शेष की समस्या को दूर करने के लिए ३२०० करोड रुपये की विदेशी सहायता की आवश्यकता होगी।

आन्तरिक व्यापार

२७. (१) तटीय व्यापार—भारतीय तटीय व्यापार को भारतीय जलयानों के लिए सुरक्षित करने के सम्बन्ध में हम उसको (तटीय व्यापार की) वर्तमान स्थिति और भावी महत्ता देख आए हैं। तटीय व्यापार को देश के आन्तरिक व्यापार का अग्रमानना चाहिए, यद्यपि इसमें थोड़ा सा विदेशी व्यापार भी शामिल है।

साहिकीय सामग्री एकत्रित करने के लिए भारतीय टट को अप्रैल १९५७ से नियन्त्रित ६ क्षेत्रों में बांटा गया है—(१) पश्चिमी बगाल, (२) उड़ीसा, (३) आनंद प्रदेश, (४) मद्रास, (५) केरल, (६) मैसूर, (७) बंगलुरु, (८) अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह तथा (९) लका द्वीप, मिनिकाय और अमिनदिवी द्वीपसमूह। १९५६-५७ में तटीय व्यापार का कुल मूल्य ३४३ करोड रु० था। इसमें १८० करोड रु० का आयात और १६३ करोड रु० का नियंत्रित शामिल था। आयात में १६१ करोड रु० से अधिक का व्यापार विभिन्न क्षेत्रों के बीच तथा १० करोड रु० का क्षेत्र के अन्दर व्यापार शामिल था। १९५७-५८ (अप्रैल दिसम्बर) में तटीय व्यापार के आयात-नियंत्रित का मूल्य कमश्य ११४, १८ लाख रु० तथा १२३, ०७ लाख रु० था तथा तटीय व्यापार का कुल मूल्य २३७, २५ लाख रु० था।

भारत के तटीय व्यापार को पूरी तरह विकसित करने के लिए बन्दरगाहों का विकास वे विस्तृत योजना, भारतीय व्यापारिक जहाजरानी का नियंत्रण और तटीय तथा रेल के यातायान का समुचित संयोजन आवश्यक है। लेकिन इस विषय पर हम विस्तृत रूप से प्रकाश डाल आए हैं।^१

२८. (२) आन्तरिक व्यापार—देश के आधिक विकास एवं सगठन के साथ ही आन्तरिक व्यापार नी बढ़ता जाएगा, यद्यपि इससे देश के गाँवों और नगरों में सम्पर्क और भी घनिष्ठ हो जाएगा।

यह सच है कि नियति के बाद जो बच जाता है वह संबंध वित्तीय के लिए नहीं होता, क्योंकि उत्पादन का एक हिस्सा स्वयं उत्पादकों द्वारा उपयुक्त होता है। उदाहरणार्थ, किसान अपने द्वारा उत्पन्न खाद्य-सामग्री के एक बड़े भाग का स्वयं उपभोग करते हैं। भारत के आन्तरिक व्यापार का महत्वाकांत इस बात से हो सकता है, "प्रत्येक १ एकड़ जमीन—जिससे उत्पन्न अन्न, तिलहन, कपास और चाय का नियति होता है—की तुलना में ११ एकड़ जमीन से उत्पादित सामग्री स्थानीय उत्पादकों द्वारा उपयुक्त होती है।"^१ उत्पादकों द्वारा उपयुक्त इस कृषि-उत्पादन के साथ ही खनिज पदार्थों-जैसी सामग्रियों को, जिनका अल्पांश ही बाहर भेजा जाता है, घान में रखना होगा।

विश्वसनीय आंकड़ों के अधार में भारत के आन्तरिक व्यापार के आकार की कोई निश्चित रूपरेखा प्रस्तुत नहीं की जा सकती और न विदेशी व्यापार से तुलना ही की जा सकती है। १९२०-२१ के 'इनलैंड ट्रेड ऑफ़ इण्डिया' के आधार पर इसका मूल्य लगभग १५०० करोड़ रु० आंकड़े प्रकार बाह्य^२ और आन्तरिक व्यापार में १ २५ का अनुपात स्थापित किया जा सका।

राष्ट्रीय नियोजन समिति (नेशनल प्लानिंग कमेटी) की व्यापार-सम्बन्धी उप-समिति के अनुमान के अनुसार १९४० में देश के आन्तरिक व्यापार का मूल्य ७०००० करोड़ रु० के लगभग था, जबकि बाह्य व्यापार ५००० करोड़ रु० के बराबर था। आन्तरिक व्यापार-सम्बन्धी आंकड़े एकत्रित बरने की हृष्टि से भारत को ३६ व्यापारिक क्षेत्रों में बांटा गया है, जो मोटे तौर पर भारत-संघ के पहले के राज्य तथा बम्बई, कलकत्ता, कोचीन और मद्रास के बन्दरगाहों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं।

जो सख्तीं प्राप्त हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि देश वे आकार और जनसंख्या को देखते हुए आन्तरिक व्यापार की मात्रा कम है।^३ २६ भारत के प्रधान व्यापारिक केन्द्र^४—इस सम्बन्ध में पहले तीन प्रमुख बन्दरगाह कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का नाम लिया जा सकता है। कलकत्ता और बम्बई के बीच प्रधान बन्दरगाह ही नहीं है बल्कि व्यवसाय के भी प्रधान केन्द्र हैं। इसके अतिरिक्त बम्बई पाल्चात्य देशों की वस्तुओं का इस देश में प्रधान वितरक भी है। बम्बई का व्यापार प्रधानतया भारतीय हाथों में है, जबकि कलकत्ता का व्यापार अधिकतर पाल्चात्यों (यूरोपीयों) द्वारा नियन्त्रित है। मद्रास भी एक प्रधान व्यापारिक केन्द्र है, किन्तु इसकी तुलना बम्बई और कलकत्ता से नहीं की जा सकती। इन प्रधान^५

१. देखिए 'दि इकानामिक रिसोर्सेज आक दि विदिश अभ्यायर', स० बार्मिक, प० १४५।

२. केंद्रीय शाह के भूमि में यह एक निम्नानुपात है और वह भारत के आन्तरिक व्यापार का मूल्य २५००० करोड़ रु० आकर्ते हैं। 'ट्रैड एरिया एण्ड ट्रान्सपोर्ट', प० १२२।

३. देखिये, सी० इल्लू० ई० काट्टन, 'हैण्डबुक आक कमर्शियल इनकारमेशन फॉर इण्डिया', तृतीय संस्करण, प० ६२-६३ तथा खण्ड १, अध्याय ३।

४. इन असुख बन्दरगाहों के अतिरिक्त निम्न बन्दरगाह भी महत्वपूर्ण हैं—कोचीन, गोवा, चिट्ठाव और विनगाप्पम तथा काठियावाड में वेदी, ओशा, पोरबन्दर और भाबनगर।

बन्दरगाहों के अतिरिक्त दिल्ली, अहमदाबाद, अमृतसर, आगरा, लाहौर, बनारस, कानपुर, लखनऊ और नागपुर भी व्यापार के बड़े केन्द्र हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश का एक प्रधान रेलवे जक्षन है तथा बम्बई और कलकत्ता के बीच स्थित है। इस प्रकार यह विदेशी और गृह वस्तुओं के वितरण का भी केन्द्र है। दिल्ला, जोकि भारत की राजधानी है, ६ रेलवे लाइनों का जक्षन है और पजाब तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी ज़िलों का निकास-गृह है—विशेषकर मूर्ती, रेशमी और ऊनी कपड़े की वस्तुओं में। बम्बई के बाद अहमदाबाद सबसे प्रधान नगर है। अमृतसर पुनर्निर्यात का ही प्रधान केन्द्र नहीं है, वल्कि यहाँ कपड़े का भी काफी व्यवसाय होता है। यह दरी और कालीनों के लिए भी मशहूर है। आगरा दरी, कालीन, पत्थर का काम और जरी के अतिरिक्त चमड़े के सकलन का भी एक प्रधान स्थान है। पजाब के कृषि-उत्पादन के व्यापार का प्रधान केन्द्र लाहौर है। बनारस रेशम की बुनाई का केन्द्र है। लखनऊ अवध के कृषि-उत्पादन को एकत्र और वितरित करता है। नागपुर का व्यावसायिक महत्त्व बुनाई, कपास और टोटने तथा दवाने की मिलों और फंकिट्रों के कारण है तथा यहाँ समीप ही मैगनीज की खाने भी हैं।

३० व्यावसायिक ज्ञान तथा व्यापार-सगठन^१—व्यापार-आयुक्त विदेशों में नियुक्त किये जाते हैं और दूतों को विदेशों में रखा जाता है, जिनका प्रधान कार्य स्वदेश को विदेशों की व्यापारिक सूचना देना होता है। इन सब बातों से भारत भ्रमी पूर्णतया सञ्ज्ञित नहीं है। यद्यपि वाणिज्य सूचना विभाग का जन्म १६०५ में ही हो गया था, फिर भी सरकार के पास जनता या व्यक्तियों तक वाणिज्य सूचना प्रसार के लिए कोई माध्यम नहीं था। इस समय स्थिति कुछ अधिक सन्तोषजनक है। १६२२ में पुनर्संगठित वाणिज्य सूचना तथा साहियकीय विभाग भारत सरकार और व्यावसायिक जनता के बीच की कड़ी का काम करता है। इसके दो प्रकार के काम हैं (१) समुद्र-पार व्यापार की वे सूचनाएँ, जो भारतीय व्यापार के लिए हितकर हो सकती हैं, उनका सकलन एवं वितरण, (२) व्यापार और उद्योग आदि से सम्बन्धित अखिल भारतीय भवत्व के आँकड़ों का एकीकरण और प्रकाशन। इस विभाग से पूर्व-तार्थ का जवाब दिया जाता और (विभाग के साप्ताहिक अग) 'इण्डियन ट्रेड जनरल' प्रकाशित किया जाता था। यह इण्डियन के उत्तर व्यापारिक विभागों के सम्पर्क में भी रहता है जो भारत के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। इसके लिए विभिन्न देशों में भारतीय व्यापार आयुक्त नियुक्त किये गए हैं। इस विभाग का काम भारत के उद्योग-सचालकों ल-दन तथा अन्य देशों में स्थित भारतीय व्यापार-आयुक्तों, अग्रेजी व्यापार आयुक्त तथा अन्य देशों के व्यापारिक अफसरों के सहयोग से होता है तथा इसका उद्देश्य समुद्र-पार के बाजारों में भारतीय उत्पादन और निर्माण की माँग को बढ़ाना है। १६२० से नियुक्त लन्दन-स्थित भारत के उच्च आयुक्त को वितने ही विविध वित्तीय काम दे दिये गए हैं, जिनमें से सरकारी भण्डारों की खरीद सबसे महत्त्वपूर्ण

^१ देखिये, सेक्शन २६-७ के साथ ही सेक्शन ११-१२।

है। अतः चह बाहरी देशों में भारत के वाणिज्य हितों को अधिक प्रोत्साहन देने में असमर्थ है।

उपर वर्णन किये गए संगठन का प्रधान काम बाह्य देशों में विदेशी वस्तुप्रीं के लिए भारतीय बाजारों में सम्भावनाओं की सूचना का प्रसार करना है। इस प्रचार को अन्य समठनों से, जो विदेशी बाजारों में भारतीय वस्तुप्रीं की सम्भावनाओं और माँगों की सूचना हैं, पूरा करने की भी आवश्यकता है। भारत सरकार ने टैक्स-टाइल टेरिफ बोर्ड (१९२६) के सुझाव पर विदेशी बाजारों में भारतीय सूती वस्त्रों की माँग का पता लगाने के लिए १९२८ में एक व्यापारिक जिष्ट-मण्डल (ट्रेड मिशन) नियुक्त किया है। इस दिशा में यह पहला कदम था।^१ मिशन की रिपोर्ट में सोम्बासा, अलबजे-पिंडिया तथा हरबन में तीन व्यापार-आयुक्तों की नियुक्ति का सुझाव रखा गया। तब से भारतीय व्यापारिक एजेंसी और दूत सेवाओं की स्थापना हो चुकी है। अफगानिस्तान, इगलिस्तान (यू० के०), आयरलैण्ड, जर्मनी, फ्रास, ब्राजील, पाकिस्तान, ईरान, जापान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड कनाडा, न्यूफाउण्डलैण्ड, बर्मा, मिश्र और लका में व्यापार-आयुक्त नियुक्त किये जा चुके हैं। अन्य देशों में शीघ्र ही व्यापार-आयुक्तों की नियुक्ति की सम्भावना है।

३। भारत के वाणिज्यिक संगठन—सदसे अच्छे और सुसंगठित गैर-सरकारी व्यावसायिक संगठन यूरोपीय सौदागरों द्वारा बनाये गए। असीजियेटेड चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इण्डिया तथा कलकत्ता (१९३४), बम्बई (१९३६), मद्रास (१९३६) और कानपुर तथा अन्य केन्द्रों के वाणिज्य-मण्डल इसके उदाहरण हैं। उनकी सदस्यता अभी हाल तक प्रधानतया यूरोपीयों की थी, यद्यपि यह भारतीयों के लिए भी खुली थी। यह पाइचात्य व्यापारियों का भारत और पश्चिम के बीच व्यापार-सम्बन्ध स्थापित करने का स्वाभाविक परिणाम था। इस समय किसने ही विशुद्ध भारतीय संगठन हैं, जैसे बगाल राष्ट्रीय वाणिज्य मण्डल (बगाल नेशनल चेम्बर ऑफ कॉमर्स) (१९३७) जो कि भारतीय व्यावसायिक समुदाय का सदसे पुराना संगठन है, भारतीय व्यापार-मण्डल और वार्यालिय (इण्डियन मर्चेन्ट्स चेम्बर एण्ड व्यूरो) बम्बई (१९०७), दक्षिण भारत वाणिज्य मण्डल (सदन इण्डिया चेम्बर ऑफ कॉमर्स) मद्रास (१९०६), भारतीय वाणिज्य-मण्डल (इण्डियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स) लाहौर (१९१२), भारतीय वाणिज्य-मण्डल (इण्डियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स) कलकत्ता (१९२५), महाराष्ट्र वाणिज्य-मण्डल बम्बई (१९२७) तथा यू० पी० व्यापार-मण्डल (१९३२)। एक अखिल भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल संघ भी है।^२

इन सदसे भारतीय व्यावसायिक मत को प्रकट करने में बड़ी सहायता प्राप्त हो सकती है तथा व्यापारिक और औद्योगिक विकास से सम्बन्धित समस्याओं पर

१. देखिये, पीछे ० २७, और इण्डिया इन १९२८-२९, प० १६८।

२. विस्तृत विवरण देखिये, कॉटन, पूर्वोद्धृत, भाग ४।

सरकार को राय दी जा सकती है। विभिन्न संगठन अपने हितों से सम्बन्धित मन प्रस्तुत करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, फेडरेशन ऑफ इण्डियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री, उद्योगों का मत सरकार के सामने प्रस्तुत करता रहता है। विभिन्न उद्योगों के संगठन इसके सदस्य हैं। पवर्पर्यि योजना, करारोपण तथा सरकार द्वारा की जाने वाली किसी आर्थिक जांच के सम्बन्ध में उपर्युक्त संस्था उद्योगों का मत भली प्रकार प्रस्तावित और प्रचारित करती रहती है।



अध्याय २०

व्यापारिक समझौते

१. साम्राज्य अधिमान (इम्पीरियल प्रेफरेंस) भारतोत्तर का इतिहास—१६०२ में हुए श्रीपनिवेशिक सम्मेलन ने साम्राज्य अधिमान की ऐसी रूपरेखा तैयार की, जो साधारणतया साम्राज्य के हर भाग में लागू होती थी। अत अधिमान-कर (प्रेट्रिटेन के पक्ष में) न्यूज़ीलैण्ड, साउथ अफ्रीका (१६०३) और बाद में आस्ट्रेलिया द्वारा समाप्ति गए। आशा की जाती थी कि प्रेट्रिटेन भी इसका प्रतिदान करेगा और उन देशों को अधिमान देगा, लेकिन उस समय इंगलैण्ड अपनी स्वतन्त्र व्यापार-नीति को छोड़ने के लिए तैयार न था। वह मुख्यतया खाद्यान्न और कच्चे माल का आयात करता था और उसका इष्टिकोण यह था कि निर्मित वस्तुओं के नियति को कायम रखने के लिए आवश्यक है कि वह सबसे सस्ते बाजारों में खाद्यान्न और कच्चा माल खरीदे—विशेष रूप से खाद्यान्न के प्रश्न में वह अपने 'सब अडे साम्राज्य रूपी एक टोकरी में रखने के लिए' किसी भी कीमत पर तैयार न था। इस प्रकार उनके आयात-नियति-कर में (१) आगम (रेवेन्यू) कर, (२) सरकारी-कर और (३) इंगलिस्तान के प्रति एव उसके पक्ष में तथा कभी-कभी भारत तथा साम्राज्य के अन्य देशों के पक्ष में भी करों में दी गई दूष समिलित थी। वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी थी जिसमें उन वस्तुओं का नाम था, जिन पर साम्राज्य के बाहर से आने पर ही कर लगता था। साधारणत अधिमान का उद्देश्य ब्रिटेन को लाभान्वित करने का रहा है और साम्राज्य के अन्य देशों से इस विषय पर अलग समझौते करने होते थे। १६१४ से इंगलैण्ड ने सरकारी की और कदम उठाए तथा साम्राज्य-उत्पादित कुछ वस्तुओं को अधिमान देने लगा। विन्तु कर-सम्बन्धी यह अधिमान कुछ वस्तुओं तक ही सीमित था। १६३२ (मार्च) में आयात-कर अधिनियम (इम्पोर्ट इंडुस्ट्रीज एक्ट) पास होने पर ब्रिटेन ने स्वतन्त्र व्यापार-नीति को श्रीपाचारिक रूप से त्याग दिया। साम्राज्य अधिमान की इष्टि से यह अस्तन्त महत्वपूर्ण घटना थी।

२. साम्राज्य अधिमान के प्रति भारत का दृष्टि—साम्राज्य अधिमान को अपनाने में भारत की अनिच्छा अशत राजनीतिक कारणों के फलस्वरूप थी।

निम्न कारणों से साम्राज्य अधिमान से भारत को कोई आधिक लाभ भी नहीं था—

(१) भारत का नियति प्रधानतया खाद्यान्न और बच्चे माल तथा आयात निर्मित वस्तुओं का था। (२) १६१४ के पूर्व उसके सम्पूर्ण आयात का दो-तिहाई ब्रिटिश साम्राज्य से आता था, जिसमें सबसे बड़ा भाग इंगलिस्तान था था।

(३) १९१४-१५ के युद्ध के पहले भारतीय निर्यात के ४०% की समत विटिंग साम्राज्य में होनी थी, जैसे (अधिकार) अन्य देशों को भेजा जाना था। कुल निर्यात का २५% के बल इग्लिस्तान को ही भेजा जाता था। (४) प्रथम विश्व-युद्ध के उपरान्त आयात-निर्यात दोनों में ही, परन्तु मुख्यतया आयात में ड्रिटेन और अन्य कॉमन-वेल्थ देशों का महत्व घटता गया।

१९०३ में भारत सरकार ने यह मत प्रकट किया कि "आर्थिक हार्दिक साम्राज्य को भारत से बहुत योड़ा लाभ हो सकता है तथा इसके बदले में भारत को कम या कुछ भी लाभ नहीं होगा और बहुत कुछ खोने की सम्भावना है।"

३. ग्रोटावा-समझौता—जुलाई और अगस्त, १९३२ में ग्रोटावा में हुए साम्राज्य आर्थिक समझौते हुए। भारत ने भी साम्राज्य अधिमान की इस विस्तृत योजना में भाग लिया, जिसके प्रति वह कड़ा विरोध प्रकट कर चुका था। भारतीय आयात-निर्यात-कर (ग्रोटावा व्यापारिक समझौता) सशोधन अधिनियम (दिसम्बर, १९३२) ने २० अगस्त, १९३२ में भारत और इण्डियन के बीच हुए सावारण व्यापारिक समझौते के अन्तर्गत आयात-निर्यात-कर सम्बन्धी आदेशक परिवर्तनों को लागू किया।^१ कर-सम्बन्धी ये परिवर्तन १ जनवरी, १९३३ से लागू हिये गए। लोह और इस्पात के सम्बन्ध में एक पूरक समझौता २२ सितम्बर, १९३३ को किया गया।

४. ग्रोटावा समझौता पक्ष—१९२६ में शारम्भ होने वाले आर्थिक सकट की प्रथम दशा में सभी मूल्यों में भारी कमी हुई, लेकिन यह सापेक्षिक कमी बच्चे माल के सम्बन्ध में अधिक थी।

अन्य देशों में भी उत्पादन बढ़ रहा था—विदेशी निर्यातक, जो १९१४-१५ के युद्ध के पहले अपेक्षाकृत नगण्य थे, अब सबल प्रतिद्वन्द्वी सिद्ध हो रहे थे। हमारे निर्यात की कुछ प्रधान वस्तुओं ने भी प्रनिवृद्धिता का अनुभव किया, जैसे तिलहन, कपास, सादानन, लड्डी इत्यादि। किंतु ही यूरोपियन देशों तथा सदुक्त राज्य द्वारा उष्ण और अर्थ-उद्धग देशों में अपने उपनिवेशों की उत्पत्ति की मांग बढ़ान की नीति का अनुसरण करने से स्थिति और विषम हो गई। एक अन्य कारण सदिश्ट विकल्पों (सियेटिक सदिश्टट्यूट्स) का शीघ्र विकास था। इनसे भारत के निर्यात की कुछ प्रमुख वस्तुओं की मांग घट गई। इसके अनिरिक्त किंतु ही देशों ने 'आर्थिक एकान्वाद' (इकनॉमिक आइसोलेशन) की नीति का अनुसरण किया और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के स्वतन्त्र प्रवाह पर आयात-निर्यात कर, विदेशी विनियम कर, कठोर नियन्त्रण एवं अन्य अनेक प्रतिवन्य लगाए तथा बिंटजेण्ट और कोटा सिस्टम को अपनाया।

१. १९३३ में भारत के प्रतिनिधियों द्वारा साम्राज्य आर्थिक सुनेटन के सुभच यह नन पुनः दुहराया गया।

२. देविप्र, असान १३, नेवरान ४, जिटेन के लिए सामदादक अधिनाल-कर भारत लोडा-इन्पान ऐच्छा की सुरक्षा के लिए भीकार किये गए। देविप्र, असान ३, सेवन ११ और २५।

इसी बीच (सितम्बर, १९३१) ग्रेट ब्रिटेन ने स्वर्ण-प्रमाप का परित्याग कर दिया। इससे भारत तथा साम्राज्य के प्राय सभी देश पौण्ड से सम्बद्ध हो गए। ऊपर बताये गए आयात कर अधिनियम (१९३२) के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन में कितनी ही वस्तुओं—कुल आयात का लगभग तुँ भाग —पर कर लगा दिया गया, यद्यपि साम्राज्य की वस्तुओं को इस कर से मुक्ति देने की व्यवस्था की गई थी। शार्ट यह थी कि वे देश (डोमिनियम और भारत) ब्रिटेन से समझौता कर लें। इन सबका अन्त ओटावा समझौता के रूप में हुआ। फास और जर्मनी जैसे अन्य देश मुद्रा-सम्बन्धी कठिनाइयों से ग्रस्त थे। स्टॉलिंग समूह के देश अपेक्षाकृत इन कठिनाइयों से मुक्त थे। अत इनसे व्यापार के सुधारवस्थित और अबाध गति से चलते रहने की सम्भावना थी।

१९३१ से १९३४ के बीच अधिमान-सूची की कुल वस्तुओं का आयात इंग्लिस्तान में २२ प्रतिशत घट गया। इस सकुचित होने वाले बाजार में भारत के आयात में वृद्धि हुई। भ्रतः यह निष्कर्ष स्वाभाविक ही था कि इसमें साम्राज्य अधिमान का हाथ अवश्य रहा होगा। गैर-अधिनियम वाली वस्तुओं के निर्यात में प्रसार होना अधिक आइचर्य की बात नहीं थी, यदोकि इन वस्तुओं को कोई कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता था। यही कारण था कि इन्हे अधिमान-सूची में सम्मिलित नहीं किया गया था। गैर-अधिनियम समूह की वस्तुओं में कुछ और भी अनुकूल प्रभाव कियाशील थे, जिनसे इनकी मांग बढ़ गई। उदाहरणार्थ, कपास की मांग की वृद्धि अधिकांशत खाकाशायर की भारतीय कपास समिति के प्रचार के कारण थी। रबर में होने वाली वृद्धि का कारण प्रतिवन्ध योजना थी। धातुओं की मांग की वृद्धि भारी उद्योगों की बढ़ती हुई कियाशीलता के कारण थी। लाल की मांग की वृद्धि के कारण लदन गुट (रिंग) के परिकल्पनात्मक (स्पेक्युलेटिव) त्रय थे।

समझौते के आलोचकों वा यह तर्क, कि इग्लिस्तान से हमारे नियति-व्यापार की वृद्धि व्यापार के प्रवाह-परिवर्तन के कारण थी, इस विषयी तर्क से कट जाता है कि इग्लिस्तान को किये जाने वाले नियर्यात की वृद्धि ओटावा समझौते के कारण मानी जा सकती है। परन्तु अन्य देशों को होने वाले नियर्यात की कमी का तो ओटावा समझौते से कोई सम्बन्ध नहीं था, यदोकि इसका कारण तो उन देशों द्वारा अपनाई गई आत्म-निर्भरता की नीति थी। बास्तव में इस प्रतिबन्धात्मक नीति के फलस्वरूप हुई व्यापार की हानि, जिसे भारत और इंग्लैंड दोनों ही ने उठाया, ओटावा समझौते के समर्थन का प्रमुख आधार है। इसमें सन्देह नहीं कि तब तक भारत अपने दो-तिहाई नियोति ब्रिटिश साम्राज्य से बाहर ही बैचता था, परन्तु विदेशी बाजारों पर अधिकार बनाए रखना उसके लिए कठिन होता जा रहा था। अतएव अधिमान-न्यूनता आत्म-रक्षा के रूप में भारत द्वारा अपनाई गई। ओटावा समझौता के विरुद्ध एक यह भी तर्क दिया जाता था कि इससे भारत के विदेशी ग्राहक उससे बदला लेना शुरू बर्देंगे। परन्तु विदेशों द्वारा लगाये गए व्यापारिक प्रतिबन्ध के बल भारत के लिए ही नहीं बरन् पर्भी देशों के लिए थे। व्यापार की ये नवीन नीतियाँ नये उद्देश्यों से प्रेरित थीं और इन् किसी भी हालत में ओटावा समझौते की विरोधी प्रतिक्रिया नहीं कहा

जा सकता ।

५. ओटावा समझौता विषय—विरोधियों ने ओटावा समझौते का मुख्यतया इस अधिवार पर विरोध किया कि वह जान-बूझकर भारत के व्यापार की स्वाभाविक प्रगति को भिन्न दिशा में मोड़ देगा जिससे भारत को गम्भीर क्षति पहुँचेगी । कुछ वस्तुओं को दिया गया अधिमान एकदम अनावश्यक था । उदाहरण के लिए चाय का व्यापार चाय के प्रधान उत्पादकों, जैसे जावा, सीलोन और भारत, द्वारा 'चाय प्रतिवर्ध योजना' अपनाने के फलस्वरूप हुए व्यापारिक समझौते के बारण भली प्रकार चल रहा था । उन वस्तुओं के सम्बन्ध में अधिमान विकुल व्यर्थ था जो स्वयं बाजार में प्रधान स्थान की अधिकारी थी, उदाहरणार्थ जूट-निर्मित वस्तुएँ, बकरी के चमड़े, रेडी बेनीज, लाल, आंकड़ा, अभक इत्यादि । अन्य वस्तुओं के प्रसार की सम्भावना बहुत कम थी । इसके कई कारण थे—(१) साम्राज्य के अन्य देशों की प्रतिस्पर्धा, उदाहरण के लिए सिखे चमड़े में आस्ट्रेलिया, मूँगफली में ब्रिटिश दिल्ली अफ़्रीका, चटाईयों में लका, कहवा में ब्रिटिश पूर्वी अफ़्रीका आदि प्रतिवृद्धी थे । कुछ वस्तुओं, उदाहरणार्थ मूँगफली, के लिए विदेशों की तुलना में इग्लिस्तान का बाजार बहुत छोटा था । फिर, कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में भारत से होने वाला निर्यात इतना नग्यप्य था कि उसे अधिमान या किसी अन्य प्रकार से प्रोत्साहन देने की आवश्यकता ही न थी, जैसे चावल, तम्बाकू और जौ ।^१

दूसरी आपत्ति यह थी कि अधिमान से या तो सरकार को वित्तीय हानि होती थी (कर की कमी से) या उपभोक्ता को, क्योंकि उपभोक्ता सस्ती वस्तुओं के स्थान पर मौहरी अप्रेज़ी वस्तुएँ खरीदने के लिए वाध्य होता था । लेकिन भारत में न तो सरकार ही और न उपभोक्ता ही इस प्रकार का त्याग करते में समर्थ थे ।

साम्राज्य अधिमान उन उपनिवेशों और डोमिनियनों के लिए लाभदायक हो सकता था जिनका ब्रिटेन के साथ व्यापार पूरक-स्वभाव का रहा हो । इग्लैण्ड की प्राथमिक वस्तुओं की आवश्यकता थी और ये वस्तुएँ उसे कनाडा तथा आस्ट्रेलिया से भिल सकती थी । ये देश ब्रिटिश निर्माणों को खपाने के लिए उत्सुक और समर्थ भी थे । इन दोनों बातों में भारत की स्थिति भिन्न थी । उसके लिए वाध्यनीय और लाभदायक यह था कि वह अपने उत्पादनों के लिए इग्लिस्तान के बजाय अन्यत्र बाजार ढूँढे । उसके विविध प्राकृतिक साधनों ने उसे यह भी सोचने पर वाध्य किया कि वह क्यों न इन सब बातों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करे । इस हाईट से उसे अनेक अप्रेज़ी निर्मित वस्तुओं को प्रतिस्पर्धा से सरकण की आवश्यकता थी ।

भारत के विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रवृत्तियाँ साम्राज्य से उसे दूर खींच ले जा रही हैं ।^२ अनेक यह आवश्यक या कि वह अपने विदेशी बाजारों को मुरक्कित

१. चर्च ब्राइनवर्ड ने भारतमें विशद में तम्बाकू के व्यापार को ६,०००,००० पौँड का मूल्यवान व्यापार कहा ।

२. दक्षिण, अस्थाय दृ, सेतुशन १८ ।

रखने का हृद और व्यवस्थित प्रयत्न करे, जहाँ उसके अपिकाश निर्यात की खपत होती है। इस उद्देश्य तक पहुँचने का एकमात्र मार्ग यह था कि वह अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक समझौता (बिलेटरल एंप्रीमेण्ट) करे।^१ जब तक इगलैण्ड हमारा प्रधान साहूकार था और आयात से निर्यात की अधिकता द्वारा ही भुगतान किया जा सकता था, तब तक कोई खास बात नहीं थी। इगलैण्ड को या तो भारत के विदेशी वाजारों को स्थिर रखने के लिए उपाय करने होंगे या भारत के विदेशी वाजारों की पूर्ति के लिए अपने वाजार उन्मुक्त करने होंगे, क्योंकि इसके बिना भारत इगलैण्ड के प्रति अपनी देनदारियों का भुगतान नहीं कर सकेगा। तर्क का सार यह था कि यदि भारत ने ओटोवा समझौते के अनुरूप अन्तर्राष्ट्रीय प्रबन्धों में भाग लेने से इन्कार कर दिया होता तो इगलैण्ड की ओर से प्रतिक्रियात्मक साधनों के उपयोग का कोई भय नहीं था। भारत से इसका बदला लेने पर इगलैण्ड का युद्ध-नूर्व (१६३६ से पहले) का ५० करोड़ रु. का वापिक निर्यात व्यापार भी खतरे में पड़ जाता।

इधर हाल में भारत और इगलिस्तान के बीच व्यापारिक सन्तुलन के पलट जाने पर ओटोवा समझौते के समर्थकों ने इससे खूब लाभ उठाया। १६३५-३६ तक इगलिस्तान के साथ भारत का व्यापारिक सन्तुलन अहणात्मक था। यद्यपि भारत 'अदृश्य आयात', जैसे गृह-व्यय, जहाजों का भाड़ा और भारत में विनियोजित विदेशी पूँजी से होने वाले लाभ, के रूप में इगलैण्ड को बहुत-कुछ सप्त्या देता था, फिर भी १६३५-३६ तक इगलिस्तान के साथ भारत का व्यापारिक सन्तुलन अहणात्मक था। १६३६-३७ से भारत के पक्ष में पर्याप्त निर्यात की वजन हुई है। अत यह कहा जाने लगा कि भविष्य में होने वाले व्यापारिक समझौते में भारत को इगलैण्ड के साथ उदारता का वर्ताव करना चाहिए। व्यापार-सन्तुलन को द्विपक्षवाद के सकीर्ण आधार पर सम्भन्ने से यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि इगलिस्तान से सौदों के आयात में अदृश्य आयातों को भी जोड़ दिया जाए। यह इसलिए और भी आवश्यक हो गया, क्योंकि यूरोपीय देशों के साथ विपक्षी और बहुपक्षी व्यापार में कमी आ गई थी।

ओटोवा समझौते के प्रति असन्तोष का एक प्रधान कारण यह भी था कि भारतीय प्रतिनिधि मण्डल (जिसमें भारतीय वाणिज्य, उद्योग और कृषि के उत्तरदायी प्रतिनिधि समिलित नहीं थे) अपने सौदा करने की शक्ति का पूरा उपयोग करने में दसर्थर्य रहा। उसने दिया अधिक और बदले में उसे मिला बहुत कम। समझौता बड़ी सीघता से हुआ और जल्दी ही कार्यान्वित किया गया। इसमें जांच करने वाली किसी योग्य समिति, जैसे प्रशुल्क मण्डल (ट्रिरिफ बोर्ड) इत्यादि, की सहायता नहीं ली गई, जो साम्राज्य के किसी उद्योग के प्रति अधिमानपूर्ण व्यवहार की सिफारिश करने से पहले उन्हें उसी प्रकार कसोटी पर कसती जिस प्रकार विवेचनात्मक सरकार प्रदान करते समय उद्योगों की जांच की जाती है।

६ बम्बई लकाशायर टेक्स्टाइल समझौता (मोदी सीज प्रेक्ट) — यह समझौता बम्बई

१. देखिये, सेक्षण १६ आगे।

मिल-मालिक सस्या, जिसके अध्यक्ष सरहोमी मोदी थे और विटिश टेक्स्टाइल मिशन, जो सर विलियम ब्लेयर लीज़ की अव्यक्तता में भारत आया था, के बीच हुआ। यह समझौता, जो 'मोदी-लीज़' समझौते के नाम से भी प्रसिद्ध है, ३१ दिसम्बर, १६३५ तक के लिए लागू था। भारतीय सूती मिलों के प्रतिनिधियों में काफी मतभेद था और एक सामान्य मत पर आने के प्रयत्न असफल रहे, फिर भी लकाशायर और बम्बई की मिल-मालिक सस्या के बीच समझौता सम्भव हुआ। यह समझौता आगले भारतीय पूरक समझौते का अग्रदूत था (देखिये, सेक्शन ५)। इसमें उद्योगों को इग्लिस्तान से भी सरक्षित रखने के भारतीय अधिकार को स्वीकार किया गया, परन्तु यह भी स्वीकार किया गया कि इग्लिस्तान की तुलना में अन्य देशों से उच्चतर स्तर का सरक्षण आवश्यक था।^१

बम्बई-लकाशायर समझौता साम्राज्य के औद्योगिक सहयोग द्वारा भारतीय और अंग्रेजी हितों के सम्बोधन का प्रथम प्रयत्न था। कुछ लोगों के मत से यह समझौता स्वयं ही पर्याप्त रूप से न्यायोचित था। इससे लकाशायर द्वारा भारत की कपास की माँग में वृद्धि हुई और इस तरह भारत के किसानों को बड़ा लाभ पहुँचा। लकाशायर ने अपने विहृत भी भारत के वस्त्र उद्योग को सुरक्षित करने की आवश्यकता को मान्यता दी और भारतीय वस्तुओं (कपड़ों) को उपनिवेशों तथा अन्य समुद्र पार देशों के बाजारों में स्थान दिलाने का प्रयत्न करने का वचन दिया।

इसके विपरीत समझौते के आलोचकों का क्यन है कि इसे सम्पूर्ण (भारतीय) सूती वस्त्र उद्योग का समर्थन प्राप्त नहीं था तथा भारत ने (सूती और कृत्रिम रेसामी कपड़ों पर कर घटाकर) लकाशायर को निश्चित शौर पर्याप्त लाभ प्रदान किये, परन्तु इसके बदले में लकाशायर ने केवल अनिश्चित आश्वासन-मात्र ही दिये। इसका फल यह हुआ कि पहले के सरक्षण की तुलना में उद्योग का वहूत-कुछ सरक्षण हट गया। समुद्र-पार बाजारों की इटिंग से भी जब बम्बई की मिलें अपने देश के बाजार में ही विना सहायता के खड़ी नहीं हो सकी थी तो समुद्र पार बाजारों में लकाशायर की सहानुभूति से उनके स्थान प्राप्त करने की कम ही आशा थी। अन्त में, जहाँ तक लकाशायर की मिलों द्वारा भारतीय कपास के उपभोग का प्रश्न था, लकाशायर ने एक बड़ी ही अनिश्चित प्रतिज्ञा की थी कि जापान के समझौते की तरह नकाशायर भारतीय कपास को कम-से-कम एक निश्चित मात्रा खरीदने के लिए बाध्य न था।

७ (१६३५) का पूरक आगले-भारतीय व्यापारिक समझौता—१६३३ के बम्बई-लकाशायर समझौते के उपरान्त १६३४ में (वस्तुत ६ जनवरी, १६३५) एक आगले भारतीय व्यापारिक समझौता किया गया। यह ओटावा समझौते का पूरक था और उसकी अवधि तक ही लागू रहा।

इग्लिस्तान की सरकार ने भी अपनी ओर से भारत के उस कच्चे माल या आधे तैयार माल के आयात को विस्तृत करने का आश्वासन दिया, जो उन वस्तुओं

के निमणि में प्रयुक्त होता हो जिस पर भारत में भेदात्मक आयात कर लगे हो। उन्होंने (ओटावा समझौते के द्वारे अनुच्छेद और मोदी लीज पेक्ट के अनुसार) भारतीय कपास की खपत को अनुसन्धान, व्यापारिक जींच-पड़ताल, बाजार सम्बन्ध तथा प्रचार आदि हर उपाय से बढ़ाने का वचन दिया। उन्होंने भारत के खान से निकले लोह (पिंग आइरन) को बिना कर के ब्रिटेन में प्रवेश करने का वचन दिया। शर्त यह थी कि इगलिस्तान से आयात की जाने वाली लोहे और इस्पात की वस्तुओं के लिए लगाया गया कर १६३४ के लोहा और इस्पात अधिनियम (आइरन एण्ड स्टील एक्ट) में प्रस्तावित करी से कम अनुकूल न हो।

समझौते के समर्थकों का मत था कि इसके द्वारा ओटावा समझौते में निर्दित प्रतिज्ञाओं तथा मोदी लीज पेक्ट की निश्चित प्रतिज्ञाओं को कार्यान्वित किया गया। समझौते से भारत का कपास तथा कच्चे और आधे तैयार माल का उपभोग बढ़ गया और भारत का खान से निकला लोहा (पिंग आइरन) इगलेंड में बिना कर के प्रवेश पाने लगा। उपनिवेशों और सरकारी देशों (प्रोटेक्टरेट) से इगलिस्तान का मिलने वाली सुविधाओं से भारत को भी हिस्सा देने का वायदा किया गया था।

इसके विपरीत, गैर-सरकारी व्यापारिक भत्त इसके विरुद्ध था, क्योंकि इससे १६२३ में स्थापित विवेचनात्मक सरकार और अर्थ-स्वतंत्रता-समझौते (फिस्कल आटोनोमी कन्वेशन) का प्रभाव नष्ट हो गया। समझौते में पारस्परिक समता का भी अभाव था। इसमें भारतीय हितों की अपेक्षा ब्रिटिश हितों का अधिक ध्यान रखा गया था जब कि भारत ने निश्चित प्रतिज्ञाएँ की। ब्रिटेन ने भारतीय कपास के उपभोग के विकास-विधयक विभिन्न उपचारों पर विचार करना-भर प्रस्तावित किया और ऐसे वायदे किये जिनका निकट भविष्य में कोई वास्तविक मूल्य और उपयोग न था।

यह भी कहा गया कि इस समझौते में कोटा या कर के प्रतिशत में कमी से कही भयकर सिद्धान्तों की व्याख्या की गई। जब सरकार एक निश्चित समय के लिए स्वीकार कर लिया गया था, फिर उस प्रश्न को इगलिस्तान के कहने से पुनर उठाना बाढ़नीय नहीं था। इस प्रकार की नीति भारत के औद्योगिक विकास के लिए बाधक सिद्ध होने के अतिरिक्त नये उद्योगों के प्रारम्भ के लिए धातक सिद्ध होगी।

यह पूरक व्यापारिक समझौता ओटावा-समझौते के साथ ही समाप्त हो गया और इसे फिर से नया करने का प्रयत्न नहीं किया गया।

८ ओटावा समझौते पर धारासभा का विरोधी निर्णय—३० मार्च, १६३६ में भारतीय धारासभा ने एक प्रस्ताव द्वारा ओटावा-समझौते तथा इसके पूरक ब्रिटिश व्यापारिक समझौते को अस्वीकृत कर दिया और इनके लागू रहने के विरुद्ध भत्त प्रकट किया।

२० अक्टूबर, १६३६ को वालिंग्य विभाग द्वारा प्रकाशित एक विज्ञप्ति में दत्ताया गया कि दोनों सरकारों ने यह स्वीकार किया है कि एक नया समझौता होने तक १६३२ का समझौता लागू रहेगा, जिसे (किसी भी ओर से) तीन महीन का

नोटिस देकर रह किया जा सकता है। यह भी कहा गया कि समझौता न भी हो तउ भी दोनों पक्षों को अपने अधिमानों को दूसरे से राय लिये बिना हटाना या रोकना नहीं चाहिए।

६. आल्म-भारतीय व्यापारिक समझौता (१९३६)^१—यह बातचीत टाई बर्ड तक चलती रही। इसके उपरान्त पहले के दोनों समझौतों के स्थान पर १९३६ में एक नया समझौता किया गया। गवर्नर-जनरल ने अपने प्रभाणु (मर्टीफिलेशन) अधिकार का अनुसरण करते हुए इसे बैब रूप दिया। नये समझौते में ओटावा समझौते का स्पष्ट दृष्टृत बदल दिया गया। यद्यपि अब भी भारत के निर्यात की अनेक वस्तुएँ अधिमान-क्षेत्र के अन्तर्गत थीं, किन्तु ब्रिटेन को दिये गए अधिमान का क्षेत्र काफी मतुचिन कर दिया गया, क्योंकि पुरानी अधिमान-पद्धति के अन्तर्गत खाद्य, पेय, तस्वारू तथा कच्चे और अर्ध-निर्मित माल अब अधिमान के अधिकारी नहीं रहे। नये समझौते में अधिकानर मदों का सम्बन्ध विचिट उत्पादनों (जिनका भारत में उत्पादन नहीं होता था) से था, जैसे मोटरकार, साइकिल इत्यादि।

जहाँ तक अन्य मदों का सम्बन्ध था (उदाहरणार्थे उनी कालीन, कम्बल, ग्रीष्मधियाँ आदि) ब्रिटेन से इनके विशेष प्रकार मिला जाते थे जिनका उत्पादन भारत में न गण्य था। अधिमान की कुछ मदों की पुनर परिभाषा की गई, ताकि भारतीय उभयोक्ता के हित में अनेक वस्तुएँ, जो पहले अधिमान की अधिकारी थीं, अब अधिमान न पाएं। एक महत्वपूर्ण अन्तर यह हुआ, जबकि ओटावा समझौते में भारत में सरकारी-प्राप्ति वस्तुओं को वित्तकुल अद्यता छोड़ दिया था, कि नये समझौते में लकाशायर की वस्तुओं पर लगे करों की व्यवस्था को सन्तुष्टि दिया गया था, हालाँकि सरकारी तौर पर भारतीय सूती वस्त्र उद्योग सरकारी उद्योग था।

भारत ने ब्रिटेन से आयात की जाने वाली अनेक वस्तुओं, जैसे रसायन, रग, कपड़ों के अवधिष्ठान, उनी कालीन, सीन की मशीनों इत्यादि, पर १०% तथा मोटरकार, मोटर साइकिल और स्कूटर, साइक्स तथा आम्नीवस पर ७५% अधिमान दिया।

जहाँ तक खान से निकले लोहे (पिंग आयरन) का सबाल है, हालाँकि इसका आयात ब्रिटेन में बिना कर के था, फिर भी ब्रिटिश सरकार ने यह अधिकार सुरक्षित रखा था कि यदि १९३४ के लोहे और इसात-सम्बद्धी अधिनियम के समाप्त होते के बाहर भारत से ब्रिटेन से भेजे जाएं लोहे और इसप्रात लोही वस्तुओं पर अधिनियम में प्रस्तावित दरों से अधिक प्रतिकूल बर साये गए तो वह भी भारत के खान में निकले लोहे (पिंग आयरन) पर (३१ मार्च, १९४१ के बाद) बर लगा देगा।

भारत से बर्मा के अलग ही जाने पर कुछ अधिमान समाप्त हो गए (उदाहरणार्थे उत्तरनिति (खान से निक्सा) नीमा, चावल इत्यादि) और कुछ का मूल्य भी घट

१. देसिन, मदन, पूर्वोक्त, पृ० २०२-२०३, तथा पृ० ८० पी० अदरकर, 'द इंडियन फिरवल शनिन्हों', पृ० ५५६-५७।

गया (जैसे साखू (टीक) की लकड़ी, मोम, चावल और तम्बाकू)।

हम इस बात की पहले ही पूरी व्याख्या कर चुके हैं कि किस प्रकार नये समझौते में कपास की वस्तुओं पर (घटते-बढ़ते कम से) विष्टव्य अनुमाप से करते गये ए और कैसे उसे एक और तो भारत से ब्रिटेन की नियति की जाने वाली कपास और दूसरी ओर ब्रिटेन से भारत आने वाले सूती कपड़ी से सम्बद्ध कर दिया गया। सच तो यह है कि यही समझौते का आधार-भाग था।

जहाँ तक उपनिवेशों का सम्बन्ध है नया समझौता ओटावा समझौते से इस अंश में भिन्न था कि इसमें सीलोन के साथ एक अलग व्यापार-सम्बन्ध की व्यवस्था थी। सीलोन को ओटावा के अधिमान प्रमाणों का समझौते के छ महीने बाद तक उपयोग करने का अवसर दिया गया^१। एक या दो अपवादों को छोड़कर भारत और उपनिवेशों के बीच पारस्परिक अधिमान ज्यो-के-त्यो बने रहे।

साधारण तौर पर यह कहा जा सकता है कि समझौते को न तो भारतीय सूती वस्त्र उद्योग का और न व्यावसायिक समठनों का ही समर्थन प्राप्त हो सका।

दूसरे समझौते में उस समय की भारत की स्थिति को ध्यान में नहीं रखा गया। तत्कालीन भारत एक ऋणी देश था, जिसे 'अहश्य आयात' के लिए ब्रिटिश साम्राज्य को बहुत अधिक देना था। अतएव उसे व्यापारिक सन्तुलन के लेखों में नियति की अधिकता बनाए रखना आवश्यक था। सरकार ने गैर-सरकारी परामर्शदाताओं के मत की भी उपेक्षा की, जिसमें उन्होंने भारतीय बीमा कम्पनियों, बैंकिंग तथा जहाजी कम्पनियों के पक्ष में भेदात्मक नीति के विरुद्ध और समान अवसरों की प्राप्ति के लिए सुझाव रखा था। नवीन व्यापारिक समझौतों का मूल्यांकन करते समय यह आवश्यक था कि भारतीय इस्पात सरकार अधिनियम के अन्तर्गत इंगलिस्तान को दिये गए अधिमानों को भी ध्यान में रखा जाए^२।

भारत में अग्रेजों को प्राप्त अधिमान गैर-सरकारी परामर्शदाताओं के सुझावों से कही अधिक थे तथा भारत को अन्य महाद्वीपीय देशों के साथ समझौता करने से विचित होना पड़ा, योकि उन्हें बदले में देने के लिए भारत के पास बहुत कम या कुछ भी न था।

यद्यपि भारत द्वारा इंगलैंड को दिये गए अधिमान ब्रिटेन के लिए निश्चित ही लाभदायक थे, जबकि ब्रिटेन द्वारा भारत को दिये गए आश्वासन केवल आश्वासन अथवा नकारात्मक सुरक्षा के अलावा कुछ नहीं थे। कारण यह था कि इंगलिस्तान को दिये गए अधिमान उन वस्तुओं से सम्बन्धित थे जिनमें इंगलिस्तान के निर्दितकों

१. यह अवधि १५ फरवरी, १८४० को समाप्त हो गई, लेकिन भारतीय प्रवासियों के सम्बन्ध में सीलोन और भारत सरकार से समझौता होने की कठिनाइयों के कारण व्यापारिक सम्बन्ध की बात सफल न हो सकी।

२. बेलिप, इण्डियन टेक्स्याल जनरल (अप्रैल १८३७), इण्डो-निशि ड्रेड पैक, डॉ० वी० के० अर० वी० राव।

को अति कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था, जबकि सरकारी अनुमान के अनुसार भारत द्वारा ब्रिटेन को नियंत्रण की जाने वाली अधिमान-प्राप्त वस्तुओं का व्यापारिक मूल्य ३६.८६ करोड़ ८० था और ब्रिटेन द्वारा भारत में भेजी जाने वाली अधिमान-प्राप्त वस्तुओं का मूल्य केवल ७.६८ करोड़ ८०, गैर-सरकारी अनुमान के अनुसार भारत की प्रभावपूर्ण अधिमान-प्राप्त वस्तुओं (जैसे अलसी, ऊनी कालीन, कम्बल आदि) का मूल्य केवल ६ करोड़ ८० था। इस श्रेणी में करन-मुक्त वस्तुओं की गणना करना उचित न होगा, क्योंकि ब्रिटेन उन वस्तुओं पर कर लगा ही नहीं सकता था (उदाहरण के लिए कच्चा जूट), क्योंकि ये वस्तुएँ प्रमुख ब्रिटिश उद्योगों के लिए अनिवार्य थीं। इसके विपरीत, ब्रिटेन को प्रधानतया नियंत्रित वस्तुओं, जैसे पेण्ट-रसायन, ओजार और बस्त्र आदि, के सम्बन्ध में अधिमान दिया गया था, जो देश के गृह-उद्योगों के विकास में बाधक था, परन्तु ब्रिटेन द्वारा भारत को दिया गया अधिमान केवल उस कच्चे माल से सम्बन्धित था जो ब्रिटेन के उद्योगों और दृष्टीकरण योजना के चालू रखने के लिए आवश्यक था।

लकाशायर के लिए भारतीय कपास के नियंत्रण को भारत में ब्रिटिश कपड़ों के आयात से सम्बद्ध करने की बहुत आलोचना हुई। इस अवस्था में गैर-सरकारी परामर्शदाताओं के मत की उपेक्षा की गई। जहाँ तक भारत का सम्बन्ध था, उसे समान लाभ मिलने की कोई व्यवस्था न थी। जहाँ तक इंग्लिस्तान द्वारा एक निश्चिन मात्रा में कपास खरीदने का प्रश्न था उससे ब्रिटेन की कोई विशेष हानि होने की सम्भावना न थी। यह मात्रा भी सरबारणातय लकाशायर द्वारा खरीदी जाने वाली मात्रा से कम ही थी। इसके स्थान पर भारत से ब्रिटेन की कपास की वस्तुओं की एक निश्चिन मात्रा खरीदने का आवासन देने के लिए कहा गया जो समझौते से पूर्व के आयात से कही अधिक थी। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की कपास के अनुपातों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, यद्यपि भारत के कपास-उत्पादकों ने इस बात की मांग की थी कि ब्रिटेन द्वारा खरीदी जाने वाली कपास का ६५ प्रतिशत छोटे रेशे की कपास होनी चाहिए। भारतीय गैर-सरकारी सलाहकारों के इस मत के बावजूद भी कि यदि भारतीय कपास-उद्योग पर और अधिक अप्रत्यक्ष कर समाया गया तो ब्रिटेन के कपड़ों पर भी प्रतिशुल्क लगा दिया जाएगा, लम्बे रेशे की कपास पर लगा आयात-कर दूना कर दिया गया। इससे भारत के सूती मिल उद्योग का सरकारण कम हो गया, हाथ से बुनने वाले उद्योग पर भी बुरा प्रभाव पड़ा और नये व्यापारिक प्रस्तावों के प्रति एक विरोधी धारणा उत्पन्न की गई।

नये समझौते को सरकारी नियाह से देखने पर ऐसा लगता है कि ओटावा समझौते में काफी मुघार हृषा है। जहाँ तक अधिमानों के पारस्परिक विनियम का प्रश्न था, कपास के अनुच्छेद (कॉटन आर्टिकल) को छोड़कर इसे न्यायसंगत भी कहा जा सकता था। जहाँ तक लकाशायर के कपड़े लेने और भारतीय कपास देने का प्रश्न है, भारत के लम्बे रेशे की कपास के आयात के द्विगुणित कर को व्यान में रखते हुए, समझौता लकाशायर के पक्ष में बहुत अधिक था।

१०. भारत-जापानी समझौते की उत्पत्ति (१९३४) — १९०४ के पुराने भारत-जापानी व्यापारिक सम्पर्क का अप्रैल, १९३३ में भारत सरकार द्वारा विरोध किया गया था। इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं।^१ १९३२ के आरम्भ से येन के मूल्य में हुए त्रिमिक हास से १९३२-३३ में भारत के लिए जापान के निर्यात अस्थायिक अनु-दूज हो गए। भारतीय मिलों को गम्भीर सकट का सामना करना पड़ा और भारत सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। अगस्त, १९३२ में गैर-विटिश भूरे कपड़े पर मूल्यानुसार ५० प्रतिशत आयात कर की बृद्धि और ५३ आने प्रति पौण्ड का विशिष्ट कर भी जापानी प्रतिस्पर्धा कम करने में असमर्थ रहा। अतएव भारत की कपड़े की मिलें और अधिक सरकण के निए आवाज उठाती रही। भारत सरकार की ओर से लिटेन की सरकार ने जापान की सरकार को छ महीने के अन्दर पुराने (१९०४) समझौते को रद्द करने की सूचना दी। उस समझौते से जापान के साथ बढ़ा ही अनुकूल व्यवहार किया जाता था। जब तक १९०४ का व्यापारिक समझौता प्रभावपूर्ण था तब तक भारत सरकार अकेले जापान के विरुद्ध कोई भी कदम उठाने में असमर्थ थी, १९३३ (अप्रैल) में पास किये गए उद्योग सुरक्षा अधिनियम (सेफगाइंग ऑफ इण्डस्ट्रीज एक्ट), जिसके अनुसार भारत सरकार विदेशी सस्ते माल के आयात से देश के उद्योगों को खतरा होने पर कर लगा सकती थी, से भी कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता था। भारत सरकार के इस निर्णय से जापान भे भारतीय कपास के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ हो गया, लेकिन जापान के कातने वाले और कपास के व्यापारियों के बीच भारतीय कपास स्वीकार न करने के लिए जून, १९३३ के प्रशुल्क सम्बन्धी परिवर्तन जारी किए जाने के पूर्व कोई समझौता नहीं हुआ था। इन प्रशुल्क-परिवर्तनों में यह घोषणा की गई कि विदेशों से आने वाले कपड़े पर (जिनमें जापानी कपड़े भी शामिल हैं) मूल्यानुसार ७५% (मूल्य पर) कर लगाया जाएगा और सादे भूरे कपड़े पर कम-से-कम ६३% पेंस प्रति पौण्ड कर लगाया जाएगा। १९३३ में एक जापानी प्रतिनिधि-मण्डल भारत आया। तीन महीने की दातचीत के उपरान्त एक समझौता हुआ। १९३४ में जापानियों ने वहिकार समाप्त कर दिया और भारत सरकार ने मूल्यानुसार लगाया गया कर ७५% से घटाकर ५०% कर दिया।

११ १९३४ के समझौते की धाराएँ—जापान के साथ होने वाले समझौते के दो भाग थे—(१) सप्रतिज्ञा (कनवेन्शन), (२) मसविदा या मूल (प्रोटोकल लेख)। (१) इसमें दोनों देशों के भावी व्यापार सम्बन्धों की रूपरेखा निर्धारित की गई थी। (२) इसमें जापान के आते चले काढ़े और भारत से जेची चाते चाती, चापान के सम्बन्ध ये, हुए समझौते की विवरण की गई थी। सप्रतिज्ञा (कनवेन्शन) के बिना मसविदा (प्रोटोकल) स्वतं ३१ मार्च, १९३७ को समाप्त होने को था। यदि दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा छ महीने का नोटिस दे दिया जाता तो सप्रतिज्ञा (कनवेन्शन) भी इस समय समाप्त होती।

सप्रतिज्ञा (कनवेन्शन) का प्रमुख व्यवस्थाएँ इस प्रकार थी—(१) दोनों

पक्षो ने एक-दूसरे के प्रति परम अनुशृण्हीत राष्ट्रों-जैसा व्यवहार करने का निश्चय किया । (२) दोनों देशों ने अपने पास समय-समय पर परिवर्तन करने और नवीन प्रवेश्य-कर लनाने का अधिकार सुरक्षित रखा । यह व्यवस्था स्पष्ट और ये न के बिना मय-मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को ठीक करने के लिए की गई थी । (३) जबकि दोनों पक्षों ने इस प्रकार के परिवर्तन के अधिकार अपने पास रखे, वे इस बात पर तैयार थे कि यदि दोनों में से कोई पक्ष चाहे तो दोनों के पारस्परिक हितों के बीच समझौता करने के कार्य में अग्रसर हो सकता है ।

मसविदा (प्रोटोकल) के प्रधान अनुच्छेद इस प्रकार थे—(१) भारत में आने वाली वस्तुओं पर लगने वाले प्रवेश्य-कर निम्नलिखित दर से अधिक न होगे—(क) सादे भूरे कपड़े (प्लेन प्रेज) पर मूल्यानुसार ५०% या ५२% आने प्रति पौण्ड जो भी अधिक हो । (ख) शर्ण पर मूल्यानुसार ५०% । (२) मसविदा (प्रोटोकल) में भारत में जापानी माल के आयात और भारत से कपास के निर्यात के लिए कोटा सिस्टम की व्यवस्था थी । इस व्यवस्था के अन्तर्गत भारत से प्रतिवर्ष (जो १ जनवरी से प्रारम्भ हो) १० लाख गाँठ कपास खरीदने पर जापान को ३२५० लाख गज कपड़ा प्रतिवर्ष (जो १ अप्रैल से शुरू हो) भेजने का अधिकार था । जापान द्वारा भेजे भूती कपड़े के थानों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया था—(क) सादा भूरा कपड़ा (प्लेन प्रेज) ४५%, (ख) किनारेदार कपड़ा (प्रेज) १२%, (ग) सफेद (कलफदार) कपड़ा ८%, (घ) रगीन (त्या हुआ, छपा हुआ) ३४% ।

१२. १६३४ के भारत-जापानी समझौते की कार्य-विधि—१६३४ के समझौते से दोनों देशों के बीच की दुर्भावनाएँ समाप्त हो गईं । इससे कपास के उत्पादकों, व्यापारियों और कुछ अशों तक मिल-मालिकों को भी राहत मिली । लेकिन सबसे अधिक लाभ भारत के कपास-उत्पादकों को हुआ और कोटा सिस्टम द्वारा वे निश्चित मात्रा से अधिक कपास जापान भेज सके । उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार से स्थानीय कपड़े के उद्योग के लाभान्वित होने की सम्भावना थी, वयोंकि जनता ही स्थानीय कपड़ों की सबसे बड़ी उपभोक्ता है ।

भारतीय हॉप्टिकोण से १६३४ के जापान भारत व्यापारिक समझौते को बहुआलोचना का सामना करना पड़ा । देश में यह भावना थी कि भारत इस सौदे से घाटे में रहा । सबसे बड़ा अमरतरेप कोटा सिस्टम के विषय में था । जुलाई, १६३६ में इस समझौते के नवीकरण के सम्बन्ध में शुरू हुई बातचीत के दौरान में भारतीय गैर-सरकारी परामर्दादाताओं ने कहा कि इस पढ़नि से बचन के अनक उपाय थे । जापानी तथा जापान में रहने वाले भारतीय व्यापारियों ने इससे पर्याप्त लाभ उठाया । इस प्रकार समझौते का प्रधान उद्देश्य, अर्थात् जापान से आने वाले कपड़े का नियमन, पूरा न हो सका । परित्यक्त दुक्कड़ (फेण्ट्स)^१ कोटा सिस्टम के अन्तर्गत नहीं थे, अत इनका व्यापार दहूत बढ़ गया । इसी प्रकार नवी रेशम की वस्तुएँ भी कोटा सिस्टम के अन्दर न थीं, इसलिए वे बड़ी मात्रा में जापान से भारत आने १. फेण्ट्स कपड़े परिवर्त दुक्कड़ों को बहते हैं जिन्हें कम प्रवेश्य-वर पर आयात किया जाता है ।

लगी। जापानी निर्यातिको द्वारा कोटा सिस्टम से बचने की एक और भी कुशल विधि आविष्कृत की गई—यह थी कपड़े की बनी हुई वस्तुएं, जैसे कमीज़, पोशाके इत्यादि, जिनकी भारतीय वाजारों में भरमार हो गई। यह भी कहा गया कि किनाना ही जापानी कपड़ा अफगानिस्तान और नेपाल से हाँकर भारत आता है।

इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि मसविदा (प्रोटोकल) के बावजूद भी इस प्रकार निर्यात बढ़ गया और उसका (मसविदा का) जापानी वस्तुओं का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। गज़ लम्बाई के आधार का दुरुपयोग किया गया और अधिक बड़े अर्जे के कपड़े का निर्धारित किया गया।

जहाँ तक जापान द्वारा भारतीय कपास को बड़ी मात्रा में खरीदने का प्रश्न है, यह कहा गया कि जारन इसे इसलिए खरीदता था क्योंकि उसे सस्ते माल की आवश्यकता थी। १६३४-३५ में, अर्थात् समझौते के बाद पूरे एक वर्ष में, जापान ने भारतीय कपास की २०,१०,६०० गाँठ खरीदी जबकि पिछले दस वर्ष से वह प्रति वर्ष कपास की १५ लाख गाँठ खरीदता था। इसलिए भारत में गैर-सरकारी व्यापारिक मत यह था कि जापान की कपास-सम्बन्धी न्यूनतम क्य-मात्रा १० लाख से १५ लाख गाँठ प्रतिवर्ष कर दी जाए। यह भी कहा गया कि कुछ आगामी वर्षों में जापान ने भारत की कपास की मार्ग कम न होगी, जब तक कि जापान कपास के स्थान पर (स्टेपल फायबर) मुख्य (बड़े) रेशे का उपयोग नहीं करता।

१३. नवीन जापान-भारत व्यापारिक समझौता (१६३७)—१६३४ के समझौते के नवीकरण के सम्बन्ध में १६३६ से चलने वाली बातों में आलोचना के इन सब आधारों पर ध्यान दिया गया। पुराना समझौता ३१ मार्च, १६३७ को समाप्त होने वाला था। इस बार सरकार के वाणिज्य विभाग के गैर-सरकारी परामर्शदाता अपनी मार्गों में एकमत थे। प्रथम यह कहा गया कि जापान द्वारा भारत की कपास के क्य के सम्बन्ध में समझौता बेसा ही बना रहे, लेकिन भारत में आने वाले जापानी कपड़े की मात्रा में काफी कमी की जाए (उदाहरणार्थ ५०० लाख गज़ भी कमी की जाए)। फैट्स (परित्यक्त कपड़ों) के लिए भी कोटा की व्यवस्था अपनाने की मार्ग की गई, जो साधारण कपड़े की मात्रा के २५% से अधिक न हो। जापान से कृतिम रेशम के बढ़ते हुए आयत को रोकने के लिए रेशम को भी साधारण कपड़ों के कोटा में शामिल करने का सुझाव रखा गया। ऐसी ही व्यवस्था सिले हुए कपड़ों के बारे में भी लागू करने का सुझाव दिया गया। यह भी कहा गया कि कोटा गज़ लम्बाई के सिद्धान्त पर न लगाकर वर्गज़ के हिसाब से लगाया जाए और नीचे दरजे का जापानी सूत भी (५० से नीचे का) कोटे के अन्दर आना चाहिए। विविध वस्तुओं के लिए या तो कोटा अपनाया जाए या ऐसा विशिष्ट आयात-कर लगाया जाए ताकि घृह-उद्योगों को सुरक्षा हो सके।

यह सशोधित समझौता १६३७ (अप्रैल) में ३१ मार्च, १६४० तक के लिए लागू किया गया।

जहाँ तक व्यापारिक सप्रतिज्ञा (ट्रेड कन्वेशन) का सबाल है, पुरानी स्थिति

कायम रही और फिर तीन वर्ष के लिए जापान परम अनुगृहीत राष्ट्र का व्यवहार पाने का अधिकारी हो गया।

कुछ थोड़े-से परिवर्तनों को छोड़कर, जो १ अप्रैल, १९३७ को वर्मा के विभाजन के कारण आवश्यक हो गए थे, सशोधित मसविदा (प्रोटोकल) भी प्राप्त पुरान मसविदे-जैसा हो था। जापान द्वारा १० लाख गांठे खरीदे जाने पर उसके आयात का कोटा अब ३२५० लाख गज से घटाकर २८३० लाख गज कर दिया गया। यह कमी वर्मा-विभाजन के कारण भारतीय बाजार के सकुचित होने का परिणाम थी। इसी प्रकार जापानी कपड़े के आयात की उच्चतम सीमा, जो जापान द्वारा कच्ची कपास की १५ लाख गांठे खरीदे जाने पर प्राप्तित थी, ₹५००० लाख गज से घटाकर ₹५८० लाख गज कर दी गई।

१९३७ म ग्राहन्म होने वाले समझौते में गैर-सरकारी परामर्शदाताओं की एकमत तिफारिशों का पूरा स्थान नहीं मिला और मूलत यह पुराने समझौते से कुछ अधिक अच्छा नहीं था। भारत सरकार यदि चाहती तो जपानी प्रतिस्पर्धा से क्षति-ग्रह्त भारत के नवजात उद्योगों के सरक्षण के लिए अधिक उत्तम शर्तों पर समझौता कर सकती थी, लेकिन गृह-उद्योगों की सुरक्षा की मांग पर ध्यान दिए बिना ही व्यापारिक समझौता बैसा ही रहने दिया गया। इस प्रकार दोनों देशों में व्यापारिक सम्बन्ध पहले जैसे ही रहे। अत इस अदा तक समझौता जापान के लिए हितवर रहा था।

जहाँ तक कपास न मसविद (प्रोटोकल) का प्रदान था, जो कुछ अन्तर हुआ वह भारत से बमा के अलग हो जाने के कारण था। जापान ने वर्मा से दूसरा समझौता कर लिया, जिसके अनुसार वर्मा म आने वाले जापानी कपड़े की मात्रा ४२० लाख गज थी। भारत का कोटा इतना ही कम कर दिया गया। ध्यान रहे कि पुरान मसविदे का आधारभूत कोटा कम करते समय बमा की आवश्यकताएँ ७०० लाख गज अनुमानित की गई थी। चूंकि वर्मा का कोटा ४२० लाख गज ही रखा गया, भारत को बाकी २८० लाख गज की खपत करनी पड़ी।

यह कहा गया कि कॉटन केण्ट्स को कोटे में नहीं शामिल किया गया, हालांकि उच्चतम सीमा सूती कपड़े के कोटे वी २५% अर्थात् ₹८,५०,००० गज कर दी गई थी।

तिलक केण्ट्स और कृत्रिम सिल्क को भी समझौते से बाहर रखने पर कड़ी आलोचना की गई। लेकिन भारतीय सिल्क और कपड़े के उद्योग को १९३७ में वृत्ति विभाग के नोटिफिकेशन से लाभ पहुंचा, जिसके अनुसार कृत्रिम सिल्क के केण्ट्स को भारत में आने से रोका गया और कृत्रिम सिल्क पर एक आना प्रति वर्ग गज कर लगा दिया गया।

गैर-सरकारी सलाहकारों के कुछ सुभाव स्वीकार नहीं किय गए। उदाहरण के लिए विविध प्रकार की नियमित बस्तुओं, जैसे तौलिया और सूती कम्बल, के लिए अलग कोटे का इन्तजाम नहीं दिया जा सका और न ही भारत के सीमाप्रान्तों से अफगानिस्तान और नेपाल के बाजारों को पुनर्निर्यात करने पर रोक सगाई गई।

भारत के तटीय जहाजी व्यापार में जापान के धुस पहने के सम्बन्ध में कोई रोक-टोक नहीं की गई और जापान तथा भारत के बीच होने वाले व्यापार में भारतीय जहाजों को उचित भाग देने के सम्बन्ध में भी कुछ नहीं किया जा सका। इन दोनों कारणों से भी असन्तोष प्रकट किया गया।

सब बातों को देखकर यह कहा जा सकता है कि १९३७ के समझौते से भारत की स्थिति पहल से हटतर हो गई। यह बात अद्वय थी कि भारत ने अपनी सौदा करने की शक्ति का पूरा उपयोग नहीं किया। यह अच्छा होता कि क्षापास और नपड़े की अइला-वदली के स्थान पर एक विस्तृत और व्यवस्थित व्यापारिक समझौता किया गया होता, जिसमें देश के नवजात उद्योगों, जैसे चीज़ा, साफ़ुन, रसायन आदि, की सुरक्षा की व्यवस्था होती।

१४ १९४० का अस्थायी समझौता—जापान सरकार से यह अद्वासन पाने पर कि उनका विचार मसविदा (प्रोटोकल) और सप्रतिज्ञा (कन्वेंशन) की समाप्ति के अन्तर से लाभ उठाने का नहीं है, दिसम्बर १९३६ में भारत सरकार ने व्यापारिक समझौते की समाप्ति के लिए जापान को द्य: मर्हीने का नोटिस देना आवश्यक नहीं समझा।

३१ मार्च १९४० को मसविदा (प्रोटोकल) की अवधि समाप्त होने पर दोनों सरकारों ने निश्चय किया कि पुराने समझौते की समाप्ति और नये के निर्माण के बीच वे ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे एक-दूसरे के हित को हानि पहुँचे।

१९४१ में ब्रिटिश सरकार द्वारा जापान के साथ हुई व्यापारिक समझौतों को त्यागने के कारण जापान दे साथ जल्दी समझौता होने की आशा न रही। अतएव पुरानी जापान भारत व्यापारिक सप्रतिज्ञा (१९३४) की समाप्ति के लिए जापान को द्य मर्हीने का नोटिस दिया गया।

१५. १९४१ का नया वर्षा-भारत व्यापारिक समझौता—१९३७ (अप्रैल) में भारत में दर्मा के अलय हो जाने पर नये समझौते के होने तक दर्मा के साथ सम्बन्ध भारत-वर्मा नियम सभादेव (इण्टो-वर्मा रेग्युलेशन ऑफ़इर इन काउन्सिल) द्वारा निर्धारित होते रहे। इसमें दोनों देशों के व्यापारिक तथा प्रशुल्क-सम्बन्धी मामलों की यथावत् रखा गया। वर्मा सरकार को अपनी वज़ट-सम्बन्धी बठिनाइयों के कारण इस प्रकार की स्वतंत्र व्यापारिक नीति ठीक नहीं जैंची और १ अप्रैल १९४० को १ अप्रैल १९४१ से सभादेश को समाप्त करन का नोटिस दिया। इसी बीच नवीन समझौते का प्रयत्न किया गया और वह हो भी गया।

इन व्यवस्थाओं के अन्तर्गत दोनों ने एक दूसरे से परम अनुग्रहीत राष्ट्र का मा व्यवहार करने का निश्चय किया। इस समझौते की मुख्य बातें निम्न थी—

(१) दर्मा द्वारा भारत को दी गई रियायतें—(क) वर्मा ने भारत की ७७ वस्तुओं, जैसे मदली, कोयना, क्षापास, उत्कनित लोहा (पिंग आयरन) आदि, के स्व-सम्बन्ध प्रवेश का अधिकार दिया। (ख) कुछ वस्तुओं पर ५% से अधिक वर न लगाने का वक्तन दिया (जैसे आळ, नारियल, रसायन, मादक वस्तुएँ, आपधियाँ, रण, ऊनी वस्तुल आदि)। (ग) कुछ वस्तुओं पर १०% से अधिक वर न लगाने की विधियाँ

दी (जैसे कॉफी, सिगार, कुछ मसाले, साबुन (नहाने के), बूट जूते आदि)। (घ) कुछ वस्तुओं पर विशेष दर से टैक्स लगाने की रिआयत दी गई—सुपारी २०%, शराब (एल बोम्बर) पर उत्पाद-कर के हिसाब से, तम्बाकू पर १ आना प्रति पौण्ड की दर से, और सिल्क (कृत्रिम) पर १५% के हिसाब से इत्यादि।

(२) भारत हारा वर्मा को दी गई रिप्रायतें—(क) भारत ने स्वीकार किया कि वर्मा को कुछ वस्तुएं बिना किसी कर के भारत में प्रवेश पाएंगी (जैसे रेंगने और सिभाने के सामान, गोद, लाख, लकड़ी, शहतीर, वार्निश किये सामान, कच्चा लौह, अल्यूमिनियम, जस्ता और सीसा)। (ख) कुछ वस्तुओं पर विशेष दर से कर लगाया जाएगा (जैसे आलू और प्याज ५%, कहवा १०%, सिगार १०%, तम्बाकू (न बनी हुई) १ आना प्रति पौण्ड)। (ग) वर्मा से आने वाले मिट्टी के तेल और भारत से जाने वाले कपड़े के कर की अलग व्यवस्था की गई। कपड़े के लिए समझौते में केवल ७३% की व्यवस्था थी, परन्तु वर्मा सरकार ने प्रतिज्ञा की कि इस प्रकार की वस्तुओं पर १०% से अधिक कर न लगाएंगी। इसके प्रतिरिक्त जापानी वस्तुओं पर कोटा सिस्टम कायम रखने से भारत वे कपड़े की स्थिति और हड्ड हो गई। जहाँ तक मिट्टी के तेल का सम्बन्ध है, अधिमान कम करके ६ पाई प्रति गैलन कर दिया गया, जबकि पहले ११३ पाई प्रति गैलन था। भारत सरकार ने युद्ध-काल में कुल अधिमान के दरावर अधिभार (सरचार्ज) लगाने का अधिकार प्राप्त कर लिया। यह अधिभार (सरचार्ज) ७ अप्रैल १९४१ को कार्यान्वित किया गया। (घ) यह भी आवश्यक समझा गया कि भारत में आने वाले शहतीर और वर्मा को भेजी जाने वाली चीज़ी के लिए अलग कर-व्यवस्था की जाए। वर्मा की सरकार ने युद्ध-काल में शहतीर पर नियन्त्रित-कर न लगाने का आश्वासन दिया और भारत से आने वाली चीज़ी को विशेष सुविधाएं दी (जहाँ तक स्थानीय परिस्थितियों में ऐसा कर सकना सम्भव था)। (इ) चावल और हूटा चावल कर-मुक्त सूची (फी लिस्ट) के अन्तर्गत रखे गए और तब तक वर्मा से आने वाले माल पर चुम्ही न लगाने की व्यवस्था थी जब तक कि अन्य देशों के माल बिना चुम्ही के आते रहे। यदि हूटे चावल पर चुम्ही लगे तो १०% वा अधिमान दिया जाए। (ब) एक देश से दूसरे देश को किये जाने वाले उन नियतों के सम्बन्ध में, जिन पर उत्पाद-कर (एक्साइज इयटी) लगता है।

१६. द्विपक्षी (बिलेटरल) व्यापारिक समझौतों को नई नीति—व्यापारिक नीति की प्रमुखतम विशेषता विशेष रूप से १९३२ के बाद से, यूरोपीय देशों में घनेक देशों हारा कुछ समय के लिए द्विपक्षी व्यापारिक समझौता करने की हो गई है।

घनेक प्रकार के द्विपक्षी-समझौतों में सबसे अधिक प्रचलित निम्न है—(१) निकासी-समझौते (किलयरिंग) तथा (२) क्षतिपूर्ति या अदला-बदली के समझौते (कम्पेंज़ेशन या वार्टर एग्रीमेण्ट्स)। दूसरे में वस्तुओं का सीधा विनिमय होता है। इस प्रकार चुकता करने की आवश्यकता ही नहीं उठती। इस प्रकार के समझौते दो देशों या व्यक्तियों या फर्मों के बीच हो सकते हैं। निकासी-समझौते (किलयरिंग एग्री-मेण्ट्स) में विनिमय की जाने वाली वस्तुएं निर्दिष्ट नहीं होती। इनका प्रधान उद्देश्य

विदेशी विनियम के नियमन के लिए व्यापार को इस प्रकार व्यवस्थित करना है ताकि आपात और नियंत्रित के बीच सम्यक् सन्तुलन स्थापित हो जाए।^१ यद्यपि अब भी परम अनुग्रहीत राष्ट्र-व्यवहार की धारा को द्विपक्षीय समझौते में जोड़ दिया जाता है सेकिन विस्तीर्ण और कोटा-व्यवह्या-सम्बन्धी धाराओं को सम्मिलित करने और औद्योगिक प्रतिज्ञाओं तथा प्रादेशिक अधिमानों के कारण इसका कोई क्रियात्मक प्रभाव नहीं रह जाता।

सितम्बर, १९३६ में युद्ध घिन्ने से पूर्व भारत सरकार ने उन सब प्रमुख देशों के साथ व्यापारिक समझौता करने का निश्चय किया जिनके साथ भारत का वाणिज्य-सम्बन्ध था। इनमें जर्मनी, इटली, ईरान, तुर्की इत्यादि प्रमुख थे, जिनकी नियमित विनियमनीति से भारत के नियंत्रित में वडी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती थी। देश के सामने प्रश्न था—क्या भारत को द्विपक्षी समझौते के पक्ष में परम अनुग्रहीत राष्ट्र-व्यवहार की पुरानी नीति को खाली छोड़ देना चाहिए?^२ (मार्च, १९३६) धारासभा द्वारा ओटावा समझौते का अन्त करने के पक्ष में दिये गए मत से यह विवाद और भी तीव्र हो गया।

यद्यपि भारत सरकार इस प्रकार द्विपक्षी सन्धियाँ करने के लिए कठिवढ़ हो चुकी थी, फिर भी उन्हे इस नीति की वाञ्छनीयता पर बहुत अधिक विश्वास नहीं था। उनके विचार में पिछले कुछ वर्षों से विश्व की आर्थिक स्थिति के अध्ययन और भारत की वर्तमान परिस्थितियों के अवलोकन से ऐसा कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता जिससे किसी नीति-परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत होती हो।^३ कहा गया कि भारत के नियंत्रित की प्रधान वस्तुएँ कच्चे पदार्थ हैं जो विश्व के बाजारों में भेजे जाते हैं। अतएव उसकी समृद्धि के लिए आवश्यक था कि उसका व्यापारिक सन्तुलन उसके पक्ष में हो। इसलिए उसे इन बाजारों से मुक्त प्रवेश प्राप्त होना चाहिए और भारत परम अनुग्रहीत राष्ट्र के आधार पर अपने लिए खुले दरवाजों को बन्द करवाने के लिए सहज ही तैयार नहीं हो सकता। द्विपक्षी समझौतों से न केवल समझौता करने वाले देशों का कुल व्यापार घट जाएगा, बल्कि व्यापार के अपने स्वाभाविक मार्गों से मुड़कर अन्य दिशाओं में जाने से अन्य देश भी हानि उठा सकते हैं। कुल व्यापार की मात्रा में वृद्धि की अपेक्षा अनुकूल व्यापारिक सन्तुलन को प्रसन्न करने की नीति से सभी व्यापारिक सन्तुलन नष्ट हो जाएंगे और इस प्रकार विश्व-व्यापार में स्थायी सकूचन आ जाएगा। इस नीति के अनुसरण से भारत को लाभ की अपेक्षा हानि ही

१. देखिए, भारत सरकार के सचनाभ्यंचालक द्वारा प्रकाशित तीमरा नोट 'ऑन इंडियाज़ पॉर्टिंग ड्रैफ़ पालिसी' (१९३६) और पाल एन्जिन एक्सचेंज करद्वोल, पृ० ४५१-२।

२. जिन आधारों पर यह निकर्प निकाला गया था वे भारत सरकार के सचनाभ्यंचालक द्वारा प्रकाशित १९३६ के प्रेस नोटों में दिये गए हैं। और भी देखिए, बी० के० मदन का लेख 'विलेटरलिम एण्ड इडियन ड्रैफ़', 'इंडियन जरनल ऑफ़ इकनामिक्स' (जुलाई १९३६) और 'इंडिया एण्ड इन्डी-रियन एक्सचेंज', पृ० १६१-२००।

अधिक होगी, जबकि इससे उम्मका विदेशी व्यापार कम हो जाएगा, निर्यात बढ़ जाएगा और आयात कम हो जाएगा। जर्मनी-जैसे सकटापन्न देशों के लिए आयात का नियन्त्रण आवश्यक हो सकता है, लेकिन भारत-जैसे समृद्ध देश द्वारा इस नीति का अनुसरण कोरी हार होगी।

अब भारत की स्थिति विश्व के बाजारों में प्रधान खाद्यान्त और कच्चे माल के पूरक की नहीं रही। उदाहरण के लिए अब जर्मनी, जो कि पहले अधिकतर भारत से कच्चा माल खरीदता था, अब उन देशों से खरीद रहा था जिनके साथ निकासी-समझौते (बिलयरिंग एश्रीमेट्स) किये गए थे। इस प्रकार कपास द्वाजील, पीरू, टर्की और मिस्र से, चमड़ा दक्षिणी अमेरिका से और तिलहन अर्जेण्टाइना तथा अमर केच उपनिवेशों से खरीदे जाने लगे। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि इन देशों की मुद्रा-सम्बन्धी अनिश्चितताएँ तथा अनिश्चित आर्थिक स्थिति इनके साथ द्विपक्षी समझौतों के समुचित सञ्चालन में वाधा पहुँचाएँगी।

अन्य देशों के साथ भी कितनी ही कठिनाइयाँ थीं। उदाहरण के लिए फ्रास अपने उपनिवेशों के आयात को प्रोत्साहन दे रहा था और वह चीन की हलकी सुस्वादु चाय को भारतीय चाय की अपेक्षा अधिक पसंद कर रहा था। समुद्रतराज्य अब भी अपनी एकान्तवादी तिकड़ियों में लगा हुआ था और विदेशी व्यापार की अपेक्षा देश के वाणिज्य और विकास को अधिक महत्व दे रहा था। अतएव इन देशों से द्विपक्षी समझौता करने का अवसर कम ही था।

दीर्घकालीन इष्टिकोण से तो यह कहा जा सकता है कि भारत विश्व से अलग रहकर व्यापारिक इकाई के रूप में अपना महत्व नहीं रख सकता। उसे अपने अतिरिक्त उत्पादन के लिए विश्व के बाजारों में स्थान ढूँढ़ना पड़ेगा और उसकी समृद्धि अन्ततोगत्वा, विश्व के व्यापारियों की समृद्धि से सम्बद्ध है। अतएव उसका हित विश्वव्यापार के अवाधित और उन्मुक्त प्रवाह में ही है जिस पर विश्व की समृद्धि निर्भर है।

इसके विपरीत यह कहा गया कि विश्व के समुद्यान और स्वतन्त्र व्यापार के पुनर्स्थापन की बहुत कम आशा है तथा राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता, आर्थिक राष्ट्रीयता और व्यापारिक द्विपक्षीयता कम होने के बजाय घनीभूत ही होगी। इस परिस्थिति में सुरक्षा के लिए भारत को नवीन व्यापारिक नीति का अनुसरण करना होगा और इसका प्रारम्भ भी भारत-जापान, भारत-डिट्रिश और भारत-बर्मों समझौतों के रूप में हो चुका है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन को पहले सत्र (सेशन) की तैयारी १९४४ तक कर ली थी, जिन्हें हवाना चार्टर की स्वीकृति कम होने के कारण यह स्पष्ट हो गया कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की स्थापना अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाएगी। आज तक इस संगठन की स्थापना नहीं हुई है और व्यापार तथा निराकाश्य कर के सामान्य समझौते (जी० ए० टो० टो०—जनरल एंट्रीमेंट ग्रॉन ट्रॉड एण्ड टेरिप्स) के बाद यह कहा जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन

की स्थापना का विचार छोड़ दिया गया है।

जी० ए० टी० टी०—१६४७ में जिस समय जेनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार समग्र का चार्टर तैयार किया जा रहा था, उसी समय चार्टर बनाने वाली समिति के सदस्यों ने आपस में निराकार्य (टेरिफ) कर-सम्बन्धी वातों पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया और जी० ए० टी० टी० की रूपरेखा तैयार की।

यह समझौता १ जनवरी, १६४८ से लागू हुआ और इसमें २३ देश सम्मिलित हुए। जी० ए० टी० टी० के तत्त्वावधान में जेनेवा में हुआ निराकार्य सम्मेलन प्रथम था। इसके अतिरिक्त तीन सम्मेलन और हुए—कास (१६४९), इगलैण्ड (१६५०-५१) और जेनेवा (१६५६)। इन सम्मेलनों का परिणाम यह हुआ कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सम्मिलित होने वाली ६०,००० मदों की निराकार्य दर (कस्टम ड्रूटी) घटा दी गई या स्थिर कर दी गई। इस समझौते को मानने वाले सभी देशों ने इसमें भाग लिया। वस्तुतः जी० ए० टी० टी० में शामिल होने की इच्छा रखने वाले देशों की समझौते में शामिल होने से पहले अपनी निराकार्य दर को घटाने के लिए तैयार होना पड़ता है।

१ जनवरी १६४८ को इस समझौते में सम्मिलित सदस्यों की संख्या ३७ थी। विश्व के सम्पूर्ण व्यापार का ८० प्रतिशत विदेशी व्यापार इन्हीं देशों द्वारा होता है।

१६५८ तक तेरह सत्र (सेशन) हो चुके थे। प्रत्येक वर्ष एक सत्र, जिसकी अवधि लगभग ६ सप्ताह की होती है, होता था।

१६५९ से कम अवधि के दो सत्र करने का नियमय किया गया। इन सत्रों में अन्य वातों के अलावा विभिन्न देशों द्वारा प्रस्तुत शिकायतों पर भी विचार होता है।

१६५२ में भारत ने पाकिस्तान द्वारा झूट के निर्यात पर लगाए भेदात्मक करों के विरुद्ध शिकायत की। दोनों देशों की सरकारें आमन्त्रित की गईं और पाकिस्तान द्वारा भारत को जूट तथा भारत द्वारा पाकिस्तान को कोयला देने की शर्तों पर विचार करके एक दीर्घकालीन व्यापारिक समझौता किया गया तथा दोनों देश भेदात्मक करों को समाप्त करने के लिए राजी हो गए।

आधुनिक व्यापारिक समझौते—१६४८-४९ में भारत ने दस देशों के साथ व्यापारिक समझौता किया। यह व्यापारिक देशों से हवय—न कि इंग्लिस्तान द्वारा—सम्बन्ध स्थापित करने की नीति का फल था। दूसरा उद्देश्य सुलभ मुद्रा (सापट करेन्सी) के व्यवहार दुर्लभ मुद्रा (हार्ड करेन्सी) के स्वचय का भी था। सन् १६५३ के मुहूर समझौतों में हस, मिशन और सीलोन के साथ किये गए समझौते मुख्य हैं। हस और भारत समझौते में व्यापार के रूपों में अर्थ-प्रबन्धन करने की व्यवस्था की गई है।

चीन के साथ एक समझौता २६ अप्रैल, १६५४ को किया गया, जिसमें भारत और तिब्बत के चीनी प्रदेश के बीच सामान्य व्यापार की व्यवस्था की गई। १४ अप्रैल, १६५४ को एक दूसरा समझौता हुआ, जिसमें दोनों देशों के आपात और अपवृत्तर, १६५४ को एक दूसरा समझौता हुआ,

नियर्ति की वस्तुओं की व्यवस्था की गई। इस समझौते के अन्तर्गत भारत ने चीन को बलकर अपना माल तिक्कत भेजने के लिए सुविधा प्रदान की। इस समझौते के साथ ही एक अलग पैकेट भी किया गया, जिसमें भारत से ६० लाख पौं वर्जीनिया तम्बाकू के निर्यात (चीन को) और चीन से ६० लाख पौं बच्चे रेशम के आयात का प्रबन्ध किया गया। १४ अक्टूबर, १९५४ को समझौता दो वर्ष के लिए किया गया।

प्रतिवर्ष कुछ व्यापारिक समझौतों में सहोधन या अवधि की वृद्धि की जाती है तथा नये समझौते किये जाते हैं। इनका उद्देश्य निर्यात के नये बाजार प्रस्तुत करने के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार के असन्तुलन को दूर करना है। १९५६-६० में प्रफानिस्तान, बलोरिया, चिली, पूर्वी जर्मनी, फ्रान्स, इटली, जोर्डन, पाकिस्तान, पोर्टूगल, रूमानिया, स्विट्जरलैण्ड और यूगोस्लेविया के साथ नये समझौते किये गए। इधर हाल में फ्रास, जोर्डन और स्विट्जरलैण्ड के साथ य व्यापारिक समझौते पहली बार किये गए हैं। ग्रीस, हगरी, इण्डोनेशिया और ब्रितानीय के समझौतों की अवधि बढ़ा दी गई। हगरी के साथ १ जून, १९६० को ३२ वर्ष की अवधि का एक नया समझौता भी किया गया।

इस समय भारत के व्यापार और भुगतान-सम्बद्धि समझौतों की संख्या २४ है।^१

भारत के व्यापारिक समझौतों को तीन वर्गों में बाँटा जा सकता है—(१) पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ किये गए समझौते, (२) परिचयीय यूरोपीय देशों के साथ किये गए समझौते तथा (३) अन्य देशों के साथ किये गए समझौते। प्रथम प्रकार के समझौतों में (जैसा कि रूस, पोर्टूगल और पूर्वी जर्मनी के १९५८ के समझौतों में है) भुगतान की व्यवस्था अपरिवर्तनीय भारतीय रूपया में है। द्वितीय प्रकार के समझौतों का उद्देश्य भारत के आयात की अधिकता से उत्तर्न असन्तुलन को दूर करना है। इस सम्बन्ध में भारत तथा सम्बन्धित देश के प्रतिनिधियों के मयुक्त आर्थिक आयोग के संगठन का प्रस्ताव भी था।

इस बात में कोई सन्देह नहीं कि व्यापारिक समझौते तथा अन्य सामान्य समझौते, प्रतिनिधिमण्डल न केवल राष्ट्रों के बीच आर्थिक सम्बन्ध बनाते हैं वहिं इसके साथ साथ देश के व्यापार को असराद्धित बनाते हैं जिससे विदेशी व्यापार के रूप तथा व्यापार के नक्शे पर प्रभाव ढाल सकें। १९६४ तथा १९६५ में भारत ने कई नये व्यापारिक समझौते किये तथा पुरान समझौतों के समय को और बढ़ाया। नय समझौते बुलगारिया, दक्षिणी कोरिया, पूर्वी जर्मनी, ईरान, ब्राजील तथा अजेन्टाइनाक साथ किये गए। व्यापार समझौतों का फ्रास, इटली, पाकिस्तान, भक्ता, रोमानिया, चेकोस्लो-वाक्यिया और जोर्डन इत्यादि देशों के साथ पूर्व अवस्था में लाया गया।

अरब गणराज्य के साथ सितम्बर १९६५ में एक समझौते का अनुमार दोनों

^१. डेस्ट्रिक्ट, रिपोर्ट ऑन करनी पर्याप्त फार्मेन्स, पृष्ठ ६०, १९५६-६०।

देशों के बीच व्यापार को शात-प्रतिशत बढ़ाने की चेष्टा की गई। १९६४-६५ में देश से बहुत-से व्यापारिक प्रतिनिधि विदेशों में भेजे गए। इस प्रकार आर्थिक उन्नति के कार्य में लगे हुए राष्ट्रों के साथ सहकारिता की नीव ढाली गई; विशेषतया लका, नेपाल, सूडान तथा युगांडा। अफ्रीकी तथा एशियाई देशों के साथ मिलकर आद्योगिक उन्नति की चेष्टा की गई। ६ प्रोजेक्ट एशिया के देशों के साथ और १० अफ्रीकी देशों के साथ सूती, ऊनी कपड़े, जूट, चीनी तथा हल्के तकनीकी यन्त्रों के बनाने में सहकारिता की।

देश के व्यापार को बढ़ाने के लिए १९३४ के शुल्क दर कानून (Indian Tariff Act) को १९६३ में संशोधित किया गया। १९६४ में आयात में कुछ कटौती के लिए संशोधन किया गया। शुल्कन्दर कमीशन की सिफारिशों पर कुछ वस्तुओं पर सरकारण को हटाया गया, परन्तु रग के उद्योगों पर १९६७ तथा ग्लू-मिनियम पर १९६८ तक सरकारण की अवधि बढ़ा दी गई। मई १९६६ में शुल्क दर के प्रदान के सोन-विचार के लिए एक कमेटी द्वारा बी० के० आर० बी० राव की अध्यक्षता में बनाई गई।

चीधी पचवर्षीय योजना में व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्न किया जाएगा, जिससे विदेशी मुद्रा का हल शीघ्रतशीघ्र मिल सके।

न था। बैंकिंग भी अभी अधिकारित ही था। नवम्बर, १९६४ में भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी की, जिसके अनुसार सरकारी खजानों पर सावरेन और अद्वैत-सावरेन क्रमशः १० और ५ रुपये के भाव से स्वीकार की जाने लगी तथा भारत सरकार सुविधानुसार अपने ऋणदाताओं की इच्छानुसार सावरेन और अद्वैत-सावरेन में चुन चुकती थी। १९६६ में कलकत्ता व्यापार-मण्डल ने स्वर्ण चलार्थ (करेन्सी) अपनाने के लिए पुनः जोर दिया। भारत सरकार ने मैन्सफील्ड आयोग की नियुक्ति की। भारतीय करेन्सी को समस्याओं पर विचार करने के लिए समय-समय पर नियुक्त समितियों और आयोगों में यह सबंधित था। इन आयोगों और समितियों ने भारतीय चलार्थ के दोषों को दूर करने लिए अनेक विरोधात्मक उपाय बताए। मैन्सफील्ड आयोग ने सिफारिश की कि (१) १५, १० और ५ रुपये का सोने का सिक्का जारी करना चाहिए, वयोंकि जनता ऐसे सिक्कों को इन्हीं मूल्य के नोटों की अपेक्षा अधिक पसंद करेगी तथा स्वर्ण चलार्थ (करेन्सी) नोट के प्रचलन का मार्ग प्रस्तुत करेगा। (२) चलार्थ सोने, चाँदी और बागज़ का होगा। १९६८ में एक अधिसूचना जारी की गई, जिसके द्वारा सावरेन और अद्वैत-सावरेन स्वीकार करने वीं दर क्रमशः दस रुपये आठ और पाँच रुपये चार आने कर दी गई, वयोंकि पहली (दस रुपये, पाँच रुपये) बाजार दर के अनुरूप नहीं थी और कलस्वरूप सरकारी खजाने के लिए पर्याप्त सोना आकृष्ट करने में असमर्थ रही। मैन्सफील्ड आयोग का कोई हवाला न देते हुए भारत सरकार ने यह कदम उठाकर अन्ततः सोने को वैधानिक मुद्रा बनाने की इच्छा प्रदर्शित की। सोने को वैधानिक मुद्रा मानने की गलती और उसका परिणाम स्वीकार करने से पहले सरकार भारत में सोने और चाँदी के सापेक्षिक अर्थ को निश्चित कर लेना चाहती थी। १९७२ में सर रिचार्ड टेम्पल ने एक टिप्पणी में भारत सरकार को यह सुझाव दिया कि बास्तव में भारत में स्वर्ण प्रमाण तथा करेन्सी की आवश्यकता थी तथा सोने और चाँदी की दर निश्चित करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की सिफारिश की। गवर्नर जनरल की परियद् इस प्रश्न पर एकमत नहीं थी और भारत सरकार द्वारा इस प्रस्ताव की अस्वीकृति के साथ १९७४ में भारतीय चलार्थ (करेन्सी) के इनिहास का द्वितीय काल समाप्त हो गया।

४ तृतीय काल (१९७४-८३) — १९७४ तक द्रव्य के रूप में चाँदी की स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन प्रारम्भ हो चुका था। १९७३ में जमंती न चाँदी का विमुद्रीकरण कर दिया। १९७४ में स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क ने चाँदी के स्वतन्त्र टक्कन के लिए टक्कमालों को बन्द कर इसी मार्ग का अनुसरण किया। लैटिन यूनियन के देशों न भी इनका साथ दिया और इसके फलस्वरूप बाजार में चाँदी की बहुतायत हो गई। नई खानों एवं परिषृत विद्युतों के कारण चाँदी की उत्पत्ति चूब वढ़ी। भारत में मूल्यों की वृद्धि की सुनिश्चित प्रवृत्ति का कारण अत्यधिक टक्कन था। मूल्यों की वृद्धि सन् १९०० के बाद अधिक लग्त हुई। चाँदी का मूल्य १९७५ में ५८ पैसे प्रति औंस से पटकर १९७६ में ५२२१ पैसे प्रति औंस, १९७८ में ४३ पैसे प्रति औंस, १९८२ में ३०५ पैसे प्रति औंस तथा १९८६ में २७ पैसे प्रति औंस रह गया। चाँदी के अधोमूल्यन

के साथ सावरेन में रूपये का विनिमय-मूल्य अर्थात् स्वर्ण-मूल्य गिरने लगा और सन् १८७१ के २ शिलिंग से घटकर १८६२ में १ शिलिंग २ पैसे के लगभग हो गया।

प्रधानतया स्वर्ण-प्रमाप को अपनाने के अभिप्राय से १८७४ से १८७८ तक रजत के स्वतन्त्र टकन के लिए टकसाल बन्द करने की दिशा में सुधार की आवाज उठाई गई। १८७६ में बगाल का व्यापार-मडल और कलबत्ता व्यापार-स्थान ने गवर्नर जनरल को भारतीय टकसाली द्वारा चाँदी की अनिवार्य टकन किया के अस्थायी अवरोध के लिए प्रार्थना-पत्र भेजा। सरकार ने इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। उनका विचार यह कि सोने को प्रमाप रूप में अपनाएं बिना कोई कदम उठाना सम्भव नहीं था तथा तत्कालीन अव्यवस्थित परिस्थितियों में वे स्वर्ण-प्रमाप अपनाने में असमर्थ थे। इस अनिश्चितता का प्रधान कारण चाँदी का अधोमूल्यन और सोने का अधिमूल्यन था। १८७८ में भारत सरकार ने भारत सचिव के समक्ष प्रस्ताव किया कि स्वर्ण चलार्य (करेन्सी) के साथ स्वर्ण-प्रमाप स्थापित करने के लिए निश्चित वदम उठाये जाएँ और इस बीच सोने के सिक्के और रूपये के बीच में निश्चित सम्बन्ध, जिसे आवश्यकता पड़ने पर समय-समय पर परिवर्तित भी किया जा सके, स्थापित करने के लिए टकसाली लाभ बसूल कर रूपये की कीमत बढ़ाई जाए। राज्य-सचिव ने यह प्रस्ताव एक समिति को सौंप दिया, जिसने विभिन्न आधारों पर इस प्रस्ताव का विरोध किया और सलाह दी कि आकस्मिक भय से प्रभावित होकर विधानों की दरण लेने की अपेक्षा शान्ति से बैठना अधिक श्रेष्ठस्कर है। इन विधानों के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता और न उनके प्रभाव ही मापे जा सकते हैं। स्वर्ण-प्रमाप के विकल्प के रूप में भारत सरकार बहुत समय तक अन्तर्राष्ट्रीय द्विधातु प्रधा अपनाएँ रही, जबकि सारी दुनिया इसका परित्याग करती जा रही थी। १८६५ और १८६६ के बीच उत्तरी अमरीका और विभिन्न यूरोपीय देशों में युद्ध-प्रचलन की कठिनाइयों के निवारणार्थ कम-से-कम चार अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए।

५. चतुर्थ काल (१८६३-१९००) — इस बीच चाँदी के मूल्य में लगातार कमी होने तथा संयुक्त राज्य द्वारा शर्मन कानून हटा देने से प्रतिवर्ष टकन के लिए सरकार को ५४० लाख औस चाँदी खरीदनी पड़ती थी। इसके कारण चाँदी तथा फलस्वरूप भारतीय रूपये की स्थिति पहले से भी अधिक संदिग्ध हो गई। १८६२ में इन परिस्थितियों में भारत सरकार ने फिर राज्य-सचिव तक पहुँच की ओर अन्ततः स्वर्ण प्रमाप अपनाने के उद्देश्य से चाँदी की स्वतन्त्र ढलाई बन्द करने का प्रस्ताव उस दशा के लिए रखा। जबकि छुसेल्स में हो रहा द्रव्य-सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसी निर्णय पर न पहुँच सके। फलतः १८६२ में भारत सरकार के उपयुक्त प्रस्ताव के साथ चलार्य और विनिमय की अवस्था पर विचार करने के लिए हृष्णल समिति की नियुक्ति हुई। जब हृष्णल समिति बैठी हुई थी उसी समय बुसेल्स सम्मेलन द्विन्मित्त हो गया। उस समय भारतीय चलार्य व्यवस्था की प्रधान कठिनाइयों के लिए हृष्णल समिति को निम्न उपाय प्रस्तुत करने पड़े—(१) रजत की एकघातीय प्रथा और स्वर्ण-प्रमाप की देशों में गिरती हुई विनिमय-दर के कारण भारत सरकार की

वित्तीय कठिनाइयाँ, (२) भारत की जनता और वाणिज्य पर विनिमय-दर के कम होने के कुप्रभाव और (३) विनिमय-दर के गिराव के कारण भारत में सूरीपीय अफसरों की कठिनाइयाँ।

६ भारत सरकार की वित्तीय कठिनाइयाँ^१—भारत सरकार की सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि इसको इगलेण्ड के प्रति अपनी स्वर्ण देनदारियों, उदाहरणार्थ शृह-ध्यय (होम चार्जेज), के लिए प्रतिवर्ष काफी रूपया देना पड़ता था। इसके वास्तविक प्रभाव रूपये के स्वर्ण-मूल्य से निश्चित होते थे। यह मूल्य १८७४ तक लगातार कम होता गया और उसके बाद भी गिरने की प्राप्ति का बनी रही। १८८८ से १८९३ तक गर्वनर जनरल की परियोजने के वित्तीय सदस्य सर डेविड बार्बर ने भारत की इस कठिनाई का इस प्रकार वर्णन किया है—“हमारी वित्तीय कठिनाइयों का तात्कालिक कारण सोने की तुलना में चाँदी का अधिमूल्यन था, जिसके फलस्वरूप गत दो वर्ष में भारतीय व्यय ४ करोड़ रूपये भी बढ़ गया। यदि यह अधिमूल्यन रोका जा सके और इगलेण्ड के साथ विनिमय-दर स्थायी रूप से बर्तमान आँकड़ों पर भी निश्चित की जा सके, तो बर्तमान घाटे की समस्या का हल अपेक्षाकृत सरल हो जाए। आगामी वर्ष में हमारी वित्तीय स्थिति विनिमय तथा उन लोगों की स्थिति पर निर्भर है जो किसी भी भाँति चाँदी के मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। यदि हम १५,६५,१०० रुपये के घाटे का बजट तैयार करें और विनिमय-दर एक पैस ही बढ़ जाए तो इ करोड़ से अधिक का घाटा होगा। यदि हम १२^१ करोड़ रुपये का कर लगाएं तो समय-चक्र इतने ही रुपये का कर बार-बार लगाने को बाध्य करेगा और हमें बाद म जात होगा कि कर की कोई आवश्यकता नहीं थी।”

७ विनिमय-दर की गिरावट का भारतीय जनता पर प्रभाव^२—पोषण देनदारियों को छुकता करने के लिए सरकार को अधिक रूपयों की आवश्यकता थी, जिसके कारण रूपये में और अधिक कर लगाया गया। विनिमय की गिरावट के कारण स्थायी बन्दोबस्त के अन्तर्गत निश्चित मालगुजारी देने वालों का भार कुछ कम हो गया और इसी प्रकार उन लोगों का भी भार कम हो गया जिनकी मालगुजारी का बन्दोबस्त अभी हाल में नहीं हुआ था। इसके प्रतिरक्त बढ़े हुए नमक-कर से लोगों को बहुत कठिनाई हुई और उन लोगों पर कर और अधिक भारी हो गया जो लोग रुपये का स्वर्ण-मूल्य कम हो जाने के कारण ऊचे मूल्यों से ब्रस्त हो जुके थे।

आयात और निर्यात की कमश स्थायी हानि और लाभ को छोड़ देने पर भी राज्य की निर्धारिता के बिहूद प्रमुख तर्क मह था कि भारतवर्ष के आयात का ७४% सोना प्रयोग करने वाले देशों से और २६% चाँदी प्रयोग करने वाले देशों से आती थी^३। इस प्रकार स्वर्ण-प्रमाण वाले देशों से घनिष्ठ वित्तीय और वाणिज्य सम्बन्ध

१. इशल कमेटी ट्रिपोर्ट, पैरा ३-६।

२. पूकाल्पत रिपोर्ट, पैरा ३०-३४।

३. इसके लिए १० डल्लर० की ‘माइन कर्न्मी रिफार्म्स’, पृ० २७-२८ देखिए।

स्थापित हो चुके थे और रूपये के मूल्य में लगातार कमी होने से भारत के विदेशी व्यापार की कठिनाइयों की वृद्धि तथा परिकल्पना का उत्पन्न होना अवश्यम्भावी था। इसके अतिरिक्त रूपये के मूल्य की कमी से नियोक्ताओं को स्थायी लाभ मिला, परन्तु यह कारण मजदूरों के मत्थे जाता था क्योंकि मूल्यों की तुलना में मजदूरी की वृद्धि अधिलतर होती है। भारत के हित को ध्यान में रखते हुए हम यह नहीं बह सकते कि विनियम का ग्रन्थवरत गिराव सामग्रद था।

५. विनियम और विदेशी पूँजी ने गिराव—विनियम का गम्भीर गिराव भारत में विदेशी पूँजी के विनियोग तथा अधिकाशतः उस पर निर्भर देश के विकास को रोकने लगा, यदोंकि उधार देने वाला बाजार लन्दन था और वह स्वर्ण में ही सोचता था। विनियोग पर व्याज-सम्बन्धी अनिदिच्छता तथा विनियोजित पूँजी को पुन इगलैण्ड स्थानान्तरित करने से उसके मूल्य में कमी की सम्भावना ने भारत में विटिश पूँजी के प्रबाहु को अवरुद्ध कर दिया। विनियम के गिराव के कारण यूरोप-निवासियों की सेवाएँ प्राप्त करने के लिए विदेशी फर्मों को कठिनाई का सामना करता पड़ता था। देश में विदेशी पूँजी आकर्षित करने की कठिनाइयों का प्रतिकूल प्रभाव भारत की स्थानीय संस्थाओं के वित्त पर भी पड़ा।

६. यूरोपीय अधिकारियों की दशा—भारत सरकार को अपने अधिकारियों के सम्बन्ध में भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विनियम में गिराव के वापर अधिकारी वर्ग क्षतिपूर्ति माँगने लगा। उन्हे वेतन रूपये में मिलता था तथा इगलैण्ड में अपने परिवार को सहायता और बच्चों की शिक्षा के लिए उन्हें अपनी आय का पहले से अधिक भाग स्टिलिंग के रूप में भेजना पड़ता था। इससे अधिकारियों में गहरा असन्तोष फैल गया।

७०. हर्षनं समिति की सिफारिशें—तत्कालीन द्रव्य-व्यवस्था के दीघ सुधार के सम्बन्ध में हड्डमत हो जाने पर हर्षनं समिति ने अपने सुझाव दिये। द्वितीय प्रणाली का अब कोई प्रश्न ही नहीं था। चाँदी के विमुद्रीकरण और स्वर्ण-प्रमाप करेन्सी के स्थान पर एक प्रकार की पगु प्रमाप की सिफारिश की गई, जिसके अन्तर्गत सोने या चाँदी के स्वतन्त्र टकन की मनाही कर दी गई।

भारत सरकार ने इसका अनुमोदन किया और १८७० के कानून और भारतीय कागजी चलाई अधिनियम (इण्डियन पेपर करेन्सी एकट) १८८२ के सुधार के लिए १८८३ में एक कानून पास किया गया। चाँदी की स्वतन्त्र ढलाई के लिए टकसाली को तुरन्त बढ़ा कर देने की व्यवस्था थी, गदायि भारत सरकार को अपने-पाए (अपने लिए) मुद्रा बनाने की इजाजत थी। उसी समय शासन सम्बन्धी तीन अधिसूचनाएँ जारी की गई। पहली अधिसूचना ने १६ पैस = १ रुपों की दर से स्वर्ण-मुद्रा और स्वर्ण-पिण्ड के बदले रूपया देने की व्यवस्था की। दूसरी अधिसूचना ने उसी भाव पर सार्वजनिक देन-दारी के लिए सावरेन और प्रदूष सावरेन को स्वीकार करने को विहित ठहराया। तीसरी अधिसूचना ने उसी भाव पर स्वर्ण-मुद्रा और स्वर्ण-पिण्ड के बदले कागजी चलाई कामतिप (पेपर करेन्सी ऑफिस) से कागज के नोट जारी करने की व्यवस्था दी।

के सोने पर आधारित कर देणी। साथ ही अनिश्चित सीमा तक प्राप्त रूपयों के बदले लग्नदन में सोने से अदा करने की देनदारी भी भारत की होगी।

फाउलर समिति के अनुसार सोने के स्वतन्त्र आवाह-प्रवाह पर आधारित स्वर्ण-प्रमाप और चलार्य (करेन्सी) की स्वापना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इस उद्देश्य से उन्होंने अधीलिखित प्रस्ताव रखा—(१) सावरेन और अर्ड-सावरेन के टकन के लिए भारत में टकसाले खोल दी जाएँ। १८६३ के निर्णय के अनुसार चाँदी के स्वतन्त्र टकन के लिए टकसाले उस समय तक के लिए बन्द कर दी जाएँ जब तक चलार्य में सोने का अनुपात जनता की आवश्यकता से अधिक न हो जाए। (२) अन्ततोगत्वा विनिमय-दर १ शिं० ४ पै० प्रति रूपया स्थिर कर दी जाए, वयोंकि यह पहले भी निश्चित की जा चुकी थी और इस दर से मूल्यों का सामञ्जस्य हो जाने के कारण किसी अन्य अनुपात की तुलना में इसका निवाह सरल था। (३) रूपया असीमित वैधानिक ग्राहा बना रहे। (४) सरकार सोने के बदले में रूपया देना जारी रखे और अपने-आपको रूपये के बदले में सोना देने को बाध्य न करे, वयोंकि सोना देने के लिए धार्य होना असुविधाजनक होगा तथा सरकार से सोने की आकस्मिक माँग भी की जा सकेगी, जिसकी पूर्ति के लिए भारी लागत पर स्टलिंग क्रण लेना आवश्यक हो जाएगा। (५) रूपये को सावरेन में बदलने के लिए भविध्य में चाँदी के टकन का लाभ विशेष सुरक्षित कोप के रूप में एक स्वर्ण-कोप में जमा करना चाहिए जो पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप तथा सरकारी कोप से अलग हो। यद्यपि सरकार कानूनी तौर पर रूपये को सोने में बदलने के लिए बाध्य नहीं है, फिर भी लोगों के इच्छुक होने तथा बोप से अदायगी सम्भव होने पर सोना देना लाभप्रद होगा। (६) जिस समय ध्यापारिक सतुलन विपरीत हो, उस समय सरकार को सोना सुलभ करने के लिए तंयार रहना चाहिए। समिति ने आमा की कि सोना सामान्यत स्वर्ण सुरक्षित-कोप और विशेषतया उनके द्वारा प्रस्तावित स्वर्ण-कोप से मिलेगा, यद्यपि अन्ततोगत्वा स्वर्ण-प्रमाप और स्वर्ण चलार्य (करेन्सी) के पूर्णतया प्रारम्भ हो जाने के फलस्वरूप प्रचलन से भी सोना प्राप्त हो सकेगा।

सक्षेप में, फाउलर समिति द्वारा मत था कि निश्चित विनिमय-दर प्रभावपूर्ण स्वर्ण प्रमाप से ही प्राप्त की जा सकती है। समिति ने लैंटिन यूनियन और समुक्त-राज्य द्वारा अपनाये गए पगु प्रमाप को नमूने के तौर पर स्वीकार किया। इस प्रमाप में सोना और चाँदी एक निश्चित वैधानिक अनुपात के साथ असीमित वैधानिक ग्राहा माने गए, परन्तु टकसालों को केवल सोने की स्वतन्त्र टकन करने की आज्ञा दी गई।

१२. द्रव्य-सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपनाये गए उपाय—(१) स्वर्ण का प्रचलन—फाउलर समिति की सिफारिशों को पूरा करने के लिए उपर्युक्त बदल उठाये जाने के बाद सरकारी नीति अपने ध्येय से विचलित होकर निरुद्देश्य इधर-उधर भुक्तने लगी और अन्ततोगत्वा कठिनाइयों को दूर करते-करते स्वर्ण विनिमय प्रमाप पर आ गई। टकसालों के बन्द करने से बड़ी तगी आ गई जो व्यापार के

विस्तार और जनसंख्या में वृद्धि के बारण अत्यधिक अनुभव की जाने लगी। इस परिस्थिति के जमन के लिए १६६८ का एक अस्थायी उपाय के रूप में पास हुआ। इस कानून के अन्तर्गत भारत सचिव द्वारा कौसिल विलों की विक्री से प्राप्त राशि भारतीय पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष के अंश के रूप में बैंक ऑफ इंग्लैण्ड में सोने में रखी जा सकती थी। इस प्रकार सुरक्षित सोने के आधार पर भारत सरकार नोट जारी कर सकती थी और कोष की घनराशि को कम किये दिना भारत-सचिव के ड्रापटो को इन नोटों से खरीद सकती थी।^१ इसका प्रभाव यह हुआ कि भारत सरकार के रूपों के भण्डार की कमी बढ़ती गई।

(२) नोट और रूपये जारी करना—१६०० में भारत सरकार ने साचार होकर बड़े पैमाने पर टक्कन दिया को फिर आरम्भ किया, इसके लिए अपेक्षित चाँदी लन्दन के पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष के सोने से खरीदी गई। १६६८ का सकट पूर्णतया अस्थायी था। उसके अनुसार कौसिल विलों की विक्री से प्राप्त तथा पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष में जमा किया गया सोना भारत-सचिव के पास इंग्लैण्ड में रहेगा, जब तक कि वे स्वयं इसे भारत न भेज दें अथवा भारत सरकार कौसिल विलों की विक्री से प्राप्त सोने के आधार पर जारी किये गए नोटों के बराबर सिवके करेन्सी रिजर्व के भाग वे रूप में अलग रखकर सोना न मांग ले। सर्वप्रथम यह बानून टाई वर्ष के लिए बटाया गया और १६०० में पुन दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इस प्रकार प्राप्त हुए सोने से भारत में सिवका बनाने के लिए चाँदी खरीदने और उसे पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष के अंश के रूप में स्वीकार करने का अधिकार भारत-सचिव को था। इस प्रकार इंग्लैण्ड में स्वयं सुरक्षित कोष के तीन स्पष्ट उद्देश्य थे—(क) इससे आवश्यकता पहने पर टक्कन के लिए चाँदी खरीदने हेतु लन्दन में थन मिल सकता था। (ख) व्यापारिक सम्बन्धों प्रतिकूल होने तथा कौसिल विलों का विक्रय असम्भव अथवा अलाभप्रद होने पर भारत को विदेशी विनिमय में सहायता मिल सकती थी। ऐसी परिस्थितियों में भारत सचिव अपने व्यय को पूरा करने के लिए पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष से सोना ले लेगा और नमान राशि स्थानातरित कर दी जाएगी।^२ (ग) अन्तिम, यह एक ऐसा कोष था जिसमें विनिमय-दर को अनावश्यक रूप से ऊँचा होने से रोकने तथा भारत के लिए अवाधीनीय प्रवाह बन्द करने के लिए भारत-सचिव अपनी आवश्यकता से अधिक कौसिल विल बेचकर राशि जमा कर सकता था। इस जमा की हुई राशि के आधार पर भारत में नोट जारी किए जाते थे।

१. जैसा कैमर ने कहा है, यद त्वाय व्यवहारतः सरकार द्वारा लिह्से योजना को अपनाने के दावर था (ऐसे एक साल याद काञ्चन सुमिति की सिफारिशों पर अस्तीकार कर दिया गया)। इसका अर्थ लन्दन में भारत-रिक्ज पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष के आधार पर विक्रय बरमा था (उन दरों पर जो व्यवहारतः लन्दन का स्वर्ण नियांत-विन्दु प्रदर्शित करती थीं तथा जिनका प्रमुख उद्देश्य भारत में द्रव्य मन्मनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करेन्सी प्राप्त दरना था)।—कैमर, पूर्व छृ३८, १० १०२।

२. डेल्ली, सेक्टर २४।

१९०२ में ये सारे नियम स्थायी बना दिये गए। १९०५ में भारत के सुरक्षित कोष में ५० लाख पौँड जमा हो गया और यह रकम लग्नदन-स्थित इंगलैण्ड बैंक को पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष में रखने के लिए भेज दी गई। यह साधारण कार्यों के लिए नहीं खर्च किया जाता था। इसका एक भाग इंगलैण्ड की स्टॉलिंग प्रतिभूतियों में जमा किया जाता था। १९०६ के बाद पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष का अधिकांश भाग सोने के रूप में रखा जाने लगा।

१३. स्वर्ण प्रमाप सुरक्षित कोष—१९०० में भारत सरकार ने एक सुरक्षित स्वर्ण-कोष को भारत में रखना प्रस्तावित किया, जिसे फाउलर समिति भी चाहती थी। उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष धीरे-धीरे अपनी पूर्व स्थिति पर पहुँच जाए और इसका प्रयोग केवल करेन्सी नोटों के भुगतान के लिए ही किया जाए। इसका निर्माण मुख्यतः रूपयों और प्रतिभूतियों से ही हो। इसके विपरीत सुरक्षित स्वर्ण-कोष में प्रवानगत सोना ही रखा जाए।

भारत सचिव की योजना के अनुसार रूपयों के टकन का लाभ लदन भेज दिया जाता था और होता यह था कि भारत में टकित रूपयों के बदले लग्नदन-स्थित पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष में से सोना ले लिया जाता था। १९०६ में रूपयों की मांग की कठिनाई दूर करने के लिए पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष से अलग एक विशेष रूपया सुरक्षित कोष बनाया गया, जिसे स्वर्ण-प्रमाप सुरक्षित कोष की रजत शाखा का नाम दिया गया।^१ रूपया सुरक्षित कोष का उद्देश्य रूपये की विनियम-दर को १ शि० ४ प० से आगे न बढ़ने देना था। अतएव इसी दर पर सावरेन के बदले में रूपयों की दर निश्चित हो गई। १९०३ की अधिसूचना, जिसने त्रिटिश स्वर्ण-मुद्रा से भिन्न स्वर्ण के बदले रूपयों और नोटों के प्रचलन का अधिकार दिया था, वापस ले ली गई। इसी बीच, विभिन्न कोषों में एकत्रित सोने को लग्नदन भेजने का कार्य आवश्यक रूप से व्यवशील माना गया। इसलिए १९०४ में कौसिल ट्रॉफट बेचने की प्रथा अपने प्रारम्भिक उद्देश्य से आगे बढ़ गई। भारत-सचिव ने १ शि० ४½ प० की दर पर असीमित मात्रा में कौसिल बिल बेचने की इच्छा घोषित की। यदि इसके लिए भारत के नकद कोष अपर्याप्त हो, तो इसकी पूर्ति भारत के पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष से रूपया निकालकर की जा सकती थी और इसके बराबर सोना लदन में पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष में जमा कर दिया जाता था। भारत सरकार के पास सावरेन एकत्रित हो जाने तथा उन्हें १ शि० ४½ प० पर भारत में निर्यात करना सदैव मौहगा न होने के कारण मिल और आस्ट्रेलिया से भारत भेजे जाने वाले सावरेन के आधार पर तार ढारा स्थानान्तरण (टेलियाफिक ट्रासफर) करना निश्चित किया गया। स्थानान्तरण की दर १ शि० ४ प० और १ शि० ४½ प० के बीच थी (जो कौसिल बिल की दर से भी कम थी)^२ ताकि ऐसे सावरेन के स्वामियों को उन्हें भारत से लग्नदन भेजना लाभप्रद हो सके।

१. इस तिथि से रूपये सुरक्षित कोष का नाम स्वर्ण-प्रमाप सुरक्षित कोष हो गया।

२. इस प्रथा की कार्य-विधि के वर्णन के लिए देखिये, जेठ पम० केम्स की पुस्तक 'इंडियन कोलनी पर्ल फारमेन्स', पृ० ११४-१८।

जून १९०७ में भारतीय रेलवे वित्त सम्बन्धी मंके समिति ने सिफारिश की कि १९०७ में रप्ये के टक्कन म हुए लाभ में से १० लाख सावरेन रेलो पर खर्च किया जाए। भारत-मन्त्रिवाले इस समिति की सिफारिश के आगे यह निर्णय दिया कि जब तक स्वर्ण प्रमाप सुरक्षित कोष २०० लाख पौण्ड तक न पहुँच जाए, रप्ये के टक्कन से हुए लाभ का आधा रेलो पर खर्च किया जाएगा।

१४. १९०७ और १९०८ का सकट—भारत के कुछ भागों में फसलों के आंशिक रूप से खराब होने तथा अन्य भागों में यथार्थतः घ्रावाल पड़ जाने के बारण भारतीय निर्यात कम हो गए। यूरोप में भी उन्नति-काल के बाद, जो १९०७ में अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया, अब वनति का प्रारम्भ हुआ, जिसके परिणामस्वरूप व्यापारिक मन्दी और बेकारी फैलने लगी। इस प्रकार यूरोप की क्रय-शक्ति नष्ट हो गई और सामान्य द्राविक कठिनाई के कारण परिस्थिति और खराब हो गई। यह कठिनाई न्यूयार्क में वित्तीय सकट से उत्पन्न हुई थी, जबकि जूट, रेई और गेहूँ इत्यादि के भारतीय निर्यात कम हो गए। चांदी का आयात, विशेषकर उसकी कीमत में काफी बढ़ी गयी जाने से बढ़ गया। इन सभी कारणों के फलस्वरूप भारत की विदेशी विनिमय-स्थिति और खराब हो गई। सावरेन भण्डार शीघ्रता से घटने लगा और विनिमय बैंकों ने इगलैण्ड के तार छारा रथानान्तरण (टेलिग्राफिक ट्रान्सफर) के विक्रय पर जोर दिया। सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया और पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष से कुछ शतों पर सोना देना स्वीकार किया। एक व्यक्ति को एक दिन में १०,००० पौण्ड स अधिक सोना नहीं दिया जा सकता था। स्थिति और खराब हो जाने पर भारत-सचिव ने भारत सरकार को टेलिग्राफिक ट्रान्सफर या रिजर्व कौसिल को १ शि० ३३५५ पै० प्रति रप्ये की दर से बेचने की राय दी और भारत के कोषों (ट्रजरी)^१ से लन्दन में पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष को रूपया स्थानान्तरित करने के बदले उसी कोष में से सोना दिया। उन्होंने रिजर्व कौसिल की भुगतान की मांग को स्वरूप-प्रमाप सुरक्षित कोष की स्टेलिग प्रतिभूतियों वो बाजार में बेचकर पूरा किया, यद्यपि इन प्रतिभूतियों का अधोमूल्यन हो चुका था। इन साधनों ने सुधार हुआ और दूसरे वर्ष विनिमय-दर १ शि० ४ पै० पर स्थिर हो गई जिसका प्रधान कारण समुत्थान था।

१५. स्वर्ण प्रमाप द्रव्यवा स्वर्ण विनिमय प्रमाप—सकट का सामना करने के लिए सरकार ने जाने अनजाने में स्वर्ण-विनिमय प्रमाप की दिशा में कदम उठाए। सर्व-प्रथम आन्तरिक प्रयोग के लिए रप्ये के बदले सोना स्वतन्त्र रूप से दिया गया, परन्तु व्यक्तिगत रूप से सोना बाहर भेजने के सम्बन्ध में बहुत अनिच्छा प्रगट की गई। इससे प्रकट था कि सरकार ने अभी तक अच्छी प्रकार न विचार ही किया था और न निर्दिष्ट स्वर्ण से स्वर्ण विनिमय प्रमाप को अपनाया ही था। लेकिन बाद में रिजर्व कौसिल की विक्री ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसने भारतीय करेन्सी को लिप्त-से-योजना के समीप ला दिया। लन्दन के पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष के स्वर्ण निष्ठेषों के बदले

^१ भारत के कोषों से लात्तर इंग्लैण्ड द्वे चरीच से है।

रूपया और नोटों से भुगतान करने की क्रिया पहले से ही प्रचलित थी और १६०४ में भारत-सचिव ने निश्चित दर पर असीमित राशि के लिए अनिश्चित काल के लिए कौसिल बिलों के बेचने की इच्छा प्रकट की। १६०७-८ में अन्तर्राष्ट्रीय कांगों के लिए रूपयों को स्टलिंग में बदलने की क्रिया अर्थात् रिजर्व कौसिल वी बिली ने स्वर्ण विनियम प्रमाप की नीव डाली।

सकट का सामना करने हेतु उठाये गए कदमों के परिणामस्वरूप सरकार के सोने के साधन खाली हो गए। लन्दन में करेन्सी कोप में सावरेन ७० लाख पौण्ड से घटकर १५ लाख पौण्ड रह गई, जबकि भारत में सोने का सम्पूर्ण भण्डार समाप्त हो गया था।^१ इस प्रकार सरकार सुरक्षित स्वर्ण कोप को बढ़ाने की आवश्यकता से प्रभावित हुई ताकि भविष्य में ऐसे सकटों का स्थिर चित्त होकर सामना किया जा सके। १६०६ में उन्होंने भारत-सचिव के सामने प्रस्ताव रखा कि सुरक्षा के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि २५० लाख पौण्ड होनी चाहिए और जब तक इतनी रकम पूरी न हो जाए तब तक उसका कोई भाग रेलों पर खर्च न किया जाए। उन्होंने स्वर्ण प्रमाप सुरक्षा कोप को तरल रूप में रखने की भी सिफारिश की।

भारत-सचिव ने उत्तर दिया कि उनके अनुसार स्वर्ण प्रमाप सुरक्षित कोप और पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप दोनों को मिलाकर २५० लाख पौण्ड उचित राशि होगी और जब तक दोनों की संयुक्त राशि इतनी नहीं हो जाती, तब तक स्वर्ण प्रमाप सुरक्षित कोप से कोई भी रकम नहीं ली जाएगी। संयुक्त राशि के २५० लाख पौण्ड हो जाने पर इस पर विचार किया जा सकता है।

१६१२ में भारत सरकार की इच्छा के प्रति आदर भावना तथा सावंजनिक आलोचना के कारण भारत सचिव ने यह निर्णय किया कि स्वर्ण प्रमाप सुरक्षित कोप का प्रमाप २५० लाख पौण्ड हो और ५० लाख पौण्ड का सोना बैंक ब्रॉन्फ इगलैंड में प्रक्षेप के रूप में रखा जाए।^२

उपर्युक्त कदम उठाने से सरकार अनेजाने में फाउलर समिति द्वारा प्रस्तावित स्वर्ण प्रमाप के सीधे और सकुचित मार्ग से भलग हो गई और अनेक अवसरवादी उपायों के क्रम के फलस्वरूप लिण्डसे द्वारा प्रस्तावित योजना पर पहुँच गई। इस पद्धति के बारे में १६६३ में सोधा भी नहीं गया था और १६६८ में फाउलर समिति और सरकार दोनों ने ही इसका विरोध किया था। कोई ऐसी निश्चित तिथि बताना भी सम्भव नहीं है जिस दिन से यह विचारपूर्वक अपनाई गई हो।

स्वर्णीय सर विट्टुलदास घेकरसे को प्रेरणा से सोने की टकसाल और टकन के प्रस्ताव पुन रखे गए। इन्होंने १६१२ में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौसिल में इस आवाय का एक प्रस्ताव रखा। इस सम्बन्ध में एक वर्ष तक बातचीत चलती रही। उस समय यह निश्चित हुआ कि यह प्रश्न अन्य प्रस्तो के साथ करेन्सी आयोग के समक्ष

१. देखिए, एथ० एफ० हॉबिं, 'इंग्ल॒या परण द गोल्ड स्ट्रैट्ड', प० ३५।

२. देखिए, शिराज, पूर्व उद्धृत, प० २१५।

रखा जाए जिसके बारे में विचार किया जा रहा था।

१६. स्वर्ण विनिमय प्रमाप का स्वरूप—स्वर्णीय लाड़ बेन्स ने, जो इस पढ़ति के योग्यतम व्यापारकर्ताओं में से थे तथा जिसका विकास ऊपर किया जा चुका है और जो १८६८-६९ से १८१५-१६ तक भली-भाँति कार्यशील रही, सक्षेप में निम्न विशेषताएँ बताई हैं—(१) रूपया असीमित वैधानिक ग्राह्य मुद्रा है, विधानत. अपरिवर्तनीय है, (२) सावरेन भी १ पौण्ड=१५ रुपये की दर से असीमित वैधानिक ग्राह्य मुद्रा है और जब तक १८६३ की अधिसूचना वापस नहीं ली जाती तब तक वह इसी पर परिवर्तनीय है अर्थात् सरकार को १ पौण्ड के बदले १५ रुपये देने पड़ेगे, (३) शासन की हाफ्ट से सरकार इस दर पर रुपये के बदले सावरेन देगी, परन्तु यह कार्य कभी-कभी रोका भी जा सकता है और रुपये के बदले यथेष्ट मात्रा में सोना सदैव प्राप्त नहीं किया जा सकता, और (४) शासन प्रबन्ध के विचार से सरकार लग्नदन में रुपये के बदले में चुकता होने वाले विलों को १ रुपये ३ $\frac{1}{2}$ पैसे प्रति रूपया की दर से कलकत्ता में बेचेगी।

इन प्रस्तावों में चौथा प्रस्ताव रुपये के स्टॉलिंग मूल्य को सहायता देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि इसे ठीक रखने के लिए सरकार ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, फिर भी इस सम्बन्ध में असफलता उनकी पढ़ति को एकदम छिन्न-भिन्न कर देगी।

इस प्रकार द्वितीय प्रस्ताव रुपये के १ रुपये ४ पैसे के स्टॉलिंग मूल्य को भारत में सावरेन भेजने के खर्च से अधिक नहीं बढ़ने देगा और चौथा प्रस्ताव उसे १ रुपये ३ $\frac{1}{2}$ पैसे से नीचे गिरने से रोकेगा।

स्वर्ण विनिमय प्रमाप के सम्बन्ध में कहा जाता है कि स्वर्ण प्रमाप और स्वर्ण करेन्सी से कहीं अधिक सस्ता होने के साथ ही यह स्वर्ण करेन्सी के सभी लाभों से पूर्ण है। यह स्पष्ट है कि भारत में इसका प्रधान उद्देश्य रुपये और सोने का सतुलन बनाये रखना था। जिस समय विनिमय निर्बल होता उस समय तो सरकार स्टॉलिंग (रिवर्स कौसिल) बेचने लंगती और जब रुपये का मूल्य बढ़ता, तो वह हाथानीय (करेन्सी कौसिल विल) बेचने लगती। सरकार के ऐसे हस्तक्षेप का प्रभाव सोने और रुपयों के सुरक्षित कोप के पर्याप्त होने पर निर्भर था।

१७. कौर्सिल ड्रापट प्रथा—१८१४ तक रिवर्स कौसिल और कौसिल विल स्वर्ण विनिमय प्रमाप के महत्वपूर्ण अग बन चुके थे, परन्तु सरकार रिवर्म कौसिल बेचने के लिए कभी भी विधानत बाध्य नहीं थी। इसके अतिरिक्त उन्हें बेचने के अवसर भी बहुत काम आए, परन्तु जैसा कि हम देख चुके हैं, कौसिल ड्रापट पढ़ति कौसिल विल और टेलिग्राफिक, ट्रान्सफर भारतीय करेन्सी विनिमय और वित्त के प्रबन्ध का आधार रही है।

भारत में हुडियां (बिल्स आॉफ एवसचेज) बेचकर घन एकत्र करने की प्रथा इस्ट इण्डिया कम्पनी के समय से प्रचलित थी।^१ १८६३ तक नियम के रूप में कौसिल १. यह विवरण 'वेन्वरेन कमीशन रिपोर्ट' से संचित रूप में लिया गया है, पैरा १७०-७६।

ड्रापट की विक्री गृह-व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत-सचिवद्वारा ही की जाती थी। यह प्रथा भारत-सचिव को अनुकूलतम् दरो पर अधिक घन प्राप्त करने में सहायक होती थी। व्यापार के लिए भी यह सुविधाजनक थी, व्योगिभारत के आयात ने निर्यात की अधिकता होने के कारण भारत के प्रति अन्य देशों की देन-दारी तय करने का यह सरल साधन था। सब तो यह है कि सामान्य परिव्यक्तियों में निर्यात की अधिकता से हुई बचत के कारण ही कौसिल ड्रापट प्रथा सम्भव और लाभ-प्रद हो सकी।

१८६३ के बाद कुछ वर्षों तक इस प्रथा का नकारात्मक प्रयोग किया गया, अर्थात् कौसिल ड्रापट की विक्री बन्द करके रूपये के विनिमय मूल्य को बढ़ाने की चेष्टा की गई। इसका प्रभाव यह हुआ कि रूपया स्वतन्त्रता से मिलना बन्द हो गया और स्टॉलिंग में उसका मूल्य बढ़ने लगा।

यह हम देख चुके हैं कि किस प्रकार १८६८ में जब रूपया १ शिं ४ पै० वे बराबर हो गया था, १८६८ के एकट ने भारतीय पत्र मुद्रा सुरक्षित कोप के अद्य के रूप में बैंक ऑफ इंग्लैण्ड में जमा सोने के आधार पर कौसिल ड्रापट बेचने का अधिकार दिया तथा किस प्रकार कौसिल ड्रापट के लिए समान मूल्य के नोट और रूपये भारत में जारी किये जाते थे। इसका उद्देश्य केवल गृह-व्यय को पूरा करने के लिए धन एकत्रित करना नहीं था, बल्कि द्रव्य-सम्बन्धी कटिनाइयाँ होने पर जब भारत सरकार के पास कौसिल ड्रापट के लिए सरकारी खजानों में अतिरिक्त धन नहीं होता, तो अवितरण रूप से भारत को सावरेन भेजने के विकल्प के रूप में करेन्टी का विस्तार करना भी इसका उद्देश्य था।

१८०६-१० में लन्दन में मीना प्राप्त करने के लिए कौसिल ड्रापटों का विक्रय स्वतन्त्रतापूर्वक किया गया। इसका विक्रय रूपयों की उस बड़ी मात्रा के स्थान पर किया गया था जो सकट-काल में लन्दन में रिवर्स कौसिल की विक्री से भारत के स्वर्ण प्रमाण सुरक्षित कोप में जमा हो गई थी। इसका फल यह हुआ कि स्वर्ण प्रमाण सुरक्षित कोप पुनः लन्दन चला गया।

रूपयों के टकन का लाभ, जो स्पष्टतः रूपये के रूप में होता था, लन्दन में स्टॉलिंग में परिवर्तित कर दिया गया। लाभ प्रदर्शित करने वाले रूपये लन्दन में बेचे गए कौसिल ड्रापटों के बदले भारत में जारी कर दिए जाते थे। इस प्रकार कौसिल ड्रापट की प्रथा भारत-सचिव को धन एकत्रित करने का साधन प्रदान करने के अतिरिक्त वही अधिक विस्तृत थी। उसका उद्देश्य व्यापार में सुविधा प्रदान करना तथा सरकारी सावनों को इस प्रकार व्यवस्थित करना था, ताकि करेन्सी, विनिमय और वित्तीय मामलों में सरकारी नीति पूर्णतया प्रभावशाली रहे।

१८ चैम्बरलेन प्रायोग—स्वर्णीय सर आस्टिन चैम्बरलेन की अध्यक्षता में अप्रैल, १८१३ में सरकार के मुद्रा चलन और विनिमय नीति की आप्रहृष्टीय और गहरी आलोचना के कारण एक आयोग की नियुक्ति हुई, जिसने फरवरी १८१४ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके निष्कर्ष और सिफारिशों नीचे दी जा रही है—

(१) रूपये के विनिमय मूल्य को स्थायी आधार पर स्थापित करना भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात थी। (२) रूपये के विनिमय मूल्य को स्थिर रखने के लिए अपनाये हुए उपाय १८६८ की समिति की सिफारिशों के उन्नत अनुरूप नहीं थे जिन्हें कि उसके पूरक थे। (३) १८०७-८ के सबट-काल में इनकी खूब परीक्षा हुई और उस समय इन्ह सन्तोषजनक पाया गया। ऐसे सबट-काल वह सामना करने के लिए पहले से ही तेयार योजनाओं तथा अनुभव के अभाव में सरकार ने प्रारम्भ में कुछ गलतियाँ घवल थीं। उदाहरण के लिए भारत वार्यालिय (इण्डिया ग्रॉफिक्स) का विरहास या कि कौसिल बिल न विवेते पर सन्दर्भ में भारत-सचिव की आवश्यकताओं की पूर्ति न रखा ही स्वर्ण प्रमाप सुरक्षित कोष का एकमात्र अथवा प्रमुख उद्देश्य था, जबकि भारत सरकार ने पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष में निर्धारित के लिए सोना न देने की गलती थी, यद्यपि आन्तरिक सोने के खर्च पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। दोनों ही अधिकारी इस बात को नहीं समझ सके कि सुरक्षित स्वर्ण कोष का प्रमुख उपयोग विनिमय के स्वर्ण दिनहु से नीचे हो जाने पर विदेश भेजने के लिए सोने को स्वतन्त्र रूप ने प्राप्त बनाना है। व्यवहार में गलनियाँ दड़ी जल्दी सुधार ली गईं। विनिमय-दर को पूर्व स्थिति पर लाने और बनाए रखने के लिए उठाये गए कदम अपर्याप्त सिद्ध हुए। (४) यत् १५ वर्ष वाँ इतिहास साक्षी है वि स्वर्ण मुद्रा का सक्रिय चलन स्वर्ण प्रमाप की अनिवार्य दशा नहीं है, यद्योकि इस दरा के बिना भी स्वर्ण प्रमाप हड्डापूर्वक स्थापित हो चुका था। (५) आन्तरिक प्रचलन के लिए सोने के अधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करना भारत के लिए हितन्कर नहीं था। (६) मा०न की जनता करेन्सी के रूप में प्रचलन के लिए न तो सोना चाहती थी और न वह अनेकित ही था। भारत की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्ततम करेन्सी रूपे छोटे नोटों की थी। (७) करेन्सी या विनिमय हेतु स्वर्ण के टकन के लिए टकसाल की कोई आवश्यकता नहीं थी, परन्तु यदि भारतीय भावनाएँ इसकी माँग करे और भारत सरकार खर्च सहने के लिए तेयार हो तो भारतीय अथवा जाही—किसी भी हाप्टिकोण से इसे स्थापित करने में कोई आपत्ति न होनी चाहिए, वस्ते कि टकित सिवाया सावरेन था अर्ध-सावरेन हो। यह एक ऐसा प्रश्न था जिसम भारतीय भावनाओं के अनुरूप बार्य होना चाहिए। (८) यदि स्वर्ण के टकन के लिए टकसाल की स्थापना नहीं होती तो वहाँ वी टकसाल पर करेन्सी के बदले परिष्कृत सोना स्वीकार किया जाए। (९) सरकार का उद्देश्य जनता को करेन्सी का वह रूप प्रदान करना होना चाहिए जो वह माँगती हो, चाहे वह रूपये के रूप में हो अथवा नोट और सोन के रूप में, परन्तु नोट वा प्रयोग प्रोत्साहित करना चाहिए। (१०) इन आन्तरिक करेन्सी को विनिमय दायों के लिए स्वर्ण और स्टिलिंग पर्याप्त सुरक्षित कीप से सहायता दनों चाहिए। (११) स्वर्ण प्रमाप सुरक्षित कोष की कोई नियिचन सोमाय न हो होनी चाहिए, तब तक वि स्वर्ण प्रमाप सुरक्षित कोष स्वयं भार महत्व योग्य न हो जाए तब तब पत्र मुद्रा सुरक्षित करेय पर ही भरोसा करना चाहिए। (१२) रूपये के टकन का लाभ बद्ध-न्यून कुछ समय तक केवा सुरक्षा कोष में जमा करना

चाहिए। (१३) सुरक्षित कोष का अधिकाश भाग सोने के रूप में होना चाहिए। इस सुरक्षित कोष और पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष के बीच सम्पत्ति के विनिमय से १०० लाख पौण्ड का सोना तुरन्त मिल सकता था। अबसर आने पर यह १५० लाख पौण्ड तक बढ़ाया जा सकता था। इसके बाद अधिकारियों को कुल सुरक्षित कोष के आधे भाग को सोने में रखना चाहिए। सुरक्षित कोष को सोने के रूप में रखना अनावश्यक और किछुल है। सकट-काल में प्रतिभूतियों के बसूल करने से हुई हानि की रक्षा पर्याप्त राशि को सरल रूप में रखने से होती है। (१४) स्वर्ण प्रमाप सुरक्षित कोष की भारतीय शाखा समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके कारण बहुत आलोचना हुई है और सुरक्षित कोष की उपादेयता के सम्बन्ध में सन्देह उत्पन्न करने के लिए भी मह उत्तरदायी थी। (१५) स्वर्ण प्रमाप सुरक्षित कोष को रखने का उचित स्थान लन्दन ही था। (१६) आवश्यकता होने पर १ शिं ३ तुर्हि ५० प्रति रुपये की दर से लन्दन की हुण्डियाँ सरकार को भारत में बेचना चाहिए।^१

देश में, ब्रह्मद्वीप में स्वर्ण टकसाल की स्थापना के लिए किये गए प्रदर्शन, जिनकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है, सर विठ्ठलदास के प्रस्ताव के रूप में चरम सीमा को पहुँच गए। इस प्रदर्शन के प्रति सहानुभूति रखते हुए भारत सरकार ने १६१२ में इस विषय पर भारत-सचिव को लिखा और जोर देकर कहा कि जनता की स्वर्ण-टकन की माँग को बे अनुसुनी कर दें। चेम्बरलेन आयोग ने सरकार के विचारों को एकदम नई दिशा में मोड़ने का प्रयत्न किया। आयोग के अनुसार सरकार ने धन-जाने से ही स्वर्ण विनिमय प्रमाप अपनाकर भारत को अन्य देशों के साथ प्रथम पक्ष में ला दिया।

सिफारिशी पर विचार करने और उन्हे लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिलने से पहले ही १६१४-१५ के विश्वमुद्घ ने एकदम नई प्रकार की परिस्थितियाँ और समस्याएँ उत्पन्न कर दी, जिन पर हम अब विचार करेंगे।

१६१४-१५ के युद्ध का भारतीय करेन्सी पर प्रभाव^२

१६. प्रथम युग (अगस्त १६१४ से फरवरी, १६१५ तक)—विश्वयुद्ध के प्रभाव का विवेचन दो प्रधान कालों के अन्तर्गत किया जा सकता है—(१) पहले काल की ध्वनि अगस्त १६१४ से फरवरी, १६१५ तक है। यह अव्यवस्था का काल था, जिसमें करेन्सी और विनिमय की स्थिति बहुत द्रुवंल हो गई।

(२) द्वितीय काल की अवधि फरवरी, १६१५ से १६१६ के अन्त तक है। यह समुत्थान-काल था। इसकी विशेषता उत्पादन-सम्बन्धी अदम्य उत्साह था। इस काल में विनिमय और चाँदी के स्वर्ण-मूल्य में अपूर्व वृद्धि हुई।

युद्ध द्वितीय जाने से जनता के विश्वास को बहुत बुरा धक्का लगा, जिससे

१. चेम्बरलेन क्मारान रिपोर्ट, पैरा २२३।

२. यह विवरण अधिकाशन-विराटन स्मृति समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। दूसरे अध्याय में भारतीय वरन्सी पर द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रभाव का विवरण दिया गया है।

सामान्यत सभी व्यापार तथा व्यवसाय अस्त-व्यस्त हो गए। इसके प्रधान लक्षण विनियम की निर्वलता, सेविंग बैंक में जमा रुपयों को निकालना, नोटों के भुगतान की माँग तथा भारत के स्वर्ण भण्डार की अत्यधिक माँग होना है।

लड़ाई के पहले दो महीनों में ही सेविंग बैंक में जमा २४^३ करोड़ रुपये में से ६ करोड़ रुपया निकाल लिया गया। १६१५-१६ में समय बदलने तक निकाले हुए रुपयों की मात्रा ८ करोड़ हो चुकी थी। रुपया निकालने की माँग को स्वतन्त्रतापूर्वक पूरा किया गया, जिससे पुनः विश्वास उत्पन्न करने और निष्ठेष आकर्षित करने में बड़ी सहायता मिली। ये निष्ठेष पुन १६१८-१९ तक १८ करोड़ रुपये हो गए (अर्थात् पूर्व राशि से ६^३ करोड़ रुपये कम रहे)।

नोटों के रुपयों में भुगतान की माँग भी पूरी की गई। मार्च, १६१५ तक १० करोड़ रुपये के नोट खजानों को वापस किये गए, परन्तु उसके बाद नोटों के प्रचलन में लगातार वृद्धि हुई।

श्रितिम, भारत के स्वर्ण भण्डार की माँग नोटों के बदले सोना माँगने के रूप में बढ़ गई। इस प्रकार प्राप्त सोने के आन्तरिक प्रयोग के लिए बरती हुई सावधानियाँ व्यर्थ सिद्ध हुईं। व्यक्तिगत कार्य के लिए सोना देना एकदम बन्द कर दिया गया और उसके बाद नोटों का भुगतान वैबल चाँदी के सिक्कों में ही किया जाने लगा।

प्रथम काल के अन्त तक ये लक्षण लुप्त हो गए। सरकार ने परिस्थिति का सामना साहस और सफलता के साथ किया। बैंकिंग और व्यावसायिक समाज को घन विदेश भेजने हेतु सम्बन्ध स्थापित करने के लिए लगातार पर्याप्त सुविधा प्रदान करने का आश्वासन और नोटों की रुपयों में भुगतान करने की उपरता से जनता में शीघ्र ही विश्वास पैदा हो गया।

२० हितीष काल (फरवरी, १६१५ से १६१६ के अन्त तक) — युद्ध के प्रथम दृश्यके के समाप्त हो जाने के बाद करेन्सी यन्त्र कुछ समय के लिए बड़ी स्थिरता से काम करता रहा। १६१६ के अन्त म गम्भीर जटिलता पैदा हो गई। चाँदी का मूल्य दड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा था, इसीलिए भारत में चाँदी के सिक्कों की भारी माँग को पूरा करने के लिए उसे प्राप्त करने की कठिनाइयाँ भी बढ़ती जाती थीं।

भारत सरकार द्वारा ब्रिटिश सरकार को और से भारी व्यय करने के कारण परिस्थिति और जटिल हो गई। १६१४ से दिसम्बर, १६१६ तक युद्ध के पूर्वी रम-मचों में सैनिक आवश्यकताओं और अधिकृत सेनों में नागरिक व्यय के कारण २४०० लाख पौँड तक बढ़ किया गया। इसके अतिरिक्त कुछ डोमिनियम और उपनिवेश तथा भार्मनीय उत्तरांति के भ्रकीकी आयातकर्ताओं की ओर से वी गई सरीद के अर्थं प्रबन्धन के लिए भी इन ज्ञाम करता था।

इन सदस्या सम्मिलित प्रभाव यह हुआ कि करेन्सी की माँग वृद्ध बढ़ गई। विदेशी सरकारों द्वारा बहुमूल्य धातुओं के निर्यात पर प्रतिवृद्ध लगात जे फलस्वरूप उनके आपान में हुई कमी न समस्या को और जटिल बना दिया। यन्त्रहूल सन्तुलन

के निस्तारण के लिए युद्ध से पूर्व प्रधुक्त विधियों के उपलब्ध न होने के कारण युद्ध सफलतापूर्वक चलाने के लिए अति व्यापक नियर्ति व्यापार की रक्षा के लिए सरकार द्वारा एक प्रकार का स्थानापन्न प्रस्तुत करना पड़ा। अतएव उन्हे भारतीय नियर्ति की अदायगी के लिए साधन प्रस्तुत करने हेतु सन्दर्भ में बहुत बड़ी मात्रा में कोसिल विलो को बेचना पड़ा। इन कोसिल विलो की विक्री के कारण भारत में रूपये का अत्यधिक टक्कत आवश्यक हो गया। इस काम में बड़ी कठिनाइयाँ थीं, क्योंकि अनेक परिस्थितियों के कारण चाँदी का मूल्य बहुत बढ़ गया था।

२१. चाँदी के मूल्य में वृद्धि—करेन्सी-स्थिति पर चाँदी के मूल्य की असाधारण वृद्धि का प्रमुख प्रभाव था। युद्ध से पूर्व उत्पादन की तुलना में चाँदी की पूर्ति में अत्यधिक कमी आ गई थी, जिसका कारण मैकिंको की आन्तरिक कलह और लागत में वृद्धि थी। इसके विपरीत सम्पूर्ण विश्व में करेन्सी के लिए इस घातु की माँग असाधारण रूप से बढ़ गई। चाँदी की माँग में वृद्धि होने का प्रमुख कारण सोने की पूर्ति को सुरक्षित रखने की चिन्ता थी। सबसे अधिक माँग भारत और चीन की थी। हम लोग भलीभांति देख चुके हैं कि अनुकूल व्यापार सम्भवन के निस्तारण और ब्रिटिश युद्ध-कार्यालयों (ब्रिटिश वार ग्रांफिस) की ओर से व्यय करने के लिए क्रय-शक्ति हूँडने का भार मुस्तृत भारत सरकार पर डाल दिया गया था। इसने स्थानीय करेन्सी, दिशेपकर रूपयों की अत्यधिक माँग, का रूप घारण कर लिया। विधानतः मनाही होते हुए भी रूपया पिछलाने के कारण मार्गे थे और बढ़ गई, क्योंकि चाँदी के मूल्य में वृद्धि होने के कारण रूपये का बास्तविक मूल्य इसके अकिञ्चित मूल्य से बढ़ गया था। इसी दशा में प्रभावित बरने वाला दूसरा कदम डालर-स्टॉलिंग अथवा न्यूयार्क-लन्डन विनियम वा प्रभाव था। जिस समय मार्च, १९१६ में डालर-स्टॉलिंग विनियम से नियन्त्रण हटा लिया गया, तो इसका प्रभाव इंगलैण्ड के प्रतिकूल ही हुआ और अन्त में विनियम-दर ३४० डालर=१ पौण्ड की निम्न सीमा पर पहुँच गई।

चाँदी की वृद्धि के कारणों को समझने के बाद अब इसकी वृद्धि का क्रम देखना चाहिए। १९१५ में चाँदी का न्यूनतम मूल्य २७ पैस प्रति औस था। १९१६ में यह ३७ पैस प्रति औस तथा १९१७ में ४३ पैस प्रति औस हो गया। (जो रूपये के १ शिं ४ पै० की विनियम-दर पर उसके बास्तविक मूल्य के बराबर था।) सितम्बर, १९१७ में यह ५५ पैस प्रति औस हो गया। सयुक्तराज्य, प्रेट्रिटेन, कनाडा आदि देशों ने चाँदी के व्यापार को नियन्त्रित किया और अनुज्ञा-प्राप्त नियर्ति को छोड़ देय नियर्ति बन्द कर दिए। बाद में चाँदी का अनुज्ञा-प्राप्त नियर्ति भी निविट मूल्य पर होने लगा। इन उपायों के फलस्वरूप चाँदी का मूल्य ४१ और ४६ पैस प्रति औस की सीमाओं के अन्दर आ गया। परन्तु मई, १९१८ में सयुक्तराज्य और प्रेट्रिटेन ने इस नियन्त्रण को हटा दिया, जिससे चाँदी का मूल्य फिर बढ़ गया। उसी महीने में चाँदी का मूल्य ५८ पैस प्रति औस हो गया। उसके बाद साल-भर यह बढ़ता ही गया और दिसम्बर में ७८ पैस प्रति औस हो गया। फरवरी, १९२० में मूल्य उच्च-

तम हो गया, जबकि लन्दन में चाँदी का भाव ८६ पैस प्रति औंस हो गया।

२२. सरकार द्वारा किये गए उपाय—(१) सरकार का विनिमय पर नियन्त्रण—युद्ध के प्रथम घड़के सहू लेने के बाद कौसिल विलो की मांग नियन्त्रित व्यापार के समुदायान वे साथ पुन उत्पन्न हो गई। भ्रग्नवर, १९१६ तक निर्धारित हृष्ट हृष्ट से साधारण ही रहा। उसके बाद व्यापारिक संस्तुलन की अनुकूलता बढ़ने के साथ बढ़ता गया। इसका विस्तार सोने के आयात द्वारा सम्भव नहीं था। इससे भारत ने हृष्टे का मुरक्किन बोप चाली हो गया, जिससे नोटों की हृष्टों में परिवर्तनशीलता सदिग्द हो गई। अतएव दिसम्बर, १९१६ में कौसिल विल की विक्री पर नियन्त्रण लगाया गया और इण्टरमिडिएट कौसिल विल की विक्री बन्द कर दी गई। इसके परिणामस्वरूप बाजार और सरकारी विनिमय दर में अन्तर हो गया। यह निर्धारित व्यापार के लिए हानिकारक था, परन्तु युद्ध के सफल संचालन के लिए निर्धारित व्यापार को अधिक हृष्ट से बनाए रखना भी अनि आवश्यक था। इसलिए सरकार ने कुछ नियन्त्रण के उपायों से काम लिया तथा जनवरी, १९१७ में विनिमय-दर १ शिं ४५ पैस निश्चित कर दी गई। कौसिल विलों की विक्री कुछ चुनो हृष्ट वैज्ञ और कमों तक सीमित कर दी गई, जिन्हे नियत दरों पर एक तीसरी पाठों से व्यापार करना पड़ता था और अपने साथी को कुछ चुनो हृष्ट वस्तुओं के नियन्त्रित व्यापार में लगाना पड़ता था, जो मित्र-राष्ट्रों के लिए भी महत्वपूर्ण थी। नियन्त्रण के उपायों और वैज्ञों के सहयोग से विनिमय के चढाव-उत्तर कुछ समय के लिए बन्द हो गए।

(२) विनिमय-दर की धृद्धि—अगस्त, १९१७ में विनिमय-दर बढ़ाकर १ शिं ५ पैस कर दी गई और कुछ समय पदचार्त् भारत-संविद ने चाँदी के स्टॉलिंग मूल्य पर विनिमय दर को आधारित करने की घोषणा की।^१ नीचे दी हृष्ट तालिका यह परिणाम दिखा रही है—

विनिमय-दर में परिवर्तन

तारीख	स्टॉलिंग में विनिमय-दर	तारीख	स्टॉलिंग में विनिमय-दर
३ जनवरी, १९१७	१ शिं १ ५ पैस	१२ अगस्त, १९१८	१ शिं १० १० पैस
२८ अगस्त, १९१७	१ शिं ५ पैस	१५ सिनम्बर, १९१८	२ शिं ० ० पैस
१२ अप्रैल, १९१८	१ शिं ६ पैस	२२ नवम्बर, १९१८	२ शिं ० २ पैस
१३ मई, १९१८	१ शिं ८ पैस	१२ दिसम्बर, १९१८	२ शिं ० ४ पैस

१. यह घोषणा भारत में १९७३ से पूर्व विद्यमान रनत प्रमाण को पुन रक्षापूर्त करने का घोषणा के बाद हो चूहा। १९७३ से १९८३ तक चाँदी के स्वयं दूह के परिवर्तन के साथ भारत में मूल्य बढ़-बढ़ रहे थे। भारत में हर समय चाँदी के १६५ प्रैन का स्वयं मूल्य बस्तुओं के विनिमय का दारा था। उत्तर संघर्षितों के विचार में यही बान छवि भी उच्च थी^२। वैज्ञ और मुरज्जत, 'कर्मी एवं प्रारम्भिक दल दृष्टिका', पृ० ११२।

बाजार-दर तथा फरवरी, १९२० के बाद रिवर्स कौन्सिल द्वितो की विक्रय-दर जनवरी से भार्च, १९२० तक २ शिं ६ पैस, २ शिं ८ पैस, २ शिं १० पैस और २ शिं ११ पैस थी। सबसे ऊँची दर १९२० के प्रारम्भिक महीनों से थी।

(३) रजत-कल्प—करेन्सी की पूर्ति के लिए विशेष उपाय अपनाने पड़े। फरवरी, १९१६ से इस काम के लिए चाँदी खरीदी जाने लगी। व्यक्तिगत खरीदारों की ओर से प्रतिस्पर्धा दूर करने के लिए सरकार ने सितम्बर, १९१७ से निझी तौर पर चाँदी के आयात को बन्द कर दिया। सयुक्तराज्य और भारत सरकार के बीच हुए पत्र व्यवहार के फलस्वरूप सयुक्तराज्य ने पिटमेन कानून पास किया, जिसने सुरक्षित कोष को चाँदी बेचने का अधिकार दिया। १०१२ सेण्ट प्रति शुद्ध औंस के भाव से भारत सरकार ने २००० लाख औंस शुद्ध चाँदी खरीदी।

(४) चाँदी की सुरक्षा और उसकी मितव्यता—चाँदी की सुरक्षा और मितव्यता के लिए और उपाय भी अपनाये गए। सोने और चाँदी के सिवको को विघ्लाने और उसके नियंत्रण को रोकने के लिए सरकार ने जून, १९१७ में करेन्सी विधान पास किया। दिसम्बर, १९१७ में २ $\frac{1}{2}$ और १ रुप के नोट जारी किये गए। सबसे पहले जनवरी, १९१८ में २, ४ और ८ रुप के गिलट (निकल) के सिवके बनाये गए, जिन्हे १ रुपये तक कानूनी मुद्रा माना गया। जून, १९१७ से रुपये के स्टलिंग विनियम मूल्य के आधार पर सरकार ने निझी तौर पर आयात किये हुए सोने की प्राप्ति किया। इस प्रकार प्राप्ति सोने के बल पर नोट जारी किये गए और चाँदी की करेन्सी तथा सोने की मुहर के पूरक के रूप में सोने की मुहर और सावरेन बनाई तथा जारी की गई। जून, १९१८ में उत्तरी अमेरिका से स्वर्ण-नियंत्रण पर लगे प्रतिवर्ष हटा लेने तथा आस्ट्रेलिया और अफ्रीका के स्वर्ण बाजार स्वतन्त्र कर देने से देश में अधिक सोने का आयात होने लगा और सरकार ने भी अधिक सोना प्राप्त किया।

(५) पत्रमुद्रा-प्रसार—धातु रखे दिना जारी किये गए नोटों की बृद्धि करके भी स्थिति सुधारने का प्रयत्न किया गया। इसकी परिवर्तनीयता पर प्रतिवर्ष लगा दिये गए, उदाहरणार्थ परिवर्तन के लिए अतिरिक्त बैंधनिक सुविधाओं को रोक दिया गया। नोट बालों के लिए प्रतिदिन जारी किये गए रुपयों को सीमित करके भी समस्या को हल करने का प्रयत्न किया गया।

(६) आर्थिक उपाय—साधारण और पूँजी-व्यय न्यूनतम रखे गए तथा सरकार की क्रय-शक्ति बढ़ाने के लिए और अधिक कर लगाये गए। इसके अतिरिक्त भारत में क्रहन लिये गए, जिससे १९१७-१८ और १९१८-१९ में १३० करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। अक्टूबर, १९१७ से १२ महीने की अवधि के अल्पकालीन ट्रेजरी बिल भी जारी किये गए। करेन्सी की प्रत्यक्ष मांग भारत में भेजने भी भारी मांगों को पूरा करने में इन उपायों ने बड़ी सहायता की।

२३. बैंकिंगटन समिति—जिस समय चेम्बरलेन समिति की सिफारिशें विचाराधीन थीं, उसी समय युद्ध प्रारम्भ हो गया। हम भी देख चुके हैं कि युद्ध ने किस प्रकार अनेक समस्याओं को जन्म दिया। अतः सर हेनरी बैंकिंगटन स्मिथ की अध्यक्षता में

३० मई, १९१६ को एक दूसरी विशेष समिति की गई।

सोने में समिति की मुख्य सिफारिशों इस प्रकार हैं—^१

(१) रघुवे को असीमित कानूनी मुद्रा ही रखना चाहिए। (२) इसका निश्चित विनिमय का मूल्य होना चाहिए, जो १९३०१६ ग्रेन युद्ध सोने के बराबर हो, अर्थात् सावरेन के सोने के $\frac{1}{4}$ के बराबर हो। (३) सावरेन को, जिसकी पहली दर १५ रुपये = १ सावरेन थी, १० रुपया = १ सावरेन की नई दर पर बानूनी मुद्रा बनाना चाहिए। (४) सोने के आयात और निर्यात से सरकारी नियन्त्रण १० रुपया = १ सावरेन की दर स्थापित करते ही हटा लेना चाहिए। बम्बई में जनता द्वारा दिये गए सोने की सावरेन बनाने के लिए सोने की टक्कासाल खोननी चाहिए। (५) सावरेन के बदले हप्ता देने की सरकारी अधिसूचना वापस ले लेनी चाहिए। (६) निजी तौर पर चाँदी के आयात और निर्यात पर लगी बन्दिश हटा देनी चाहिए तथा राजकोषीय विधिति के कारण आवश्यक होने तक चाँदी पर लगा आपात-कर हटा देना चाहिए। (७) स्वर्ण-प्रमाण सुरक्षित कोष में प्राप्त अनुपात में सोना रखना चाहिए तथा दोष राशि को विटिश साझाज्य की सरकारों (भारत सरकार को छोड़कर) द्वारा जारी की गई ऐसी प्रति-भूतियों के रूप में रखना चाहिए जो १२ महीने में परिपक्व होती हों। स्वर्ण-प्रमाण सुरक्षित कोष का भाग, जो आधे से अधिक न हो भारत में रखना चाहिए। रुपये का विनिमय मूल्य सोने के बराबर निश्चित करने के सम्बन्ध में यह शर्त थी—

“यदि आदा के विपरीत विश्व के मूल्यों में शीघ्र कमी हो जाए और भारत में उत्पादन-लागत इन गिरे हुए मूल्यों से शीघ्र ही व्यवस्थित न हो सके, तो इस प्रदृश पर नये सिरे से विचार करना आवश्यक हो सकता है।”

२४ रिपोर्ट पर सरकारों कार्यवाही—सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और उन्हें लागू करने के लिए निम्नलिखित बदल उठाए—

(१) विनिमय नियन्त्रण—जनवरी १९२० में कौसिल ड्राफ्ट की माँग समाप्त हो गई और रिवर्स कौसिल की बहुत माँग होने लगी। जनवरी म. कौसिल ड्राफ्ट २५० ४ पै० की दर पर बेचे गए। यह दर कौसिल दिलों की विक्री के लिए निश्चित वी गई थी, परन्तु समिति की सिफारिशों के अनुरूप सरकार ने अधिसूचित किया कि कौसिल ड्राफ्ट और टेलिग्राफिक ट्रान्सफर टेंडर द्वारा बेचे जाएंगे और उनकी कोई निम्नतम दर नहीं होगी तथा अबसर आने पर भवित्य में रिवर्स ड्राफ्ट और टेलिग्राफिक ट्रान्सफर भारत में भी बेचे जाएंगे। इनका भाव (दर) ११ ३०० १६ ग्रेन युद्ध सोने का स्टनिंग मूल्य होगा, जो विद्यमान स्टनिंग डालर विनिमय द्वारा निश्चित किया जाएगा। इस दर में से सोना बाहर भेजने की सागत कम कर दी जाएगी।

१. उपर्युक्त सचिव विवरण हिन्दन यग कमीशन १९२५-२६ की रिपोर्ट की तीसरी परिशिष्ट से लिया गया है, परन्तु पञ्च-मुद्रा सुरक्षित कोष के विभान और स्थिति-न्यूनत्वी सिफारिशों में छोड़ दिया गया है।

२. डेलिप्र. रिपोर्ट ओफ दि रायन कमीशन अ०८८८ इलियन कॉर्टी परिषद फाइनेंस १९२५, खर्ड २, परिशिष्ट ३ तथा एच० स्टेनली, 'दिंग्ग एरेंड अक्सर्चेन्ड इन इंडिया', अध्याय १५।

(२) सावरेन के कानूनी मुद्रा-मूल्य में परिवर्तन—सावरेन और रुपये का १ : १० का आन्तरिक अनुपात उस समय तक प्रभावपूरण नहीं हो सकता जब तक समिति द्वारा प्रस्तावित अनुपात की तुलना में स्वर्ण-पिण्ड अधिक पसन्द किया जाएगा। हम देख चुके हैं कि किस प्रकार १६१७ से ही सरकार ने स्वर्ण-पिण्ड की पसन्दगी समाप्त करने के लिए निजी तौर पर आयात किये हुए सोने को प्राप्त करना तथा सितम्बर, १६१९ से हर पन्द्रहवें दिन उसे बेचना प्रारम्भ किया था। स्मिति द्वारा प्रस्तावित मूल्य के ऊपर भी सोने की पसन्दगी बहुत अधिक बनी रही। फरवरी, १६२० में सरकार ने घोषणा की कि प्रथम छ रुपये में १५० लाख तोला शुद्ध सोना बेचा जाएगा, परन्तु यह प्रोप्राप्त अगस्त और सितम्बर तक बढ़ा दिया गया।

२१ जून, १६२० के आडिनेन्स ३ से सावरेन और अर्ध सावरेन की वैधानिक ग्राह्यता बन्द हो गई। परन्तु २१ दिन तक १५ रुपये की दर से उन्हें स्वीकार करने की व्यवस्था की गई। इस अवधि के समाप्त होने के बाद ब्रिटिश स्वर्ण मुद्राओं के आयात पर से प्रतिबन्ध हटा लिये गए। २१ दिन की अवधि में ही २५ लाख पौण्ड के सावरेन और अर्ध सावरेन करेन्सी कार्यालयों और सजानो में पेश किये गए।

१५ रुपये के स्थान पर १० रुपये की दर से सावरेन को कानूनी मुद्रा बनाने के सम्बन्ध में करेन्सी समिति की सिफारिश को जून, १६१० के इण्डियन बायानेज (अमेडमेण्ट) एकट ३६ द्वारा कार्यान्वित किया गया। इस कानून द्वारा सावरेन और अर्ध-सावरेन को कानूनी मुद्रा का रूप पुनः दे दिया गया, जिसे २१ जून, १६२० के आडिनेन्स ३ ने बन्द कर दिया था। नये कानून के अनुसार नई दर १० रु. प्रति सावरेन निश्चित की गई तथा खजानों और करेन्सी कार्यालयों को निर्देश दिया गया कि वे सावरेन और अर्ध-सावरेन क्रमशः १० और ५ रुपये की दर पर स्वीकार करें, परन्तु इस दर पर सावरेन या अर्ध-सावरेन जनता को न दें। सावरेन का बाजार मूल्य सर्वदूर १० रुपये से प्रतिक रहने के कारण वह इस नई दर पर करेन्सी के रूप में नहीं चल सकी। अतएव बम्बई में एक स्वर्ण टकसाल खोलना आवश्यक समझा गया।

(३) युद्धकालीन प्रतिबन्धों की समाप्ति—फरवरी, १६२० में चाँदी के आयात पर लगा हुआ प्रतिबन्ध (नियंत्रित का नहीं) हटा लिया गया और ४ आने प्रति ग्रौंस का आयात-कर भी समाप्त कर दिया गया। करेन्सी के ग्रलावा अन्य कार्यों के लिए सोने और चाँदी को बन्द करने वाली युद्धकालीन अधिसूचनाएँ रद्द कर दी गईं। चाँदी के मूल्य में गिरावट तथा चाँदी के सिक्कों के प्रचलन में कमी हो जाने से बहुमूल्य धातुओं पर लगे ऐसे प्रतिबन्ध को समाप्त करना भी समझ रहे थे। १६१९ जून को स्वर्ण-पिण्ड और विदेशी मिक्कों के आयात पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया। कुछ दिनों के बाद सरकार की ओर से भुगतान करने के लिए चाँदी के प्रयोग पर से भी प्रतिबन्ध हटा लिया गया। खजानों को आदेश दिया गया कि प्राप्तकर्ता द्वारा इच्छित करेन्सी में भुगतान किया जाए। अतिरिक्त वैधानिक सुविधाओं को पुनर्जीवित करने के लिए (ग्राह्यता नोटों को रुपयों में बदलने के लिए) भी कदम उठाये गए। ये सुविधाएँ पहले अस्थायी रूप से समाप्त कर दी गई थीं। उदाहरणतः खजानों के

लागू करने की आशा छोड़ दी थी। यह दर द्वाः महीने के अन्दर ही स्थापित की गई और गिर गई। बाजार-दर नीचे गिरती गई और सरकार उसके गिराव को नहीं रोक सकी। बाजार-दर के अनुसरण में सरकार को अपनी दर भी कम करनी पड़ी और उसे बाजार-दर से कुछ ऊँचा रखने के नियम वा ही पालन किया जा सका। परन्तु यह दर अनिवित काल तक नहीं रह सकती थी, अतएव सरकार ने विनियम के नियमन के प्रयास छोड़ दिए। १९२० के प्रारम्भ से सितम्बर, १९२० तक रिवर्स कौमिल की बिक्री ५५,३८२,००० पौण्ड तक हो गई। लन्दन में रिवर्स कौमिल की अदायगी पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष से सम्बिति स्टलिंग प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिल की बिक्री से प्राप्त राशि द्वारा होती थी। ये प्रतिभूतियाँ और बिल १५ रुपये प्रति पौण्ड की दर पर खरीदे गए थे और ७ से १० रुपये प्रति पौण्ड की दर पर बेचे गए। क्रय और विक्रय मूल्य के इस अन्तर के फलस्वरूप भारतीय खजानों को ३५ करोड़ रुपये की हानि हुई।

अधिकतम हानि का कारण व्यापारियों का सरकार द्वारा निर्धारित ऊँची दर पर विश्वास करना था। माल का आँड़ेर इस आशा और विश्वास से किया गया था कि विनियम-दर ऊँची रहेगी, परन्तु माल आने तक विनियम-दर बहुत गिर गई। इस कारण अनेक अपातकताओं का दिवाला पिट गया, व्योकि सरकार द्वारा ऊँची विनियम-दर बनाए रखने के सम्बन्ध में इन्हे इतना विश्वास था कि इन्होंने कोई सावधानी ही न बरती।

२६ सरकारी नीति की परीक्षा—इन बातों से यह सिढ़ होता है कि अनेक व्यापारी ऐसी ऊँची दर को बनाए रखना असम्भव नहीं ममझते थे, चाहे वे उसकी उपादेयता के बारे में भले ही सन्देह करते हों।

सरकार स्वयं दर की व्यावहारिकता के बारे में सन्देह नहीं करती थी, व्योकि इस विषय पर उसे स्मित समिति के द्वारा तो समर्थन भी प्राप्त था। यह सत्य है कि सर दीबा दलाल ने अपना भिन्न मत प्रकट करते हुए इस ऊँचे दर से सम्भावित दोषों की योग्यतापूर्ण विस्तृत विवेचना की थी, परन्तु उन्होंने भी इस दर को बनाए रखने की असम्भाव्यता पर विशेष बल नहीं दिया।

इसके साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब सरकार बैंकिंग स्मित समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने चली, उस समय अनेक ऐसी बातें थीं जो करेंसी प्रमाण में ऐसे परिवर्तन करने से पहले सरकार को हकने और सोचने के लिए बाध्य कर रही थीं। उदाहरण के लिए, अगस्त १९०० में, जिस समय परिवर्तित अनुपात लागू होने वाला था, उस समय सोना २३१ रुपये प्रति तोला विक रहा था, परन्तु नये अनुपात के अनुसार उसे १५ रुपये १४ आने के भाव से बिकना चाहिए था। इस अन्तर को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाना चाहिए था कि २ विं स्वर्ण दर को बनाए रखना यदि असम्भव नहीं तो भ्रसाधारण रूप से कठिन अवश्य होगा। इसके अतिरिक्त पुन चांदी का मूल्य गिरकर ४४ पैस त्रैस हो चुका था और रुपया मिथलाने का भय लगभग समाप्त हो चुका था। यदि कहीं थोड़ा १-८ हुत-

स्पष्ट प्रधानाया भी जाता तो प्रचलन में स्पष्टों की बढ़ती हुई मात्रा को देखते हुए इसका कोई प्रभाव न होता।^१

भारतीय विनिमय की वृद्धि के कारणों में चाँदी के मूल्य की वृद्धि को महत्ता देकर बैंगिनिक स्थिति ने परिस्थिति को बिलबूत गलत समझा। स्पष्ट के स्टॉनिंग मूल्य के बढ़ने का प्रधान कारण स्पष्ट के मूल्यों की तुलना में स्टॉनिंग के मूल्यों का अधिक बढ़ना था। सम ह्रदय-शक्ति शिदान्त के अनुसार भी सतुलन के लिए विनिमय-दर को कारबड़ना चाहिए था।^२ यि० स्वरूप-दर का अर्थ ह्रदय-शक्ति की समता की तुलना में स्पष्ट का अधिकतम होता था। स्पष्ट के लिए सोने का निश्चिन्त मूल्य स्थापित करने का प्रथल अपरिपक्ष होता, क्योंकि सोने के मूल्य में स्वयं बहुत परिवर्तन हो रहे थे तथा अन्नराष्ट्रीय व्यापार की परिस्थितियों में वही अस्थिरता थी।^३

सरकार के विश्व अमुख आलोचना मह नहीं थी कि उन्हें अपनी नीति को प्रारम्भ में ही एक विशेषज्ञ समिति की सिक्षालिंगों के आगामी पर बना दिया, बरन् यह थी कि २ यि० स्वरूप-दर को प्रभावपूर्ण बनाने के सम्बन्ध में प्रदत्तों की निरर्यात की देखते हुए भी वे रिवर्स वॉसिल की दिक्षी में लगे रहे। जून, १६२० के अन्त तक यह स्पष्ट हो गया कि सरकार ने एक असम्भव कार्य अपने छपर ले लिया था। अब प्रारम्भ में ही अपनी हुआर मान लेना वही अविक्षिक बुद्धिमती और साहस ज्ञानाम होता, परन्तु वे विनिमय-दर को बढ़ाने में लगे रहे तथा उन्होंने स्वरूप-माध्यमों को खित्त वर दिया और इस प्रकार श्रीदोषिक एवं व्यावनादिक दुनिया में बड़ी उपलब्ध-पुर्यल मचा दी। जैसा कि सर स्टनली रीड ने कहा है कि यह एक ऐसी नीति थी जो विनिमय की स्थिरता के लिए अनन्याई गई थी, परन्तु जिसने देश के विनिमय में अत्यधिक परिवर्तन, व्यापारिक उपलब्ध-पुर्यल, राजकीय हानि तथा तंत्रज्ञानों व्यापारियों को दिवालिया बना दिया।^४

२७ निश्चिन्तना की नीति (१६२१-२५) — विनिमय को स्थिर करने के प्रथल में असफल होने पर सरकार बुद्धि सम्म तक कोई निरांय किये दिना ही घटना-चक्र को शान्तिपूर्वक देखती रही।

१६२१ में भी व्यापारिक सन्तुलन भारत के प्रतिबूल होता था। विश्व के मूल्यों के सोने में गिरने के कारण नियन्त्रित-व्यापार की दशा बुरी थी। इसका दूसरा कारण

१. देस्ट्रेट, अन्नदर, पूर्व लंडन, पृ० २०७।

२. एवेन्यन्स (मेकुलेन के आद्य चौर्दी के दूसरी बड़ी बैलेन्ट अपोलोग्या) के अन्य अन्नदर की आगी मौजूदक मूल राष्ट्र परिवर्तन होने वाले मूल्यन्तरों के अन्तर को न हुमालने और कैप्टन चाँदी के मूल्यों पर ध्यान देने के लिए। स्पष्ट का २ यि० सोने की दर से हमें अन्नदर करने में रुक चढ़ि के बालाक्षिक कारण को मुना दिया और इस दर की बनार रखने के लिए आवश्यक हुआ सुकूपन की कम प्रकृति। अब देशों में लूप्यों की गतिविधि के सम्बन्ध में इनके अन्माले के हालात अब तरह हैं जो कि कदाचित् भी इन्वेस्ट में मिलते हैं। बर्निन, फ्रांसिन, पूर्व लंडन, पृ० ३५०-५१।

३. गुट्टव के मौजूदे मेकेरेटम और दिन या कमीशन रिपोर्ट, सरेंड ३, पर्सिएट ६।

४. ई० ई० शद्दजी विन्दी और इरिडन कोल्नी एवं एन्ड्रेज, पृ० १३७।

स्टलिंग मूल्यों में तेज़ी से हुई कमी थी जो इगलेण्ड द्वारा स्टलिंग को स्वर्ण समता पर लाने के लिए उठाये गए कदमों के फलस्वरूप हुई थी। इन परिस्थितियों में, जैसा कि होना चाहिए था, रुपये का स्टलिंग मूल्य गिरता गया। १९२१ में ३१,५८,००० रुपये की करेन्सी का सकुचन किया गया। यह विनिमय की निम्नगामी गति को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी, जो १ शिं० ३ पैस के तिम्न स्तर तक पहुँच गई थी।

१९२२-२३ में यूरोपीय देशों में त्रय शक्ति में सुधार होने और भारत में अच्छी फसल होने के कारण भारत के निर्यात का पुनरुत्थान हुआ। मुद्रा के सकुचन और निर्यात के पुनरुत्थान का सम्मिलित प्रयास रुपये के विनिमय मूल्य को धीरे-धीरे बढ़ाना था। सितम्बर, १९२३ में रुपया १ शिं० ३ $\frac{1}{2}$ पैस सोने के बराबर था और १ शिं० ४ पैस का युद्ध के पूर्व का अनुपात किसी के हित को हाति पहुँचाए बिना ही मुनः स्थापित किया जा सकता था। इसके लिए भारतीय व्यापार मण्डल ने प्रार्थना भी की थी, जो असफल रही। सरकार १ शिं० ६ पैस के अनुपात को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रही थी। बास्तव में रुपया १ शिं० ६ पैस स्टलिंग के स्तर पर अक्षयबर, १९२४ में पहुँच गया। इसके बाद सरकारी दार्य रुपये के मूल्य को इस स्तर से अधिक न बढ़ने की ओर प्रेरित हुआ। इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए, सरकारी विप्रेषण के लिए आवश्यक, स्टलिंग खरीदने की विधि वा॒ स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग किया गया और इस खरीद के बल पर नई करेन्सी चालू की गई, जिससे द्रव्य-सम्बन्धी कठिनाई भी कम हुई। अप्रैल, १९२५ में रुपये का विनिमय मूल्य १ शिं० ६ पैस स्वरूप हो गया और २१ सितम्बर, १९३१ तक इसी प्रकार बना रहा। जैसा कि अग्लोचकों का कथन है, उसे इतना ही रखा गया।^१

अब निष्क्रियता-नीति का अन्त हटिगोचर होने लगा। अनेक और से की गई प्रार्थनाओं के उत्तर में सरकार ने १९२४ के आरम्भ में करेन्सी-स्थिति की जांच करने के लिए एक अधिकृत समिति की स्थापना का वादा किया। सरकार को यह आशा थी कि तब तक विश्व की परिस्थितियों में स्थिरता आ जाएगी। लेपिटनेण्ट कमाण्डर हिल्टन-यग की अध्यक्षता में भारतीय करेन्सी और विनिमय के राजकीय आयोग की नियुक्ति हुई।

आयोग के मत और निराय पर विचार करने से पहले, हम भारतीय पत्र-मुद्रा पद्धति का विवरण देंगे।

भारतीय पत्र-मुद्रा

२८ प्रारम्भिक इतिहास—१८०६, १८४० और १८४३ के कानूनों के अन्तर्गत बगाल, बम्बई और मद्रास के प्रेसीडेन्सी बैंकों को यह अधिकार दिया गया कि वे नोट जारी करें, जिनका बाह्यको द्वारा माँगे जाने पर भुगतान कर दिया जाए। इन नोटों के जारी करने के सम्बन्ध में अधिकतम सीमा और सुरक्षित कोष-सम्बन्धी नियमों का पालन

¹

करना आवश्यक था। परन्तु उनका प्रयत्न व्यवहारत तीन प्रेसीडेंसी नगरों तक ही सीमित था। १८६० में भारत के प्रथम वित्त सभाय थी जेम्स विल्सन ने सरकारी पत्र-मुद्रा और प्रेसीडेंसी बैंकों द्वारा नोट जारी करने के अधिकारों के उन्मूलन के लिए योजना बनाई। १८४४ के इंग्लिश बैंक चार्टर एक्ट के आधार पर उस समय के भारत-संविद सर चार्ल्स बुड ने निम्नलिखित सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया—

नोट जारी करने के दृष्टिकोण से पहले देश तीन निर्गम क्षेत्रों में विभाजित किया गया, जिनके प्रधान कार्यालय कलकत्ता, बम्बई और मद्रास थे। केंद्रोंकी सह्या १६१० में बढ़कर सात हो गई। चार अतिरिक्त केन्द्र रायगढ़, कराची, कानपुर और लाहौर थे। १०, २०, ५०, १००, ५००, १०००, १०००० स्पय के नोट जारी किये गए। ५ स्पय का नोट १८६१ में जारी किया गया। ब्रिटिश स्वर्ण-मुद्रा और रुपयों के बदले वे जनता में बैंकोंने जारी किये जा सकते थे। करेन्सी के कण्ट्रोलर की आज्ञा पर वे स्वर्ण-पिण्ड के बदले भी जारी किये जा सकते थे। अपने-अपने क्षेत्र के भीतर वे सरकारी खजानों और जनता के लेन-देन के लिए असीमित कानूनी मुद्रा मान गए।

जारी किये गए नोटों के बराबर मूल्य का सुरक्षित कोप घात-पिण्ड और मिक्को के दृष्टि में बनाया गया, जिसका एक छोटा भाग भारत सरकार की 'रोपी सिक्योरिटीज' में उनकी परिवर्तनीयता की गारण्टी देने के लिए विनियोजित था।

केवल नोट जारी करने वाले क्षेत्र के प्रधान कार्यालय पर ही नोटों का भुगतान करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता था, साथ ही सरकार खजाने, रेलवे कम्पनी और यात्रियों के लिए अन्य क्षेत्रों के नोटों का भी भुगतान करती थी। सरकारी देनदारियों का भुगतान किसी भी क्षेत्र के नोटों में किया जा सकता था।

२६ नकद भुगतान भी रकानूनी मुद्रा-सम्बन्धी प्रतिबन्ध—भारत एक विशाल देश है तथा व्यापारिक दशायों के कारण वर्ष के विभिन्न समयों में देश के एक भाग से दूसरे भाग को रुपये भेजे या मंगाये जाते हैं। नोटों का सबसे वहला प्रयोग विप्रेयण के लिए सोना भेजने के बजाय अधिक सुविधापूर्वक नोट भेजना होगा, यदि सरकार ने जारी करने वाले क्षेत्र तक ही नोटों को कानूनी मुद्रा न बनाया होता, तो सरकार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नकदी भेजनी पड़ती। इसके विपरीत, यदि नोटों को मूर्यांत्या कानूनी मुद्रा बना दिया जाता और उनका भुगतान केवल प्रेसीडेंसी नगरों तक ही सीमित होता, तो निस्सन्देह वर्ष में कुछ समय तक रिक्षों को वैशिक सरन्दर करते तथा नोटों वी लोकप्रियता कम हो जाती।

क्षेत्र-पद्धति (सर्विल सिस्टम) के कारण नोटों वी लोकप्रियता और विस्तार में बहुत बाधा पहुँची और इसे समाप्त करने के लिए १६०३ में पहला वदम उठाया गया, जबकि ५ रुपये का नोट बर्मा बो थोड़कर सर्वत्र कानूनी मुद्रा बना दिया गया। यह रोक भी १६०६ में हटा ली गई। १६१५-१६ के मुद्रे ने इस विकास को रोक दिया, क्योंकि इस समय रुपयों के टक्के में कठिनाई थी तथा विकसित आधार पर जारी किये गए नोटों का प्रचलन बट गया था। वैदिक्षन समिति ने मुद्राकालीन प्रतिबन्धों को

समाप्त करने तथा नोटों को अधिक लोकप्रिय बनाने हेतु उनके भुगतान के लिए अतिरिक्त वैधानिक सुविधाओं के विस्तार की सिफारिश की। १९३१-३२ में ५०० और १००० रुपये के नोट भी सर्वेंत्र कानूनी मुद्रा बना दिये गए।^१

३०. पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष—१९६१ के कानून के अन्तर्गत सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में ४ करोड़ रुपये तक स्थायी विश्वासाधित निर्गम (फिल्ड फिल्डशारी इंड्यू) करने की व्यवस्था है। यह सीमा समय-समय पर विशेष कानूनों द्वारा बदल दी गई। यह १-७१ में ६ करोड़, १९६० में ८ करोड़, १९६७ में १० करोड़ तथा १९०५ में १२ करोड़ रुपये कर दी गई। अब तक ये प्रतिभूतियाँ भारत में रखी हुई भारत सरकार की रुपये वाली प्रतिभूतियाँ थीं, परन्तु १९०५ के कानून ने २ करोड़ तक की स्टलिंग प्रतिभूतियों को इगलैण्ड में रखने की व्यवस्था कर दी। इस प्रकार सुरक्षित कोष में विनियोजित भाग का कुछ अंश स्टलिंग प्रतिभूति के रूप में रखा जाने लगा।^२ १९११ में प्रतिभूतियों की अधिकतम सीमा १४ करोड़ निश्चित की गई, जिसमें से ४ करोड़ स्टलिंग प्रतिभूतियों में रखने की व्यवस्था थी।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, १९६८ तक स्थायी विश्वासाधित भाग को छोड़कर अतिरिक्त सम्पूर्ण पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष चादी के रूप में था। १९६८ में गोड़ह नोट एक्ट ने सरकार को सुरक्षित कोष के धातु वाले भाग के प्रश्न को स्वर्ण-मुद्रा में रखने का अधिकार दिया। १९०० के कानून ने इन स्वर्ण मुद्राओं को लन्दन में रखने का भी अधिकार दिया। १९०५ के कानून ने सुरक्षित कोष के धात्वीय भाग को अथवा उसके किसी अंश को, लन्दन अथवा भारत में, स्वर्ण-मुद्रा या स्वर्ण-पिण्ड या रजत-पिण्ड में रखने का अधिकार दिया; परन्तु सभी टकित रुपयों को भारत में ही रखने की व्यवस्था थी।

इसके कलस्वरूप नोटों की परिवर्तनीयता निश्चित करने के लिए अत्यधिक सुरक्षित कोष रखा गया। कुल जारी किये गए नोटों के कुछ प्रतिशत या अनुपात को तरल रूप में रख और विनियोजित भाग को बढ़ाकर इससे बचा जा सकता था। इस प्रकार भी विश्वासाधित सीमा बढ़ाने के लिए वैधानिक आश्रय की आवश्यकता न पड़ती।

३१. पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष को आलोचना—१९१४ से पहले पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष के विश्वद्व प्रमुख आलोचना इन आधारों पर थी—(१) धात्वीय कोष का अनावश्यक रूप से अधिक होना, (२) विशेष कानून के बिना स्थायी विश्वासाधित कोष को बढ़ाने की प्रसम्भावना और (३) पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष के भाग का इगलैण्ड में स्टलिंग प्रतिभूतियों में विनियोजित होना।

(१) और (२) के कारण व्यवस्था लोचहीन हो गई। जहाँ तक (३) का सम्बन्ध है इस प्रथा का समर्थन इस आधार पर किया गया कि स्टलिंग प्रतिभूतियाँ १९३१-३२ में सरकारी आधिनेत्र द्वारा विमुद्रीकरण कर दिया गया।^३

२. पीछे से कानून १२, अंतिम पैरा।

रूपये का विनिमय-मूल्य बनाए रखने के लिए आवश्यक थी और उनसे एक लाभ यह भी था कि भारत में आन्तरिक सकट आने की दशा में उनके अवमूल्यन की सम्भावना नहीं थी। इसके विपरीत यह कहा गया कि रूपये के विनिमय-मूल्य को बनाए रखना पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप का काम नहीं है। भारत में आन्तरिक सकट होने पर स्टलिंग प्रतिभूतियों में अवमूल्यन भले ही न हो, परन्तु नोट निर्गम के सम्बन्ध में जनता का विश्वास सम्पूर्ण सुरक्षित कोप को भारत में रखने से ही हो सकता है।^१

नोट निर्गम का कार्य पूर्णतया बैंकिंग के कार्यों से एकदम अलग कर दिया गया। केन्द्रीय बैंक की तरह की कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए कोई सरकारी बैंक भी नहीं था। केवल रिजर्व ट्रेजरी व्यवस्था थी, जिसके अन्तर्गत विशेष सरकारी खजानों में रूपया रखा जाता था, जिसके फलस्वरूप वर्ष में कुछ समय के लिए द्रव्य बाजार में छिनाई उपस्थित हो जाती थी।

कुछ प्रमुख व्यापारिक देन्द्रों को छोड़कर चैकों और निक्षेपों का तरीका भारत में अब भी अधिक प्रचलित नहीं है। दूसरा तरीका स्मिति द्वारा प्रस्तावित किया गया था और स्वीकार भी कर लिया गया था। तीसरा तरीका भी रिजर्व ट्रेजरी की समाप्ति और सरकारी कोप को इम्पीरियल बैंक में रखकर अपनाया गया है। रिजर्व बैंक के खुलने से पहले १९२१-२५ के इम्पीरियल बैंक ने सरकारी बैंक की तरह काम किया। सामान्य लोचहीनता दूर करने के लिए स्मिति का सुभाव था कि घोत्तीय भाग कुल निर्गम के ४०% से कम नहीं होना चाहिए। उनका विचार था कि कारोबार के दिनों म परिनियत निम्ननम सीमा से अधिक कर रखना ही बाल्फीय होगा। इस प्रकार कानून का आश्रय लिय बिना ही प्रचलन के विस्तार के साथ-ही-साथ विश्वासाधित सुरक्षित कोप भी बढ़ जाएगा। जैसा कि हम बाद में देखें, सरकार ने स्मिति के सुभाव को १९०० में स्वीकार कर लिया, यद्यपि उन्होंने घोत्तीय कोप की अधिक प्रतिशत को अधिक ५०% को अपनाया।^२

३२. १९१४-१५ के युद्ध का पत्र-मुद्रा पर प्रभाव—हम ऊपर देख चुके हैं कि किस प्रकार, १९१४ में युद्ध के छिड़ने पर, प्रारम्भ में भय के कारण नोटों के भुगतान के लिए लोग पेटर करेन्टी ऑफिस पर जमा होने लगे तथा किस प्रकार विश्वास के उत्पन्न हो जाने पर नोट प्रचलन में विस्तार हुआ। मार्च, १९१५ से आगे पत्र-मुद्रा पर युद्ध के प्रभावों को सक्षेप में इस प्रकार दिखाया जा सकता है।

(१) करेन्टी की अत्यधिक मांग के कारण पत्र-मुद्रा का प्रभाव हुआ, जिसकी पूर्ण रूपये जारी करने से नहीं की जा सकती थी। इस अमाधारण मर्गिंग के कारणों का विवेचन हम पहले ही कर चुके हैं। (२) विभिन्न कानूनों के परिणामस्वरूप विश्वासाधित (फिडूशरी) सुरक्षित कोप बहुत बढ़ गया। इन कानूनों के पूरक आड़-नेन्स गवर्नर जनरल द्वारा जारी किए जाते थे। सुरक्षित कोप में रखने के लिए पर्याप्त

१. पत्र सुदृश सुरक्षित कोप की आलोचना के लिए डॉगला अच्याम देखिए।

२. देखिए, सेस्टान ८३।

मुद्रा पाने की कठिनाई के कारण सुरक्षित कोप का अपूर्व विस्तार आवश्यक हो गया। इंगलैण्ड की ओर से भारत में किये गए युद्ध के व्यय भारत सचिव द्वारा लन्दन में से लिये गए। इसे लन्दन-स्थित पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप में सोने के रूप में रखना राजकीय हित के बिश्व समझा गया। अतएव उसे ब्रिटिश ट्रैजरी विलस अथवा अल्पकालीन स्टॉलिंग प्रतिभूतियों में रखने के बिवर्तन को अपनाया गया।^१ यद्यपि कुछ भाग का विनियोग भारतीय ट्रैजरी विल में भी किया गया। (३) धात्वीय सुरक्षित कोप १९१४ में ७८.६% था। १९१६ में यह ३५.८% रह गया। (४) चाँदी की मित्र-व्ययता के उपाय के रूप में १९१७ और १९१८ में क्रमशः १ और २. $\frac{1}{2}$ रुपये के नोट जारी किये गए जो स्पष्टतः इंगलैण्ड में जारी किये गए १ पौण्ड और १० शिंग के नोट के अनुकरण-प्राप्त थे। जनता ने प्रारम्भ में इनके प्रति उदारता नहीं दिखाई। १ रुपये का नोट खूब चलने लगा। ३१ मार्च, १९१६ को १०५० लाख रुपये के एक रुपये वाले नोट चल रहे थे जबकि २. $\frac{1}{2}$ रुपये के नोट का प्रचलन केवल १५४ लाख रुपया था।^२ (५) रुपये की कमी के कारण नकदी भुगतान के लिए, अतिरिक्त वैधानिक सुविधाएँ^३ को समाप्त कर दिया गया। (६) १९१८ के पत्र-मुद्रा एकट का सामना करने के लिए पिटमैन कानून के अन्तर्गत २००० लाख औंस अमरीकी चाँदी का आपात हुआ।

३३. पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप का पुनर्निर्माण—सितम्बर, १९१६ में पत्र-मुद्रा कानून के अस्थायी सुधार से पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप के विनियोग की अधिक सीमा १२० करोड़ रुपये कर दी गई, जिसमें १०० करोड़ रुपया ब्रिटिश ट्रैजरी विलों में लगाना आवश्यक था।

मार्च, १९२० में छः महीने के लिए एक अस्थायी कानून बनाया गया जिसमें सुरक्षित कोप के विनियोजित भाग को १२० करोड़ रुपया रखने की आज्ञा दी, परन्तु इसमें विनियोग के स्थान और उसके स्टॉलिंग अथवा रुपये के प्रकार-सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटा दिए। इंगलैण्ड को सोना भेजने की तत्कालीन मार्ग और राजसचिव के नकद कोप से इसे पूरा करने की असम्भावना ने इसे ग्रनियार्थ कर दिया। लन्दन-स्थित पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप में रखी स्टॉलिंग प्रतिभूतियों के विनाय से मार्ग पूरी बीं गई। वर्तमान कानून के अनुसार रुपये के मूल्य में स्टॉलिंग प्रतिभूतियों के बराबर १५ रु०=१ पौ० की दर से नोटों की बापसी और रद्दी आवश्यक हो गई।

१. ब्रिटिश ट्रैजरी विल में विनियोग करने का प्रधान कारण यह था कि अल्पकालिक होने के कारण उनके अधोमूल्यन का भय नहीं था। इसके विपरीत स्टॉलिंग प्रतिभूतियों में होने वाले युद्ध के कारण अधोमूल्यन हो रहा था।

२. मरत संस्कार ने १ जनवरी १९२६ से १ और २. $\frac{1}{2}$ रुपये के नोट पर समाप्त बत्तन का निहचय किया। उनका स्थान चाँदी के रुपये और १० रुपये के नाट ने ले लिया। देल्ही अगला अध्याय।

३. जैसा कि कहा था अ०, ये सुविधाएँ १९२०-२१ में पुनः प्रारम्भ बर दी गई और इम्पीरियल रेज़ बीं की शाखाओं को बृद्धि के साथ बढ़ती गई, जहा जनता की सुविधा के लिए नोटों के दुगतान की व्यवस्था है।

चेम्बरलेन आयोग और स्मिथ समिति की आलोचना तथा युद्ध काल में प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए मार्च, १९२० के अस्थायी कानून के स्थान पर नया कानून पास करना आवश्यक हो गया। अनेक भारत में पेपर करेन्सी अमेण्डमेण्ट एकट' १ अक्टूबर, १९२० को कानून बना दिया गया। इस कानून के विधान (१) स्थायी और (२) अस्थायी दो भागों में विभाजित किये जा सकते हैं।

(१) स्थायी विधान'

(क) कुल सुरक्षित कोप का ५०% घातिक रूप म होना चाहिए। स्मिथ समिति द्वारा प्रस्तावित ४०% से अधिक (५०%) को स्वीकार करने का कारण यह था कि भारत जैसे देश में नोटों का तुरन्त नक्द भुगतान करना और बारबार के दिनों में फसलों की गति के लिए आधिक सहायता हेतु, जब नोट सामान्यत मुगतान के लिए उपस्थित किए जाते हैं, पर्याप्त सिवका सुरक्षित रखना आवश्यक होता है।

(ख) २० करोड़ स्पये की प्रतिभूतियों को छोटकर, जो भारत में रखी जाती थीं, शेष रुपया स्मिथ समिति के अनुसार १२ महीने या उससे कम अवधि की अन्य-कालीन प्रतिभूतियों के रूप म इगलैण्ड में रखा जाता था।

(ग) ६० दिन म परिवर्त्व होने वाली मुनाई हुई अन्देशीय हृण्डियों के आधार पर करेन्सी का कट्टोलर ५ करोड़ स्पये के नोट जारी कर सकता था। अतिरिक्त निर्गम इम्पीरियल बङ्क को दिये ऋण के रूप मे हो सकता था, जिस पर बैंक को $\frac{d}{100}$ व्याज और स्वीकार की हुई हृण्डियाँ सरकार को देनी पड़ती थीं। १९२३ के इण्डियन पेपर करेन्सी अमेण्डमेण्ट एकट द्वारा ५ करोड़ की सीमा बढ़ाकर १२ करोड़ कर दी गई। परिनियत घातिक कोप के ५०% सम्बन्धी विधान का अतिरिक्त निर्गम से कोई सम्बन्ध न था, क्योंकि घातिक कोप निश्चित करने के लिए इस निर्गम पर विचार नहीं किया जाता था।

(घ) राज्य सचिव लन्दन मे ५० लाख पौण्ड के स्वरूप-पिण्ड से अधिक नहीं रख सकता था।

(२) अस्थायी विधान

१५ रु०=१ सावरेन के स्थान पर १० रु०=१ सावरेन की दर से सोने और प्रतिभूतियों का पुन मूल्याकन करने हेतु उत्पन्न कटिनाई के कारण स्थायी विधान होने तक अस्थायी विधान बनाना आवश्यक समझा गया। १० रु की दर से पुन मूल्याकन करने पर सुरक्षित कोप का घातिक भाग ५०% स कम हो जाता, अतएव कुछ समय के लिए विनियोजित पूँजी $\frac{d}{100}$ करोड़ स्पये निश्चित कर देन की

१. यह सामान्यत १९२३ के पर्स-कॉली एकट ने और नक्ते करता है जो कल्पनिकॉडे एक्ट कहता है।

२. ये विचान व्यवहार रिय सचिवी की नियम तरों के समान थे।

व्यवस्था की गई।^१ दूसरी कठिनाई सोना और प्रतिभूतियों को पहली दर की तु पर पुन मूल्यन वरने से उत्पन्न अन्तर को पूरा करने के सम्बन्ध में थी। इस कठिनाई को हल करने के लिए सरकार को अधिकार दिया गया कि वह रूपये वाली प्रतिभूतियाँ (जिन्हे तदर्थ प्रतिभूतियाँ कहा जाता था) उत्पन्न करे और उन्हे पत्र मुद्रा सुरक्षित कोष को निर्गमित करे। चूंकि ऐ प्रतिभूतियाँ रूपये वाली प्रतिभूतियों की कानूनी सीमा पार कर जाएँगी, इसलिए यह प्रस्तावित किया गया कि इस सीमा से आगे बढ़ी हुई प्रतिभूतियाँ घोरे घोरे स्टॉलिंग प्रतिभूतियों में परिवर्तित कर दी जाएँ। चूंकि यथेष्ट स्टॉलिंग प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए कोष नहीं था, अतएव १२ करोड़ ८० की अनुज्ञेय सीमा से अधिक उत्पन्न की गई रूपये वाली प्रतिभूतियों को कम करने के लिए यह व्यवस्था की गई कि पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष का व्याज, नये रूपयों के टकन का लाभ तथा ४०० लाख पौण्ड से अधिक होने पर (३० सितम्बर १९२१ को यह अधिक हो गया था) अस्थायी निर्गम की सुरक्षा के लिए कण्टोलर ग्रांफ करेन्सी के पास जमा व्यापारिक हुण्डियों के व्याज का लाभ पत्र मुद्रा सुरक्षित कोष में जमा कर दिया जाए।

१९२७ के इण्डियन पेपर करेन्सी एकट के अनुसार १ अप्रैल, १९२७ से पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष की प्रतिभूतियाँ, जिनका मूल्यन १९२० में १० रूपये प्रति शावरेन की दर पर हुआ था, अब इनका मूल्यन १३ ८० १ आ० ३ पा० की दर से किया गया। इसके परिणामस्वरूप सोना और स्टॉलिंग में ३० लाख ८० की वृद्धि हो गई, जिसे इतनी ही मात्रा के भारतीय ट्रैज़री बिल रह करके बराबर वर दिया गया। इसके फलस्वरूप ट्रैज़री बिल ४६७७ लाख रूपये से घटकर ४०४७ लाख रूपये रह गए।^२ ३४ ३१ मार्च १९२५ और १९३५ के बीच पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष की बनावट और स्थिति^३—१९२५ और १९३५ के बीच पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष में परिवर्तन किये गए। १९२६-३० और १९३०-३१ के बीच में नोटों के प्रचलन में बहुत कमी आ गई, जिसका कारण वस्तुओं के गिरते हुए मूल्य के साथ मुद्रा-संकुचन का होना था। मूल्यों में सामान्य कमी १९२६-३० के अन्तिम भाग से प्रारम्भ हुई। दूसरा कारण नियत व्यापार में मूल्यों के गिर जाने के कारण विनियम में कमज़ोरी आने की प्रवृत्ति थी, जिसके लिए अशत भारत की अनिश्चित राज-

१. द्रव्य-सम्पन्नी कठिनाई दूर करने के लिए फरवरी, १९०५ के सशोधन कानून द्वारा यह सीमा १०० करोड़ रुपये गई। इस कानून के अनुसार भारत सरकार द्वारा उत्पन्न की हुई प्रतिभूतियों की मात्रा ५० करोड़ ८० से अधिक नहीं होनी चाहिए।

२. १९३१-३२ के लिए बन्दीय बजट और अध्याय ६ का सेक्षण १७ भी देखिए।

३. १९२४-२५ से १९३४-३५ तक करेन्सी का रिपोर्ट देखिए। १९३५ के पत्र-मुद्रा चलन सुरक्षा कोष की बनावट और स्थिति का अक २१वें अध्याय में दिया गया है।

४. पत्र-मुद्रा के सम्बन्ध में हिल्न या आयोग की सिफारिशों और द्वितीय महायुद्ध के प्रभावों के लिए अग्रणी अध्याय देखिए। निगम काय रिजर्व बैंक को सुपुर्द करने तथा नोटों के लिए सुरक्षित बोष रखने के लिए नये प्रबन्ध रिचर्ड बैंक आफ इण्डिया एकट (१९३४) के अन्तर्गत अध्याय ११ में दिये गए हैं।

नीतिक और सामग्रिक दना तथा १ शि० ४ पै० की दर की पुनर्स्थापना की परिकल्पना के कारण पूँजी स्थानान्तरित करने की प्रवृत्ति भी उत्तरदायी थी। घरेलू व्यवों को पूरा करने के लिए राज्य सचिव को विप्रेषण (रेमिटेंस) करने में कठिनाई पैदा हो गई और यही पञ्च मुद्रा सुरक्षित कोप म १६३१ से १ स्टॉलिंग प्रतिभूतियों के पूरण लोप का कारण बताती है, इयोकि भारत में नोटों के संकुचन के अनुसार इन प्रतिभूतियों को भारत सचिव को हस्तान्तरित करना पड़ता था। इस प्रतिभूति में १६३०-३१ म और कमी आ गई जो इन प्रतिभूतियों के साथ करेन्सी के संकुचन से स्पष्ट है। इसी वर्ष सुरक्षित कोप में सोने की मात्रा में कमी होने का प्रमुख कारण दूर करोड़ ८० का सोना स्वरूप प्रभाप सुरक्षित कोप की भारतीय राखा को चुका देना था। नवम्बर, १६३० और फरवरी, १६३१ के बीच विनिमय-सम्बन्धी परिवर्तन और राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित जनता की मार्ग के प्रत्युत्तर में शुह-कोप (होम ट्रैजरी) की सहायता तथा १ शि० ५४६४ पै० की परिणित दर पर स्टॉलिंग की विक्री को पूरा करने के लिए ६२ लाख पौं० की स्टॉलिंग प्रतिभूतियां पञ्च-मुद्रा कोप के इगलैण्ड स्थित भाग से निकाल लेने के कारण ही उपर्युक्त राशि (दूर करोड़ ८०) भारतीय राखा को दी गई थी। पञ्च मुद्रा सुरक्षित कोप के निर्माण म अन्य उल्लेख्य परिवर्तन कोप म चांदी के सिक्कों की वृद्धि थी, जिसके कारण नीचे दिये गए हैं। इसमें और बृद्धि हुई होनी, परन्तु हिल्टन यम आयोग की सिफारिश के अनुसार विक्रय के लिए कुछ चांदी निकाल लेने के कारण ऐसा नहीं है।

माच १६ - स १६३५ तक भारत सरकार न २२८, १८२, २५५ और्म शुद्ध चांदी बढ़ी। इस विक्रय से प्राप्त राशि का वित्तियोग स्टॉलिंग प्रतिभूतिया म किया गया जो स्वरूप प्रभाप सुरक्षित कोप को स्थानान्तरित कर दी गई, परन्तु इसके विरुद्ध इस कोप ने सोना पञ्च-मुद्रा सुरक्षित कोप को स्थानान्तरित दर दिया जाता था जिसमें सोना मूल्य ही हथाया प्रतिभूति रद्द कर दी जाती थी। स्टॉलिंग की चालू आवश्यकताओं से अधिक खरीद के अनिरिक्त (सरफ्लास) का प्रयोग भी इसी प्रकार किया गया। इन कारणों के कारण हथाया पञ्च मुद्रा सुरक्षित कोप का स्वरूप भाग बढ़ गया, परन्तु चांदी और चांदी के मिक्के कम हो गए। १६३३-४ और बाद के वर्षों म यह कोप (होम ट्रैजरी) के अनिरिक्त धन और चांदी के विक्रय के लाभ का प्रयोग स्टॉलिंग प्रतिभूतियों के क्रम में किया गया और इस प्रकार पञ्च-मुद्रा सुरक्षित कोप की स्टॉलिंग मम्पत्ति बढ़ाई गई। सरकारी वरेन्सी कार्यों को रिजर्व बैंक की हस्तान्तरित दर से समय पत्र-

१ रिविन्यूजन ३५।

२ रिविन्यूजन ने हस्तान्तरित दर समय २५ माच, १६३५ जा सरकार द्वारा ४४ ४३ करोड़ था, जिस से ४४ ४५ करोड़ पञ्च-मुद्रा सुरक्षित बोधने वाले और ४८७ करोड़ ८० स्टॉलिंग प्रभाप कराड़ था। दर रखा ८० नवम रुपया (दर) (१ रुपये = १७ औंस सोना) पर निर्दिष्ट था। हस्तान्तरित दर गांगर नूच्य दरमा ६० करोड़ रखे थे।

मुद्रा कोष की यह स्थिति स्वागत योग्य थी।^१

२० सितम्बर, १९३१ को इगलैण्ड के स्वर्ण प्रमाप त्यागने तथा रुपये का मूल्य १ शि० ६ पौ० निश्चित करने के फलस्वरूप रुपयों में सोने का मूल्य बढ़ जाने से ३१ दिसम्बर १९३७ तक ३०८ करोड़ रुपया बाहर भेजा गया।^२

३५. नोट प्रचलन और करेन्सी की खपत—इस भाग में २ मुख्य प्रश्नों का विवेचन प्रस्तावित है—

(१) कुल और सक्रिय नोट प्रचलन—जब हम पत्र-मुद्रा के प्रचलन की बात करते हैं तो हमें जानना चाहिए कि हम कुल प्रचलन की बात कर रहे हैं अथवा सक्रिय प्रचलन की।

(क) कुल प्रचलन का अर्थ जारी किये गए नोटों के कुल मूल्य से है जिनका युगतान नहीं हुआ है। (ख) १ अप्रैल, १९३५ से जब नोट चलाने का कार्य रिझर्व बैंक ने ले लिया, सक्रिय प्रचलन का अर्थ बैंकिंग विभाग भे रखे हुए नोटों को छोड़कर जारी किये गए शेष नोटों की सल्ल्या से है।

हास के वर्षों में सक्रिय नोट प्रचलन की वृद्धि से देश में नोटों का अधिक प्रयोग और पुनरुत्थान प्रकट होता है। युद्धजनित दशाओं के परिणामस्वरूप १९३६-४० में हुई वृद्धि को दूसरे अध्याय में समझाया गया है।

(२) करेन्सी के विभिन्न रूपों की खपत—१९१४-१८ के युद्ध के पूर्व, मध्य और बाद में मुद्रा चलन के शोपण और नोट तथा रुपये की अपेक्षाकृत लोकप्रियता में आइचर्यजनक परिवर्तन हुए। नोट और रुपये के रूप में बढ़े पैमाने पर युद्धकालीन मुद्रा चलन का प्रसार भली प्रकार जाँचे गए साधनों के कारण चिन्हों द्वारा स्पष्ट हो रहा है। १९२०-२१ में मुद्रा चलन का विस्तृत सकुचन प्रतिकूल व्यापारिक सन्तुलन और हुण्डियों के विक्रय के प्रभाव का प्रतिनिवित्व करता है। १९१४-१८ के बाद के २० वर्षों में दिना अपवाद के एक और खजानों से चाँदी के रुपये के लाभ का काल था और दूसरी ओर नोटों द्वारा रुपयों का पक्षपातपूर्ण स्थान-परिवर्तन था। यह तालिका युद्ध-पूर्व, युद्ध-काल तथा युद्धोत्तर-काल में सिवको और पत्र-मुद्रा की सापेक्षिक खपत और लोकप्रियता के विशेष परिवर्तन को स्पष्ट करती है। इन आँकड़ों से रुपये और नोटों का युद्धकालीन विस्तार भली भांति प्रकट हो जाता है। १९२०-२१ में मुद्रा का सकुचन प्रतिकूल व्यापारिक सन्तुलन और रिवर्स कौसिल की विक्री प्रदर्शित करता है। १९१४-१८ के बाद २० वर्ष तक का समय चाँदी के रुपयों की वापसी तथा अवशतः सिवको का नोट से प्रतिस्थापन का युग था, यद्यपि कुछ थोड़े बहुत अपवाद भी थे। रुपयों की वापसी का एक कारण यह था कि लोग धन जोड़ने के लिए उसके स्थान पर सोने का प्रयोग करने लगे, यद्योकि २१ सितम्बर, १९३१

१. डेखिए अध्याय ११, करेन्सी क्लोलर की रिपोर्ट (१९३३-३४), पैरा ३६ और (१९३४-३५) पैरा ३१।

२. अधिक रूपोंकरण के लिए अगला अध्याय देखिए और नोट प्रचलन के आँकड़ों के लिए १९१८ अध्ययन देखिए।

को भारत के स्वर्ण प्रमाण छोड़ने से पहले सोने का मूल्य १६१४-१८ के स्तर से भी नीचा हो गया था (दूसरा अध्याय देखिए)। सर जार्ज मुस्टर का कहना था कि करेन्सी का सकुचन विश्व मूल्यों में कमी आने का फल या तथा अत्यधिक सकुचन नहीं किया गया था।^१ मूल्यों की वृद्धि और अशातः आधिक पुनर्षेषण के कारण नोटों की खपत बढ़ गई, परन्तु चाँदी के सिक्के की वापसी के कारण यह अशातः समाप्त हो गई। वेचे गए, बाहर भेजे गए तथा जोड़े गए सोने के स्थान पर नोट की सार्वजनिक माँग का सकेत हम ऊपर दे चुके हैं। १६३६-३७ में करेन्सी की कुल खपत की मात्रा २३०४ करोड़ रु० थी। आधिक मन्दी के परिमाणस्वरूप १६३७-३८ में १४७५ करोड़ रु० और १६३८-३९ में ६६२ करोड़ रु० की वापसी हुई। १६३९-४० में करेन्सी की खपत की मात्रा ५६५३ करोड़ रु० थी। खपत में १००८ करोड़ रु० और ४६४५ करोड़ रु० के नोटों की वृद्धि हुई। १६१८-१९ को छोड़कर, जबकि सितम्बर, १६३६ में युद्ध छिड़ने के उपरान्त मूल्यों की वृद्धि और व्यापारिक तेजी के कारण खपत ६४२० करोड़ रुपये हो गई थी, अन्य किसी वर्ष करेन्सी की इतनी खपत नहीं हुई। यह भारत में व्यापारिक क्रियाओं की वृद्धि और १६३६ के युद्ध के बाद मूल्य की वृद्धि दो चिह्नित करती है। १६१६-२० के बाद किसी भी वर्ष करेन्सी की खपत १६३६-४० से अधिक नहीं हुई। किसी हद तक यह व्यापारिक तेजी और अच्छी फसलों के कारण भी थी, परन्तु अशातः युद्धजित परिस्थितियों के कारण धातु और सिक्कों को जोड़ने की प्रवृत्ति भी इसका कारण थी। युद्धजित तनाव बढ़ने के साथ यह प्रवृत्ति भी बढ़ती गई। तब जुलाई १६४० में भारत सरकार को एक रुपया के प्रबलन द्वारा इसे रोकना पड़ा (अगला अध्याय देखिए)। १४ फरवरी, १६४७ को जारी किये गए कुल नोटों की मात्रा १२५७ करोड़ रुपये से कुछ अधिक थी।

युद्ध चलाने हेतु सामान की भारी खरीद के लिए अपनाई गई विदेष विधि के फलस्वरूप इम्पैण्ड-स्थित करेन्सी कोष में स्टर्लिंग प्रतिभूतियों की अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे देश के नोट प्रबलन में बहुत वृद्धि हो गई, जैसा कि १६४० ४१ से १६४४-४५ तक के आँकड़ों से प्रकट है।^२ १६४५ में युद्ध समाप्त होने के साथ करेन्सी की वृद्धि की गति घटित होती गई।

प्रत्येक महीने में करेन्सी की खपत का अध्ययन इस तथ्य को प्रकट करता है कि करेन्सी की खपत सामान्यतः नवम्बर से जून तक कारोबार के महीनों में और जुलाई से अक्टूबर तक के मध्ये महीनों में करेन्सी कार्यालयों और खजानों को वापस खोट आती है।^३

१. केन्द्रीय बैंक १६३६-३८, पृष्ठ २८-२९, अध्याय ६ का सेक्शन १७ भी देखिए।

२. देखिए अध्याय २२, स्टर्लिंग सन्तुलन का विवाद।

३. अध्याय १ मो देखिए।

अध्याय २२

चलार्थ और विनिमय (भाग २)

कार्यरत हिल्टन यग कमीशन

१ स्वर्ण विनिमय प्रमाप के दोष—४ जुलाई, १९२६ बो हिल्टन यग आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। भारत के लिए द्रव्य प्रमाप-सम्बन्धी अपनी योजना के प्रति-पादन के पूर्व ही आयोग ने पढ़ति की निम्नलिखित विद्यमान बुराइयों की ओर सकेत किया।^१

(१) यह पढ़ति सरल और प्राह्य नहीं थी। करेन्सी में दो सकेत मुद्राएँ—रुपया और नोट—तथा पूर्ण मूल्य की सावरेन नामक एक तीसरी मुद्रा थी, जिसका लेश-मात्र प्रचलन नहीं था। सकेत मुद्रा का एक रूप, अर्थात् रुपया, जिसमें दूसरी सकेत मुद्रा अर्थात् नोटों को परिवर्तित करने का असीमित दायित्व था, बहुत ही व्यवशील था और चाँदी का मूल्य एक नियन्त्रित स्तर से ऊपर हो जाने पर जब यह सकेत मुद्रा नहीं रह जाता, तो इसके गुप्त होने की सम्भावना थी।

(२) सुरक्षा स्वर्ण प्रमाप तथा पन-मुद्रा और बैंकिंग सुरक्षित कोप के रूप में दोहरे सुरक्षित कोप थे। करेन्सी और साथ नीति के नियन्त्रण के लिए उत्तरदायित्व का पुराना और भवानक विभाजन था। जबकि अन्य देशों में यह दायित्व किसी एक केन्द्रीय बैंक पर होता है, भारत में करेन्सी का नियन्त्रण सरकार के हाथ में पा और साथ का नियन्त्रण केवल इम्पीरियल बैंक द्वारा निया जाता था।

(३) इस पढ़ति में करेन्सी का स्वाभाविक प्रसार और सकुचन सम्बन्ध नहीं था। इस प्रकार का प्रसार या सकुचन पूर्ण रूप से करेन्सी अधिकारी अर्थात् सरकार की इच्छा पर निर्भर था। सुरक्षित कोप के रिक्त होने के साथ-साथ इस पढ़ति में स्वभावत आन्तरिक करेन्सी का सकुचन नहीं होता था।

इस प्रकार करेन्सी प्रसार के सम्बन्ध में अनेक अवसरों पर सरकार ने मुद्रा-प्रसार के बिना ही स्टालिंग खरीदने के दायित्व को पूरा किया—पहले एहत सरकारी कोप से रुपय किया गया और मुद्रा प्रसार सरकार के बिवेक पर छोड़ दिया गया।

(४) अन्तत इस पढ़ति में लचक नहीं थी। स्मिति की सिफारिश पर की गई लचक की व्यवस्था को भारतीय व्यापार के अर्थ प्रबन्धन के विभिन्न ढंगों द्वारा कार्यान्वयित किया गया। ये ढंग नवद साथ अथवा अभियाचन प्रतिज्ञा अथवा

१. दोखण हिल्टन यग कमीशन की रिपोर्ट, पैरा २१।

(डिमाण्ड प्रोमेसरी नोट्स) के आधार पर अग्रिम देन पर आधारित थे, इसलिए करेंसी की सामयिक वृद्धि की सुरक्षा के रूप में देश के अन्दर व्यापारिक हृष्टियों की कमी हो गई और सितम्बर, १९२४ में सरकार ने घोषित किया कि आवश्यकतानुसार वे सन्दर्भ-स्थित पत्र मुद्रा सुरक्षित कोष में जमा ट्रैज़री बिल के आधार पर करेंसी जारी करने के अधिकार का प्रयोग करेंगे।

२. सुरक्षित कोष और शेय (बैंकेन्सेच) —हम देख चुके हैं कि किस प्रकार एक विशेष उद्देश्य के लिए निमित्त सुरक्षित कोष और शेय अन्य कार्यों के लिए विवेकहीनता से प्रयुक्त होते थे। सुरक्षित कोष और शेय का उपयोग किसी उचित नीति से नियन्त्रित नहीं होता था, जिसके फलस्वरूप उन्हें कभी एक-दूसरे से अलग समझा जाता था और कभी दोनों को मिला दिया जाता था, जिससे काफी गडबड पेंदा होती थी।

जहाँ तक स्वरूप प्रमाप सुरक्षित कोष की रक्कना (वनावट) का सम्बन्ध है, स्थिति असन्तोषजनक थी। प्रधानतया इसे दीर्घकालीन प्रनिभूतियों में लगाया जाना था और इसका बहुत थोड़ा भाग द्रव्य रूप में रखा जाता था। चम्बरलेन आयोग^१ ने सिफारिश की कि इसके अधिकार भाग को तरल रूप और सरलतापूर्वक बमूल होने वाली प्रतिभूतियों में रखना चाहिए तथा स्वरूप प्रमाप सुरक्षित कोष की रक्कना द्वारा का उन्मूलन कर देना चाहिए। अनिम प्रस्ताव को सरकार न स्वीकार कर लिया, परन्तु शाय सिफारिशें १९१४ का युद्ध प्रारम्भ हो जाने के कारण कायान्त्रिन न हो सकीं। उस युद्ध के समय लगभग सारा कोष लन्दन में प्रनिभूतियों के स्प मरता था और ब्रिटिश युद्ध वौण्ड और ट्रैज़री बिल खरीद गए। ब्रिटानीलीन प्रनिभूतियों में घन लगाकर सरकार से बन्द छोन वाली प्रनिभूतियों न सम्बन्ध में की गई मिफार्निश पूरी की गई।

समिति ने सिफारिश की थी कि सुरक्षित कोष के पर्याप्त भाग का साल में रखना वाल्हनीय था। उन्होंने यह भी सिफारिश की थी कि यह प्रनिभूतिया भारत सरकार के अनिरिक्त ब्रिटिश चाउल्य की किनी अन्य सरकार द्वारा जारी की गई अल्पकालीन प्रनिभूतियों के स्प न होनी चाहिए।

पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष के मिलन से पहले और १ अप्रैल, १९३५ से रिक्वर्ड देव थाँक हृष्टियों को हस्तान्तरित हानि से पूर्व, स्वरूप प्रमाप सुरक्षित कोष की स्थिति यह थी कि इनका अधिकार भाग विनिमय रूपों में अल्पकालीन पत्रों में लन्दन में रखा गया।

पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष का एक भाग सन्दर्भ में रखा गया। चम्बरलेन आयोग ने लन्दन में स्वरूप प्रमाप सुरक्षित कोष नी स्थिति को इन आधार पर उचित ठहराया कि सन्दर्भ विश्व का निकाल गृह और दूसरों का जार है। इसके अनिरिक्त भारत का प्रधान ग्राहक इण्डियन (यूनाइटेड किंगडम) था और लन्दन वह प्रधान स्थान था

१. ब्रिटिश अन्दरवास, मुक्कन १८।

२. आगे सैक्षण २४ और अन्दरवास १३ दिल्ली।

जहाँ भारत की ओर से राज सचिव के व्यय और इगलैण्ड तथा विश्व के प्रति भारत की व्यापारिक देनदारियाँ चुकाने के लिए स्पष्टे की आवश्यकता होती थी। यदि सुरक्षित कोप भारत में रखा जाता तो इसे लन्दन भेजना पड़ता जिससे अनावश्यक विलम्ब और व्यय होता। भारत में कोई अल्पकालीन साख बाजार नहीं था और सुरक्षित कोप का यहाँ रखना बेकार ही था, क्योंकि उस पर किसी प्रकार का व्याज नहीं मिल सकता था। इसके अतिरिक्त कुछ युरोपीय देशों की केन्द्रीय बैंकों द्वारा हुण्डियाँ रखने की प्रथा ने लन्दन में सुरक्षित कोप रखने की भारतीय प्रथा के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया।

सुरक्षित कोप की स्थिति-सम्बन्धी यह पेचीदा व्यवस्था सम्भवत व्यापार के प्रतिकूल सन्तुलन द्वारा उत्पन्न विनिमय की कठिनाइयों का ठीक रखने के लिए की गई थी। इस तथ्य को हृष्टि में रखने पर कि भारत के लिए प्रतिकूल व्यापारिक सन्तुलन एक असाधारण बात थी (जो हर दस वर्ष में होती थी) यह प्रतीत होगा कि कभी होनवाली इस घटना के लिए ऐसे विस्तृत और स्थायी प्रबन्ध आवश्यक न थे।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापारिक सन्तुलन प्रतिकूल होने पर अन्य देश विदेशी बैंकों में सुरक्षित कोप नहीं रखते हैं। उदाहरण के लिए, प्रतिवर्ष व्यापारिक देनदारियों के भुगतान के लिए अन्य देशों द्वारा भारत में कोई सुरक्षित कोप नहीं रखा जाता था।

इन दिशाओं में कोई प्रयास करने के बजाय, सरकार ने चाँदी के आयात पर कर लगाकर ऐसे बाजार के विकास को रोक दिया। अगर क्रय लन्दन में ही विये जाते थे, तो कोप वहाँ रखने के बजाय आवश्यकता पड़ने पर भारत से हस्तान्तरित करने में ही कौनसी विशेष हानि थी? प्रचलित सन्देह और असन्तोष को कम करने के लिए आवश्यक धन इगलैण्ड भेजने की असुविधा और अतिरिक्त व्यय उचित ही थे। यह भी प्रकट ही है कि आवश्यकता पड़ने पर भारत से हस्तान्तरण न होने पर इगलैण्ड में आवश्यक धन एकत्र करने का प्रबन्ध, उदाहरणार्थ बैंक ऑफ इगलैण्ड की सहायता से, किया जा सकता था। अन्तत चाँदी की सरीद के सम्बन्ध में बरती जाने वाली गोपनीयता ने स्वभावत ही अनेक विरोधी आलोचनाओं को जन्म दिया। ३ विप्रेषित धनराशियों (रेमिटेन्सेज) का प्रबन्ध—जैसा कि हम कह चुके हैं, राज-सचिव द्वारा कौसिल ड्राफ्ट की विभी भारत से लन्दन में कोप जमा करन का एक यन्त्रमात्र थी। इस सम्बन्ध में यह शिकायत थी कि भ्रत्यविक धनराशि, विशेषकर १९७४ के बाद से, इस प्रकार अनावश्यक रूप से लन्दन भेजी गई। इसका समर्थन इस प्राधार पर किया गया कि इससे राज-सचिव की आर्थिक स्थिति हड्ड हो गई, परन्तु इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं किया गया कि इस प्रकार की हड्डता की व्यो आवश्यकता थी। इसी प्रकार यह भी कहा गया कि राज-सचिव के लिए यह बाज़दानीय है कि वह कौसिल बिलों की अत्यन्त लाभपूर्ण दरों का, जब कभी वे प्राप्त हो, लाभ उठाए। यहाँ पुन यह ग्रन्तुमान निहित है कि धन की अपेक्षा का प्रश्न एक गौण प्रश्न है। प्राय इस बात का भी दावा किया गया कि अपने व्यय

वी आवश्यकता से अधिक रूपया एकत्र करने से राज-सचिव ने झुण से बचाव या उसमें कमी सम्भव कर दी। इस प्रकार अधिक धम लेने की प्रवृत्ति ने भारत में वचत वी ग्राम-व्यय वी नीति को प्रोत्साहित किया। झुणों से बचाव करने या उन्हें कम करने के स्थान पर भारत में कर कम करने की क्रिया का यनुसरण कही अधिक वाञ्छनीय होता।^१ इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि राज-सचिव का नकद शेष (वाकी) अधिक होने पर भी लन्दन में भारी झुण लिये गए।

इस प्रकार राज-सचिव के हाथ में एकत्र अतिरिक्त रूपया लन्दन में बहुत घोड़े व्याज पर 'स्वीकृत' झुणकर्ताओं को जबार दिया जाता था। इन झुणकर्ताओं की एक सूची राज-सचिव के पास रहती थी। सामान्य शिकायत यह थी कि इन झुणों के सम्बन्ध में काफी पक्षपात दिवाया जाता था और ये शिकायतें इसलिए और गम्भीर हो गई क्योंकि राज-सचिव की कौमिल की वित्त समिति के सदस्य ही वे सचालक और व्यापारी थे जो झुण देने के लिए व्यक्तियों का चुनाव करते थे।

लन्दन में रुपये वी आवश्यकता न होने पर भी कभी-कभी स्वरुप आयात विन्दु से निम्न दर पर भी कौमिल विलों की विक्री की प्रथा पर आपत्ति की गई।

राज-सचिव की आवश्यकता से ऊपर कौमिल विलों की विक्री का समर्थन मुख्यतया इस आधार पर किया गया कि यह भारत के विदेशी व्यापार के लिए बहुत सहायक था। परन्तु व्यापार को इस सहायता वी आवश्यकता ही नहीं थी। वास्तव में व्यापार के अधं-प्रबन्धन के लिए व्यापार को वैकल्पिक सावन ढूँढने में कोई कठिनाई न थी और कौमिल विलों की विक्री काम कर देने पर भी व्यापार को कोई कठिनाई नहीं हुई। अस व्यापार की सहायतार्थ सरकार को अपना मार्ग ढोँडने के लिए कोई विशेष कारण तो नहीं था। उन्हें केवल इनना ही करने की आवश्यकता थी कि निर्यात के लिए स्वर्ण को स्वतन्त्रतापूर्वक प्राप्त बना देते।

बैंग्लादेश स्थित मणिति को दिये गए अपने स्मृतिपत्र में, सर स्टैनली रीड ने भारतीय विनियम पर राज-सचिव वे नियन्त्रण के उन्मूलन की जोरदार सिफारिश की। उन्होंने कहा कि भारत की सरकार और राज-सचिव दोनों पर ही भारत की अधिकाद जनता सन्देह करती थी। राज-सचिव भारत के बड़े वित्तीय केन्द्रों से ६००० मील की दूरी पर बैठकर काम करते थे। वे अभारतीय हिनो से आवृत और स्वभावत उन्हीं के पोषक थे। वे गोपनीयता के साथ काम करते थे और भारत में उन उपायों के मूल आधारों की—मले ही वे उत्तराय किन्ती ही बुद्धिमत्ती से भरे और आवश्यक वयों न हो—कोई भी सूचना प्राप्त करना असम्भव था। ऐसे पूर्ण अधिकार, जो जनता से इतनी दूर गोपनीय ढग से कार्यान्वित होते थे, की राज-नीतिक हानियों की अतिरजना नहीं की जा सकती।

भारतीय प्रथा के प्रति मुख्य आपत्ति उसके प्रबंधित होने के सम्बन्ध में नह

थी—क्योंकि सम्युद्धि देशों में किसी-न-किसी रूप में प्रवर्धन तो आवश्यक ही होता है—वरन् उसके कुप्रबन्ध के सम्बन्ध में थी। प्रोफेसर निकल्सन के शब्दों में, ‘किसी देश की अधिकांश जनता का यह सोचना कि करेन्सी में कुछ दोष है, उस देश के लिए बुरा है। स्वर्ण विनियम प्रमाप की निहित विशेषताएँ चाहे कुछ भी हो, परन्तु उसके कारण निश्चय ही भारतीय यह सोचने लगे थे कि देश की करेन्सी प्रथा बड़ी गडबड़ है।’ ४. मुद्रास्फीति और मूल्यों की वृद्धि—जैसा हम देख चुके हैं कि हिल्टन यम आयोग ने कहा था कि भारतीय पढ़ति स्वन चालित नहीं थी और अतिरिक्त करेन्सी को सकुचित करने की वृद्धि से विशेष रूप से दोषपूर्ण थी। इसका स्वभाविक परिणाम मुद्रा स्फीति और मूल्यों की अत्यधिक वृद्धि हुई। जैसा कि चेम्बरलेन आयोग की रिपोर्ट की आलोचना में प्रोफेसर निकल्सन ने कहा था, रूपये की परिवर्तनीयता आशिक होने और कभी-कभी बन्द कर देने तथा और अधिक रूपया जारी करने के सम्मिलित प्रभाव से मूल्य-वृद्धि अवश्यम्भावी थी।

अत्यधिक शुभचिन्तनाके बाबजूद भी देश की करेन्सी-सम्बन्धी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में सरकार के अनुमान गलत होने की सम्भावना तो थी ही। रूपयों की मांग बास्तविक और आवश्यक होने पर भी बहुधा ऐसी ही प्रतीत होती थी, अतएव गलत निरांय बहुत सरल थे, क्योंकि जनता को एक बार जारी किया गया रूपया पूरे देश में फैलकर शीघ्रता से बाप्स नहीं आता था।

५. अविचारित एवं ध्ययशील पढ़ति—किसी विचारपूर्वक अपनाये गए उद्देश्य के प्रतिकूल शासन-सम्बन्धी अधिसूचनाओं न भारत में स्वर्ण विनियम प्रमाप को जन्म दिया। बहुत-सी प्रयाएँ, जो इस पढ़ति के मुराय भाग के रूप में प्रचलित हो गई थी, वैध नहीं थी। जैसा कि अपना मतभेद प्रकट करते हुए (मिनट ऑफ डिसेप्ट, पैरा ५६-६०) स्वर्गीय सर ददीबा दलाल ने कहा था, इस पढ़ति वी स्पष्ट व्याख्या कभी नहीं की गई और सामान्यतः इसका प्रभाव स्थायित्व के प्रतिकूल ही पड़ा।

स्वर्ण प्रमाप की तुलना में स्वर्ण विनियम प्रमाप का सस्तापन ही प्रधानतः इसकी प्रशस्ता का कारण था। यदि हम ऊपर स्पष्ट की गई सारी हानियों का उचित मूल्य आके तो हमारा यह निष्ठर्य क्षम्य होगा कि यह सस्ती पढ़ति सचमुच बहुत मौहरी पड़ी।

यह पढ़ति जनता की आसचयन प्रवृत्ति को नष्ट करने और करेन्सी के मितव्ययी रूपों के प्रयोग के लाभ सिखाने में व्रसफल रही।

६. आन्तरिक बनाम बाह्य स्थिरता—स्वर्ण विनियम प्रमाप के प्रति न्याय करने के लिए हमें इसकी सफलता और असफलता दोनों पर ही ध्यान देना चाहिए। इसे श्रेय देने वाली एक सफलता यह है कि इसने देश को विनियम स्थायित्व का दीर्घ बाल प्रदान किया। सचमुच १९१४-१८ के युद्ध में यह बुरी तरह छिन्न-भिन्न हो गया, परन्तु उस समय विश्व में लगभग प्रत्येक देश की करेन्सी भी ऐसी ही हो गई

थी। फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि रजत प्रमाप की लुलना में स्वर्ण विनिमय प्रमाप विदेशी विनिमय को अधिक स्थायित्व प्रदान करने में अवश्य सफल रहा। परन्तु समस्त आलोचक इतना भी स्वोकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि युद्धकाल को निकाल देने पर भी स्वर्ण विनिमय प्रमाप प्रस्तावित (स्थायित्व प्रदान करने की) कस्ती पर खरा नहीं उतरता। युद्ध से पहले केवल १६०७ द के सकटवाल में ही इसकी परीक्षा हुई थी और उस समय इसे बाहरी सहायता से ही बनाए रखा जा सका। सरकार ने प्रमाप को बनाए रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर उघार लेने का आइदासन दिया और सोने को रखने के लिए मजबूरन कर बढ़ाया। अतएव यह केवल अनुकूल परिस्थितियों की प्रथा थी तथा प्रतिकूलता के चिह्न-मात्र उपस्थित होने पर इसके निष्पाण होने का भय रहता था।

७. स्वर्ण-पिण्ड प्रमाप—सुधार के अनेक प्रस्तावों ने परीक्षा करने के अनन्तर आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत की तत्कालीन परिस्थितियों में सच्चे स्वर्ण प्रमाप की आवश्यकता थी। उन्होंने यह भी कहा कि स्वर्ण को प्रचलन में लाए बिना भी सच्चा स्वर्ण प्रमाप सम्भव था। उन्होंने प्रस्तावित किया कि भारत में प्रचलन वा साधारण माध्यम वर्तमान नोट और चांदी वा स्पया ही रहे और स्वर्ण में करेन्सी वा स्थायित्व करेन्सी को प्रत्यक्ष स्पष्ट से सारे उद्देश्यों के लिए सोने म परिवर्तनीय बना देने से प्राप्त किया जाए, परन्तु सोने को करेन्सी के हर में आदि में अन्त तक कभी नहीं चलना चाहिए। (पेरा ५४)

आयोग के अनुसार सोने के प्रचलन के विरोध का प्रधान कारण यह था कि प्रचलन म सोने की बिही ही अधिक मात्रा लाई जाएगी उनना ही स्वर्ण सुरक्षित कोष कम होता जाएगा और उस पर आधारित साहृदयवस्था अधिक बेलोचित हो जाएगी। उन्होंने चेम्बरलेन आयोग के इस विचार का समर्थन किया कि विनिमय की सहायता के लिए स्वर्ण प्रचलन की उपादेयता सन्दिग्ध थी। आयोग ने यह भी कहा कि स्वर्ण पिण्ड प्रमाप से तुरन्त ही पूर्ण स्वर्ण प्रमाप की स्थापना हो जाएगी तथा अन्य योजनाओं में विवारित कोई सक्रमण-काल भी नहीं होगा। विश्व की स्थितियों में कोई गड़बड़ी उत्पन्न किय बिना ही इससे स्वर्ण सुरक्षित कोष तो अधिक हड़ होने ही, साथ ही वह स्वर्ण करेन्सी के बलन के साथ व्यवस्थित भी की जा सकती थी। यद्यपि स्वर्ण करेन्सी का तुरन्त प्रचलन असम्भव था, परन्तु इसके लिए द्वारा दुला रखना ही पड़ेगा। आयोग का मत था कि किसी भी स्थिति में स्वर्ण करेन्सी का चलन बुद्धिमानी की बात न होगी और उन्होंने आशा प्रकट की कि कुछ समय बाद भारत इसे जीएन्डीए और पुराना आदर्श मानने लगेगा। युद्ध न युरोपीय देशों को स्वर्ण-मुद्रा की व्यवस्था लिया जिससे दूर रहना सिद्धा किया। बास्तव में कुछ ऊने अधिकारियों के अनुसार स्वर्ण करेन्सी का प्रचलन पिछड़ी हुई सम्भता का चिह्न समझा जान लगा। आयोग की योजना के अन्तर्गत करेन्सी अधिकारियों पर कानूनन केवल इतना दायित्व रखा गया कि वे बम-सेन्म ४०० और शुद्ध सोने की मात्रा म, सोने और सभे की समता के हिसाब से निश्चित दरों पर सोने का क्षय-विक्रय करेंगे ताकि रूपये के मूल्य

और निर्दिष्ट समता के स्वर्ण-विन्दुओं के बीच (विदेशी) विनिमय की स्थिरता बनी रहे। स्वर्ण प्राप्त करने के उद्देश्य पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया।

८. स्वर्ण की क्रय-विक्रय दरें—आयात लागत अथवा स्वर्ण समता की हट्टि से करेन्सी के मूल्य के परिवर्तन पर ध्यान दिये बिना रूपये के सम-मूल्य के आधार पर निश्चित स्वर्ण की क्रय विक्रय दरे करेन्सी अधिकारियों को सोने के लिए सबसे सस्ता बाजार बना देंगी। ये केवल भारत में स्वर्ण-डिण्ड बाजार को ही नहीं नष्ट करेंगी बरत् करेन्सी अधिकारियों को अद्व्याप्तक कार्यों के लिए सोना बेचते का कार्य भी सौंप देंगी, जो वास्तव में इनका कार्य नहीं है। इस बन्धन से स्वतन्त्र करने के लिए आयोग ने सिफारिश की कि स्वर्ण का विक्रय मूल्य ऐसी दरों पर निश्चित किया जाए ताकि सोने के भण्डार की पुनः पूर्ति किसी हानि के बिना ही इगलैण्ड से आयात करके सम्भव हो सके।^१

आयोग ने सावरेन के कानूनी मुद्रा होने के गुण को तब तक के लिए हटाने का प्रस्ताव किया, जब तक कि सुरक्षित कोप में स्वर्ण करेन्सी को प्रारम्भ करने के लिए पर्याप्त सोना न हो जाए तथा स्वर्ण करेन्सी प्रारम्भ करने के पक्ष में निश्चित निर्णय न हो जाए, अन्यथा नरेन्सी के सकुचन को रोकते और विनिमय के क्षतिपूरक प्रभावों का प्रतिरोध करते हुए सोना सुरक्षित कोप से प्रदलन में चला जाएगा।

९. नोटों की परिवर्तनीयता—आयोग ने भारतीय करेन्सी पद्धति में एक प्रकार के नोट को अर्थात् कागजी नोट को दूसरे प्रकार के नोट अर्थात् रूपया, जो केवल चाँदी पर अक्षित नोट है, में बदलने के दायित्व से उत्पन्न शट्टडी को दूर करने की मिफारिश की ताकि पद्धति चाँदी के मूल्य की बृद्धि से उत्पन्न भय से मुक्ति पा सके। निस्सन्देह बर्तमान नोटों को रूपये में बदलने की प्रतिज्ञा तो पूरी करनी ही चाहिए, परन्तु नये नोटों को चाँदी के रूपयों में बदलने वा कोई दायित्व नहीं होना चाहिए। फिर भी यह बाल्छनीय था कि जनता का विश्वास और नोटों की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए धारु के रूपये और नोटों के स्वतन्त्र विनिमय की सुविधाएँ दी जाएँ।

नोटों की रूपयों में परिवर्तनीयता के कानूनी अधिकार को वापस लेने के कारण यह आवश्यक हो गया कि एक रूपये के नोट को छोड़कर समस्त कानूनी प्रव्य के छोटे नोटों और चाँदी के रूपयों में बदलने का परिनियत दायित्व करेन्सी अधिकारियों पर रखा जाए। नोटों के बदले चाँदी के रूपये देना करेन्सी अधिकारियों की इच्छा पर था, यद्यपि धारिक करेन्सी के लिए जनता की समस्त उचित माँगों को ध्यवहार में पूरा करना चाहिए।

१०. सुरक्षित कोष का एकीकरण और बनावट—आयोग ने सिफारिश की कि पत्र-मुद्रा और स्वर्ण प्रमाण सुरक्षित कोष को निलाकर एक सुरक्षित कोष कर देना चाहिए ताकि इसकी कार्य-क्षमता का आश्वासन हो सके तथा यह और अधिक सरल होकर जनता की समझ में आ सके।

१. आयोग द्वारा प्रस्तावित रूपये का सम-मूल्य १ शिं ६ पैस था (८.४७ ब्रेन शुद्ध स्वर्ण)।

नये सुरक्षित कोप के सम्बन्ध में आयोग ने निम्न सिफारिशें प्रस्तुत की—

- (१) विनिमय के अतिपूरक प्रभाव, करेन्सी के प्रसार और सकुचन को निश्चित करने के लिए सुरक्षित कोप की बनावट और प्रगति कानून द्वारा निर्धारित होनी चाहिए।
- (२) आनुपातिक सुरक्षित कोप को पद्धति अपनानी चाहिए। स्वर्ण तथा स्वर्ण प्रतिभूतियाँ सुरक्षित कोप का कम-से-कम ४० प्रतिशत भाग हो। करेन्सी अधिकारियों को चाहिए कि वे इन्ह सुरक्षित कोप का ५० या ६० प्रतिशत तक कर दे। शीघ्र-से शीघ्र स्वर्ण सुरक्षित कोप का २० प्रतिशत यथाशीघ्र स्वर्ण के रूप में हो जाना चाहिए और १० वर्ष के अन्तर्गत यह स्वर्ण २५ प्रतिशत हो जाना चाहिए। इस बीच में सोना सुरक्षित रखने के लिए किसी भी प्रकार का अनुकूल अवसर हाथ से न जाने दिना चाहिए। स्वर्ण भण्डार का कम-से-कम $\frac{1}{4}$ भाग भारत में रहना चाहिए।
- (३) १० वर्ष के सक्रमण-काल में सुरक्षित कोप में रजत भण्डार को बाफी कम कर देना चाहिए।
- (४) योग सुरक्षित कोप व्यापारिक हुण्डियों और भारत सरकार की प्रतिभूतियों के रूप में रखना चाहिए। १० वर्ष के अन्तर्गत 'उत्पन्न की गई प्रतिभूतियों' का स्थान विपर्ण योग्य प्रतिभूतियों को ले लेना चाहिए।
- (५) रूपया प्रचलन के सकुचन की दृष्टि से ५० करोड़ रुपये का दायिन्द्र पर्याप्त समझना चाहिए। प्रचलन में चांदी के रूपय की सस्ता में की गई वृद्धि अथवा कमी के $\frac{1}{4}$ भाग के बराबर की मात्रा इस दायित्व में जोड़ना अथवा घटाना चाहिए और इस प्रकार होने वाला लाभ अथवा हानि सरकारी आगम को सहना चाहिए।

आयोग ने कहा कि ऊपर कहे गए रूप में स्वर्ण सुरक्षित कोप का दृढ़ करने में निम्नतम जोखिम और व्यय होगा और यह निम्न कारणों से आवश्यक भी था—

- (१) ताकि करेन्सी अधिकारी करेन्सी के बदले सोना बचने के दायित्व को पूरा कर सकें—विशेषकर नये नोटों की स्वर्ण में परिवर्तनीयता के कारण।
- (२) स्वर्ण प्रमाण-नक्ष्मी (गोल्ड सर्टीफिकेट्स) के लोकप्रिय होने पर सरकार उन्हे भुनान योग्य बना सके।
- (३) स्वर्ण करेन्सी के प्रचलन को सुविधा देने के लिए यदि इसे रखने का निश्चय किया जाए।

आयोग न सिफारिश की कि सुरक्षित कोप में भारत सरकार की रूपया-प्रतिभूतियों की मात्रा बाप्त सरकार न होने वाले प्रचलन के बराबर और इतनी अधिक राशि तक सीमित कर दी जाए जो सरकार की साख को बिगाड़े बिना ही सरकार से बसूल हो सके, क्योंकि ये प्रतिभूतियाँ व्यापारिक हुण्डियों से कम बाज़बनीय हैं। रूपया-प्रतिभूतियों की तुलना में व्यापारिक हुण्डियाँ करेन्सी अधिकारियों की इच्छा और निरायंत्र से स्वतन्त्र देश की आवश्यकताओं के अनुसार करेन्सी के स्वाभाविक प्रसार और सकुचन का गुण रखती हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर सरकारी प्रतिभूतियों का बसूलना बहिर्भूत हो जाएगा। १९३५ में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना के बाद से पत्र-मुद्रा के निर्मम और सुरक्षित कोप की स्थिति-सम्बन्धी नये प्रबन्धों का विवेचन अध्याय ११ में किया गया है।

स्वर्ण-पिण्ड बनाम स्वर्ण करेन्सी प्रमाप

११. स्वर्ण-पिण्ड प्रमाप की आलोचना—आयोग ने स्वर्ण-पिण्ड प्रमाप का समर्थन किया और इसके पक्ष में कहा कि इससे स्वर्ण ही एकमात्र अर्थ का प्रमाप हो जाएगा और हर काम के लिए आन्तरिक करेन्सी की स्वर्ण में परिवर्तनीयता का आश्वासन रहेगा, यद्यपि इसके अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था की गई कि देश में करेन्सी के बदले स्वर्ण सदैव उपलब्ध रहेगा तथा करेन्सी के विनिमय-मूल्य की सहायता के लिए केन्द्रीय सुरक्षित कोष में भी रहेगा परन्तु वह प्रचलन में नहीं आएगा।^१ अन्तिम उद्देश्य की पूर्ति सावरेन के विमुद्रीकरण और दण्ड (वार) के रूप में करेन्सी अधिकारियों द्वारा जनता से स्वर्ण-क्रप के प्रति इस प्रकार सावधानी वरती गई कि कम-से-कम ४०० औंस (१०६५ तोला) की मात्रा में प्रस्तुत किये जाने पर ही सरकार खरीद वरे तथा खरीद की दर में लन्दन से बम्बई तक सोना भेजने की लागत भी शामिल हो।

१२१४-१८ के युद्ध के पहले स्वर्ण विनिमय प्रमाप के अन्तर्गत अनुसारत ६,०००,००० पौण्ड की सावरेन जनता के हाथ में थी। इगलैण्ड में भी १६२५ के करेन्सी-सम्बन्धी नये प्रबन्धों के अन्तर्गत सावरेन का विमुद्रीकरण नहीं किया गया।

१२. भारत में स्वर्ण करेन्सी प्रमाप का पक्ष—आयोग की स्वर्ण-पिण्ड प्रमाप वाली योजना स्पष्टत अपेक्षी पढ़नि से प्रभावित थी। यह यहां गया कि १६२५ में इगलैण्ड में पिण्ड प्रमाप के रूप में स्वर्ण प्रमाप की पुनर्स्थापना १६२२ में जेनेवा सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार विश्व करेन्सी की आदर्श पद्धति—अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय प्रमाप—के विकास की ओर कड़ा कदम था। इस पद्धति के अन्तर्गत आन्तरिक करेन्सी अपरिवर्तनीय पत-मुद्रा की होगी और स्वर्ण के बल विदेशी रुपों के भुगतान के लिए उपलब्ध होगा। १६२६ में भारतीय परिस्थितिया स्वर्ण प्रमाप एव स्वर्ण मुद्रा चलन का निर्देश कर रही थी। इन परिस्थितियों में स्वर्ण मुद्रा अनावश्यक विलासिता अथवा स्वर्ण प्रमाप से सम्बद्ध परम्परागत शिष्यता नहीं समझी जा सकती थी। इसीलिए लगभग असमिद्ध सभी भारतीय साक्षी और कुछ यूरोपीय साक्षी, जैसे डॉ० कैनन और डॉ० ग्रेगरी^२, ने हिल्टन यग आयोग से स्वर्ण करेन्सी प्रमाप अपनाने के लिए आग्रह किया।

१३. आयोग के प्रस्तावों के विवर्ण अन्य आपत्तियाँ—आयोग द्वारा प्रस्तावित स्वर्ण को क्रप-विक्रय दरे भी प्रतिकूल आलोचना का विषय थी। दरों के ऐसे व्यवस्थापन से, कि करेन्सी अधिकारी सबसे सस्ता होने पर सोना खरीद और सबसे मैंहगा होने पर बेचे, भारत में स्वर्ण का क्रप-विक्रय लगभग नहीं के बराबर हो जाएगा। यह बात करेन्सी अधिकारियों द्वारा स्वर्ण-विक्रय वर विशेष रूप से लागू होगी। जनता तो नियति कायं के लिए आवश्यक होने पर ही खरीद करेगी। इसके अतिरिक्त विनिमय-

१. २३ नवम्बर, १६२६ को दिल्ली में सार बेसिल बैंकेट का भाषण देखिए।

२. देसिए, हिल्टन यग कमीशन रिपोर्ट, परिशिष्ट द० और द१।

दर उच्चतर स्वर्ण-विन्दु से भीके होने पर वस्त्रै की तुलना में लन्दन में अधिक अनुकूल दर पर सोने की विक्री के सम्बन्ध में आयोग के प्रस्ताव का उद्देश्य लन्दन में स्वर्ण देने (वित्रय के लिए) को प्रोत्साहित करना था। इससे स्वर्ण विनिमय प्रमाप की बुराइयाँ तो बनी ही रहेंगी, इसीलिए इसका विरोध किया गया।^१ इस सम्बन्ध म हम आयोग तो बनी ही रहेंगी, इसीलिए इसका विरोध किया गया।^१ इस सम्बन्ध म हम आयोग की इस सिफारिश की ओर सकेत कर सकते हैं कि रिजर्व बैंक स्वर्ण सिक्कों अथवा की इस सिफारिश का कम-से-कम आया भाग भारत म रखेगा। शेष आया भाग देश वे स्वर्ण-पिण्ड का कम-से-कम आया भाग भारत म रखेगा। शेष आया भाग देश वे बाहर उसकी शाखाओं, एजेंसियों अथवा उसके खाते में अन्य देशों में रखा जा सकता है। बैंक के स्वर्ण की कोई भी मात्रा, चाहे वह टक्साल में हो अथवा विप्रेपण के मार्ग में, कोप का एक भाग मानी जाएगी। आयोग की सिफारिश के अनुसार स्वर्ण प्रति-में, कोप का एक भाग मानी जाएगी। आयोग की सिफारिश के अनुसार स्वर्ण प्रति-भूमियों के रूप में विशाल भण्डार रखने का अर्थ यह है कि उस सीमा तक हमारा सुरक्षित कोप वाहर विनियोजित किया जाएगा। लन्दन में सुरक्षित कोप रखने के बारण उत्तम सन्देह और अविश्वास के बारण भारतीय द्रव्य के लन्दन म रखन से सम्बन्धित किसी भी प्रबन्ध को प्रस्तावित करने के लिए विशेष ध्यान देना आवश्यक या।

रूपये का स्थायित्व

१४ स्थायित्व का अनुपात—आयोग ने सिफारिश की कि स्वर्ण के साथ रूपये का स्थायित्व १ शि० ६ पैस की विनिमय दर पर किया जाए और इस प्रकार रूपये को ८४७ प्रेन नुङ्ग सोन के मूल्य के वरावर कर दिया गया। उनका विचार था कि उस दर पर विश्व के मूल्यों के साथ भारत के पूल्य व्यवस्थित हो चुके थे और उसने अस्तित्व बनाने का अर्थ व्यवस्थापन का विभिन्न समय तथा अत्यधिक आर्थिक अस्त-व्यस्तना होगी।

आयोग ने तर्क उपस्थित किया कि जब विनिमय और मूल्य पर्याप्त समय तक हिंस्वर रहे तो विपरीत स्वेतों के अभाव में यह स्वीकार करना उचित ही था कि मजदूरी का उनसे सामजस्य हो चुका था। विद्वानी व्यापार के आंकड़ों से भी इस अनुमान की पुष्टि होती थी। सविदा के सम्बन्ध में आयोग का तर्क यह था कि वे अधिकतर अल्पकालीन थे और इसलिए उच्चतर अनुपात से प्रभावित नहीं थे।

यदि मूल्य और श्रम के साथ १ शि० ६ पैस की दर के व्यवस्थापन को हम न भी मानें तो भी यह गम्भीरतापूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि वे किसी भी तरह १ शि० ४ पैस की दर से व्यवस्थित थे, क्योंकि गत ८ वर्ष म यह दर कभी भी १ शि० ४ पैस की दर से व्यवस्थित थी, क्योंकि गत ८ वर्ष म यह दर कभी भी १ शि० ६ पैस पर ही रही रही। जहाँ तक व्यवस्थापन अथवा सामजस्य का प्रस्तुत है, यह १ शि० ६ पैस पर ही हुआ होगा। इन परिस्थितियों म १ शि० ४ पैस की दर स्थापित करने से मूल्यों म १२ $\frac{1}{2}$ प्रतिशत वृद्धि होना अवश्यम्भावी था जिससे

^{१.} देविट, शि० ८० बी० जुन रक्कर, एन इंजिनियरिंग ऑफ रिकर्न्सी वर्मशन रिपोर्ट, पृष्ठ ५५।

साधारणतया उपभोक्ताओं और विशेष रूप से कम वेतन वाले शिक्षित वर्ग को कठिनाईयाँ बहुत बढ़ जाएँगी। इससे श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी में भी कमी होती, जिसके औचित्य अबवा आवश्यकता का किसी भी आधार पर समर्थन नहीं किया जा सकेगा। १ शि० ४ पैस की दर से केन्द्रीय और प्रान्तीय दोनों सरकारों की वित्तव्यवस्थाएँ बुरी तरह से अव्यवस्थित हो जाएँगी जिससे प्रान्तीय अनुदानों की समाप्ति अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाएगी।

१५. विमति टिप्पणी (मिनट ऑफ डिसेण्ट) — रार पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ने अपनी विमति टिप्पणी में बताया कि किस प्रकार सरकार ने विनिमय दर बढ़ाकर १ शि० ६ पैस कर देने का विचार किया और इस निश्चय से आयोग की जांच और निष्कर्ष दोनों को प्रभावित किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि किस प्रकार सितम्बर और अक्टूबर, १९२४ में युद्ध के पहले की १ शि० ४ पैस की दर पर रप्ये को स्थिर करने के अवसर को सरकार ने त्याग दिया और विनिमय दर बढ़ाने के लिए २ शि० स्वर्ग की भूठी दर का प्रयोग किया, जिससे करेन्सी में भवावह रूप से सकुचन हुआ।

उनके प्रधान निर्णय इस प्रकार थे—

(१) मजदूरी में कोई भी सामजस्य नहीं हुआ था। विना भगडे वे कोई सामजस्य सम्भव भी नहीं था। (२) पूर्ण सामजस्य होने तक १ शि० ६ पैस की दर ने अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी निर्माताओं को १२३ प्रतिशत की आर्थिक सहायता दी, जिससे भारतीय उद्योग पर अविक भार पड़ा। (३) अनुपात में परिवर्तन का अर्थ कहणकर्ताओं पर, जो कृपक है, १२३ प्रतिशत का अतिरिक्त भार बढ़ाना था। कहण पुराने होने के कारण यह अनुमान करना स्वाभाविक था कि अधिकाश कहण १ शि० ४ पैस के आधार पर ही लिये गए होंगे। (४) अत १ शि० ४ पैस की दर स्थगित करने से राजस्व पर पड़ने वाले प्रभावों को बढ़ा-बढ़ाकर कहा गया था। (५) १ शि० ४ पैस का दुरा प्रभाव जनता के छोटे भाग (लगभग २१ प्रतिशत) तक ही सीमित था जिसमें कम वेतन वाले शिक्षित वर्ग के लोग थे। इसकी तुलना में ऊँची दर से ७६ प्रतिशत व्यक्तियों को कष्ट होगा। जहाँ तक श्रम का सम्बन्ध है, १ शि० ४ पैस की दर अपनाने से मूल्य में सम्भावित वृद्धि से पारिश्रमिक की बत्तमान दरे, जो काफी ऊँची थी, अवस्थित हो जाएँगी। प्रत्येक दक्षा में निम्न दर से उद्योग और कृषि समृद्ध होते और इससे रोजगार बराबर मिलता रहता, जबकि ऊँच अनुपात से इन दोनों को हारनि पहुँचती। (६) १६१४-१८ के पूर्व-प्रचलित १ शि० ४ पैस का अनुपात विश्व के अन्य देशों के अनुपात की तरह ही अव्यवस्थित हो गया, परन्तु अन्य देशों ने स्वायी रूप से युद्ध के पहले के अनुपात को पुन व्याप्त करने का प्रयत्न किया। यदि यह हीकार कर लिया जाए कि दोनों दशाओं से उत्पन्न गडबडी समान थी, तो निर्णय १ शि० ४ पैस के ही पक्ष में होगा।

१६. विनिमय दर के विवाद का परीक्षण—बहुमत की रिपोर्ट और विमति टिप्पणियों ने एक ऐसा जस्तागार प्रस्तुत किया जिससे दोनों ओर के प्रतिद्वंद्वियों ने भवानक विवाद में अपने-अपने हथियार खीच लिए। देखने में तर्क कितने ही युवितसगत व्यो

न दिखाई पड़े, परन्तु सूक्ष्म परीक्षण पर नये अनुपात के समर्थकों और विरोधियों द्वारा दिये गए तर्कों में अनेक दोष दिखाई पड़ेगे।

(१) बहुमत के तर्कों की आलोचना—बहुमत के अनुसार १ शि० ६ पैस की दर पर मूल्यों के व्यवस्थापन वा तर्क देशनाको पर आधारित था। देशनाक किसी प्रकार भी पद-प्रदानक नहीं थे।^१

जूट उद्योग के अतिरिक्त किसी अन्य उद्योग में १ शि० ६ पैस के साथ मजदूरों का सामजिक्य दिवाने के लिए बहुमत ने कोई साँखिकीय साझी प्रस्तुत नहीं की। दोधंकालीन सविदाओं वे सम्बन्ध में आयोग ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि १ शि० ६ पैस की दर कठोर सिद्ध नहीं होगी क्योंकि, उदाहरण के लिए, १९१४ के मूल्यों में बृद्धि के कारण मालगुजारी बन्दोबस्त का वास्तविक आयात (इसीडेट्स) कम हो गया था। उन्होंने विनिमय के हेरफेर के कारण मजदूरों के पारिश्रमिक को छिपी हुई कमी के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत किया। तर्कसंगत होने के लिए उन्हे मालगुजारी की छिपी हुई बृद्धि को १ शि० ६ पैस की दर के विरुद्ध समझना चाहिए।

बहुमत का दृढ़तम तर्क यह था कि उच्चतर दर लगभग १ वर्ष से अधिक लागू रही और इसलिए पर्याप्त सामजिक्य अवश्य हो गया होगा। इसके विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि पर्याप्त सामजिक्य के लिए एक वर्ष का समय काफी नहीं था, अतएव यह तर्क सामजिक्य के विपक्ष में अधिक पड़ता है।^२

(२) १ शि० ४ पैस की दर के पक्ष का आलोचनात्मक परीक्षण—यह भी भली भाँति सिद्ध किया जा सकता है कि १ शि० ४ पैस के समर्थकों न भी ऐसे तर्कों का आश्रय नहीं लिया जिनका कोई अपवाद न हो। उदाहरण के लिए उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि १ शि० ६ पैस के अनुपात को ठीक रखने के लिए सरकार ने मुद्रा का अत्यन्त सकुचन किया। यदि मुद्रा सकुचन सञ्चमुच इतना अधिक किया गया था, तो वह अवश्य ही मूल्य के सामान्य स्तर को काफी नीचे ले गाता। मूल्यों में पर्याप्त कमी को स्वीकार करने का अर्थ होगा कि हम १ शि० ६ पैस की दर पर सामजिक्य को स्वीकार करते हैं।

उच्चतर अनुपात के विरोधियों ने ग्रामीण अहिता के बढ़ते हुए भार पर तो बल दिया, परन्तु किसानों को सस्ने ग्रोजारों की उपलब्धि और सामान्यत कम लागत के रूप में प्राप्त अनुपात के लक्षितपूरक प्रभावों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे यह समझते में भी असफल रहे कि अधिकांश कृषि जगत् वस्तुओं के रूप में लिया जाता है और

१. देविय, हिल्टन यंग कमीशन रिपोर्ट, पैरा १७८-९।

२. आपनी विनिति टिप्पणी (मिनेट आफडिसेप्ट) में (देरा ८०) सर पुर्पोत्तमदान ठाकुरदान ने बैन के इस विचार को उद्भृत किया कि इनिस्ट्राजन-नैसे देश में विनिमय के २० प्रतिशत परिवर्तन के सामनस्य के लिए लगभग २ कर्व का नमय आवश्यक है। यदि एक देश देश न, जिनके व्यापार का अधिकांश नाग वाला है, इन्हा समय आवश्यक है, तो भारत-नैसे देश में यह नमय अवश्य ही अधिक हाना चाहिए, जिनका आनंदिक व्यापार विदेशी व्यापार की तुलना में कहीं अधिक है।

इसका कुछ भाग अल्पवालीन होता है।^१

भविध्य के आर्थिक इतिहासवेता नये अनुपात के बाद के समय को वैभव-शाली समय के रूप में अक्ति नहीं करेंगे तथा नये अनुपात के बाद देश के कठिन समय और १६२६-३३ के आर्थिक अवसाद ने सरकारी विनियम पर किये जाने वाले आक्रमणों को और उच्च बना दिया था। तर्क के रूप में यह कहा जा सकता है कि यदि देश पुराने अनुपात को रखता तो उद्योग और वाणिज्य की ओर भी बुरी दशा हो गई होती। परन्तु इस तर्क में तो यह मान लिया गया है कि १ शि० ६ पैस की दर पर आधे से अधिक सकमण पूरा हो चुका था, जबकि यही सिद्ध करना है। हम लोग अपर कह चुके हैं कि सामजस्य-सम्बन्धी आयोग के विचार के पक्ष में दी गई शाक्षियाँ विश्वसनीय नहीं हैं। हम तो यहाँ तक कह चुके हैं कि यदि १ शि० ४ पैस० की दर से अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक अव्यवस्था की सम्भावना को मान भी लिया जाए— समस्त साधी पर निष्पक्ष रूप से विचार करने वाला व्यक्ति भी इससे अधिक नहीं मान सकता—तो भी पुराने अनुपात के लिए इस अवस्था की जोखिम उठाना थेयस्कार था। यह नितान्त स्पष्ट होना चाहिए कि जितने प्रविक्ष समय तक नई दर^२ बनी रहेगी, उसनी ही उसके सदर्भ में परिस्थितियों के व्यवस्थित होने की भावना ढूढ़ होती जाएगी और पुराने अनुपात को पुन व्यापित करने का पक्ष निर्वल होता जाएगा।^३

१७ अनुपात (विनियम दर) के विवाद का तदनन्तर विकास (अप्रैल १६२० से सितम्बर १६३१ तक)—शरद १६२६ में अमेरिका से प्रारम्भ होने वाली आर्थिक सकट की हवा धीरे-धीरे विश्व-भर में फैल गई और सम्पूर्ण विश्व में वस्तुओं और प्रतिभूतियों के मूल्य एकदम गिर गए। भारतीय प्रतिभूतियों का भी यही हाल हुआ। इन परिस्थितियों में विनियोक्ताओं की दुर्बलता विनियोग-सम्बन्धी हितक के रूप में प्रकट हुई। इस प्रवृत्ति को कठिन राजनीतिक विरोध से और भी बल मिला। विश्व आर्थिक अवसाद की प्रमुख विशेषता मूल्यों, विशेषकर कृषि-मूल्यों, का तोड़ गिराव था, जिससे भारत के कच्चे माल के नियंत्रित को बहुत हानि पहुँची।

इन परिस्थितियों में सरकार १ शि० ६ पै० की विनियम दर बनाये रखने और विशेष आर्थिक उपायों को अपनाने के लिए विवश हो गई। विनियम की हड्डता के लिए साख नियन्त्रण हेतु अपनाये गए इन उपायों में विनियम बैंकों तथा अन्य ब्रेताओं को ट्रेजरी विलों के नियंत्रण तथा इम्पीरियल बैंक आँफ इण्डिया की बैंक दर की बूँदि को गिनाया जा सकता है।

विश्व आर्थिक अवसाद के बीच मन्दी की व्याख्या के लिए एकमात्र नये अनुपात

१. देविल, सर जे० सी० बोयानी, इण्डियाज करेसी, ऐक्सचेंज एण्ड बैंकिंग प्राव्वेस्स, पृष्ठ १०।

२. देविल, नीचे सेवशन १६, मार्च, १६२७ के इण्डियन करेन्सी ऐक्ट द्वारा १ शि० ६ पै० की नई दर वैध घोषित की गई।

३. देविल, सेवशन २०, २३ और २५।

को मुद्रण कारण के हृप में चुनता अम्भन्द वह है। हम यह आशा कर सकते हैं कि अनुपात के कारण उत्पन्न आर्थिक अव्यवस्था अनुपात स्थापित करने की निकटतम अवधि में उत्पन्न होगी और धीरे-धीरे समय बीतने के साथ यह कम होती जाएगी।

परिस्थितियों में मौलिक परिवर्तन होने अर अनुपात किसी भी समय बदला जा सकता है, जले ही किसी समय उसका कितना ही सामग्रस्य बगो न हो गया हो। बिन्द्वर, १९३१ में इगलैण्ड द्वारा स्वर्ण-प्रमाप स्थानने के बाद कुछ ऐसो परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थीं जिनके कारण यह कहा जा सकता है कि इस विषय पर पुनर्विचार बरता आवश्यक हो गया था । एकमात्र आर्थिक हास्तिकरण से भी प्रस्तु १ लि० ६ पौ० और १ लि० ४ पौ० के बीच चुनाव करने का ही नहीं है। नये अनुपात के परित्याग दो सम्भावना का अर्थ १ लि० ४ पौ० के पुराने अनुपात की स्थापना नहीं है। हम इसके लिए तत्पर रहना चाहिए कि यदि स्थिति का समूल और निष्ठक पुनर्विचार बर्तमान अनुपात का परिवर्तन आवश्यक नममना है (१ लि० ६ पौ० स्टॉलिंग) तो यह भी सम्भव हो सकता है कि इन परिवर्तन परिस्थितियों में उपयुक्त तम अनुपात १ लि० ४ पौ० न होकर कोई अन्य अनुपात ही हो।

१६. सरकार द्वारा हिल्टन यग आयोग की रिपोर्ट का स्वीकरण—१६. जनवरी १९२७ को सरकार ने तीन विल प्रकाशित किए जिनमें आयोग की सिफारियों निहित थी—(१) पहला विल विटिन भारत के लिए स्वर्ण-प्रमाप करेन्सी स्थापित करने और रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का निर्माण बरत के लिए था। (२) दूसरा विल १९२० के इमीरियन बैंक कानून को सुधारने के लिए था। (३) तीसरा विल कुछ छह दोनों के लिए १९२३ के पत्र-मुद्रा कानून और १९०६ के टकन कानून को सुधारने और स्वर्ण विनिमय (बाद में बदलकर स्टॉलिंग हो गया) के खरीदने और बेचने के मध्यम में सरकार पर कुछ दायित्व रखने के लिए था। बैंकिंग के अध्याय में हम एहते और दूसरे विल की चर्चा करेंगे। यहाँ हम तृतीय विल से सम्बन्धित हैं जो विधान-सभा में ७ भार्च, १९२७ को सर वेसिल ब्लैकेट द्वारा प्रस्तावित किया गया। वित्तमन्त्री ने करेन्सी विल के चिह्नानों को स्पष्ट किया, जिसमें वहा गया कि रपये को स्थिर बरतने का समय आ गया था और भारत के वित्तीय इनिहात में एहती बार इन प्रकार निश्चित दर अनुपात को बनाए रखने के लिए करेन्सी अधिकारियों को कानूनन उत्तरदायी ठहराया।

१८. मार्च १९२७ का करेन्सी एक्ट—बम्बई की टकसाल में २१ द० ३ भा० १० पा० प्रति तोला नुद्द स्वर्ण की दर से कम-से-कम ४० तोला (१५ ग्रौस) वाले स्वर्ण-एप्ल के हृप में अमीरियन स्वर्ण कम सम्बन्धी कानून बनाकर सरकार ने १ लि० ६ पौ० के नये अनुपात को स्थापित किया। चांदी के रूपयों और कागजी नोटों के स्वामी कलकत्ता के करेन्सी-नियन्त्रक (करेन्सी कानूनकर) अयबा बम्बई के करेन्सी

उपनियन्त्रक (डिप्टी करेंसी कंट्रोलर) को प्रार्थना-पत्र देकर बम्बई की टकसाल से सोना अथवा सरकार की इच्छानुसार लन्दन में तुरन्त अपित करने के लिए स्टलिंग प्राप्त कर सकते थे, परन्तु शर्त यह थी कि २१ रुपया ३ आना १० पाई प्रति तोला चुद्ध स्वर्ण की दर पर कम-से-कम १०६५ तोला (४०० औंस) चुद्ध सोना अथवा स्टलिंग की माँग करे और उसका दाम चुकाएँ।^१ बम्बई से लन्दन तक के यातायात व्यय की छूट देकर स्टलिंग का विक्रय भी उसी बीमत पर होता था। इन दायित्वों को पूरा करने के लिए स्टलिंग की सरकारी विक्रय दर १ शिं ५ हॅर्ड पै० नियत की गई।^२ १ अप्रैल, १९२७ को, जब इण्डियन करेंसी एकट लागू किया गया, बम्बई टकसाल में स्वर्ण स्वीकार करने की शर्त प्रकाशित की गई।

इस कानून के अनुसार सावरेन और अर्ध-सावरेन भारत में कानूनी मुद्रा न रही,^३ परन्तु सरकार पर यह दायित्व रखा गया कि वह इन सिक्कों को सभी करेंसी कार्यालयों और खजानों में २१ रु० ३ आ० १० पाँ प्रति तोला चुद्ध स्वर्ण के मूल्य पर अर्थात् १३ रुपया ५ आना ४ पाई प्रति सावरेन की दर पर स्वीकार करे। इन सिक्कों के कानूनी मुद्रा न रहने पर भी भारत में सावरेन का प्रशासनीय आयात हुआ। १९२७ के करेंसी एकट ने देश में स्वर्ण-पिण्ड एवं स्टलिंग विनियम प्रमाप की स्थापना की। स्टलिंग देना सरकार की इच्छा पर निर्भर होने के कारण सकुचित अर्थ में इस प्रकार स्थापित प्रमाप स्टलिंग विनियम प्रमाप था, यद्यपि व्यवहार में २० सितम्बर, १९३१ तक इसने स्वर्ण विनियम प्रमाप के रूप में काम किया, यद्यकि तब तक स्टलिंग और सोने का मूल्य समान था। यदि सरकार रूपयों के बदले में स्वर्ण देने के विकल्प का प्रयोग करती तो व्यवहारत भारत में स्वर्ण प्रमाप ही होता। १९२७ के स्टलिंग विनियम प्रमाप में स्वर्ण प्रमाप बनने की क्षमता थी। इससे यह प्रकट होता था कि स्वर्ण प्रमाप निश्चय ही सरकार का उद्देश्य था।^४

२०. स्टलिंग और स्वर्ण का सम्बन्ध तथा भारत में इसकी प्रतिक्रियाएँ—ग्रेटब्रिटेन तथा अन्य कई देशों में स्वर्ण प्रमाप की समाप्ति के फलस्वरूप विदेश-करेंसी तथा विनियम स्थिति में हुए नाटकीय परिवर्तनों के कारण १९२७ के कानून द्वारा स्थापित द्राविक प्रमाप की मौजिक स्वर्ण (पिण्ड) प्रमाप में परिवर्तित होने का उचित अवसर नहीं मिला। २१ सितम्बर, १९३१ से ग्रेटब्रिटेन ने स्वर्ण प्रमाप को त्याग दिया। उसी तिथि को सोना अथवा स्टलिंग बेचने के दायित्व को स्थगित करते हुए गवर्नर जनरल ने एक आर्डिनेन्स जारी किया और राज-सचिव ने १ शिं ६ पै० स्टलिंग की दर पर रूपये को बनाये रखने के निषेंद्र की घोषणा की। २४ सितम्बर को गवर्नर जनरल

१. देखिये एल० सी० बैन, मॉनिटरी प्रावलेम ऑफ इंडिया, पृष्ठ ३४।

२. रिपोर्ट ऑफ रिकार्डोलर ऑफ करेंसी (१९२६-२७), पृष्ठ ३।

३. यद्युपर्याप्त जानना आवश्यक है कि ग्रिटिश मोल्ड स्टैंडर्ड एकट १९२५ द्वारा रखर्य सुद्रेण का विमुद्री-करण नहीं किया गया, हालांकि स्वतन्त्र सुद्रेण बन्द कर दिया गया।

४. बैन, पूर्वोंधृत, पृ० ३५।

ने गोल्ड एण्ड स्टलिंग सेल्स रेसुलेशन आर्डिनेन्स को जारी किया, जिसने पुराने आर्डिनेन्स को रद्द कर दिया और पारिभाषिक रूप में १६२७ के करेन्सी कानून के विषयों को पुन लागू किया, परन्तु इस आर्डिनेन्स के अन्तर्गत व्यवहार में स्टलिंग की वित्री पर प्रभावपूर्ण नियन्त्रण रखा गया और इस प्रकार नियन्त्रित स्टलिंग विनिमय प्रमाण प्राप्ति किया गया। नये आर्डिनेन्स के अन्तर्गत, स्टलिंग कुछ मान्यता प्राप्त वैकों को ही बेचा जा सकता था जो इस सम्बन्ध में अपना उत्तरदायित्व समझते थे। व्यापार की सामान्य आवश्यकनाओं और २१ सितम्बर तक बिये गए ठेकों के अर्थ-प्रबन्धन तथा उचित व्यक्तिगत एवं घरेलू उद्देश्यों के लिए यह पहली दर अर्थात् १ शिं० ५ हूँ पैस की पुरानी दर पर बेचा जाता था। यह पिण्ड (बुलियन) के आयात प्रदावा परिकल्पनात्मक विनिमय के अर्थ प्रबन्धन के लिए नहीं बेचा जाता था। भारत से घन के प्रवाह को रोकने और भरकार के स्वरूप एवं स्टलिंग साधनों पर अनुचित भार न पड़ने देने के लिए इस प्रकार की सावधानियां बरती जाती थीं। इन नियन्त्रणों के लिए इस्पीरियल बैंक की एजेंसी से काम लिया जाता था। स्टलिंग से सम्बन्ध होने के कारण सोने तथा उस पर आधारित अन्य करेन्सियों, जैसे डालर और कैंक, के सम्बन्ध में हपया स्टलिंग के अवमूल्यन एवं उत्तर-चढ़ाव में स्वाभाविक रूप से भागी होता था। स्टलिंग डालर-कास रेट म द्रष्टव्य स्वरूप के मूल्य की स्टलिंग में वृद्धि का अर्थ रूपों से भी स्वरूप के मूल्य की वृद्धि होता था। साने का मूल्य अगस्त, १६३१ के अन्त तक २१ रुपया १३ आना ३ पाई प्रति तोला था, परन्तु दिसम्बर, १६३१ में यह बढ़कर २६ रुपया २ आना प्रति तोला हो गया। ऊंचे मूल्यों की प्रेरणा और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित आधिक कठिनाई ने जनता को सोना बेचने के लिए प्रस्तुत बर दिया।

सरकार की करेन्सी और विनिमय सम्बन्धी नीति के इस पहलू ने तीहण विवाद को जन्म दिया। भारतीय विधानमण्डल की राय लिये बिना ही राजनीतिक नई करेन्सी नीति की घोषणा कर दी, जिससे लोग अप्रसन्न हो गए। इसके अनियन्त्रित सरकार के विपरीत की गई आलाचनाएं दो भागों में विभाजित हो गई—(१) १ शिं० ६ पैस पर रुपये का स्टलिंग से सम्बन्ध, (२) भारत से सोने का अनियमित नियांत।

२१ रुपये को १ शिं० ६ पैस से सम्बन्धित करना—सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के सम्बन्ध ने दिव गल झूस्त तक निम्नलिखित है—(३) सरकार के पास दो विकल्प थे। रुपये को स्टलिंग से सम्बद्ध कर अपेक्षाकृत स्थायित्व प्राप्त करना तथा रुपये के विनिमय मूल्य को नियमित करने के किसी प्रयास के अभाव में पूर्ण अस्थायित्व का जोखिय उठाना। इन विकल्पों में से पहला विकल्प नियमित ही अधिक पसंद करने

^१ बाद के बोरो में सोने का मूल्य और अधिक हो गया। ७ मार्च, १६३५ को ३६ रुपया २३ आना ३ पाई प्रति तोला हो गया। जिधेन द्वारा रखा प्रमाण द्वोरा व बाद यह स्वभै ऊंचा मूल्य था। अनुअल मार्केट रिप्पू (प्रेमचन्द रायचन्द एवं संस.) १६३५, पृष्ठ ८०।

योग्य था। (२) यद्यपि हिल्टन यग आयोग का मत रूपये को स्टॉलिंग से सम्बद्ध करने के विपरीत था, परन्तु इस विचार का, जो साधारण समय में बहुत ठीक था, कठिन परिस्थितियों में अनुसरण नहीं किया जा सकता था। भारत का वार्षिक दायित्व ३२० लाख पौण्ड स्टॉलिंग का था और १५० लाख पौण्ड का स्टॉलिंग उत्तर १६३२ के प्रारम्भ में परिपवर्त होने वाला था। रूपये को स्टॉलिंग से सम्बद्ध किये बिना इन उद्देश्यों के लिए आवश्यक कोष एकत्र करने में अनेक कठिनाइयाँ थीं। स्टॉलिंग रूपये की स्थिरता के अभाव में भारतीय आय-व्ययक (बजट) विनियम की दूत कीड़ा (जुआ) हो जाएगा। (३) जब तक भारत उत्तरी देश था, तब तक रूपये को अंतेला छोड़कर एक अज्ञात दिशा में अचानक कूद पड़ने का जोखिम इगलैण्ड-जैसे साहूकार देशों की तुलना में बहुत अधिक था। (४) स्टॉलिंग पर आधारित देश तथा लद्दन से होने वाला भारत का व्यापार उसके कुल विदेशी व्यापार का बहुत बड़ा भाग था, अतएव इस व्यापार के लिए स्थायी आधार प्राप्त करता उचित ही था। (५) सोने में रूपये के अवमूल्यन वे कारण स्वरूप प्रमाप वाले देशों के साथ भारत के नियत व्यापार को प्रोत्साहन—चाहे वह अत्यक्तिज्ञ वयों न हो—मिलेगा। (६) सरकार के जो आलोचक रूपये को १ शिं० ६ पै० से कम पर स्थिर करना चाहते थे, उनसे तब यह शिकायत करते नहीं बनी जब प्रचलित त्रास रेट पर रूपये का मूल्य १ शिं० ४ पै० से कहीं कम था।

दूसरे पक्ष के प्रधान तर्क इस प्रकार थे—(१) रूपये को स्टॉलिंग से सम्बद्ध करने से भारत स्टॉलिंग के उत्तर-चढ़ाव का भागी हो गया, जिससे भारत की ही नहीं बरन् इगलैण्ड की आर्थिक दशा प्रदर्शित होती थी। इसके विपरीत रूपये को अंतेला छोड़ देने से निस्सन्देह अस्थायित्व पैदा हो जाता, परन्तु वह स्वयं भारत की दशाओं को प्रदर्शित करता। इस प्रकार विदेशी व्यापार और ग्रान्तरिक मूल्य-स्तर के सम्बन्ध में अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल विनियम-दर अपनाने की स्वतन्त्रता भारत संघीन ली गई। (२) उत्तरी अमरीका जैसे स्वरूप प्रमाप वाले देशों को निर्मात के लाभ के दिपरीत इन देशों से आयात की हानियों को भी ध्यान में रखना चाहिये। साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिये कि रूपये को स्टॉलिंग से सम्बद्धित करना इगलैण्ड को दिये गए साम्राज्य अधिमान का एक रूप ही था। (३) यह भय भी था कि १ शिं० ६ पै० की दर पर रूपया स्थिर करने के प्रयास से देश के शेष सुरक्षित स्वरूप-कोष समाप्त हो जाते। उसे सुरक्षित रखने के लिए सरकार ढारा किये गए प्रबन्धों, यथा जनता को स्टॉलिंग बेचने के प्रनिवन्ध, के कारण यह भय अधिक गम्भीर नहीं था। (४) अन्त में यह तर्क भी उपस्थित किया गया कि यद्यपि सोने में रूपये का अवमूल्यन हो गया था, फिर भी १ शिं० ६ पै० की दर पर रूपया अधिमूलित था, जबकि येन और अन्य करेनसियों का स्टॉलिंग में अवमूल्यन हो चुका था। इस प्रकार भारत को काफी हानि उठानी पड़ी।^१

१. भारत में स्वरूप-नियांत्रितव्याद के दोनों पक्षों की विवेचना के लिए, बी० आर० रिनाय और बी०

२२. भारत से स्वर्ण-निर्यात—सितम्बर, १९३१ में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा स्वर्ण प्रमाप ल्याने के बाद से जनवरी, १९४० के मध्य तक भारत से ३५१.४० करोड़ रुपये के स्वर्ण का निर्यात किया गया। इस निर्यात की व्याह्या भारत के स्वर्ण साधनों की वरचावी, देशी बैंकिंग प्रणाली की दिन मिलता तथा वीडियो की वज्र की समाजिके हूप में की गई। यह तक उपस्थित किया गया कि स्वर्ण निर्यात के आकस्मिक सहभोग ने १ शिं ६ पैस की दर पर रुपये के अधिमूल्यन को द्विगु दिया और सोने के अनियन्त्रित निर्यात ने देश का स्वर्ण-प्रमाप के उद्देश्य तक पहुंचना असम्भव बना दिया। ऐसे अपूर्व वेसने पर निर्यात किये गए सोने का पुनर्खटीका भारत के लिए आसान नहीं था। भारत के विपरीत विश्व के अन्य देश अपने स्वर्ण-भण्डारों को सुरक्षित रखे हुए थे और सम्भव होने पर उनमें बृद्धि करते जाते थे।

सरकारी नीति के समर्थन में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वित्तीत सोना करेन्सी-स्वर्ण नहीं था वरन् व्यापारिक स्वर्ण था और मूल्य के भण्डार के रूप में काम करने वाली वस्तु थी। यह इसलिए देखा गया वयोंकि इसके स्वामियों को इससे लाभ प्राप्त हो रहा था। इसे वेचने का एक अन्य कारण यह भी था कि अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए अनेक व्यक्ति अपनी सम्पत्तियों को नकद रुपये में बदलने के लिए विक्रय थे। प्रचलित आर्थिक कठिनाई भव्यन्त शोकनीय थी, परन्तु सरप्ततया ऐशान व्यक्तियों का हित सबसे महंगे बाजार में सोना बेचने के लिए दी गई असीमित स्वतन्त्रता में था। पुनर्यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि व्यक्तिगत अधिकार से सरकार सोन को उस समय तक प्राप्त नहीं कर सकती जब तक कि सोन का मूल्य उसके अधिकारियों के लिए पर्याप्त रूप से आकर्षक न हो। निर्यात किया हुआ सोना भारत के कुल सोने का एक अंशपान था। कुल स्वर्ण भण्डार ७५०० लाख पौण्ड अनुमानित किया गया था। इस देश में जनता की प्रसिद्ध स्वर्ण-मूल्य का अकस्मात् लोप नहीं हो सकता था, प्रतएव कालान्तर में मूल्यों के सामान्य हो जाने पर वह पुनर्खटीकर बापस आ जाएगा। इस वीच में स्वर्ण-विक्रय व्यापारिक चक्र को स्थिरता तथा उत्पादन की सहायता कर रहा था। व्यापारिक सञ्चलन पर इसका प्रभाव अनुकूल पड़ा और इसने गतिहीन घातु की सजोब मुद्रा का रूप प्रदान किया। राज-सचिव के लिए स्टर्लिंग विप्रेषण और स्टर्लिंग सुरक्षित कोप को हटाकर करन की हिट से सरकार की आर्थिक स्थिति पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ा। इसने रुपया स्टर्लिंग विनिमय को १ शिं ६ पैस की दर पर स्थायित्व प्रदान करने में भी सहायता पहुंचाई और लन्दन तथा विश्व में भारत की साझ को सुधार दिया। स्वर्ण निर्यात ने नोट प्रचलन, पोस्टल केश स्टिकिंग, पोस्टल सेविंग डिपाजिट, बैंक की जमा आदि में बृद्धि की सामान्यत सस्ते द्रव्य की स्थिति उत्पन्न कर देश के व्यापारिक पुनर्खटयान में सहायता पहुंचाई।

२३. अनुपात का प्रश्न और रिजर्व बैंक बिल—हम देख चुके हैं कि किस प्रकार सितम्बर, १९३१ में रुपये को स्टलिंग से सम्बद्ध किया गया थोर मार्च, १९२७ के करेन्सी एकटलागू रहने पर भी किस प्रकार भारतीय द्रव्य प्रमाणप स्टलिंग विनियम प्रमाण के रूप में काम करने लगा। प्रस्तावित रिजर्व बैंक आँफ इण्डिया पर लगाए जाने वाले विनियम-सम्बन्धी दायित्वों और वन्धनों की प्रकृति के सम्बन्ध से उचित द्रव्यात्मक प्रमाण और अनुपात का सम्पूर्ण प्रश्न पुन विवाद का विषय बन गया। रिजर्व बैंक विधान को लन्दन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट (अगस्त, १९३३) में कहा कि बैंक पर लगाए जाने वाले विनियम-दायित्व के सम्बन्ध में उठने वाले प्रश्न वर्तमान परिस्थितियों में कठिनाई उपस्थित करते हैं। विश्व की वर्तमान द्रव्यात्मक अस्तव्यस्तता के समय में (रिजर्व बैंक) बिल में उन प्रस्तावों को रखना असम्भव है जो द्रव्यात्मक पद्धति के पुन स्थिर होने पर उचित होंगे। इन परिस्थितियों में भारत के लिए सबसे मुन्दर मार्ग स्टलिंग प्रमाण पर रहना ही है। इस आधार पर बिल में निहित विनियम-दायित्व विल पेश करते समय विद्यमान रुपया और स्टलिंग के अनुपात के अनुसार होना चाहिए। यह कथन वर्तमान अनुपात के गुण और ध्रव्यगुण पर कमेटी का कोई मत प्रकट नहीं करता है। बिल में अनुपात-सम्बन्धी प्रस्तावों से यह स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक एकट के कार्यान्वित होने से ही वस्तुस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम सब लोग इसमें सहमत हैं कि किसी भी दशा में इसको प्रस्तावना में स्पष्ट कर देना चाहिए कि भारत के लिए उचित द्रव्यात्मक प्रमाण पर उस समय पुन विचार किया जाए जब अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति स्पष्ट रूप से समक्ष आ जाए और स्थायी विधान के लिए पर्याप्त रूप से स्थिर हो जाए। (पैरा १६) जैसा कि कमेटी ने स्पष्ट स्वीकार किया है, भारतीय प्रतिनिवियों के बहुमत ने अपने इस विचार को अकित करना अपना कर्तव्य समझा कि रिजर्व बैंक के कार्यों की सफलता के लिए उचित विनियम-अनुपात का होना आवश्यक था। इछले कुछ वर्षों में विश्व के लगभग सारे देशों में करेन्सी के आधारों और करेन्सी नीति में पर्याप्त परिवर्तन हो चुके थे। उनके अनुसार भारत को करेन्सी पद्धति पर निम्नतम भार रखने के विचार से भारत सरकार और विधानमण्डल की इन बातों की परीक्षा करनी चाहिए। एक पृथक् नोट में सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ने रिजर्व बैंक आँफ इण्डिया के उद्घाटन से पूर्व अनुपात के पुनर्विलोकन का जोरदार समर्थन किया और आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड और सयुक्तराज्य के उदाहरण प्रस्तुत किये, जिन्होंने आपारिक सम्मुलत के मुघार और मूल्य-वृद्धि के लिए अपनी करेन्सियों का अवमूल्यन किया था। उन्होंने भारत के इस दृष्टिकोण को उद्धृत किया कि १ शिं ६ पै० के वर्तमान अनुपात की कमी से किसानों को बहुत सहायता प्रिलेगी। रिजर्व बैंक विल सितम्बर, १९३३ में समुक्त प्रवर समिति (ज्वायण्ट सलेक्ट कमेटी) को सौंपा गया।

२४ नये करेन्सी अधिकारी के रूप में रिजर्व बैंक आँफ इण्डिया का विनियम-दायित्व—१९३४ के बानून में निहित अनुपात-सम्बन्धी धाराओं (४० और ४१) ने रिजर्व बैंक विधान के लिए नियुक्त लन्दन समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित

किया। रिजर्व बैंक से बर्तमान अनुपात (१ शि० ६ पै० स्टलिंग) को उच्चतर और निम्नतर विन्दु के बीच व्यवस्थित करने के लिए कहा गया, मानो स्पष्टा स्वर्ण-प्रमाण पर था। चालीसवीं घारा के अनुसार रिजर्व बैंक अपने कार्यालयों—बम्बई, कलकत्ता, भद्रास, दिल्ली और राजौर—में कानूनी मुद्रा में मुग्हताम करने पर किसी भी व्यक्ति को लन्दन में देने के लिए १ शि० ५३३३ पैस की दर पर स्टलिंग बेचने के लिए बाध्य था। इस विधान का अर्थ स्पष्ट हो १ शि० ५३३३ पैस से नीचे गिरने से बचाना है, जो रुपये के निम्नतर विन्दु के अनुरूप था। (१ शि० ६ पैम—स्टलिंग की इस मात्रा को लन्दन में रखने का व्यय) इसके विपरीत घारा ४१ के अनुसार तत्काल ही लन्दन में देने वे लिए १ शि० ६३३३ पैस की दर पर किसी भी व्यक्ति से स्टलिंग खरीदना बैंक के लिए आवश्यक था। यह दर रुपये के उच्चतर विन्दु के अनुरूप थी (१ शि० ६ पैस + इस मात्रा की स्टलिंग को लन्दन से बम्बई आयात करने का व्यय)। यह भी निर्धारित किया गया कि कोई भी व्यक्ति १० हजार पौण्ड से कम मात्रा में स्टलिंग की माँग बेचते और खरीदते के लिए नहीं कर सकता।^१

करेन्सी के सम्बन्ध में आधुनिक व्यवस्था

मूल अधिनियम के अन्तर्गत यह प्रस्तावित था कि जारी किये गए नोटों के पीछे एक निश्चित अनुपात में सोना और विदेशी प्रतिभूतियाँ रखी जाएँ। कुल सम्पत्ति (एमेट) का ४० प्रतिशत सोना, सोने का सिक्का और विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में होना चाहिए, किन्तु किसी भी समय सोने और सोने के सिक्कों का मूल्य ४० करोड़ रुपये से कम नहीं होना चाहिए। यह व्यवस्था लगभग २० वर्ष तक चलती रही।

नोट निर्मन को विदेशी प्रतिभूतियों से सम्बन्धित करना अब भूतकाल की बात हो गई है। युद्ध एवं युद्धोत्तरालीन वर्षों में बेन्द्रीय बैंक-सम्बन्धी अधिनियमों की सामान्य प्रवृत्ति नोट निर्मन से विदेशी सुरक्षित कोप को ग्रहणदृढ़ करने की रही है। अब लगभग सभी यह मानते हैं कि विदेशी विनियम के सुरक्षित कोप का सामान्य उद्देश्य यही है कि देश भुगतान सञ्चुलन के प्रतिकूल परिवर्तनों का सफलतापूर्वक सामना कर सके। भारतीय अर्थ व्यवस्था में इव्य के प्रसार तथा विज्ञास-योजनाओं के अन्तर्गत आर्थिक क्रियाओं की तीव्र प्रगति के फलस्वरूप चलार्थ (करेन्सी) में पर्याप्त विस्तार अपेक्षित होगा। इन सम्भावनाओं को हटिगत रखकर ही रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (संकेतन) अधिनियम १९५६, जो ६ अक्टूबर १९५६ से लागू हुआ, के अन्तर्गत आनुपातिक व्यवस्था के स्थान पर विदेशी सुरक्षित कोप की एक निम्नतम राशि प्रथम् ४०० करोड़ रु० की विदेशी प्रतिभूतियाँ तथा ११५ करोड़ रु० का सोना या सोने के सिक्के रखने का विधान है। इस अधिनियम ने अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्यात्मक कोप (प्राई० एम० एफ०) द्वारा मान्य सोने का मूल्य रु० ६२५० प्रति तोला

१. अप्रैल, १९४७ के रिजर्व बैंक आर्ह इण्डिया एमेटमेट एक्ट ने घारा ४०-४१ को रद बर दिया और इसलिए अब रद्दलिंग को देचने और खरीदने का कोई परिनियन दायित्व रिपूर्ड बैंक पर नहीं है।

निश्चित किया जबकि पहले यह मूल्य ₹० २१·२४ प्रति तोला था ।

यह परिवर्तन नितान्त अनीपचारिक था और इसका अभिप्राय बैंक के स्वरूप कोप के अर्थ को नये मूल्य के अनुसार प्रदर्शित करना था । इसके परिणामस्वरूप ही सुरक्षित स्वरूप-कोप की मात्रा ११५ करोड़ ₹० निश्चित की गई थी जबकि पहले (अथवा जब सोने का मूल्य ₹० २१·२४ प्रति तोला था) यह ₹० करोड़ ₹० था । १९५७ में अधिनियम में पुनर परिवर्तन किया गया । रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (द्वितीय संशोधन) अधिनियम १९५७ ने यह निर्धारित किया कि सोना, सोने के सिवके तथा विदेशी प्रतिभूतियों का कुल मूल्य किसी भी समय ₹००० करोड़ ₹० से कम नहीं होना चाहिए । पहले की तरह इसमें से ११५ करोड़ ₹० के मूल्य का सोना अथवा सोने का सिवका होना चाहिए । इस अधिनियम के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को यह अधिकार भी दिया गया है कि केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बाद वह विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में कुछ भी न रखे, किन्तु ११५ करोड़ ₹० के मूल्य का सोना उसे सर्व रखना चाहिए ।

३५. अवमूल्यन का पथ और विकास—उपर्युक्त प्रबन्ध सरकार की करेन्सी नीति के आलोचकों और भारतीय ध्यापारिक समाज में अवमूल्यन के समर्थकों को सन्तुष्ट न कर सका (सेक्शन २३ भी देखिए) । इसके अतिरिक्त वित्त सदस्य के विचार में अनुपात कम करने से भारत की आय-व्ययक-सम्बन्धी समस्याएँ, जो अभी बहुत कठिन हैं, हल न हो सकेंगी । (१९३६-४५ के युद्ध के कुछ पूर्व के आयव्ययक की बचत इस सर्क के बिहू थी ।) सर्वे द्रव्य की विद्यमान प्रवृत्तता में, जो मूल्य-वृद्धि का मान्यता-प्राप्त सामान्य साधन है, भारत में अस्वास्थ्यकर परिवर्तना की परिस्थितियों को जन्म दिया, जिससे प्रतीत होता था कि कृषि-प्रधान देश में मूल्य की वृद्धि के लिए सस्ता द्रव्य-मात्र ही पर्याप्त नहीं है । वित्तमन्त्री के विचार में सस्ते द्रव्य के अतिरिक्त यह भी आवश्यक था कि विश्व के देशों में अपनी-अपनी करेन्सियों को स्थिर करने और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रतिवन्ध कम करने की सहमति हो अबूबर, १९३६ में रूपये के अवमूल्यन के सम्बन्ध में विवाद उठ सड़ा हुआ, जो सितम्बर में फाक तथा स्वरूप-समूह देशों की करेन्सियों के अवमूल्यन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भारत में उत्पन्न हुआ था । अवमूल्यन के समर्थकों ने विधानसभा में काम स्थगित करने का प्रस्ताव पेश किया जो केवल सभापति के बोट से ही हराया गया ।

इसके विपरीत अवमूल्यन के विरोधियों ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि उस समय भारत द्वारा करेन्सी का अवमूल्यन (१९३६) इगलिस्तान (यूनाइटेड किंगडम), संयुक्तराज्य और फास द्वारा किये गए विपक्षी द्राव्यक समझौते को भग कर देगा और इससे विश्व की बरेन्सियों के स्थिरीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । भारत द्वारा रूपये का अवमूल्यन अन्यत्र प्रतिकारों को उत्तेजित करेगा और करेन्सी-युद्ध को

५. अवमूल्यन-सम्बन्धी विवाद के विरूद्ध आलोचनात्मक विवरण के लिए देखिए, वी० एन० अदारक० 'वेस्युशान ऑफ दी रूपी' (१९३७) ।

पुनर्जीवित कर देगा। स्टलिंग से सम्बद्ध होकर सोने की तुलना में रूपये का ४० प्रति-शत अवमूल्यन हो चुका था। अतएव रूपये के और अधिक अवमूल्यन की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उपर्युक्त अवमूल्यन के फलस्वरूप भारत स्टलिंग थोक के आर्थिक पुनर्हत्यान में भाग लेने योग्य हो गया था। रूपये को अधिमूलित नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि करेन्सी के अधिमूल्यन का कोई चिह्न ही न था। उदाहरण के लिए, बजट का पाठा, द्रव्य की छोड़ी दर, करेन्सी सुरक्षित कोष में सोने की कमी, हामामान व्यापारिक सन्तुलन और मुद्रा-मकुचन-जैसे कोई चिह्न विद्यमान नहीं थे। यूरोपीय करेन्सियों के अवमूल्यन ने भारत को अधिक प्रभावित नहीं किया और विदेशी करेन्सियों के अवमूल्यन के फलस्वरूप हुए राशिपतन से अपने उद्योगों की सुरक्षा के लिए १६६४ के प्रशुल्क अधिनियम (ट्रिक एक्ट) से भारत सुमित्रित था। जहाँ तक हमारे अति अभिलम्बित निर्यात व्यापार के पुनर्हत्यान का सम्बन्ध है, अवमूल्यन प्रतिकार की भावना को उत्तेजित कर स्थिति को और विगड़ देगा। वास्तविक कठिनाई विदेशी की आर्थिक राष्ट्रीयता और व्यापारिक प्रतिक्रिया थे, अतएव इसका उचित हल अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना और शान्ति की बृद्धि तथा करेन्सियों का स्थिरीकरण था। अन्त में यह भी कहा गया कि अवमूल्यन बरना भारत के लिए बुद्धिमानी न होगी, क्योंकि इनसे नए विभान के अन्तर्गत प्रान्तीय स्वतन्त्रता प्राप्त होने के समय ग्रोटो-निमेपर (आर्थिक) निर्णय गड़वड़ हो जाएगा।

१६३७-३८ की आर्थिक मन्दी के परिणामस्वरूप सोन और व्यापारिक माल के नियति में अवनति से रूपये के विनिमय अर्ध में हुई कमी ने अवमूल्यन आन्दोलन को पुनर्जागरण करने के लिए समर्थन प्रदान किया। इण्डियन नेशनल कॉम्प्रेस की कार्य-कारिणी समिति न रूपये के अनुपात को संशोधित कराने का काम अपने हाथ में ले लिया। भारत सरकार परिनियत अनुपान में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के विरुद्ध थी और उपने घोषणा की कि रूपये का वर्तमान मूल्य बनाए रखना भारत के हित में आवश्यक था तथा इस कार्य के लिए रिजर्व बैंक और भारत सरकार के पास स्वर्ण एवं स्टलिंग सम्पत्ति प्रचुर मात्रा में थी। फिर भी आन्दोलन जोर पकड़ता गया और सितम्बर, १६३८ में भारतीय द्रव्यात्मक पद्धति के स्थायी आधार को निश्चित करने तथा रूपये के अनुपात के सम्पूर्ण प्रदर्शन पर रिझर्व बैंक के लिए एक कमेटी की नियुक्ति का असफल प्रयत्न बैन्डीय विधान सभा के कुछ गैर सरकारी सदस्यों द्वारा किया गया।

रूपया, जो १६३८ में अधिमूलित समझा जाता था, मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी के साथ युद्ध की घोषणा करने के बाद अवमूल्यन समझा जाने लगा।^१

२६. अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्यात्मक कोष और रूपये का सम-मूल्य—३१ दिसम्बर, १६४५ से पहले दोनों समझौतों पर हस्ताक्षर करके भारत सरकार ने ब्रेटेन बुड्स समझौते पर डटे रहने तथा अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्यात्मक कोष एवं अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की प्रारम्भिक सदस्यता के लाभ भारत के लिए प्राप्त करने का निर्णय

^१ १० देखिए, एनुअल मार्केट रिव्यू (१६३९), पृष्ठ १८ और सेक्शन २८ भी देखिए।

किया ।^१

देश के जानकार सोग केवल भौतिक लाभ के लिए ही नहीं बरन् देश की अन्तर्राष्ट्रीय महत्ता और प्रतिष्ठा के कारण भी इन महस्त्वपूर्ण सगठनों से भारत के भाग लेने के पक्ष में थे । इसलिए सरकार ने विधानसभा की स्वीकृति से पहले ही कदम उठाना उचित समझा, ताकि प्रारम्भिक सदस्यता का लाभ समाप्त न हो जाए । बाद में विधानसभा की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई । प्रारम्भिक सदस्यता के निम्न-तिलित लाभ थे—(१) भारत को सदस्यता की शर्तें और अपना कोटा जात था, जबकि ३१ दिसम्बर, १९४५ के बाद सदस्यता की शर्तें कोप और बैंक द्वारा निश्चित की जाती । (२) प्रारम्भिक सदस्य को हैसियत से भारत प्रारम्भ से ही प्रशासन सचालकों में स्थान ग्रहण करने का अधिकारी होता, जबकि बाद में इस अधिकार के लिए भारत को कम से-कम दो बर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़नी ।

अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्यात्मक कोप के समझौते की धाराओं में द्वारा २० सेक्षण ४ (क) के अन्तर्गत १२ सितम्बर, १९४६ को भारत सरकार से निवेदन किया गया कि वह २८ अक्टूबर, १९४५ अर्थात् समझौते प्रारम्भ होने से साठ दिन पूर्व प्रचलित दरों के अनुसार रूपये का सम-मूल्य अमरीकी डालर अथवा सोने के रूप में स्पष्ट कर १२ अक्टूबर, १९४६ तक कोप को सूचित कर दे । उस दिन प्रचलित विनियम दरों, जैसे १ रु०=१ शिं ६ पै, १ पौण्ड=४०३ डालर और १ औंस शुद्ध सोना=३५ डालर, के आधार पर सोने के रूप में रूपये का सम-मूल्य ०००६६३५७ औंस शुद्ध सोना हुआ और यही कोप को सूचित कर दिया गया ।^२

सोने को भाजक सख्त्या के रूप में प्रयोग करते हुए सिद्धान्तत एक रूपये में ४ १४५१४२८५७ येन शुद्ध सोने के तत्त्व समझे जाने चाहिए । सोने के इस बजान से रूपये और डालर की दर ३ ३०८५१९४ रूपया (अमरीकी) हुई और स्वर्ण का सम-मूल्य २११५ रु० १२—६ २५०५६ प्रति औंस शुद्ध सोना हुआ ।^३

सम-मूल्य को परिवर्तित न करने के मुख्य कारण निम्नलिखित थे—

(१) प्रचलित आर्थिक दशाओं की अनिश्चितता और सक्रमणकालीन रूप को देखते हुए विश्वास के साथ यह कहता समझता नहीं था कि उपयुक्ततम अनुपात कौनसा होगा । अतएव परिस्थितियों के और आर्थिक स्थायी होने तक अनुपात परिवर्तन के प्रश्न को स्थगित करना बाब्बनीय था ।

१. भारत भी और से वाशिंगटन में भारत के एजेंट जनरल ने जिस दिन दसखत किये वह दिन २७ दिसम्बर १९४५ था ।

२. यह १९४५ के पूर्व के अन्तर्राष्ट्रीय रखर्ण प्रमाप का शुधार-भाव ही नहा था । अब स्वर्ण और देढ़ी के प्रबाल का १६१४ वी पद्धति-जैसा महत्त्व नहीं रहेगा । इसका एक कारण यह है कि अब केन्द्रीय देशों ने ऐसे प्रबालों को प्रभावहीन बनाने की विधि पूर्ण कर ली है । इसके अतिरिक्त सदर्य दरों की स्थिति को ठीक करके विनियम स्थापित बनाए रखने की निमेदारी अंतर्राष्ट्रीय द्रव्यात्मक कोप की होगी । इस रूप में रखर्ण का पहले जैसा निर्णयात्मक भाग नहीं रहेगा ।

(२) यद्यपि ब्रिटेन और संयुक्तराज्य की तुलना में भारत के ऊंचे मूल्य स्तर हमें के अवमूल्यन की आवश्यकता वा सकेत करते प्रतीत हो रहे थे, परन्तु इस बान की भी सम्भावना थी कि निकट भविष्य में मूल्य के दोनों स्तर भारत में मूल्यों के गिराव और इग्लिस्तान (युनाइटेड किंगडम) तथा संयुक्तराज्य में मूल्यों की वृद्धि के फलस्वरूप एक-दूसरे के अत्यन्त निकटतर आ जाएंगे।

(३) अबमूल्यन भारतीय मूल्यों के अत्यन्त ऊंचे स्तर को और ऊंचा बर देगा और अत्यधिक ऊंचे मूल्यों को कम करन के लिए अत्यधिक समर्थन-प्राप्त घोग उत्पादन तथा स्वतंत्र आयात की नीति में बाधक सिद्ध होगा।

अबमूल्यन से मरीनो आदि वे मूल्य में वृद्धि हो जाएंगी। आद्योगीकरण के लिए भारत विदेशो से इनका आयात करने वे बारे में सोच रहा था। अतएव इनका रूपया-मूल्य बढ़कर अबमूल्यन आद्योगीकरण में भी बाधक सिद्ध होगा।

(४) कोप की योजना के अन्तर्गत भविष्य में यदि अनुपात में उचित परिवर्तन करना आवश्यक हो, तो मह सर्दीव सम्बद्ध होगा। सदस्य देश स्वयं सम-मूल्य के १० प्रतिशत तक परिवर्तन कर सकता था और मौलिक असंतुलन को ठीक करने के लिए और अधिक परिवर्तन बाद में कोप की आज्ञा से किया जा सकता था।

२७ रूपये का अबमूल्यन (सितम्बर १९४६)—१६ सितम्बर, १९४६ को ब्रिटिश सर्वाव न पौड स्टॉलिंग के अबमूल्यन की घोषणा की। पौड डालर विनिमय की सरकारी दर १ पौड=४०३ डालर थी। नया अनुपात १ पौण्ड=२८० डालर निश्चित किया गया। भारतीय रूपये ने इसका अनुसरण किया। परिणामत रूपया १ शिं ६ पै० के बराबर रहा, परन्तु डालर में ३० २२५ अमरीकी सेण्ट के स्थान पर वह २१ सेण्ट के बराबर ही रह गया।^१

आवश्यक आयात की कमी होने पर आर्थिक विकास और आद्योगिक प्रसार की हमारी योजनाओं को पूरा करना कठिन हो जाएगा। अन्य देशों में सामान्यत आनन्द यह थी कि इग्लिस्तान द्वारा अबमूल्यन किये जाने पर भारत भी अबमूल्यन से बच नहीं सकेगा, अतएव पुरानी विनियम-दरों पर किसी भी प्रकार का व्यापार करने में यह भावना मनोवैज्ञानिक बन्धन का काम करती और व्यापार ठप हो गया होता। इसलिए भारत ने भी अन्य स्टॉलिंग बाले देशों की तरह एक रक्षात्मक उपाय के रूप में रूपये वा अबमूल्यन बदलने के लिए अपने को विवश पाया। सरकार को प्रभाला श्री कि प्रभामूल्यन का प्रभाव मुख्यतः देश से इसका दस्तुरों पर नहीं फैला जो प्रधानमंत्र हमारे रहन-सहन के अध्य से सम्बन्धित हैं। चासू वर्ष से डालर बाले देशों से खाद्यानों का कोई आयात होने वाला नहीं था इसलिए यह आज्ञा की गई कि खाद्यानों के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा व्यापार के लिए डालर छोन्ने

१. यदि १ पौरह २८० सेण्ट के बराबर हो तो १ शिं ६ पैस, जो रूपये का सम-मूल्य ह, २१ मैंट के बराबर हुआ। आम में शुद्ध स्वर्ण वा सम-मूल्य प्रति रूपया ० १८६६२१ हुआ, जिसके अनुसार प्रति औन शुद्ध सोने का मूल्य १६६ ६६६६ रूपया हुआ।

की अपेक्षा स्टलिंग क्षेत्र पर हमारी निर्भरता अधिक होने के कारण सामान्य मूल्य-स्तर अथवा उत्पादन लागत में वृद्धि नहीं होगी और बस्तुओं का आन्तरिक मूल्य भी प्रभावित नहीं होगा। इसके अतिरिक्त मूल्यों की वृद्धि की किसी भी प्रवृत्ति का सामना नियमन अधिकार युक्तीकरण और उत्पादन की वृद्धि से किया जा सकता है।

स्टलिंग क्षेत्र के देशों में केवल पाकिस्तान ने अपनी करेन्सी के अबमूल्यन के विहृद निर्णय किया, क्योंकि देश के व्यापारिक मुगातानों में मौलिक असन्तुलन नहीं था, तथा पाकिस्तान के नियांत का कोई विशेष प्रसार, जो प्रायः कच्चे माल का ही था, अबमूल्यन से सम्बद्ध नहीं था। मुद्रा अबमूल्यन न करने से देश की आर्थिक व्यवस्था को हानि तो होगी ही नहीं बरन् इसके विपरीत देश को अनेक महत्वपूर्ण लाभ भी होगे। इससे आयात सस्ते हो जाएंगे, जिसका देश में रहन-सहन के व्यय पर स्वागत-योग्य प्रभाव पड़ेगा—विशेषकरं पूर्वी पाकिस्तान में, जहाँ कुछ समय से मुद्रा स्फीति स्पष्ट रूप से हटियोचर हो रही है। मशीनें और आवश्यक कच्चे माल को मुद्रा-अबमूल्यन बाले देशों से कही अधिक अनुकूल मूल्यों पर प्राप्त किया जा सकेगा और इस प्रकार ओद्योगिक विकास में सुविधा होगी।

२६. द्वितीय विश्वमुद्द का भारतीय चलार्य (करेन्सी) और विनियम पर प्रभाव^{१०}—भारत की आर्थिक व्यवस्था पर युद्ध के प्रारम्भिक प्रभाव अनेक क्षेत्रों में युद्धजनित अवहयम्भावी अस्तव्यस्तता के बावजूद भी देश के लिए सामदायक थे, उत्पादन-मूल्य और विदेशी व्यापार को काफी प्रोत्साहन मिला और कृषक की स्थिति में भी सुधार हुआ। १९१४-१८ के युद्ध के प्रारम्भ होने पर रूपया-स्टलिंग विनियम की निर्बंतता के बिलकुल विपरीत है। उस समय (१९१४-१८) तो रूपया अनुपात की सहायता के लिए सरकार द्वारा स्टलिंग की विक्री की गई थी।

यद्यपि स्टलिंग के सम्बन्ध में रूपया स्थिर रहा, परन्तु डालर, येन और महाद्वीपीय करेन्सियों के सम्बन्ध में पौण्ड की मन्दी के बाद इसका (रूपये) मूल्य कम हो गया। (जर्मनी द्वारा धिरे होने अथवा अविहृत होने के कारण प्रमुख महाद्वीपीय करेन्सियों की विनियम-दरों की सूचनाएं समाप्त हो गई) १ पौण्ड=४०२ डालर की दर पर स्टलिंग को डालर के साथ स्थिर करने के कारण रूपया और डालर की विनियम दर १००० डालर=३३२ रूपये के आसपास स्थिर रही। युद्ध प्रारम्भ होने के बाद बढ़ती हुई व्यापारिक क्रियाशीलता और बस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि के प्रत्युत्तर में जब बैंक ऑफ इण्डिया ने १९३९ में सितम्बर और दिसम्बर के बीच बैंक नोट और सिक्कों के रूप में ४८ करोड़ रूपये से करेन्सी का विस्तार किया तो सक्रिय प्रचलन में नोटों की ओसत सर्वथा सितम्बर, १९३६ में १८६०६ करोड़ रूपये थी। जून, १९४० में यह २३७०२६ करोड़ रूपये हो गई। करेन्सी का यह विस्तार रिजर्व बैंक द्वारा

१०. देखिए, 'पनुअल रिपोर्ट ऑफ दि रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया' (फरवरी १९४०, पृ० १५, २३-२४); अगस्त १९४०, पृ० ११-१२, १८), और 'रिपोर्ट ऑन करेन्सी ऐण्ड फाइनेन्स' (१९३६-४०), पैरा २३-२४।

ट्रेजरी बिल और स्टॉलिंग की पर्याप्त खरीद के फलस्वरूप हुआ। अब कोई आश्वर्य नहीं कि इस बीच रूपया-स्टॉलिंग विनिमय बहुत स्थिर रहा।

२६ रूपये के सिक्के को प्रबलन से बापत लेना और एक रूपये के नोट का प्रबलन—यद्यपि, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भारतीय करेन्सी पढ़नि ने युद्ध की कठिनाइयों का सामना भली प्रकार किया और सामान्यत कागजी करेन्सी में विश्वास बना रहा, परन्तु यूरोप में युद्ध-स्थिति खराब हो जाने से १६४० की मई-जून में प्रतिकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। रूपये के सिक्के में नोटों का भुगतान करने के लिए रिजर्व बैंक से माँग की गई। बैंकों से निकाला जाने वाला रूपया, जो पहले आसतन एक करोड़ रूपया प्रति सप्ताह निकाला जाता था, अकस्मात् ४५ करोड़ ६० प्रति सप्ताह हो गया। युद्ध होने के बाद रिजर्व बैंक ने ४३ करोड़ से अधिक रूपये के सिक्कों की पूर्ति की, जिनका आमचयन कर लिया गया जो निर्गम विभाग (इस्यू-डिपार्टमेण्ट) में रूपये के सिक्के के भण्डार की कमी से भी स्पष्ट है। युद्ध के आरम्भ में निर्गम विभाग में ७५ ४७ करोड़ रूपये के सिक्के थे और ५ जुलाई, १६४० को केवल ३२ करोड़ रूपये के सिक्के थे। इन परिस्थितियों से सरकार ने रूपये की स्वतन्त्र वापसी की प्रारंभिक नीति में परिवर्तन करने का निश्चय किया। यद्यपि भारत सरकार का रजत-भण्डार पर्याप्त था, तथापि भारत की टकसालों में उस दर पर रूपया बनाना असम्भव मालूम पड़ता था, जिस दर पर रूपया जनता द्वारा आसचित किया जा रहा था। इसलिए २५ जून, १६४० बो भारत सरकार ने व्यक्तिगत ग्रथवा व्यापारिक आवश्यकता से अधिक रूपये के सिक्कों की प्राप्ति के लिए दण्ड की व्यवस्था करने वाली एक अधिसूचना प्रकाशित की। कुछ समय तक रूपये के सिक्कों को नोटों से अधिक मूल्य पर माँग गया और रूपये के सिक्कों तथा छोटे-छोटे सिक्कों (रेजगारी) का आभाव हो गया। इन कठिनाइयों को दीघ्रता से हल किया गया और रिजर्व बैंक ने छोटे सिक्कों के विस्तृत प्रबलन तथा रूपये की उचित माँग को पूरा करने के लिए प्रवन्ध किया।

३०. चाँदी के सिक्कों के रजत-तत्त्व में कमी—देश के रजत साधनों को सुरक्षित रखने का दूसरा उपाय कुछ सिक्कों के रजत-तत्त्व की शुद्धता के स्तर को कम करना था। प्रतील, १६४० में केन्द्रीय विधानमण्डल ने सरकार को चबनी के $\frac{1}{4}$ रजत-तत्त्व को $\frac{1}{2}$ रजत-तत्त्व तक कम करने का अधिकार दिया। इसका उद्देश्य साधारण तौर पर शातुग्रों के सरकारी भण्डार को और अधिक सेवा योग्य बनाना है। इस उद्देश्य के लिए १६०६ के इण्डियन कॉर्पोरेशन एक्ट को सुधारने के लिए २६ जुलाई, १६४० को भारत सरकार द्वारा प्रवासित एक आदेश के अन्तर्गत अठनी के रजत-तत्त्व में भी इसी प्रकार वी कमी की गई। रूपये के आसचयन के बाद चबनी और अठनी की बढ़ती हुई माँग के फलस्वरूप यह कदम उठाया गया। २२ दिसम्बर, १६४० को रूपये में भी आधी चाँदी और मिलावट की व्यवस्था की गई। प्रतील, १६४७ में इण्डियन कॉर्पोरेशन एक्ट को सुधारने के लिए एक बिल पास हुआ, जिसके फलस्वरूप गिलट के रूपये ने चाँदी के रूपये का स्थान प्रदण कर लिया। इस प्रकार समुक्त राज्य को

चुकाने के लिए २२६० लाय औस चाँदी की वज्रत हुई, जिसे भारत ने उधार-पट्टे के अन्तर्गत उधार लिया था।

दशमलव प्रणाली—दशमलव प्रणाली लागू करने के लिए १६०६ के भारतीय टंकन अधिनियम (इण्डियन बवायेज एक्ट) को सशोधित करने के लिए ७ मई, १६५५ को लोक सभा में एक बिल पेश किया गया। यह बिल २७ जुलाई, १६५५ को पास हो गया तथा १ अप्रैल, १६५७ से लागू हुआ। इस तिथि से रूपयों को १०० नये पैसे के छोटे सिक्को में विभाजित किया गया। एक न० पै०, दो न० पै०, पाँच न० पै०, दस न० पै०, पचास न० पै० के सिक्कों के जारी करने की व्यवस्था की गई। १ अप्रैल, १६५७ से सारे सरकारी विभाग, नियंत्रित पूँजी वाली तथा सहकारी बैंकें—सभी नई प्रणाली के अनुरूप हिसाब रखने लगे। पुराने सिक्कों के ३ वर्ष तक चलते रहने की व्यवस्था की गई थी।

१६६० में जनता के हाथ में द्रव्य की मात्रा २७४० करोड़ रु० (जिसमें हाली सिक्का भी शामिल था) थी जो १६५६ की तुलना में २१८८ करोड़ रु० अधिक थी। इस मात्रा में १४४६-७ लाख रु० के मूल्य के दशमलवी सिक्के भी सम्मिलित थे। दशमलव सिक्कों का यह मूल्य ३१ अक्टूबर, १६६० तक प्रचलन में आये हुए सिक्कों के लिए है।

३१. विनियम-नियन्त्रण—युद्ध प्रारम्भ होने पर केन्द्रीय सरकार ने भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को सिक्कों, धातु-पिण्डों, प्रतिभूतियों और विदेशी विनियम के लेन-देन सम्बन्धी नियमों को कार्यान्वित करने का अधिकार दिया।

विदेशी विनियम का लेन-देन अधिकृत व्यापारी विनियम बैंक तथा अनुज्ञा-प्राप्त सम्मिलित पूँजी वाली बैंक ही कर सकती थी। कुछ अपवादों को छोड़कर साम्राज्य की करेन्सी के ऋण-विक्रय पर सामान्यत कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया, परन्तु साम्राज्य के बाहर की करेन्सियों का ऋण विक्रय व्यापारिक उद्देश्यों, यात्रा-व्यय और व्यक्तिगत विप्रेपण तक सीमित कर दिया गया। विनियम नियन्त्रण की नीति इस द्वारा को निश्चित करने के लिए थी कि भारत में विदेशी विनियम का सारा लेन-देन लन्दन विनियम नियन्त्रण द्वारा उद्भूत दरों तथा स्टर्लिंग के लिए रूपये की चालू दरों के आधार पर किया जाए। विदेशियों से प्रतिभूतियों की खरीद पर भी नियन्त्रण लगाया गया और रिजर्व बैंक की आज्ञा लिये बिना प्रतिभूतियों का निर्यात नहीं हो सकता था। इन उपायों का अभिप्राय भारत से पूँजी के निर्यात तथा युद्ध-जनित परिस्थितियों से प्रोत्साहित विनियम सम्बन्धी परिकल्पना को रोकता था।

मई, १६४० में सरकार ने विदेशी विनियम को सुरक्षित रखने तथा रोक लगी वस्तुओं का बिना आज्ञा भुगतान रोकने के लिए आयात को अनुज्ञा प्रदान करने की पद्धति का प्रारम्भ किया। ये प्रतिबन्ध, जो प्रारम्भ में वस्तुओं की छोटी सूची पर ही लागू थे, दूसरे वर्ष कनाडा की कुछ वस्तुओं को छोड़कर सभी देशों की वस्तुओं पर लगा दिये गए। ये उपाय केवल विदेशी विनियम के व्यय में भित्तियता प्राप्त करने के लिए ही आवश्यक नहीं थे, वरन् समुक्तराज्य में जहाजों में स्थान तथा

उत्पादन-समता सुरक्षित रखने के लिए भी आवश्यक थे, वयोंकि यूरोप से पूर्ति बन्द हो जाने के कारण इस देश से आयात बढ़ रहे थे। जापान के युद्ध में जरूर आने के बाद जहाज़रानी की स्थिति और भी खराब हो गई। अतएव अनुज्ञा (लाइसेंस) देने में जहाज़ों में स्थान की सुलभता पर अधिक महत्व दिया जाने लगा। १६४२-४३ में आयात की अदायगी से प्राप्त डालरों में काफी कमी हुई। यह कमी प्रधानत मशीन और स्टील शादि के आयात के कारण हुई, जिसके लिए पहले बहुत अधिक मात्रा में डालर की आवश्यकता होती थी तथा जो उधार-पट्टे के अन्तर्गत थे। इस प्रकार के माल का आयात करने वाले भारत सरकार को रुपये में ही मुग्धतान कर देते थे और विदेशी विनिमय का कोई लेन-देन नहीं होता था। १६४४-४५ में तत्त्वालीन विनिमय-नियन्त्रण पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। स्टलिंग क्षेत्र के बाहर वाली करेंसियों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा रहा और इन देशों को निर्यात की आज्ञा इस शर्त पर दी जाती थी कि प्राप्त राशि विदेशी विनिमय के अधिकृत व्यापारियों के हाथ चेची जाए। इस प्रकार देश के विदेशी विनिमय के साधनों की पूर्ण सुरक्षा और उनका उपयोग किया गया। यद्यपि पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तथापि विदेशी विनिमय की माँग के लिए अपनाई गई नीति में परिवर्तन किया गया और देश के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने वाले कामों के लिए विदेशी विनिमय को उदारता-पूर्वक सुलभ किया जाने लगा।

आयात की धनीभूत माँग को पूरा करने प्राप्त मुद्रास्फीति को समाप्त करने के साधन के रूप में १६४५-४६ में भारत सरकार ने आयात अनुज्ञा पद्धति (इमोट लाइसेंस सिस्टम) के अन्तर्गत, उपभोग की वस्तुओं का आयात का कोटा काफी बढ़ा दिया। इससे विशेषकर समुक्तराज्य के साथ भारत वं (अन्नराष्ट्रीय व्यापार के) लेन-देन के संतुलन की अनुकूलता में तेज़ी से कमी था गई।

१६४५ में युद्ध के समाप्त होने पर विनिमय-नियन्त्रण-नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जहाज़रानी की दशा म सुवार होने के कारण विनिमय-विधारों से अप्रभावित स्टलिंग क्षेत्र के देशों के आयात पर लगे प्रतिबन्ध ढीले कर दिय गए, परन्तु समुक्तराज्य के डालर के व्यय के सम्बन्ध में कठोर मितव्ययना चलती रही।

३२ स्वरूप के आयात-नियात पर प्रतिबन्ध—विदेश भारत के अन्दर सोने के स्थानान्तरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था, परन्तु स्वरूप का आयात-नियात रिजर्व बैंक द्वारा दी गई अनुज्ञा के आवार पर ही हो सकता था। साधारणतया आयात के लिए अनुज्ञा दी जाती थी, परन्तु नियात की अनुज्ञा तभी मिलती थी जबकि सोना थेंक आँफ इण्लैंड को भेजा जाता हो। अमरीका भेजने के लिए अनुज्ञा उस समय दी जाती थी जब प्राप्त डालर थेंक आँफ इण्लैंड को ओर से फेंडरल रिजर्व बैंक को बेच दिये जाएं।

यद्यपि रिजर्व बैंक आँफ इण्डिया के नियंत्रण विभाग (इस्यू डिपार्टमेंट) में स्टलिंग प्रतिभूतियाँ १ सितम्बर, १६३६ को ५६ ५० करोड़ रुपया थीं और १ सितम्बर,

१६४० को ये बढ़कर १३१५० करोड रुपये हो गई, परन्तु रिजर्व बैंक के स्वरूप-भण्डार में कोई वृद्धि नहीं हुई तथा वह ४४ ४२ करोड रुपया ही रहा।^१

३३. साम्राज्य का डालर सचय तथा युद्धोत्तर डालर कोष (अम्पायर डालर पूल एण्ड पोस्ट-वार डालर फण्ड)^२—युद्ध से पूर्व बहुत-से देश, जो सामान्यतया स्टॉलिंग समूह के देश कहे जाते थे, अपने सम्पूर्ण विदेशी विनियम या उसका अधिकाश भाग स्टॉलिंग के रूप में स्वन्दन में रखा करते थे। उस समय स्टॉलिंग अन्य करेन्सियों में स्वतन्त्रापूर्वक परिवर्तनीय था, इसीलिए अपने-अपने विदेशी विनियम का स्टॉलिंग के रूप में रखने वाले देश अपने अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा बरने के लिए अपनी इच्छा और आवश्यकतानुसार उन्हे किसी भी करेन्सी में बदल सकते थे। युद्ध के प्रारम्भ होने और स्टॉलिंग की परिवर्तनीयता की कठिनाई के साथ इस पद्धति में बठोरता आ गई, जिसका पहले अनुमान ही नहीं किया गया था। स्टॉलिंग समूह के उन सदस्यों ने, जो स्टॉलिंग क्षेत्र के सदस्य बने रहे, विदेशी विनियम को अपने सरकार में रखने का अविकार छोड़ दिया तथा विदेशी विनियम के व्यय पर प्रतिबन्ध लगाना तय किया ताकि स्टॉलिंग क्षेत्र के विदेशी विनियम के सीमित साधनों का युद्ध चालू रखने के लिए भली प्रकार उपयोग किया जा सके। सम्पूर्ण स्टॉलिंग क्षेत्र के विदेशी विनियम की राशि एक ही स्थान पर बैंक ऑफ इंग्लैंड तथा ब्रिटिश ट्रेजरी के सरकार में रखी हुई थी। इस सचय में डालर सबसे महत्त्वपूर्ण करेन्सी थी, अतएव इसका नाम स्टॉलिंग एरिया पूल ऑफ फारिन एवं सेंज न होकर अम्पायर डालर पूल पड़ गया। साम्राज्य डालर सचय में स्टॉलिंग क्षेत्र के देशों द्वारा व्यय के लिए व्यक्तिगत रूप से विभिन्न विदेशी करेन्सियों का भाग निर्दिष्ट नहीं किया गया था।

भारत सरकार दुर्लभ करेन्सी के अर्जन और व्यय का हिसाब रखती थी। युद्ध के प्रारम्भ से ३१ मार्च, १६४६ तक भारत ने ४०५ करोड रु० के अमरीकी डालर का अर्जन किया और २४० करोड रुपये का डालर व्यय किया। इस प्रकार उसके पास १६५ करोड रुपये के डालर की बचत हुई, परन्तु अन्य दुर्लभ करेन्सियों (जैसे कनाडा, स्वीडन, स्विट्जरलैण्ड और पुर्तगाल) के सम्बन्ध में भारत ने अंजित राशि से ४१ करोड रुपये अधिक व्यय किये, इसलिए १६४५-४६ के अन्त तक सचय में भारत का वास्तविक अशादान लगभग १२४ करोड रुपया था।

१६४६ में जून तक खाद्यान्न के आयात तथा अन्य सरकारी मदों के भुगतान की अवायगी के लिए सचय से भारत ने काफी रुपया लिया।

१. स्टॉलिंग क्षय के भुगतान के लिए कुछ स्टॉलिंग अनिमूलियों के विवरण के लिए अध्याय ११ और १२ देखिए।

२. स्वयं का मूल्याकन २१ रुपया इ आना १० पाइ प्रति तोला की दर पर ही किया गया, जबकि भानार में २१ मार्च, १६४७ को सोने का भाव १०३ रुपया इ आना था।

३. यह सेमशन अधिकारात् उ अक्टूबर, १६४६ को भारत सरकार द्वारा प्रकाशित प्रेस नोट से उद्घृत किया गया है।

पोस्ट-वार डालर फण्ड नाम का एक और कोष था जिसने १६४४ के लिए मंचय ने २०० लाख डालर दिया। १६४३-४४ में सान्त्राज्य डालर सचय के प्रति पर्याप्त अवश्यन देने और समुक्त राज्य को पारस्परिक सहायता देने की हमारी इच्छा के कारण राजाधिराज सरकार ने जापान ने साथ मुद्रा समाप्त होने पर समुक्त राज्य म पूँजी व्यवर के लिए २०० लाख डालर का एक पृथक् कोष भारत को दिया। इन उद्देश्यों के सारे व्यवर को इसी कोष में पूरा किया जाता था और इसके समाप्त होने तक इस प्रकार के व्ययों के लिए सचय से डालर नहीं लिये जा सकते थे। यह २०० लाख डालर हमारे १६४४ के व्यापारिक खतों का प्रतिशत अवश्य था तथा राजाधिराज सरकार इन बात पर राजी हो गई कि १६४५ में हमारी अर्जिन आय १६४४ के बराबर होने पर वह इस कोष में हमें अधिक-मेराधिक २०० लाख डालर १६४५ के खर्च के लिए भी देगी। १६४५ के लिए राजाधिराज सरकार ने २०० लाख डालर देन की सूचना दी।

सरकार बी आयात-नियन्त्रण नीति की आलोचना दो बातों पर आधारित थी—(१) आयान अनुज्ञा प्रदान करने वाला शासन-यन्त्र नियिल और अद्वाल था। (२) विनिमय नियन्त्रण की सब्ली के कारण आयातवर्तीयों के लिए पश्चीम और अन्य बस्तुएँ स्टॉलिंग क्षेत्र के बाहर से मेंगाना बहुत बढ़िन हो गया। मुद्रा बी समाप्ति के कारण परिवर्तित परिस्थितियों के फलस्वरूप भारत सरकार ने इस आया के साथ आयात-नियन्त्रण के नासन म परिवर्तन किया कि आयान के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने की विधि पक्षियन और सरन हो जाए। उन्होंने नियन्त्रित बस्तुओं की सूची से यथा-समझ बस्तुओं को हटाने और उन्हे स्टॉलिंग क्षेत्र के लिए अनुज्ञायुक्त (प्रोपन जनरल लाइसेन्स) करन की नीति अपनाई। कुछ अन्य बस्तुएँ पूर्णतया अनुज्ञायुक्त सूची (यूनिवर्सल प्रोपन जनरल लाइसेन्स) के अन्तर्गत रखी गईं, जिसका ग्रंथ यह था कि बस्तुओं का आयान स्वतन्त्रतापूर्वक स्टॉलिंग क्षेत्र के अन्दर या बाहर कही से भी किया जा सकता था।

स्टॉलिंग क्षेत्रों में तुलनात्मक बस्तुओं के गुण, मूल्य और उन्हे प्राप्त करने की ग्रविय ता ध्यान में रखने द्वारा अलभ्यता को नियित किया जाता था। अलभ्यता निष्ठ करन का भार आयानवर्तीयों से हटाकर सरकार दो दे दिया गया, ताकि सरकार अपनी जांचों से ननुष्ट हो सके कि बाहर से आयान की जाने वाली बस्तुएँ स्टॉलिंग क्षेत्र के अन्दर मुक्त थी अथवा नहीं। एक दूसरा परिदर्शन करेन्तियों को प्राप्त करने की उठिनाई के अनुसार उनको कमबद्ध करना तथा उन्हे प्राप्त करन की सरकार ने अनुज्ञार आयानों के लिए अनिवार्यता और अलभ्यता की वसौटियों को हासमान बढ़ोत्ता क साथ अपनाना था।


जुनाई १६४७ से स्टॉलिंग क्षेत्र के देनों को भी सम्मिलित करने की दृष्टि से विनिमय-नियन्त्रण वा क्षेत्र बदा किया गया। भोगोलिक निकटना तथा व्यापार के अनोन्हारिवा रूप के कारण अक्षग्रानिस्तान और पाविस्तान के लिए यह नियन्त्रण करारी, १६४१ ने लागू हुआ।

१९४७ के बाद विनिमय-नियन्त्रण में कोई सरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) परिवर्तन नहीं हुए हैं, किन्तु पदवर्षीय योजनाओं के सदर्भ में उसका अर्थ और आवश्यक बदल गया है। प्रारम्भ में विनिमय-नियन्त्रण युद्धजित आवश्यकताओं को पूरा करने या युद्ध के समय लागू रोक (रेस्ट्रिक्शन) से उत्तरान् परिस्थितियों के लिए अपनाया गया था। यह स्थिति १९५० तक समाप्त हो गई। इसके पश्चात् विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए, जो स्वभावतः कई वर्षों तक चलेंगी, विनिमय-नियन्त्रण आवश्यक हो गया। १९५७ तक आधात की चालू आवश्यकताओं को निम्नतम कर दिया गया था। विकास-पर्याप्ति आधात तथा विदेशी अरण की ग्राहणगति को दृष्टिगत रखते हुए यह कहा जा सकता है कि भविष्य में भी विनिमय-नियन्त्रण का महत्त्व बना रहेगा। विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम, १९४७ के २५ मार्च १९४७ से लागू होने पर विनिमय-नियन्त्रण की व्यवस्था को स्थायी रूप मिल गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार और रिजर्व बैंक को भारत में विदेशी विनिमय और विदेशी प्रतिभूतियों के नियन्त्रण और नियमन आदि का अधिकार मिला।

३४ साख संभरण तथा मुद्रा—१९६४ में साख का संभरण जनता के पास ३६१ रु करोड़ रुपया (१००.२%) बढ़ गया। मुद्रा का परिभ्रमण (रुपया तथा छोटे सिवके) २८०२१ करोड़ तक जा पहुंचा और इस प्रकार १९५२-६४ में मुद्रा-परिभ्रमण १५२६६ करोड़ बढ़ गया (१२०.३%)। यह बढ़ोतरी अधिकतर बैंक साख सरकार के प्रति है (फरवरी १९६६ में परिस्थिति बैंकों का रिजर्व बैंकों के पास जमा घन २६२२ करोड़ रुपया था)। दूसरे कारण मुद्रा बढ़ने के ये थे—

- (१) कुल (Net) बैंक साख निजी क्षेत्र में।
- (२) कुल विदेशी पौंजी की परिस्थिति रिजर्व बैंक के पास बढ़ना।
- (३) सरकारी मुद्रा देयता जनता के लिए।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस मुद्रा संभरण में तोटो तथा छोटे सिवकों का थोड़ा हाथ है और रुपयों का अधिक। पहली जून १९६४ को नये पैसे के स्थान पर पैसा शब्द निर्वाचित किया और पैसे के सिवके १ जुलाई १९६४ से चालू किये गए। अक्टूबर १९६४ से तीन पैसे वाले सिवके भी पहली बार चालू किये गए। १४ नवम्बर १९६४ में जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में ५० पैसे तथा एक रुपये के सिवके जारी किये गए जो कि देश के बैंधानिक रूप से चालू मुद्रा के अन्य सिवकों में सम्मिलित कर लिये गए।



अध्याय २३

भारतवर्ष में मूल्य

१. १८६१ से हुए मूल्य-परिवर्तनों पर एक विहंगम हृष्टि—१८७३ को आधार वर्ष मानकर नीचे दी हुई तालिका १८६१ से मूल्य-परिवर्तनों की साधारण गति दिखा रही है।^१ सामान्य देशनाक (इण्डेस नम्बर) ३६ वस्तुओं के थोक-मूल्यों पर

वर्ष	३६ वस्तुओं का भारित देशनाक सामान्य देशनाक (अभारित) ^२ (१०० वस्तुएँ) १८७३ में १०० के वरावर	वर्ष	३६ वस्तुओं का सामान्य देशनाक (अभारित) १८७३ में १०० के वरावर
१८६१	६०	६३	१६२४
१८६५	१०७	१०६	१६२६
१८७०	१०२	१०७	१६२७
१८७५	६४	६६	१६२८
१८८०	१०४	१०६	१६२९
१८८५	८७	१०६	१६३०
१८९०	१००	११७	१६३१
१८९५	१०४	१२०	१६३२
१९००	११६	१४३	१६३३
१९०५	११०	१३५	१६३४
१९१०	१२२	१५०	१६३५
१९१४	१४७	१८७	१६३६
१९१८	२२५	२१५	१६३७
१९२१	२७६	३०१	१६३८
१९२०	२८१	३०२	१६३९
१९२१	२३२	२७३	१६४०
१९२३	२१५	२५६	१६४१
(फरवरी)			

२. १८७३ को आधार वर्ष इनलिए चुना गया है, क्योंकि उस वर्ष कहतु सामान्य यी तथा उमी दर्पं से चारों ओर उसके परिणामस्वरूप रूपये का अवमूल्यन प्रारम्भ हुआ।

३. देशिए, इण्डेस नम्बर आक इण्डियन प्राइमेज, १८६१-१८७३ तथा वार्षिक परिशिष्ट। उपर्युक्त तालिका के तीनरे तथा छठे स्तरों में दिये हुए देशनाक इण्डियन फाइनेन्च डिपार्टमेंट के एफ० औ० एटकिन्सन द्वारा सुकलित किये गए थे। १८०८ क बाद के देशनाक उनके आधार पर डिपार्टमेंट ऑफ रेटिंग्स ने सुकलित किये।

४. सन् १८७ से एक वस्तु आयत को हुए वस्तुओं का सूची से निकाल दी गई है।

५. अन् १८८२-४४ से (१६ अगस्त, १८७४ सुनाह की समाप्ति पर = १००) थोक-मूल्य के देशनाक

आधारित है (जिनमें से २८ निर्यात की तथा ११ आयात की वस्तुएं हैं)। खाद्यान्तर अर्थात् ज्वार, बाजरा, जी, राई और चना को छोड़कर उपर्युक्त वस्तुओं के १८६७ से पहले के थोक-मूल्य प्राप्त नहीं हैं।

चौंदि १८७३ को आधारवर्ष मानकर बताया गया अखिल भारतीय देशनाक पुराना पड़ गया है, अत बम्बई और कलकत्ता की थोक कीमतों के अको की ओर निर्देश किया जाता है। अब १८७३ का आधार वर्ष तुलना के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार वस्तुओं का सापेक्षिक महत्व भी घट-घढ़ गया है।

२ १८६१ से १८६३ तक—इस काल में कीमतों का सामान्य चढ़ाव-उतार निम्न-प्रकार है—(१) चढ़ती हुई कीमतें १८६१-६—अमरीकी गृह-युद्ध के कारण कपास की कमी हो गई। इस प्रकार चढ़ी कीमतों के कारण भारत में बहुत स्वर्ण आया और चाँदी के सिक्कों का टकन खूब हुआ जिससे कीमतें बढ़ गईं। इस प्रकार भारत के मूल्य-स्तर पर प्रथम बाह्य कारणों का प्रभाव स्पष्ट हुआ। (२) गिरते हुए मूल्य १८६६-८—१८७३ से १८७६ तक दुर्भिक्ष के कारण खाद्यान्तों के मूल्य में हुई आक-स्त्रिक वृद्धि के अतिरिक्त इस काल की कीमतें गिरती रही। मूल्यों का यह गिराव १८७४ में पाश्चात्य देशों की कीमतों की निम्नगामी प्रवृत्ति का प्रतिलिप मात्र था। स्वर्ण के उत्पादन में शिथिलता, रजत प्रमाणप के देशों द्वारा स्वर्ण प्रमाणप अपनाना, चाँदी का स्वतन्त्र टकन बन्द होने से रजत करेन्सी वे प्रसार में रकावट, बैंकिंग का शिथिल विकास, भाड़े में कमी हो जाने से व्यापार का प्रसार, और उत्पादन-विधि में सुधार आदि इसके कारण थे।^१ (३) बढ़ती हुई कीमतें १८६३-६—पश्चिम के स्वर्ण प्रमाणप देशों की अपेक्षा भारत में गिरती हुई कीमतें शीघ्रता से रुक गईं। इसका कारण सूपये का अवमूल्यन था। यह स्वीकार करना होगा कि हालाँकि स्वर्ण की तुलना में चाँदी का मूल्य १८७४ से ही घटने लगा था, किन्तु उत्पादन में सामान्य वृद्धि के कारण १८६३ तक कीमतें गिरती ही रही। १८८५ के बाद जब रजत का उत्पादन वस्तुओं के उत्पादन से निश्चित रूप से बढ़ गया तो कीमतें बढ़ने लगी। १८६३ से १८६६ के अवल मध्यान्तर को छोड़कर १८२० तक ऐसा ही रहा।

३ भूल्य जाँच-समिति (भूल्य १८६० से १८१२)—१८१० में भारत सरकार न दत्ता समिति नियुक्त की। इसका काम मूल्यों की लगानार वृद्धि के कारणों का पता लगाना था। इसने छानबीन के लिए १८६० से १८१२ तक का समय चुना। इस

इस प्रकार थे

१८४२-४३	१७१	१८५७ (मार्च)	२६२ ७
१८४३-४४	२३६ ५	१८५८ (अप्रैल)	३४८
१८४४-४५	२४४ २	१८५९ (मार्च)	३७० २
१८४५-४६	२४४ ६	१८६० (अक्टूबर)	४१३ ४
१८४६-४७	२७५ ४		

१. देसिए, इविंग फिरार, 'परचेंटेज थॉवर ऑफ मनी', पृ० १४२।

कालावधि मे समस्त भारत मे सामान्य रूप से मूल्य बढ़ रहे थे। १९०५ से यह वृद्धि स्पष्टत लक्षित हुई, विशेषकर चमड़ा, खाद्यानन्, निर्माण सामग्री, तिलहन इत्यादि मे, जिनमे ४०% से भी अधिक वृद्धि हुई। कपास और जूट मे कमता ३३% और ३१% वृद्धि हुई, जबकि अन्य सामग्रियो—खाद्यानन्, धातुए तथा अन्य कच्चे और निर्मित माल के मूल्य २५% तक बढ़ गए। देशी चीनी मे थोड़ी-सी वृद्धि हुई, लेकिन इसके विपरीत चाय, कहवा, आयात की हुई चीनी, सोने और सिभाने के सामान, विशेष रूप से नील, कोयला, लाख आदि की कीमतो मे काफी कमी हुई। कपड़ो की कीमतें थोड़ी सी मिरी। मूल्यों की वृद्धि भारत मे सबमे अधिक थी। यदि १९०७-११ के पचवर्षीय काल के मूल्य-स्तर की तुलना १९०४-० के पचवर्षीय मूल्य स्तर मे की जाए, तो भारत की कीमतो मे ४०% वृद्धि हुई, जबकि इसी समय मे इण्डियन मे २१%, प्रमरीका मे ३८% और आस्ट्रेलिया मे २०% वृद्धि हुई।

४ १९१४-१५ के युद्ध से पूर्व मूल्यों की वृद्धि के कारण—मूल्य जाँच समिति ने कारणों को दो बारों मे विभाजित किया—(१) विशेष रूप से भारतीय कारण और (२) ऐसे कारण, जो भारत तक ही सीमित न थे अर्थात् विश्वायामी कारण, हालाँकि उन्होंने स्वीकार किया कि ये दोनों कारण एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं।

(१) विशेष रूप से भारतीय कारण—(क) कृषि उन्नयादनो, विशेषकर खाद्यानन् एव कच्चे माल की कमी,^१ (ख) इन बस्तुओं की माँग मे वृद्धि, (ग) भारत मे रेलवे तथा अन्य सचार-साधनो मे विकास और प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रूप से भारत तथा उसके बन्दरगाहों और विदेशो के बीच परिवहन लागत मे कमी, सामान्य रूप से वैकिंग सुविधाओ, द्रव्य और साल इत्यादि मे सुधार, (घ) बरेन्सी के आकार मे वृद्धि।

(२) विश्व-यामी कारण—इनमे (क) दुनिया के बाजारो मे प्रधान बस्तुओं की पूर्ति मे कमी और माँग मे वृद्धि, (ख) दुनिया की खानी से सोने की अधिक पूर्ति, (ग) साल का विकास, (घ) विनाशकारी युद्ध तथा यल और जल-सेना मे वृद्धि, जिससे पाइवात्य देशो और तरुण राज्य म अम और पूँजी अनुलायक मायाओं मे लगाई जान लगी। इससे कितनी ही प्रकार वी सामग्रियो की माँग भी बढ़ गई। १९१३ मे रजत प्रभाव का परित्याग करने के कारण भारत भी जेप दुनिया क साथ मुद्रा-मान (बरेन्सी गेज) के प्रबाह म आ गया और असदिग्य रूप से दुनिया मे होने वाली कीमतो के परिवर्तन का भागी बना।

१९०८ मे विशेषज्ञ श्री हैरिसन ने इण्डियन लेविस्टेटिव कैसिल मे इस मत को प्रकट किया कि अधिक टकन के कारण ही कीमतें ज़ंजी उठी हैं। १९०८ मे गोखले ने भारत मे रूपये का भण्डार १३० करोड़ ८० अनुमानित किया था। विगत दस वर्षो मे सरकार ने लगभग १०० करोड़ रूपयो का और टकन किया। इस प्रबाह की आक-

१. सन्दर्भ के बात मे इस कमी के कारण (क) जनसंख्या के साथ किसी भी उन्नयादन का न बढ़ना, (ख) अनिश्चय वृद्धि, (ग) खाय फसलों के रधान पर अखात फ़रुलों का प्रतिव्यापन और (घ) जुताई के लिए ली गई जर्मीन की हीनता थे।

स्थिक स्फीति का स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि कीमतें बढ़ जाएँगी। सरकार द्वारा निर्गमित रूपये देश के आन्तरिक भाग में वास्तविक क्रेनाम्रों के हाथों में पहुँच जाते हैं, लेकिन वे शीघ्रता से व्यापार केन्द्रों या बैंकों की ओर नहीं बहते। इस प्रकार सौदों के लिए नये रूपयों को आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए पुराने रूपये ही पर्याप्त होते। इसी बीच रूपयों का गलाना बन्द हो गया, ब्यॉंकि रूपया अब चाँदी का नहीं रहा और उसका कृत्रिम विनियम-मूल्य वास्तविक मूल्य से कही अधिक हो गया, अतएव प्रत्येक निर्गम करेन्सी के आकार को प्रसारित करता है।^१ १९१३-७ के प्रत्येक वर्ष में मुद्रा की अनुमानित वृद्धि और मूल्य-स्तर में बड़ी ही समानता थी।

५. पूर्व अवसाद-काल तथा युद्ध-काल (१९१४-१८) में मूल्य—पूर्व युद्ध-काल में—१९१४ से १९२०—विशेषकर इस अवधि के उत्तरार्ध में युद्ध-जनित परिस्थितियों के कारण मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। किन्तु भारत में अन्य देशों, विशेषकर युद्ध में सलग्न देशों, की अपेक्षा कीमतें कम बढ़ी। विदेशी मूल्यों की वृद्धि साधारणतः आयात की कमी और निर्यात के प्रसार से ठीक की जा सकती थी। तज्जनित स्वर्ण के आयात से भारत की आन्तरिक कीमतें इतनी अवश्य बढ़ती कि वे बाह्य कीमतों के बराबर हो जाती। किन्तु सरकार द्वारा सोने के आयात और बस्तुओं के निर्यात पर लगाये गए प्रतिक्रम्यों तथा युद्धकालीन कीमतों के नियन्त्रण के कारण यह घ्यवस्थापन सम्भव न हो सका। यहीं कारण था कि भारत अधिक सुरक्षित कोप का निर्माण न कर सका और युद्धकालीन समृद्धि के अनन्तर मन्दी आने पर प्रतिस्पर्धी सामग्रियों का आयात करने वालों की तुलना में घाटे में रहा। किर सरकारी हस्तक्षेप के अभाव में विनियम पहले ही और अधिक शीघ्रता से ऊपर उठ गया होता। इसमें आयात को प्रेरणा मिलती तथा आयात की कीमतों में वृद्धि भी अपेक्षाकृत कम होती। भारत को अपने निर्यात का अधिक मूल्य मिलता और वह युद्धोत्तरकालीन पुनर्निर्माण का खर्च आसानी से प्राप्त कर सकता, किन्तु विनियम की स्वतन्त्रता के कारण युद्ध की नाजुक स्थिति के समय व्यापारिक विस्थापन के भय से भारत सरकार ने हस्तक्षेप करना उचित समझा।

१९१४-१८ में भारत में प्राय सभी कीमतें बहुत ऊँची हो गईं। युद्ध प्रारम्भ होने के बाद १९१६ में खाद्यान्न के मूल्य ६३% बढ़ गए। आयात किये हुए कपड़ों तथा भारत में बने कपड़े के मूल्यों में क्रमशः १६०% तथा ६०% वृद्धि हुई। हम पहले ही कह आए हैं कि आयात की गई बस्तुओं—कपड़ा, लोहा, इस्पात, चीनी, रंग आदि—वा मूल्य निर्यात सामग्रियों से कही अधिक ऊँचा उठा। जहाजों में स्थान की कमी और निर्यात पर लगे सरकारी नियन्त्रण के कारण मूल्यों की वृद्धि भी कुछ हद तक रुक गई।

६. मुद्रा-स्फीति—हम पहले ही देख चुके हैं कि १९१४-१८ का युद्ध भारम्भ होने के कुछ समय बाद तक व्यापारिक सन्तुलन भारत के पक्ष में था। इसी समय खजाने के आयात

ये भी काफी कमी हो गई। इस प्रकार निर्यात व्यापार की सारी जिम्मेदारी सरकार पर पड़ी। इस अर्थात् कमी को सरकार ने अधिक नोट छापकर पूरा किया। व्यापार की भावना में बृद्धि की अपेक्षा सब प्रकार की मुद्रा में बहुत अधिक बृद्धि हुई। सरकार द्वारा अपनाई गई युद्ध के अर्थ-प्रबन्ध की पद्धति से मुद्रा-स्फीति को और भी बढ़ दिला। युद्ध के विशाल खर्च को पूरा करने के लिए सरकार ने अशत कर और कर्ज से हथया प्राप्त किया तथा अशत नोट छापे। सरकार द्वारा लिये गए युद्ध-ऋणों में भी मुद्रा-स्फीति दबी। ऋण का अल्पांश ही जनता की वास्तविक बचत से प्राप्त हुआ। शेष ने बैंक साथ और निक्षेप का रूप घारणा किया। बैंकों ने सरकार की ओर से भी अपने उन प्राहृकों की ओर से, जो युद्ध ऋण देना चाहते थे, बैंक दिये।^१ भारत सरकार द्वारा जारी किये गए अल्पकालीन ट्रैडरी बिल भी, जो आय-व्ययक के घाटे को पूरा करने के लिए प्रचलित किये गए थे, तथा युद्ध वन्ध-पञ्च (वार फण्ड) भी मुद्रा-स्फीति के वारण सिद्ध हुए, वयोंकि बैंक उनकी सुरक्षा पर निर्भय ऋण दिया करते थे। इस प्रकार बैंकों के निक्षेप में भारी बृद्धि हो गई। उनके प्रचलन की गति भी तीव्र हो गई। इससे कप शक्ति की बृद्धि हुई और कीमतें ऊँची उठी।^२ अन्य कारण भी थे जिनसे कीमतें बढ़ी—उदाहरणार्थ युद्ध-वयों में रोलिंग स्टॉक की कमी १९१८-१९ तथा बाद में १९२० में भी मानसून की असफलता। १९२० में कीमतें चम्प विकर पर जा पहुँची।

७. ऊँची कीमतों का प्रभाव—मूल्य जांच समिति के मत में युद्ध (१९१४-१८) के पूर्व मूल्यों से हुई बृद्धि ने देश को लाभ ही हुआ। सरकार ने भी इससे सहमति प्रकट की, जबकि १९१४ में उन्होंने समिति की रिपोर्ट पर प्रस्ताव पास किया। समिति के अनुसार भारत एक ऋणी देश था, अत उन वस्तुओं के मूल्य वढ़ जाने से उसे लाभ ही हुआ जिनका निर्यात वह अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए किया करता था। अब वह वस्तुओं की धोड़ी मात्रा निर्यात वर्के अपने विदेशी दायित्वों को पूर्ति कर सकता था, किन्तु इन वढ़ती हुई कीमतों वे विश्व दृष्टि के बढ़ते हुए सर्व और बढ़ती हुई उत्पादन लागत का भी ध्यान रखना होगा। लक्षित यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि मुद्रा-प्रसार से उत्पन्न हुई ऊँची कीमतों की परिवर्ति अपने-ग्राममें कोई ऐसे स्थायी लाभ प्रदान कर सकती है, जो उसकी सर्वदिवित हानियों को दूर कर सके। जोशी का मत इस सम्बन्ध में अत्यन्त पुष्ट है कि “धन तथा समृद्धि की बृद्धि राष्ट्र और व्यक्तियों में एक ही प्रकार से आती है। यह बृद्धि न तो रूपयों के डेर से और न कीमतों की बृद्धि से ही आती है, जो (कीमतों की बृद्धि) भारत में फसलों की कमी, मानसून की असफलता तथा दूर्भास व कारण होती है। देर की वास्तविक समृद्धि श्रोद्धोगित क्षियावीलता, कुरुतता और कार्य क्षमता तथा पूँजी के उत्पादक

^१ पन्नद्विर, ‘दि इवनानिक कान्नवेनिउ आइ दि बार’, पृ० ३१७-१८।

^२ देखिए, अल्पांश ११।

^३ देखिए, किनले रिराउ, पैनिक कास्तेन्स, पृ० २३२ और ४१०-१।

प्रयोग से होती है।^१ १९१४-१५ के पूर्वकाल के लिए कीमतों तथा पारिश्रमिक की गतिविधि से थीमती बेरा एन्स्टेंट^२ ने राष्ट्रीय समृद्धि के सम्बन्ध में कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। उनका कहना है कि इस प्रकार से निकाले गए निष्कर्ष विभिन्न विधियों पर तथा अनुमानित राष्ट्रीय आय-सम्बन्धी आँकड़ों के निष्कर्षों से अधिक विच्छनीय हैं जिनकी चर्चा अध्याय ४ में की जा चुकी है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि मूल्य-परिवर्तनों की द्यानबीन स्वत घन-उत्पादन की प्रगति या गतिरोध या प्रगतिगमिता का कोई अनुमान नहीं दे सकती। इससे केवल इस बात का पता लगता है कि विभिन्न वर्गों में वितरित घन कीमतों के स्तर के परिवर्तन से किस प्रकार प्रमाणित होता है। इसके अनिरिक्त राष्ट्र के होने वाले लाभ या हानि के निष्कर्ष विभिन्न वर्गों के कल्याण की सापेक्षिक महत्त्व-सम्बन्धी संदिग्ध मान्यताओं पर आधारित है। यह कहा जाता है कि भारत के अधिकांश व्यक्ति उस वर्ग के हैं जो कीमतों के बढ़ जाने से लाभान्वित होते हैं। अरणी वर्ग इस लाभ के योग्य है। यद्यपि उनका लाभ कर्ज देने वाले वर्ग की हानि होती है, परन्तु यह शोचनीय नहीं है क्योंकि अरणी देने वाले खून पीने वाली जोक के समान होते हैं। किन्तु इस प्रकार का 'योग्य'-'अयोग्य' वर्ग-सम्बन्धी विभाजन अनुचित है। सब वर्गों की समृद्धि ही वास्तविक राष्ट्रीय समृद्धि है। साथ ही कठिनाई यह है कि कितने ही व्यक्ति अरणी और साहूकार दोनों ही हैं वृथा समूण नुरादाता-वर्ग की भर्त्याना भी अनुचित है। थीमती एन्स्टेंट ने भर्तानुसार प्रथम विश्ववृद्ध के पूर्व के मूल्य-परिवर्तनों से देश के अधिकांश किसान आवश्य ही लाभान्वित हुए होगे, क्योंकि नियर्ति की सामग्री, जिन्हे किसान बेचता है, उदाहरणार्थ जूट (४३%), चमड़ा और खाल (५६%), तिलहन (४५%), और खाद्यान (४२%) के मूल्यों में अधिक वृद्धि हुई। इसके विपरीत आयात सामग्री में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई। उदाहरणार्थ कपड़े की सामग्री (२५%), घानु (२०%), चीनी (६%), मिट्टी का तेल (कोई परिवर्तन नहीं), और नमक में ३०% कमी हुई। इस प्रकार की वस्तुओं के मूल्यों के सापेक्षिक परिवर्तन से निश्चय ही किसानों को लाभ पहुंचता है।

युद्ध-काल में आयात-मूल्य नियर्ति की अपेक्षा अधिक बढ़े। परिणामस्वरूप किसानों का व्यय आय से अधिक होने लगा। इसे सभी स्वीकार करते हैं कि इससे कृषक-वर्ग को हानि हुई। यहाँ इस साधारण मत का स्पष्टन होता है कि कीमतों की वृद्धि से भारतीय जनता के अधिकांश को आवश्य लाभ होता है।

८. किसानों पर प्रभाव—ऐसा कहा जाता है कि गर्व में जमीन वाले और सामान्यत ग्रामीण वर्ग कृषि-उत्पादनों के मूल्यों की वृद्धि से अवश्यमेव साभान्वित होते हैं। लेकिन यह स्पष्ट है कि जिनके पास बेचने के लिए सामग्री बचती होगी केवल उन्हीं की लाभ होगा और यह लाभ तभी होगा, जबकि उनके द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का

१. जोशी, स्पीचेज एंड राइटिंग, पृ० ६१०।

२. दि इकनामिक डिवेलपमेंट ऑफ इण्डिया, पृ० ४४५।

मूल्य उनके द्वारा देखी जाने वाली वस्तुओं के अनुपात में नहीं बदलता। भारत में कृपकों को होने वाला लाभ मध्यस्थों द्वारा हड्डप लिया जाता है। फलत जैवी कीमतों से किसानों की आर्थिक दशा में कोई उन्नति नहीं होती। हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अपनी भूमि या लम्बे पट्टे की जमीन के किमान, जो अपने अम पर निर्भर रहते हैं तथा, जिनके पास वेचन के लिए कुछ बचना है, जैव मूल्यों से लाभान्वित होते हैं, परन्तु यह बात दूसरों से लगान पर भूमि सेवे वाले कृपकों या श्रमिकों में मजदूरी पर काम कराने वालों पर लागू नहीं होती।

श्री दत्ता के अनुसार ग्रामीण मजदूरों की मजदूरी १९१४-१५ के युद्ध में फूटकर कीमतों से अधिक बढ़ी। ग्रामीण क्षेत्रों में यह वृद्धि ३८% थी। इन प्रकार युद्ध और युद्धोत्तर-नाल में ग्रामीण मजदूरी और कीमतों में व्यवस्थापन होता रहा। १९२१ के बाद कीमतों के घटन पर ग्रामीण मजदूरों की वास्तविक मजदूरी में वृद्धि हुई।

१९२६ के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी घटने लगी। १९२६-३३ की आर्थिक मन्दी में इसकी गणि और तीव्र हो गई। मजदूरी बढ़ी तेज़ी में घटी, हालांकि सांचानों एवं जीवन की अन्य आवश्यक सामग्रियों का मूल्य भी कम हो गया।

लगान पर कीमतों की वृद्धि के प्रभाव वे सम्बन्ध में सुरक्षित या सुविधा-प्राप्त तथा अरक्षित वर्ग के दिनानों में भेद करना आवश्यक होगा। दत्तीतकार (मोहसी) किसानों (जो पहले वर्ग के दिनानों का उदाहरण है) का लगान धोरे-धोरे बढ़ेगा, जबकि अरक्षित दिनाने के लगान में अधिक वृद्धि होगी।

६ उद्योगों पर प्रभाव—(१) दस्तकारी—हम देशी दस्तकारी में लग व्यविनयों के आर्थिक गतिरोध की चर्चा कर चुके हैं। इसका कारण मरीनों से बनी वस्तुओं की होड थी। कीमतों के बढ़ जान से यह होड भी बढ़ गई। इससे दस्तकारों की दग और खराब होनी गई। (२) पूंजीपति-निर्माता—१९१४-१५ के युद्ध के पहले और बाद में निर्माणामों को अतिरिक्त रूप से लाभ हुआ। लेकिन ये लाभ उच्च लाभादा के वितरण में समाप्त हो गए और इनसे सुरक्षित कोप नहीं बनाया जा सका। परिणामान पर ध्यान न देकर आग घटने रहन का दण्ड उड़े भुगतना पड़ा।

१०. ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरों के अधिक—१९१४ के पहले वास्तविक और नवद मजदूरी बढ़ी। गाँवों में वृद्धि ३८% और नगरों में २८% रही। १९१७-२० के दीव कीमतों में नीत्रना स होने वाली वृद्धि के कारण हज़तालों की महामारी फैल गई। किन्तु ही दशामा में दग हुए और बाजार तक लूट गए। किन्तु १९२१ के बाद ग्रामीणिक श्रमिकों की दशा निरचित रूप से सुधरन लगी, मजदूरी भी बढ़ी और रहन सहन का खर्च भी कम हुआ। किन्तु मन्दी के दिनों में फिर उद्योग की हालत खराब हो गई। मजदूरी घट गई, आपके रूप से बेकारी फैली और श्रमिक वर्ग को बड़ा बष्ट हुआ। १९३८ में आर्थिक सुधार हुआ। दम्भई में मजदूरों की कटौती बढ़ कर दी गई तथा कुछ मन्द प्रान्तों में भी ऐसा हो किया गया (दिविए अध्याय ३)।

११. स्थिर आमदनी वाले व्यक्तियों पर प्रभाव—कीमतों के ऊँची होने से सबसे अधिक कष्ट स्थिर आमदनी के व्यक्तियों—बलकर्णी, पेन्शन बालों, निम्न श्रेणी के सरकारी और व्यावसायिक कर्मचारियों, प्रतिभूतियों तथा लाभाशी की आय पर निर्भर करने वालों तथा पेशेवर लोग, जिनकी फीस निश्चित थी—को हुआ। ये वर्ग—जिन्हें सामूहिक रूप से मध्य वर्ग कहा जाता है—कीमतों के ऊँची होने पर कष्ट उठाते हैं। कारण यह है कि इनकी आमदनी तो स्थिर होती है, किन्तु अन्न, वस्त्र, प्रकाश, किराया-मकान तथा उनके द्वारा रखे जाने वाले मज़दूरों की मज़दूरियाँ शादि सभी बढ़ जाती हैं।

१२ अवसाद और उसके बाद के समय में मूल्य—१९२० में चरम शिखर पर पहुँच वर कीमते १९२१ में घटनी शुरू हुईं। कुछ समय तक इंग्लिस्तान में प्रत्रिया भारत से तीव्रतर थी। इससे सरकार की रूपये के मूल्य को दो शिलिंग पर स्थिर करने की नीति छतरे में पड़ी। १९२० में टिवर्स-कोसिल के विक्रय तथा तज्ज्ञ मुद्रा-संकुचन के कारण कीमतें घटी। १९२०-२१, १९२१-२२ के प्रतिकूल व्यापारिक सम्मुलन के परिणामस्वरूप भारत से स्वर्ण का निर्यात हुआ।

विश्व आर्थिक-मन्दी के काल में कीमतों की अघोमुखी गति और तीव्र हो गई। विश्व-मन्दी अक्टूबर, १९२६ में अमेरिका में वॉलस्ट्रीट पतन के साथ प्रारम्भ हुई।^१ इससे सभ्य जगत् का कोई कोना न बच सका, यह नीचे की तालिका से स्पष्ट है। प्राथमिक (कृषि) वस्तुओं की कीमतें निर्मित वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गिरी और भारत जैसे औद्योगिक देश ब्रिटेन और अमरीका-जैसे औद्योगिक देशों की अपेक्षा अधिक बुरी तरह प्रभावित हुए। कलकत्ता का थोक मूल्य देशनाक (जुलाई १९१४=१००) सितम्बर, १९२६ में १४३ था। सितम्बर, १९३१ में जब ब्रिटेन ने स्वर्ण-प्रमाण का परित्याग किया तो देशनाक ६१ हो गया, अर्थात् युद्ध-पूर्व काल के अक्स से भी नीचे चला गया। रूपया उस समय पौण्ड से सम्बद्ध था। उसकी प्रतिक्रियास्वरूप मूल्य-स्तर दिसम्बर, १९३१ में ६८ हो गया। १९३२ में यह लाभदायक स्थिति न रही। कीमतें नीचे गिरी। देशनाक दिसम्बर, १९३२ में ८८ और मार्च में ८२ हो गया। लेकिन इसके पश्चात् मूल्य-स्तर स्थिर हो गया। क्रिकिट आर्थिक पुनरुत्थान भारत में भी होने लगा। अप्रैल, १९३३ से १९३७ तक मूल्यों का आशिक पुनरुत्थान हुआ। अगस्त, १९३७ तक जब कलकत्ता देशनाक १०५ हो गया, कीमतें ११ दरजा ऊँची उठ गईं। यह वृद्धि विश्वजनीन शस्त्रीकरण का परिणाम थी। इसमें समृद्धि-दशा और सट्टेवाजी ने भी योग दिया। इस आशिक पुनरुत्थान को अमरीका तथा अन्य देशों से होने वाली व्यापारिक विश्वान्ति (प्रत्यावर्तन) से घबका पहुँचा (१९३७ के मध्य में)। इसका भारत के मूल्यों पर बुरा प्रभाव पड़ा। विश्व के बाजारों के साथ कलकत्ता के बाजार का मूल्य देशनाक भी गिरने लगा और १९३८ के अप्रैल में निम्नतम स्तर पर पहुँच गया। जून, १९३८ तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जुलाई, १९३८ से

१. देविष अध्याय, ६, ७।

जनवरी, १९३६ तक देशनाक हैर रहा। धोरे-धोरे मई, १९३६ तक बढ़कर यह १०१ हो गया। इसका कारण चीनी, चाय, कच्चे लूट और निमित लूट की स्थिरता थी। जुलाई में देशनाक बढ़कर १०० हो गया जबकि युद्ध की छापा तथा राजनीतिक प्रस्थिगता के बाइस मूरोप में छा गए थे। अगस्त तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यद्यपि युद्ध के चिह्न क्षितिज पर हृष्टियोंचर होने लगे थे। इस प्रकार कलकत्ता का देशनाक १०० पर स्थिर रहा, जैसा कि प्रथम युद्ध प्रारम्भ होने के पूर्व १९१४ में था।

उदाहरण के लिए १९२६ के शिवर से मन्दी के निम्नतम गत तक प्रतिशत कमी भारत में ४४ ३, ब्रिटेन में ३० ४, अमेरिका में ३८, अस्ट्रेलिया में २८ ५ और जापान में ३५ ५ थी। अमेरिका में मार्च, १९३३ में भयकर पतन के बाद परिस्थिति धोरे-धोरे सुधरने लगी। देश के योक मूल्य-स्तर में १९३५ में द दरजे की वृद्धि हुई। इसक बारण डॉलर का अवमूल्यन, राष्ट्रीय पुनरुत्थान प्रशासन (नेशनल रिकवरी एडमिनिस्ट्रेशन) और कृषि व्यवस्थापन प्रशासन (एप्रीकल्चरल एडजस्टमेंट एड-मिनिस्ट्रेशन) थे। १९३१ में स्वर्ण प्रमाप त्यागने वाले जापान में, विशेषकर १९३५ से उद्घंगमी प्रवृत्ति लक्षित होने लगी। स्वर्ण प्रमाप दल के सदसे महत्वपूर्ण देश फास में मूल्यों की गति अवोगमी रही, यहाँ तक कि फ्रैंक के अवमूल्यन के बाद तितम्बर, १९३६ के अन्त में उसे भी स्वर्ण प्रमाप त्यागना पड़ा। इसके बाद फास की कीमतें भी दीघिना से बढ़ी। पुनरुत्थान-काल में भारत की कीमतें अब देसों के बराबर नहीं बढ़ी। देशनाक का उच्चतम विन्तु १९३७ में ७५ था (१९२६=१००) जबकि इंग्लिश्नान का ६७ ५ और संयुक्तराज्य का ६१ ८ था।

भारत म मूल्यों के गिराव का एक गम्भीर पहलू निमित और कच्चे माल की कीमतों की विषमता थी। यह निर्यात और आयात की वस्तुओं के देशनाको से स्पष्ट है, जिनम त्रिमास प्रधानतया कच्चा माल तथा निमित वस्तुएँ होती थी। १९३२ के मार्च में सितम्बर, १९२६ की अपक्षा कलकत्ता देशनाक के अनुसार निर्यात-वस्तुओं वा मूल्य ५१% गिरा, जबकि आयात-वस्तुओं वा मूल्य २७% ही गिरा। इस विषमता से कृषि प्रधान वस्तुओं का विनियम बरने वाले भारत को अधिक हानि हुई। १९३६ के बाद मूल्यों का आर्थिक पुनरुत्थान-काल में निमित वस्तुएँ धोरे-धोरे निर्यात वस्तुओं के साथ सन्तुलन स्थापित करने लगी। यह इससे स्पष्ट है कि निर्यात-मूल्य मार्च १९३७ में २६% कम हुए, जबकि आयात-सामग्रियों का मूल्य २५% ही घटा (आवार-वर्ष १९२६)। इस प्रकार दोनों के बीच का अन्तर ४०% ही रह गया। भारत की आर्थिक व्यवस्था पर इसका सामारी प्रभाव पड़ा, विन्तु इस कृषि और उद्योग-वस्तुओं के मूल्यों का सन्तुलन फिर आर्थिक विश्वान्ति-बाल म नष्ट हो

१० १९३०-३१ में कृषि के प्रभाव उत्पादन चादल, गेहू, बी, लूट, निहइन और बपान के मूल्य में भयकर बढ़ी हुई।

गया। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्राथमिक (कृपि) वस्तुएँ मूल्य-विवरण-चक्र से शीघ्र प्रभावित होती हैं।

१३. मूल्यों के घटने के कारण और प्रभाव—मूल्यों के विश्वव्यापी गिराव के कारण द्राविक और अद्राविक दोनों थे। चीन, भारत और दक्षिणी अमेरिका में राजनीतिक अशान्ति होने के कारण मन्दी की दशा और भयकर हो गई। हम पहले ही कह आए हैं कि रूपये का मूल्य १ शिं ६ पैस दर देने से भारत की कीमतें गिर गईं। यह असनुलम की प्राथमिक अवस्था की बात है। इससे स्पष्ट है कि आन्तरिक कारणों की तुलना में विश्वजनीन कारण अधिक दोषी थे। १९३७ (अप्रैल) में प्रारम्भ हुई अमरीकी आर्थिक विश्वान्ति—जो भारत में मूल्यों के परिवर्तन के लिए भी उत्तरदायी थी—सहेवाजी के पतन का परिणाम थी। इसमें स्वर्ण-भूषण—प्रेसिडेण्ट रुज़बेल्ट की चेतावनी की कीमतें अधिक ऊँची उठ रही हैं—तथा वैको द्वारा साख-मुक्तिवायी पर लगाये गए प्रतिवर्धों का भी बहुत-कुछ हाथ था।^१ भारतीय कीमतों की अधोगामी प्रवृत्ति चीन-जापान के मुद्रा के कारण अधिक तीव्र हो गई। इससे भारत के प्रधान कपास-केना के घट जाने से भारत की व्यापार-सक्ति कम हो गई। भारत के विदेशी व्यापार और व्यापारिक सतुलन पर पड़े प्रभाव का (मन्दी और विश्वान्ति-काल में) निवारण किया जा चुका है। (देखिए, अध्याय ६, सेवन ६ और २३) किसानों का बड़ी कठिनाई हुई, क्षेत्रीक उनकी आमदनी शीघ्रता से घटने लगी और इसके विपरीत मालगुजारी, लगान, व्याज इत्यादि के रूप में लिये जाने वाले मुग्नान पद्धति नाम में वैसे ही रहे, किन्तु दास्तविक रूप में बढ़ गए। इससे किसानों की ऋणशक्ति घट जाने से आर्थिक मन्दी और भी बदतर हो गई। यह ध्यान में रखना होगा कि कीमतों के घट जाने से हमारा कृषि-उत्पादन नहीं गिरा। कुछ क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ने की प्रवृत्ति हृष्टिगोचर हुई। भारतीय दशाओं में कृपक को जो कीमत मिले वही लेनी पड़ती है। इस प्रकार एक विपाक्त घट प्रारम्भ हो जाता है, जिससे कीमतें घट जाने से उत्पादन अधिक हो जाता है और अधिक उत्पादन होने से कीमतें और घट जाती हैं। रवर और जूट-जैसी श्रीद्योगिक सामग्रियों के उत्पादन में कुछ कमी हुई। इस आर्थिक अघड से राजस्व भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। कर बढ़ गए, छोटनी प्रारम्भ हो गई, मुद्रा-संकुचन होने लगा, सोना बाहर जाने लगा तथा बजट में घाटा होने लगा।

मार्च, १९३३ से अगस्त, १९३७ के पुनरुत्थान-काल में भारत की आर्थिक दशा में थोड़ा सुधार ही हुआ। शेष दुनिया की तरह भारत में भी वस्तुओं के मूल्य, प्रनिभूतियों के लाभ तथा श्रीद्योगिक लाभ कम हो गए। लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारम्भ होने के पहले ही विश्वान्ति घटने लगी थी और इसके बाद कीमतें शीघ्रता से बढ़ने लगी।

१४. सितम्बर १९३६ के बाद कीमतें—मुद्रा प्रारम्भ होने के बाद सितम्बर, १९३६

१. एच० बी० हृष्टसन, रत्नप एरड रिकवरी, प० ४४०-४२।

२. देखिए, रिपोर्ट ऑफ़ करेन्सी पराइ फाइनेंस, '१९३६-४० से १९४६-४७।

में श्रीयोगिन उत्तादन और सामग्रियों की कीमतें बढ़ने लगीं, क्योंकि यह आदा की जाने लगी थी कि युद्ध के कारण भारतीय कृषि और उद्योग का भविष्य उज्ज्वल होगा।

जापान के युद्ध में प्रवर्त तथा अफीका में युद्ध तीव्र होने से संयुक्त राष्ट्रों के पूर्वी और मध्य-पूर्वी मोर्चे का आधार भारत ही बना। पूनि-विभाग द्वारा दिये गए युद्ध के ठेको की मात्रा बढ़ती गई। ब्रिटेन की सरकार द्वारा युद्ध की सामग्री और सेवाप्रो के लिए किये गए भुतान से ब्रिटेन में पौण्ड पावना (Sterling Balances) जमा होने लगे और देश में भुगतान करने के लिए बहुत मात्रा में करेंसी निमित की जाने लगी। देश का सुरक्षा-व्यय भी काफी बढ़ गया। इसी प्रकार ब्रह्मण भी बढ़ गया। इस वर्ष में नोटों का प्रचलन, अनुसूचित बैंकों की माँग और देनदारी भी बढ़ी। इसी प्रकार रिजर्व बैंक द्वारा निरीक्षित दिक्षास यहाँ में चेत्रों की मह्या भी बढ़ गई। आगे दी गई तालिका से स्पष्ट है कि १९३६ से १९४४ के बीच कीमतें काफी ऊँची उठ गईं। तालिका की सहायता से विद्यों से तुलना भी की जा सकती है। थोक कीमतें (आर्थिक परामर्शदाता देशनाम) ५% बढ़ गईं। कलकत्ता का देशनाम और भी ऊँचा उठा (७६%)। जीवन यापन का व्यय भी थोक कीमतों का अनुसरण करने लगा। घम्बई का देशनाम ५२% बढ़ गया।

युद्ध प्रारम्भ हान के बाद तुरन्त ही भारत में बस्तुओं की कीमतें दीघना से बढ़ने लगीं, क्योंकि लोगों का यह विवास था कि आर्थिक युद्ध के घनीभूत होने से भारतीय उद्योग और कृषि का भविष्य उज्ज्वल होगा। भारतीय बस्तुओं की बढ़ती माँग के कारण नियातन्त्रि तीव्र थी। जहाजों की बिनाइयाँ, बीमा के खर्च के कारण आयात में कमी, मुनाफ़े और भविष्य की व्यवस्था के लिए खरीद, सट्टेवाजी तथा बस्तुओं के मूल्यों की नावी गतिविधि व सम्बन्ध म आदापूर्ण बातावरण का प्रभार, इन सबके सम्मिलित प्रभाव से युद्ध प्रारम्भ होने के प्रथम चार महीनों (सितम्बर, १९३६—दिसम्बर, १९३६) म कीमतें ऊपर उठ गईं।

जनवरी, १९४० से जून, १९४० तक कीमतों की ऊँचाई गति में होन वाला आर्थिक परिवर्तन, सट्टेवाजी की वजह से बढ़ी कीमतों के विहृद प्रतिक्रिया का परिणाम था, जो कि प्रथम चार महीनों में क्रियादील रही थी। मूल्य-नियन्त्रण के दीघना से लगाए जान, मूल्यों पर सरकारी नियन्त्रण के बढ़न का भय, अधिक लाभ-कर (एक्सेन प्रॉफिट टक्स) की धोपणा तथा महाद्वीप के बाजारों के समाप्त होने से कीमतें कुछ घटने लगीं। अन्य सहायक कारणों म निर्यान-प्रतिवर्ण, विनियन-नियन्त्रण तथा ४० करोड़ से अधिक मूल्य के साज को जो बकार धानु वे रूप म बन्द थीं, वापस लेने का नाम लिया जा सकता है।^१

१९४२ से कीमतों की गति ऊँचमुखी रही है (इतिए पृ० २६६ पाद-

^१. देखिए, रिचर्ड बैंक ऑफ इंडिया, सदस्यों की हर्ड वार्षिक रिपोर्ट और रिचर्ड बैंक १९४० की वार्षिक रिपोर्ट।

ठिणणी)। द्वितीय विश्वयुद्ध से उत्पन्न मुद्रास्फीति प्रथम युद्ध से अधिक दिनों तक रही। प्रथम युद्ध समाप्त होने के तीन वर्ष बाद (१९२१) से ही कीमतें नीचे गिरे लगी, लेकिन द्वितीय महायुद्ध के पांच वर्ष बाद तक भी मुद्रास्फीति की प्रक्रिया वैसी ही बनी रही, क्योंकि प्रथम महायुद्ध की अपेक्षा द्वितीय महायुद्ध से अधिक धन तथा उत्पादन-क्षमता का विनाश हुआ। इस महायुद्ध में व्यय भी अधिक हुआ तथा कही अधिक कष्ट-शक्ति की भी वृद्धि हुई। परन्तु क्षय-शक्ति की यह वृद्धि बचाने वालों की अपेक्षा उन लोगों के हाथ में गई जिन्हे उसे खर्च करने की आवश्यकता थी। अन्त में, प्रथम महायुद्ध के बाद का तो बहुत-सा समय शान्तिमय कार्य-सम्पादन में ही बीता था, पर १९४५ में समाप्त हुए युद्ध के बाद के समय की विशेषता जोर-शोर से शस्त्रीकरण तथा सामरिक और बुनियादी सामग्रियों की माँग ही रही। २५ वर्ष पूर्व की अपेक्षा आज भारतवर्ष बहु जगत् के अधिक सम्पर्क में है, अत. उस पर इन सभी विश्वव्यापी कारणों का प्रभाव भी अधिक पड़ा।

१५. द्वितीय महायुद्ध-काल तथा युद्धोत्तर-काल में मूल्य-परिवर्तनों का प्रभाव—द्वितीय महायुद्ध के कालण कीमतों में हुई वृद्धि के फलस्वरूप भारतीय कृषकों की उन्नति की आशा की जाती थी। लोगों की धारणा थी कि मदी की लम्बी अवधि के बाद कृषक-वर्ग अपने ऋण को चुकाकर काफी मुनाफा प्राप्त करेगा। यह भी आशा की जाती थी कि कालातीत ऋणों के भार से दबा हुआ सहकारी आन्दोलन उससे छुटकारा प्राप्त कर सके और इस प्रकार उसे विकास की प्रेरणा मिले। पर यथार्थतः लडाई के उन ग्रामीणक चार महीनों में भी, जबकि मूल्य काफी अधिक था, किसानों को कोई विशेष लाभ न मिला, क्योंकि वे अपनी फसल को पहले ही बेच चुके थे।

कीमतों में १९४० से हुई अत्यधिक वृद्धि का काफी प्रभाव भारत के बनवितरण पर पड़ा। व्यापार तथा उद्योग में लग हुए व्यक्ति अत्यधिक समृद्धिशासी हो गए। यह लाभ कुछ अशो महिला-वस्तुओं के उत्पादकों तक भी पहुँचा, जिससे कृषीय ऋण तथा सरकारी देनदारी का भार भी हलका हो गया, परन्तु निश्चित आय वाले व्यक्तियों की हालत बहुत बुरी हो गई, जिसका स्पष्ट हृष्टान्त बगाल के ग्रामाल में काल-स्वलित लगभग दस लाख व्यक्ति हैं। इगलिस्तान तथा सयुक्तराज्य ने इस विपत्ति का सामना राशनिंग, मूल्य-नियन्त्रण तथा मुद्रास्फीति विरोधी उपाय अपनाकर बड़ी सफलता से किया।

स्वतन्त्रता के उपरान्त मूल्य

१५ अगस्त, १९४७ को भारत स्वतन्त्र हुआ। काप्रेस न स्वतंत्रता-सम्राट के दिनों में पूँजीवाद के विरुद्ध जो आवाज़ उठाई थी अब उसके कार्यान्वयन की आशका से उद्योगपति भी दुविधा में पड़ गए। इसका प्रभाव उत्पादन पर अच्छा नहीं पड़ा। ऐसी स्थिति में मूल्यों के घिरने की कोई सम्भावना नहीं थी। कुछ वस्तुओं पर युद्ध-कालीन मूल्य-नियन्त्रण बने रहे। धीरे-धीरे मूल्य-नियन्त्रण हटाने की नीति अपनायी

गई। १९५१ से पचवर्षीय योजनाएँ प्रारम्भ हुईं। अतएव स्वाच्छान्त और कृषि-वस्तुओं के मूल्यों के परिवर्तन अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गए।

प्रथम पचवर्षीय योजनावधि में कृषि और स्वाच्छान्त के मूल्यों ने कोई समस्या उपस्थित नहीं की। वस्तुत कृषि-उत्पादन-सम्बन्धी लक्ष्य पूरे हो जाने के कारण कृषि-मूल्यों पर इसका प्रभाव स्वास्थ्यप्रद ही पड़ा। दूसरी योजना में भारी उद्योगों को महत्व देने के कारण न्यून-वर्तित तो जनता के हाथ में आ गई जिन्हें उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं हुई। परिणामत मूल्य बढ़ने लगे। द्वितीय योजना के प्रत्येक वर्ष में मूल्य बढ़ते रहे।

१९५६-६० के वर्ष में सामान्य मूल्य-स्तर में हुई वृद्धि 'ओयोगिक कच्चे माल' तथा 'निमित' वस्तुओं के समूह में मूल्यों की वृद्धि के फलस्वरूप हुई। साच-पदार्थों के मूल्यों में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई। १९५६-६० में मूल्य वृद्धि अधिकांशत ऊँची दर पर विनियोग करने तथा पर्याप्त मात्रा में द्रव्य की पूर्ति और बैंक की साख के विस्तार के फलस्वरूप हुई। कुंकुम विशेष वस्तुओं की मूल्य-वृद्धि उत्पादन की कमी के फलस्वरूप हुई। उद्योग के लिए रेते वाले पदार्थों की मूल्य-वृद्धि का यही कारण था।

द्वितीय योजना-काल में हुई मूल्यों की वृद्धि के कारणों को इस प्रकार गिनाया जा सकता है (१) विकास-कार्यक्रमों के फलस्वरूप विनियोग की ऊँची दर, (२) द्रव्य की पूर्ति और बैंक साख का विस्तार, (३) कुल मांग (एप्रीमेट डिमांड) में वृद्धि तथा विनियोग विशेष वस्तुओं की मांग में वृद्धि, जैसे ओयोगिक कच्चा माल, (४) उत्पादन की सापेक्षिक वृद्धि की नूनता, (५) उत्पादन के उचित विनरण का अभाव आदि।

मूल्य नीति—मूल्यों की वृद्धि को रोकने के लिए उठाये गए उपायों को दो वर्गों में वर्गीकृत करना है, या यो कहिए कि मूल्य-नीति के दो पहलू हैं (१) द्रव्यात्मक तथा साख-सम्बन्धी उपाय तथा (२) गैर-द्रव्यात्मक उपाय।

(क) के अन्तर्गत निम्न उपाय अपनाये गए (१) चयनित साख नियन्त्रण (सलेक्शन क्रिटिक केण्ट्रोल), जिसका १९५६-६० में और अधिक विस्तार दिया गया, (२) भौतिक आप्रह तथा (३) प्रथम बार सुरक्षण कोष के अनुगत में परिवर्तन, जो १९५६-६० के अन्त में अपनाया गया।

(ख) के अन्तर्गत अपनाये गए उपायों में मुख्य (१) आपात तथा वसूली द्वारा स्वाच्छान्तों की पूर्ति में वृद्धि, (२) उचित मूल्य की दक्षानों द्वारा नियन्त्रित विनरण की प्रया का विस्तार, (३) (क) स्वाच्छान्त के अग्रिम व्यापार (फारबर्ड ट्रेडिंग) पर रोक नारी रखना, (४) आवश्यक परिवर्तनों सहित स्वाच्छान्तों के अनर्राज्यीय आवागमन पर रोक तथा क्षेत्रीय व्यवस्था (जोनल एटेन्जेनेट) की नारी रखना, (ग) आट की चकितियों द्वारा गेहूं की सुली खरीद पर रोक, (४) आवश्यक पदार्थ अधिनियम १९५५ (एलेनियल कमोडिटीज एक्ट) की धारा ३ की उपधारा (३प) की व्यवस्था के विस्तार, जिसे अन्तर्राज्यीक नी व्यक्ति के स्वाच्छान्त के नगदार

को पिछले तीन महीनों के बाजार-मूल्य के औसत मूल्य पर बेचने को बाध्य कर सकती है तथा सरकार स्वयं उनके स्टॉक ले सकती है। (५) सम्पूर्ण खाद्यान्न व्यापार तक अनुज्ञा-पद्धति का विस्तार।

इस प्रकार हम देखते हैं कि १९४६ को आधार वर्ष मानते हुए उपभोक्ता मूल्याक १९५५-५६ में ६६ से बढ़कर मार्च १९६१ में १२५ हो गया। तीसरी पचार्षीय योजना में यह और भी बढ़ गया और १९६५ में १५५ तक पहुँच गया। १९६५-६६ में विशेष तौर से पाकिस्तान से लडाई तथा १९६६ का बजट के बाद कीमतें बढ़ती ही चली गई हैं, यहाँतक कि देश में योजना तथा प्रजातन्त्र एक सकट में पड़ गया है। दुख की बात तो यह है कि द्वितीय योजना में कीमतों के बढ़ने पर भी तीसरी योजना में कोई विशेष रूप से मूल्य-नीति निर्धारित नहीं की गई। तीसरी योजना में मूल्य नीति का ग्रन्थाय उपोद्घारण तथा असामर्थ्य है। इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया कि एक वर्धन अर्थव्यवस्था के लिए मूल्य-नीति का वितना महत्व है। इस समय देश में कुल माला कुल पूर्ति से कही अधिक है। और इस प्रकार हर उद्योग तथा खेती कर क्षेत्र एक प्रकार से विक्रेता बाजार में बैठ गया। इस बात को हमें याद रखना होगा कि जिस प्रकार मुद्रास्फाति में से हम गुजर रहे हैं, इससे छुटकारा नहीं मिल सकता जब तक कि खाद्य पदार्थों का उत्पादन न बढ़ाया जाए, बढ़ती जनसंख्या की रोकथाम हो, कीमतों को स्थिर रखा जाए, चोरबाजारी को खत्म किया जाए और अस्वरूपीकरण धन पर कब्जा किया जाए। अगर चीथों योजना में इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखा गया तो लोकतंत्र को राष्ट्र में किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा।



अध्याय २४

ऋधिकोषण (वैकिंग) और साख'

भारतीय ऋधिकोषण का इतिहास

१. देशी ऋधिकोष—भारतीय ऋधिकोष प्रणाली इतनी ही पुरानी है जितनी कि यहाँ का व्यापार। सम्भवत भारतवर्ष में साथार के अन्य देशों से भी पहले तथा उनसे भी ऋधिक, ऋधिकोष प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। चारावट के अर्थशास्त्र (३०० ई० पू०) में ऐसे व्यापारी महाजनों के शक्तिशाली सघों का वर्णन है जो रूपया जमा लेते, उधार देते तथा अनेक ऐसे कार्यों का सम्पादन करते थे, जो आधुनिक ऋधिकोष करते हैं।

भारतवर्ष पर मुसलमानों के आक्रमण के साथ ही यहाँ उल्लंघन तथा अ-रक्षा काल का प्रारम्भ होता है, जो ऋधिकोष व्यवस्था के लिए अति हानिकारक है। अपने सचित घन को किसी को सौंपना खतरे से खाली न था, अत इसे अब छिराकर सचित किया जाने लगा। तो भी व्यक्तिगत साहूकार समृद्धिशाली होते ही गए। साधारणतया वे व्यापार तथा महाजनी दोनों कार्य साथ-साथ ही करते थे। वे राज्य को कर्त्ता देते थे तथा अनेक प्रभावशाली महाजन परिवारों का सम्बन्ध किसी-न-किसी देशी राजदरवार से होता था। 'विना दरवारी महाजन के शाही दरवार अपूर्ण समझा जाता था। ऐसे महाजन को प्राय एक मन्त्री वी शक्ति प्रदान की जाती थी।' वगाल के नवाओं के स्थानदानी महाजन जगतसेठ परिवार का इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि इन महाजनों का देश की राजनीति में कितना हाथ था।

अब भी देशी ऋधिकोष प्रणाली इस देश की द्रव्य व्यवस्था का प्रबान्ध ग्रंथ है। प्रत्येक गाँव, कस्बे तथा नगर में देशी महाजन^१ मीजूद हैं। एक और गाँव में ये छोटे

१. भारतीय ऋधिकोष तथा साख विषयक प्रामाणिक सूचना १९२६-३० में नियुक्त विभिन्न प्रातीय ऋधिकोष खोज-समितियों तथा बैन्द्रीय ऋधिकोष खोज समिति के साथ्य के विवरण तथा पुस्तकों में दिस्तारपूर्वक दी गई है। अपनी रिपोर्ट पेश करने के पूर्व बैन्द्रीय ऋधिकोष खोज सामति वी प्रातीय समितियों की रिपोर्ट तथा विदेशी विशेषज्ञों के दृष्टिकोण से भी निचार करना था। विदेशी विशेषज्ञों ने अलग से अपनी एक रिपोर्ट नैयार वी थी, जिसे बैन्द्रीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में ही शानिल वर लिया। इन परिच्छेद में बैन्द्रीय ऋधिकोष खोज समिति तथा उसके अनु-वैदेशी का निरेश क्रमशः "कै० ड० रि०" तथा अबू द्वारा विदा गया है।

२. देविपद, एच० निहांदा द्वारा लिखित 'अलीं यूरोपियन वैकिंग इन इण्डिया', पृष्ठ १-३।
३. बैन्द्रीय ऋधिकोष खोज समिति ने निम्नलिखित परिभाषा दी है—“देशी महाजनों से हनारा अधिकार इपीरियल वैकिंग इण्डिया, विनियम वैक, मिशन और जीवंत सहारी समितियों वो

पूँजीपतियों के रूप में हैं, दूसरी और देश-विदेश में एजेन्टियाँ रखने वाले व्यापारिक महाजनों ने सम्पन्न और व्यक्तिगत सामेदारियाँ—विशेषत कौटुम्बिक सामेदारियाँ—चला रखी हैं, जो सम्पन्न तथा सुसग्ठित हैं। इन देशी महाजनों की एक विशेष श्रेणी मद्रास के चेट्टी हैं, जिनके व्यापार में सारी जाति की करीब-करीब सम्मिलित जिम्मेदारी होती है।^१ मद्रास के मदुरा जिले के नाटुकोट्टई चेट्टी व्यापारी महाजन रूप में विशेष प्रसिद्ध हैं और प्राय उनका कार्यक्षेत्र ससारव्यापी है। भारतीय सरकारों तथा साहूकारों द्वारा सम्पादित कुल महाजनी व्यापार अवश्य अत्यधिक होगा तथा इन महाजनों की कारबार-सम्बन्धी नैतिकता अति उच्चकोटि की मानी गई है। भारतीय देशी अधिकोप प्रणाली का सगठन मिश्रित पूँजी के आधार पर नहीं है। निषेष रूप में तो प्राय योड़ी-सी ही पूँजी आती है, पर इसकी वापसी नेक द्वारा नहीं, बरन् नकद में होती है। यहाँ हिस्सा-पूँजी की प्रथा नहीं है और उत्तरदायित्व वैयक्तिक अथवा सामेदारी में सम्मिलित और असीमित होता है।

आधुनिक अधिकोप तथा देशी अधिकोप प्रणाली के बीच दो महान् अन्तर हैं—(१) आधुनिक युग में मिश्रित पूँजी वाले अधिकोपों का विकास और (२) निकासी गृह के माध्यम द्वारा रूपया भेजने के लिए चेत्र का सार्वभीमिक प्रयोग। अतीत काल में सरकार लोगों का प्रधान काम मुद्रा भुनाई था।

२ देशी अधिकोप की वर्तमान स्थिति—सरकार वर्ग अब भी भारतीय इव्य बाजार तथा व्यापारी समुदाय के बीच की अनिवार्य कढ़ी के रूप में देश की आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भाग ले रहा है। वह कृपको, साधारण शिलिप्यों और व्यापारियों को रूपया उधार देता, उपभोग के स्थानों प्रीत बन्दरगाहों तक फसलों के पहुँचाने में सहायक होता तथा देश के भीतरी भाग में सब प्रकार की चीजों का वितरण करता है। फसल कटने के मौसम में आवश्यकतानुसार अपने एजेंट को रेल द्वारा नकद रूपये के साथ भेजता है अथवा सरकारी खजाने पर हुण्डी खरीदता तथा रूपये की आवश्यकता पड़ने पर उस हुण्डी को इम्पीरियल बैंक या व्यावसायिक शहरों के अन्य बैंकों में बद्दा करा लेता है।^२ कुछ अशों में ये देशी साहूकार आधुनिक प्रणाली के आधार पर सगठित मिश्रित पूँजी वाले बैंकों के घोर प्रतियोगी भी हैं। ऊँची दर की सूद लेकर कभी-कभी ये बड़े-बड़े बैंकों से भी अधिक निषेष (डिपाजिट्स) इकट्ठा कर लेते हैं। निजी विश्वास पर भी वे कर्ज देते हैं तथा आधुनिक बैंकों की अपेक्षा इन महाजनों द्वारा भाँगी गई जमानत की पूर्ति अधिक आसानी से होती है। उन्हें एक और भी लाभ है। आज की स्थिति में हमारे देश के आधुनिक बैंक मुद्र्दा-भर बड़े व्यापारियों की सहायता में ही कर सकें, पर वे समूचे देश के व्यापारी-वर्ग से निकट सम्पर्क लोडकर अन्य सभी महाजनों से हैं। निषेष लेने, हुण्डीयों का कारबार करने तथा रूपया उधार देने वाले व्यक्तिगत तथा निजी फार्म भी इसी कोटि में आते हैं।^३ (अनुच्छेद १०७)। जो निषेष नहीं लेते उनकी गणना देशी साधारण एजेन्टी की अन्य कोटि में होती है।

१. एम० एस० एम० गुड्डे द्वारा लिखित 'इण्डीजेनस बैंकिंग इन इण्डिया', पृ०-११-१२।
२. देखिए, शिराज़ खूत 'इण्डियन फाइनेन्स एण्ड बैंकिंग', पृ० २४१।

स्वाधित कर उन्हें सुविदा प्रदान नहीं कर सकते। इस स्थिति में भारतीय साहूकार अनिवार्य मध्यस्थ है। वैकिंगटन स्मिति के निम्नलिखित शब्दों से यह स्पष्ट है कि देशी महाजनों तथा आधुनिक द्रव्य-व्यवस्था के बीच किस प्रकार का सम्बन्ध है—जिन लोगों का बैंकों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है वे प्राय प्रसिद्ध जाहरों के अच्छी स्थिति चाले सराफ ही होते हैं। वे अपनी जिजी पूँजी से कारबार करते हैं और साधारणतया छोटे छोटे सराफों तथा दूसरे लोगों की हुण्डियाँ^१ खरीद लेने के पश्चात् ही वे बैंकों का प्राप्त लेते हैं। जिन सराफों की हुण्डियाँ बड़े सराफ खरीदते हैं वे अपने से भी छोटे सराफों को रूपया देते हैं। इस प्रकार यह ऋभ गवि के बनियों, ग्रनाज बैचने वालों तथा सुनारों तक चलता है।

३. पुरानी तथा नई अधिकोप प्रणाली के एकीकरण की आवश्यकता—साधारणतया यह अनुभव किया जा रहा है कि देश के पूँजी के साधनों का उपयोग करने तथा इसके साथ के सगठन के नियन्त्रण में एकता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि देशी अधिकोप-पद्धति और आधुनिक मिथित-पूँजी-प्रणाली के बीच निकटतम घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया जाए। १९३३ में सर जॉर्ज चूश्टर ने असेम्बली में रिजर्व बैंक डिपेयक पर बोलते हुए कहा था कि “भारत के सम्पूर्ण वैकिंग तथा साख के सम्बन्ध में देशी महाजनों द्वारा किये गए कारों को बढ़ा-बढ़ाकर बर्णन करना अति दुष्कर है। यह क्यन अत्युक्त नहीं कि इनका सगठन सम्पूर्ण साख-सगठन के ६० प्रतिशत से भी अधिक है। दुर्भाग्यवश यह भी सत्य है कि सहकारी समितियों के विकसित होने तथा इस्पीरियल बैंक की सौ नई साखाओं के लुल जाने के बावजूद भी देशी अधिकोप तथा आधुनिक अधिकोप-प्रणाली का सम्बन्ध अभी भी मामूली और अपरिपक्व दशा में ही है। देशी महाजनों के रूप में प्रकट (ट्रिप्पेटिड) भारत के इस वृहत् अधिकोप तथा साख-सगठन का सहयोग जब तक आधुनिक द्रव्य बाजार के साथ, जिसका नियन्त्रण रिजर्व बैंक करता है, नहीं होता, तब तक रिजर्व बैंक के लिए साख तथा सिक्के पर पूर्ण नियन्त्रण करना असम्भव है, यद्यपि पाश्चात्य देशों के बेन्द्रीय बैंकों का यह कर्तव्य समझा जाता है। भारत के गाँवों में निवास करने वाली जनता के लिए भी यह सम्भव नहीं होगा कि वह उचित शर्त पर साख तथा अधिकोप-सम्बन्धी वह लाभ प्राप्त कर सके, जिसे प्रदान करना एक सुसगठित अधिकोप-प्रणाली का कर्तव्य है।”^४

४. देशी साहूकारों से सम्बन्ध स्थापित करने की रिजर्व बैंक की योजना—रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट १९३४ की धारा ५५ (१) (अ) के अनुसार रिजर्व बैंक को तीन वर्ष के अन्तर्गत ही शीघ्रातिशीघ्र गवनर जनरल की परिपद (गवर्नर जनरल इन

१. दु डियों तीन लाख रुपयों से लिखी जाती है—(क) कर्तव्य प्राप्त करने के लिए (इस छात्रत में हुई व्यावसायिक हुई तथा हस्तपत्रक (हैंड विल) के समान होती है।) (ख) व्यापार को देंटिक योग देने के लिए जबकि यह विनियोग्यता में समान होती है, परन्तु विनियोग्यता भी मात्र हु डियों के साथ विक्री के साथ, बीजक, गोदाम की रसीद आदि रखत-आविकार-यत्र स्वैच्छ नहीं जाती। साधारण-तथा केवल हु दी ही जाती है। (ग) रूपये को व्यापार या विसी अंग अभिग्राह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए।

कौसिल) के सामने ऐसे प्रस्तावों के साथ विवरण प्रस्तुत करता था जिसके अनुसार रिजर्व बैंक में अनुसूचित अधिकोपों को प्रदत्त सुविधाएँ और ब्रिटिश भारत में बैंकिंग व्यापार ऐसे व्यक्तियों और फर्मों को प्रदान किया जाए जो अनुसूचित नहीं हैं।^१

१६३७ ई० में रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर ने नेट्रीय अधिकोप खोज समिति की सिफारिश तथा १६३६ ई० में सशोधित इण्डियन कम्पनी एकट में बैंकिंग कम्पनी के नियमों के अनुसार ही निजी साहूकारों को संयुक्त करने की योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया।^२ रिजर्व बैंक ने यह सुझाव रखा कि अगर देशी साहूकारों को रिजर्व बैंक से सम्बन्धित होना है तो उन्हें अपनी महाजनी व्यवस्था को मिश्रित पूँजी वाले बैंकों के अनुरूप बनाना होगा तथा महाजनी के निष्केप (डिपाजिट) पक्ष को अधिक विकसित करना होगा। जिन साहूकारों के पास कम-से-कम दो लाख की स्वीकृत पूँजी हो तथा जिसे वे ५ वर्ष में ५ लाख तक कर लेंगे वे वैयक्तिक बैंक बनने के लिए रिजर्व बैंक को आदेदन-पत्र भेज सकते हैं। उन्हें एक निश्चित समय के भीतर गैर-महाजनी कारबार बन्द करना होगा। उनकी अभियाचना का उत्तरदायित्व (डिमाड लाइब्रिलीटी) जब तक उनकी निष्केप देनी उनके कारबार में लगी पूँजी पांच गुना या उससे अधिक न हो जाएगी तब तक उन्हें रिजर्व बैंक में अनिवार्य निष्केप (डिपाजिट) नहीं रखना पड़ेगा। वे हिसाब के उचित खाते रखे तथा हिसाब का सप्रेक्षण किसी निवृत्ति संरयाता से कराएँ। वे अपने हिसाब-किताब का सत्रिक (पीरियोडिकल) वबतव्य रिजर्व बैंक को भेजें तथा अधिकोपों की भाँति उनके लिए बने अधिनियम में निर्धारित अंकिडों को अपने निष्केपकों की जानकारी के लिए प्रकाशित करे। इन शर्तों को पूरा करने वाले देशी महाजन मास्य पत्रों के आधार पर अपने विनियम-पत्रों का रिजर्व बैंक से सीधे बटा करा सकेंगे। अत रिजर्व बैंक ने भारत सरकार को मूचित किया कि वह रिजर्व बैंक अधिनियम के सशोधनार्थ ऐसी कोई तात्कालिक सिफारिश नहीं कर सकता जिसके अनुसार अनुसूचित बैंक सम्बन्धी धाराओं को देशी साहूकारों के सम्बन्ध में लागू किया जा सके।

अक्टूबर, १६५३ में केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से रिजर्व बैंक न एक समिति (जिसे शाफ समिति कहते हैं) यह विचार करने के लिए नियुक्त की कि वैयक्तिक साहस-क्षेत्र में वित्त-व्यवस्था की, विशेषत अधिकोपों द्वारा, सुविधा केंद्रे उपलब्ध की जाए। समिति की रिपोर्ट में साहूकारों और सर्फार्कों के सम्बन्ध में भी कुछ सिफारियों की गई है जिनमें से निम्नलिखित मुख्य हैं—

(क) सर्फार्कों और साहूकारों का रिजर्व बैंक से सम्बन्धीकरण करने की चेष्टा अधिक लगान के साथ की जाए।

(ख) सर्फार्क उपयुक्त खाते हिन्दी या अंग्रेजी में रखें और रिजर्व बैंक की

१. नीचे सेवरान ४३ देखिए।

२. देखिए, सेवरान १६।

स्वोहति से अपना अद्वितीय समझन बना लें।

(ग) सरकार उच्चोग नथा व्यापार को वित्तीय योग देते हैं। अतः उन पर इण्डो-भूमध्यी अधिनियम न लागू हो।

(घ) सरकार दर्शनी हुण्डियों के स्थान पर ६० दिन की हुण्डियों का प्रयोग करें और श्रोत्साहनस्वरूप उनकी ऐसी हुण्डियों की आधी स्टाम्प इयूटी सरकार कम कर दे।

(च) रिजर्व बैंक, अग्रवश्यकता हो तो, रिजर्व बैंक अधिनियम में सज्जोबन पराके, अनुसूचित वैंकों के माध्यम से सरकारी, विषेषतः शिकारपुरी सरकारी की मुद्रती हुण्डियों का पुनर्वंडा करे, जब तक सरकारी का रिजर्व बैंक से सीधा सम्बन्ध नहीं स्थापित हो जाना।

(द) व्यापारिक वैंकों को चाहिए कि छोटे व्यापारियों तथा उच्चोग-भूमध्यों द्वारा लिखी तथा सरकारी द्वारा पृष्ठाकित हुण्डियों का बहु करे, बदाने हुण्डी-सम्बन्धी पक्षों का वैंक को विद्वास हो।

५ आधुनिक अधिकोप का उदय —कलकत्ता के एजेन्सी हाउसों ने सर्वप्रथम इस देश में यूरोपीय अधिकोप प्रणाली का आरम्भ किया। उन लोगों के कारोबार के सहायक यह क हृष्य में ही इसका उदय हुआ। साहूकारों की हैसियत से ये एजेन्सी हाउस यहाँ के घनी सौदागरों तथा उद्योगपतियों के साथ कारोबार करते थे तथा उनके जहाजों तथा नील की फैक्ट्रियों को वाहक रखते उन्हे कर्ज देते थे। भारत में निवास करने वाली यूरोपीय जानि तथा ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकारीय अपनी वचत सरकारी सिक्युरिटी की अपेक्षा व्याज की कौंची दर के लोभदण्ड एजेन्सी हाउसों के हवाले करते थे। सट्टेवाजी के फारण एजेन्सी हाउसों को मुसीबत का सामना करना पड़ा और १८२६-३२ के व्यावसायिक सङ्कट न तो उनका गला ही धोट दिया। अस्तु यूरोपीय प्रणाली के आधार पर सगठित वैंक न तो उस समय ही मिश्रित पूँजी वाले थे, न आज ही वे पूर्णतया वैसे हैं। ग्रिडलेज-जैसी यूरोपीय फ़र्मों में निजी अधिकोप विभाग होना है। सर्वप्रथम अलेंड्रेडर एण्ड कम्पनी न कलकत्ता में वैंक आँफ हिन्दुस्तान की स्थापना की, जो पूर्णतया यूरोपीय प्रणाली पर आधारित प्रथम अधिकोप था। १८२६-३२ के व्यावसायिक सङ्कट के समय अलेंड्रेडर कम्पनी और साथ में उस वैंक का भी दिवाला निकल गया। उसी घटसावधेय पर तत्परतात् कलकत्ता के प्राय तभी अनुसूची एजेन्सी हाउसों के सहयोग से मुश्यितन वैंक नामक मिश्रित पूँजी वाले वैंक दो स्थापना की गईं, पर १८४८ में वह भी बन्द हो गया।^१

६. प्रेसीडेंसी वैंक—प्रेसीडेंसी वैंकों में सबसे पुराने तथा दास्तिगाली वैंक आँफ व्यावाल की कलकत्ता म १८०६ मे ५० लाख की पूँजी के साथ ईस्ट इण्डिया कम्पनी की एक सनद द्वारा स्थापना हुई। इन पूँजी म १० लाख रुपया ईस्ट इण्डिया कम्पनी

^१ इनके बाद भारत ने निश्चिल पूँजी वाले वैंकों को उन्नति का विभेद आगे पैरा १३ व १७ म दिया है।

ने ही दिया था। १८४० में पहली 'बैंक ऑफ बम्बई' की स्थापना ५२ लाख रुपये की पूँजी के साथ हुई। इसमें सरकार ने तीन लाख रुपये के हिस्से लिये थे। अमरीका के गृह-युद्ध तथा कपास के अकाल से उत्पन्न तीव्र सट्टेबाजी में इस बैंक ने भी हिस्सा बैठाया और उसी के कारण १८६८ में इसका दिवाला भी निकल गया। द्वितीय बैंक ऑफ बम्बई की स्थापना उसी साल एक करोड़ रुपये की पूँजी के साथ हुई। १८४३ में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना ३० लाख रुपये की पूँजी के साथ हुई, जिसमें ईस्ट इंडिया कम्पनी ने तीन लाख रुपये के हिस्से लिये थे। कुछ दिनों से यह कल्पना की जा रही थी कि बैंक ऑफ बगाल अखिल भारतीय बैंक का स्थान ग्रहण कर लेगा, पर इन तीनों बैंकोंकी स्थापना ने इस सम्भावना की समाप्ति कर दी। प्रारम्भ से ही प्रेसीडेन्सी बैंक का निकट सम्पर्क सरकार के साथ था, जिसने केवल उनकी हिस्सा-पूँजी में ही योग नहीं दिया वरन् कुछ डाइरेक्टरों की नामदाखिली का भी उसे अधिकार था। १८५७ तक सिविल सर्विस दरजे के अपसर ही बैंक का मन्त्री, सेकेटरी तथा कोपाध्यक्ष हुआ करते थे। इसके बदले बैंकों को कुछ रिश्रायतें मिलती थीं, जिसमें सरकारी अधिकोषीय व्यापार का एकाधिकार सर्वप्रमुख था। उस समय बैंक के पास नोट छापने का अधिकार तो था, पर इस पर भी कुछ नियन्त्रण थे, जैसे दर्शनी उत्तरदायित्व नकद कोप का तीन गुना—और बाद में चौगुना से अधिक नहीं होना चाहिए। इन प्रतिवर्त्यों की बजह से व्यवहार में इस अधिकार का मूल्य नहीं के बराबर था। १८३६ के बाद तो नोट छापे जा सकने की बुल मात्रा तक निश्चित कर दी गई। जैसा हम देख ही चुके हैं, १८६२ में सरकार ने नोट छापने का अधिकार भी छोट लिया और स्वयं अपनी पत्र-मुद्रा का निर्गमन किया। बैंक की क्षति-पूर्ति स्वरूप सरकारी नकद प्रेसीडेन्सी नगरों के प्रेसीडेन्सी बैंकों में रखे गए।

भारत सरकार ने १८७६ के प्रेसीडेन्सी एकट के अनुसार अपने हिस्से की पूँजी बापस ले ली तथा डाइरेक्टर, मन्त्री और कोपाध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार भी त्याग दिया। इसके बाद प्रेसीडेन्सी बैंकों का सरकारी स्वरूप न रहने पर भी अन्य बैंकों से उनकी भिन्नता इस अर्थ में थी कि वे १८७६ के विशेष अधिकोप-अधिनियम द्वारा शासित थे तथा जनता और सरकार दोनों ही उन्हें इस देश की पद्धति का प्रधान अग्र तथा सरकारी खजानों का अनिवार्य अग्र मानती थी।

७ सुरक्षित कोष पद्धति—१८६३ से सन् १८७६ ई० तक मुख्यावासो (हैड बवाट्स) की सारी सरकारी रकम प्रेसीडेन्सी बैंकों में ही रखी जाती थी, लेकिन बगाल तथा बम्बई के बैंकों से इन निविधियों की वापसी में कठिनाई अनुभव होने के कारण भारत सरकार ने १८७६ में बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में निजी सुरक्षार्थ खजानों की स्थापना की। तदनन्तर सरकारी रकम विशेषतया इन्हीं तीन सुरक्षित खजानों में रखी जाती थी। जिला और तालुका के खजाने में तो घीड़ी रकम सुरक्षा तथा देनिक आवश्यकता के लिए रहती थी। १८७६ में प्रारम्भ होने वाली नई व्यवस्था के अनुसार सरकार इस बात से सहमत हो गई कि अगर वास्तविक निषेप निश्चित निम्नतम निषेप से कम पड़े तो वह अन्तर-निधि पर बैंकों को सूद देगी। वास्तविकना

तो यह थी कि वैको में निम्नतम से भी अधिक रकम रखती थी, लेकिन वे तो इतने से ही सन्तुष्ट नहीं थे। राजस्व का एक बड़ा भाग सरकारी खाते में ऐसे समय में पढ़ा रहता था, जबकि द्रव्य-वाजार में उसकी अत्यन्त आवश्यकता थी। हमारे देश में साधारणतया नवम्बर से जून तक कारोबार का मौसम तथा जुलाई से अक्टूबर तक शिथिल मौसम होता है। वेवल क्लक्ट्स में कारोबार का मौसम जुलाई से अक्टूबर तक का होता है। जनश्री से अप्रैल तक के ही चार महीनों में लगान की वसूली होने के कारण लगान का मौसम तथा व्यस्त कारोबारी मौसम एवं ही साथ पड़ते हैं। सरकार को बहुत बड़ी मात्रा में कार्यशील रकम रखनी होती थी, क्योंकि मालमुजाहरी की प्राप्ति बारहों मास तो एक समान होती नहीं, पर उसे लगान वसूल करने का व्यय तो मालभर समान रूप से करना पड़ता है। इन सब परिस्थितियों से इस बात की सम्भावना समझी गई कि कारोबार वे मौसम में सरकार अपनी वैतिक स्थिति को भाँति पहुँचाएं विना ही द्रव्य वाजार की अधिकाधिक सहायता कर सकती है।

५ प्रेसिडेंसी बैंक के कारोबार तथा विकास—प्रेसिडेंसी बैंकों को (१) विदेशी विनियमय-सम्बन्धी कार्य करने और (२) दूसरे पक्षों से द्रव्य उधार लेने से मना कर दिया गया तथा (३) क्रहण देने के लिए क्रहण की मात्रा, क्रहण-बाल, क्रहण के बन्धक-पदों सम्बन्धी कुछ प्रतिवन्ध लगा दिए गए।

इन सब प्रतिवन्धों तथा विधों के होते हुए भी प्रेसिडेंसी बैंकों की अनवरत समृद्धि रुक्की नहीं। जिस तेजी के साथ उनका विकास हो रहा था उसमें इन प्रतिवन्धों ने प्रभाव तो अवश्य ही डाला, पर दूसरी ओर इन्हीं सबके कारण उन बैंकों की स्थिरता तथा जक्ति में वृद्धि भी हुई—विजेपन १६१४-१८ के पुढ़े के पुर्वकाल में इन बैंकों में निजी निक्षेपों की मात्रा में सतत वृद्धि हुई। भारतवर्ष के मिथित-पूँजी वाले बैंकों से भिन्न प्रेसिडेंसी बैंक अपने उत्तरदायित्व के ३० प्रतिशत से भी अधिक रक्षित नकद रखकर अपनी स्थिति सुहृद बनाये हुए थे। इन बैंकों में सरकार हर समय कुछ-न-कुछ रकम रखती थी, जो प्राय निश्चित निम्नतम सीमा से अधिक ही हुआ करती थी तथा जहाँ-जहाँ भी इन बैंकों की शाखाएँ होती वहाँ वे कुछ सामान्य सरकारी कारोबार कर दिया करते थे, जिसके बदले उन्हें निश्चित पारिश्रमिक की प्राप्ति हो जाती थी। इसके प्रतिरक्त करेंसी नोटों को प्रचलित करने के उद्देश्य से ये बैंक अपनी शाखाओं में नोटों को मुनाने में मुगलान का सुभोता भी प्रदान करते थे। सरकारी सहयोग प्राप्त बैंकों के असोसियेशन ने लाभदायक शर्तों पर निजी निक्षेप तथा वैकिंग कारबार को शाक्यित कर बैंकों की प्रतिष्ठा में चार चांद लगा दिए और देश की अधिकोप-पद्धति में इन बैंकों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया।

६ विनियम बैंक (विदेशी बैंक)—अपर हम उल्लेख कर हो चुके हैं कि प्रेसिडेंसी बैंकों को विदेशी विनियम-सम्बन्धी कार्य करने तथा विदेश में पूँजी इकट्ठा करने की मना ही थी, लेकिन इस देश के विदेशी व्यापार की वृद्धि के साथ इन दोनों कार्यों का

महत्व बढ़ता ही गया। अतः अब एक ऐसी श्रेणी के बैंक के लिए काफी ज्ञेय उपलब्ध हो गया जो विशेषतया विदेशी विनियम-सम्बन्धी कार्य करे।

१९१४ के पूर्व के बैंक इण्डियन स्पीशी बैंक ही प्रमुख भारतीय मिश्रित पूँजी वाला बैंक था, जिसकी विनियम बैंकों की भाँति लन्दन में एक शाखा यी जिसको खोलने का उद्देश्य विदेशी में बैंक के चाँदी तथा मोती के कारोबार में सहायता प्रदान करना था। अपने जीवन के कुछ प्रारम्भिक वर्षों में भारत के किसी भी विनियम बैंक ने विनियम का जितना कारोबार किया' उससे कम एलायेंम बैंक आँफ शिखला (१९२३ में जिसका दिवाला निकल गया), टाटा इण्डस्ट्रियल बैंक (सेप्टेंबर बैंक आँफ इण्डिया के साथ इसका एकीकरण १९२३ में हुआ) ने नहीं किया। आज भी कुछ मिश्रित पूँजी वाले बैंक इस कारोबार में हाथ बंटाते तो हैं, पर अभी वे इस क्षेत्र में विशेष विकास नहीं कर पाए हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश के विदेशी विनियम के व्यवसाय पर विदेशी बैंकों का ही एकाधिकार रहा है। विदेशी केन्द्रों में शाखाओं को स्थापित करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रमुख कठिनाइयों का सामना बरना पड़ता है—(१) इन्हीं अधिक पूँजी नहीं हैं कि इन केन्द्रों के द्रव्य-वाजार में साख बनी रहे, (२) जब तक विदेश स्थित ये शाखाएँ आत्मतिरंभर नहीं हो जातीं, तब तक इनके सचालन में घाटा उठाना पड़ता है, (३) अन्तर्राष्ट्रीय विनियम कार्य की शिक्षा पाये हुए ऐसे कर्मचारियों की कमी, जिन पर निर्भर रहा जा सके, (४) विदेशी बैंकों का बैंक-भाव, तथा (५) भारतीय बैंकों के प्रधान कार्यालयों के भारतवर्ष में ही रहने की ज़ज़ह से वे अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य की स्थिति के निकट सम्पर्क में नहीं रहते तथा आयात निर्धार्त की हुण्डी (इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट बिल) एवं वसूली के लिए विनियम-पत्रों का व्यापार प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। १९३६ में बार्कलेज बैंक, लदन के साथ इसका एकीकरण हो गया।

लेकिन बाद में इस देश का सम्पर्क अन्य राष्ट्रों के साथ बढ़ा, जिसके परिणाम-स्वरूप अन्य देशों के प्रमुख बैंकों की शाखाएँ भी बहीं खुलने लगीं। भारतवर्ष के द्वय पार में होने वाले विध्न तथा कुछ विदेशी के, जिनका पहले भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अति छोटा स्थान था, महत्वपूर्ण आधिकार्य के कारण विदेशी बैंकों की इस देश में अपनी शाखाएँ खोलने का प्रोत्साहन मिला। अतः भारत स्थित विनियम बैंक अधिकाश लन्दन-स्थित बैंकों की शाखाएँ हैं। अब यूरोपीय देशों, सुदूरपूर्व तथा अमरीका की बैंकों की शाखाओं की सहभा भी बढ़ रही है। विनियम बैंकों का बर्गी करण हम यो कर सकते हैं—(१) जो भारत में अत्यधिक कारोबार करते हैं, और (२) जो सारे एशिया में कारोबार करने वाले बैंकों की एजेंसी मात्र हैं।

१०. विनियम बैंकों के कारोबार तथा उनकी बर्तमान स्थिति—प्रारम्भ में विनियम

देको का कार्य केवल देश के बाह्य व्यापार की वित्तीय व्यवस्था करने तक ही सीमित था, पर इधर लन्दन में उनमें से अधिकासा ने देश में, जहाँ-जहाँ इनकी शाखाएँ हैं, वहाँ के आन्तरिक व्यापार का वित्तीय योग देना करफी शारम्भ कर दिया है। विनियमय-देको की अधिकासा हुण्डियाँ भारतीय नियांनों की नियर्त-हुण्डियाँ हैं, जो लन्दन के उन देको या साख गृहों के नाम होनी हैं जिनसे नियांनों को साख-सुविधा प्राप्त होनी है। ये नियर्त हुण्डियाँ अधिकनर व्रेमासिक तथा स्वीकार करने पर दी जाने वाली ढी० ए० होनी हैं, पद्धपि कुछ मूल्य-प्राप्ति पर दी जाने वाली (डी० पी०) भी होनी हैं। लन्दन में विनियमय देको ढी० पी० हुण्डियों को अपने पास तब तक रखते हैं जब तक ये लोटा नहीं सी जाती या इनकी अवधि पूरी होने पर ये चुरूता नहीं हो जानी। ढी० ए० विल का बट्टा (या पुनर्बट्टा) प्राप्त स्वीकृति के तुरन्त ही बाद में हो जाना है। इगलैण्ड में इनका पुनर्बट्टा इगलैण्ड तथा स्कालैण्ड की मिश्रित पूँजी वाले देको या वैक आँफ इगलैण्ड द्वारा होता है। इस प्रकार विनियमय देकों द्वारा भारतवर्ष में दिये रख्ये के बराबर इगलैण्ड में पौँड मिल जाते हैं। व्यापार मन्दा होने या भारतवर्ष में कोप की तात्कालिक माँग न होने को हालत में कभी कभी वे हुण्डी को अवधि पूरी होने तक रोक भी लेते हैं।^१ इस प्रकार भारतवर्ष के नियांन व्यापार की वित्तीय व्यवस्था मुख्यत द्विटिंस देको की पूँजी से ही होनी है। लन्दन के द्रव्य बाजार में हुण्डियों का पुनर्बट्टा क्रान्त की सुविधा—भारत की अपक्षा वहाँ बट्टा दर भी कम होनी है—विदेश लाभदायक है, क्योंकि विनियमय देक जितनी निधि की हुण्डियों को अवधि पूरी होने तक अपने पास रख सकते हैं उससे अधिक निधि की हुण्डियाँ खरीद लेते हैं।

विनियमय देको द्वारा भारत की नियांन-हुण्डी सरोदने का अर्थ है अपने वाय यो लन्दन भेजना। जब तक वौसिल विल तथा टलीप्राफिक ट्रान्सफर द्वारीदाने की पढ़ति थी, तब तक विनियमय देक आम दापो की भारत बापसी के लिए खुलकर इन दोनों का नय लन्दन में करते रहे। अब वे अपनी निधि को लन्दन भेजन के लिए अपनी स्टॉलिंग की दिक्की रिजर्व देक आँफ इण्डिया के हाथ भरते हैं। भारत में अपने कोप की वृद्धि करन के उनके कुछ अन्य तरीके भी हैं, जैसे आयात की हुण्डी के पक जाने पर उसे मुना लेना। विदेश स्थित भारतीय छात्रों, मुसाकिरों तथा अन्य भारत से रकम भेजन वाले व्यक्तियों को ड्रापट वेचकर तथा ट्रेलीप्राफिक ट्रान्सफर करके तथा लन्दन म खरीदे गए भारतीय चलानपत्रों को भारत में बेचकर, इत्यादि। अप्रैल १९३५ में रिजर्व देक आँफ इण्डिया की स्थापना के पश्चात् इस देक से व लन्दन में भुगतान के लिए स्टॉलिंग ड्रापट खरीद सकते हैं।^२

भारतीय आयात व्यापार की वित्तीय व्यवस्था या तो भारतीय आयातको पर किय गए भाठ दिनों की दरानी हुण्डी द्वारा या लन्दन देक की स्वीकृत 'हाउस

^१ भारतवर्ष तथा यूरोप, म्युज़नराज्य अन्तर्राज्य तथा दरमनेरों के दीन स्टॉलिंग में ही हुण्डियों की जानी है। भारत और जपान व दीन देन में तथा भारत और चीन के दीन हुटिन्या रख्ये में की जानी है।

^२ हाव में की गई विनियमय नियन्त्रण की सुनियों, ६वें पर्सेन्डेन वे २६वें दैरा में देखिए।

'पेपर' हुण्डी द्वारा की जाती है। भारतीयों द्वारा किये गए आयात के लिए प्रायः पहले तरीके का उपयोग होता है। स्टॉलिंग में लिखे ऐसे ड्राफ्ट को लन्दन-स्थित विनियम बैंक मुगतान करते हैं और फिर अपनी भारत-स्थित शाखाओं के पास वसुली के लिए भेज देते हैं जो इन्हें स्वीकृति तथा भुगतान के लिए आयातकों के सामने पेश करते हैं। आयात करने वाले विना पूरा भुगतान किए ही बस्तुओं को दो तरीकों से प्राप्त कर लेते हैं—(१) विनियम बैंक की ओर से ट्रस्ट रसीद पेश करके आयातक वस्तुओं को प्राप्त करना तथा चीजों की अन्तिम चुकती होने के पूर्व उन्हें अपने पास घरोहर स्वरूप रखकर। दूसरा उपाय यूरोप के उन आयातकर्ताओं को प्राप्त है, जिनके लन्दन में पुराने बैंक हैं। ये अपनी लन्दन-स्थित बैंकों के नाम हुण्डियाँ लिखते हैं जो उन बैंकों द्वारा स्वीकृत होने पर लन्दन में ही बट्टे पर भुनाई जा सकती हैं। उनका बट्टा करने वाले बैंक सम्बन्धित पत्रों की अपनी भारत-स्थित शाखाओं को भेज देते हैं। शाखाएँ हुण्डियों की अवधि पूरी होने के पहले रकम वसूल करने लन्दन भेज देती हैं। विनियम बैंक के विदेश-स्थित कार्यालय तथा शाखाएँ भारतवर्ष के आयात व्यापार की वित्तीय व्यवस्था करने में प्रमुख भाग लेती हैं। भारतीय शाखाओं का तो साधारणतया यही कार्य होता है कि वे आयात की हुण्डी की अवधि पूरी हो जाने पर उसकी वसूली करें तथा हुण्डी भुगतान करने वालों की शक्ति तथा स्थिति-सम्बन्धी सूचना अपनी शाखाओं को दे। नियर्ति की हुण्डियों के विपरीत आयात की हुण्डियों का भारतवर्ष में पुनर्बद्धान होने के कारण विनियम बैंक नियर्त-व्यापार की अपेक्षा आयात व्यापार को ही अधिक वित्तीय सहायता देते हैं। अगर आयात की हुण्डी के बट्टा बाजार को हम विकसित करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि इन्हें रूपये में ही किया जाए तथा ये स्वीकृति पर देय हो। इन सुधारों द्वारा भारत के आयातकर्ताओं की यथार्थ शिकायतों को दूर करने में भी सहायता मिलेगी।

सन् १९५७ में भारत में विनियम बैंकों—विदेशी बैंकों की सख्ता १७ थी। इस वर्ष निक्षेप की राशि २०४ १४ करोड़ ८० थी जबकि १९५६ में यह १८७ ५४ करोड़ ८० थी। फरवरी, १९६६ में भारत में विनियम बैंकों की सख्ता १५ थी और इनका कुल निक्षेप ३५२ ८६ करोड़ रुपया था।

११. विदेशी बैंकों पर प्रतिबन्ध—अब हम विनियम बैंकों के दोष और उन्हें दूर करने के लिए प्रस्तावित प्रतिबन्धों की चर्चा करेंगे। अनुमान है कि इस देश के विदेशी व्यापार में भारतीयों का हिस्सा केवल १५ से २० प्रतिशत है।^१ अतः कमीशन, दलाली तथा बीमा के रूप में गैर भारतीयों को बहुत-सी रकम देकर हमें काफी घाटा उठाना पड़ता है। लोगों की यह धारणा है कि भारत के विदेशी व्यापार में विदेशी भूस्थानों की अधिकता इसलिए है कि ये विदेशी विनियम बैंक भारत के साथ व्यापार करने वाले अपने देशवासियों को बहुत सुविधा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, इन बैंकों को विदेशी व्यापार की वित्तीय व्यवस्था

१. विमल सा० धोष द्वारा लिखित 'द स्वी ऑफ दि इंडियन मनी बांकेट', पृ० ८७।

करने का एकाधिकार है और यह कहा जाता है कि भारतीय व्यापारियों की हानि करने के लिए वे इस भ्रष्टाचार का दुरुपयोग करते हैं।^१

वेन्ट्रोप्रथम अधिकोप समिति स कुछ गवाहों ने विनिमय बैंकों के बायरों के सम्बन्ध में कानून बनाने की प्रारंभना की, क्योंकि उन पर किसी प्रकार का भारतीय कानूनी प्रतिबन्ध नहीं था, यहाँ तक कि वे भारत में रजिस्टर्ड मिश्रित पूँजी बाले बैंकों पर लगाये गए अल्पसंख्यक कानूनी प्रतिबन्धों से भी मुक्त थे। यह भी कहा गया है कि यद्यपि वे भारत में ही निषेप इच्छा करते हैं, फिर भी भारतीय निषेपकों को किसी प्रकार का सरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। अन्ततोगत्वा राष्ट्रीय हस्तिक्षेपों से भी जापान तथा अन्य देशों के ही समान विनिमय बैंकों की भारत विरोधी नीति के शोधकस्वरूप तथा भारतीय व्यापारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी उनके निष्ठण का समर्थन किया गया (के० अ० रि०, ४७७)।

अगर कोई विदेशी बैंक भारत में महाजनों का कारोबार करना चाहता हो तो उसे लाइसेंस की निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए—

(१) रिजर्व बैंक के आदेशानुसार वे अपने भारतीय कारोबार-सम्बन्धी आदेय तथा दायित्व का वापिक विवरण रिजर्व बैंक दो दें।

(२) कम से-कम कुछ दर्द तक वे अपने भारतीय तथा अभारतीय कारोबार का विवरण समय-समय पर रिजर्व बैंक को दें।

(३) पारस्त्रिकता के आधार पर अन्य शर्तों भी रखी जा सकती हैं। अनक देशों ने अपने यहाँ कार्यशील अन्य राष्ट्रीय बैंकों पर कानूनी प्रतिबन्ध लगा दिया है। भारत सरकार भी भारतवर्ष में अधिकार-पत्र-प्राप्त विदेशी बैंकों पर इन्हीं शर्तों को लगाने की अपनी शक्ति का उपयोग करे। इस प्रकार भारत सरकार विदेशी बैंकों के साथ परस्परानुवर्ती व्यवहार कर सकती है (के० अ० रि०, ४५१)।

१२ भारतीय विनिमय बैंक का श्रीगणेश—विदेशी बैंकों पर लगाय गए इस तरह के प्रतिबन्ध हमारी वर्तमान स्थिति में बितना ही सुधार ला दें, पर वे हमारी कमज़ोरी के मूल कारण को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि भारतवासी आयात और निर्यात व्यापार तथा ऐसे व्यापार की बैंक-सम्बन्धी सुविधा के निर्देश में बहुत ही कम हिस्सा

१. वेन्ट्रोप्रथम खोज समिति के समव्यक्त अनेक व्यावसायिक सुख्याओं ने कहा था कि विनिमय बैंक विदेशी नियांनों को भारतीय व्यावसायियों के देशों के सम्बन्ध में असुनोपनक सुनन दर्ते हैं, भारतीय आयातकों को स्वीकृत होने पर देश इकाइ की सुविधा प्राप्त नहीं होती; स्वीकृत साख उत्तरेख-पत्र की प्राप्ति के लिए भारत के आयातकर्ताओं दो बल्कुओं की कीमत का १० से १५ प्रति-शत तक विदेशी देशों में ज्ञा करना पड़ता है (नवकि विदेशी आयात पर यह शर्त लागू नहीं है), आदा—हुएटी स्टर्लिंग मुद्रा से की जानी तथा इस पर व्यापक रूप से (६%) हानी है भारत के ज्ञाने तथा दीना क-पन्नियों के साथ विनिमय बैंकों का व्यवहार प्रतिकृत होता है, उनमें भारतीयों की नियुक्ति जिम्मेदार पर नहीं की जानी, इस्यादि। देशिद के० अ० रि० ४३३-४४। रिपोर्ट में भारत सरकार को मह सुभाव दिया गया कि वह इन शिकायतों को दूर करने के लिए विनिमय बैंकों के साथ उपयुक्त परिपाठी का सूझन करे।

लेते हैं। केन्द्रीय अधिकोप खोज समिति ने निम्नलिखित युक्तियाँ बताईं जिनके द्वारा भारतवर्ष बैंकिंग तथा व्यापार में उचित स्थान प्राप्त कर सकता है (के० अ० रि०, ४८१) — (१) सुस्थापित मिश्रित पूँजी बाले बैंकों को इस प्रकार का विदेशी सम्पर्क करना चाहिए जो उनके ग्राहकों के लिए लाभदायक हो। (२) रिजर्व बैंक की स्थापना के साथ-ही-साथ इम्पीरियल बैंक पर विदेशी विनियम कार्य-सम्बन्धी प्रतिबन्धों को हटाने के पश्चात् इम्पीरियल बैंक आँफ इण्डिया द्वारा भारत के विदेशी व्यापार में सहयोग देने के लिए प्रोत्माहित करना चाहिए। (३) अप्रैल १९३५ को रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद इम्पीरियल बैंक आँफ इण्डिया के विदेशी विनियम कार्य-सम्बन्धी घुराने प्रतिबन्धों को हटा दिया गया है तथा इम्पीरियल बैंक की नियुक्ति रिजर्व बैंक के एकाकी एजेंट-रूप में भी हुई है। (४) समिति ने यह भी सिफारिश की कि अगर इम्पीरियल बैंक भारत के विदेशी व्यापार की वित्तीय व्यवस्था टीक तरह से नहीं कर पाता तो एक भारतीय विनियम बैंक की स्थापना की जाए (के० अ० रि० ४८५)। इस बैंक की ३ करोड़ रुपय की ऐसी पूँजी होनी चाहिए जिसे भारत में रजिस्टर्ड मिश्रित पूँजी बाले बैंक पहली किश्त में ही खरीद लें। अगर सम्पूर्ण हिस्सा-पूँजी की बिक्री निर्दिष्ट समय के भीतर नहीं हो जाती तो सरकार वाकी रकम की पूर्ति करके उसे जनसाधारण के हाथ बेच दे। जब तक ५० प्रतिशत स अधिक पूँजी सरकार की हो, तब तक सचालकों की नियुक्ति में उसका विशेष हाथ होता चाहिए। सरकार के प्रेरणा-सम्बन्धी कार्यों को रिजर्व बैंक द्वारा नियन्त्रित किसी नए बैंक को सांभने के प्रश्न पर इस शर्त पर रिजर्व बैंक के साथ विचार करना चाहिए कि उस नये बैंक को यह स्त्रीकृति न दी जाएगी कि वह एजेण्ट की हैमियत से खुले बाजार में इस प्रेरणा का उपयोग मुनाफा कमाने के लिए करे।^१ (५) ऐसे बैंकों की स्थापना की जानी चाहिए जिन पर भारतीय तथा विदेशी सम्मिलित नियन्त्रण वरावरी के हिस्सेदार की हैसियत से हो।

इस समय विदेशी बैंकों का नियन्त्रण करने की हृष्टि से बैंकिंग कम्पनी अधिनियम १९४६ में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है—

(क) प्रत्येक विदेशी बैंक के पास त्रैमासिक के अन्त पर उसके भारतीय दायित्व (मांग और सावधि) के ७५% के आदेय भारत में होने चाहिए।

(ख) बम्बई और कलकत्ता में स्थित विदेशी बैंकों की पूँजी तथा रिजर्व कम से-कम २० लाख रुपये तथा अन्य स्थानों में स्थित होने पर १५ लाख रु. होना चाहिए। ये विधियाँ भारतीय बैंकों के लिए निर्धारित सीमाओं से अधिक हैं।

(ग) विदेशी बैंक का दिवाला निकलने पर भारतीय निक्षेपकों और क्रेंच-दाताओं का उनके भारत-स्थित आदेय पर प्रायमिक अधिकार होगा।

१. समिति के द्वारा सदस्यों की (जिनमें सर पुरुषोक्तमदास ठाकुरदास भांडे) विमति निष्पत्ति में इस बात की जोरदार सिफारिश की गई थी कि राज्य द्वारा अपनी ही ३ करोड़ रुपये की पूँजी के साथ शास्त्रातिशीघ्र विनियम बैंक की स्थापना की जाए।

(घ) प्रत्येक वर्ष विदेशी बैंक अपने भारतीय कारोबार का हानि-लाभ विवरण तथा स्थिति-विवरण तैयार करके प्रकाशित करेंगे।

१३ नियित पूँजी के बैंकों का इतिहास—भारतवर्ष के बढ़ते हुए व्यापार वे कारण आधुनिक और सुव्यवस्थित थेणी के बैंकों की आवश्यकता थी। पर इस आवश्यकता की पूर्ति न तो प्रेसीडेन्सी बैंक ही कर सकते थे जो अनेक प्रतिवर्धी से मुक्त ग्रन्थ-सार्वजनिक सम्पत्ति थे तथा कुछ ही बड़े शहरों में जिनकी शाखाएँ थीं और न विनियम बैंक ही, जिन पर विदेशी व्यापार की पूँजी ने पहले से ही अपना अधिकार जमा रखा था। व्यवस्थित बैंकिंग की प्रगति १८६० तक, जबकि इस देश में पहले-पहल सीमित दायित्व का सिद्धान्त अपनाया गया, बहुत ही धीमी रही। इस यथेष्ट प्रगति के रूपे रहने के कारण थे, रुई की तेजी द्वारा लाया हुआ १८६५ का वित्तीय सकट तथा रुपये के दिनिय मूल्य का गिर जाना। इस थेणी का सर्वप्रथम बैंक था बैंक ऑफ अपर इण्डिया (१८६३), जिसका अनुसरण इसाहादाद बैंक (१८६५) तथा कुछ अन्य बैंकों ने भी किया, जिनमें एलाएस बैंक ऑफ शिमला भी (१८७४), जिसका दिवाला १८२३ में निकल गया, एक था। १८७० में इस प्रकार के सात बैंक थे। १८६४ में यह सम्पत्ति १४ हो गई। उस समय उनमें से अधिकाश पूरोपीय प्रबन्ध में थे तथा अब भी उनकी वही दशा है। अब वे बमधियल बैंक पहला बैंक था जिसकी स्थापना १८८१ में केवल भारतीय साहसियों द्वारा थी गई। १८६४ में लाला हरकिशन लाल के प्रयत्नों से पजाव नेशनल बैंक की स्थापना हुई। १९०१ में पीपुल्स बैंक की स्थापना का श्रेय भी इन्हीं को था। पीपुल्स बैंक की प्रमुख बहुत ही अच्छी रही। १९१३ में इसका दिवाला निकलने के समय इसके पास १०० शाखाएँ तथा १३ करोड़ रुपये से अधिक लिखें पथे।^१

१४ बैंकों का दिवाला^२—भारतम् के कुछ दिनों तक सो इन बैंकों न अवश्य ही बड़ी प्रगति दिखाई, पर असल में वहतों का कारोबार सद्टेवाजी से पूर्ण और अरक्षित था, तथा उनका नकद रिजर्व दायित्व की अपेक्षा इतना क्षीण था कि केन्स-जैसे विदान के लिए उनके दोष पतन की भविष्यवाणी करना कठिन बात नहीं थी। केन्स ने दुख के साथ अपनी इस भविष्यवाणी को सच होते भी देख लिया।^३ १९१३-१४ के बीच लगभग ५५ बैंकों की प्रतिक्रिया हुई। १९१४-१८ के युद्ध के समय तथा बाद की

१. देखिए थी २ रु० १० रुपुर द्वारा लिखित 'मॉर्डन बैंकिंग इन इण्डिया', पृ० ३१-३२।

२. देखिए, थी एस० कै० मुरज्जन द्वारा लिखित 'मॉर्डन बैंकिंग इन इण्डिया' का एवा परिच्छेद, जिसमें कुछ बैंकों के विरोध उल्लेख के साथ भारतवर्ष के बैंकों के दिवालों का अति पठनीय और स्पष्ट विश्लेषण दिया गया है।

३. केन्स ने भारतीय बैंकों के दिवाला निकलने के पूर्व १९१३ में लिखा था कि "दोटें-दोटें बैंकों का बारोबार हेये देरा में है जहाँ अब भी सब्द की ही प्रधानता है तथा ऐसे लोगों के साथ है, जिन्हें लिए बैंकिंग एक नई चीज़ है एवं इन बैंकों की नकद रकम भी अति अपवाहन दिखाइ पड़ती है। अतः इसमें सन्देह करने की कोई मीठी गुजारशा नहीं कि आगामी मन्दी के समय ये तद्दुन्निष्ठ ढो जाएंगे।"

नेज़ो ने नये बैंको को सड़ा होने की ओर भी प्रेरणा प्रदान की, पर बाद की मन्दी ने अनेकों का दिवाला निकाल दिया। भारत के मिथिते पूँजी वाले बैंकों के लिए १६१३-२४ के बीच के बर्बं अति भयावह हे। इस अवधि में लगभग ६३ करोड़ रुपये के प्राप्त हिस्सा-पूँजी वाले बौरीव १६१ बैंकों का दिवाला निकला। युद्धोत्तर-वालीन दिवालों में १६२३ में हुए बैंक आँफ शिमला का दिवाला प्रमुख है। इसका प्रभाव सुदूर व्यापी तथा अनि दुखायी था।

१५. बैंकों का दिवाला निकलने के कारण—बैंकों के दिवाले के, विशेषत १६१३-१४ में होने वाले दिवालों के, कारण निम्न प्रकार थे—(१) निक्षेप-दायित्वों के अनुपात में नकद वा प्रतिशत कम अर्थात् औसतन १० से ११ प्रतिशत था, (२) प्राप्त हिस्सा-पूँजी की वर्मी की पूर्ति हनु निक्षेप आवश्यित करने के लिए दी जाने वाली व्याजन्दर अधिक थी, (३) स्वीकृत और विकी हुई हिस्सा-पूँजी में तथा विकी हुई हिस्सा-पूँजी और प्राप्त हिस्सा-पूँजी के बीच उचित अनुपात का अभाव, (४) बैंकिंग कारोबार जानने वाले योग्य प्रबन्धकों तथा निदेशकों का अभाव और सचालक-भण्डल द्वारा उचित निरीक्षण का न होना^१, (५) कुछ सचालों तथा प्रबन्धकों का कपट व्यवहार, (६) भोजे-भाले निक्षेपकों का आँकड़ों की तड़क-भड़क तथा पूँजी में से भी बाट लाभाश के बारण ठाग जाना, (७) ऐसे शमतकारी उपायों का अभाव जिनकी पूर्ति केवल सरकारी या अद्वं-सरकारी संस्थाओं द्वारा हो सकती थी, तथा (८) आपस में बैंकों के बीच सहयोग की परम्परा का अभाव।

जैसा कि श्री होगस्वामी ने लिखा है भारतीय बैंकों के दिवालापन के पर्य पर यूरोपियनों द्वारा सचालित संस्थाओं के दिवाले भी पड़े मिलते हैं।^२ इसकी पुष्टि वह प्रथम बैंक आँफ वर्म्बर्ड (१६६८), आर्बनाट बैंक तथा एलाएन्स बैंक आँफ शिमला की असफलताओं के दृष्टान्त द्वारा करते हैं। यद्यपि कुछ हद तक कपट-प्रबन्ध इन बैंकों के दिवालापन का कारण अवश्य ही पाया गया, पर उनका प्रधान बारण तो अनुभव तथा ज्ञान की कमी ही थी। बैंकों की इन असफलताओंने यह सबक सिखाया कि बैंकिंग न तो सीधा कारोबार है, न केवल कपटपूरण ही तथा सकाति के खतरों को कम करने के लिए बैंक की व्यवस्था-प्रणाली के सुधार, कमंचारियों का साधानी से चुनाव और स्वस्थ बैंकिंग व्यवस्था का पालन करना अति आवश्यक है।

१६३८ के दक्षिण भारत के बैंकिंग सबट ने अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक के घनिष्ठ सम्पर्क में रहने की आवश्यकता का अनुभव करा दिया, ताकि इसके समक्ष वे अपनी हिति तथा व्यापार का स्पष्ट चित्रण रख सकें, जिससे सबट के समय रिजर्व बैंक योग्य संस्थाओं को साथ सहायता दे सकें।^३ इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि

१. 'यद्य बान ठीक दैमी ही है कि विना विचा। रिक्षित अफ्सर को साथ लिये तथा अधिकारियों की आड़ा लिये ही सेना लड़ाइ भेज जाए।'—शिराउ लिदित इटियन फिनान्स एण्ड बैंकिंग, पृष्ठ ३६।

२. देखिए, श्री एस० वी० दोरात्वामी द्वारा लिदित इटियन फिनान्स, करेन्सी एण्ड बैंकिंग, पृ० ३।

३. यह पहला बैंकिंग सबट था जिनका मुकाबला रिजर्व बैंक को करना पड़ा।

अनुसूचित वैको के पास पुनर्भुगतान योग्य पर्याप्त आदेय का न होना उन्हें पेशी प्रदान करने की कठिनाइयों में से एक है। १६१३-१४ तथा बाद में होने वाले दिवालों ने भी अधिकोयण सिद्धान्त तथा व्यवहार-सम्बन्धी उचित शिक्षण की व्यवस्था वी आवश्यकता को स्पष्ट कर दिया। विस्तीर्ण प्रचार का महत्व भी सुशिक्षित वैक कम-चारियों तथा बैक-सम्बन्धी कानूनों से कम नहीं है। जनता इसके सहारे किसी भी समय वैकों की स्थिति का अनुमान आसानी से लगा लेती है। इसके अलावा यह भी आवश्यक है कि वैक अपनी गौरवनाली परम्परा तथा जनता के प्रति अपनी डिम्बे-वारी को बनाए रखें।

१६. पर्याप्त नकद कोप का महत्व—वैकों के पाप पर्याप्त नकद ना रहना स्वस्य महाजनी की प्रारम्भिक आवश्यकता है, पर अनेक देशों में प्राप्त देखा गया है कि इनके प्रति असाक्षणी के कारण काफी वरवादी उठान के बाद ही वे इस कल्पणा कारी सबक को सीखते हैं। ऐसा लगता है कि भारत के मिथिन पूँजी वाले वैकों ने दिवाले के रूप में काफी शुल्क चुकाकर कम-से कम इस सबक को सीख ही लिया है। इसका प्रभाएँ है हाल में उनके द्वारा की गई काफी सुरक्षित घन रखन की सुनृत्य आकाशी। इस विषय की महत्ता वम्बई अधिकोय स्तोल समिति के उस मुकाब से स्पष्ट है। जावी है जिम्मे इसने कहा था कि सयुन्नराज्य अमरीका के समान हमारे देश के वैक की एजेन्सियाँ पर्याप्त नकद कोप रखने वे लिए कानून द्वारा वाध्य वी जानी चाहिए। पर केन्द्रीय अधिकोय स्तोल समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। उन्हें इस दान का भड़ था कि कानून द्वारा निश्चित वी गई निम्नतम सोऽा को वैक के प्रबन्धकता अधिकतम सीमा मानने समेत तथा कानूनी पान्दनी स वचन वे लिए अन्य उपायों का भी सहारा निया जाएगा। समिति न यह विषय वैकों की ही सद्युद्धि तथा विवेद पर छोड़ देना अच्छा समझा (के० अ० रि०, ७०६)। लेकिन १६३६ में सशीधित कम्पनी एकट द्वारा निम्नतम नकद रखने का विवाद कर दिया गया है (आगे देखिए, पैरा १६) तथा १६३६ में रिजर्व वैक ने एक वैक एकट के लिए जो प्रस्ताव रखा उसका प्रयोजन वैकों के साथों की पर्याप्त तरलता की प्राप्ति करभा ही है (आगे देखिए, पैरा २०)।

१७. वैक सम्बन्धी नियमन—दार-वार होने वाली वैकों की उपर्युक्त भयावह ग्रस-फलताओं तथा स्वस्व राष्ट्रीय आधार पर वैकों को विकसित करने के विचार से इनका सामिप्राय नियमन आवश्यक नमझा गया। सरकार द्वारा परम्परागत नि हस्त-क्षेप वी नीति अपनाए जान के कारण इस सम्बन्ध में हमारे देश की स्थिति १६३६ तक भसन्तीपनक ही रही। दूसरी समिलित पूँजी वाली अम्पनियों के ही समान १६३६ तक समिलित पूँजी वाले वैक भी इण्डियन कम्पनी एकट १६१३ द्वारा शासित थे। इस कानून वे वेल घोडे त परिच्छेद ही समिलित पूँजी वाले वैकों से विशेष रूप में सम्बन्धित थे। इस पुराने कानून में वैकों के लिए वार्डिंग वैलेन्स शीट को तैयार करन तथा साल में दो बार व्यवहार-विवरण-पत्र वो प्रकाशित करने की रीति वे सम्बन्ध ने घोडे नियमों का पालन करने के अलावा और या ही क्या।

१८. सशोधित इण्डियन कम्पनीज एकट (१६३६) में बैंकिंग कम्पनियों से सम्बद्ध विशेष विधान—पाँच वर्षों के विलम्ब के पश्चात् भारत सरकार ने अधिकोपों से सम्बद्ध विशेष विधानों को अपने इण्डियन कम्पनीज (एमेण्डेड) विल में सम्मिलित करने का निश्चय किया। नये विधान निम्नलिखित हैं और इनका प्रारूप तयार करते समय केन्द्रीय अधिकोप खोज समिति की सिफारिशों का ध्यान रखा गया।^१

(१) बैंकिंग कम्पनी वह है जो रुपया उधार देने, हुण्डियों वा बट्टा करने, विदेशी विनियम की खारीद या विक्री करने, साख-पत्रों की मजूरी देने, वेशकीमती वस्तुओं को सरक्षण में रखने, पूँजी-हिस्से, श्रृणु-पत्र आदि का बोमा करने तथा उनका बेन-देन करने, और प्रत्यासो को ग्रहण तथा उनका सम्पादन करने आदि कार्यों में से किसी एक या सभी को करने के अतिरिक्त चालू खाते पर या अन्य प्रकार से निषेप स्वीकार करने का, जिसकी दापसी चेक, हुण्डी या आर्डर द्वारा हो सकती है, अपना प्रमुख व्यवसाय करती है। (२) अधिकोप कम्पनी की रजिस्ट्री इस शर्त पर की जाएगी कि कम्पनी के विधान-पत्र में यह उल्लिखित हो कि कम्पनी केवल साधारण बैंक-सम्बन्धी कार्य करेगी। (३) भविष्य में बैंकों के प्रबन्ध हेतु प्रबन्ध अभिकर्ताओं की नियुक्ति निपिढ़ है। (४) हिस्सा-पूँजी के बेंटवारे द्वारा ५०,००० रुपये की कार्य-शील पूँजी एकत्र हो जाने का प्रमाण-पत्र देने पर ही कम्पनी कार्य आरम्भ कर सकती है। इस प्रकार निम्नतम पूँजी का रखना अनिवार्य हो गया है। (५) किसी भी बैंकिंग कम्पनी को यह अनुमति नहीं है कि वह अपनी अदन पूँजी पर किसी प्रकार का दायित्व लादे। (६) निसी भी प्रकार के वार्षिक लाभाश वितरण की घोषणा करने के पूर्व लाभ का कम-से-कम २० प्रतिशत सुरक्षित कोष में जमा करना अनिवार्य है, जब तक यह कोष चुकाई हुई पूँजी के बशाबर न हो जाए। इस प्रकार एक सुरक्षित रकम का होना अनिवार्य कर दिया गया है। अबिंदायित्व (टाइम लाइविलिटीज) का १२ प्रतिशत तथा मार्ग-दायित्व (डिमाण्ड लाइविलिटीज) का ५ प्रतिशत का एक नकद निम्नतम नकद बोप रखना आवश्यक है तथा अनुसूचित बैंकों को छोड़कर अन्य बैंकिंग कम्पनियों द्वारा इस प्रकार की रकम तथा दोनों प्रकार के दायित्वों का विवरण रजिस्ट्रार के यहाँ दाखिल करना आवश्यक है। (७) किसी बैंकिंग कम्पनी को मह इजाजत नहीं कि वह एक ऐसी कम्पनी के अतिरिक्त, जिसका निर्माण स्वयं उसी ने, प्रन्यास को ग्रहण करने एव उनका सम्पादन करने या जायदाद के प्रबन्ध आदि को लेने आदि उद्देश्यों से, जो निषेप को स्वीकार करने से सम्बद्ध नहीं है, किया है, किसी अन्य सहायक कम्पनी द्वारा निर्मित चौथा, चार्टर करे। (८) बैंकिंग कम्पनियों को अल्पकालीन कठिनाइयों के कारण दिवालापन से बचाने के लिए अदालत वो यह अधिकार दिया गया कि बैंकिंग कम्पनियों दे दरखास्त करने पर, वशतें कि दरखास्त के साथ रजिस्ट्रार का विवरण भी हो, वह इन कम्पनियों के

१. दोलप १६३६ का एकट (जो बुद्ध विशेष अभिप्राय से भारतीय कम्पनी एकट १६१३ में सरोधन हेतु बना) भाग १० ए, पारा २७७ एक से २७७ एन तक।

गिलाफ की जाने वाली कार्यदाही को रोक सके। रजिस्ट्रार को यह अधिकार है कि इस हेतु वह कम्पनी के ही खर्च पर उसकी वित्तीय व्यवस्था बीं जांच कर सके। १६ वैकिंग के नियमन-हेतु हाल में को गई वैधानिक व्यवस्थाएँ^१—नवम्बर, १६४६ में रिजर्व बैंक ने नरसार के सामने जिन घोड़े-से प्रस्तावों को रखा वे इस सामान्य सिद्धान्त पर आधारित थे कि निषेद्धों के हित की रक्षा करने देश में जनना वे मध्य अधिकोप-प्रणाली का प्रचलन बटाना ही सर्वप्रथम उद्देश्य होना चाहिए। वे सुसचा-तित तथा शायिक हृष्टि से मुहूर्मधिकोपों का जाल फैलाना चाहते थे, जिससे रिजर्व बैंक को देश के साथ-सम्बन्ध का समर्थन करने तथा रिजर्व बैंक एक द्वारा निर्दिष्ट साथ-विस्तार की शक्ति का उचित उपयोग करने में समर्थ बना सके।

११ अप्रैल, १६४५ को असेम्बली ने रिजर्व बैंक के प्रस्ताव के अधार पर नेयार किया गए एक विल (वैकिंग कम्पनी विल १६४५) को अपनी कार्य-मूची में रख लिया, पर असेम्बली के भग्न हो जाने से वह विषेन्ड गिर गया। १५ मार्च १६४६ वो इसे पुनर्निर्वाचित असेम्बली ने सामने दुन रखा गया। जनसत्र को हृष्टि में रखते हुए इस विल में कुद्द सारोधन इस उद्देश्य से कर दिया गया कि बैंकों के ऊपर रिजर्व बैंक का अधिक नियन्त्रण रह सके।

जिन सभी व्यवस्थापिका सभा में इस विल पर विचार हो रहा था, उसी समय वैन्डीय सरकार ने १५ जनवरी, १६४६ को एक भव्यादेश जारी करते [वैकिंग कम्पनीज (इस्पवशन) आर्डिनेन्स १६४६] सरकार को यह अधिकार प्रदान किया कि रिजर्व बैंक ने निरीक्षण के विवरण के अवलोकन के परचात् अगर सरकार यह समझनी है कि किसी वैकिंग कम्पनी वीं कार्यवाहियाँ उसके निषेद्धों के हित के विषद हैं तो वह उसे सुधारने का उपाय कर सकती है। जहाँ भी आवश्यकता पड़े सरकार तत्प्रवद्ध वैकिंग कम्पनी को नया निषेप लेने से नियेध वर सकती, उसे अनुसूचित बैंकों की मूची में सेने से इन्कार कर सकती या अगर वह पहले से ही इस मूची में ही तो उन निकाल भी सकती है। वैकिंग कम्पनीज विल पर विचार-बाल में शासाओं के अनियोजित विस्तार को नियन्त्रित करने^२ तथा शासाओं के साधनों की अपेक्षा उन पर अधिक सर्व करने एवं अप्रतिक्रियत (अनट्रैप्ड) कर्तृ-वर्ग को रखने आदि अवाक्षित विकास को रोकने के उद्देश्य से वैकिंग कम्पनीज एक (शासाओं पर प्रतिवर्धन) १६४२ को पास किया गया जो २२ नवम्बर, १६४६ से तात्पूर हो गया।

दि वैकिंग कम्पनीज (स्ट्रोल) आर्डिनेन्स, १६४६ म वैकिंग कम्पनीज विल की कुद्द पाराम्भों को तुरन्त ही इस उद्देश्य से कार्यान्वित किया गया कि वह वैकिंग पद्धति को टीक तरह से नियमित बरत म रिजर्व बैंक को सहायता कर सके। इसके

^१. रिपोर्ट जान करना एक वाइकिंग, १६४६ वा अनु-वैद ई४ दिन।

^२. अनुमूलिक बैंकों ने १६४६ व मध्य ई४ जाने ई४, अद्यैन से एक सक उ२ तथा तुलाइ से नियन्त्र, १६४६ व० तक १४० रुपये देते।

अन्तर्गत रिजर्व बैंक को यह अधिकार मिला कि वह अपनी समझ के अनुसार पर्याप्त जमानत पर आवश्यक पेशमी दे और बैंकों की उधार देने की नीति तथा उनके कारोबार की जांच कर सके। अधिनियम के अन्तर्गत यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक बैंक त्रैमासिक अवधि के अन्त में इस देश के अपने अवधि तथा मांग-दायित्व क कम-से-कम ७५% आदेय को भारत में रखे। रिजर्व बैंक की सहमति से ही बैंकों के बीच एकीकरण प्रबन्ध की योजना तथा समझौते का होना सम्भव था।

अधिकोषीय अधिनियम, १९४६—अन्तोगत्वा भारतीय संसद ने १७ फरवरी १९४६ क अधिकोष अधिनियम को पारित कर दिया तथा १६ मार्च, १९४६ से इस सामूह कर दिया गया। १९१३ के कम्पनी-अधिनियम के अन्तर्गत दी हुई बैंक-सम्बन्धी धाराओं तथा तब से अब तक के अधिनियमों और अध्यादेशों की बातों का नये अधिनियम में समावेश था और जहाँ तक अधिकोषों का प्रबन्ध था, वेत्तल नया अधिनियम ही उन पर लागू होगा। इसमें कठिपय नई धाराओं का समावेश भी है—

(१) यह कानून सहकारी बैंकों को छोड़कर सभी अधिकोषों पर लागू है तथा भारतीय संसद को भारतीय संघ में शामिल हो जाने वाले जिन राज्यों के लिए बैंकिंग कानून बनाने का अधिकार है वे राज्य तथा इस देश के सब प्रदेश इस अधिनियम के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत हैं। इस अधिनियम ने बैंक-कार्य व्याख्या परिभाषा यों दी है— कर्ज देन या विनियोग के प्रयोजन से जनता से ऐसे निषेप स्वीकार करना, जिन्ह मांगते ही या अन्य प्रकार से लौटाना हो तथा जो चंक, हुण्डी, आईंटर या अन्य उपय द्वारा बापस माँगे जाने के योग्य हो। सुरक्षा तथा तात्कालिक बापसी की हृष्टि स जिन संस्थाओं में कोष जमा किया जाता है उन तक अधिनियम के क्षेत्र को सीमित करने तथा १९३० के इन्डियन कम्पनीज एक्ट की २७७वीं धारा में दी 'प्रमुख व्यापार' शब्द की परिभाषा के कारण उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए उपर्युक्त सरल परिभाषा आवश्यक थी।

(२) रिजर्व बैंक इस कानून के अन्तर्गत आने वाले सारे बैंकों की वित्तीय स्थिति की दृढ़ता के प्रति निश्चित हो जाने के बाद उन्हे अधिकार-पत्र प्रदान करेगा, पर अगर कोई देश भारत में निवन्धित बैंकों के प्रति भेद-भाव प्रदर्शित करता है तो उस देश में रजिस्टर्ड (इनकारपोरेटेड) बैंक को अधिकार-पत्र नहीं दिया जा सकता।

(३) अधिनियम में बैंक के भौगोलिक कार्य-क्षेत्र को दृष्टि में रखते हुए उसकी प्राप्त हिस्सा-पूँजी तथा सुरक्षित बोप व्याख्या नीति सीमा भी निर्धारित कर दी गई है।

(४) अधिनियम के अनुसार और अनुसूचित बैंकों के लिए भी यह अनिवार्य है कि वे अपने पास या रिजर्व बैंक में कम-से कम अवधि दायित्व का २०% तथा मांग-दायित्व का ५% धन सुरक्षित रखे तथा प्रत्येक शुक्रवार के नक्द एवं समय व मांग-दायित्व के आंकड़े प्रतिमास रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करे।

(५) प्रत्येक बैंक के लिए यह आवश्यक है कि इस कानून के लागू होने के दो दर्दन प्रश्नों अपने समय और मांग-दायित्व का २०% नक्द में या प्रचलित वालार-

दर के ग्रन्तुसार मूल्याकृत स्वरूप या क्रहणमुक्त स्वीकृत प्रतिभूतियों में रखें। इसके अनिवार्य प्रत्येक वैभासिक अवधि के अन्त में उनके समय तथा माँग-दायित्व की ७५% निधि को अपने बैंक में ही रखना भी आवश्यक है।

(६) किसी अधिकोष के सचालकगण को दूसरी कम्पनी का सचालन करने, प्रबन्ध अभिकर्ता (मैनेजिंग एजेण्टों) की नियुक्ति करने या किसी ऐसी कर्म को, जिसमें किसी सचालक का स्वार्थ निहित हो या किसी सचालक को असुरक्षित क्रहण या पेशनी देने का निषेध है।

(७) रिजर्व बैंक के इस समय निम्नलिखित कानूनी अधिकार तथा कर्तव्य हैं—(क) वैंको को क्रहण-सम्बन्धी नीति तथा उसकी सीमा निश्चित करने व मूद लेने के मध्यमें मेन्डेश जारी करना, (ख) विसी विशेष कार्य व किसी प्रकार के कार्यों के मध्यमें जेतावनों देने या उन्हे करने से निषेध करना, समय-समय पर तथा एतदर्थे व्योरा माँगना एवं उसे प्रकाशित करना, (घ) स्वयं ही या सरकारी आज्ञानुसार वैंको का निरीक्षण करना, (च) नये शाखा-कार्यालयों को खोलने या किन्हीं वर्तमान शाखा-कार्यालयों का अन्तरण (ट्रान्सफर) करने की अनुमति देना या न देना, (द) किसी बैंकिंग कम्पनी के कारोबार व बन्द वरने वाले मुकद्दमे के सिलसिले में न्यायालय से स्वयं को सरकारी निस्तारक की नियुक्ति की माँग करना, (ज) देश में अधिकोषीय उन्नति व प्रवृत्ति के बारे में बेंद्रीय सरकार को एक वापिक विवरण देना व इसे समृद्धिशाली बनाने के उपायों के बारे में सुझाव देना। निरीक्षण के पल-स्वरूप पता चला है कि वैंको के कार्योंमें निम्नलिखित उल्लेखनीय बुराइयाँ हैं—अपर्याप्त रिजर्व, अति बड़ नकद-आदेय, अवधि पर न चुकाए क्रहण, अचल सम्पत्ति के आधार पर दिये अधिक क्रहण तथा सन्देहात्मक क्रहणों का अधिक अनुपात।

अधिकोषीय (सशोधन) अधिनियम १९५२ तथा अधिकोषीय (सशोधन) अधिनियम १९५६ के बाद १९५९ में पुन अधिकोषीय (सशोधन) अधिनियम पास किया गया जो १ अक्टूबर १९५९ से सामूहिक्या।

१९५६ के सशोधन अधिनियम की दो विशेषताएँ हैं। एक ओर तो वह वैंको की कार्यवाही को लचीलापन प्रदान करता है, दूसरी ओर वह वैंकिंग व्यवस्था के उपर रिजर्व बैंक के अधिकारों का अशत् विस्तार करता है। उदाहरण के लिए इस मशोधन अधिनियम के अन्तर्गत रिजर्व बैंक की लिखित अनुमति प्राप्त होने पर वैंकिंग कम्पनियाँ दिलेजों से सहायता कम्पनियाँ खोल सकती हैं। वैंकों की हर आदेय (एसेट) की गणना के लिए रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक आदेक इण्डिया, तथा रिफाइनेंस कारखाने देश से लिये गए क्रहण देय-राशि में नहीं सम्मिलित किये जाएंगे आदि। रिजर्व बैंक को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह किसी बैंक के अध्यक्ष (चेयरमेन), सचालक या प्रबन्धक या मुख्य प्रशासकीय अधिकारी को हटा सकता है, बदते कि उसे किसी द्रिघ्यूनल या अधिकारी ने किसी विधान की व्यवस्था भेज करते पाया हो तथा रिजर्व बैंक को यह सन्तोष हो कि बैंक के साथ ऐसे व्यक्ति का सहयोग अवाङ्दनीय ही है। किसी सचालक की नियुक्ति या पुन नियुक्ति तथा प्रतिफल (चाहे सचालक

पूरे समय काम करता हो या कुछ समय तक ही) सम्बन्धी व्यवस्था में कोई परिवर्तन रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना नहीं हो सकता। १९५६ के सशोधन अधिनियम के अन्तर्गत रिजर्व बैंक की अस्वीकृति केवल प्रबन्धक, सचालक (मैनेजिंग डाइरेक्टर), प्रबन्धक (मैनेजर) या मुख्य प्रशासकीय अधिकारी तक ही सीमित थी।

२०. निकासी-गृह—'निकासी-गृह' पद्धति का आरम्भ इगलैण्ड में १८वीं शताब्दी के अन्तिम चतुर्थी में हुआ। अनेक प्रतिदावों (कास्कलेम्स) का संघात (एडजस्टमेण्ट) इसने नकद या द्रव्य के वास्तविक उपयोग के बिना ही कर दिया। इस पद्धति के कारण ही इगलैण्ड तथा अन्य देशों की बैंक पद्धति का आशातीत विकास हुआ है। इस पद्धति की अत्यधिक सफलता के लिए यह आवश्यक है कि निकासी गृह के सदस्य बैंकों में से एक बैंक भुगतान बैंक या बैंकों का बैंक के रूप में कार्य करे तथा दूसरे बैंक इसके पास कुछ रकम रखें ताकि प्रतिदावों का भुगतान पूर्णरूपेण तथा आसानी से हो जाए।

केन्द्रीय अधिकोप खोज समिति के सम्मुख इम्पीरियल बैंक के तत्कालीन मैनेजिंग गवर्नर श्री मंकडात्तलड़ ने निपटारा करने वाले बैंकों वी एक परिपद की स्थापना का सुझाव रखा था। निकासी-गृह के निजी नियम होने चाहिए तथा प्रत्येक निकासी-गृह का विस्तारपूर्वक प्रबन्ध करना चाहिए। प्रत्येक सदस्य बैंक के अपने-अपने तथा निकासी-गृह के साथूकार बैंक होने चाहिए। हमारे देश में रिजर्व बैंक की स्थापना होने के पहले तक इम्पीरियल बैंक ही इन कामों को करता था। इस कारण गढ़बड़ी भी पैदा हो जाती थी तथा अन्य बैंक प्रायः इम्पीरियल बैंक से रखे हुए अपने कोष को निकासी-गृह में रखे हुए एक अश के समान ही इस निपटारे के अन्तर को बराबर करने का एक साधन मान लेते थे और वे इस बात को भूल जाते थे कि रकम की अद्विष्यकता केवल निपटारे की भिन्नता को ही पूरा करने के लिए ही न होकर अन्य बैंक-सम्बन्धी कार्य को पूरा करने के लिए भी है। चेक का व्यवहार केवल व्यावसायिक शहरों तक में ही होने के कारण अभी यह अपने दोशव-काल से ही गुजर रहा है, पर अब धीरे-धीरे यह देहात की ओर भी फैल रहा है और इम्पीरियल बैंक की बहुत-सी शाखाओं के खुलने के बाद सो यह प्रवृत्ति विशेष स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। सहकारी बैंकों द्वारा जारी किये गए चेक भी आतंकिक क्षेत्रों की जनता को चेक-पद्धति से परिचित बना रहे हैं। निकासी गृह-पद्धति को लोकप्रिय बनाने तथा उसका विस्तार करने के लिए यह आवश्यक है कि देहात की वंयवितक फर्मों के चेकों के निपटारे के लिए उन्हें अधिक सुविधा दी जाए तथा निकासी-गृहों वी सुविधा उन्हें स्थिति वाली रजिस्टर्ड निजी फर्मों को भी दी जाए। चेकों का व्यवहार तो निरसन्देह ही दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है, तब भी इस देश के बृहत् आकार तथा जनसंख्या की दृष्टि से अभी यह नहीं के ही बराबर है। दूर-दूर तक फैली हुई निरक्षरता भी इस पद्धति के विकास के बाष्पको में है।

२१. पोस्टल सेविंग बैंक—१८८३ तथा १८८५ के बीच प्रेसिडेंसी नगरों में सरकारी सेविंग बैंकों की स्थापना की गई। १८१७ में कुछ चैने हुए जिला सजानों से

सम्बन्धित ज़िला वैकिंग वैको की स्थाना हुई। १६१४ में किसी व्यक्तिगत निक्षेप की सम्मादी वार्षिक तथा कुल निक्षेप की रकम की सीमा बढ़ाकर और निक्षेपों को सरकारी प्रतिभूमियों में विनियोग करने की सहायता देकर सरकार ने निक्षेपकों को अधिक सुविधा प्रदान की। फलस्वरूप अत्यधिक सम्मादी में निक्षेप आने लगे। विशेषत १६१३-१४ को वैकंग भ्रसफलतामो के कारण व्यक्तिगत वैको पर जनता का विश्वास उठ गया था। १६१४-१५ का युद्ध दाकड़ाने के निक्षेपों में कुछ मदी तो अवश्य ही लाया, पर युद्धोत्तर-काल में इस दिशा में काफी प्रगति भी हुई। १६२२-२३ के उपरान्त निक्षेप की रकम (२३ १६ करोड़ रुपया) १६१४-१५ की लडाई के पूर्व के निक्षेप की प्रपेक्षा बढ़ गई थी, पर यदि हम रुपये की क्य-रात्कि के गिर जाने वाले समय का भी स्थान बर्चे तो यह स्थिति उत्तनी सतोप्रद नहीं रह जाती। विगत वर्षों में स्वर्ण-विक्रय के कुछ अवधि का विनियोग कर देने के फलस्वरूप निक्षेप की रकम में अत्यन्त वृद्धि हो गई है। सितम्बर १६३६ में लडाई दिल्ले हो सेविंग वैको से बारम होने वाली रकम ७ ६५ करोड़ तक थी, पर बाद के महीनों में पुन विश्वास जनने के साथ-साथ इस दिशा में बाड़ी प्रगति हुई।

सेविंग वैको को अधिक लोकप्रिय बनाने के सुझावों में कुछ निम्नलिखित हैं—(१) निक्षेपों पर दिये जाने वाले सूद की दर अधिक हो, (२) आकस्मिक वापसी के सम्बन्ध में प्रतिवन्दन लगाकर हर साल जमा होने वाली रकम तथा रकम की बाकी की सीमा बढ़ा दी जाए,^१ (३) चेक द्वारा निक्षेप स्वीकार किये जाएं तथा चेक द्वारा राया निकालने दिया जाए, और (४) नये सेविंग वैकंग खोलन के लिए प्रचार किया जाए।

पोस्ट ऑफिस में जनता की बचत कैश-स्टाफिकेट द्वारा जी आती है। य स्टाफिकेट १० रुपये या उसके अपवर्त्य (मल्टिपल) रकम में जारी किये जाते हैं तथा एक वर्किंग अधिक-से-अधिक दस हजार रुपये के अक्सिन मूल्य तक के स्टाफिकेट खरीद सकता है। वर्क के दिन से ५ वर्ष के पहचान उनका मुगलान होता है तथा वे बट्टे पर जारी किये जाते हैं, जिसका मर्य है कि ५ वर्ष के बाद ही उनके अक्सिन मूल्य का मुगलान होता है। लडाई प्रारम्भ होत समय सितम्बर १६३६ में अत्यधिक कैश स्टाफिकेट मुनाये गए तथा नये कैश स्टाफिकेट की विक्री काफी गिर गई। इन पर जनता का पुनर्विश्वास हो जाने पर कैश स्टाफिकेट की मुनाई कम हो गई। नियंत्रित कैश स्टाफिकेट का कुल मूल्य १६४६-४७ में ३६ २२ करोड़ ८० तथा १६४८-४९ में (प्रारम्भ में) केवल ७ ५० करोड़ ८० था।

१६४० में दसवर्षीय डिफेन्स सेविंग स्टाफिकेट का प्रचलन हुआ। इनकी बाकी

१० साल-भर में निक्षेप ७५० रुपये तक ही जना कर सकता है और उनके हिसाब की कुल रकम ५००० ८० रुपये की बाकी है। एक बार कलन्सेन्स चार अप्राप्त तक जना किया जा सकता है तथा रुपये की बाकी तुल्यांग में केवल एक छी बार हो सकती है। सूद की दर को घटाकर सन् १६३३ में ३% से २५%, १६३६ में २% तथा १६३८ में १५% कर दिया गया।

रकम १६४६-४७ में ५.४८ करोड़ रुपया तथा १६४८-४९ में (प्रारम्भ में) —७६ लाख रुपया थी। १ अक्टूबर, १६४३ से उनके बदले में द्वादशवर्षीय नेशनल सेविंग सटिकिंग्टो को चलाया गया, जिनकी वाकी रकम १६४६-४७ में ७०.६२ करोड़ रुपया तथा १६४८-४९ में (प्रारम्भ में) २५०१ करोड़ रुपया थी। इसमें १ जून, १६४८ से प्रचलित किये गए पचवर्षीय तथा सप्तवर्षीय नेशनल सेविंग सटिकिंग की भी वाकी रकम थी। डिफेन्स सेविंग बैंक का कार्यारम्भ १ अप्रैल, १६४१ को हुआ तथा इनका निक्षेप १६४६-४७ में १०.६३ करोड़ रुपया एवं १६४८-४९ में (प्रारम्भ में) —४०७ करोड़ रुपया था।

भारत तथा पाकिस्तान सरकार के बीच १५ अगस्त, १६४७ के पूर्व जारी किये गए एवं एक देश के पोस्ट ऑफिस में दूसरे देश के पोस्ट ऑफिस के नाम पर दर्ज पोस्ट ऑफिस कंश एवं डिफेन्स तथा नेशनल सटिकिंग्टो को ३० जून, १६४६ तक हस्तान्तरित करने के लिए सुविधा प्रदान करने का समझौता हुआ। इसमें यह भी तथा हुआ कि १५ अगस्त, १६४७ के पूर्व के वाकी तथा ३१ मार्च, १६४६ के पूर्व या उस दिन तक निर्गमन कार्यालय द्वारा हस्तान्तरणार्थ प्रमाणित सटिकिंग साधारण ऋण के समान भारत का वित्तीय दायित्व होगा तथा उसके साथ इस प्रकार व्यवहार किया जाएगा मानो विभाजन के पूर्व वह एक भारतीय पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी किया गया हो। ३१ मार्च, ४८ के बाद हस्तान्तरित सटिकिंग उस देश के दायित्व होगे, जिसमें मूल निर्गमन पोस्ट ऑफिस है तथा जिस देश से वे हस्तान्तरित हुए हैं उसी से उनके बोनस तथा निरसन (डिस्चार्ज) की प्राप्ति भी जाएगी।

१ जून १६५७ से बारहवर्षीय राष्ट्रीय योजना सटिकिंग जारी किये गए जिससे ७१४५ लाख ८० की प्राप्ति हुई। डाकखाने के सेविंग बैंक निक्षेप १६५५-५६ में ३७ करोड़ ८० थे। १६५६-५७ तथा १६५७-५८ में वे घटकर २६ करोड़ ८० तथा १७ करोड़ ८० हो गए। १६५८-५९ में पुनः कुछ वृद्धि हुई और निक्षेप की राशि २१ करोड़ ८० हो गई। १६५९-६० के लिए डाकखाने के सेविंग बैंक के निक्षेप की अनुमानित राशि २७ करोड़ ८० है। १६६४-६५ में डाकखाने के सेविंग बैंक का निक्षेप बढ़कर २६३६८ करोड़ रुपया ही गया।

२२. भारतीय द्रव्य बाजार की विशेषताएँ तथा चुटियाँ—भारत के द्रव्य-बाजार की अनेक विशेषताएँ तथा चुटियाँ हैं, जिनमें से कुछ वा नीचे उल्लेख किया जाता है। पहले ही वर्णन किया जा चुका है कि भारत का द्रव्य-बाजार अनेक हिस्सों में बंटा हुआ है तथा इन हिस्सों का आपसी सम्बन्ध भी बिलकुल ही शिथिल-सा है। स्टेट बैंक, विनियम बैंक, मिश्रित पूँजी बाले बैंक, सहकारी बैंक, देशी साहकार आदि खण्डों सम्बन्धी महस्याएँ अलग अलग विशेष श्रेणी के कारोबार तक अपने को सीमित रखती हैं। द्रव्य-बाजार के सदस्यों के बीच का आपसी सम्बन्ध भी उत्तम नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के काम वर्ते हुए बहुत दिन गुजर चुकने के पश्चात् भी निकट भविष्य में उसमें किसी क्रान्तिकारी परिवर्तन की आशा नहीं की जा सकती। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कारण उल्लेखनीय हैं—सर्वप्रथम, ग्रभी तक रिजर्व बैंक

तथा देशी साहूकारों के बीच का सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पाया है और दूसरी दशत मह है कि इसके पूर्व किसी सुसम्बद्ध तथा सुव्यवस्थित द्रव्य-बाजार का आविभाव हो सके, कुछ समय का अवधि त होना भी आवश्यक है जिसके बीच के द्वितीय वैकिंग ढाँचे का प्रभाव देश की साख-व्यवस्था पर पड़ सके। रिजर्व बैंक की स्थापना हुए २५ वर्ष से अधिक हो गए हैं किन्तु सुव्यवस्थित द्रव्य-बाजार का सगठन अभी नहीं हो सका है। इसका एक कारण भारत में वैकिंग सेवाओं की सामान्य कमी है। इस दोष को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। स्टेट बैंक स्वयं शाखाएँ खोलकर वैकिंग सेवा का प्रसार कर रही हैं।

२३ द्रव्य की दरों में भ्रामकता तथा गोलमाल—द्रव्य-बाजार की अन्य विशेषता द्रव्य-दर की निम्नता है। इस देश की द्रव्य-व्यवस्था अनेक खण्डों में विभाजित रहने के परिणामस्वरूप द्रव्य-दर में भ्रामकता तथा अनेकरूपता का होना अनिवार्य है। केन्द्रीय अधिकोपण समिति ने यह कहकर अत्युचित नहीं की कि माँग-दर $\frac{3}{4}\%$, हुड़ी-दर $\frac{3}{4}\%$, बैंक-दर 4% , तथा बम्बई में छोटे छोटे व्यापारियों की हुण्डियों की बाजार-दर $6\frac{1}{2}\%$ एवं बलकत्ता में ऐसी ही हुण्डियों की बाजार-दर 10% एक ही साथ होने का स्पष्ट अर्थ यह है कि विभिन्न-बाजारों के बीच साख की गति सिथिल है। पर इसके ठीक विपरीत लन्दन के द्रव्य-बाजार में द्रव्य की विभिन्न दरों में बहुत ही अनियन्त्रित सम्बन्ध होता है। अन्ततोगतवा सभी दर बैंक दर पर ही निर्भर करती हैं तथा उस दर में योड़ा भी परिवर्तन होने पर ठीक उसी के अनुसार अपना भी समायोजन कर लेती है। भारत की द्रव्य दर की दूसरी विशेषता कलकत्ता तथा बम्बई-जैसे दो प्रमुख केन्द्रों की दरों के बीच स्पष्ट अन्तर का होना है। इसी कारण प्रतिभूतियों की दीमत में उत्तर-चंडाल तथा व्यापार की गति में प्रतिक्रिया होती रहती है। १९५६ में बम्बई में अन्तर-अधिकोपीय द्रव्य दर लगातार हड़ रही। गत बर्षों से इसकी तुलना करने में कठिनाई यह है कि सितम्बर, १९५८ तक प्रकाशित द्रव्य-दरों में दलाली भी सम्भिलित थी। बम्बई की बड़ी बैंकों की माँग-दर मही, १९५६ तक $3\frac{1}{2}$ - $3\frac{3}{4}$ प्रतिशत रही। किन्तु जुलाई, १९५६ तक उत्तर-कर $3\frac{1}{2}$ - $3\frac{3}{4}$ प्रतिशत तथा अन्तरुपर के बाद $3\frac{1}{2}$ - $3\frac{3}{4}$ प्रतिशत हो गई। कलकत्ता के द्रव्य-बाजार में भी लगभग

*. भाग (या भाग-द्रव्य) दर से तात्पर्य उस व्याज की दर से है जो कम्पन्येन्कम २४ घण्टे के विनियोग हेतु माप्य द्रव्य पर ली जाती है।

२. इम्पीरियन बैंक जिस दर पर वैमालिक विल प्रधम शेखी की हुएही वा बढ़ा करे बड़ (इम्पीरियल बैंक की) हुए देने हैं।

३. रिजर्व बैंक की स्थापना के पूर्व जिस दर पर इन्पीरियन बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के निमित्त माँग शाख देने को त्यार रहता था उसी दर वा निर्देश यदी (पुराना) बैंक-दर से विद्या गया है। अब इसे इम्पीरियल बैंक की अधिम दर कहा जाना है। रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बैंक दर के आधार का स्पष्टीकरण पैरा ४६ के नीचे विद्या गया है।

४. कलकत्ता तथा बम्बई में स्ट्रोफ लोग जिस दर पर हु विद्यो वा मुगलान बरते हैं, उसे बाजार-दर कहा जाता है।

इसी प्रकार की प्रवृत्तियाँ लक्षित हुईं, यद्यपि अनिक्तम दर कुछ अधिक थी, विशेषज्ञ मार्च और अप्रैल में, जब वह $\frac{3}{4}$ - $\frac{4}{5}$ प्रतिशत और $\frac{3}{4}$ - $\frac{4}{5}$ प्रतिशत थी।

विभिन्न द्रव्य-दरों की समानता का आविभाव इन्हें इन विकास द्वारा ही सम्भव है। 'हमारा अनिम उद्देश्य देश के सारे चल साधनों का एक ऐसे बृहत् कोष के रूप में व्यवस्थित करना होना चाहिए जिससे हुण्डियों का मुगतान शीघ्रातिशीघ्र तथा कम-से-कम मध्यस्थों के हस्तक्षेप से हो जाए।' रिजर्व बैंक की स्थापना वे पश्चात् ऐसी आवश्यकी जाती थी कि द्रव्य-दरों की गोलमाल की समाप्ति तथा द्रव्य-वाजार में प्रचलित अनियन्त्रित दर पर नियन्त्रण के पश्चात् हुण्डी वे बाजार की उन्नति ही संकेती (अपले सेवन देखिए)।

२४ द्रव्य-सम्बन्धी मौसमी तगी (सोजनल भोनेटरी स्ट्रुजेन्सी) — द्रव्य-सम्बन्धी मौसमी तज्ज्ञी तथा साल के कुछ महीनों तक द्रव्य की दर का अधिक रहना हमारे देश के द्रव्य-वाजार की दूसरी विशेषता है। भारत में साल स्पष्टतया दो पृथक् कालों में विभाजित है—(१) नवम्बर से जून तक का समय वारोवारी है। इन दिनों फसल के देहानी इलाकों से बन्दरगाहों तथा देश के भीतरी भागों में उपभोग करने वाले वेन्ड्रो तक ले जाने के लिए द्रव्य की आवश्यकता पड़ती है। (२) जुलाई से अक्टूबर तक मन्दी का मौसम होता है। इस समय पाट (बुलियन) तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य के रूप में द्रव्य वित्तीय वेन्ड्रो को लौट आता है। हर साल के दोनों कालों वे बीच द्रव्य-दरों में बहुत ही उत्तर-चढ़ाव होते रहते हैं।^१ १९५६ के मन्दी के मौसम में वैक द्वारा उधार दी गई राशि म ७६ करोड़ ८० की रमी हुई। नवम्बर १९५६ से अप्रैल १९६० तक वे कारोवारी मौसम म वैक द्वारा उधार दी गई राशि मे १८८ करोड़ ८० का विस्तार हुआ जो १९५८-५९ के कारोवारी मौसम क साथ विस्तार (जो १८२ करोड़ ८० था) से अधिक था। यह विभेषकर चीनी के अधिक उत्पादन तथा चीनी उद्योग के मौसमी स्टाक की वृद्धि के कारण ऐसा हुआ।

फलती व परिवर्तन हतु द्रव्य मार्ग के कारण द्रव्य-वाजार में मौसमी तज्ज्ञी उपस्थित हो जाती है, पर ठीक इसी समय लौटारों तथा शादी प्रादि के लिए इन्हें वी अत्यधिक मांग इम कठिनाई को और भी बढ़ा देती है। द्रव्य की ऊँची दर का एक मौलिक कारण पूँजी की कमी है, जो हमारे देशवासियों की गरीबी का साक्षात् प्रमाण है। अधिकांश व्यक्तियों की आमदनी इतनी कम है कि वे कुछ भी बचा नहीं पाते। दूसरा कारण है हमारी सम्भाव्य पूँजी का सचित धन के रूप में पढ़े रहना। लाभ-दायक बिनियोग के लिए आकृपित करने वालों वैकिंग सुविधाओं वे न होने के कारण सचित राशि बकार तथा अनुत्पादक ही बनी रहती है। ये त्रुटियाँ ऐसी वैकिंग व्यवस्था की आवश्यकता की ओर इग्निट करती हैं जो आवश्यक साधनों का वितरण देश के विभिन्न भागों तथा साल के विभिन्न मौसम में समान रूप से करें।

१. के० अ० रि०, ५८१।

२. भारत में द्रव्यन्दर पर द्वितीय विश्ववृद्ध के प्रभाव की विशेष जानकारी के लिए सेवन ५० देखिए।

२५ हृष्टी के बाजार का अभाव—हृष्टियों की कमी, जो हृष्टियों में लगे बैकों के आदेय वीं द्योटी मात्रा से ही स्पष्ट है, वे निम्नलिखित कारण हो सकते हैं—(१) चूंकि भारतीय बैकों को पाइचात्य देशों की अपेक्षा भविक तरल (लिकिंड) न्यूट्रिकायम रखनी होती है, अत उनके आदेय का अधिकाश भाग सरकारी प्रतिभूतियों के स्पष्ट में रह जाता है। (२) अप्रैल, १९३५ में रिजर्व बैंक की स्थापना के पूर्व तक बैक अपनी हृष्टियों का मुगलान इम्पीरियल बैक ऑफ इंडिया के साथ इसलिए नहीं करना चाहते थे कि ऐसा करने से वे बाजार में कमज़ोर तमन्ने जाते थे। (३) मिथित पूँजी वाले बैंक पुनर्बद्धा के लिए अपनी हृष्टियों को देने की अपेक्षा मरकारी क्रूर-पत्र पर इम्पीरियल बैंक से उघार लेना इस कारण पसंद करते थे कि इम्पीरियल बैंक तो खुद ही प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक बैंक था, अत कोई भी अन्य प्रतिस्पर्धी बैंक आपनी हृष्टी का रहस्य इसके सामने रखना क्यों पसंद करता ? इसके अतिरिक्त चूंकि इम्पीरियल बैंक मबद्दे प्रति एक से मापदण्ड और नीति वे आजार न रखकर अपनी मरजों के अनुसार हृष्टियों का बद्धा करता था, कोई भी मिथित पूँजी वाला बैंक वित्त-योग प्राप्त करने के लिए अपने ग्राहकों द्वारा प्राप्त हृष्टी पर निर्भर नहीं रह सकता था। (४) एक दूसरी वाधा यह है कि बाजार में प्रचलित हृष्टियों की विभिन्नताओं के कारण बैंक उनका बद्धा तब तक नहीं करते जब तक बैंकों द्वारा मात्र सरकों में से कोई सरकि निजी उमानत न दे। बाजार में प्रचलित हृष्टी से यह स्पष्ट नहीं होता कि वह शुद्ध विस्तीर्ण हृष्टी है या किसी व्यापारी कार्य हेतु लिखी गई है, वयोंकि उसके माय विक्री के सविदे, बीजक तथा स्वत्वाविकार पत्र जैसे भविकार-पत्र तो रहते नहीं जिससे यह समझा जा सके कि यह किसी घनल या वस्तु से सम्बन्धित है। हृष्टियों में लिखी जाने वाली भाषायों में भी अनेक भेद, रिक्षायां दिन आदि की विभिन्नता तथा आम जनता की अविक्षा आदि कुछ अन्य विभिन्नताएँ भी हैं। (५) एक अन्य कारण नक्द-साथ की पढ़ति भी है, जिसका उपयोग भारत के देशी व्यापार में भविक होता है।

२६ हृष्टी के बाजार की वृद्धि करने के उपाय—वैन्ड्रीय भ्रविकोप खोज मिशन ने भारत में हृष्टी के बाजार वीं उन्नति करने के लिए अनेक मुभाव दिये हैं (के० अ० रि० १९३)—(१) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को व्यावसायिक कारों से सम्बद्ध प्रथम थेरेटी की व्यापारिक हृष्टियों तथा प्रपत्रों के प्रकारित बैंक-दर (जो निम्नतम हो) पर चरीदेने या बद्धा करने को तंयार रहना चाहिए तथा अधिकृन प्रतिभूतियों के प्राधार पर मार्गे गए क्रूर पर अपनी इच्छामुगार भविक व्याज-दर लेनी चाहिए। मिथित पूँजी वाले बैंकों को रिजर्व बैंक को अपना प्रतिद्वन्द्वी न समझना चाहिए। उनसे ही यह आशा है कि वे रिजर्व बैंक द्वारा दिये गए व्यापारिक पत्रों के पुनर्बद्धा-मम्बन्दी

१ और भविक वर्णन के लिए दें० अ० रि० का 'दि वैकिंग क्रिटिक एसड मना भाके' नामक प्रच्छेद देखिए।

सुविधाओं से लाभ उठाएँ। रिजर्व बैंक को योग्य व्यावसायिक पत्रों का पुनर्षट्टा करने का अधिकार प्राप्त है, पर अभी तक वह भारत में हुण्डी के बाजार को विकसित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने में समर्थ नहीं हो सका है। (२) बट्टा-व्यय घटाना चाहिए तथा एक ही बार बट्टा देना पड़े, इस हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक प्रादेशिक राजधानी में हुण्डियों के लिए निकासी-गृहों की स्थापना की जाए। (३) भारत के विभिन्न भागों में गोदामों की स्थापना की जानी चाहिए, यद्योंकि इनके कारण व्यापारियों तथा सरकों द्वारा लिखी गई शुद्ध व्यावसायिक (या वित्त योग हेतु लिखी) हुण्डियों का स्थान ऐसी बिल्टी-सहित हुण्डियाँ ले सकेंगी, जिनका बैंक सुशीले से पुनर्बट्टा करेंगे। (४) हुण्डियों पर आवश्यक टिकट-व्यय (स्टाम्प ड्यूटी) भी कम कर देना चाहिए। (५) उचित है कि डाकखानों में अप्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में हुण्डियों के छपे फार्म मिल सकें। हुण्डी के मालिक को असुविधा तथा कट्ट से बचाने के लिए बैंकों, सरकों तथा व्यापारियों नी अधिकृत सस्थानों द्वारा की गई हुण्डी आदि की अस्वीकृति की सूचना (नोटिंग ऑफ डिसओनर) और निकराई-सिकराई (नोटिंग ऑफ प्रोटेस्ट) को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। हुण्डियों का चलन बढ़ाने के उद्देश्य से उनसे सम्बन्धित रस्मों का प्रमाणीकरण कर देना चाहिए। (६) बैंक-स्वीकृत-विषयों के निर्माण-कार्य में बैंकों को अग्रणी होना चाहिए। ये हुण्डियाँ साधारण व्यापारी हुण्डियों की अपेक्षा आसानी से विनियम-साध्य होगी। (७) हुण्डी के दलाली-कार्य को देशी साहूकारों के व्यापार का एक बग बनाकर तथा रिजर्व बैंक की सरक्षता में इन साहूकारों तथा उनके घनी निक्षेपकों द्वारा एक बट्टा-गृह स्थापित करके एक हुण्डी बट्टा बाजार की स्थापना की जानी चाहिए। (८) हुण्डियों के उपयोग का विस्तार कृषकों को फसल उपजाने के कार्य के लिए पेशागी देने, फसल-विक्री हेतु वित्त-प्रबन्ध करने, गाँव के साहूकारों को सरकों द्वारा आर्थिक सहायता देने, शहरों से वस्तुओं को देश के भीतरी भागों में ले जाने के कार्य का वित्तीय प्रबन्ध करने तथा देश के विदेशी व्यापार के वित्तीय प्रबन्ध करने के लिए कर देना चाहिए।

जनवरी १९५२ में रिजर्व बैंकने बिल बाजार के सगठन के लिए एक योजना बनाई। प्रारम्भ में यह योजना उन अनुसूचित बैंकों तक सीमित रखी गई जिनके पास १० करोड़ रुपये या इससे अधिक के निक्षेप हो, क्रहण तथा बिल की निम्नतम सीमा क्रमशः २५ लाख रु० और एक लाख रु० निश्चित की गई। रिजर्व बैंक ने बैंक-दर से $\frac{1}{2}$ प्रतिशत कम दर से ब्याज लेने तथा आधी स्टाम्प ड्यूटी स्वयं बहन करने की सुविधा प्रदान की। ये सुविधाएँ १ मार्च १९५६ से समाप्त हो गईं। जून १९५३ में यह योजना ५ करोड़ रु० या इससे अधिक निक्षेप वाले बैंकों तथा जुलाई १९५४ में उन सभी बैंकों पर लागू हो गई जिन्हे १९४६ के बैंकिंग काम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत

१. बैंक-स्वीकृत-विषय वह हुण्डी है जिसे वस्तु-विकेता लिखता है और वस्तु-क्रेता के स्थान पर उसका बैंक उसकी स्वीकृति देता है। उभार क्रय करने की तर्ज से वस्तु-क्रेता पहले से ही अपने बैंक से इस सम्बन्ध में बातचीत किये रहता है।

लाइमेन्स प्राप्त थे। चार वर्ष की अवधि में बैंको द्वारा प्राप्त अग्रिम की मात्रा १६५२ के ८१ करोड़ ८० से बढ़कर १६५५ में २२५ करोड़ ८० हो गई। १६५८-५९ में निर्यात-विलो को एक वर्ष के लिए प्रयोगात्मक रूप से विल बाजार योजना में सम्मिलित करने का निर्णय किया गया।

२७ बैंकोद्वीय बैंक की उपयोगिता—१६२० में ब्रूसेल्स में हुए अन्तर्रोप्ट्रीय वित्तीय सम्मेलन में यह प्रस्ताव पास हुआ कि 'जिन देशों में केन्द्रीय बैंक नहीं हैं, वहाँ उनकी स्थापना की जाती चाहिए।' इस प्रस्ताव के मूल में यह दिवार है कि वित्तीय स्थिरता तथा केन्द्रीय 'विंग व्यवस्था के बीच बहुत घना सम्बन्ध है। इस प्रस्ताव में निहित राय का अनुसरण यूरोपीय देशों तथा अभी हाल तक वे 'विकेन्द्रीय वैकिंग के देश' संयुक्तराज्य अमेरिका में हुआ।' हमारे देश में परिस्थितियों के बश में होइर स्वयं सरकार ही नोट जारी करने, नकद रकम का प्रबन्ध करन, बिदेशी विनियम की व्यवस्था करने आदि प्रमुख कार्यों को करने लगी थी, पर ऐसा अनुभव किया जाने लगा कि ये काम बैंकोद्वीय बैंक द्वारा अच्छी तरह से सम्पादित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन कार्यों को बैंकिंग कारोबार से अलग रखना भी बहुत डीड़ चुटि थी। इस सम्बन्ध-विच्छेद न ही बचत को सरकारी बचत तथा साहूकारी भी बचत नामक दो भागों में विभक्त कर दिया। इन दोनों का सम्बन्ध भी अस्पष्ट था तथा इसके कारण ही १६०४ पढ़नि अत्यधिक लोचहीन हो गई। बैंकोद्वीय बैंकिंग अधिकारी के अभाव के ही कारण देश की बैंक-सम्बन्धी नीति अनियन्त्रित-सी थी। सिद्धान्त तो हमारे यहाँ बहुसुरक्षित कोप प्रणाली थी, जिसका अर्थ यह था कि विभिन्न बैंक अपना-आना सुरक्षित कोप रखते थे, पर व्यवहार में ये घन कदागि ही पर्याप्त हा पाते थे तथा इस बात का बहतरा बना रहता था कि सकटकाल में ये बैंक एक-दूसरे से सहायता की ही आशा करेंग। १६१३-१४ की बैंक-अपफलना न इस तर्क की ओर भी चुटियी। एक बैंकोद्वीय बैंक से जिन अन्य लाभों की आशा की जाती थी वे ये—बैंक-न्दर के अत्यधिक उत्तार-चटाव में कधी करना तथा बैंकिंग साधनों की वृद्धि एवं प्राप्ती सहयोग द्वारा सामान्यतया लौंचे रहन वाले द्रव्य-न्दर के स्तर को कम करना। बैंकोद्वीय बैंक पर्याप्त पुनर्बहु की सुविधा भी प्रदान कर सकता था, जिससे दूसरे बैंक अपने आदेय को तरल बनाने में असमर्थ हो सकते थे। इस सुविधा से उनकी साख में भी चूट्ठि हो जाती। यह केन्द्रीय बैंक सरकारी कर्मचारियों से उन वित्तीय तथा अर्द्ध-वित्तीय कर्तव्यों की ज़िम्मेवारी अपने ल़घव ले लेता, जिन्हे वे ठीक तरह से नहीं कर पा रहे थे। हमारे देश में निपुण परामर्श तथा अनुभव के ही अभाव के कारण वित्तीय मामलों की शक्ति का केन्द्र इस देश से हटकर 'इण्डिया ऑफिस' तथा 'इण्डिया कॉसिल' के हाथ में चला गया, जो पर्याप्त रूप से भारतीय परिस्थिति के समर्क में नहीं थे। बैंकोद्वीय बैंक प्रशिक्षित अनुभव तथा परामर्श दे सकता तथा भारत-सचिव और जन-प्रालोचना के बीच भव्यस्थ वा भी काम करेगा। मुद्रा में स्थिरता रखन वी ही हप्ति

१. दीश एड एन्ड कॉम्पनी, 'सेरड्ल बैंक', पृष्ठ २।

से बहुते की दर पर नियन्त्रण रखने का कार्य वेन्ट्रीय बैंक के ही क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ना है। इसी बैंक से यह भी आशा की जाती है कि वह सरकारी विधि का व्यापारिक तथा औद्योगिक कार्य-हेतु उचित उपयोग करेगा।

२५ इम्पीरियल बैंक की रचना—इम्पीरियल बैंक की केन्द्रीय परिपद् के लिए साल में कम-से-कम एक बार प्रत्येक स्थानीय प्रधान कार्यालय में एकत्रित होना आवश्यक था। पहले तीनों प्रेसीडेन्सी बैंकों की पूँजी का योग ७ करोड़ रुपये ही था, पर अब पूँजी तथा सुरक्षित घन को १५ करोड़ रुपये करके बैंक के पूँजी के आधार को विस्तृत कर दिया गया।

अतः इम्पीरियल बैंक एक निजी निगम ही है, पर १९३५ में रिजर्व बैंक औफ इण्डिया की स्थापना तक यह राज्य बैंक भी इस सीमित अर्थ में था कि भारतीय व्यवस्थापिका के एक विशिष्ट कानून द्वारा इसका नियंत्रण हुआ था तथा कुछ अशो में इसका नियन्त्रण, सहायता तथा निरीक्षण सरकार ही करती थी। इम्पीरियल बैंक और इगलैण्ड तथा फान्स के वेन्ट्रीय बैंकों के बीच मुख्य भेद यह था कि यह बैंक राज्य-बैंक के बहुत बड़े कार्यों को कर पाता था।

२६. इम्पीरियल बैंक का विधान—इम्पीरियल बैंक का नियन्त्रण गवर्नरों को एक केन्द्रीय परिपद् के सुपुर्द कर दिया गया। गवर्नर जनरल को वित्तीय नीति या सरकारी रकम की सुरक्षा से सम्बन्धित किसी विषय पर बैंक को आदेय देने का अधिकार था। केन्द्रीय परिपद् के कर्तव्य ये थे—सामान्य नीति से सम्बन्धित मामलों को तय करना, स्थानीय परिपदों को नियन्त्रण-सम्बन्धी साधारण शक्ति का उपयोग करना, बैंक की निधि के बैंटवारे तथा बैंक दर का नियंत्रण करना (जिसे अब अग्रिम दर कहा जाता है) तथा बैंक के हिसाब के साप्ताहिक प्रकाशन की जिम्मेदारी लेना। स्थानीय परिपद् अपने-अपने क्षेत्र के दैनिक कारोबार से भ्रपना सम्बन्ध रखते थे। दैनिक साधारण (केन्द्रीय) प्रबन्ध के लिए केन्द्रीय परिपद् के तीन सदस्यों की एक समिति होती थी जिनमें से एक मुद्राध्यक्ष होता था। इस सम्बन्ध में एक नई बात यह थी कि बैंक को लम्बदन में शाखा स्थापित करने की कानूनत इजाजत थी। यह बैंक लम्बदन में भारत-सचिव, सार्वजनिक संस्थाओं, दूसरे बैंकों तथा प्रेसीडेन्सी बैंक के पुराने ग्राहकों के साथ-साथ भारत सरकार की ओर से व्यापार का कारोबार तो कर सकता था, पर विदेशी विनियम के सिलसिले में जनता के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखने की इजाजत इसे नहीं थी।

३०. इम्पीरियल बैंक के कार्य—१९७६ के पुराने प्रेसीडेन्सी बैंक एकट के बाद १९२० में एक एकट यह स्पष्ट करने के लिए बनाया गया कि यह बैंक किस प्रकार का कारोबार करे। इम्पीरियल बैंक को नियन्त्रित कार्यों को करने की अनुमति दी गई—(१) भारत तथा इगलैण्ड की सरकारों के कुछ विशिष्ट अरण-पत्रों तथा बन्दरगाह-समितियों, कुछ नगर-निगमों, सरकारी सहायता-प्राप्त रेलवे एवं कुछ ज़िला परिपदों के रुण-पत्रों में पूँजी लगाना। (२) उपर्युक्त किसी भी रुण-पत्र के आधार पर रुपया पेशगी देना। (३) स्वीकृत हुण्डी, प्रपत्र तथा बैंकों के सुपुर्द की गई वस्तुओं या स्वत्वाधिकार-पत्रों का आधार पर रुपया पेशगी देना। (४) भारत

तथा लकड़ी में भुगतान होने योग्य हुणिड्यो तथा दूसरे विनिमय साध्य क्रहण-पत्रों को लिखना, स्वीकार, बद्ध तथा विक्रय करना तथा गवर्नर जनरल इन-कौसिल की आज्ञा-नुसार विदेशी म चुकता होने योग्य हुणिड्यो का बद्ध, स्वारीद तथा विक्रय करना। जिन व्यक्तियों की ज्ञायदाद का प्रबन्ध बैंक करता हो उनके लिए तथा अन्य व्यक्ति-गत स्थानों एवं ग्राहकों की निजी आवश्यकता के लिए हुण्डी-लेखन तथा साख पत्रों की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार बैंक को दिया गया। (५) भारत मे क्रहण लेना, निषेप लेना, सुरक्षित घरोहर-स्वरूप क्रहण पत्र रखना एवं उसका सूच वसूल करना तथा सोना-चांदी खरीदना तथा बेचना। (६) बैंक की लन्दन-शाखा बैंक के व्यापार के लिए बैंक के आदेय की सुरक्षा पर इगलेण्ड मे रुपया उधार तो से सर्वती थी, पर उस रोक क्रहण (केश-क्रेडिट) खाते खोलने, दूसरों के नकद हिसाब रखने या प्रेसीडेन्सी बैंक के पहले के ग्राहकों के अतिरिक्त किसी अन्य से निषेप लेने की आज्ञा नहीं थी।

३१. सार्वजनिक संस्था के रूप में कार्य—सरकारी बैंक के रूप में इम्पीरियल बैंक के निम्नलिखित कार्य थे—

(१) इस बैंक ने भारत सरकार के बैंक-सम्बन्धी सभी साधारण कार्यों का जिम्मा ले लिया। वह सरकार की ओर से रपये-पैस स्वीकार करता तथा सरकार के लिए खर्च भी। जहाँ-जहाँ इसके प्रधान कार्यालय तथा शाखाएँ थीं, सरकारी खजाने की सारी निधि इन्हीं में रखी जाती थी। इस प्रकार सुरक्षित खजाने की पद्धति समाप्त हो गई। (२) एक विशेष पारिश्रमिक पाने के बदले वह बैंक सार्वजनिक ऋण का प्रबन्ध करने लगा। (३) बैंक से कहा गया कि वह १०० नई शाखाएँ खोले, जिनके चतुर्थांश के स्थान का निरांय सरकार करेगी। (४) बैंक से ऐसी आदा वीं गई कि वह जनता को अपनी शाखाओं के बीच दृव्य हस्तान्तरण की मुद्राव्यक्ति द्वारा स्वीकृत उचित दर पर प्रदान करेगा। जिन दो स्थानों में इम्पीरियल बैंक का कारोबार हो वहाँ सरकार ने उनके बीच जनता को रकम भेजने की मुद्रिधा देना चाह कर दिया। (५) जनवरी, १९२१ में स्थापित बैंक की लन्दन शाखा ने भारत सरकार के कारोबार के कुछ ऐसे भाग को अपने जिम्मे ले लिया जो पहले बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में थे (जैसे भारत के हाई कमिशनर का चालू हिसाब)।

आपक इगलण्ड के हाथ में जिस भारत के हाथ पर लापरवाही का बहुत दूषण किया गया। इसमें इन्होंने वैक की आलोचना के विषय—१९२१ में निर्मित इम्पीरियल बैंक की बहुत ही आलोचना की जा चुकी है। इम्पीरियल बैंक पर भारतीय फर्मों तथा संस्थाओं से दिखेद रखने तथा यूरोपीय फर्मों तथा संस्थाओं के प्रति अनुचित पक्षपात दिखाने का आरोप भी लगाया गया। बैंक द्वारा घोषित अत्यधिक लाभाश का मेल राष्ट्रीय कल्याण की बृद्धि के उद्देश्य के साथ नहीं बैठता था, जिसक लिए इस बैंक की सृष्टि हुई थी। बैंक तथा राज्य के बीच मुनाफे व बेंटवारे के लिए कोई भी प्रबन्ध नहीं था। १९२० के एकट के अन्तर्गत बैंक के ऊपर राज्य का उतना प्रभावशाली नियन्त्रण नहीं था जितना होना चाहिए, क्योंकि मुद्राव्यक्त द्वारा हस्तक्षेप की सम्भावना तभी की जानी थी जबकि राज्य का हित खररे में पड़ गया हो। बैंक की दावा

खोनन की नीति बहुत सफल नहीं रही। कभी-कभी तो ये शाखाएँ ऐसी जगहों पर खोली गईं जहाँ पहले से ही अन्य बैंकों को पर्याप्त सुविधाएँ प्राप्त थीं और इस प्रकार तत्कालीन अन्य भारतीय बैंकों के साथ उस इम्पीरियल बैंक की अनुचित स्पर्धा हुई जिसे रिजर्व बैंक की स्थापना के पूर्व विशेष अधिकार प्राप्त थे और जिसका सरकारी कोप के ऊपर अधिकार था। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि बैंक को बहुत ही योड़े कार्यों का दायित्व सुनुदृ किये जाने के कारण इसकी कुछ भी उपयोगिता नहीं रह पाती। सरकार द्वारा किये जाने योग्य बैंकिंग तथा मुद्रा-सम्बन्धी कार्य करने के सम्बन्ध में यूरोप के बैंकों के साथ इस बैंक की बहुत ही कम समानता थी। इसको केवल सरकारी नकद रकम रखने तथा बैंकिंग के साधारण कारोबार की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी। कागजी मुद्रा, स्वरूप-मानकोप तथा भारत सरकार के इम्पैण्ड में खर्च के भुगतान के लिए भेजे जाने वाली रकम का प्रबन्ध स्वयं सरकार ही करती थी। नोट छापने का अधिकार अपने हाथ में न होने के कारण इम्पीरियल बैंक बैंक-दर की सहायता से उतनी अच्छी तरह से द्रव्य-बाजार पर नियन्त्रण नहीं कर सकता था जैसा अन्य बड़े-बड़े केन्द्रीय बैंक किया करते हैं।

३३ इम्पीरियल बैंक आँफ इण्डिया सशोधन एक्ट, १६३४—यह सर्वसम्मत बात थी कि देश के केन्द्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक की स्थापना के पश्चात् इम्पीरियल बैंक वे मिश्रित रूप के कारण इसके ऊपर रखे गए नियन्त्रण को हटाने तथा इसके कार्य के ऊपर सरकारी नियन्त्रण में सशोधन की हृष्टि से इम्पीरियल बैंक के विधान को बदलना आवश्यक होगा। अत १६३४ में रिजर्व बैंक विल के पारित होने के साथ-ही-साथ इम्पीरियल बैंक आँफ इण्डिया एक्ट (१६३४ का तीसरा) के रूप में इम्पीरियल बैंक आँफ इण्डिया सशोधन विल को भी पारित किया गया।^१ सशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन किये गए—

(१) बैंक के विधान में परिवर्तन—केन्द्रीय परिपद की स्थापना निम्नलिखित सचालकों को मिलाकर की गई—(क) इस कानून द्वारा स्थापित स्थानीय परिपदों के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, (ख) इस कानून द्वारा स्थापित हर स्थानीय परिपद के सदस्यों में से ही उन्हीं द्वारा चुना गया एक सदस्य, (ग) केन्द्रीय परिपद द्वारा ५ वर्ष के लिए नियुक्त एक प्रबन्ध सचालक, जिसे वह परिपद अधिक से-अधिक और ५ वर्ष के लिए रख सकती है, (घ) गवर्नर-जनरल-इन-कौसिल द्वारा मनोनीत अधिक-से अधिक दो सदस्य जो सरकारी अफसर न हों, (च) केन्द्रीय परिपद द्वारा नियुक्त एक उप-प्रबन्ध-सचालक, (छ) लोकल बोर्डों के सचिव, (ज) इस कानून द्वारा स्थापित किसी नई स्थानीय परिपद का प्रतिनिधित्व करने वाले वे सदस्य, जिनकी व्यवस्था केन्द्रीय परिपद ने की हो। (च) तथा (छ) में निर्दिष्ट सचालकों को केन्द्रीय परिपद की सभा में मत देने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार बैंक के बारोबार पर से सरकारी

१० इम्पीरियल बैंक को केन्द्रीय बैंक में रूपान्तर न करने के सरकार के निर्णय के सम्बन्ध में आगे सेवान ३६ देखिए।

नियन्त्रण अब कम हो गया। (२) इम्पीरियल बैंक अब सरकार का महाजन नहीं रह गया (रिजर्व बैंक ने अब यह पद ग्रहण कर लिया), पर उसे रिजर्व बैंक के साथ इकॉरार करने का यह अधिकार प्रदान किया गया कि वह उसके एकमात्र एजेट रूप में सरकारी कारोबार का प्रबन्ध कर सके (आगे सेवशन ४१ में यह और भी स्पष्ट है।) (३) बैंक के लन्दन शाखा के कार्यों पर लगाये गए पुराने प्रतिबन्ध हटा लिये गए। बैंक को भारतवर्ष तथा विदेशों में शाखाएँ या एजेन्सियाँ स्थापित करने की छूट दी गई। (४) केन्द्रीय परिपद् को यह अधिकार प्रदान किया गया कि पहले में गवर्नर-जनरल-इन-कॉसिल की आज्ञा लिये दिना भी वह स्थानीय परिपदों की स्थापना या अपनी पूँजी बढ़ाए। (५) बैंक के कारोबार-सम्बन्धी कुछ प्रतिबन्धों को हटाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित परिवर्तन किये गए—बैंक को विदेशों में चुकता होने योग्य हुण्डियों को खारीदने, भारत से बाहर रुपया उधार लेने तथा विदेशी विनियम-कार्य करने के अधिकार प्रदान किये गए। मौसमी कृषि-कार्यों की वित्तीय व्यवस्था-सम्बन्धी पेशागी तथा कर्ज की (भुगतान की हुण्डी की भी) अवधि को बढ़ाकर ६ से ६ महीने तक कर दिया गया। बैंक को यह अधिकार था कि वह किसी ऐसी चल या अचल सम्पत्ति, जो किसी ऋण या पेशागी के लिए जमानत हो या जमानत से सम्बद्ध हो, सम्बन्धी अधिकार को प्राप्त करे, अपने अधिकार में रखे तथा अपने काम में लाए। रिजर्व बैंक के हिस्सों की मूलनियिपल बोर्ड के अधिकारात्मकता गवर्नर-जनरल-इन-कॉसिल की आज्ञा से निर्गमित ऋण पत्र, देशी राजाधी के अधिकारात्मकता निर्गमित ऋण-पत्रों तथा केन्द्रीय बोर्ड की आज्ञानुसार सीमित दायित्व वाली कम्पनियों के ऋण-पत्रों पर रुपया पेशागी और कर्ज देने तथा रोक ऋणखाता खोलने का भी अधिकार बैंक को प्रदान किया गया। बैंक को यह भी अधिकार दिया गया कि अगर केन्द्रीय परिपद् विशेष आज्ञा दे तो जमानत पर रेहन की गई वस्तु के आधार पर पेशागी या रोक-ऋण दिया जा सकता है। कुछ पुराने प्रतिबन्ध (जैसे जमीन के रेहन, या पेशागी और ऋण की अवधि (पूर्व-वर्णित सदोषनों के साथ), व्यक्तियों को दिये जाने वाले ऋण की मात्रा-सम्बन्धी तथा बैंक के हिस्से पर कर्ज देने के नियेव इत्यादि) अब भी चलते रहे।

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया—ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की सिफारिश मानकर भारत सरकार ने ५ जुलाई, १९४५ से इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण बरदिया। उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया है जिसको इम्पीरियल बैंक के सभी आदेय और दायित्व हस्तातिरित कर दिय गए।

स्टेट बैंक का सचालन १८-२० सचालको के एक केन्द्रीय सचालक मण्डल द्वारा किय जाने की व्यवस्था है जो निम्न प्रकार से निर्वाचित या मनानीत होग—

(१) स्टेट बैंक के सभापति तथा उपसभापति, जिन्हे रिजर्व बैंक के परामर्श स भारत सरकार नियुक्त करेगी।

(२) रिजर्व बैंक तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत एक-एक सचालक।

(३) क्षेत्रीय अथा आधिक हितों के प्रतिनिधित्व हेतु रिजर्व बैंक के परामर्शसहित केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत आठ सचालक।

(४) रिजर्व बैंक को छोड़कर अन्य हिस्सेदारी द्वारा निर्वाचित द्वारा सचालक।

(५) भारत सरकार की स्वीकृति से स्टेट बैंक के केन्द्रीय सचालक-मण्डल द्वारा मनोनीत सदस्य, जिनकी सत्या दो तक हो सकती है।

जहाँ रिजर्व बैंक की शाखा नहीं है तथा जहाँ वह स्टेट बैंक से कहे वहाँ स्टेट बैंक—यदि उसकी वहाँ शाखा है तो—रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि रूप में काम करेगा। भारत सरकार की अनुमति से स्टेट बैंक अन्य बैंकों के कारोबार, आदेय व दायित्व कम कर सकता है।

स्टेट बैंक इम्पीरियल बैंक की भाँति उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय की सेवा करेगा और बैंकिंग विकास को तीव्र बनाएगा। गोदाम और विद्रोह-विकास हो जाने पर यह आशा की जाती है कि स्टेट बैंक प्रामीण साल प्रसार का महत्वपूर्ण साधन सिद्ध होगा। अगले पांच वर्ष में वह ४०० शाखाएँ खोलेगा, इन्हें भेजने की अधिक सुविधाएँ देगा और प्रामीण बचत प्राप्त करने में योग भी देगा।

१९५६ तक स्टेट बैंक ने ३५६ शाखाएँ खोल दी थी। इसी वर्ष स्टेट बैंक आँफ इण्डिया (सब्जिडियरी बैंक्स) सहायक बैंक अधिनियम पास हुआ, जिसे १० सितम्बर १९५६ को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की। इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य से सम्बन्धित आठ बैंकों—बैंक आफ बीकानेर, बैंक आँफ इन्दौर, बैंक आँफ जयपुर, बैंक आँफ मैसूर, बैंक आँफ पटियाला, ट्रावनकोर बैंक, स्टेट बैंक आँफ हैदराबाद तथा स्टेट बैंक आँफ सौराष्ट्र—को स्टेट बैंक आँफ इण्डिया के सहायक बैंकों के रूप में समर्थित किया गया। इसी वर्ष स्टेट बैंक आँफ इण्डिया (सशोधन) अधिनियम भी पास किया गया, जिसे राष्ट्रपति ने २८ अगस्त १९५६ को स्वीकृति प्रदान की। सशोधन अधिनियम की घाराएँ स्पष्टीकरण तथा स्टेट बैंक एक्ट की घारा ३५ के अन्तर्गत स्टेट बैंक आँफ इण्डिया द्वारा किसी बैंक के कार्य को ले लेने की पद्धति सरल बनाने के लिए हैं।

३४. रिजर्व बैंक आँफ इण्डिया एक्ट १९३४—१९३३ में प्रकाशित भारतीय सुधार-सम्बन्धी इवेतपत्र में यह दर्ता रखी गई कि केन्द्र को वित्तीय जिम्मेदारी सीपाने के पूर्व यह आवश्यक है कि भारतीय व्यवस्थापिका सभा राजनीतिक प्रभावों से रहित एक रिजर्व बैंक की स्थापना करे। जुलाई, १९३३ में रिजर्व बैंक विदेशक-सम्बन्धी लन्दन समिति ने इस प्रस्ताव का सप्तरीकरण किया। इस समिति ने अगस्त, १९३३ में अपनी रिपोर्ट दी तथा इसी की सिफारिश के आधार पर निर्मित रिजर्व बैंक आँफ इण्डिया विल को ८ सितम्बर, १९३३ वो व्यवस्थापिका सभा में प्रस्तुत किया गया और ६ मार्च, १९३४ को इसने अधिनियम का स्वीकारण कर लिया।

(१) यह निर्णय हुआ कि यह बैंक हिस्सेदारों का बैंक होगा। मूल पूँजी ५ करोड़ रुपये की होगी जो पूर्णतया प्राप्त हिस्सा तथा सौ सौ रुपये के हिस्सों में

वेटी हुई होगी। वम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास तथा रगून में हिस्सेदारों के अलग-अलग रजिस्टर रखे गए। इन खातों में पहले से निर्दिष्ट किये गए हिस्सों का नामांकित मूल्य इस प्रकार था—वम्बई १४० लाख रुपया, कलकत्ता १४५ लाख, दिल्ली ११५ लाख, मद्रास ७० लाख तथा रगून ३० लाख। बाद में होने वाले हस्तान्तरण की वजह से हिस्सों के क्षेत्रीय विनाश में अत्यधिक परिवर्तन आ गए तथा बोटों के एकत्रीकरण और उनको निष्फल करने की प्रवृत्ति विशेषतः वम्बई क्षेत्र में अत्यधिक बढ़ गई। अप्रैल १९३५ से ३० जून १९४० तक हिस्सेदारों की संख्या ६२,०४७ से घटकर ५६,०५७ हो जाने से यह स्पष्ट है। अत बैंक के हिस्से को थोड़े लोगों के हाथों में एकत्रित होने से रोकने के उद्देश्य से मार्च, १९४० में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एकट में सशोधन किया गया। इस सशोधन द्वारा यह निर्धारित हुआ कि अगर किसी व्यक्ति ने मार्च, १९४० के बाद अपेल या सम्मिलित रूप से किसी ऐसे अनिरिक्त हिस्से को प्राप्त किया है, जिससे उसके नाम के कुल हिस्सों का कुल मूल्य २०,००० हरये से अधिक हो जाता है तो वह इस हिस्से के लिए हिस्सेदार निवन्धित नहीं किया जा सकता।^१

३५. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया कार्यरूप में—१ अप्रैल, १९३५ को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया वा उद्घाटन हुआ और वम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास तथा रगून में इसके कार्यालयों की स्थापना हुई। बाद में कानून द्वारा विधित लन्दन में भी एक शाखा खोलने की घटवस्था की गई।

इसने वैक्षिक कम्पनी से सम्बन्धित नये विधानों को इण्डियन कम्पनीज एक्ट में समावेश करने के सम्बन्ध में बहुमूल्य राय दी तथा भारतवर्ष में बैंक एकट बनाने का लाभकारी प्रस्ताव १९३६ में रखा। इसन देन के अन्तर्गत त्पया भेजने की सस्ती सुविधा दी है तथा व्याज की दर कम करने में सहायता दी है। देश में बैंक की सुविधा के विस्तार के लिए भी इसने अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन दिया है।

इसने बैंक अनुसूचित बैंक, जो विधिवत् सदस्य बैंक है, के ही साथ लाभकर सम्बन्ध स्थापित नहीं किया वल्कि अगणित छोटे-छोटे गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ भी द्राघ तथा साख के अधिकारी की हैसियत से विशेष युद्धक्षेत्र में अनेक बलिनायियों को बड़ी चतुरन्यापूर्वक भेलूकर द्रव्य-बाजार में स्थिरता लाने में योगदान दिया। “यह स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक व्याज-दर की उन भौसमी विभिन्नताओं को दूर करने में अत्यधिक हिस्सा लेना रहा है, जिनका भारतवर्ष के भविष्य की आर्थिक स्थिति पर दृढ़ ही प्रभाव पड़ता।”^२ इसने कृपि-साख तथा सहकारी आमदोलन के अध्ययन के सम्बन्ध में बहुत काम किया है और ग्रामीण साख-भगठन-सम्बन्धी अनेक चुटियों को दूर करने के सम्बन्ध में भी बहुमूल्य सुभाव दिय हैं।

३६. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (सार्वजनिक स्वामित्व का हस्तान्तरण) एक

१. रिजर्व बैंक का वैर्पिक विवरण (अगस्त, १९४०), पृ० ६।

२. मुराज, ‘नोर्मन देविंग इन इण्डिया’, प्रथम उम्मीद, पृ० २८५।

१६४८—बैंक को राज्य-अधिकृत सम्भा का रूप देने के सरकारी निर्णय को कार्य-रूप में परिणत करने के उद्देश्य से इस अधिनियम को पारित किया गया, जिससे इसके कार्यों का नियन्त्रण सार्वजनिक हित के लिए विधा जा सके तथा द्रव्य सम्बन्धी प्रार्थिक एवं वित्तीय नीति के बीच समन्वय स्थापित हो सके। १ जनवरी, १६४६ को यह कानून लागू हो गया तथा बैंक की पूँजी वे सारे हिस्सों को केन्द्रीय बैंक द्वारा हस्तान्तरित समझा गया।

शाखाएँ और कार्यालय—बैंक का मुख्य कार्यालय बम्बई में है। बैंक को जो कार्य सौंपे गए हैं उन्हे सम्पूर्ण देश में सन्तोषप्रद ढग से करने के लिए रिजर्व बैंक न स्थानीय कार्यालय-शाखाएँ बगलौर, चम्बई, बलकत्ता, बानपुर, मद्रास, नागपुर और नई दिल्ली में स्थापित की हैं। इनमें दोनों ही—बैंकिंग और नियंत्रण—विभाग हैं। अन्त्यन् इसका प्रतिनिवित्व इसके एजेण्ट करते हैं। इसके अलावा रिजर्व बैंक की बैंकिंग विभाग की एक शाखा लन्दन में भी है। बैंकिंग विभाग वे प्रादेशिक कार्यालय बगलौर को छोड़कर उपर्युक्त स्थानों तथा त्रिवेन्द्रम में हैं। कुण्डि-साख विभाग वे प्रादेशिक (रीजनल) कार्यालय बलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली में हैं तथा विनियमन नियन्त्रण विभाग वे कार्यालय कलकत्ता, मद्रास, नई दिल्ली और कानपुर में हैं।

प्रबन्ध—इस समय बैंक के कार्यों की देखभाल १५ सदस्यों से नियमित केन्द्रीय सचालक परिषद (सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स) के हाथ में है।

छः सचालक अधिनियम की घारा ८ (१) (स) के अन्तर्गत तथा एक सरकारी अधिकारी घारा ८ (१) (द) के अन्तर्गत नियुक्त होता है। घारा ८ (१) (स) के मनोनीत सचालकों की कार्यावधि चार साल होती है और वे बारी बारी (रीटेशन) स अवकाश ग्रहण करते हैं। घारा ८ (१) (ब) के अन्तर्गत सचालकों की कार्यावधि स्थानीय परिषद की सदस्यता पर निर्भर होती है। केन्द्रीय सचालक परिषद की बैठक वर्ष में कम-से-कम छ भाष्ट तथा तीन भाष्ट में कम-से-कम एक बार अवश्य होनी चाहिए। व्यावहारिक सुविधा के लिए परिषद ने अपने कुछ कार्य एक समिति को सौंप दिए हैं जिसकी बैठक गवर्नर के मुख्य कार्यालय में प्रति सप्ताह होती है।

केन्द्रीय सचालक परिषद का अध्यक्ष तथा बैंक का मुख्य प्रशासकीय अधिकारी गवर्नर होता है। उसके सहायक तीन उप-गवर्नर होते हैं।

रिजर्व बैंक के कार्य—रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम १६३४ की प्रस्तावना में कहा गया है कि बैंक का मुख्य कार्य देश में स्थिरता रखने की हाफिट से नोट नियंत्रण का नियमन तथा सुरक्षित बोप रखना तथा देश के हित में साल-व्यवस्था वा सचालन करना है। (१) बैंक को नोट नियंत्रण का एकमात्र अधिकार है। (२) रिजर्व बैंक बैंक व्यापारिक बैंकों तथा अन्य वित्तीय सम्भानों, जिनमें राज्यीय सहकारी बैंक भी सम्मिलित हैं, के बैंकर के रूप में कार्य वरता है। उनका नकद कोप (कैश रिजर्व) रिजर्व बैंक की सरक्षा में रहता है तथा वह इच्छानुसार उन्हें सहायता (एकमोडेशन) प्रदान करता है। (३) रिजर्व बैंक साख-व्यवस्था का नियमन करता है। इस कार्य

ले लिए वह बैंक द्वारा, खुले बाजार कार्यों (ओपन मार्केट ऑफरेशन) के सामान्य उपयोग के अतिरिक्त अधिकोपीय अधिनियम १९४८ (वैकिंग कम्पनीज एक्ट १९४६) के अन्तर्गत चयनित साख नियंत्रण (नेलेकिटव कॉडिट कास्ट्रोन) तथा प्रत्यक्ष साख नियंत्रण का प्रयोग कर सकता है। (४) रिजर्व बैंक का एक अन्य मुख्य कार्य सरकार के वैकिंग और वित्तीय कार्यों का सम्पादन करना है। (५) एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य उपयोग के विनियम मूल्य को स्थिर रखना है। राष्ट्र के आधिक विकास और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में परिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाना है। इन कार्यों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षित कोष (इंटरनेशनल रिजर्व) रिजर्व बैंक की सरकार और प्रबन्ध के अन्तर्गत रहता है।

देश में आधिक विकास की बढ़नी हुई गति के साथ बैंक के कार्यों की परिप्रे-
मे लगातार विस्तार हो रहा है। अब अनेक कार्य, जो पहले केन्द्रीय बैंकों के क्षेत्र से वाहर समझे जाते थे, रिजर्व बैंक द्वारा किये जा रहे हैं।

नोट नियंत्रण—मूल अधिनियम के अन्तर्गत नोट नियंत्रण के लिए स्वरूप और विदेशी प्रतिभूतियों का आनुपातिक सुरक्षा कोष निर्धारित किया गया था। इसके अनुसार कुनै अद्वैत का ४० प्रतिशत स्वरूप और स्वरूप मुद्रा तथा विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में होना चाहिए, किन्तु सोने का मूल्य ४० करोड़ रु० से कम न होना चाहिए। यह व्यवस्था लगभग २० वर्ष तक रही। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (मशोधन) अधिनियम १९५६ ने आनुपातिक सुरक्षा पद्धति के स्थान पर एक विदेशी सुरक्षा कोष की नियंत्रण राजि निर्धारित कर दी। १९५६ से ४०० करोड़ रु० को विदेशी प्रतिभूतियाँ तथा ११५ करोड़ रु० का स्वरूप या स्वरूप मुद्रा सुरक्षित कोष के रूप में रखा जाने लगा। द्वितीय मशोधन अधिनियम १९५७ पास किया गया। इसके अनुसार नियंत्रण विभाग के स्वरूप मुद्रा, स्वरूप तथा विदेशी प्रतिभूतियों का कुल मूल्य २०० करोड़ रु० से कम नहीं होना चाहिए। इसमें स्वरूप मुद्रा और स्वरूप का मूल्य ११५ करोड़ रु० से कम नहीं होना चाहिए।

विदेशी विनियम—वेन्द्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक का एक मुख्य कार्य उपयोग के बाह्य मूल्य को स्थिर रखना है। भारत के विदेशी लेन-देन का ७०% स्टर्लिंग में, १०% डॉलर में तथा शेष रुपयों में होता है अतएव पौण्ड स्टर्लिंग और रुपये का सम्बन्ध अब भी बना हुआ है। हाये प्रौद्योगिकी स्टर्लिंग की विनियम द्वारा अब भी १ शिं ६ पै अतिक्रम करता है। यह दर १९२७ में नियंत्रित हुई थी और तब से अब तक चली आ रही है। बैंक के विदेशी विनियम-मम्बन्धी दायित्व रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट की घारा ४० के अन्तर्गत निर्धारित है। विदेशी विनियम के नियन्त्रण द्वारा भी रिजर्व बैंक अपने उत्तरदायित्व को पूरा करता है।

अनुमूलित तथा गैर-अनुमूलित बैंक—रिजर्व बैंक की स्थापना वे बाद समिलित पूँजी बाली बैंक दो बांगों में विभाजित हो गई—(१) अनुमूलित तथा गैर-अनुमूलित। अनुमूलित बैंक वे हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट की दूसरी अनुमूलिती में समिलित हैं। इनकी तुलना यू० एस० ए० की सदस्य-बैंकों से की जा सकती है।

अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक से कुछ सुविधाएँ प्राप्त होती हैं और साथ ही कुछ दायित्व भी होते हैं। निम्न जरूरों को पूरा करने पर ही कोई बैंक अनुसूचित हो सकती है। (१) बैंक की परिदृष्टि पूँजी तथा कोप (रिजर्व) का कुल मूल्य ५ लाख ह० से कम नहीं होना चाहिए। (२) रिजर्व बैंक को इस बात का विश्वास होना चाहिए कि उसकी कार्यवाही निष्केपको (रूपया जमा करने वालों) के विरुद्ध नहीं है। (३) १९५६ के कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत एक कम्पनी होनी चाहिए या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित स्थाया या भारत के बाहर विधान के अन्तर्गत (जो लागू हो) कारपोरेशन या कम्पनी होनी चाहिए। मार्च, १९५६ म ४०० बैंकिंग कम्पनियों में से ६२ अनुसूचित बैंक थीं। रिजर्व बैंक थ्रॉफ इण्डिया अधिनियम की धारा ४२ (१) के अन्तर्गत अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक के पास माँग दायित्व (डिमांड लाइबिलिटी) तथा सावधि दायित्व (टाइम लाइबिलिटी) का नमदा कम-से कम ५% और २% नबद कोप रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। ११ मार्च १९६० को एक अधिसूचना द्वारा सभी अनुसूचित बैंकों के लिए यह आदरशक हो गया कि वे माँग-दायित्व तथा सावधि दायित्व की वृद्धि का २५% अतिरिक्त निष्केप के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखें, किन्तु किसी भी समय यह माँग-दायित्व के २०% तथा सावधि-दायित्व के ८% से अधिक न होना चाहिए क्योंकि ये (अधिनियम द्वारा निश्चित) अधिकतम दरे हैं। ६ मई १९६० को पूर्व अधिसूचना को रद्द कर एक नई अधिसूचना निकाली गई, जिसके अनुसार, (१) ११ मार्च १९६० की तुलना में ६ मई, १९६० को कुल दायित्व (सावधि तथा माँग) की वृद्धि का २५ प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास रखा जाए तथा (२) ६ मई १९६० के बाद कुल दायित्वों में जो वृद्धि हो उसका ५० प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास रखा जाए। रिजर्व बैंक ने इन अतिरिक्त निष्केपों के लिए ब्याज देना स्वीकार किया। यह निश्चय किया गया कि ब्याज हर छमाही दिया जाए तथा ब्याज की दर उस छमाही के लिए अनुसूचित बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर से $\frac{1}{2}$ प्रतिशत ज्यादा हो, किन्तु ४० प्रतिशत से अधिक न हो।

कृषि साझा विभाग—रिजर्व बैंक थ्रॉफ इण्डिया अधिनियम की धारा ५४ के अन्तर्गत अप्रैल १९३५ में कृषि साझा विभाग की स्थापना की गई। प्रारम्भ म उसके परिनियत कार्यों में कृषि-साझा से सम्बन्धित प्रश्नों के अध्ययन हेतु विशेषज्ञों को रखना तथा कृषि साझा प्रदान करने वाली संस्थाओं—जैसे राज्यीय सहकारी बैंक और रिजर्व बैंक—के कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करना था। प्रामीण अर्थ-प्रबन्धन के विस्तार के साथ-साथ कृषि साझा विभाग के कार्यों का भी विस्तार हो गया है। १९५६ में कृषि-उत्पत्ति (विकास और भण्डार) नियम अधिनियम के पास होने के बाद यह विभाग कृषि उत्पत्ति के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए भण्डार गृहों के देश यापी संगठन की स्थापना के लिए केन्द्रीय और राज्यीय सरकारों से सहयोग करता है। इस समय इसका कार्य चार भागों में विभाजित है—(१) वित्त और नियीकण, (२) नियोजन और पुनर्संगठन, (३) सहकारी प्रशिक्षण और प्रकाशन तथा (४) हथ

करघा वित्त। प्रत्येक एक उष्म-मुहूर्प-प्रधिकारी (डिप्टी चीफ अफमर) के अन्तर्गत है। कृपि मास विभाग के प्रादेशिक कार्यालय भी बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली में स्थापित किये गए हैं।

१९१६ के बाद भारतीय वैकिंग—द्वितीय महायुद्ध के विस्फोट तथा दिसम्बर, १९४१ में जारी युद्ध के प्रारम्भ होने के तुरन्त बाद ही भय के कारण जनता वैकिंग से अपना स्पया बापत बरने लगी, पर थोड़े ही दिनों बाद जनता न इस ब्रास की निरर्थकता को महसूस कर लिया और अपने को युद्ध की परिस्थिति के अनुकूल बनाने में समर्थ हो गई। १९३६ में अनुमूलित वैकिंग का निष्पेष-द्वायित्व २४६ ४५ करोड़ रुपये का था, पर जुलाई १९४४ के अन्त तक यह बढ़कर ७५६ २६ करोड़ रुपय हा गया। इसके दो मुहूर्प कारण हैं—वैकिंग तथा राजस्व का घनिष्ठ सम्बन्ध तथा लडाई के कारण मुद्रा-प्रसार, जो साख को और भी अधिक बढ़ाने में सहायक होता है।

अवधि-निषेप (टाइम डिपाजिट) की अपेक्षा मौग-निषेप में अधिक वृद्धि हुई, जिसका कारण या जनसाधारण द्वारा तरलता को अविमान दिया जाना। वे अपना रुपया पूँजी-रूप में न लाकर लाभदायक विनियोग के अवसर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे।

मौग-द्वायित्व के अपेक्षाहृत बड़ जान के कारण वैक अपनी स्थिति को अविकाधिक तरल रख रहे थे। पश्चीम तथा हुण्डियाँ (जो वैक के आदेव के लाभकारी मद हैं) तो बढ़ रही थीं, पर कुल निषेप म उनका प्रतिशत १९३६ म ५३ था जो १९४४ में केवल ३० रह गया। इसके दो मुहूर्प कारण थे—युद्ध के समय म व्यावसायिक विनियोग का अवसर कम हो गया तथा वैकों न अपनी रकम को युद्ध छोड़ण (वार-नोन्म) में लगा दिया। उपर्युक्त अधिक तरलता की इच्छा न हो सरकारी प्रति-भूतियों म रुपया लगाने की प्रेरणा दी। हिस्सा-पूँजी तथा रक्षित काप की रकम भी बढ़ी पर वह निषेप जितनी न बढ़ सकी। १९४५ के मध्य से, जबकि युद्ध का अन्त समीप ही था, मात्र तथा अवधि-द्वायित्व का असम अनुपात स्वय ही ठीक होने लगा। १९४६ ४७ में लिखे वर्द्य के समान मौग-निषेप की अपेक्षा अवधि-निषेप अधिक तेजी से क्वल बढ़े ही नहीं वल्कि जिस समय मौग-निषेप म कम होन की प्रवृत्ति थी उस समय भी अवधि-निषेप बढ़े। इससे स्पष्ट था कि जनता के तरलनाम-अधिमान (लिविंडिटी प्रेफरेन्स) मे हास होने लगा तथा निषेप का टाँचा युद्ध-पूर्व की स्थिति के समान बदल रहा था।

१९४६ के युद्ध की तरह १९३६-४५ के द्वितीय विश्व-युद्ध म द्रव्य-सम्बन्ध स्थिति तग तथा वैक-दर ऊची नहीं हुई। व्याज की दर पर बढ़ार नियन्त्रण युद्ध के खर्च को पूरा करने की नई दीली रही है तथा इसकी सफलता इसी से सिद्ध हा जाती है कि अत्यधिक बढ़े सार्वजनिक व्यय तथा सरकार द्वारा अत्यधिक उधार लेन को अपेक्षा होते हुए भी ब्रिटन तथा भारत क द्रव्य-सम्बन्धी अधिकारी व्याज की दर को कम बनाये रहे हैं।

प्रथम युद्ध के सहस्र विभान युद्ध ने भारतीय वैकों के नवद बोय की स्थिति

को अधिक सक्षम ही बनाया है। निकासी यह के माध्यम से होने वाले मुग्हलान का सन् १६३०-३६ में २००३ अरब रुपये से बढ़कर १६४४-४५ में ५६१७ अरब रुपया हो जाना भी प्रगति का ही त्रैकृत है। १६४५-४६ तथा १६४६-४७ के द्वाक्षरण ६५४२ अरब रुपये तथा ७१६८ अरब रुपये हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि भारतीय वैरिंग पद्धति ने अत्यधिक जीवन-सत्त्वि दिखाई है तथा पुढ़ ने सच्चारणतया इसे और भी सकात् दिखाया है।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् भारतीय वैको को प्रगति में दो उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। देश-विभाजन के बाद वैको तथा उनकी शाखाओं की सह्या तथा उनके निक्षेपों से हास ही रहा था, परन्तु १६५३ के पश्चात् दोनों ही में पुन वृद्धि की प्रवृत्ति स्पष्ट है। १६५४ में यद्यपि वैको की सह्या में २३ की कमी हुई, परन्तु शाखाओं को लेकर कुल वैको की सह्या में २२ की वृद्धि हुई। वृद्धि अधिकतर अनुसूचित वैको में हुई थी। गैर-अनुसूचित वैको में तो हास ही हुआ है। १६५४ में वैको में कुल निक्षेप १०६३ करोड़ रुपये था, जो दो साल पहले की अपेक्षा लगभग १०० करोड़ रुपये अधिक है। इस वर्ष प्रति साढ़े दस हजार व्यक्तियों के पीछे एक वैक है। यह भी उल्लेखनीय है कि ५५% अनुसूचित वैक तथा ३३% गैर-अनुसूचित वैक ५०,००० से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में स्थित हैं। मिथित पूँजी बाने वैको की विदेशों में १०७ शाखाएँ हैं।

१६५५ म स्टेट वैक आंफ इण्डिया की स्थापना भारतीय वैरिंग की एक महत्वपूर्ण घटना है। स्टेट वैक का परिनियत कार्य शाखाओं के विकास द्वारा वैरिंग व्यवस्था का विस्तार करना है। कुछ राज्यों की वैकों को स्टेट वैक की सहायक बनाने तथा करेन्सी रिजर्व को घटाकर २०० करोड़ रु० निश्चित करने के अधिनियम की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। १६५४ के सदोंधन अधिनियम के मन्तर्गत रिजर्व वैक ने राष्ट्रीय कृषि साक्ष (दोषकालीन) कोष की स्थापना की। इस कोष के लिए कम-से कम ५ करोड़ रु० प्रतिवर्ष का ग्रन्तुदान पांच वर्ष तक देने की व्यवस्था है। शेष की स्थापना १० करोड़ रु० से हुई। इसका उद्देश्य राज्य सरकारी को ऋण देना है ताकि वे सहकारी समितियों की हिस्सा पूँजी खरीद सकें। १६५७ में अनुसूचित वैकों की सह्या ६१ थी तथा इनके कार्यालयों की सह्या ३२७३ थी। १६५६ में अनुसूचित वैकों की सह्या ८६ थी और कार्यालयों की सह्या २६६४ थी।

तृतीय पचवर्षीय योजना प्रारम्भ हो रही है। वित्तीय व्यवस्था का आधार होने के कारण वैकों को इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करना है। अतः उन्हें भावी आवश्यकताओं के लिए अपने-आपको सक्षम बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। नियोजन के फलस्वरूप वैकों को ध्यापार की नई दिशाओं में प्रवेश करना ही होगा। इस दृष्टि से निश्चित समय के लिए रुपया उधार देने का काम अवश्य ही एक नई दिशा है। अतः उन्हें इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। १६५८ में रिफाइनेंस कारपोरेशन की स्थापना के बाद इस दिशा में कार्य करने की सुविधा और बढ़ गई है, क्योंकि रिफाइनेंस कारपोरेशन प्रतिशोधन (रिम्बसंमेण्ट) की सुविधा प्रदान करता है।

ताकि वे मध्यवालीन अग्रिम सरलता से दे सकें। १९६० के 'ट्रेन्ड्स एण्ड प्रोग्रेस ऑफ वैकिंग इन इण्डिया' (प्रकाशित जून १९६१) में कहा गया है कि तृतीय योजना के अन्त तक वैकिंग व्यवस्था द्वारा सम्पादित कार्य लगभग दूना हो जाएगा। तृतीय योजना की चुनौती स्वीकार करने के लिए वैकों को निषेप प्राप्त करने के प्रयत्न बढ़ाने चाहिए। उपर्युक्त प्रकाशन में इस हेतु तीन सुझाव दिये गए हैं—(१) अधिक शावाएं खोली जाएं। (२) निषेपकों में विश्वास उत्तर्ण किया जाए। (३) व्यापार नई दिशाओं में भोजा जाए।

इन श्रीद्वयिक वित्त—श्रीद्वयिक वित्त की सुझाविन पद्धति का अभाव भारत के आधिक हाँची की सदमे बड़ी कमी है। जर्मनी के वैकों ने अपने देश के उद्योगों की आधिक आवश्यकता की पूति में अखण्डिक योग दिया है। वे उद्योगों की प्रारम्भिक पूँजी के अधिकांश भाग का बन्दोबस्त करते हैं, जिसे बालान्तर में विनियोग करने वालों से प्राप्त कर लेते हैं। जोखिम को आपस में बांटने के उद्देश्य से अनेक वैक अपने सध (कोन्सोलियम) बना लेने तथा निर्गमित हिस्सों के कुछ अश को लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। पर श्रीद्वयिक कम्पनियों के हिस्सों में वैकों का यह विनियोग श्रीद्वयिक वैकों द्वारा किए विनियोग वे सहज दीर्घकालीन विनियोग नहो है, वल्कि इसे वैक के साधनों की प्रयत्न श्रेणी की प्रतिभूतियों के विनियोगों की भाँति सुरक्षित विनियोग समझा जाता है, जिसे वैक अल्पकाल के लिए करते हैं। इन कार्यों से वैकों को साभ ही होता है, क्योंकि इस प्रकार उन्ह व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित करने तथा अपना प्रभाव बढ़ान वा अवसर मिलता है। नई पूँजी की प्राप्ति बरने के लिए जर्मन श्रीद्वयिक कम्पनियां सामान्यतः उन्ही वैकों से पूँजी की भाँग करती हैं जिनके साथ उनका स्थायी बैंक-अबहार है। पर यह बात स्मरणीय है कि वैक अपने साधनों का एक सीमित अश ही श्रीद्वयिक वित्त में लगाते हैं तथा उनका प्रबान कार्य वैक का साधारण कारोबार करना ही होता है।^१ वेन्ट्रोय अधिकोप खोज-समिति ने जर्मन पद्धति को यथोचिन सशोधनों के पश्चात् अरना लेने का स्वागत किया तथा यह सुझाव रखा कि इस दिशा में हाति प्राप्त व्यापारिक वैक कार्य का शोणणेश करें। इस कार्य में अत्यधिक अनुभव तथा विवेक के अतिरिक्त अधिक निजी पूँजी होनी चाहिए एव प्रतिभूतियों के निर्गमन तथा वित्त भे सट्टेवाजी के प्रत्योभन का सवरण करना आवश्यक है। ये गुण आज के योडे से ही वैकों के पास हैं। ग्राहर देश के प्रमुख वैकों को उद्योगों के प्रति सच्चा तथा सहानुभूतिपूर्ण अनुराग हो तो इन कठिनाइयों के होते हुए उद्योगों दो बाकी वित्तीय सहायता दी जा सकती है। जर्मन नमूने का अनुकरण कुछ हद तक हम पारस्परिक विश्वास की सृष्टि करने के लिए कर सकते हैं, वशने स्वस्य वैकिंग से असंगत उल्लंघनों से बचे रहे। वैकों के प्रबन्ध-

^१. 'इण्डियन अर्नलाइनेशन इन इण्डिया' के पृष्ठ २४१-४२ पर छौं पी० एस० लोकनाथन यूरोपीय खेतो निश्चिन वैकिंग के अनुकूल भारतीय व्यावसायिक वैकिंग के निष्पत्ति की कठिनाइयों का अस्त बरते हैं।

सचालको तथा प्रबन्धको की सम्बन्धित उद्योगों के सचालकों के रूप में नियुक्ति करके वैकों तथा उनसे सहायता पाने वाले उद्योगों के बीच उपयोगी सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं।

उपर्युक्त व्यावसायिक वैकों के सहयोग द्वारा नि सन्देह ही बहुमूल्य परिणाम की आशा की जा सकती है, पर केवल इसी विधि द्वारा पर्याप्त औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति सम्भव नहीं है। अपने-अपने द्वेष्ट्र में उद्योगों का विकास करना प्रादेशिक सरकारों का कार्य है। इन कार्यों को सम्बोधित छग से करने के लिए प्रादेशिक सरकार द्वारा प्रारम्भिक अवस्था में या स्थापित रूप से दी गई पूँजी के साथ प्रान्तीय औद्योगिक नियमों और उनकी शाखाओं की स्थापना उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इन नियमों द्वारा विशेषत उन उद्योगों को सहायता मिलनी चाहिए जो जनता के लिए लाभदायक हों, उस प्रदेश की उत्पादन-शक्ति बढ़ाएं तथा जिनसे लोगों को रोजगार मिलें।^१ अखिल भारतीय औद्योगिक नियम की आवश्यकता भी स्थाप्त है। राष्ट्रीय महत्व के कुछ ऐसे उच्चोग हैं जिन्हें विकसित करने की जिम्मेदारी प्रान्तीय सरकारों की नहीं बरन केन्द्रीय सरकार वी समझी जानी चाहिए।

३६ औद्योगिक वित्त नियम अधिनियम, १९४८—गार्डेनेट ने १३ फरवरी, १९४८ को औद्योगिक वित्त नियम अधिनियम को पारित किया। इस कानून के प्रत्युत्तर १ जुलाई १९४८ को औद्योगिक वित्त नियम की स्थापना भारतवर्ष तथा विलयिन देशी राजयों में ऐसी विधित पूँजी वाली रजिस्टर्ड कम्पनियों तथा सहकारी समितियों को मध्यम तथा दीर्घकालीन बहुण देने के लिए हुई जो वस्तुओं का उत्पादन करने, खान खोदने तथा विद्युत या किसी अन्य प्रकार की शक्ति को पैदा करने या बौठने के कार्य से सम्बद्ध हो। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक घन्घो को आज वी सेपेक्षा अधिक आसानी से मध्यम तथा दीर्घकालीन साल को उपलब्ध बनाना है। कॉर्पोरेशन की हिस्पा पूँजी १० करोड़ रुपये की है, परन्तु अभी ५ करोड़ रुपया प्राप्त हिस्सा-पूँजी के रूप में है। इन १० करोड़ रुपयों में से १ करोड़ केन्द्रीय सरकार, १ करोड़ रिजर्व बैंक, ३१ करोड़ अनुसूचित बैंक, बीमा कम्पनियों, विनियोग ट्रस्टों आदि तथा २ करोड़ सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान किया गया। जरूरत के समय शेष पूँजी को सरकार वी अनुमति के अनुसार निर्गमित किया जाएगा। केन्द्रीय सरकार ने पूँजी के लौटाने तथा आय-कर से मुक्त रूप से कम २५% लाभाद्य देने वी गारंटी दी है; इस नियम पर सरकार तथा रिजर्व बैंक, इम्परियल बैंक, अनुसूचित बैंक, बीमा कम्पनियों आदि का स्वामित्व रहेगा। इसके हिस्पे का ४० प्रतिशत सरकार तथा रिजर्व बैंक के हाथ

^१ डा० लोकनाथन दे प्रान्तीय वैकों को सद काटि के उद्योगों को आर्थिक सहायता देने की सलनता से उत्पन्न होने वाले सतरों को रेष्ट करते हुए यह सुझाव दिया है कि वे केवल सार्वनानिक मेवा-उद्योगों को ही आर्थिक सहायता दें। देखिय, बड़ी, पृष्ठ २६८।

^२ यह अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और सरकारी अधिनियम से बंधा है।

में तथा १० प्रतिशत सहकारी बैंकों के हाथ में रहेगा। इसमें सरकारें, रिजर्व बैंक (१ जनवरी, १९४६ को इसका राष्ट्रीयकरण हो गया) तथा इम्पीरियल बैंक के हिस्से का योग कुनै हिस्सों का ५२ प्रतिशत होगा जिससे इस पर सरकारी नियन्त्रण का होना निश्चित-भा हो जाना है।

निगम का प्रबन्ध १२ सदस्यों की एक समिति की सौप दिया गया है, जिसमें मैनजिंग डाइरेक्टर भी सम्मिलित है। यह १० करोड़ रुपये तक के निक्षेप स्वीकार कर सकता है, किन्तु उसको प्रबंधि पाँच वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ऋण के बन सीमित दायित्व वाली कम्पनियों और सहकारी समिनियों को प्रदान किया जाना है, पर शर्त यह रहनी है कि वे स्वयं अपने प्रयत्न द्वारा भी वाहित धन के एक उचित अनुपात की पूर्ति करें। ऋण देने के ढंग यह है—(१) ऋण देवर या २५ वर्ष के अन्तर्गत चुक्ता होने वाले औद्योगिक मस्तायों के ऐसे ऋण पत्रों को खरीदवर, जो सुरक्षित हैं या जिनके साथ जायदाद आदि वस्तुएँ भी गिरवी समझी जाती हैं, (२) कम्पनी के हिस्से, स्टाक नया विक्री हेतु ऋण-पत्रों की स्वयं गारण्टी करने और (३) बाजार में बचे जाने वाले २५-वर्षीय ऋण की वापसी की गारण्टी देवर।

ऋण के प्रार्थना पत्रों पर विचार करते समय इन बातों पर ध्यान रखा जाता है—(क) आवदक कम्पनी की आर्थिक स्थिति, जो लन देने के लिये का अध्ययन करन और खातों की जांच करने के उपरान्त प्रकट होती है, (ख) योजना की यानिक हड्डियाँ व व्यवस्था की कार्यकुशलता, और (ग) देश के आर्थिक टांचे में उस उद्योग का महत्व। निगम को अधिकार है कि वह पूँजीगत वस्तुओं को प्राप्त करने की सुविधा के लिए कम्पनियों को आवश्यकतानुसार भारतीय या विदेशी मुद्रा में ऋण दे।

निगम आप कर के दायित्व से मुक्त नहीं है। मार्च, १९६० तक वारपोरेशन ने ७२ १८ करोड़ ८० का ऋण मजूर किया था। ४७ ४८ करोड़ ८० का ऋण वित्त-रित किया जा चुका है। मजूर किये गए ऋणों में दोनों वित्त ऋण स्वतन्त्रता के पश्चात् स्थापित नए कारखानों का दिये गए। १९५७ के औद्योगिक वित्त निगम (सशोधन) अधिनियम द्वारा निगम की साधन-सम्बन्धी स्थित और दृढ़ हो गई है तथा उसके कार्यों की परिधि भी विस्तृत हो गई है।

भारतीय राज्यों में प्रादेशिक वित्त निगमों के बन जाने के कारण यह निण्यंय हुआ है कि (१) १० लाख रुपये और (२) बफने श्रदेश के वित्त निगम की श्रान्त पूँजी के दस प्रतिशत तक के ऋण के आवदकों को औद्योगिक वित्त निगम ऋण न दे।

दिसम्बर, १९५६ तक भारत में १४ राज्यीय वित्त निगम बनाए जा चुके थे। १९५१ के अधिनियम के अनुसार ये निगम बाड़ तथा ऋणपत्र निर्गमित कर सकते हैं, कम्पनियों को गारण्टी दे सकते हैं तथा उनके ऋण-पत्रों आदि की विद्रो की सुविधा यी दे सकते हैं, परन्तु ये सभी कार्य कुस नियम रूप में निगम की प्राप्त पूँजी तथा सुरक्षित कोष के पाँच शुने से अधिक न हो। १९५६-६० के अन्त तक निगमों के करण और प्रथम की मात्रा १४ १७ करोड़ ८० थी।

इसके अतिरिक्त तीन अन्य निगम अखिल भारतीय स्तर पर स्थापित किए गए हैं—

(१) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (१९५४) की स्वीकृत पूँजी १ करोड़ ८० तथा प्राप्त पूँजी १० लाख रु० है। निगम नियोजित विकास-हेतु उद्योगों को वित्तीय सहायता देगा। वह स्वयं भी उद्योग स्थापित कर सकता है तथा औद्योगिक योजना की जांच भी। इस सम्बन्ध में वह वैयक्तिक औद्योगिक सेत्र में उपलब्ध औद्योगिक विशेषज्ञों के ज्ञान का पूर्ण लाभ उठाएगा।

(२) औद्योगिक साख तथा विनियोग-निगम (१९५५) की स्वीकृत पूँजी २५ करोड़ ८० थी तथा निर्गमित पूँजी ५ करोड़ ८० है, जिसमें से दो करोड़ ८० के हिस्से भारतीय बैंक तथा बीमा-अधिनियों ने, १ करोड़ अप्रेजी कम्पनियों ने, ०·५ करोड़ अग्ररीकी कम्पनियों ने तथा शेष भारतीय जनता ने लिए हैं। निगम इस बात का प्रयत्न वरेगा कि इसके सदस्य विस्तृत सेत्र के हों। भारत सरकार एन्ड्रह बर्प बाद से अगले एन्ड्रह बर्पों में चुकाने की शर्त पर ७·५ करोड़ रुपये का छहण दे रही है। भारत सरकार की मारणी पर पुनर्निर्माण तथा विकासार्थ अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने भी १ करोड़ ढालर का छहण निगम को ४·५% वार्षिक सूद की दर पर १५ बर्प वी अवधि के लिए देना स्वीकार किया है।

(३) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (१९५५) की १० लाख रुपये की स्वीकृत पूँजी १०० रुपये वाले १०,००० हिस्सों में बैटी है, जो पूर्ण भारत सरकार ने प्रदान की है। भारत सरकार चालू पूँजी हेतु भी पर्याप्त निवि देगी। निगम पैच लाख से कम पूँजी वाले शक्ति-चालित परन्तु ५० से बम धमिक वाले तथा बिना शक्ति-चालित और १०० तक धमिक वाले उद्योगों को सहायता, वित्त, सरक्षण तथा विकास-योग देगा। फरवरी, १९६६ में इसका उत्तरदायित्व और सम्पत्ति १३२ ६१ करोड़ रुपये थी।

रिफाइनेंस कारपोरेशन — २५ जून, १९५८ को इसकी रजिस्ट्री हुई। इसका मुख्य उद्देश्य मध्यम आकार (जिनकी परिदृष्टि पूँजी और कोप २·५ करोड़ ८० से अधिक न हो) की औद्योगिक इकाइयों की सहायता हेतु बैंकिंग व्यवस्था को साधन उपलब्ध कराना है। १९५९ में तीन सदस्य बैंकों से २·२३ करोड़ ८० के लिए प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। स्थापना से लेकर अब तक ४·२१ करोड़ ८० के लिए प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। दिसम्बर, १९५६ तक ४·०३ करोड़ ८० का अर्थ-प्रबन्ध (रिफाइनेंस) मजूर किया गया। जिन उद्योगों ने सदस्य बैंकों के माध्यम से सहायता मार्गी थी उनमें सूती वस्त्र उद्योग, सीमेट आदि थे।

इसकी अधिकृत पूँजी २५ करोड़ ८० है। दिसम्बर, १९६४ के अन्त तक इसने ५ कृषि प्रगति प्रोजेक्टों पर २१ ८३ करोड़ रुपया व्यय किया। ४०, सचय करने की प्रवृत्ति—यह कथन सर्वविदित है कि भारतवर्ष बहुमूल्य धातुओं का अतल कूप है। भारतवासियों की सोने-चांदी के प्रति तथाकथित अमिट तृष्णा के सम्बन्ध में अत्यन्त चित्रमयता से यह कहा गया है कि 'एक कृष्णवर्ण जाति

बहुमूल्य धातुओं का भूमि से उद्धार करती है और दूसरी उन्हें पुन भूमि के भीतर दफना देती है।' यह भी कहा जाता है कि जो स्वर्ण भारत में सामान्य उपयोग के लिए पहुँच जाना है, वह शेष ससार के लिए सदैव के लिए लुप्त हो जाता है। दीर्घ-काल तक यूरोपियासी भारत में बहुमूल्य धातुओं की निरन्तर खपत पर है, यात्रवर्य और यतोप के साथ विचार करते थे। यदि भारत में सोने-चांदी की इतनी अधिक खपत न हुई होती, तो इधर विद्युते वर्षों में नई खालों के अन्वेषण और धातु निकालने की प्रणाली में सुधार हो जाने के फलस्वरूप सोने-चांदी के उत्पादन में विपुलता आ जाने व मूल्यों में भारी वृद्धि हो जाने के कारण यूरोपीय देशों के आर्थिक जीवन में एक भीषण असन्तुलन आ जाता। किन्तु जन् १९२४-२५ में इमलैण्ड व यूरोप के अन्य देश अपनी मुद्राएँ स्थिर करने के लिए सचिवंत थे, भारत यूरोप की आवश्यकताओं को तनिज भी ध्यान में न रखते हुए कम-से-कम ५० लाख पौड़ के मूल्य का स्वर्ण पूँजी कर चुका था। तब यूरोपीय देशों ने अनुभव किया कि भारत सचय करने के अपने ढरों को पूरी सरणी से जारी रखकर उनके मुद्रा स्थिर करने के प्रयास में भारी बाधा पहुँचा रहा है।'

भारत में इम सचित धन के सम्बन्ध में अनेक अनुमान लगाये गए हैं। कदाचित् सबसे पहला अनुमान श्री मेवलायड (एच० डी०) का था। यह पहले अर्थसात्त्री थे जिनके महिन्द्रिक में इस सचित धन के सम्बन्ध में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उनका विश्वास था कि यह ३०० लाख पौड़ से कम नहीं होना चाहिए। लाड कर्जत का अनुमान था कि यह ८२५ करोड़ ८० के निकट होगा, जबकि आर्नल्डाइट ने दिसंबर १९१६ के किनानियल रिप्पू ऑफ ग्रिड्यूज में लिखते हुए उसे ७००० लाख पौड़ ठहराया था।

भारत के सोने व चांदी के उपभोग की शिकायत करते हुए यूरोपीय लेखकों ने सारा दोप भारतवासियों के ही गले नड़ दिया है और स्वर्ण के उपभोग^१ के सम्बन्ध में भारत को देप्पूर्ण दायित्व का दोधी करार करने के प्रयास के फलस्वरूप उत्तेजना-पूर्ण प्रत्युत्तर तक नीमत आ पहुँची और दोपारोपित करने वालों के सिर भी दोप मढ़े गए। यह इंगित किया गया कि स्वर्ण-सचय करने का दुर्बंधन केवल भारतीयों के साथ ही नहीं है। समुक्तराज्य अमरीका में ही १९१६ से लेकर १९२३^२ के बीच तग-भग ५० करोड़ पौड़ का सोना स्वयं गया और न्यूयार्क में द्रव्य के नाम पर स्वर्ण का

१. जब इम सितम्बर, १९३१ (जब १ रुपया १ शिं० ६ पै० के बारावर था) से जनवरी, १९४० के बीच के १५१ करोड़ ८० के सोने का भारत से निर्यात का ध्यान करते हैं, तो उपर्युक्त दलील में कोई जान नहीं रिखाइ दृष्टी। पीछे अध्याय ६, सेक्शन २२ देखिय। निस समय भारत से इतनी बड़ा मात्रा में सोने का निर्यात हो रहा था, ठाक डमी समय समुक्तराज्य अमरीका का तथा अनेक यूरोपीय देशों में (विशेष फ्रांस में) इसका अत्यधिक सचय किया जा रहा था।

२. सर टेनली रीड द्वारा देविटन रिप्पू सनिति को दिया गया बनावृत्त।

३. बादिया और जोरी, 'दि वेत्य ऑफ इपिड्या', पृ० ३८८-८९।

उे भाग से भी अधिक स्वर्ण सचय करने के उपरान्त सचय करने की वृत्ति को केवल भारतीय एकाधिकार नहीं कहा जा सकता। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन केन्द्रों में स्वर्ण का अधिकाश भाग केन्द्रीय बैंक के सुरक्षा-नोप में एक है। परन्तु यदि भारत में स्वर्ण का ऐसा उपयोग नहीं किया गया तो क्या इसना बारण यहाँ को हूँपित मुद्रा-प्रणाली (स्वर्ण-विनिमय-मान), जो यहाँ पर्याप्त समय तक चलने में रही, अधिक रूप से नहीं है? जो लोग भारत के सचय पर खेद प्रकट करते हैं, सामान्यत वे यह भूल जाते हैं कि यहाँ की स्थिति में आने वाले स्वर्ण के एक अश का उपयोग औद्योगिक और घरेतु आवश्यकताओं के लिए भी होता रहा है।

जब इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर एक बार यह स्वीकार कर लिया गया कि सोने-चांदी के लिए भारत की मांग असामान्य नहीं है, तो दूसरे देशों की मुद्रा की स्थिरता में उत्पन्न होने वाली आधारों के विशिष्ट दायित्व से भारत को बरी कर दिया गया।

जो कुछ भी ऊपर कहा गया है उसका उद्देश्य यही प्रदर्शित करना था कि भारत में सचय की मात्रा के सम्बन्ध में अत्युक्तिपूर्ण उत्तेज हुए हैं। हाँ, सचय के अस्तित्व से विलकूल इनकार करना तो सत्य की उपेक्षा करना होगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि मुद्रा के अतिरिक्त अन्य उपयोगों में स्वर्ण की भारी खपत होती है और सचय द्वारा जड़ (अचल) बनी बहुमूल्य धातु की बर्तमान राशि पर्याप्त विपुल होगी।

यह कहना कठिन होगा कि यह प्रवृत्ति धन और सम्पन्नता की परिचायक है। अधिकाशत यह सचित धन लाखों पृथक्-पृथक् ध्यक्तियों के पास छोटी-छोटी राशियों में विवरा पड़ा है और उत्पादक-कारों में इसका उपयोग नहीं हो रहा है। यह उचित ही है कि इन्हें सम्पन्नता का मकेनक न स्वीकार करके निर्धनता का कारण माना जाता है।^१

सोने तथा चांदी के आभूपणों को भी साधारणतया सचित राशि का एक हिस्सा माना जाता है, पर इसकी स्वीकृति विवादास्पद विषय है। यह समझना कठिन है कि अगर हम दौत में लगाए सोने को सचित धन नहीं मानते तो शृगार के लिए उपयोग किये गए सोने को ऐसा क्यों मानें? सच्ची बात यह है कि भारतवासी सोने तथा चांदी के गहने दो उद्देश्यों से बनवाते हैं— निजी शृगार के लिए तथा आपत्ति-काल में सहायता के लिए।^२ फिर भी इन दोनों प्रयोजनों में भेद करना

१. भारत में सोने का आयात कानून द्वारा बन्द है। तब भी चोरी-चोरी विदेशों से काफी सोना बदर-गाड़ों पर आता तथा बिकता है। भारत सरकार ने इस चोरी से किये आयात को रोकने के कड़े उपाय किये हैं। इसके तथा अजूबी फलों के कारण किसान की बहुमूल्य धातुओं की बड़ी मात्रा के कारण रवर्ण के मूल्य बढ़े हैं।

२. देविगढ़न स्मिथ समिति ने भी इस व्यावहारिक सत्य को स्वीकार किया है कि जिस दिसी भी हिन्दू या मुस्लिम महिला ने पास सोने एवं चांदी के आभूपण तथा आभूषण के ही रूप में परिवर्तित सिन्धू के होते हैं, उसे यह अधिकार है कि वह उन्हें अपनी निजी जायदाद समझे।

आवश्यक ही है तथा इन बहुमूल्य पदार्थों को हम सचित घन तभी कह सकते हैं जबकि प्रयोजन मूल्य के सचिन करने से सम्बद्ध हो ।

वैकिंग सुविद्याओं का विस्तार जिस प्रकार नशाखोरी की फिजूलखर्चों को कम करने का साधन नहीं है, उसी प्रशार यह आभूषण पर की गई फिजूलखर्चों का भी साधन नहीं हो सकता (जब तक हम गहने को बैक का स्थानापन्न न मानें) । वास्तव में भारतीय दृष्टक अपने हाथे प्राय मच्छरदानी तथा भोजन-जैसी आवश्यक वस्तुओं पर खर्च करने के बायां अपने तथा अपनी पत्नी के आभूषण के लिए खर्च करता है । कभी-कभी तो रीति-रस्मों के कारण सौने तथा चाँदी का व्यवहार करना पड़ता है, धार्मिक तथा परम्परागत उत्सवों में भी इनका प्रमुख स्थान होता है । यह दुख की बात तो अवश्य ही है, पर इन दूर करने के लिए हमें मूल्य के समुचित ज्ञान तथा दिशा एवं सामान्य चेतना के प्रसार हारा सामाजिक तथा धार्मिक रस्मों को मृदुल बनाना पड़ेगा । इसके साथ-ही-साथ यह भी नहीं भूलना होगा कि इस पहसू का सम्बन्ध वास्तविक सञ्चय से न होकर उपभोग तथा व्यवहार की अच्छी या बुरी रीति से है ।

वैकिंग के जिस विस्तार को सञ्चय बन्द करने के उपाय के रूप में बताया जाता है सञ्चय व कारण वह खुद ही कठिन हो जाता है, योकि जब तक जनता वैकों में रुपया जमा नहीं करती तब तक वे अपना वार्य-सचालन ही कर्ते कर सकते हैं, पर इसके साथ यह कहना भी ठीक है कि जब तक कोई बैंक है ही नहीं तब तक उसमें कोई अपना रुपया जमा ही कर्ते कर सकते हैं? अतएव यह प्रश्न क्रिया-प्रतिक्रिया से ही सम्बन्धित है और हमारे सामने वेबल यही रास्ता वच जाता है कि हम अधिकाधिक वैकों तथा लोगों वी आवश्यकता तथा इच्छा के अनुसार विभिन्न प्रकार के वैकों की स्थापना करें तथा और वातों को जिश्मा एवं सनत प्रचार पर छोड़ दें ।

संचय की प्रवृत्ति को दूर करने के उपाय—उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि जो संचय आपत्ति-काल वे लिए जेवरात के रूप में किया जाता है, उसे दूर करने का एक उपाय आपत्तिकाल के संचय के लिए वैवलिक साधनों को उपलब्ध कराना है । इस दिशा में पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक तथा विभिन्न प्रकार के वचत सटीफिकेट उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं । इनकी चर्चा की जा चुकी है । पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक जारी करने वी सुविधा प्रदान कर काफी निषेध प्राप्त कर सकती है । ऐसा करने से सेविंग्स बैंक को धर्मिक निषेध मिलेगे, साथ ही जनता में चैक का प्रयोग बढ़ेगा और संचय की प्रवृत्ति बहुत होगी ।

१६५६-६० में ८४ करोड़ ८० अल्पवचत के रूप में प्राप्त हुआ जो १६५८-५९ की ८० करोड़ ८० की राशि स अधिक है । यह राशि स्वतं बहुत बड़ी नहीं है, किन्तु इसकी बढ़ि इम बात की मूलक तो है ही कि संचय की प्रवृत्ति के स्थान पर अल्प-वचत वी प्रवृत्ति बढ़ रही है । बड़े कारखानों और संस्थाओं में कर्मचारियों की अनुमति से अल्पवचत के लिए बेतन मिलन से पूर्व कोनी कराने वी व्यवस्था है । इस समय

दो गैर-सरकारी संस्थाएँ राष्ट्रीय वचन की वेन्ड्रीय परामर्श समिति (नेशनल सेविंग्स सेप्टेंट एडवाइजरी बोर्ड) तथा राजीय परामर्श समिति—अल्प वचन आन्दोलन में सम्बन्ध में सरकार को सलाह देती हैं।

४१. भारतीय बैंकरों की संस्था—जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, हमारे देश में आधुनिक वैंकिंग की अज्ञानता १९१३-१४ के बैंक संकट वा एक कारण थी। २० अप्रैल, १९२८ को इण्डियन कम्पनीज एंबेट वे अनुसार स्थापित इण्डियन इन्स्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स (भारतीय बैंकरों की संस्था) का उद्देश्य इन्हीं त्रुटियों को कुछ हृद तक दूर करने का है। इस संस्था के कुछ मुख्य उद्देश्य ये हैं—(१) विशेषतः भारतवर्ष में वैंकिंग कारोबार करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार, पद तथा हित की रक्षा तथा सहायता करना। (२) वैंकिंग के सिद्धान्त के अध्ययन को प्रोत्साहन देना तथा इसी उद्देश्य से एक व्यवस्था करना तथा इस सम्बन्ध में सर्टिफिकेट, द्यावरवृत्ति तथा इनाम देना। (३) भारणी, वादविवाद, समाचार-पत्रों, पुस्तकों, सार्वजनिक संस्थाओं तथा व्यक्तियों से पत्र-व्यवहार द्वारा वैंकिंग तथा उससे सम्बद्ध विषयों की सूचना का प्रचार करना। (४) भारतीय वैंकिंग से सम्बद्ध आंकड़े इकट्ठा करना तथा उनका प्रसार करना।^१

सितम्बर १९५४ में रिजर्व बैंक ने अधिकोपों के निरीक्षक कर्मचारियों को अधिकोपीय व्यवहार की शिक्षा देने के लिए बम्बई में एक बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना की है। कॉलेज ने अब तक २६ पाठ्यक्रम (कोर्स) सचालित किये हैं, जिनमें देश-भर की विभिन्न बैंकों से ६३६ कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। १९५४-६० में पांच पाठ्यक्रम सचालित किये गए तथा १३६ कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। अब उप-प्रबन्धकों तथा खजाचियों आदि तक प्रशिक्षण-सुविधाओं वा विस्तार करने की हृषिट से एक माध्यमिक पाठ्यक्रम (इण्टरमीजियट कोर्स) बनाकर बैंकों को भेजा गया है। राजीय वित्त नियम तथा रिफाइनेंस कारपोरेशन के सदस्य बैंकों के निरीक्षण-दर्गे के कर्मचारियों के लिए जुलाई १९६० से प्रारम्भ होने वाले 'श्रीदोगिक वित्त' के विशेष पाठ्यक्रम (एडवान्स कोर्स) की योजना भी रिजर्व बैंक ने बनाई है। बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज अधिकोपीय प्रशिक्षण के क्षेत्र में बहुत बड़ी कमी दूर करेगा।

४२. बैंकों की वर्तमान स्थिति—१९६३ के मुकाबले में १९६४ में बैंकों का निक्षेप विशेषतया चालू जमा में था। बैंकों के ऋण में बढ़ोतरी का कारण एक तो यह था कि १९६३-६४ के दृष्टन समय में बहुत बढ़ोतरी हुई। मन्दे समय में इतनी अधिक सविदा साल में नहीं हुई। १९६४ में बैंकों में जमा पत्र ११.६ प्रतिशत से बढ़े और उनके ऋण १४.६ प्रतिशत बढ़े और इस प्रकार जमा-उधार अनुपात ७१.८ प्रतिशत हो गया। १९६४ में बैंकों (Scheduled) की सल्या ८० से गिरकर ७६ हो गई। एक विशेष बात यह है कि पहली जुलाई १९६० से लघु उद्योगों की साल भारती स्वीम को और बढ़ाया गया और इस समय ६४ साल संस्थाएँ बार्य कर रही हैं। जब से यह

१. इण्डियन इन्स्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स के मेमोरेंडम तथा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देखिए।

स्वीम बनी है (जुलाई १९६०), तब से लकर १९६४ क अन्त तक इस स्वीम के नीच १२,४७७ गारन्टीयाँ, ४६ ५३ करोड रुपय की कीमत की दी गई।

बहनी हुई कीमतों तथा ऊंची दर के क्रण ^३ और बैंकों की साख को देवत हुए रिज़व बैंक ने मार्च सितम्बर १९६४ में अपनी साख दन की नीति को और कढ़ा कर दिया। बैंक दर का ५ प्रतिशत बढ़ा दिया और उधार दन की नीति को और ऊंचा कर दिया जिससे अब ये बैंकों की साख को बढ़ोतरी के लिए रिज़व बैंक के पास आश्रय लेने का प्रयत्न करें। इस प्रकार १९६४ में रिज़व बैंक न साख पर लगाये गए प्रति बन्या को तेलों और खाद्य पदार्थों पर भी भजदून कर दिया।

१९६५ के रिज़व बैंक की साख नीति के कारण योंक वस्तुओं की कीमतों में ६ प्रतिशत बढ़ोतरी हुई जो कि १९६४ का $\frac{1}{3}$ हिस्सा है। १९६५ की नीतियाँ इसलिए अपनाई गई थीं कि जहरी कामों के लिए साख मिल सके और बढ़ती कीमतों का रोका जाए। लोगों के पास धन की पूर्ति १० २% में बढ़ी। बैंक दर को ५ से ६ प्रतिशत बढ़ाने और रिज़व बैंक की अनुकूलता वो तम करने के बाद भी व्यस्त समय में बैंक साख ४०७ करोड रुपये हो गई। इस प्रकार जब तक अच्छी साख की नीतियाँ नहीं अपनाई जाएँगी और बढ़ती कीमतों की रोकथाम नहीं की जाएगी, तब तक राष्ट्र को आर्थिक और सामाजिक स्थिति सकट से दूर न हो सकेगी।



अध्याय २५

वित्त और कर

१. परिचयात्मक विचार—१९१४-१८ के महायुद्ध के पहले समस्त भारत के लिए एक ही आय-व्ययक (बजट) होता था तथा प्रान्तीय सरकारों को स्वतन्त्र रूप से कर लगाने का अधिकार नहीं था। केवल केन्द्रीय सरकार को ही कर लगाने का अधिकार था। इस युद्ध के पश्चात् प्रान्तीय अर्थ-प्रबन्धन केन्द्रीय अर्थ-प्रबन्धन से सर्वथा पृथक् कर दिया गया और भारतीय अर्थ-व्यवस्था की रूपरेखा सधीय अर्थ-प्रबन्धन के ढंग पर विकसित हो रही है। अफीम, जो अभी हाल तक आय का एक महत्वशाली साधन था और जिसका मालगुजारी के बाद दूसरा स्थान था, लगभग पूर्ण रूप से भारत की परोपकारी अर्थ-व्यवस्था की नीति पर जोर देने के फलस्वरूप तुप्त हो गया और जो थोड़ी-सी आय इस कीर्तिक में बजट में दिखाई जाती है वह १९३५ के बाद से भारत में प्रयोग में आने वाली अफीम की विक्री के उत्पादन-कर से प्राप्त होती है।

आय के केन्द्रीय शीर्षक

२. निराकार्य (कस्टम) प्रशुल्क का इतिहास—(क) १९१४-१८ के महासमर के पहले आयात प्रशुल्क पहली सुदूरपैण स्वतन्त्र व्यापार-नीति पर आधारित थी। इसके कारण बहुत साधारण आयात-कर लगाया जाता था। जो माल इगलैण्ड के अतिरिक्त अन्य देशों से आता उस पर अंग्रेजी माल की तुलना में दूना कर लगाया जाता है।

मेनचेस्टर को प्रसन्न करने के विचार से भारतीय मिलों में तेयार किये हुए २० अरबा २० से अधिक काउण्ट के सूत पर भी ५% कर लगाया गया। सूत पर लगाये हुए इस कर से लकाशायर को पूर्ण सन्तुष्टि नहीं हुई, इसलिए १९६६ में सूती वस्त्रों पर आयात-कर की दर घटाकर ३३% कर दी गई और उसी दर से भारतीय मिलों में बने हुए कपड़ों पर लगा दिया गया, सूत को—चाहे देशी अथवा विदेशी हो—इस कर से पूरी छूट दे दी गई।

भारत में इस कर का धोर विरोध हुआ। इस उत्पाद-कर से मेनचेस्टर को किसी प्रकार का लाभ पहुँचाए बिना ही भारत को घाटा हो रहा था। सर जेम्स बेस्टलैण्ड के व्यवसायानुसार भारत के ६४% सूती वस्त्र के निर्माण से मेनचेस्टर की प्रतिद्वन्द्विता की कोई सम्भावना ही न थी। भारतीय माल के मोटे होने के कारण महीन वस्त्रों के सम्बन्ध में मेनचेस्टर का एकाधिकार ही था और उसका अधिकार

व्यापार २० तथा उससे अधिक काउण्ट के महीन कपड़ों तक ही सीमित था। भारत बड़ी कठिनाई के साथ बहुत योद्धी मात्रा में २६ या उससे योद्धे अधिक काउण्ट के वस्त्र तैयार कर सकता था। अन्त में यह भी कहा जा सकता है कि भाग्यात-कर ५ से ३१ प्रतिशत वर देने से विदेशी वस्त्रों के घनी उपभोक्ताओं को ही विशेष लाभ होता, पर देशी सूती वस्त्रों पर लगाया हुआ ३१% कर गरीबों को विशेष हानि पहुँचाता। इसलिए देशी सूती वस्त्रों के उत्पादन पर ३१% कर कभी भी न्यायसंगत महीन बहा जा सकता।

(ख) १९१८-१९ के महासमर के पहले निर्यात प्रशुल्क—१८६० तक निर्यात-कर प्रारम्भिक प्रशुल्क नीति का मुहूर्य अग था और प्राय प्रत्येक निर्यात की वस्तु पर ३% कर लगाया जाता था। यद्यपि यह कर बहुत कम था और प्राय वी इंटिंग से लगाया गया था, पर निर्यात कर के लगाये जाने का सिद्धान्त आर्थिक हृष्टिकोण से अनुपयुक्त समझा जाता था। इससे विदेशी व्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलने के कारण निर्यात-व्यापार को धक्का पहुँचने का भय था। इस विचार से १८६० से १८८० तक निरन्तर इस कर को हटा देने की नीति का ही अनुसरण किया गया। फलत १८८० में केवल चावल पर ही बह कर लगा रहने दिया गया। १८०३ में भारतीय चाय उद्योग की प्रार्थना पर चाय के नियंत्रण पर एक साधारण कर लगा दिया गया।^१

३. युद्धकालीन तथा उत्तर-युद्धकालीन निराकार्य प्रशुल्क पद्धति—युद्ध-काल में तथा उसके पश्चात् निराकार्य प्रशुल्कों में विस्तृत परिवर्तन हुए। उनका सारांश निम्न-लिखित है—

(क) आग्यात कर—मूल्यानुसार लगाया जाने वाला कर सभी वस्तुओं, जैसे सूती वस्त्र, लोहा और इसान, रेल से सम्बन्धित वस्तुओं इत्यादि, पर बढ़ा दिया गया। उदाहरण के लिए चीनी पर लगा मूल्यानुसार कर १९१६-१७ में ५% से बढ़ाकर १० प्रतिशत कर दिया गया और १९२२-२३ में १५ से २५ प्रतिशत कर दिया गया। रुई कातने और बुनने की मशीनों तथा ग्रन्य आवश्यक वस्तुओं पर १९२१-२२ में २१% कर लगाया गया, पर बाद म यह वर हटा लिया गया। विलासिता की सभी वस्तुओं, जैसे मोटरकार, सिनेमा के फ़िल्म, घड़ियाँ, रेशम के कपड़े इत्यादि, पर लगे कर १९२१-२२ में ७½ प्रतिशत से बढ़ाकर २० प्रतिशत और १९२२-२३ में बढ़ाकर ३० प्रतिशत कर दिये गए। १९२७-२८ में टेक्सेशन इनवेपरी कमेटी की सिफारिशों के ग्रनुसार, जिसमें मोटर परिवहन को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया था, मोटरकार पर कर ३० से २० प्रतिशत कर दिया गया और टायरों पर ३० से १५ प्रतिशत कर दिया गया। सीढ़ी आर्थिक अवसाद तथा केन्द्रीय बजट के महान् धारे ने अधिक आय प्राप्त करने के लिए आग्यात-करों म भारी और विस्तृत वृद्धि करने पर वाध्य कर दिया। उदाहरणार्थ, मार्च १९३१ के वित्त अधिनियम न (१) शराब, चीनी, चांदी

१. दर्जा, संग्रह १, अध्याय ६, पैरा ७, II (ii)।

और सिनेमा फिल्मों पर लगाए कर की दर में विशेष बृद्धि कर दी। (२) २३ में १५ प्रतिशत अनिरिक्त कर अधिभार के रूप में लगा दिए। १ नवम्बर १९३१ के पूरक वित्त अधिनियम ने रुही, मशीनरी, रग, कृत्रिम रेशमी सूत, रेशमी बहन, बिजली के बल्ब आदि वस्तुओं के आयात-करों में बृद्धि कर दी, और प्रचलित आयात कर तथा अधिकर, जो पिछले अधिनियम ने लागू कर रखे थे, की एक-चौथाई मात्रा का अधिभार लगा दिया।

भारतीय प्रशुल्क (तृतीय सशोधित) अधिनियम (मई, १९३६) ने ऐसे परिवर्तनों को कार्यरूप दिया जो भारत और इंगलैण्ड के बीच हुए नये व्यापारिक समझौते के अन्तर्गत थे। इस समझौते ने पिछले उत्पाद समझौते का स्थान ले लिया। इस नये समझौते के अनुसार भारत के लिए इंगलिस्टान को $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रशुल्क अधिमान विशेष प्रकार की मोटरराडियो पर तथा १० प्रतिशत का अधिमान किन्हीं विशेष वस्तुओं पर देना आवश्यक हो गया।^१ इस नये समझौते के अन्तर्गत इंगलैण्ड के सूती वस्तुओं पर आयात-कर में भी कमी की गई। १९४१ के वित्त-अधिनियम ने कृत्रिम रेशम के सूत और डोरे पर आयात-कर ३ आने से ५ आने कर दिया। १९४२-४३ में वर्तमान आयात प्रशुल्क के ऊपर (कपास, पेट्रोल और नमक को छोड़कर) सभी वस्तुओं पर २० प्रतिशत का निराकार्य अधिभार लगा दिया गया। पेट्रोल पर भी २५% टैक्स बढ़ा दिया गया। १९४४ में तम्बाकू और स्प्रिट पर भी अधिभार बढ़ा दिया गया। १९४२ में कॉटन कण्ड आर्डेनेस के अन्तर्गत १ आना प्रति पौण्ड के बर को मिलाकर २ आना प्रति पौण्ड (विना अधिभार के) कर दिया गया जो कि पूर्ण-रूपेण भारतीय प्रशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत लागू किया जा सकता था, और विदेश से मंगाये हुए सोने के सिक्के पर २५ रु० प्रति तोला, जिसमें १८० ग्र० शुद्ध सोना हो, का प्रामाणिक कर (विना अधिभार के) लगाया गया तथा चाँदी पर ३ आना ७ पाई के वर्तमान कर (जिसमें अधिभार सम्मिलित है) को ८ आना प्रति और (विना अधिभार के) कर दिया गया।

१९४८-४९ में मोटरकार पर आयात-कर ४५% से ५०% बर दिया गया, पर इंगलिस्टान को $7\frac{1}{2}\%$ का अधिमान दिया गया। दियासलाई पर बर प्रति शुसू १ रु० १२ आना से २ रु० ८ आना कर दिया गया और टायरों पर ५०% बर बढ़ा दिया गया (जो ग्रामले वर्ष और अधिक बढ़ाया गया)।

१९४६-५० में मोटर की स्प्रिट पर आयात-कर १२ आने से १५ आने प्रति गैलन (ऐसी ही बृद्धि उत्पादन-कर में भी की गई) कर दिया गया। मोटरों में प्रयुक्त टायरों के मूल्य पर कर १५% से ३०% कर दिया गया और सुपारी पर बर ५ आना प्रति पौण्ड से $7\frac{1}{2}$ आना प्रति पौण्ड कर दिया गया, परन्तु अपेक्ष उपनिवेशों से मंगाई हुई सुपारी पर ६ पाई प्रति पौण्ड का अधिमान मिलता रहा।

१. विशेष विवरण के लिए अन्ताय ७ देखिए।

१९५१ से निवोजन-युग प्रारम्भ हुआ तथा प्रथम पचवर्षीय योजना चालू हुई। अब आयात और निर्यात कर नीति के पीछे मुख्य दो बातें हैं—आयात-कर उन वस्तुओं पर लगाया जाए या उन वस्तुओं पर उनकी दर बढ़ाई जाए जो देश में निमित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करती हों या उनके विकास से धारक हों, निर्यात-कर इस ढंग से लगाया जाए ताकि (अ) सबन्धित उद्योग देश व्ही आन्तरिक उपयोग की आवश्यकताओं को व्यापार में रवार निर्यात करे तथा (ब) कर की मात्रा इस प्रवार निर्धारित की जाए कि अतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उनकी प्रतिस्पर्धा शक्ति न घटे। निर्यात-उद्योगों के विकास-मध्यवी आयातों को अपेक्षाकृत अधिक सुविधा देन की व्यवस्था की जाए। योजना-काल के बजट इन्हीं प्रवृत्तियों को लक्षित करते हैं। १९६१-६२ के बजट में लगभग ४१ वस्तुओं पर कर (ड्यूटी) बढ़ा दिय गए। देश में मशीनों के निर्माण का तेज़ी से विकास हो रहा है। उनके विकास में सहायता बरने के लिए मशीनों और उनके पुँजी पर लगे कर की परिवित दर मूल्यानुसार १० प्रतिशत से बढ़ाकर मूल्यानुसार १५ प्रतिशत कर दी गई। जी० ए० टी० टी० के अन्तर्गत आने वाले सामान पर कोई वृद्धि नहीं हुई।

(ब) निर्यात-कर— १९६१-६७ में दो नव निर्यात-कर चाय और जूट पर लागू किये गए; चाय पर तो निर्यात-कर १ रु० ८ प्रा० निर्दित कर दिया गया। १९६७-६८ में यह कर हटा दिया गया, परन्तु इसके हटाने का घाटा चाय उद्योग के मुनाफे पर लगे आय-कर में वृद्धिद्वारा पूरा कर दिया गया। जूट की ४०० पौण्ड की प्रत्येक गाँठ पर २ रु० ४ प्रा० निर्यात कर निर्दित किया गया, जो कि लगभग ५ प्रतिशत के मूल्यानुसार लगाए कर के बराबर था। जूट से बने माल पर १० रु० प्रति टन बोरो पर और १६ रु० प्रति टन टाट पर कर लगाया गया। १९६७-६८ में जूट पर निर्यात-कर दुगुना कर दिया गया। अबनूबर, १९६९ में कच्चे चमड़े पर भारतीय चमड़ा सिभान के उद्योग की रक्खा दे लिए १५ प्रतिशत मूल्यानुसार कर लगाया गया। १९६३ के वित्त अधिनियम ने चावल पर लागू निर्यात-कर में एक-चौथाई की कमी कर दी अर्थात् ३ आने से घटाकर २ आना ३ पाई प्रति मन कर दिया, ताकि चावल के मूल्य में हुई ससार-न्यायी कमी का मुकाबला किया जा सके तथा खर्च और स्थाम की, जोकि इस व्यापार में उसके मुख्य प्रतिकूली थे, मुकाबला कर सके और बर्मी के किसानों को सहायता एवं उनके प्रति न्याय हो सके।

१९६४-६८ के युद्ध-काल में धन की आवश्यकता तथा युद्धोत्तरवालीन आर्थिक घाटे के बारण निराकार्य कर पर अधिकारिक निर्भर रहने वी प्रवृत्ति बढ़ती गई। निराकार्य-कर से प्राप्त आय में द्वितीय विश्वयुद्ध के बारण शब्दों से व्यापार बन्द होने के ही कारण नहीं बरन् आयात में प्रतिवन्ध लग जान तथा जहाजो द्वारा माल के ले आने तथा ले जान की सुविधा में कमी होन से बहुत कमी हो गई। जब से युद्ध समाप्त हुआ है, निराकार्य-कर पर निर्भरता की प्रवृत्ति पुन बढ़ती जा रही है।

१९६४ भव प्रश्नहृत में ये परिवर्तन (कच्चे चमड़े पर निर्यात-कर को छोड़कर)

आय के ही हृष्टिकोण से नियमित थे। कुछ कर इतनी ऊँची दर के थे कि उनका प्रभाव निश्चित रूप से सरक्षणात्मक होता था। इससे बत्तमान अव्यवस्थित सरक्षण-प्रणाली के स्थान पर, जो अनायास स्थापित हो गई थी, एक सुव्यवस्थित विचारपूर्ण सरक्षण-प्रणाली की स्थापना की आवश्यकता का सोगो को अनुभव हुआ। १९२४ के स्टील प्रोटेक्शन एक्ट के पास होने के बाद से अनेक सरक्षण करों का आरोप किया गया। उदाहरण ट्रैड एग्रिमेण्ट (१९३२) तथा इण्डो-ब्रिटिश ट्रैड एग्रिमेण्ट (१९३६) के परिणामस्वरूप भारतीय प्रशुल्क पद्धति सम-यवहार वाली न रह सकी, वयोंकि उसमें इगलिरतान, उपनिवेशों और सरक्षक शासनाधीन राज्यों से आने वाली कुछ दस्तुओं को अविभान प्राप्त थे। इस प्रकार विभिन्न देशों की वस्तुओं के आयात के सम्बन्ध में विभिन्न नीति बरती जाती थी।

१९३४ के वित्त अधिनियम ने कच्चे चमडे पर लगा निर्यात-कर उठा दिया, वयोंकि चमडे का निर्यात-व्यापार विशेषकर जर्मनी से घटता जा रहा था। १९३५ के अधिनियम ने सामान्य निर्यात-व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए कच्चे पश्चु-चर्म पर लगे निर्यात-कर को हटा दिया। १९४० के एग्रिकल्चरल प्रोड्यूसर्स एक्ट के अन्तर्गत कुछ विशेष वस्तुओं पर, जैसे हड्डी, मक्खन, गेहूं, बीज, चमड़ा, तम्बाकू, कच्चा उन इत्यादि, जिन पर अभी तक कोई निर्यात-कर अथवा किसी प्रकार का उप कर नहीं लगा हुआ था, राजकीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (इम्पीरियल काउन्सिल और एग्रिकल्चरल रिसर्च) की आधिक स्थिति को हट्टर बनाने के हृष्टिकोण से १% का उप-कर लगा दिया गया। १९४६ में चाय और रुई पर नये निर्यात-कर लगाये गए और जूट के निर्यात पर कर बढ़ा दिया गया। १९४७ में चाय पर निर्यात-कर २ आ० से ४ आ० प्रति पौष्ठ कर दिया गया। १९४८-४९ में (१) कपड़े का निर्यात-कर २५% के मूल्यानुसार कर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। (करधे द्वारा निर्मित वस्त्रों को छोड़ दिया गया), (२) सूत पर लगाया हुआ कर उठा दिया गया, और (३) ८० रु० प्रति टन का निर्यात-कर तिलहन पर और १६० रु० प्रति टन का निर्यात-कर बनस्पति तेल पर लगा दिया गया। (अगले वर्ष दोनों कर उठा लिये गए)। १९४९-५० में १५% का एक नया मूल्यानुसार कर रिगार, सिगरेट और चुहुट पर लगा दिया गया।

निराकाम्य करी (कस्टम्स) से प्राप्त आय १९६१-६२ में १९६०-६१ के साथ-सित अनुमान की तुलना में १ करोड़ ८० अविक होगी। कुल मिलाकर १९६१-६२ में ४१ मर्दी पर निराकाम्य-कर की दर बढ़ा दी गई, जैसे अनिमित तम्बाकू, सुपारी आदि, जिनकी चर्चा की जा चुकी है। १९६५-६६ के दजट के आगणन के अनुसार यह ५०१ करोड़ रुपये थी और १९६६-६७ में ५६१ करोड़ रुपये की सम्भावना है। ४ केन्द्रीय उत्पाद-कर—उत्पाद-कर के न्द्रीय सरकार की आय के प्रमुख साधनों में से है। १९६०-६१ में १४ वस्तुओं पर केन्द्रीय उत्पाद कर लगा था, उदाहरण के लिए मोटर, हिपरिट, मिट्टी का तेल, चीनी, दियासलाई, लोहा, टायर, तम्बाकू, बनस्पति धी, सुपारी, कहवा, चाय और कोयला आदि। मिट्टी के तेल का उत्पादन

पर्याप्त न होने के कारण बाहर से मौगला पड़ता है। अतएव मिट्टी के तेल के उपयोग की दर कम करने की हृषि से अच्छे प्रकार के मिट्टी के तेल पर उत्पाद-कर ४५% बढ़ा दिया गया और इस प्रकार उत्पाद-कर ६५ ५५ ह० प्रति किलोमीटर हो गया। इस प्रकार ४ ४५ ह० के वर्तमान अतिरिक्त-कर को सन्मिलित कर लेने पर कुल कर की मात्रा १०० ह० प्रति किलोमीटर हो गई। निम्न कोटि का मिट्टी का तेल, जिसका उपयोग अधिकतर गौबो में होता है, पर यह कर नहीं लगाया जाएगा।

परिष्कृत डीजेल तेल तथा डीजेल तेल के बीच उत्पाद-कर में भारी अन्तर होने के कारण डीजेल तेल को परिष्कृत डीजेल तेल में मिलाने का चलन हो गया है। अतएव डीजेल तेल पर २८ १५ ह० का कर बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया।

ओद्योगिक विकास के साथ ही अनेक वस्तुओं पर उत्पाद-कर लगाना सम्भव हो गया। अतएव १९६१-६२ के बजट में निम्न प्रस्ताव किये गए। सोडा एश, कास्टिक सोडा और गिसरीन पर मूल्यानुसार १५ प्रतिशत उत्पाद-कर, पेट्रोल दबान्नो पर (जिनमें एलकोहल न हो) १० प्रतिशत तथा शृगार-प्रसाधनों पर २५ प्रतिशत उत्पाद-कर लगाया गया। इमी प्रकार प्लास्टिक के सामान पर मूल्यानुसार २० प्रतिशत कर लगाया गया। मिल के बने ऊनी और सूती धागे पर एक विशिष्ट कर लगाने का प्रस्ताव किया गया। इस प्रकार होजरी तथा कुद्र अन्य वस्त्र भी उत्पाद-कर की परिवर्ति के अन्दर आ गए। शीशे और शीशे के सामान, पोर्सेलीन तथा चीनी मिट्टी के सामान, जिनमें प्याले-प्लेटें भी शामिल हैं, पर मूल्यानुसार ५ प्रतिशत से १५ प्रतिशत तक का उत्पाद-कर लगाने का प्रस्ताव किया गया। दैक्षणिक तथा अनुसन्धान-शासाधी में प्रयोग होने वाले शीशे के सामान पर कम दर से उत्पाद-कर लगाने की व्यवस्था की गई। १९६१-६२ के बजट में ताँबे और जस्ते पर भी उत्पाद-कर लगा दिया गया। गोलाकार और चादरों पर ३०० ह० प्रति मीट्रिक टन तथा नली और ट्यूब (पाइप और ट्यूब) पर मूल्यानुसार १० प्रतिशत कर लगा दिया गया। बानानुकूल मशीनरी (एप्रर कण्डोजनिंग मशीनरी), रिफिजरेटर, बतार के सेट यानी रेडियो (बायरलेस सेट) पर भी उत्पाद-कर लगाने का प्रस्ताव किया गया। १५० ह० के मूल्य के रेडियो उत्पाद-कर से मुक्त थे। १५० ह० से ३०० ह० तक के मूल्य के रेडियो सेट पर रियायती दर से उत्पाद-कर लगा था। ३०० ह० से अधिक मूल्य के रेडियो पर मूल्यानुसार अर्थिक-से-अर्थिक २० प्रतिशत कर लगाया जरु सकता था। मिल के बने सिल्क के कपड़े पर अभी तक राज्यों द्वारा विक्री-कर लगाया जाता था। उसके स्थान पर एक अतिरिक्त उत्पाद-कर लगा दिया गया।

१९६१-६२ के प्रस्तावों के फलस्वरूप उत्पाद-करों से ३०० ह० करोड़ ह० अधिक की आय होगी। इसमें से २०३ करोड़ ह० राज्यों को मिलेगा। १९६५-६६ में केन्द्रीय उत्पाद-कर ७०४ करोड़ ह० पर्ये मिलने की आशा थी जबकि १९६६-६७ में ७६६ करोड़ ह० पर्या।

५. आय-कर का इतिहास—१८७७ तक कोई नया कर नहीं लगाया गया, पर

विलियो और व्यापारियों पर लाइसेन्स-कर, दुर्भिक्ष बोमा-अनुदान (फ्रेमीन इन्ड्योरेन्स ग्राट) के लिंगे के एक आय को पूरा करने के लिए आरोपित कर दिया गया और १८७८ में इसके लिए उत्तर प्रदेश पाजाव, मद्रास, बगाल और बम्बई प्रान्तों में अधिनियम पास कर दिये गए। ये अधिनियम १८८६ तक लागू रहे। १८७८ का लाइसेन्स कर १८८६ के आय-कर अधिनियम द्वारा साधारण आय-कर के रूप में परिणत कर दिया गया, जो समस्त भारत पर लागू हुआ। इस अधिनियम के अनुसार कृषि के अतिरिक्त आय के अन्य सभी साधनों पर कर लगा दिया गया। ५०० रु० से लगाकर २००० रु० तक की आय पर, चाहे वह वेतन से प्राप्त हो या प्रतिभूतियों के व्याज से प्राप्त हो, प्रति रुपया ४ पाई वर लगा दिया गया, और २००० रु० के ऊपर की आय और वम्पनियों के लाभ पर ५ पाई प्रति रुपया वर लगाया गया। इसके अनिवार्य कर का और कोई वर्ग न था। इसी प्रकार के अन्य साधनों से प्राप्त आय पर लगभग इसी दर से कर लगाया गया। दान तथा धार्मिक संस्थाओं की आय को छोड़ दिया गया। १८०३ में आर्थिक स्थिति के अच्छे होने के कारण १०० रु० में १००० रु० तक की आय की छूट प्रदान कर दी गई।

१८१४ के पहले आय-कर से प्राप्त बहुत कम थी, अर्थात् लगभग ३ करोड़ रुपये के लगभग थी, और बनी वर्ग के लोग बड़ी आसानी से ही मुक्त हो जाते थे। १८३८, १८३७ से बर्मा के अलग हो जाने से १४० करोड़ रुपये का घाटा हुआ। १८४२-४३ में अधिक-ने-अधिक प्रतिशत अनुपात ६४%, १८४३-४४ में ६६% और १८४४-४५ में ६८ १% थे।

आय-कर से प्राप्त घनराशि-सम्बन्धी इधर हाल के आँकड़े इस प्रकार है—

१८५६-५७	२०२६२ करोड़ रु० (एकाउन्ट्स)
१८५७-५८	२१६८३ करोड़ रु० (एकाउन्ट्स)
१८५८-५९	२१८५० करोड़ रु० (बजट का सशोधित अनुमान)
१८५९-६०	२२४०० करोड़ रु० (बजट)

वेवल १८५८-५९ के वर्ष को छोड़कर प्रतिवर्ष आय-कर से प्राप्त बढ़ती रही है। १८५७ के वर्ष में यह देखा गया कि यदि अधिकर और अधिभार को छोड़ दिया जाए तो सबसे अधिक आय वर १५००१—२०,००० रु० के वर्ग से प्राप्त हुआ।

१८६१ के वित्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक विवाहित हिन्दू और अधिभाजित हिन्दू परिवार, जिनकी आय २०,००० रु० (वार्षिक) से अधिक नहीं है, के लिए निम्न दरे प्रस्तावित की गई हैं। विवाहित व्यक्ति के लिए यदि उसके कोई बच्चा न हो, कर-मुक्त आय ३००० रु० है। यदि उस पर एक बच्चा ही आवित हो तो कर मुक्त आय की सीमा ३३०० रु० होगी तथा दो या दो से अधिक बच्चों के प्रावित होने पर कर-मुक्त आय की सीमा ३६०० रु० होगी।

कुल आय में १ लाख रु० से अधिक अंजित आय होने पर अधिभार की दर में परिवर्तन हो जाता है। विशेष अधिभार भी संगता है। १८६१ के वित्त अधिनियम में आय-कर अधिनियम के सम्बन्ध में कुछ समोधन भी हुए हैं। उदाहरण के

लिए घारा १५ सी के अन्नगंत सस्थान (अडरटेंकिंग) में होटल भी शामिल कर दिया गया है। घागएँ २३ ए, ३५ तथा ५६ ए में भी सशोधन किये गए हैं।

प्रतिवर्ष वित्त अधिनियम (फाइनेन्स एक्ट) पास होना है तो उसके अन्तर्गत आय-कर में प्रतिवर्ष कुछ-न-कुछ परिवर्तन प्रस्तावित होते रहते हैं। १९६० में निम्न परिवर्तन हुए—(१) नये औद्योगिक सस्थानों की आय कर से मुक्ति की अवधि (आय-कर अधिनियम की घारा १५ सी) ५ वर्ष के लिए—१९६५ तक—बढ़ा दी गई। (२) दान में दी जाने वाली धनराशि की कर-मुक्ति सीमा १ लाख २० या कुल आय के ५% से चढ़ाकर १२ लाख २० या कुल आय के ७½ प्रतिशत तक तक तक दी गई। (३) १ प्रत्रैत १९५३ से पहले निम्न सम्भिति पर स्थानीय अधिकारियों द्वारा लगाए गए कर की पूर्ण राशि सम्भिति की करारोप्य आय निर्धारित करने में घटाव दी जाने लगी। अभी तक स्थानीय अधिकारियों द्वारा लगाए गए करों की केवल आधी राशि ही घटाई जाती है। (४) कृषि ग्रामीण साख तथा कुटीर उन्नोग्नी से सम्बन्धित सहकारी समितियों को छोड़कर जेप भट्कारी समितियों की १५,००० रुपये अधिक आय पर आय-कर लगा दिया।

१९५६-६० के वर्ष की महत्वपूर्ण घटना प्रत्यक्ष कर प्रशासन जाँच समिति (डाइरेक्ट ट्रैसेज एडमिनिस्ट्रेशन इन्वाइटी बमेटी) की रिपोर्ट थी। सरकार ने १९६०-६१ में उसकी सिफारिशों की परीक्षा कर ली तथा अनेक सिफारिशों के सम्बन्ध में अनन्त निर्णय की घोषणा की। इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है। विधान आयोग को यह कार्य सीधा गया था कि वह आय कर अधिनियम की मूल-सरचना को प्रभावित किये बिना ही उसमें ऐसा सशोधन प्रस्तुत करे ताकि उसके अन्नगंत दी गई व्यवस्थाएँ अधिक स्पष्ट हो जाएँ। १९६६-६७ के बजट में १६४ करोड़ ८० आय-कर से मिलने की सम्भावना है जबकि १९६५-६६ के सरोपन आगणन के अनुसार १६७ करोड़ ८० आय-कर रूप में प्राप्त हुआ।

६. आय कर में सुधार—सर वाल्टर लेटन ने, जो साइमन वमीशन (१९३०) के वित्त मंदस्य थे, तकालीन आय-कर पद्धति के अनेक दोष बताए तथा उनके सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत किये।

उनके द्वारा सुझाये गए बहुत-से सुझावों (आय कर की प्रगमिता को अधिक नीति दनाने) को १९३१-३२ के बजट में ही स्थान दे दिया गया। अवनुवार, १९३५ में भारत सरकार ने भारतीय आय-कर पद्धति तथा प्रशासन की सम्पूर्ण जाँच एक बमेटी द्वारा करवाई, जिसके सदस्य दो ब्रिटेन विणेपन तथा सबसे अधिक अनुभव-प्राप्त एक आय-कर कमिशनर था। भारतीय आय-कर का सशोधन करने के लिए बमेटी की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय घारासभा द्वारा १९३६ में एक विल पास किया गया। इसने प.ले प्रचलित सीटी-प्रणाली, जिसके अनुसार समान कर की दर पूरी आय पर आरोपित की जाती थी, के स्थान पर वर्ग-प्रणाली (स्लैब सिस्टम) का प्रयोग आरम्भ कर दिया, जिसमें बढ़ती हुई दर से आय के विभिन्न अर्थों पर कर कर आरोपित किया जाता था। आय-कर देन वालों के वर्गों की इस प्रणाली में कुछ

ऐसी व्यवस्था कर दी गई थी कि थोड़ी सख्त्या वाले भनी लोगों से वसूली अधिक हो और निर्धनों पर भार कम हो तथा कुल वसूली भी पहले की अपेक्षा अधिक मिल सके। अविनियम की बहुत-सी आज्ञाएं जाइट स्टॉक कम्पनियों से सम्बन्ध रखती थीं, विशेषकर अवक्षयण अधिदेय (डेप्रिसिएशन एलाउन्स) की परिवर्तित व्यवस्था के कारण इस अविनियम में पारिवारिक अधिदेय के रूप में आय-कर में छूट देने की व्यवस्था नहीं थी। पारिवारिक अधिदेय (फेमिली एलाउन्स) देने के विशद् मुद्द्य आपत्ति यह थी कि ऐसी छूट बहुत बड़ी सख्त्या से देनी पड़ेगी जो छूट बहुत भौंगी सिद्ध होगी।

७. कृपि आय पर कर—आय-कर के सुधार का दूसरा अग्र कृपि-आय पर कर से सम्बन्धित था। सर वाल्टर लेटन ने इस बात की सिफारिश की थी कि कृपि-आय की कर-मुक्तता निश्चित अवधि में घीरे घीरे हटा देनी चाहिए। यह तर्क कि अन्य देशों में मालगुजारी आय-कर के ही स्थान पर वसूल जी जाती है और यदि आय-कर भी आरोपित कर दिया जाए तो एक प्रकार से दुहरा कर लग जाएगा, मुक्तिसंगत नहीं लगता, क्योंकि मालगुजारी उत्पादकता की वृद्धि के अनुपात में अस्थायी बन्दोबस्त में ही नहीं बढ़ाई जा सकती है। बार-बार तथा पर्याप्त मात्रा में मालगुजारी में हेर-न्हेर करने से बहुत सी राजनीतिक कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं और बड़े-बड़े भूस्वामियों के साथ-ही साथ चोटों पर भी उसका अनुचित भार पड़ता है। यदि कृपि-आय पर कर आरोपित कर दिया जाए तब ये आपत्तियाँ उपस्थित नहीं होती। भूमि-सम्बन्धी लेखा सुरक्षित रखने तथा प्रशासन और मालगुजारी वसूल करने से मम्बनियत वर्तमान विशद् पहुंचि का प्रयोग कृपि लाभ का अनुमान करने में बहुत अच्छे ढग से किया जा सकता है। इस कर का एक सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि हर प्रकार की आय—कृपीय तथा गैर-कृपीय आय—का हिसाब रखने के कारण उन लोगों की जिनके पास भूमि भी है, गैर-कृपीय आय पर ऊँची दर से आय-कर आरोपित किया जा सकेगा। इसके साथ ही-साथ यह परिवर्तन करके बचाव के लिए उद्योगों में व्यापे हुए धन को भूमि में लगाने की ग्रवुंति की रोकथाम भी करेगा।

१६३५ के गवर्नर्मेण्ट बॉक इण्डिया एक्ट ने प्रत्येक प्रान्त को व्यक्तिगत रूप से अनुमति दे रखी थी कि यदि वे चाहें तो अपने प्रान्त की कृपि-आय पर कर आरोपित कर सकते हैं। १६३६ में आसाम की धारातमा ने कृपि-आय-कर विधेयक, जिसे सरकार भी और से लेज किया गया था, थोड़े से चोटों के आधिक्य से पास कर दिया। दगाल, विहार और द्रावनकोर ने भी आसाम का अनुकरण किया और कृपि-आय पर कर लगा दिया।

हैदराबाद में कृपि-आय पर १६५०-५१ म कर लगाया गया, परन्तु विधान और नियमों के लागू न हो सकने के कारण उस वर्ष यह कर वसूल न किया जा सका। कृपि-आय पर कर लगाने के सम्बन्ध में राजस्थान के विधानमण्डल ने २६ अप्रैल, १६५३ को कानून पास किया। १६५४-५५ के बजट में मद्रास सरकार ने

चाय, कहवा, रबर और काली मिर्च पर कृषि-आय-वर लगाना प्रस्तावित किया।

ग्रूप पी० कृषि-आयन्कर विधान को सशोधित करने के लिए ११ मई, १९५४ की घारासभा में एक बिल पेश किया गया, जिसके अन्तर्गत अधिकार (सुपर टेक्स) समाप्त करने और कर-मुक्ति की सीमा ८,००० ह० निश्चित करने की व्यवस्था थी। बिल में कर की नई दरें भी प्रस्तावित की गईं, यथा—

कर लगने वाली आय के पहले १५०० ह० पर कोई कर नहीं लगेगा।

बाद के ३५०० ह० पर १ आ० प्रति ह० का कर लगेगा।

, १०,००० „ „ २ आ० प्रति ह० „ „

“ १०,००० „ „ ४ „ „ „ „

“ १०,००० „ „ ६ „ „ „ „

„ खेप आय पर १० „ „ „ „

८ उत्तराधिकार-कर—१५ अक्टूबर, १९५३ से हमारे देश में उत्तराधिकार-कर (एस्टट ड्रूटी) लागू कर दिया गया है। इस कर को सगाने के सम्बन्ध में वहुवा यह तर्जे उपस्थित किया जाता है कि सम्पत्ति वो एकत्र करने में सरकार का बहुत योग होता है। अन व्यक्ति की मृत्यु के उत्तरान्त कर के रूप में इन सम्पत्ति का कुछ भाग ले लेना उचित ही है। परन्तु सच तो यह है कि उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति कर देने की क्षमता की सूचक है, अतएव उस पर कर लगाना उचित है। व्यक्तियों के लिए कर की न्यूनतम सीमा १ लाख ह० और समुक्त परिवार के लिए ५०,००० ह० है।

मितम्बर, १९५८ में उत्तराधिकार कर (सशोधन) अधिनियम पास हुआ। इसके अन्तर्गत (१) मुवित-सीमा एक लाख ह० से घटाकर पचास हजार रूपये कर दी गई, तथा कर की दर निम्न वर्गों के लिए कुछ कम कर दी गई। (२) मिताक्षर, मरमक्ट्यम या अलियसथान की विधान प्रणाली का मनुसरण करने वाले अधिभाजित हिन्दू परिवार के मृत सदस्य की सम्पत्ति पर कर के लिए समुक्त पारिवारिक सम्पत्ति में न बेवल मृतव के बरन् पैतृक वशजों के सदायद हितो (कोरासंनरी) को ध्यान म रखने की व्यवस्था की गई है। (३) निर्धारण (एस-मेष्ट) तथा अपील-सम्बन्धी व्यवहार अन्य प्रत्यक्ष करों के अनुरूप कर दिया गया है। कृषि भूमि पर उत्तराधिकार-कर राज्यीय विषय है। सविधान की धारा २५२ के अन्तर्गत उत्तराधिकार-कर (सशोधन) अधिनियम १९५८ के राज्यों में स्थित कृषि-भूमि पर लागू होने के निए राज्यीय विधानमण्डलों की स्वीकृति आवश्यक थी। अप्रैल, १९६० में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त हुई। सभी 'स्वीकृति' को कार्य-रूप देने के लिए उत्तराधिकार-कर (सशोधन) अधिनियम १९६० पास हुआ। दोनों सशोधन अधिनियम (१९५८, १९६०) १ जुलाई, १९६० से ही लागू हुए। १९५८ के सशोधन अधिनियम (१९५८, १९६०) १ जुलाई, १९६० से ही सागू हुए। १९५८ के सशोधन के अन्तर्गत (१) और (२) व्यवस्था (जिसकी ऊपर चर्चा की जा चुकी है) तभी लागू होगी जबकि मृत्यु १ जुलाई १९६० या उसके बाद हुई हो।

उत्तराधिकार-कर (सशोधन) अधिनियम १९६० यह स्पष्टोऽरण प्रस्तुत

करता है कि जम्मू और काश्मीर, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल को छोड़कर योप सभी राज्यों में स्थित कृषि-भूमि पर यह लागू होगा। १९५६-६० में इस कर से २७५ करोड़ रु० प्राप्त हुए। सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सशोधित अधिनियम को लागू करने के लिए उत्तराधिकार-कर नियमों में आवश्यक सुधार कर लिया है। १९६६-६७ में भू-सम्पत्ति कर नियम में कुछ परिवर्तन किए जाएंगे, जिससे ७० लाख दृष्टि सरकार को अधिक मिलेगा। १ लाख रुपये को छोड़कर बाकी सारी रकम राज्य सरकारों को बाँट दो जाएगी।

६. सम्पत्ति-कर (वैल्य टैक्स)—इस कर के सम्बन्ध में डॉ० वाल्हर ने अपनी रिपोर्ट (रिपोर्ट आन इण्डियन टैक्स रिफार्म) में सुझाव दिया था। यह कर एक व्यक्ति की वास्तविक सम्पत्ति पर लगता है। यह कर वार्षिक है तथा व्यक्तियों पर दो लाख रु० तक नहीं लगता। वास्तविक सम्पत्ति कुल सम्पत्ति के भूल्य से देय ऋण घटा देने पर मालूम होती है। इस कर के लिए नियंत्रित स्वामित्व के अन्तर्गत चल और अब उसमें सभी प्रकार की सम्पत्ति है, जिन्हें कुछ सम्पत्तियाँ विशेष रूप से मुक्त हैं। उदाहरण के लिए—

- (१) कृषि-भूमि।
- (२) ट्रस्ट के अन्तर्गत दातव्य सम्पत्ति।
- (३) लकड़ी का सामान, वरतन आदि।
- (४) जेवरात २५००० रु० तक।
- (५) ड्राइग, चित्रकारी आदि।
- (६) अदायगी के लिए अपरिषव बीमा पॉलिसी की रकम।
- (७) नये श्रीशोगिक स्थानों के हिस्से आदि।

१०. व्यय-कर (एक्सपेन्डीचर टैक्स)—यह पूर्णतः वैयक्तिक वर है, जो व्यक्तियों तथा अविभाजित हिन्दू परिवारों के वैयक्तिक उपयोग पर किये व्यय पर लगता है। यह कर कम्पनियों पर लागू नहीं होता। निम्न व्यय कर-मुक्त हैं—

- (१) अचल सम्पत्ति प्राप्त करने पर व्यय।
- (२) बीड़, निक्षेप (डिगाजिट), हिस्मे और प्रतिभूतियों में विनियुक्त रक्त।
- (३) उधार लिये ऋण की अदायगी।
- (४) उपहार।
- (५) जीवन-बीमा तथा आग और चोरी के बीमा का प्रीमियम।
- (६) दिये गए कर।
- (७) किसी दाव (कचहरी वे) में किये गए वैवाहिक व्यय।
- (८) निश्चित सीमा के अन्दर अपने आधिकों के विवाह, इलाज, विकास आदि पर व्यय।

१९६६-६७ के वज्र के अनुसार इसको हटा देने का निश्चय किया गया है, बयोकि इसमें कर कम इकट्ठा होता है और कर इकट्ठा करने पर बहुत धन व्यय होता है।

जाता है।

११ उपहार-कर—यह पहली अप्रैल १९५७ के बाद दिय गए सभी उपहारों पर लागू है तथा १९५८-५९ के बर्ष से लागू किया गया है। यह बर सभी के द्वारा देय है चाह व्यक्ति हो या कम्पनी। यह कर देन योग्य उपहारों के कुल मूल्य पर लगाया जाता है। यह कर निम्न दराओं में नहीं लगता—

(१) भारत से बाहर स्थित अचल सम्पत्ति के उपहार पर कोई कर नहीं लगता।

(२) भारत में रहने वाले विदेशियों पर भारत से बाहर स्थित चल सम्पत्ति पर भी कोई कर नहीं लगता।

(३) विदेशी कम्पनी की भारत से बाहर स्थित चल सम्पत्ति पर उसी हालत में बर लगता है जबकि कम्पनी भारत में हो।

इनके अलावा कुछ उपहार कर-मुक्त हैं

(१) दातव्य सस्ता या कोप को दिए उपहार।

(२) पत्नी को किसी एक बर्षे या वर्षों में अधिक से अधिक १ लाख

रु. का उपहार।

(३) बच्चों की शिक्षा के लिए उपहार।

(४) बोनस, प्रेचुटी, पत्नान।

(५) करदाता द्वारा लिए जाने वाले राजगार, या पश्चि के लिए उपहार

आदि।

उपहार-कर १९५६-५७ के बजट के अनुमार इनकी दरों में कुछ परिवर्तन किए जाएंगे ताकि उन्हे भू-सम्पत्ति-कर के बराबर कर दिया जाए। इस प्रकार

दरों को कम करने से १७१ बरोड रुपया सरकार को पहले से कम मिलेगा।

१२ अफीम—१९५५ के अन्त तक अफीम से आय प्राप्त करने के तीन भाग थे—

(१) विदेशी वा भेजन के लिए नगदारी कारखानों में नियमित अफीम से प्राप्त एकाधिकार लाभ, (२) अफीम की वरीदारी पर आरोग्य नियान कर से प्राप्त आय जो विराजन्तु नाम और मन्दभारत वीरियामतों से भेजी जानी थी, और (३) ड्रिट्रिंग भारत में अफीम के उपभास से प्राप्त एकाधिकार लाभ, जोकि लाइसेंस फीस भारत में अफीम के उपभास से प्राप्त एकाधिकार लाभ, जोकि लाइसेंस फीस भारत में अफीम की फीस के रूप में निलगा था। यह आय उत्पाद-कर के अन्तर्में दिवलाई जानी थी और पहले दो सालों से प्राप्त आय अफीम के अन्नात दिवलाई जाती थी।

फरवरी, १९२८ म लाड रॉडिंग न यह घोषणा की कि भविष्य म सरकार की नीति अफीम के नियान का लीग आक नशन के आदानपुराओं औपरिन्मध्यनी प्रयोगों का ढोकर और सब प्रकार के प्रयोगों के लिए पूरण बन्द कर देने की है। अप्रैल १९२८ के द्वारा इस बान से भी महमन हो गई कि १९५५ के पहले ही अप्रैल का नियान पूर्ण बन्द कर दिया जाएगा, जिसका पूर्ण यह हुआ कि अन्य प्रयोगों के लिए अफीम के नियान से प्राप्त आय का १९५५ से अन्त हो गया। अब अफीम के प्राप्त

आय भारत में उपयोग के लिए उसकी विक्री पर सीमित है जो बहुत ही नियमित है।

आजकल अफीम से प्राप्त आय पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गई है, जबकि १९५३ के पहले के तीन वर्षों की वार्षिक औसत आय लगभग ८ करोड़ रुपये थी, १९५६-५७ में केवल २.३० करोड़ रुपये^१ से भी कम हो गई है। १९५८-६० में अफीम से प्राप्त आय ४१६ करोड़ रु० थी। १९६०-६१ के बजट (संशोधित) अनुमान के अनुसार प्राप्त आय ५६६ करोड़ रु० थी तथा १९६१-६२ के बजट अनुमान में अफीम से प्राप्त आय ६२५ करोड़ रु० आँकी गई है।^२

राज्यीय आय के साधन

१३. मालगुजारी—खण्ड १ के अध्याय १२ में इस विषय पर हम प्रकाश डाल चुके हैं। १९५६-५७ में कुछ प्रमुख राज्यों की मालगुजारी की आय इस प्रकार थी—आनंद ७.५१ करोड़ रु०, आसाम २.२४ करोड़ रु०, केरल १.०५ करोड़ रु०, उडीसा १.५८ करोड़ रु०, उत्तर प्रदेश १६.०८ करोड़ रु० तथा पश्चिमी बंगाल ४.४ करोड़ रु०। १-११-१९५६ से ३१-३-१९५७ की अवधि के लिए पश्चिम, राजस्थान, मध्य-प्रदेश, मद्रास तथा विहार की मालगुजारी आय कमश १.५६ करोड़ रु०, २.३५ करोड़ रु०, ४.२२ करोड़ रु०, २.४२ करोड़ रु० तथा ३.६५ करोड़ रु० थी।^३

१४. आवकारी (एकताइच) —आवकारी की आय नशे की वस्तुओं, जैसे गांजा, भाँग, अफीम इत्यादि, के बनाने तथा विक्री से प्राप्त होती है।

मद्यपान के दोष को रोकने के विषय में इस बात पर सभी सहमत हैं कि बड़े साहस और अध्यवसाय के साथ काम करना आवश्यक है, पर यह कैसे किया जाए इस पर एकमत नहीं है। कायेस मत्रिमण्डनों द्वारा प्रान्तीय सरकार का कार्य भार अपने हाथों में लेने के पहले सरकार यथासम्भव मूल्य बढ़ा देने के उपाय पर विशेषतया निर्भर थी, परन्तु मूल्य इतना अधिक नहीं बढ़ाया जाता था कि अवैध रूप से शराब बनाना आरम्भ हो जाए। शराब के उपयोग से कमी करने के दूसरे उपाय राजनिय, दुकानों की सहाया में कमी, पास रखी जाने वाली शराब की मात्रा में कमी, शराब की तेजी में कमी, विक्री के घट्टों में कमी आदि थे। बहुत-से प्रान्तों ने मद्य-निपेद का कार्यक्रम आरम्भ कर दिया जो कि विभिन्न प्रान्तों की स्थानीय स्थिति और इसके कल स्वरूप उत्पन्न होने वाली आवधिक कठिनाई को सहन करने की शक्ति पर निर्भर था। इस मामले में मद्रास सरकार ने बड़े साहस से सलेम जिले में पूर्ण मद्य-निपेद करके नेतृत्व किया। बिहार ने इसका अनुकरण किया। जुलाई, १९३८ में बम्बई ने अहमदाबाद नगर में तथा अगस्त, १९३९ में बम्बई नगर तथा टापू में पूर्ण मद्य-निपेद प्रचलित

१. ये बेन्द्रीय सरकार का आय से सम्बन्धित आँकड़े हैं।

२. दलिल, इण्डिया १९४१, पृ० २१५।

३. देखिए, स्टेटिस्टीकल एस्ट्रेटेज़ १९५७-५८, पृ० २१७-२२।

कर दिया। वम्बई में कापेस सरकार की पूर्ण निपेष्ठ की नीति प्रचलित करने में कुछ कानूनी और व्यवस्था की कठिनाइयों के कारण १९४० में निपेष्ठ-नियमों को कुछ ढीला करना पड़ा। कुछ प्रान्तों ने छोटे-छोटे लोगों को चुना, अन्य ने दुकानों को बन्द करवाकर शराब की विक्री की रोकथाम की प्रौद्योगिकी सेवाएँ पर नियन्त्रण रखा। मद्रास ने २ अक्टूबर, १९४८ से पूर्ण मध्य-निपेष्ठ प्रचलित कर दिया है, जिससे १७ करोड़ रुपये की आय का पाटा हुआ। वम्बई ने ४ वर्ष में पूर्ण निपेष्ठ का इरादा किया, जो कि १९४७ से आरम्भ हुआ और ७ अप्रैल, १९५० में पूरा हो गया। यदि अन्य राज्य जरा धीमी गति से चलने के लिए बाध्य हैं तो ऐसा अधिक विचारों के फलस्वरूप अनिवार्य हो गया है। परन्तु सभी राज्य यथासम्भव तीव्र गति से एक ही दिशा में चल रहे हैं और सबने एकमत होकर पूर्ण निपेष्ठ को ही मद्यपान के दोष दूर कर देने का एकमात्र उपाय मान लिया है।

मध्य-निपेष्ठ के विरोधी वरावर यह कहा जाता है कि यदि इसकी रोक के लिए जल्दी की गई अवधा कठोर नियम प्रचलित किये गए तो दोहरी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो तुरन्त आय में कमी हो जाएगी और प्रतिवन्ध लगाने वाली भूमियों पर, जो चौर्यपण तथा अवैध शराब खीचने की रोकथाम के लिए स्थापित की जाएंगी, खर्च भी बढ़ जाएगा। करोड़ों रुपये, जो अन्यथा शिक्षा, सिवाई की सुविधाओं तथा देश की उन्नति के लिए अन्य कामों पर खर्च किए जा सकते हैं, वे सब वर्ष हो जाएंगे। यदि पूर्ण मध्य-निपेष्ठ के लिए एकवार्षीय प्रयास किया गया तो यथार्थ में ये कठिनाइयाँ बड़े भयकर रूप में उपस्थित होंगी। दूसरा भय इस बात का है कि बुराई, जो भय के कारण दबा दी जाती है, वह कोई दूसरा उप्रतर रूप धारण करके उपस्थित होती है। इस प्रकार यह शिकायत की जाती है कि देशी शराब के प्रयोग पर रोकथाम लगाने के परिणामस्वरूप विदेशी शराब के प्रयोग में वृद्धि हो रही है और लोग शराब के स्थान पर मेयिलेटिड स्पिरिट पीते पाये गए हैं।

तीसरी पञ्चवर्षीय योजना में वैद्युतीय आवकारी से ३६५-६७ करोड़ ८० राज्यों को मिला। १६६६-६७ के इस वर्ष १६५-६६ करोड़ ८० मिलेगा।

१५ आय के अन्य साधन—(१) स्टाम्प—स्टाम्प से आय व्यापार तथा न्यायालय-सम्बन्धी स्टाम्पों की विक्री से प्राप्त होती है। न्यायालय-सम्बन्धी स्टाम्प वे हैं जो मुकदमों और अन्य आवश्यक कागजों की फीस के रूप में माल और फोजदारी की कम्पनियों में जमा किये जाते हैं। व्यापारिक स्टाम्प वे हैं जिनका प्रयोग उन व्यापारिक लेन-देन में होता है जो लिखा-पढ़ी में होते हैं, जैसे जायदाद, भूमि और हुण्डी आदि एक व्यक्ति से दूसरे के पास जाने में। न्यायालय में प्रयोग किए जाने वाले स्टाम्प की आय कुछ लोगों के मत से वास्तव में कर से प्राप्त आय नहीं है, क्योंकि वे इसे न्यायालय-जैसे महोगे विधान की सेवाओं के लिए दी जाने वाली रकम समझते हैं। मद्रास राज्य के विभाजित होने से पूर्व स्टाम्पों से सबसे अधिक आय मद्रास में होती थी और सबसे कम आसाम में। मद्रास के विभाजित होने पर सबसे अधिक आय

बम्बई में है।

(२) वन—इस सावन से आय मुख्यतः लकड़ी तथा अन्य उत्पत्ति की विनी, पशु चराने की फीस, पेड़ों तथा जगल की अन्य उत्पत्ति को काटने के लाइसेंस की फीस द्वारा प्राप्त होती है। इस प्राप्त आय की वृद्धि की बहुत अच्छी सम्भावना दिखाई पड़ती है। राज्यीय सरकारे, जिनके अधिकार में ये जगल दे दिये गए हैं, प्रतिवर्ष करीब २३ करोड़ रुपये का वास्तविक लाभ आधिक अवसादन्काल के आरम्भ तक उठाती रही है। १९५६-५७ में विभिन्न प्रान्तों के बनों से निम्न आय प्राप्त हुई—आग्र १.५८ करोड़ रु०, आसाम ६६.२६ लाख रु०, बम्बई २०६३ करोड़ रु०, विहार ५७.१६ लाख रु०, मध्य प्रदेश ३.३५ करोड़ रु०, मद्रास ६७.६५ लाख रु० तथा उत्तर प्रदेश ५००२ करोड़ रु०।^१ जगलों से अधिक और स्थायी आय प्राप्त करने के लिए आरम्भ में बहुत अधिक खर्चों की आवश्यकता है।

(३) रजिस्ट्रेशन—रजिस्ट्रेशन से आय न्यायालयों में प्रथोग दिये जाने वाले स्टाम्पों से प्राप्त आय की ही तरह होती है और विशेषकर रजिस्ट्री किए जाने वाले प्रलेखों (डाक्यूमेंट) के मूल्य पर निभर होती है। दानपत्रों तथा स्थायी सम्पत्ति के व्यय-विधाय के सम्बन्ध में रजिस्ट्री होना अनिवार्य है और अन्य मामलों में ऐच्छिक। रजिस्ट्रेशन की फीस को एक प्रकार से सेवाओं का मूल्य कह सकते हैं। इससे लाभ तर्क में स्थिरता, उभय पक्ष वालों का सारी कार्यवाही को प्रकाशित कर देने के लिए वाध्य होना तथा लिला-पढ़ी में एक सन्तोषप्रद समूत का होना, जिससे या तो भविष्य में मुकदमेवाजी कम हो जाए अथवा न्यायालयों में उनका निर्णय जल्दी ही जाए, आदि है।

(४) परिगणित टैक्स—१९२१ के मुद्वारों के अनुसार प्रान्तीय सरकारों को इन करों के आरोप का अधिकार दे दिया गया था, पर प्रान्तों ने इन करों के विशेष लाभदायक न होने अवधारणा किसी अन्य कारण से अपने इस अधिकार का समुचित रूप से प्रयोग नहीं किया। जुए और मनोरजन पर कर अनेक प्रान्तों द्वारा लगाये गए हैं, जैसे बगाल, बम्बई, मद्रास, उत्तर प्रदेश और आसाम। उनसे प्राप्त आय बढ़ रही है। १६. प्रान्तीय स्वायत्त-शासन के अन्तर्गत नये कर : बिक्री-कर—गवर्नर-मेष्ट ऑफ इंडिया एक्ट १९३५ के अन्तर्गत प्रान्तीय स्वायत्त शासन के १ अप्रैल १९३७ से आरम्भ होने के कारण प्रान्तों में कुछ ऐसे नये कर लगाय गए जिनके आरोपण का अधिकार उन्होंने नये विधान में प्राप्त था। इन नये करों के आरोपण करने का आशय आय और व्यय के बीच के व्यवधान को पूरा करता था। यह व्यवधान कुछ तो काप्रेस मनिमण्डल की मद्यपान-नियेध नीति और कुछ सामाजिक सेवा-संस्थाओं को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए किये गए व्यय के कारण उत्पन्न हो गया था। इन नये करों स, जिन्हे प्रान्तों ने प्रचलित किया, बिक्री-कर (सेल्स टैक्स) यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

बम्बई के १९३६ के बिक्री-कर अधनियम (सेल्स टैक्स एक्ट) के अनुसार चुनी हुई दो वस्तुयो—मोटर स्प्रिंग तथा मशीनों द्वारा निर्मित वस्त्र—की पुटकर

१. बम्बई, विहार, मध्य प्रदेश तथा मद्रास की आय १९५६ से ३१-३-५७ तक के लिए है।

वित्री पर विक्री-कर लगाने का अधिकार प्राप्त था। व्यवस्था की कठिनाइयों के कारण कपड़े पर विक्री-कर लागू नहीं किया गया। १६३६ का मद्रास का सामान्य विक्री कर अधिनियम (जनरल सेल्स टैक्स एक्ट) सर्वांगीण था, जो सभी वस्तुओं पर लागू होता था। यह कर मद्रास में कुल विक्री से आवश्यक खर्च निशाल देने पर वास्तविक विक्री पर लगाया जाता था। वस्तुओं की विक्री पर इसी प्रकार का सामान्य कर बगाल में बगाल वित्त अधिनियम द्वारा १६४१ में आरोपित किया गया।^१

नदे करो ने प्रान्तीय और बेंद्रीय सरकारों के करारोपण और वसूली के वैधानिक अधिकारों के प्रश्न को जन्म दिया। उदाहरण के लिए पेट्रोल-कर, जिसे मध्य प्रदेश की सरकार ने लगाया था, के विषद बेंद्रीय सखार ने सघानीय न्यायालय में मह मुकदमा चलाया कि प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय सरकार के बर लगाने (उत्पाद-कर) के अधिकारों का, जो उन्हीं के लिए सुरक्षित हैं, अतिक्रमण कर रही है। सघानीय न्यायालय ने इस आधार पर प्रान्तीय सरकारों के हित में न्याय किया कि बेंद्रीय विधानमण्डल को वस्तुओं पर उत्पाद-कर लगाने का उसी समय तक एकाकी अधिकार है जब तक कि वे किसी प्रान्त-विशेष की सम्पत्ति नहीं बन जाती (अर्थात् उत्पादन अधिकार निर्माण की स्थिति तक ही) और उसके बाद प्रान्तीय सरकारों को उन वस्तुओं की विक्री पर कर लगाने का एकाकी अधिकार है। सघानीय न्यायालय के इस हितकारी फैसले ने 'वस्तुओं की विक्री पर' (देखिए सेक्शन ३२) बालयास का वास्तविक यथं स्पष्ट कर दिया और प्रान्तों के लिए कर लगाने का एक विस्तृत खेत्र खोल दिया। साथ-ही-साथ, जैसा कि प्रधान न्यायाधीश ने भी नोट किया था, पारस्परिक सहनशीलता वी अत्यन्त आवश्यकता है, ताकि करारोपण के अधिकार वाली दोनों सरकारें कही अपने-अपने अधिकारों का एक साथ ही प्रयोग करके आनंदिक परोक्ष-कर इतना न बढ़ा दें कि वस्तु का मूल्य इतना अधिक ऊँचा हो जाए कि उसका उपभोग अत्यन्त कम हो जाए। १६६५-६६ के बजट अनुसार इससे २८७ रु करोड़ ह० इकट्ठा होगा।

मोटर बेहोकिल्स अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित कर तथा कुछ अन्य कर भी प्रातीय आय के साधन हैं। मोटर बेहोकिल्स अधिनियम के अन्तर्गत १६५६-५७ में परिवर्ती बगाल को १०३६ करोड़ रु०, उत्तर प्रदेश को १४० करोड़ रु०, उडीसा को ४७ रु० लाख रु०, केरल को ५१४८ लाख रु०, यासाम को ५४५२ लाख रु० तथा आनंद को २०० करोड़ रु० की आय हुई, जबकि १-११-१६५६ से ३१-३-१६५७ की अवधि में बम्बई को ८६७३ लाख रु०, विहार को २४८ लाख रु०, दिल्ली को १०६ लाख रु०, मध्य प्रदेश को ७०१७ लाख रु०, मद्रास को २५३५ लाख रु०, पंजाब को २५०४ लाख रु०, राजस्थान को १८६५ लाख रु० की आय हुई।^२

१. अन्य बत्तुएँ, जो सेल्स टैक्स के लिए चुनी गई, दिल्ली, तम्बाकु तथा विलासिता का वस्तुएँ, जैसे मोटरगाड़ी, रेडियो आदि थीं। विहार में १६४८ से कोयला, बोक और नागरिक भा विक्री-कर के अन्तर्गत आ गए हैं।

२. देखिए, स्टेटिस्टिकल एस्ट्रोज़ेट, १६५६-५७, पृ० २१७-२२१।

१७. भारत में सार्वजनिक व्यय—सार्वजनिक व्यय का निम्न वर्गीकरण किया जा सकता है।^१

(१) राष्ट्रीय सुरक्षा—पैदल सेना, समुद्री सेना और हवाई सेना, सरहदी तथा सैनिक महत्ता वाली रेलें, बन्दरगाह तथा रक्षा से सम्बन्धित कारखाने और युद्ध, जैसे सरहदी मोर्चा इत्यादि, पर किया जाने वाला व्यय इसके अन्तर्गत आता है।

(२) आन्तरिक शांति और व्यवस्था कायम रखना—इसके अन्तर्गत (क) पुलिस, न्यायालय और जेल पर किया जाने वाला व्यय, (ख) सामान्य प्रशासन का व्यय, (ग) कर-वसूली पर किया जाने वाला व्यय, (घ) राजनीतिक व्यय, जिसमें विधानमण्डल पर खर्च, विदेशों के प्रतिनिधियों तथा राजदूतों पर किया जाने वाला व्यय और (च) कर्मचारियों की पेनशन, भत्ते तथा अन्य व्यय आते हैं।

(३) राष्ट्रीय उन्नति—इसके अन्तर्गत (क) नैतिक तथा (ख) आर्थिक उन्नति के हेतु किये जाने वाला व्यय आता है। पहले शीर्षक में वैज्ञानिक तथा अन्य प्रकार की शिक्षा, उपचार तथा सफाई-सम्बन्धी खर्च और दूसरे शीर्षक में रेल, सिवाई, सरकारी सड़कों तथा इमारतों के बनाने के विभाग पर खर्च, कृषि तथा अकाल पर व्यय, तार और डाक पर खर्च और सरकारी करण पर दिये जाने वाला व्याज आदि आते हैं। अनुत्पादक उद्देश का व्याज पहले अथवा दूसरे शीर्षक के ही अन्तर्गत रखा जाना चाहिए।

भारत का सार्वजनिक व्यय लगातार बढ़ता रहा है। स्वर्गीय गोखले ने बहुत दिन हुए कहा था, “राजकीय व्यय की वृद्धि हमेशा चिन्ता और भय का कारण नहीं होनी चाहिए।” इस बारे में बहुत कुछ इस बात पर निर्भर रहता है कि व्यय की वृद्धि किसलिए की गई है तथा उसका परिणाम क्या हुआ है।

सितम्बर, १९३६ में द्वितीय विश्व-युद्ध छिड़ जाने और विशिष्ट रूप से १९४१-४२ के पश्चात् जापान के युद्ध में सम्मिलित हो जाने के बाद रक्षा का व्यय बहुत अधिक बढ़ गया।

युद्ध छिड़ जाने के ठीक पूर्व भारतीय सेना को नवीनतर रूप देने के सम्बन्ध में चेटफील्ड कमेटी के सुझावों को इगलैड तथा भारत की सरकार ने स्वीकार कर लिया था। भारतीय सेना को नवीनतम रूप देने के व्यय का अनुमान लगभग ४५-७७ करोड़ रुपये कर दिया गया था, जो इगलैड की सरकार से ५ वर्ष के अन्दर प्राप्त होने वाला था, जिसका $\frac{3}{4}$ भाग तो भेट के रूप में और बाकी $\frac{1}{4}$ कर्ज़ के रूप में था, जिसे भारत सुविधा के साथ धीरे-धीरे लौटाता। युद्ध छिड़ जाने के कारण इन प्रस्तावों पर किर से विचार करना आवश्यक हो गया, क्योंकि सेना का अभिनवी-करण तत्त्वालीन आवश्यकता के अनुसार तथा बढ़े हुए मूल्य के आधार पर होना चाहिए था। इसके अतिरिक्त भारत में ही पूरी शक्ति पर उत्पत्ति करने के लिए बहुत अधिक खर्चों की आवश्यकता थी, ताकि बारखानों, युद्ध और आवश्यकताओं की

१. देखिए, शाह, ‘सिसी ईजर्स ऑफ़ मिडियन किनान्स’, पृष्ठ ४४-४६।

वस्तुप्रो के निर्माण को शक्ति बढ़ जाए और बहुत-सा सामान सुरक्षित रखा जा सके। भारत को युद्ध वा मोर्चा लेने के लिए तैयार रखने वे उपायों पर खर्च करने से भी रक्षान्वय पर काफी धन खर्च किया गया। इन सब बातों को विचाराधीन रखते हुए नवम्बर, १९३६ में इंग्लैण्ड की सरकार और भारत सरकार के बीच एक आर्थिक समझौता हुआ, जिसके अन्तर्गत भारत को निम्न व्यय अपने ऊपर लेने पड़े^१—

(क) लडाई के पहले के व्यय की निर्धारित ३६.७७ करोड़ रु० की रकम,

(ब) मूल्य की वृद्धि के लिए अतिरिक्त धन (३.५५ करोड़ रु०),

(ग) युद्ध-सम्बन्धी उन उपायों का खर्च, जिनके लिए पूर्ण रूप से भारत को इसलिए उत्तरदायी समझा जा सकता था वयोंकि वे व्यय भारत अपने हित के लिए कर रहा था (३५.४० करोड़ रुपये), और

(घ) एक करोड़ रुपये की एकत्र रकम जो भारत की रक्षा-सेना को समुद्रपार बनाए रखने के लिए विदेशों में रखी गई थी (८४१ करोड़ रु०)।

पहले शीर्षक से चौथे तक वा योग ८४१३ करोड़ रुपये होता है। युद्धकाल में भारत वा रक्षा पर वापिक व्यय जितनी रकम से पहले से तीसरे शीर्षक तक के खर्चों के योग से बढ़ना था वह रकम इंग्लैण्ड की सरकार से मिलनी थी। वे बल जाते इतनी थी कि युद्ध के पश्चात् जो-कुछ भी समझौता भारत में दोनों देशों के हित के हिट्कोण से खरीदी हुई युद्ध-सामग्री के बचे हुए कोश के सम्बन्ध में होता, उसका अनुसार परिवर्तन हो सकता था। अप्रभावशाली खर्चों के विषय में अलग से विचार होता था। भारत को अपनी उत्तरति में से ही अपने युद्ध-सम्बन्धी उपाय पर जो-कुछ खर्च करना था उसके लिए तथा युद्ध-सम्बन्धी संयुक्त उपायों पर व्यय हाने वाली रकम में से अपने हिस्से के लिए, जिसमें वस्तुप्रो को सुरक्षित रखने वा खर्च भी सम्मिलित था, मूल्य देना था और इंग्लैण्ड की सरकार वो बाकी सभी इकट्ठी रखी जाने वाली युद्ध-सम्बन्धी वस्तुप्रो के लिए तथा उस सारी पूँजी के लिए, जो उत्तरति तथा एकत्र रखने की सुविधाप्रो के बढ़ाने के लिए लगाई गई थी।

युद्धकाल वी तरह पूरी सेना को बनाए रखने के स्थान पर शान्ति-काल में ऐच्छिक पढ़नि के अनुसार थोड़ी-सी सैनिक सेवा बनाए रखने का भी सुझाव दिया गया था। युद्ध वी समाप्ति के बाद शाशा की जाती थी कि रक्षान्वय में भारी कमी होगी, परन्तु यह असा सफल नहीं हो सकी जैसा कि नीचे के अंकितों से प्रकट है—

भारत वा रक्षान्वय करोड़ रु० में (अॉन रेवन्यू अकाउण्ट)

१६४७-४८ १६४८-४९ १६४९-५० १६५०-५१

(७^१ माह)

८५.५३ १४६.०५ १४८.८८ १६४.१३

^१. बोधक में लिखा हुआ उन तत्वान् १६४६-४७ के रक्षान्वय से सम्बन्धित है। १६४६ का आर्थिक सम्मैत ३१ मार्च, १६४७ को रद कर दिया गया।

सेना के भारतीयकरण की योजना लगभग पूर्णतया कार्यान्वित हो चुकी है और अब लगभग सारी सैंयन्शक्ति भारतीयों से ही निर्मित है। स्वतन्त्रता के बाद रक्षा-व्यय के बढ़ने के प्रधान कारण विभाजन के फलस्वरूप भारत की सीमा का बढ़ जाना, देशी राज्यों की रक्षा का भार भारत के कन्धों पर पड़ना, रक्षा के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता का प्रयत्न करना, आदि है।

१९५१-५२ के बाद सार्वजनिक व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई है। १९५१-५२ में केन्द्र तथा राज्यीय सरकारों वाले कुल व्यय ६६८ करोड़ ८० था। १९५५-५६ में यह राशि १,४७० करोड़ ८० हो गई तथा १९६०-६१ के बजट-अनुमान के अनुसार यह २,५८७ करोड़ ८० है। हर्ष की बात यह है कि सार्वजनिक व्यय की यह वृद्धि चिन्ता का विषय नहीं है, व्योकि वृद्धि मुख्यतः विकास कार्यों पर व्यय बढ़ने के कारण हुई है। विकास-कार्यों पर किए जाने वाले व्यय का कुल व्यय से अनुपात १९५१-५२ में ४८ प्रतिशत, १९५५-५६ में ६० प्रतिशत तथा १९६०-६१ में ६६ प्रतिशत था। केन्द्रीय सरकार का कुल खर्चा राजस्व-लेखा के लिए १९६६-६७ के लिए २१७० करोड़ रुपया निर्धारित किया गया, जिसमें से रक्षा-व्यय ७६८ करोड़ रुपया और नागरिक प्रशासन के लिए १३७२ करोड़ रुपया और पूँजी लेखा २२०७ करोड़ रुपया होगा। कुल व्यय ६२७, विकास के लिए ५२७, अधिकरित १०० तथा रक्षा के लिए १२१ करोड़ रुपये होगा।

१८ नागरिक प्रशासन पर व्यय—नागरिक प्रशासन पर व्यय में हुई वृद्धि के सम्बन्ध में लोगों का सामान्य विरोध यही था कि भारतीय प्रशासन संसार-भर में सबसे अधिक मौजगा था और जो वेतन तथा भूति उच्चाधिकारियों को दिए जाते थे, जिसमें कुछ दिन पहले तक अधिकतर अपेक्षा ही थे, बहुत अधिक थे।

द्वितीय विश्व-युद्ध के आरम्भ ही जाने के बाद से प्रशासन पर व्यय बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया है। इसमें सन्देह नहीं कि युद्ध के समय अनेक विभागों के विस्तार की आवश्यकता थी, पर आश्चर्य तो इस बात का है कि युद्ध समाप्त हो जाने पर व्यय का स्तर पहले की अपेक्षा अधिक ऊँचा था। युद्ध के पहले शासन-व्यवस्था पर व्यय १८७ करोड़ रुपया था। १९४४-४५ में, जबकि युद्ध अपनी चरम सीमा पर था, यह व्यय ४२४ करोड़ ८० था, १९५६-५७ में यह ६२३ करोड़ ८० था और १९५७-५८ में अनुमान किया गया कि उसमें ६ लाख ८० की वमी होगी।

वर्तमान समय में व्यय-वृद्धि अशत सरकार द्वारा वेतन आयोग (ये कमीशन) की सिफारियों की स्वीकृति तथा विकास-योजनाओं के परिणामस्वरूप विभागीय सेवायों की स्थापना तथा प्रसार के कारण है। पर यह भी मानते हैं कि अपन्य दूर बरने तथा खर्च करने का बहुत अवसर है। प्रशासन के प्रत्येक विभाग में मित्र-व्ययता के गम्भीर प्रयत्नों वी सबसे बड़ी आवश्यकता है और जिन लोगों के अधिकार में सरकारी कोष है उन्हें कर देने वाले के हाइकोर्ट से अपनी स्थिति का पूरा ज्ञान होना चाहिए तथा उसके व्यय के छंग में पूरी जागहकना वा परिचय देना चाहिए।

नागरिक प्रशासन की इच्छा हाल की वृद्धि इस बात से स्पष्ट है कि १९५२-५३ में यह ध्यय २०६५ करोड़ ८० या जबकि १९५५-५६ में यह बढ़कर ३०३३ करोड़ ८० तथा १९५६-५७ में ४८५ करोड़ ८० हो गया।^१

भारत सरकार ने १ अप्रैल, १९५३ को कर-जांच आयोग की नियुक्ति की, जिसके मध्यकांडों जान मार्गिय थे।^२ १९२५ में पिछले कर-जांच आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद से लेकर अब तक भारत की आधिक स्थिति में पर्याप्त परिवर्तन हो चुके थे। अतएव इन नई परिस्थितियों में इस आयोग को अन्य बातों के साथ-माय केन्द्रीय, राज्यीय तथा स्थानीय करारोपण का विभिन्न राज्यों में विभिन्न बगों पर पड़ने वाले भार की परीक्षा का कार्य सौंचा गया। आयोग ने ३० नवम्बर, १९५४ को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

आयोग के भानुसार ग्रामीण क्षेत्र से नगर-क्षेत्र की ओर बढ़ने पर प्रति व्यक्ति कुल ध्यय से रोकड़ ध्यय का अनुपात भी बढ़ता जाता है, घटिक करारोपित चस्तुओं की आधिक स्तरीय के कारण रोकड़-ध्यय से कर का अनुपात भी बढ़ता जाता है। इनके फनस्वल्प नगर-क्षेत्रों में कर-न्त्व (टेक्स एक्सिमेण्ट) और कर-भार बढ़ता जाता है, यद्यपि ग्रामीण जनस्वया के आधिक्य के कारण अप्रत्यक्ष करों के प्रति ग्रामीण क्षेत्रों का कुल अदान बही अधिक है।

युद्धभूमि काल की तुलना में नगर-क्षेत्रों में कर का कुल भार अपेक्षाकृत बढ़ गया है।

१६ कर-भार का वितरण—अर्थशास्त्र में कर-भार की समस्या सबसे अधिक जटिल समस्याओं में से एक है और भारत में तो प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय के वितरण के सम्बन्ध में ठीक-ठीक आँकड़े न प्राप्त होने के कारण और भी अधिक जटिल हो गई है। १९२४ में कर-भार के वितरण के विषय में जांच करने तथा इस बात की परीक्षा करने के लिए किंवद्दीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय करारोपण की प्रणाली वैज्ञानिक और न्यायोचित है अब वा नहीं, कर जांच समिति (टिक्सेशन इन्वेस्टिगेशन कमेटी) नियुक्त की गई। उन्होंने जनस्वया से कुछ विशेष बगों को चुनकर कुछ मारान निकाले। कमेटी को इस बात का पता चला कि कर का भार विसी भी वर्ग में लिए दुर्बंह नहीं था, पर उसका वितरण प्रसमान था। कुछ वर्ग अपने हिस्से के उचित भर को भी बचा जाते थे, जैसे बड़े-बड़े जमीदार और गौव का महाजन।^३ १९४४ के पहले कर-भार समाज के विभिन्न बगों में बहुत ही असमान फ़र्क से बँटा हुआ था। निर्भन लोग मालगुजारी, नमक कर, उत्पादन-कर, स्टाम्प आदि के स्प में कर का भार पूरा पूरा बहन करते थे और उनी वर्ग वे लोग अपना न्यायपूर्ण भाग भी बचा जाते थे, जैसा कि ग्रोकेयर के ० टी० शाह द्वारा १९२३-२४ के लिए दी गई निम्न

१. देखिए, रेटिस्टरीकन प्ल्यूट्रैक्ट, १९५७-५८, पृ० २१५।

२. देखिए, टेक्सेशन इन्वेस्टिगेशन कमीशन, १९५३-५४, खण्ड १।

३. देखिए, टेक्सेशन इन्वेस्टिगेशन कमेटी रिपोर्ट, पैरा ४७०-६२।

तालिका से प्रकट है—^१

करोड़ रुपयों में

आय के शीर्षक	कर-भार की मात्रा जो वहन की गई	
	घनी वर्ग द्वारा	निर्धन वर्ग द्वारा
निराकाश्य-कर	२०	२१
मालगुजारी और सिचाई-कर	२०२	२१३
आय-कर	२०	...
उत्तीर्ण-कर	..	२०
नमक	१४	७१
जगत और रजिस्ट्रेशन	२	५
स्टाइ	६१	६२
रेलवे	३३	६०
डाकखाना	५	५३
नगरपालिका-कर	३	१०
ज़िला परियोग-कर	.	१०
कुल	१११४	१६७

इस तालिका से प्रो० शाह इस निर्णय पर पहुँचे कि 'आधिक विधि से जो कमज़ोर तथा कम योग्य थे वे ही लोग भार में कर-भार का अधिकाश वहन करते थे। रेल, डाक आदि कुछ करों को अपवाह मानते हुए भी हम यह कह सकते हैं कि जबकि घनी वर्ग १०० करोड़ रुपया कर के रूप में देते हैं तो निर्धन वर्ग के लोग १५० करोड़ रुपया देते हैं। परिवार की १००० रु० और इससे अधिक और सत वार्षिक आय के विधिकोण से कर की कुछ वसूली, ६०० करोड़ रुपये की आमदनी में से, जोकि कुल जनस्वया के इ१४ अश से कम लोगों द्वारा उपयोग की जाती है, लगभग १०० करोड़ रुपये के होती है, और वाकी १५० करोड़ रुपया १००० या १२०० करोड़ रुपये की कुल आमदनी में मे, जो वाकी जनस्वया के ६६% लोगों द्वारा उपयोग की जानी है, वसूल किया जाता है। यह वितरण मिनव्ययी अवधा न्यायोचित नहीं कहा जा सकता।'

इण्डियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स के सलाहकार श्री ए० सी० सम्पत आयगर

१. देखिए, शाह और खम्बाट, 'वैल्य एण्ड ट्रेसेवल वेपेसिटी', पृष्ठ २८६-८७, और शाह, 'सिवस्टी इंश्यर्स ऑफ इण्डियन फिनांस', दूसरा संस्करण, पृष्ठ ३७३-७४।

ने कुछ समय हुआ (१५ नवम्बर, १९४६) अपनी एक पुस्तक प्रकाशित करवाई, जिसमें उन्होंने उच्च आयवा मध्यम और निम्नवर्ग के लोगों के ऊपर केन्द्रीय तथा राज्यीय करों का वित्तना भार पड़ता है, इसका साहियक अनुमान लगाने का प्रयास किया है। इस अध्ययन में उन्होंने २००० माध्यिक आय को दोनों वर्गों के पार्थक्य की सीमा माना है। केन्द्रीय और प्रान्तीय करों से प्राप्त आय को १९४६-५० के बजट में दो वर्गों में बटाया गया है। पहला वह वर्ग, जिसमें निम्न वर्ग से कुछ भी प्राप्त नहीं होता और दूसरा वह वर्ग, जिसमें उच्च आयवा मध्यम वर्ग वाले लोगों के साथ-साय निम्न वर्ग के लोग भी कर देते हैं। पहले वर्ग के उदाहरण हैं आय-कर, निगम-दर, व्यवसायों पर कर, कृषि-आय कर और ऐसी वस्तुओं पर निराकार्य कर, जैसे सराव, स्टिरिट, बूट और जूते, बेतार के तार के ओडार, तम्बाकू, कृत्रिम रेशम के सून और छोरे, चाय पर निर्धारित कर, शराबों के उत्पादन पर तथा व्यापारिक वामों में आने वाली स्टिरिट पर उत्पाद-कर और नार-स्थित अचल सम्पत्ति पर कर इत्यादि। दूसरे वर्ग की वस्तुओं पर विभिन्न प्रतिशत में निम्नवर्ग वाले लोगों द्वारा कर दिया जाता है। योजनाप्रोग्राम के फलस्वरूप करों की मात्रा में लगातार बढ़ रही है, किन्तु इसके आधार पर कर-नार के विनरण के सम्बन्ध में निश्चयात्मक परिणाम नहीं निकाला जा सकता। द्वितीय योजना-काल में केन्द्र द्वारा ७६७ करोड़ रु० की अनिरिक्त-दर आय प्राप्त की गई तथा राज्यों द्वारा २४४ करोड़ रु० नये करों द्वारा प्राप्त किया गया। इस प्रकार द्वितीय योजना-काल में कुल १०४१ करोड़ रु० अनिरिक्त-दर आय के रूप में प्राप्त हुआ। किन्तु कर-आय और राष्ट्रीय आय (चालू मूल्यों पर) के अनुपात पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। १९५५-५६ में कर-आय राष्ट्रीय आय के ८ प्रतिशत के बराबर और प्रौद्योगिकी-दर में ६ प्रतिशत के बराबर है। यह तो निश्चित है कि अनिरिक्त-कर आय का अधिकांश बड़ी हुई राष्ट्रीय आय से प्राप्त हुआ है।

२०. भारतीय वित्त का सक्षिप्त इतिहास—इस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापारिक और राजन-प्रबन्ध सम्बन्धी खातों में गडवडी, कम्पनी के प्रशासन में सदा रहने वाला घाटा, गदर का आर्थिक भार, कालान्तर में पृथक् वित्त सदस्य की नियुक्ति, आर्थिक विनेश्वेतरण की ओर धीरे-धीरे विकास, दुर्भिक्षों, सरहदी युद्ध और विदेशी विनियम में कमी के कारण उत्पन्न कठिनाइयाँ, सरकार की छलन-नीति, १९१४-१८ के महायुद्ध के पहले बजट में बचत इत्यादि मुख्य समस्याएँ हैं।

प्रथम विश्व युद्ध के द्वितीय जाते ही युद्ध के पहले की आर्थिक सुगमता तथा बजट में बचत का युग अनायास ही समाप्त हो गया। युद्ध-काल में भारतीय वित्त की विशेषताएँ बजट में घाटा, व्यय कम करने के कठोर उपायों का अपनाना, रेल और सिंचाई की सुविधाओं में भारी कमी, निराकार्य-करों में बढ़ि, आय-कर, नमक-कर, उत्पाद-कर और भारत में ही जनता से बड़े-बड़े खर्जें लेना आदि थी।

२१. घाटे के बजट—१९१४ के पहले के अनिरेक बजटों के विपरीत अब केन्द्रीय तथा प्रान्तीय ग्रंथ-प्रबन्धन में निरन्तर घाटे के बजट दित्तार्ड पहने जाएं। यूरोपीय युद्ध के

कारण हुए व्यय के अतिरिक्त भारत पर अफगानिस्तान के आक्रमण के कारण भी कठिनाइमी बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप कई करोड़ ८० का खर्च बढ़ गया। इसके अतिरिक्त सैनिक तथा अर्मेनिक प्रशासन का खर्च भी उत्तरोत्तर बढ़ता गया। रेल-प्रबन्ध का खर्च भी बहुत बढ़ गया और व्यापारिक अवसाद के कारण, जो मुद्रे के पश्चात् क्षणिक अभिवृद्धि-काल के समाप्त होते ही आरम्भ हो गया था, आमदनी घट गई। रेल की आय की कमी के अतिरिक्त आय कर से होने वाली प्राप्ति में भी कमी आ गई थी। इन सब कारणों का संयुक्त प्रभाव १९१४-२२ के बीच के काल में करों की वृद्धि के होते हुए भी घाटे के बजटों में लक्षित हुआ।

रिट्रैचमेण्ट कमेटी^१ (१९२२-२३) की सिफारिशों के अनुसार १९२३-२४ में असैनिक व्यय में ६६ करोड़ रुपये की कमी और सैनिक व्यय में ५०५ करोड़ ८० की कमी की गई। परन्तु बजट के अनुसन्तुलन को संभालने के लिए केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था और वाइसराय को नमक-कर दूना अर्थात् १ रु० ४ पाने से २ रु० ८ पाने बरतने के लिए बाध्य होना पड़ा। १९२३-२४ में स्थिति ने पलटा खाया और आय के अनुमान से आवश्यकता से अधिक सावधानी बरतने, इपये की विदेशी विनियम-दर १ शिं ६ प०० पर निश्चित हो जाने, आय-दर पर कर्ते के आरोप की ज्यो-का त्यो बनाए रखने और उद्योग और व्यापार में धीरे-धीरे उन्नति होने के कारण अस्थायी रूप से बजट में अनिरेक की पुरानी प्रवृत्ति फिर से दिखाई पड़ने लगी। इन अतिरेकों का प्रयोग प्रान्तों के अनुदान को घटाने तथा अनुत्पादक क्रहण को कम करने से निया गया। १९२७-२८ के पश्चात् बजट के सन्तुलन में फिर से गडबड पैदा हुई और प्रान्तीय अनुदान के पूराण रूप से हटा देने के पश्चात् बजट बराबर घाटे प्रदर्शित बरते रहे।

१९३१-४० के व्यापार में निरन्तर होती हुई अवनति के कारण आय में बहुत घाटा हुआ। विशेष रूप से निराकाश्य-कर में और नये प्रबलित आय-कर की वर्ग-प्रणाली (स्लैब तिस्टम) के अन्तर्गत वृद्धि के होने हुए भी क्रहण पर व्याज देने और रक्षा पर व्यय करने भे कमी करते हुए भी बजट में लगभग ५० लाख का घाटा पूरा करने के लिए बाकी रह गया। यह कमी कच्ची हुई पर आयत-कर को दूना करके पूरी की गई।^२ सिनम्बर १९३६ में लडाई छिड़ जाने से बजट में अगले महीने में विभिन्न परिवर्तन हुए। १९३६-४० के आय-व्यय का अन्तिम परिणाम ७७७ रु० के अनिरेक में लक्षित हुआ, जिसके कारण रक्षित आय-कर कोष में ६८६ लाख रुपया अधिक जमा किया जा सका। यह आय में ६८१ लाख रु० की वृद्धि और व्यय में ५ लाख रुपये की कमी के कारण सम्भव हो सका।

१९४०-४१ में रेल की आय में वृद्धि होते हुए भी पूरे वर्ष के लिए इस प्रवर्म युद्धकालीन बजट ने ७१६ लाख रुपये की सम्भावित कमी को नवीन साधनों से आय

१. देखिण, 'रिट्रैचमेण्ट कमेटी की रिपोर्ट', पाँ ११, पैरा ८।

२. ६ पाई प्रति पौण्ड से ३ ज्ञाना प्रति पौण्ड कर दी गई।

में वृद्धि करने पूरा करने की मावश्यकता की ओर संकेत किया था, जो कि युद्धनित अतिरिक्त मावश्यकताओं को पूरा करने के बारण हुई थी। बेवल रक्षा-बजट ही ५२-५२ करोड़ रुपये का था।

१६४१-४२ के बजट में १६४०-४१ के संशोधित अनुमानों के अनुसार ८४२ करोड़ ८० की तथा १६४१-४२ के बजट में २०४० करोड़ ८० की कमी दिखाई गई थी। १६४१-४२ के बजट में होने वाली २०४० करोड़ ८० की भारी कमी बहुत बड़े थी। १६४१-४२ के बजट के कारण पैदा हुई, जिसमें ८४१३ करोड़ रुपये रक्षा पर तथा युद्ध के रक्षा-बजट के कारण पैदा हुई, जिसमें ८४१३ करोड़ रुपये रक्षा पर तथा युद्ध के कारण शासन-व्यवस्था पर व्यय किये जाने का अनुमान किया गया था। यह प्रस्ताव किया गया था कि यह कमी ६६१ करोड़ ८० तक नये करों के आरोप द्वारा तथा शेष छह सेकर पूरी कर ली जाएगी।

१६४२-४३ का बजट पेश करते समय कित्त-मन्त्री ने १७ करोड़ रुपये की उमी वर्ष और ४७ करोड़ की अगले वर्ष कमी दिखाई थी। १६४२-४३ में रक्षा पर १३३ करोड़ ८० का व्यय अनुमान किया गया था। यह प्रस्ताव किया गया था कि इस कमी को ३५ करोड़ ८० पर व्यय के बर्बंदारा और १२ करोड़ ८० के नये करों की वृद्धि द्वारा पूरा किया जाएगा।

१६४३-४४ के बजट-आगणन में १६६३ करोड़ रुपये की आय का अनुमान किया गया था, जबकि १६४२-४३ के संशोधित आगणन में आय केवल १७८७६ करोड़ रुपये ही थी और २५६५६ करोड़ रुपये के व्यय की सम्भावना की गई थी। ६०२६ करोड़ रुपये की कमी को २००१ करोड़ रुपये तक नये करों के आरोप द्वारा २५५० करोड़ रुपये की आय में बढ़ि और ८७३४ करोड़ रुपये की व्यय में वृद्धि २५५० करोड़ रुपये की आय में बढ़ि और ८७३४ करोड़ रुपये की व्यय में वृद्धि दिखाई गई। इस प्रकार वर्ष के अन्त में आय से ६२४३ करोड़ रुपये की कमी रही।

१६४४-४५ के बजट में बर्तमान समय में आरपित कर के स्तर पर कुल आय का अनुमान २८४६७ करोड़ रुपये था और कुल व्यय ३६३१६ करोड़ रुपये था, इसलिए होने वाली कमी ७८२१ करोड़ ८० की अनुमानित की गई थी, जिसको कुछ सीमा तक नये करों के आरोप द्वारा और कुछ सीमा तक अनिवार्य रूप से जमा कराए घन द्वारा पूरा करने का इरादा था। ऐसे आय-कर के पश्चात जमा कर दिय जान की मुदिधा, जिस पर उद्गम के स्थान पर ही ही कर नहीं बसूल कर लिया जाता था, एक बहुत बड़ा आय का साधन था।

१६४५-४६ की आय का अनुमान ३५३७४ करोड़ रुपये किया गया था। रक्षा पर लगभा ३६४२३ करोड़ रुपये और आय की प्राप्ति के साधनों और पूँजी लगान में ४६४१ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान किया गया था। शासन-व्यवस्था पर व्यय १२३४० करोड़ रुपये के लगभग रक्षा गया था। १६३८८ करोड़ रुपये की जो कमी होने वाली थी उसे मुख्य १५५२६ करोड़ रुपये तक छह सेकर और ८६० करोड़ रुपये तक करों के द्वारा पूरा करने का विचार था (जो तम्हाकू पर कर बढ़ाकर, दाव द्वारा भेजे जाने वाली पारस्पर की दर बढ़ाकर और तार-टेलीफोन

के किराये तथा ट्रक्काल की फीस पर अधिभार लगाकर पूरी की गई थी।) यह पहला अवसर था जब वि बजट में अंजित और अनंजित आय में अन्तर माना गया।

१९४७-४८ के बजट के आगामन के अनुसार व्यय ३२७ ल०२ करोड रुपये और आय २७६ ल०२ करोड रुपये वर्तमान करी के आधार पर की गई। इसके परिणामस्वरूप बजट में ४८ ल०६ करोड रुपये का घाटा था। रक्षा पर १२२ ल०१ करोड रुपये के व्यय और शासन-व्यवस्था पर १३६ ल०७ करोड रुपये के लगभग अनुमान किया गया।

१९४७-४८ में भारत का अधिक इतिहास दो भागों में बाँटा जा सकता है— पूर्व-विभाजन काल तथा उत्तर विभाजन काल। आय में ४८ ल०६ करोड रुपये की कमी, जिसका ऊपर ज़िक्र आ चुका है, पूर्व विभाजन काल के बजट में नमक वर वे हटा देने से ८ ल०४ करोड रुपये से और बढ़ गई और ५६ ल०७ करोड रुपये हो गई।

अन्तकालीन बजट में, जोकि ७९ महीने के लिए था, १७१.२ करोड रुपये की आय और १६७.४ करोड का व्यय तथा आय में २६ ल०२ करोड की कमी थी। इस कमी का १६ करोड रुपये का अश सूती कपड़े पर ३% के मूल्यानुसार वर के स्थान पर ४ आना प्रति वर्ग मज़ की दर से और रुई के सूत पर ६ आना प्रति पौण्ड की दर से परिमाण कर लगाकर पूरा किया गया। जिस कमी को पूरा नहीं करना था वह ८४ ल०६ करोड रुपये की थी और वह असामान्य कारणों से थी, जैसे २२ करोड रुपया लोगों को पाकिस्तान से रक्षित व्यवस्था में लिवा लाना और शरणार्थियों की सहायता देना तथा २२ ल०५ करोड रुपया विदेश से मैंगाये हुए अन्न की सहायता देना आदि। देखने में बहुत अधिक लगने वाला रक्षा पर ६.२७ करोड रुपये का खर्च बैंचारे के पश्चात् सेना के धीमी गति से स्थानान्तरण तथा सामान्य काल से अधिक सेना के रखने के कारण था।

अर्द्धेनिक व्यय में बजट के अनुमान से ४८ १४ करोड रुपये की वृद्धि (१) बैंचारे के पूर्वकाल वे छह लोंगों को देने के लिए २० ल०५ करोड रुपये के अलग रख देने के कारण, (२) १२.०५ करोड रुपये के व्यय की विदेशी से मैंगाए जाने वाले अन्न से सहायता देने के निमित्त तथा प्रान्तीय सरकारों को अपने-अपने राज्य की सीमा में अन्न एकत्रित कर लेने में सामाजिक देने के कारण और (३) सहायता तथा पुनर्वात पर अधिक व्यय कर देने के कारण हुई।

१९४८-५० के बजट के अनुसार कुल आय ३२३ करोड रुपये और कुल व्यय ३२२ ल०५ करोड रुपये था। संसोधित आगमन में आय ३३२ करोड रुपये से कुछ अधिक और व्यय ३३६ करोड रुपये से कुछ अधिक था, इस प्रकार बजट में केवल ३.७४ करोड की कमी रह गई थी। रक्षा पर व्यय १२.२५ करोड रुपये से बढ़ गया था। इसके विरुद्ध निराकार्य-कर में अनुमानित आय से ६ करोड रुपये की वृद्धि हो गई थी। इन दोनों के बीच का अन्तर कमी की साक्षा के लगभग बराबर था। रक्षा पर व्यय लंबे ही स्तर पर रखना पड़ा, वयोऽि काश्मीर की समस्या का शान्ति से सुलभाव, जिसकी आशा की जाती थी, नहीं हो सका। निराकार्य-कर में वृद्धि

उदार आयान-नीति के कारण तथा निर्दित-कर से स्पर्शे का अवमूल्यन हो जाने के कारण अधिक आय की प्राप्ति के कारण हुई।

बहुमान कर के स्तर पर १६५०-५१ में कुल आय ४०५ लौं करोड़ रुपये और कुल व्यय ३४६ लौं करोड़ रुपये ५८२२ करोड़ स्पर्शे के अन्तरेक के साथ भागलित रिये गए थे। इनमें तीन कारण थे—(१) भारतीय सभ में मिलने वाली देशी रियासतों ने प्राप्त आय, (२) कर की दबाया रकम की तत्त्वता के साथ दमूली और (३) आय-कर अधिनियम के १८ (अ) भाग के अन्तर्गत पेशी वसूली।

मुद्रारात्रीन तथा युद्धोत्तरकालीन घाट के बजाए न अर्थ-प्रबन्धन की प्राचीन मानवनामों को बदल दिया। 'सनुलित बजट' का निर्दान केवल भारती-भारत रह गया। १६५१ में अविल भारतीय स्तर पर नियोजन प्रारम्भ होने के कारण विकास की मदों पर व्यय की भारतीय वृद्धि हुई। परिणाम यह हुआ कि घाटे के बजट नमात्र नहीं हुए। बहनुत घाटे के बजट के बारे में अब यह धारणा हो गई है कि जब तक के मूल्य-वृद्धि को अनावश्यक रूप से बढ़ावा न दें, तब तक उन्हें देन के आधिक विकास के अर्थ-प्रबन्धन के माध्यन के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। १६५५-५६, १६५६-५७, १६५७-५८ में भारत सरकार वो आय व्यय से कमरा ४० लौं करोड़ रु०, ८६०४० करोड़ रु०, ४२०५५ करोड़ रु० अधिक थो, जिन्हु १६५८-५९, १६५९-६० में कमरा ५२५ करोड़ रु० तथा १५३६ (सनातिन अनुमान) करोड़ रु० का घाटा हुआ। १६६०-६१ के बजट में ६०३७ करोड़ रु० के घाटे का अनुमान था। २८ फरवरी, १६६१ को १६६१-६२ का बजट संसद के समझ पश्च हुआ। इस बजट में प्रस्तावित व्यय १,०२३५२ करोड़ रुपय तथा प्रस्तावित आय (कर के बनेमान स्तर पर) ६६२२६ करोड़ रुपय है। इस प्रकार ६०६० करोड़ रु० का घाटा इस बजट में निहित है, जिन्हें करो से ६०६७ करोड़ रु० की अनुनानित भारत को ध्यान में रखने पर बजट में नाम मात्र के लिए २७ लाख ६० की बचत होगी, ऐसा अनुमान है।

१६६५-६६ में श्री० टी० टी० टी० वृप्तरामाचारी न जो बजट संसद के समन रखा था कई बातों में सर्वश्रेष्ठ था। पहली बार कई बयों के बाद इस बजट में कुछ लाग्यों को नए बोझ के स्थान पर परिहार प्राप्त हुए। दूसरे, कई बयों के बाद पहली बार देशी का बजट विकास यथा जो कि न केवल राजस्व बजट में बद्दो दिखाई गई, घाटे के वित्त को विलक्ष रह करते हुए देशी दिखाई गई। एस प्रकार कृष्णरामाचारी न करनीति को इस प्रकार बनाया जिसम निजी कर और कमनी-कर में परिवर्तित किये, जिसे कर टैके को एक अन्दे और उचित आधार पर लड़ा कर दिया।

२८ फरवरी १६६६ में देश के नये वित्त मन्त्री श्री सचीन चौधरी द्वारा देश की आधिक दशा और आधिक उन्नति के नियमित उद्देशों की पूर्ति के लिए ध्यान रखा गया। इस प्रकार नये बजट में राष्ट्र के सभी विदेश क्षेत्रों में रत्नादन-भान्डि को बढ़ाने का प्रयत्न किया है। वित्त मन्त्री के भारतीयुक्तारजना को बड़ाने के लिए इस प्रकार का बालावरण बना देना चाहिये जिससे सचमूलक बदल सके और यह

ठीक क्षेत्रों में इसका निवेश होगा। साथ ही बजट में इस बात पर भी जोर दिया कि खर्चों में कुछ कमी ही और ऐसे प्रोजेक्ट, जिनकी सरकारी उन्नादन शक्ति को बढ़ने में समय लगेगा, उन्हे इतना अधिमान न दिया जाए जितने का उन उद्योगों को, जिनकी आवश्यकता जल्दी है।

इस बजट के प्रस्तावों के अनुसार नये करों से १०१५ करोड़ रुपया और प्राप्त होगा। कर प्रस्तावों का विशेष रूप इस प्रकार है—

(१) बोनस शेयर कर को हटा दिया जाए।

(२) लाभांश कर को ठीक रूप दिया जाए।

(३) कुछ परिहार समवाय पर करों का लगाना।

(४) १० प्रतिशत स्पेशल अधिभार बड़ी आय वाले लोगों पर।

(५) कम आय वाले लोगों पर कुछ परिहार और अन्त में

(६) समवाय क्षेत्र को कुछ प्रोत्साहन दिय जाएंगे ताकि धन का निवेश तथा पूँजी का सचय बढ़ सके।

१९६६-६७ के बजट में ११७ करोड़ रुपया मीड्यूदा करों को देखते हुए, घाटे का भाग रहेगा। एक बड़ा अंश इस घाटे का करों से पूरा किया जाएगा, बाकी भाग राज-कोष पत्रों को रिजर्व बैंक को जारी कर पूरा किया जाएगा। १९६६-६७ के बजट में कुछ मजबूरियों के कारण जनपद प्रशासन करण-व्यय, नये वित्त कमीशन के प्रस्तावों के अनुसार राज्य सरकारों को अधिक अनुदान देने के कारण, राजस्व व्यय २१७० करोड़ रुपया हो जाने की सम्भावना है। उसके मुकाबले में राजस्व प्राप्ति नये करों से धन को मिलाकर २४८१ करोड़ रुपये की सम्भावना है। इस प्रकार राजस्व लेखे में ३११ करोड़ रुपये की बचत होने की सम्भावना है। परन्तु विशेष जमा तथा वित्त पूँजी-गणना १९६५-६६ में १८७३ करोड़ रुपये हो जाएंगे और इस प्रकार पूँजी-गणन में ३३४ करोड़ रुपये का घाटा होगा। इस प्रकार इस वर्ष कुल १६५ करोड़ रुपये के घाटे के मुकाबले में १२५ करोड़ रुपये का घाटा होगा।

१९६६-६७ के लिए लोक क्षेत्र खर्चों के लिए १२३ करोड़ रुपया और बढ़ने से कुल १३७३ करोड़ रुपया हो जाएगा। करण-व्यय इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सरकार को स्वदेशी तथा विदेशी क्रहण व्यय का कर देना होता है। १९६६ में रक्षा पर १०० करोड़ रुपया खर्च हुआ। केन्द्रीय सरकार का भुगतान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को उधार तथा अनुदान दे रही है योजनाओं की पूर्ति के लिए। बौद्धिक वित्त कमीशन के प्रस्तावों ने अनुसार राज्य सरकारों द्वारा भाग केन्द्रीय आय-कर में बढ़ गया है। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार की सहायता राज्य सरकारों की ६७० करोड़ रुपये (१९६२-६३) से बढ़कर १४०६ करोड़ रुपये (१९६६-६७) हो जाने की सम्भावना है। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार की उधार तथा केन्द्रीय सरकार का सार्वजनिक क्रहण विशेषकर योजनाओं की पूर्ति के लिए दिन-प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। मार्च १९६६ में कुल सशोधित क्रहण ११,३८३ करोड़ रुपये था (पहली योजना में यह क्रहण ६४६ करोड़ रुपये, दूसरी

योजना में ३,०३३ करोड़ रुपये और तीसरी योजना में ४,८३६ करोड़ रुपये) मार्च १९६७ के अन्त तक यह बढ़कर १२,३६ - करोड़ रुपये हो जाएगा। २२ भारत में लोक-क्रहण का सर्वेक्षण—१८६७ के बाद, जब से लोक-निर्माण-कार्य करने की नीति अपनाई गई, जिसे बाद में उत्पादक-कार्य कहा जाने लगा, जैसे रेल, सिंचाई आदि, लोक निर्माण क्रहण अथवा उत्पादक क्रहण में निरन्तर वृद्धि हुई है। १८७६ के बाद से अनुत्पादक क्रहण को साधारण क्रहण कहा जाने लगा। जब से सरकार को भी कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ी, कुछ रेलों को कमरियों से खरीदने के लिए अथवा कर्ज देने के लिए सरकार के उत्पादक क्रहण में वृद्धि हुई। १८७८ में प्रब्रह्म सभिति (सिलेक्ट कमेटी) को सिक्कारिशों के अनुमान इसी एक वर्ष की अनिवार्य आय का प्रयोग क्रहण की अदायगी में नहीं होना चाहिए, बरन् उसका प्रयोग उत्पादक कार्यों में करना चाहिए, जिसके लिए अन्यथा सरकार को क्रहण लेना ही पड़ता। साधारण क्रहण में कमी का अर्थ दूसरी ओर लोक निर्माण कार्य के लिए लिये गए क्रहण में वृद्धि थी।

१८१४-१८ के युद्ध के पहले भारत के लोक-क्रहण का अधिकांश इंगलैंड में सिया गया था। सरकार ने नीति का अनुमोदन इस आवार पर किया कि इंगलैंड और भारत में घाज की दर में इन्होंने अन्तर था कि इंगलैंड में उचार लेने से यदि कोई हानि की सम्भावना हो तो वह पूरी हो जाए। उन्हे भारत के द्रव्य-बाजार का बहुत ही भ्रमपूर्ण ज्ञान था, जिसकी उधार देने की शक्ति वे इसी भी वर्ष ५ करोड़ रुपये से अधिक नहीं समझते थे। १८१४-१८ के महायुद्ध में यह सिद्ध हो गया कि उनका यह अनुमान तहुत कम था। इस काल में साधारण लोक-क्रहण बड़ी तीव्र गति से बढ़ा। ३१ मार्च, १८१६ में ३१ करोड़ रुपये था और मार्च १८२४ में वह २५७७०० करोड़ रुपये हो गया। यह भारत के युद्धकालीन १००० लाख पौष्टि^१ का अशादान नहीं दिल्ली के व्यय और बेंगलीय सरकार के युद्धोत्तरकालीन धारे के बजटों के कलस्वरूप था। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में लगातार युद्धकालीन क्रहण लिये गए। इंगलैंड के द्रव्य-बाजार पर वहीं की सरकार द्वारा युद्ध के लिए मांगे हुए कर्ज का भार पहचे ही शक्ति-भर पड़ चुका था और भारत से १८१७ में ५३ करोड़ ८० का और १८१८ में ५७ करोड़ रुपये का क्रहण प्राप्त हो चुका था। इससे और अधिक क्रहण पाने की आशा भी थी। युद्ध-काल में भारत की घन के बाजार की क्रहण देने की शक्ति का जो परिचय मिला वह युद्धोत्तर-काल में भी जारी रहा। युद्ध-सम्बन्धी क्रहण की बड़ी मात्रा के अतिरिक्त इस क्रहण की एक दूसरी विशेषता क्रहण देने वालों की सूख्या थी। इसके लिए हमें प्रभावजाली विज्ञापन और लोक-क्रहण प्रत्यासन द्वारा अधिकाधिक सुविधाओं, जो राज्य के खजानों और

^१ १८१८ में युद्ध के और अधिक चरने की दशा में युद्धसम्बन्धी ४५० लाख के अतिरिक्त अशादान का बचन दिया जा चुका था, परन्तु १८१८-२० में अपेगान-युद्ध के कारण १६० लाख पौष्टि का भारी खर्च हो गया वे कारण युद्धसम्बन्धी अशादान वीं मात्रा बहुत बन दी गई।

उप-खजानों में प्राप्त थी, का आभारी होना चाहिए। इस सम्बन्ध में डाकखाने की युद्ध सम्बन्धी जण शाखा और केंद्र स्टिफिलेट की प्रणाली, जिसे सरकार की छह नीति में स्थान मिला था, विशेष उल्लेखनीय है।

ट्रेजरी बिल १९४४-४८ की लडाई की देन थे, जो सर्वप्रथम १९४७ के विटिजा युद्ध-कार्यालय की तरफ से सरकार द्वारा वितरण के लिए जारी किये गए। युद्धोत्तर-काल में आप का कमी पूरी करन के लिए थे फिर जारी किये गए थे, जबकि पुराने विलों की रकम नवे विल जारी करके अदा की गई थी। अन्त में ट्रेजरी बिल की बहुत बड़ी बकाया रकम लम्बी अवधि के छह एंचरण से प्राप्त घनों द्वारा दी गई, जोकि अन्त्ये अर्थ-प्रबन्ध की हालिय से अनुचित थी। १९२६-३० से ट्रेजरी बिल का जारी करना केन्द्रीय अर्थ-प्रबन्ध का एक सावारण कार्य हो गया है।

१ फरवरी, १९४१ से छ-वर्षीय सुरक्षापत्र (डिफेन्स-बॉण्ड) के स्थान पर ३% का दूसरा सुरक्षा छह (डिफेन्स लोन) अधिक लम्बी अवधि के लिए जारी किया गया। १९४२-४३ में सुरक्षा छह में लोनों ने ११५ करोड़ रुपया लगाया। बाद में तीसरा, चौथा तथा अनेक छह जारी किये गए, जिनम् १९४३-४४ में कुल २७६ करोड़ रुपया जमा हुआ और यदि युद्ध-प्रारम्भ-काल से ही हिसाब लगाया जाए तो कुल ५४७ करोड़ रुपया जमा हुआ। लेपर वलियत छहों में अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए डिफेन्स सर्विस प्राविडेण्ट फण्ड आरम्भ किया गया, जिससे सरकारी कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से रुपया जमा करने की मुविधा हो गई। एक सरल ढग सर्वसाधारण के लिए रुपया जमा करने का पोस्ट ऑफिस डिफेन्स सेविंग्ज बैंक अकाउंट को नई योजना द्वारा प्रचलित किया गया, जिसमें जमा किया हुआ रुपया माँगने पर नहीं बल्कि युद्ध-समाप्ति के एक वर्ष बाद मिल सकता था। इसे प्रोत्साहित करने के लिए इसमें व्याज की दर सावारण पोस्ट सेविंग्ज बैंक अकाउंट से १% अधिक रखी गई।

१९३७-३८ से भारत के लोक-छह को निम्न मुख्य विशेषताएँ रही है—
 (१) व्याज बहन करने वाले भारत सरकार वे छह की मात्रा में निरन्तर वृद्धि (जिसमें अनिश्चित काल के छह और निश्चित काल के छह सम्मिलित थे), (२) १९४२-४३ तक सावधि और बिना अवधि के छह की मात्रा में, जो बिसी सीमा तक स्टलिंग छह की अदायगी के सम्बन्ध में प्रचलित किये गए थे, निरन्तर वृद्धि, (३) १९४२-४३ तक अल्पकालीन छह में वृद्धि, जिसका प्रतिनिधित्व ट्रेजरी विलों द्वारा किया जा रहा था, जिसकी मात्रा युद्ध के पहले से ६ गुनी बढ़ गई थी जो स्टलिंग छह की अदायगी के लिए प्रचलित किये गए थे, (४) अगले चार वर्ष में अल्पकालीन छह में कमी होना और अनिश्चित काल के छह की मात्रा में वृद्धि, (५) १९४२-४३ तक छोटी मात्रा में वचत म व्यी, पर बाद के वर्षों में फिर से मात्रा बढ़ना (विशेषकर नेशनल सेविंग्ज सर्टीफिकेट वे प्रचलन के बारें), और (६) स्टलिंग छह का अन्त, जो युद्ध के समय में रुपये के नहर से बढ़ गया था, आदि।

१९४२-४३ से युद्धकालीन वित्त सम्बन्धी विकास का नया रूप आरम्भ हुआ, जिसकी एक विशेषता लोक-क्रहण की वृद्धि की गति में तीव्रता तथा युद्धकालीन व्यय में अनिवार्यतर वृद्धि के कारण थाटे के बजट और मुद्रा-प्रसार का बढ़ता हुआ भार था।

१९५३-५४ में यह २६६५ करोड़ रुपये था। इसमें से २५१४ करोड़ ह० आन्तरिक क्रहण था तथा जेप १४१ करोड़ ह० बाह्य क्रहण था। १९५४-५५ में भारत का क्रहण बढ़कर ३०३६ करोड़ ह० हो गया। इसमें से २६०० करोड़ ह० आन्तरिक और १३६ करोड़ ह० बाह्य क्रहण था। आशा की जाती है कि मार्च, १९५६ के अन्त तक क्रहण में ४७० करोड़ ह० की वृद्धि होगी और क्रहण बढ़कर ३५०६ करोड़ ह० हो जाएगा।

१९६० के सशोधित अनुमान के अनुसार भारत के आन्तरिक लोक-क्रहण की मात्रा ३८२४-६१ करोड़ ह० यो तथा १९६१-६२ के बजट अनुमान में इसकी मात्रा ४०५६-६२ करोड़ ह० प्रस्तावित है। इन्हीं वर्षों के लिए बाह्य क्रहण की मात्रा—जिसमें इगलैंड, पू० एस० ए०, कनाडा, पश्चिमी जर्मनी, जापान, चेकोस्लोवाकिया, पोलैण्ड, पूर्गोस्लाविया, स्विट्जरलैण्ड तथा चिरच बैंक के क्रहण भी सम्मिलित हैं—६२६०-६० करोड़ ह० तथा ७११० १३ करोड़ ह० है।^१ १९६६-६७ में बाह्य क्रहण की मात्रा ३२६३-४४ करोड़ रुपये हो जाएगी।

यहाँ लोक-क्रहण के सम्बन्ध में एक बात स्पष्ट कर देना अच्छा होगा। जो क्रहण भारत में लिया जाता है उसे रुपये का क्रहण कहा जाना है, क्योंकि रुपय म ही यह प्राप्त होता है और मूलधन तथा व्याज आदि सब रुपये ही में यदा किए जाते हैं। भारत में रुपये का क्रहण दो भागों में विभाजित है—प्रथम भारतीय विनियोजक और दूसरा पूरोषीय विनियोजक। यह सुभाव दिया याहू है कि सभी क्रहण, चाहे रुपय के हो भी चाहे स्टॉलिंग के, चाहे भारत में प्राप्त हुए हो और चाहे इगलैण्ड में, यदि गैर-भारतीयों द्वारा दिये गए हैं तो बाह्य क्रहण हैं और यदि भारतीयों द्वारा दिये गए हैं तो आन्तरिक क्रहण हैं।

२३. पीण्ड-पावना—पत्र-मुद्रा नुस्खित कोप के माण के रूप में भारत मर्दव से इण्डियान में स्टॉलिंग रखता आया है। रिजर्व बैंक ऑफ़ इण्डिया एक्ट के अन्तर्गत नियंत्रित वित्तना (इश्टू डिपार्टमेण्ट) की सम्पत्ति का कम-से-कम ४० प्रतिशत स्वरुप या स्वरुप-सिवके प्रथमा स्टॉलिंग प्रतिसूलियों के रूप में होना आवश्यक है। साथ ही यह यह भी थी कि स्वरुप की मात्रा का मूल्य कम-से-कम ४० करोड़ रुपये हो। सितम्बर, १९३६ में पीण्ड-पावने ५२० लाख पीण्ड थे। १४ अगस्त, १९४७ को यह ११,३७० लाख पीण्ड थे। पीण्ड-पावना एक्सित होने का मुख्य साधन युद्ध के लिए प्रिटिश सरकार और मित्र देशोंद्वारा भारत से भड़ाव और अन्य वस्तुओं का नया था। इस क्रप के लिए रुपया रिजर्व बैंक ऑफ़ इण्डिया एक्ट की उस धारा के अन्तर्गत प्राप्त किया गया, जिसके अन्तर्गत वक्त असीमित मात्रा में स्टॉलिंग खरीदने के लिए वाध्य

१. देलिय, इण्डिया १९६१, प० २२८।

या। पौण्ड-पावना भारतीय जनना का भारी त्वाग प्रदर्शित करते हैं, जो भारत की अपनी सुरक्षा की लागत तथा विटेन और मित्र देशों की सरकार के युद्ध-सम्बन्धी प्रयासों के लिए वस्तुएँ और सेवाएँ प्रस्तुत करने के कारण कठोर अप्राव और मुद्रास्फीति के रूप में प्रकट हुआ। यह लागत भी भारत को अपनी इच्छा के विरुद्ध के बल वाइसराय के अप्रजातन्त्रात्मक आदेश से युद्ध में सम्मिलित होने के कारण उठानी पड़ी। अतएव भारत का पूरा भुगतान विलगे का अधिकार बहुत ही दृढ़ है और उसके प्रति पहले की अपेक्षा अब बहुत कम विरोधी है।

३१ दिसम्बर, १९४७ तक की अवधि के लिए भारत के पौण्ड-पावनों के सम्बन्ध में एक अन्तर्कालीन समझौते (इण्टरिम एग्रीमेण्ट) पर लन्दन में १४ अगस्त, १९४७ को हस्ताक्षर हुए। इस समझौते की मुख्य बातें निम्न थी—

(१) रिजर्व बैंक को दो खाते रखने के लिए कहा गया। खाता न० १ खास चालू खाता होगा, जिसमें परिवर्तनीय मुद्रा होगी। पौण्ड-पावने से दी जाने वाली रकम और भविष्य की अंजित राशि इसी खाते में जमा की जाएगी।

खाता न० २ शेष एकत्रित राशि होगी।

(२) खाता न० १ में ३५० लाख पौण्ड जमा करना था।

(३) ३५० लाख पौण्ड के अलावा विदेशों को भुगतान करने के साधनों की कमी पूरा करने के लिए खाता न० १ में ३०० लाख और जमा किया गया।

१९४८ के एक तारे समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसकी मुख्य बातें निम्न थी—

(१) भारत में इगलिस्तान के भण्डार—१ अप्रैल, १९४७ को दिये गए सारे भण्डारी आदि के पूरे और अन्तिम भुगतान के लिए १००० लाख पौण्ड (१३३ करोड़ रुपया) दिया जाएगा।

(२) स्टॉलिंग पैन्शन (निवृत्ति-देतन)—इगलिस्तान की सरकार को १४७५ लाख पौण्ड (१६७ करोड़ रु०) दिया जाएगा और भारत सरकार कमश हासमान वार्षिक वृति (एनुइटी) खरीद लेगी, जो १९४८ में ६३,००,००० पौण्ड से शुरू होगी। धीरे-धीरे ६० वर्द में शून्य हो जाएगी।

(३) सुरक्षा व्यय योजना—अविभाजित भारत ने १९४६-४७ के अन्तिम लेवो के अनुसार भारत और इगलैण्ड के बीच सुरक्षा-व्यय निवारण योजना के अन्तर्गत इगलिस्तान पर ४६० लाख पौण्ड (६५ करोड़ रुपया) था। इस योजना में विचारित अवधि की अन्य देशों को ध्यान में रखकर अन्तिम रकम ६५० लाख पौण्ड (७३ करोड़ रु०) निश्चित की गई।

(४) पौण्ड-पावना की अदायगी—१ जुलाई, १९४८ से तीन वर्ष की अवधि में इगलिस्तान ८०० लाख पौण्ड पौण्ड-पावने में से देगा और भारत खाता न० १ में पौण्ड-पावने की इससे पहले अदा की गई रकम से ८०० लाख पौण्ड जमा रखेगा।

(५) बहु-परिवर्तनशीलता (मल्टीसेटरल कनवर्टिबिलिटी)—पहले वर्ष यानी

१६४८ में १५० लाख पौण्ड (२० करोड रु.) देने की व्यवस्था थी और ३ वर्ष के अन्त में स्थिति के पुनर्विलोकन की व्यवस्था थी।

जैसा ऊर (४) कहा जा चुका है, सेनिक भण्डारों, पेन्जानों आदि के मद में भुगतान करने के बाद भारत के पौण्ड-पावने ८००० लाख पौण्ड थे। यदि पहले तीन वर्षों में मिलने वाला १६०० लाख पौण्ड इसमें से घटा दिया जाए तो पौण्ड-पावने कुल ६४०० लाख पौण्ड के थे।

किन्तु जून, १६५१ में समाप्त होने वाले स्टॉलिंग समझौते को ३० जून, १६५७ तक के लिए बढ़ा दिया गया और उसमें निम्न परिवर्तन किये गए—

(१) (करेन्सी) मुद्रा-मुरक्षित-कोष के स्वप्न में रिजर्व बैंक द्वारा रखे जाने के लिए खाता न० २ से ३१०० लाख पौण्ड खाता न० १ में स्थानान्तरित कर दिये गए।

(२) १ जुलाई, १६५१ से १२ महीने की ६ अवधियों में प्रत्येक वर्ष खाता न० २ से खाता न० १ में अधिक-से-अधिक ३५० लाख पौण्ड स्थानान्तरित किया जा सकता था, बशर्ते कि (क) खाता न० १ की न्यूनतम राशि ३४०० लाख पौण्ड बनाए रखने के लिए स्थानान्तरण हो, या दोनों सरकारों को मान्य इससे कम रकम का स्थानान्तरण इसी उद्देश्य से हो, (ख) ३५०० लाख पौण्ड का स्थानान्तरण योग्य कोई भी भाग, जो किसी अवधि में स्थानान्तरित न किया जाए, वह बाद के वर्षों में स्थानान्तरण-योग्य राशि में जोड़ दिया जाए, (ग) यदि किसी अवधि में भारत सरकार खाता न० २ से ३५०० लाख पौण्ड से अधिक लेने की आवश्यकता समझे तो बाद की अवधि में स्थानान्तरण-योग्य राशि ५० लाख पौण्ड कर दी जाएगी। यदि भारत सरकार बाद की अवधि में इससे अधिक की आवश्यकता समझे तो दोनों सरकारें इसे आपस में तय कर लेंगी, (घ) ३० जून, १६५७ को खाता न० २ में जो कुछ भी होगा वह खाता न० १ को स्थानान्तरित कर दिया जाएगा।

फरवरी १६५२ में पौण्ड-पावने के १६५१ के समझौते को ३० जून, १६५७ तक के लिए बढ़ा दिया गया। जुलाई, १६५३ में एक औपचारिक समझौता और किया गया, परन्तु पौण्ड-पावने की १६५१ की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकारों के बीच वित्तीय सम्बन्ध

२४. १६१६ के मुधारों के पूर्व के वित्तीय सम्बन्ध—१६३३ से १६७१ तक वित्त-शक्ति पूर्ण रूप से भारत सरकार वे ही हाथों में बेन्द्रित थी और वही प्रान्तीय सरकार के व्यय को छोटी-से-छोटी बातों पर नियन्त्रण रखती थी।

१६३७ में लॉर्ड निटन द्वारा विवेन्द्रीकरण को और एक कदम और उठाया गया, जिसमें वित्त-मन्त्री सर जॉन स्ट्रेंथ ने सहयोग दिया। आय के प्रान्तीय प्रहृति के सभी साधन, जैसे मालगुडारी, उत्पादन, स्टाम्प, सामान्य प्रशासन, न्याय आदि, प्रान्तों को दिये गए। विभागों से प्राप्त आय और प्राचीन धन के अनुदान वे प्रतिरिक्षित कुछ आय के साधन, जैसे उत्पादन-कर, स्टाम्प और न्याय प्रान्तीय सरकारों को दे दिये गए। इस प्रबन्ध के अन्तर्गत आय के साधनों को प्रान्तीय और केन्द्रीय दो

भागो में बॉट दिया गया ।

१८८२ में लार्ड रिपन ने वित्त-सदस्य मेजर बेरिंग की सहायता से प्रान्तीय समझौतों में कुछ सुवार किये । अब हर पाँचवें वर्ष इन समझौतों का पुनर्विलोकन होता था । उन्होंने निश्चित इकट्ठी रकम के अनुदान को बन्द कर दिया और निम्न प्रकार से आय के साधनों का फिर से बटवारा किया—

(१) केन्द्रीय मद—प्रफीम, नमक, निराकार्यकर, व्यापारिक कार्य इत्यादि ।

(२) प्रान्तीय मद—नागरिक विभाग, प्रान्तीय निर्माण-कार्य और प्रान्तीय कर ।

(३) विभाजित मद—उत्पाद-कर, आरोपित कर, स्टाम्प, बन, रजिस्ट्रेशन इत्यादि ।

अपना घाटा पूरा करने के लिए निश्चित घनराशि का अनुदान देने के स्थान पर उन्हे मालगुजारी का एक विशेष प्रतिशत दे दिया गया और उसके साथ-साथ निश्चित रोकड़ उसी मद के अन्तर्गत हस्ताकित कर दी गई जोकि व्यवस्थापन का एक महत्वशाली साधन बन गई । इसी प्रकार के समझौते सिद्धान्तों में परिवर्तन किये गिना १८८७, १८९२ और १८९७ के सिद्धान्तों में किये गए, यद्यपि प्रान्तों में कुछ असन्तोष और मतभेद रहा ।

वित्तीय नीति की अनिश्चितता और निरन्तरता की कमी दूर करने के लिए प्रधार्यि प्रान्तीय समझौतों को लाँड़ कर्जन ने १८०४ में अर्द्ध-स्थायी बना दिया, अर्थात् पूर्वस्थिति में काफी परिवर्तन होने अपवा अकाल या युद्ध-जैसे विपत्ति-काल के उपस्थित होने पर ही उन्हे बदला जा सकता था ।

१८१२ में लाँड़ हार्डिंग द्वारा यह समझौता स्थायी घोषित कर दिया गया और निम्न विभाजन किया गया । जहाँ तक आय से सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार ने वे सारे आय के स्रोत अपने पास रखे जो बॉट नहीं जा सकते थे या किसी प्रान्त-विशेष के नहीं थे । इनको साम्राज्य (इम्पीरियल) आय-स्रोत कहा गया, जैसे अफीम, रेल, निराकार्यकर, नमक, टकसाल, विनियम, डाक और तार, सेना द्वारा आय और देशी रियासतों से प्राप्त धन । वे हुए में से कुछ तो पूर्णरूपेण प्राप्तीय थे, जैसे जगल, उत्पाद-कर, (बगाल और बम्बई में) रजिस्ट्रेशन तथा विभागों से प्राप्त आय, जैसे विकास, न्याय आदि । अन्त में एक बहुत महत्वशाली आय का स्रोत विभाजित मद थे, जैसे मालगुजारी, आय-कर, उत्पाद-कर (बगाल और बम्बई को छोड़कर), सिचाई और स्टाम्प । सुवार के पूर्व की प्रणाली में अनेक दोष थे—(१) दोनों सरकारों के बीच बैठने वाले आय के स्रोत निरन्तर केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्तक्षेप के साधन बने थे और प्रान्तों के विकास में बाधक थे, (२) समय-समय पर प्रान्तीय सरकारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रणीत बचत से दी हुई 'सभिक्षा' (डोल्स) का प्रभाव प्रान्तीय वित्त पर अस्त व्यस्तकारी था, (३) इसने अन्तप्रान्तीय वित्त-सम्बन्धीय गम्भीर असमर्निता को जन्म दिया, (४) प्रान्तीय सरकारों को करारोपण तथा अरण लेने का स्वतन्त्र अधिकार नहीं था, (५) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रान्तों के बजट और ध्यय पर बहुत विशद नियन्त्रण लगाया गया था । उदाहरण के लिए प्रान्तीय

सरकारें घाटे को पूरा करने का न तो कोई प्रबन्ध ही कर सकती थी और न अपने अनियंत्रित को स्वतन्त्रतापूर्वक खच्च ही कर सकनी थी।

२५. १९१६ के सुधारों के अन्तर्गत पारस्परिक आर्थिक सम्बन्ध—सुधार के बाद से देन्द्रीय सरकार के साथ आर्थिक सम्बन्ध विनकुल बदल गए। आय-व्यय का नवीन बटवारा नियन्त्रण प्रकार किया गया—(१) देन्द्रीय आय के साधन—अफीम, नमक, निराकाश्म-कर, आय कर, रेल, डाक और तार, सेना से आय, (२) प्रान्तीय आय के माध्यम—मालगुजारी (सिचाई को सम्मिलित करते हुए), स्टाम्प (व्यापारिक और न्यायिक), रजिस्ट्रेशन, उत्पाद-कर और बन। जो माझेहु चेम्सफोड़ सुधार और मेस्टन कमेटी द्वारा आय-कर देन्द्रीय बरार दिया गया था, उसे प्रान्तों से पूर्णरूपेण ले लिये जाने के बिरुद्ध मुश्यत बम्बई और बगाल के औद्योगिक प्रान्तों द्वारा आन्धोलन करने के कारण अन्त में यह निर्णय किया गया कि प्रान्तों को इस कर से प्राप्त आय का एक छोटाना अस दे दिया जाए, जोकि आधार-वर्ष १९२०-२१ में आय-कर की निर्धारित आय के उपरान्त जितने रुपये की आय पर कर-निर्धारण किया गया, उससे प्राप्त करके प्रत्येक रुपये के ३ पाई के बराबर होगा। टेक्सेशन इन्कावायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यह नियम अपने उद्देश्य में असफल रहा। वस्तुत कियी एक आधार-वर्ष के अनुसार बटवारा करना नियन्त्र अद्युद था।^१

२६. मेस्टन परिनिर्णय—वाटे जाने वाले आय के स्रोतों के अन्त और कुछ स्रोतों, जैसे मालगुजारी और स्टाम्प आदि, को प्रान्तों को दे देने का परिणाम यह हुआ कि देन्द्रीय सरकार की आय में ६८३ लाख रुपये की कमी हो गई, जिसको प्रान्तीय अशदान की किसी योजना से पूरा करना था। १९२० में एक कमेटी लाई मेस्टन के समापनित्व में इस प्रबन्ध पर तैयार इससे सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई और इसकी सिफारिंज मेस्टन परिनिर्णय के नाम से पुजारी जाती है। इस कमेटी ने इस भार क बटवारे के लिए यह प्रस्ताव किया कि १९२१-२२ में प्रान्त एक प्रारम्भिक अशदान दें, जिसकी मात्रा प्रान्तों की बड़ी हुई व्यय-शक्ति के आधार पर निश्चित की जाए।

२७. प्रान्तीय अशदान का अन्त—मेस्टन परिनिर्णय से कोई प्रसन्न न था, वरन् प्रान्तों में इससे बड़ा असन्तोष फैल गया। बम्बई और बगाल के औद्योगिक प्रान्त आय-कर के घाटे को सहन करने को कभी भी तैयार न थे और कृषि-प्रधान प्रान्त, जैसे मद्रास, पञ्जाब और उत्तर प्रदेश, इस बात से अप्रसन्न थे कि उनका प्रारम्भिक अनादान बहुत अधिक था। ये अशदान यथार्थ में भार लगने लगे, जबकि प्रान्तों को मेस्टन कमेटी के अनुमानित सुखदायी अनियंत्रित के स्थान पर लगातार आय की कमी वा सामना करना पड़ा। जो आय के स्रोत उन्होंने दिय गए थे, जैसे मालगुजारी, वे सामान्य विपत्तियों की कोन कहे—अपर्याप्त और लोचहीन थे। इसलिए अशदान के अन्त के लिए नियन्त्र रांग होनी रही।

१. देस्तिए, देन्द्रीय इन्कावायरी कमेटी रिपोर्ट, पैरा ५३६।

केन्द्रीय सरकार की आय में धीरे-धीरे वृद्धि होने के कारण १९२५-२६ और १९२६-२७ में कुछ सहायता सम्भव हो सकी। १९२७-२८ में जो कुछ अशादान का अवशेष था उसको कम कर दिया गया और १९२८-२९ में उसका मन्त्र कर दिया गया।

२८. भारत में संघातमक वित्त की समस्या—प्रान्तीय अशादान के मन्त्र से प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकारों के बीच आय के स्रोतों के बटवारे के खाड़े का अन्त नहीं हुआ। प्रान्तीय विशेषकर औद्योगिक प्रान्तों, जैसे बगाल और बम्बई की मुख्य आपत्ति फिर भी बनी रही। आपत्ति यह थी कि व्यापत्रिकेन्द्रीय सरकार के व्यय स्थायी बने रहे, जिनमें केवल सेना के बनाए रखने का व्यय और लोक-करण पर व्याज के व्यय ही सम्मिलित थे, केन्द्रीय सरकार ने अपने लिए आय के ऐसे स्रोतों को, जैसे आय कर और निराकार्यकर आदि, अपना लिया था, जिनमें वृद्धि हो रही थी अथवा जिनमें वृद्धि की सम्भावना थी और उन्होंने प्रान्तों के लिए आय के ऐसे स्रोत छोड़ रखे थे जो लोचहीन और न बढ़ने वाले थे, जैसे मालगुजारी और उत्पाद कर आदि, हालांकि प्रान्तों की आवश्यकताएँ तीव्र गति से बढ़ रही थीं। कुछ स्थानों पर मालगुजारी पहले से ही बहुत अधिक थी और सर्वत्र बहुत लम्बी अवधि के लिए निश्चित की जा चुकी थी। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की वृद्धि के लिए जनता सहमत नहीं थी। मद्य-नियंत्रण की नीति अपनाने के कारण उत्पाद-कर में अवनति अवश्यम्भावी थी। बत विभाग के विस्तार के लिए बड़ी मात्रा में पूँजी के विनियोग की आवश्यकता थी। बैदल स्टाप्प ही एक ऐसा स्रोत था जिसमें वृद्धि की कुछ सम्भावना थी। प्रान्तों पर ही राष्ट्रीय उन्नति के विभागों, जैसे शिक्षा, औषधि, कृषि आदि, का उत्तरदायित्व था, जिन पर बड़ी मात्रा में विनियोजन अत्यन्त आवश्यक था। दुर्भिक्ष-सम्बन्धी व्यय भी प्रान्तों ही के कम्बो पर डाल दिया गया था। नये सुधारों के अन्तर्गत अतिरेक आय के बटवारे में जो भाग प्रान्तों को हस्तान्तरित किया जाता था, उसकी मात्रा का निरंय अनियमित ढग से किया जाता था और उसका सम्बन्ध न तो प्रान्तों की आवश्यकताओं से ही था और न उनसे बसूल की जाने वाली कुल आय से ही। निस्सन्देह १९२० के आय-स्रोतों के बटवारे के परिणामस्वरूप सब प्रान्तों को अधिक व्यय-सक्ति मिली। इसका लाभ असमान मात्रा में अनुभव किया गया और अशादान के अन्त ने प्रान्तीय आय-स्रोतों की असमानता को और भी अधिक बढ़ा दिया। जब साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी (१९३०), तो उस समय स्थिति यह थी कि प्रान्तों की आय तो स्थिर थी पर उसकी भावी आवश्यकताएँ सर्वत्र असीमित थी।^१

२९. १९२५ के विधान के अनुसार केन्द्र और प्रान्तों के बीच आय स्रोतों का बटवारा^२—गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट के अनुसार यह व्यवस्था की गई थी कि कर

१. साइमन कमीशन रिपोर्ट, खण्ड २, पैरा २६००६१ और २६३।

२. गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट की वित्त-सम्बन्धी व्यवस्था उस एक्ट के १३७-४४ सेक्शनों में है।

मिलाकर १२ बरोड रुपये से कम होती, उस समय तक आय कर छोड़ा जाने वाला नहीं था।

जिस प्रतिशत मनुष्यात में प्रान्तों के बीच आय बटने वाली थी, वे निम्न हैं—
मद्रास १५, बम्बई २०, बगल २०, यू० पी० १५, पंजाब ८, बिहार १०, मध्य प्रदेश ५, आसाम २, उ० प० सीमाप्रान्त १, उडीसा २ और सिन्ध २।

३१. प्रान्तों को सहायता—प्रान्तीय स्वायत्त शासन के आरम्भ-काल से ही कुछ प्रान्तों को तुरन्त सहायता देने के लिए सर आँटो निमेयर ने प्रस्ताव किया था। यह सहायता कुछ सीमा तक नकद सहायता के रूप में थी, कुछ सीमा तक १६३६ के पहले लिये वास्तविक छहण (कुछ चीजें घटाकर) के विलोपन के रूप में थी और कुछ सीमा तक १२२% के जूट-कर के बटवारे के रूप में थी। बगल, बिहार, आसाम, उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त और उडीसा के सम्बन्ध में सारा वास्तविक छहण विलोपित कर दिया गया था और मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में १६३६ के पहले के आय के घाटे के कारण लिये गए छहण और उसके साथ १६२१ के पहले का लगभग २ बरोड रुपये का छहण भी विलोपित कर दिया गया था।

वार्षिक अर्थ-सहायता निम्न प्रकार थी—उत्तर प्रदेश २५ लाख पाँच बर्ष तक, आसाम ३० लाख, उडीसा ४० लाख, उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त १०० लाख, (पाँच बर्ष पश्चात् इस पर पुनः विचार करना आवश्यक था), सिन्ध १०५ लाख, जो दस बर्ष बाद धीरे-धीरे कम किया जाना था।

सर आँटो निमेयर का कहना था कि पर्याप्त यात्रा में न्याय तभी हो सकेगा जबकि बाँटने की दर कुछ तो निवास-काल और कुछ जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाएगी। इन दोनों सिद्धान्तों के प्रति कटूर सिद्धान्तवादी आदर दिखाना असंगत और अन्यायपूर्ण होगा।

३२. समझौते के सिद्धान्त—स्पीट के मुख्य अश नीचे दिये जाते हैं—मर्वन्मेट औफ इण्डिया एकट तक जितने वादविवाद इस सम्बन्ध में हुए हैं सबमें यह बात मान ली गई थी कि प्रान्तीय स्वायत्त शासन के आरम्भ-काल से ही प्रत्येक प्रान्त को इस प्रकार सम्पन्न कर देना चाहिए कि आर्थिक सतुलन बनाए रखने की सम्भावना पर उनमें विश्वास रहे और विशेष रूप से स्थायी आर्थिक हीनता की दशा का, जिसमें कुछ प्रान्त पढ़ गए थे, अस्त हो जाए। इसलिए मेरा सर्वेप्रथम ध्येय प्रान्तों की वर्तमान और भावी आर्थिक स्थिति की परीक्षा करना और इस बात का पता लगाना रहा है कि इस ध्येय को पूरा करने के लिए किस सीमा तक सहायता की आवश्यकता पड़ेगी और दूसरे यह समझ लेना भी आवश्यक रहा है कि किस सीमा तक केन्द्रीय सरकार अपनी आर्थिक समृद्धि को हानि पहुँचाए विना इस प्रकार की सहायता प्रदान करने की स्थिति में है। अन्त में हमें भविश्य की ओर भी देखना और सुभाव देना था कि इब और विस सीमा तक केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकारों के समक्ष आय कर की प्राप्ति में से खर्च करने के लिए और अधिक धन दे सकेंगी।

प्रान्तीय इंटिकोए से इस ध्येय की प्राप्ति की वाञ्छनीयता अस्वीकार नहीं

की जा सकती, पर एक ही प्रश्न (यद्यपि वह कठिन प्रश्न है) उठना है कि पक्षपात-रहित न्यायपूर्ण बटवारे का आधार कैसे निश्चित किया जाए और दूसरी ओर वेन्द्रीय सरकार के हाइटोरें से यह स्पष्ट है कि भारत की आर्थिक दृढ़ता, स्थिरता और साथ वा ध्यान सर्वप्रथम होना चाहिए।

भारत सरकार ने सर अंडो निमेयर के मुझावा को पूर्णतः स्वीकार कर लिया और प्रान्तीय स्वायत्त-शासन आरम्भ करने के लिए १ अप्रैल, १९३७ की तिथि प्रस्तावित की। इसलिए २७ मई, १९३८ को कौन्सिल से आय के बटवारे तथा प्रान्तीय स्वायत्त-शासन के आरम्भ की आज्ञा जारी की गई।

३३ प्रान्तों द्वारा आपत्ति—जैसी कि आज्ञा थी वहन-से प्रान्त यस्तुप्त थे और उन्होंने अन्याय की शिकायत की। उडीसा को यह शिकायत थी कि उसके लिए अर्ध सहायता कबल ५० लाख रुपये की थी, जबकि मिन्ब के लिए १०५ लाख ह० थी। इस बात की भी शिकायत की गई कि प्रान्तों को दी गई सहायता का बटवारा वास्तविक आवश्यकता के विचार से किया गया था, न कि उनके गुणों के विचार से, इसलिए प्रान्तों में आय का बटवारा अन्यायपूर्ण और निराधार था। वे प्रान्त, जिन्होंने अपना अर्ध-प्रबन्ध मित्रव्ययना और योग्यता से नियमित किया था, वे ऐसे प्रान्तों की तुलना में, जो किंजलखर्ची करने वाले और अयोग्य थे, सबसे अधिक घाटे में रहे। उदाहरण के लिए बम्बई इसलिए दुखी था कि इतने बर्पों की उसकी कट्टकारी मित्रव्ययता, जिसके लिए उसे भेस्टन वे परिनिर्णय के कारण बाध्य होना पड़ा था, उचित ध्यान नहीं रखा गया। उसने आय-कर में से अधिक बड़े भाग की इस अनिवित्क आधार पर माँग की थी कि २५% से अधिक आय-कर बम्बई में ही वसूल होता था और बम्बई को श्रीद्योगिक जनसभ्या के हित के लिए अनेक महंगी सेवाओं की व्यवस्था करनी पड़ती थी। बम्बई ने इस बात पर आपत्ति की कि आय-कर से सहायता वा बटवारा पूर्ण-रूपेण रेलव विभाग की सफलता पर आधारित था और इस बात पर जोर दिया कि काल्पनिक ऋण, जिसका सृजन अनुत्पादक पिचाई के साथनों के सम्बन्ध में किया गया था और जिसे आय से पूरा किया जाता था न कि ऋण से, विलोपित कर दिया जाए। बम्बई सरकार की ओर से यह तर्क भी उपस्थित किया गया था कि यदि बगाल को जूट के निर्यात-कर से लाभ मिलना था तो उसे भी रुई के निर्यात-कर से लाभ मिलना चाहिए। इस प्रकार मद्रास की यह भावना थी कि उसे अधिक मिलना चाहिए था, क्योंकि यदि जनसभ्य को ही अधिक बढ़ावा जाए तो उसे २० प्रतिशत के स्थान पर आय-कर का लगभग २४ प्रतिशत मिलना चाहिए था। मद्रास सरकार ने अपनी तुलना बगाल-जैसे प्रान्तों से की जिसन अपनी आय-व्यय का सुलभ बनने की तात्परी भी बिना नहीं की थी और यह शिकायत की कि बम्बई को आय-कर का बहुत बड़ा भाग दिया गया है। बिहार ने अपने को सबसे अधिक निर्घन प्रान्त कहकर अधिक सहायता की माँग उपस्थित की और यह इच्छा प्रकट की कि बटवारे का आधार यदि जनसभ्या होता तो अधिक अच्छा होता। पजाद की यह शिकायत थी कि उसके उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त से पृथक किये जाने को बहुत

पुरानी बात को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया है और बेकार ही यह धारणा बना ली गई कि यदि सीमाप्रान्त अलग न किया गया होता तो उसके ऊपर वह एक बहुत भारी ओझ के रूप में होता ।

प्रान्तों की कुछ शिकायते आवश्यकता से अधिक थीं और उनका उपचार सम्भव था, पर ऐसा असम्भव था कि उनके कारण पुनर्विलोकन आवश्यक सिद्ध कर दिया जा सकता । एक प्रकार के तर्क के समक्ष दूसरे सरकार के युक्तिपूर्ण तर्क उपस्थित करना तो सरल था । यह स्मरण रखना चाहिए कि एक दल को अधिक दे देने का अर्थ दूसरे को कम देना था, चाहे वह केन्द्र हो या अन्य प्रान्त हो और यह सम्भव था कि नेन्द्र की आवश्यकता अधिक तीव्र हो अब वह राष्ट्र की जनता के साथारण हित के लिए हो और इसलिए उसका पर्याप्त रूप से पूरा करना आवश्यक हो ।

३४ केन्द्र की आवश्यकताएँ—यह अत्यन्त आवश्यक है कि प्रान्तों को येष्ट मात्रा में देश का विकास करने वाले विभागों पर व्यय करने की पर्याप्त शक्ति प्रदान की जाए, और यह भी सत्य है कि बन्दीय सरकार वी आवश्यकताएँ तुलनात्मक हृष्टि से स्थायी है, इसलिए उसके प्राय के साथन भी स्थायी होने चाहिए । सर आँटो निमेयरका यह विचार विलकूल सत्य था कि बन्दीय सरकार का अर्थ-प्रबन्ध स्थायी और पर्याप्त होना एक पूल आवश्यकता थी । अखिल भारतीय कार्यों पर व्यय करने के लिए केन्द्र के पास पर्याप्त धन होना चाहिए जैसे देश की साख बनाए रखना, वाह्य देशों के ग्राह-मणि से अपने देश वीरक्षा करना और आन्तरिक शशान्ति को शान्त करना, इत्यादि । इस बात पर भी जोर दिया गया था कि बिना बन्दीय सरकार की समृद्धि पर हड़ विश्वास हुए भारतीय रियासतें सब की सदस्य बनने में आनाकानी करेंगी, और चूंकि नई व्यवस्था में केन्द्रीय सरकार को थोड़ा-सा अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा, जैसे सधीय न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध में, और चूंकि उसके कुछ लोत अब उन्ने विश्वसनीय नहीं रहे जितने वे पहले थे ।^१

सर आँटो की योजना की सफलता विशेषकर उस भाग की, जिसका सम्बन्ध आय-कर के केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के बीच बटवारे से था, रेल-विभाग के सन्तोषपूर्ण ढंग से काम करने पर निर्भर थी । प्रान्तीय सरकारों की अपने ही हित के लिए भारत सरकार के साथ रेलवे की समृद्धि को पुन स्थापित करने के लिए तथा उनको पुन देश की आय के प्रति पर्याप्त मात्रा में अशदान देने योग्य बनाने के लिए सहयोग करना चाहिए था । इसके लिए प्रान्तीय मण्डल नीति को तियमित करना आवश्यक था, ताकि सड़के रेलों के साथ प्रतिश्पर्धा करने के बजाय रेलों की सहायता करें । इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार हारा रेल-विभाग के व्यय का भी आद्योपान्त सुधार होना अत्यावश्यक था और विभिन्न प्रकार के यातायात के साधनों का सामजस्य भी जरूरी था । १६३७ ईद में रेल-विभाग की आय में अनिवेक होने से, रेल-विभाग

१. सरक्षण की नीति के कारण निरावृद्ध-कर से कम आय होने की सम्भावना थी और आयान स्वापार पर युद्ध का बहुत तुरा प्रभाव पड़ा था और रेल की आय की कोई निश्चिन्ता नहीं थी ।

की देयता का अन्त होने से और केन्द्राय सरकार की आय में वृद्धि होने से निमेयर परिनिर्णय के अन्तर्गत यह सम्बद्ध न हो सका कि प्रान्तों को आय-कर का निर्णय भाग १६३७-३८ के आर्थिक वर्ष से देना आरम्भ किया जा सके।

३५ प्रान्तों को आय-कर का भाग अभिहस्तांकित करने में निमेयर-सूत्र में संशोधन—फरवरी, १६४० में आय-कर में से प्रान्तों को उनका भाग देने के सम्बन्ध में निमेयर के सूत्रों में सम्बद्ध ने संशोधन कर दिया। कौनिसल को संशोधित आज्ञा के अन्तर्गत (जो १ अप्रैल, १६३६ से लागू हुई है) रेल-विभाग का असदान पूर्ण रूप से केन्द्रीय घन-राशि की गणना से, जोकि प्रान्तों को बांटने के लिए प्राप्त थी, अलग कर दिया गया और केन्द्र का भाग बांटी जाने वाली धनराशि में पिछले तीन वर्ष के औसत पर नियत कर दिया गया, अर्थात् ४२^{1/2} करोड़ रुपया १६३६-५०, १६४०-५१, १६४१-४२ के लिए या, वाकी हरया प्रान्तों के बीच बांट दिया गया। बाद के संशोधनों के साथ यही व्यवस्था १६४२-४३, १६४३-४४, १६४४-४५ में लागू रही। प्रान्तों के भाग में से जितना केन्द्र को अपने पास रखना था वह घटाकर १६४५-४६ में ३७५ करोड़ रु० और १६४७-४८ में ३ करोड़ रु० कर दिया गया। इस परिवर्तन का शीघ्रतय युद्ध के कारण आर्थिक परिस्थितियों में हुआ परिवर्तन था, जिसके फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार को व्यय का बहुत अधिक भार उठाना पड़ा था और जिसने निराकार्य कर की आय में बहुत कमी कर दी थी।

३६ देशमुख परिनिर्णय—भारत के बैंटवारे के कारण पहले के बगाल, पंजाब और आसाम प्रान्त के अश पाकिस्तान में चले गए। इसलिए यह निश्चित करना आवश्यक हो गया कि इन प्रान्तों के कुछ अश के पाकिस्तान में चले जाने के कारण उनके लिए निश्चित आय के अश में से कितना वापस ले लिया जाए और भारतीय सघ के राज्यों में वह पुन किस प्रकार बांटा जाए। नये विधान की धारा २७ के अन्तर्गत जूट निर्यात-कर की आय में भाग पाने वाले प्रान्तों के लिए अनुदान निश्चित करने का प्रश्न भी हल करना आवश्यक था। ये दोनों जांच और सिफारिश के लिए नवम्बर, १६४६ में श्री चिन्तामणि देशमुख को सौंप दिये गए।^१ श्री देशमुख का परिनिर्णय, जो भारत सरकार के पास जनवरी, १६५० तक भेजा गया, १ अप्रैल, १६५० से लागू हुआ।

निमेयर-परिनिर्णय के अन्तर्गत आय-कर के बांटे जाने वाले भाग के बैंटवारे वा प्रतिशत अनुपात ऊपर दिया जा चुका है। पाकिस्तान में चले गए प्रान्त के भागों के प्रतिशत की गणना करन में श्री देशमुख ने इस समस्या को हल करने में यह जानने का प्रयत्न किया वि पाकिस्तान में चले गए भागों को अलग प्रान्त मान लेने पर इनके समान क्षेत्रफल और वित्तीय स्थिति वाले प्रान्तों की तुलना में निमेयर इनके लिए वित्तना भाग निश्चित बताते।

जूट के निर्यात-कर के सम्बन्ध में देशमुख-परिनिर्णय के अन्तर्गत सहायक

१. यहले रिजर्व वेक ऑफ़ इंडिया के गवर्नर थे और १६५० में भारत सरकार के वित्तमंत्री थे।

अनुदान (ग्रान्ट्स इन-एड) लाख रुपयों में निम्न प्रकार है—पश्चिमी बंगाल १०५, आसाम ४०, बिहार ३५ और उडीसा ५। यह परिनिर्णय वित्त आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने तक लागू रहने को था जिसे २२ नवम्बर, १९५१ की संविधान की धारा १८० (१) के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने थी के ० सी० नियोगी की अध्यक्षता में नियुक्त किया। इस आयोग की नियुक्ति कुछ करों की आय का केन्द्र और राज्यों के धीरे वितरण, राज्यों की सहायक अनुदान तथा केन्द्र और राज्यों के वीच धारा २७८ (१) के अन्तर्गत किये गए समझौतों आदि के सम्बन्ध में सिफारिश बरने के लिए की गई थी। आयोग ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट ३१ दिसम्बर, १९५२ को प्रस्तुत की। इस आयोग ने वर्तमान परिस्थितियों में राज्यों की आप निश्चित करने के लिए जनसत्त्वा की आधार बनाया और आय-कर की विभाज्य राशि में से २०% राज्यों की सापेक्षिक वसूली के आधार पर और ८०% (१९५१ की जनगणना) सापेक्षिक जनसत्त्वा के आधार पर बांटने की सिफारिश की।

जूट नियांत-कर—देशमुख-परिनिर्णय के अनुसार पश्चिमी बंगाल, आसाम, बिहार और उडीसा को जूट नियांत-कर के स्थान पर सहायक अनुदान दिये जाते परन्तु ये राज्य इन अनुदानों से सम्पुष्ट नहीं थे और अधिक की मांग करते थे। इस सम्बन्ध में वित्त-आयोग ने निम्न अनुदानों की सिफारिश की—

(लाख रु० में)

राज्य	देशमुख-परिनिर्णय के अन्तर्गत दी जाने वाली रकम	वित्त-आयोग द्वारा प्रस्तावित रकम
पश्चिमी बंगाल	१०५	१५०
आसाम	५०	७५
बिहार	३५	७५
उडीसा	५	१५

सघीय उत्पाद-कर—इन करों की बढ़ती हुई आय के कारण राज्य की सरकारों ने इनमें भाग मांगता शुरू कर दिया। राज्यों ने वित्त आयोग से इस आय में से भाग देने की मांग की। आयोग ने कुछ वस्तुओं के उत्पाद-कर को वितरित करने का निश्चय किया।

सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और मार्च, १९५३ में यूनियन इयूटीज ऑफ एक्साइज (डिस्ट्रीब्यूशन) एक्ट पास किया।

जून १९५६ में दूसरा वित्त आयोग नियुक्त किया गया। वित्त आयोग द्वारा निम्न बातों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी—

(१) केन्द्र और राज्यों के धीरे का विभाजन,

(२) राज्यों को सहायक अनुदान (ग्रान्ट इन एड) देने के नियम, तथा

(३) भारत सरकार द्वारा राज्यों को दिये गए अद्यता की व्याज-दर और

मदायगी में यदि सिफारिश हो तो, परिवर्तन :

वित्त आयोग का मत यह था कि आय-कर में राज्यों को दे दिया जाने वाला भाग जनसभ्या के आधार पर होना चाहिए, न कि कर की बसूली के आधार पर। विनरण के सिद्धान्त के रूप में कर की बसूली को उन्होंने धीरे-धीरे दूर करने की सिफारिश की और यह प्रस्ताव किया कि राज्यों के भाग का वितरण १० प्रतिशत कर की बसूली पौर ६० प्रतिशत जनसभ्या के आधार पर किया जाए।

प्रथम वित्त आयोग न तस्वारू (निर्मित तस्वारू सुमिलित है), दियासलई, बनस्पति पदार्थ (वेजीटेविल प्रोडक्ट्स) पर लगे उत्पाद-कर की ४० प्रतिशत आय को वितरित करने की मिफारिश की थी। द्वितीय वित्त आयोग ने इस सूची में चीनी, चाय, कहवा, कागज तथा वेजीटेविल तेल वे उत्पाद-करों को जोड़ दिया, किन्तु वितरित करने के लिए प्रतिशत घटाकर २५ कर दिया।

द्वितीय वित्त आयोग की अन्य महत्वपूर्ण सिफारिश उत्तराधिकार कर (एस्टेट डूटी) के सम्बन्ध में है। इससे पूर्व इस मद से प्राप्त आय राज्यों के बीच आय बर के अनुपात में ही बट्टी जाती थी। द्वितीय आयोग की सिफारिश थी कि इन आय का एक प्रतिशत सधीय क्षेत्रों के लिए अलग कर देने के बाद शेष राशि अबल तथा अन्य सम्पत्ति के कुल मूल्य (ग्रॅंस वेल्यू) के अनुपात में बट्टी दी जाए। तदनन्तर अबल सम्पत्ति की राशि प्राप्ति में स्थित अबल सम्पत्ति के अनुपात में बट्टी दी जाए तथा अन्य सम्पत्ति की आय जनसभ्या के आधार पर बट्टी दी जाए।

सहायक अनुदानों के सम्बन्ध में आयोग ने सिफारिश की कि अनुदान के लिए राज्य की उपयुक्तता का निर्णय विस्तृत प्रयं में वित्तीय आवश्यकता के आधार पर किया जाना चाहिए जो योजना की प्रायमिकताओं और व्यवस्था के अनुरूप हो। दूसरे राज्य की आय और व्यय के अन्तर के करों में भाग प्राप्त करके ही पूरा बरना चाहिए। तथा सहायक अनुदान वो अवशिष्ट (रेजीडुमरी) सहायता के रूप में सामान्य और विनाशत के अनुदान वे रूप में होना चाहिए। बृहद उद्देश्यों के लिए भी सहायक अनुदान दिये जाएं, किन्तु उनका व्यय उन्ही उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हीना चाहिए।

सरकार ने राज्यों को दिये गए छह से सम्बन्ध में दो गई सिफारिशों को स्वीकार शेष सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया।

इस आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप केन्द्रीय करों में प्रात्तीय भाग हून से भी अधिक हो गया। १९५६-५७ में बेन्द्रीय कर आय से राज्यों को प्राप्त हुई आय कुल ७६ लक्ख ८० करोड़ रु० थी। १९५८-५९ १९५९-६०, १९६०-६१ (सशोधित अनुमान) में यह नम्रा १६२१ करोड़ रु०, १६६६ लक्ख ८० करोड़ रु० तथा १७८८ करोड़ रु० थी। १९६१-६२ (वजट अनुमान) में यह १६००० करोड़ रु० होगी।

इस समय तीसरा वित्त आयोग, जिसे राष्ट्रपति ने २ दिसम्बर, १९६० को नियुक्त किया था, कार्यशील है तथा निकट भविष्य में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आयोग को निम्न विषयों के सम्बन्ध में सिफारिशों प्रस्तुत करनी है—

(क) सघ और राज्यों के बीच में केन्द्रीय करों की वास्तविक आय का वितरण।

(ख) केन्द्र द्वारा राज्यों को दिये जाने वाले सहायक अनुदान (ग्राण्ट इन एड) को निश्चित करने के नियम।

इनके अतिरिक्त राष्ट्रपति ने निम्न विषयों पर भी आयोग से सुझाव देने के लिए कहा है—

(१) तृतीय योजना का आवश्यकताप्री के लिए राज्यों को धारा (आटिकिल) २७५ के अन्तर्गत दिये जाने वाले सहायक अनुदान तथा राज्यों द्वारा उपलब्ध माध्यमों से अतिरिक्त आय की प्राप्ति।

(२) धारा २६६ के अन्तर्गत कृषि-भूमि के अलावा अन्य सम्पत्ति पर उत्तरा विकार-कर (एस्टेट डूपूटी) की वास्तविक आय को किसी वित्तीय वर्ष में राज्यों के बीच वितरित करने से सम्बन्धित नियमों में परिवर्तन।

(३) धारा २६६ के अन्तर्गत रेल के किराये पर लगे करों से प्राप्त आय के वितरण-सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन।

(४) निम्न वस्तुओं पर लगे अतिरिक्त उत्पाद-कर से प्राप्त आय के वितरण-सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन—(१) सूती वस्त्र, (२) रेखन या कृतिय रेशम के वस्त्र, (३) ऊनी वस्त्र, (४) चीनी और (५) तम्बाकू, जिसमें निर्मित तम्बाकू भी सम्मिलित है।

मई १९१४ में डॉक्टर वी० वी० राजामनार मद्रास के हाईकोर्ट के मुख्य सेवा से मुक्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक चौथा वित्त कमीशन नियुक्त किया गया। इसकी सिफारिशें १९६६-६७ से लेकर १९७०-७१ तक लागू रहेंगी और वेन्द्रीय तथा राज्यों में वित्त वितरण पर प्रभाव ढालेंगी।

३७ चर्तमान प्रान्तीय अर्थ-प्रबन्ध—प्रान्तीय स्वायत्त-शासन के आरम्भ होने के बाद से प्रान्तीय सरकारों की आय और उनके व्यय दोनों में ही बहुत काफी वृद्धि हुई है—विशेषकर द्वितीय युद्ध के बाद। आय में वृद्धि कृषि की उत्पत्ति के मूल्य में वृद्धि, प्रान्तीय आय के साधनों, जैसे जगल के उत्तरोत्तर प्रयोग, अनेक प्रान्तों में अतिरिक्त अर्थवा नये करों के आरोपण, जो मुद्रा-प्रसार के प्रभाव को रोकने के लिए थे, और केन्द्र के पास एकत्रित आय-कर से प्रान्तों के भाग में प्रतिवर्ष वृद्धि के कारण हुई थी।

धृपत के अन्तर्गत वृद्धि पुलिस और नागरिक रक्षा के उपायों के कारण अतिरिक्त आर्थिक भार, मैंहगाई तथा अन्य अधिदेयों, साझा सामग्री पर विनियोग पूर्ति तथा वितरण सम्बन्धी योजनाओं, बुद्ध प्रान्तों द्वारा अपने अहण के भार को कम करने के लिए वेन्द्र को धन देन, राष्ट्र विकास की योजनाओं पर ग्राहिक व्यय करने और अधिकतर प्रान्तों द्वारा युद्ध के पश्चात् पुनर्निर्माण कार्यों पर व्यय करने के लिए धन पृथक् करने आदि कारणों से हुई थी।

दूसरी विशेषता युद्ध-काल के प्रत्येक वर्ष में आय का अतिरेक होना था, जो कि

केन्द्र के बड़े घाटों के बजट में नितान्त विपरीत रक्षा पर अधिक व्यय के कारण था।^१

प्रान्तीय कर व्यवस्था में कृषि-आय पर कर उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। अनेक प्रान्तों, जैसे यशिकमी बगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, ग्रासाम, उडीसा आदि, न पहले से ही यह कर लगा रखा है और दूनरे प्रान्त लगाने भी बात साच रह है।

१९५१-५२ में नियोजन-युग के सूत्रपात के पश्चात् प्रान्तीय आय-व्यय में बहुत बढ़ रही है। इसका कारण, जैसा पहले भी कहा जा चुका है, विकास-कार्यों के लिए सेवाओं की स्थापना और प्रसार है। इसके अतिरिक्त आर्थिक प्रगति के लिए अपेक्षित विनियोग के फलस्वरूप पूँजी व्यय भी बहुत बढ़ गया है। १९५८-५९ (एकाउण्ट्स) में भारत के सभी राज्यों के पूँजी-बजट सम्मिलित करने पर १२,१६ लाख रु० का घाटा था। १९५६-६० (संशोधित अनुमान) में यह ३६,३८ लाख रु० था तथा १९५०-५१ के बजट में १२,७७ लाख रु० था। आय के मद में इन्हीं वर्षों में ४८,३१ लाख रु०, २३,४७ लाख रु० तथा ५६८ लाख रु० की वृत्त थी।

रेल-वित्त

इद सेप्टेम्बर कान्वेशन के अन्तर्गत रेल विभाग के आर्थिक वरिणाम—१९२४ के सेप्टेम्बर कान्वेशन के अन्तर्गत रेल-विभाग के कार्यों के आर्थिक परिणामों का सारांश निम्न प्रकार दिया जा सकता है—१९२४-२५ से १९३५-३६ तक के काल पर विचार करने से यह पता लगता है कि प्रथम ६ वर्ष उत्कर्ष के वर्ष थे और अन्तिम ६ वर्ष अपकर्ष के। यदि पूरे काल को लिया जाए तो पहले ६ वर्षों में कुल अतिरेक आय जो प्रजित की गई वह ४२,६४ लाख रुपये थी और पिछले ६ वर्षों की कमी ११,६३ लाख रुपयों की थी। इस बदलते हुए भाग्य की लब्दी अवधि में ११०१ लाख रुपये का वास्तविक अतिरेक हुआ, अर्थात् नित्य-प्रति के कार्यों का व्यय काटकर, अवधियण की व्यवस्था करके और कठण ली हुई पूँजी पर पूरा-पूरा व्याज देकर प्रतिवर्ष १ करोड़ रुपये से कुछ कम का अतिरेक हुआ।

१९३०-३१ के वर्ष से घाटे का युग आरभ हुआ, जो कि मुख्यत विश्वव्यापी आर्थिक प्रवासाद, वस्तुओं के मूल्य में कमी, गैरू के नियर्ति में कमी राजनीतिक स्थिति में अशान्ति, बाढ़ और भूकंपों से पहेंचाई हुई हानि, सड़कों की तीव्र प्रतिस्पर्धा, नदी और समुद्र की बढ़ी हुई प्रतियोगिता, मजदूरी में बढ़ि के कारण नित्य-प्रति के कार्यों के बच्चे में बढ़ि आदि के कारण था। सरार ये समस्त देशों की, जिनमें से अधिकांश शान्तिकाल से हमारे सर्वोत्तम ग्राहक थे, प्रशुल्क-पद्धति ने रेल की आय की शक्ति पर बुरा प्रभाव डाला।

१. बगाल, जिसके बज में १९४८-४९ व १९४४-४५ में बहुत बड़ी कमी हो गई थी, एक अपवाह था।

२. वेजुड इन्वायरी कमेटी (१९३७) के अनुमान से सबक यातायान द्वारा रेलवे को ४२ करोड़ प्रति-वर्ष का घाटा रहा—रिपोर्ट, पैरा २६६।

इन लगातार होने वाले घाटों के कारण १९३१-३२ के बाद देश की सामान्य आय के प्रति रेलवे कोई भी अशदात न कर सकी। सेप्टेंबर कान्वेंशन के अन्तर्गत एकत्रित किया हुआ अशदान का बजाया १९३१-३२ से लगाकर १९३६-३७ तक ३० ७४ करोड़ रुपये हो गया था। १९३६-० के अन्त तक यह सूच्या बढ़कर ३६५ करोड़ रुपये हो गई थी। इस काल में रेल-विभाग ने यही नहीं कि अपना सामान्य कोप कम कर दिया हो, वरन् अवक्षयण कोप से भी उन्होंने ३४३४ करोड़ रुपया छूटा पर व्याज अदा करने के लिए उधार ले लिया। यह नितात असभव था कि लगभग ६२ करोड़ रुपये की इतनी बड़ी देयता भविष्य में होने वाले अतिरेक से थोड़े-से नये हुए समय के अन्दर अदा की जा सके। इसी बीच नये विवान के अन्तर्गत प्रान्तीय स्वायत्त शासन के प्रचलित हो जाने के साथ-ही-साथ और अधिक आय के साधनों की प्राप्ति के लिए जोर लगाया जा रहा था। चूंकि वर्तमान सेप्टेंबर कान्वेंशन के अतः गंत अवक्षयण कोप से लिये हुए छूटा भविष्य के अतिरेक पर सबसे प्रथम अधिकार समझे जाते थे और उसके पश्चात् सामान्य आय की देयता भी पूरी करती थी। इस-लिए सामान्य आय को रेल से अशदान पाने के लिए बहुत काफी प्रतीक्षा करनी आवश्यक थी। इससे बचने का उपाय देयता पूरी करने के लिए १९३७ से तीन वर्षों के बिलभव-काल में निहित था।¹ इस बिलभव-काल के कारण यह सम्भव हो सका कि व्याज देने के बाद रेल-विभाग की वास्तविक आय के अतिरेक की, जो १९३६-३७ से दिखाई पड़ने लगा था, व्यवस्था की जा सके, ताकि ६२ करोड़ रुपये का भारी छूट पूरा किये बिना ही सामान्य आय में अशदान देना तुरन्त आरम्भ किया जा सके। इससे केन्द्रीय सरकार को भी १९३७-३८, १९३८-३९ और १९३९-४० में निमेयर परिणाय के अन्तर्गत आय-कर की प्राप्ति की सीमित मात्रा में प्राप्ति को हस्ताकित करने का अवसर प्राप्त हुआ।

१९३६-३९ में प्राप्त अतिरेक १३७ करोड़ रुपये का था, परन्तु १९३६-४० में वह बढ़कर ४०३३ करोड़ रु० हो गया। वर्ष के आरम्भ में अनिदिच्चत अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति के कारण कुछ वस्तुओं की लोगों ने राशि एकत्रित कर ली और यात्रियों की सूच्या तथा भेजे जाने वाले माल से प्राप्त आय में कमी आ गई। मुद्रा की घोषणा के पश्चात् परिवर्तन हुआ, विशेषकर भेजे जाने वाले माल से प्राप्त आय में और बाद में यात्रियों से भी, व्योकि लोगों की आरम्भ में ही आर्थिक स्थिति कुछ सुधर गई थी। समुद्र-मार्ग से हटकर रेल मार्ग से यात्रा बढ़ जाने के कारण भी रेल की आर्थिक स्थिति में उन्नति हुई, जैसा कि १ मार्च, १९४० से किराया और शुल्क बढ़ने से हुआ था।

१९४५-४६ के हिसाब में ३८ २० करोड़ रुपये का लाभ दिखाई पड़ा। १९४३ के नियंत्रण के अनुसार, जिसमें सामान्य आय में ३२ करोड़ रुपये का अशदान दोनों वर्षों के लिए (१९४४-४५, और १९४५-४६) निर्दिच्चत किया गया था, ३२ करोड़ रुपया

¹. बाद में यह काल ३१ मार्च १९४२ तक बढ़ा दिया गया।

सामान्य आय में जमा कर दिया गया और ६२० करोड़ की बेची हुई रकम रेलवे रक्षित कोप में जमा कर दी गई, जिससे उस कोप में अब कुल १८ १३ करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। १९४६-४७ के पुनरीक्षित आगणन के अनुसार अनिरेक ८६४ करोड़ रुपये का आंका गया था। पिछले वर्ष के समझौते के अनुसार, जिसमें १९४६-४७ में रेल-विभाग के सामान्य आय के अशदान को उतनी रकम पर निश्चित कर दिया था जितनी कि बराबर होनी है, व्यापारिक ढंग पर पूँजी के ऊपर लगाई हुई १ प्रतिशत रकम के, जिसमें से सैनिक महत्व रखने वालों रेलों पर थाटा निकाल दिया जाए और जिसमें ३ करोड़ रुपया मुधार-कोप (जो १९४६ में कायम हुआ, जिसमें आरम्भ में ही १२ करोड़ रुपया रेलवे रक्षित कोप से यात्रियों और कर्मचारियों को सुविधा देने के लिए निकाल लिया गया था) में जमा कर देने के बाद जितना बचे उमका आधा जोड़ दिया जाए, बाद को सामान्य आय में ५ ६१ करोड़ रुपये के दिये जाने की सम्भावना थी। बटवारे के फलस्वरूप भारतीय संघ ने कुल ३३,८६५ मील रेल की लाइन ६७८ करोड़ रुपये की पूँजी के साथ तथा अवक्षयण-कोप ६३ २२ करोड़ रुपया, रेलवे-रक्षित कोप ७ ६८ करोड़ रुपया और मुधार-कोप ११ ७१ करोड़ रुपया प्राप्त हुआ।

बहुत बड़ी मात्रा में प्रतिस्थापन के बकाया और मूल्यों के बड़े जाने से प्रतिस्थापन के व्यय में बृद्धि होने के कारण भारतीय रेलवे जीव कमेटी (कुजल कमटी) ने पांच वर्ष तक २२ करोड़ रुपये के वापिक अशदान का प्रस्ताव किया है। १९४६ ५० के पुनरीक्षित आगणन के अनुसार ११ ०२ करोड़ रुपये का अतिरेक था, जिसमें स ७ करोड़ ८० सामान्य आय में जमा किया गया और ४ ०२ करोड़ ८० अवक्षयण कोप में।

१९४४ का कान्वेन्शन १ अप्रैल, १९४३ से रद्द हो गया—मार्च, १९४३ में विधानसभा द्वारा स्वीकृत प्रस्तावानुसार अवक्षयण-कोप का बकाया त्वरण दन के पश्चात् १९४३-४४ में व्यापारिक रेलों से लाभ सामान्य आय के साथ ३ १ के अनुसार में बांटा जाने वाला था। इसके अतिरिक्त व्यापारिक रेलों पर अनिरेक सामान्य आय और रेलवे-रक्षित कोप के बीच दोनों की आवश्यकतानुसार बांट जाने वाले थे।

१९४६ में बिठाई गई कान्वेन्शन कमेटी ने १९४४ के जटिल सूत्र को अस्वीकृत कर दिया और दूसरी सरल तथा काम में लाई जाने योग्य व्यवस्था को अपनाया, जिसके अन्तर्गत सामान्य आय में ४% का लाभांश प्रयुक्त पूँजी पर (केपिटल एट चार्ज) दिया जाता। १९५०-५१ में ३१ ८५ करोड़^१ रुपये की बजट में व्यवस्था की गई। १९५०-५१ में आय के अतिरेक की गणना १४ ०१ करोड़ रुपये की की गई (आय २३३ ५० करोड़ ८०, व्यय २१८ ४६ करोड़ ८०)।

१. इसमें २ ४७ करोड़ रुपया सम्मिलित है, जो लगभग ६५०० मील दूर तक पैली हुई १० रियासनों की रेलों के लिए था और जो १ अप्रैल, १९५० से बेन्द्रीय नियन्त्रण के अन्तर्गत आ गई थी।

नवम्बर, १९५४ मेरे रेलवे कान्वेन्शन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह कमेटी दिसम्बर, १९५६ के कान्वेन्शन प्रस्ताव के अनुसार, मई १९५४ मेरी विठाई गई थी। अन्य वातों के साथ इस कमेटी के परीक्षा के विषय निम्न थे—

- (१) रेलवे द्वारा सामान्य आय को दिया जाने वाला लाभाश,
- (२) पूँजी और आय के खाते मेरे रेलवे व्यय का विवरण, और
- (३) तीनों रेलवे कोष—ग्रवक्षयण सुरक्षित कोष, विकास-कोष तथा सुरक्षित आय-कोष—को दी जाने वाली रकम।

कमेटी ने भी १९५४-५५ से ५ वर्ष तक ४% के लाभाश की सिफारिश की। ग्रवक्षयण सुरक्षित कोष को दी जाने वाली रकम ३० करोड़ से बढ़ाकर ३५ करोड़ रुपये करने की सिफारिश भी की गई।

रेलवे व्यय तथा अशादान

(करोड़ मेरि)

	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तीसरी योजना
योजना अनुसार रेलवे पर व्यय	४२३ २३	१,०४३ ६६	१,५५१ ००
रेलवे का अशादान योजनाओं मेरी सुदृढ़ी का रेलवे योजनाओं मेरा भाग	२८० ००	४६५ ००	५३१ ००
		३१६ ४५	२८३ ५०

स्थानीय वित्त

३६ स्थानीय (गाँव-सम्बन्धी) बोर्ड—चूंकि भारत के अधिकाश लोग गाँवों मे निवास करते हैं, इसलिए नगर-पालिकाओं की तुलना मेरे, जो सरकार मे बहुत कम जनसंख्या की सेवा करती हैं, जिला और उपजिला-बोर्डों की महत्ता बहुत अधिक है। किसी समय मे भूमि पर प्रान्तीय शुल्क अथवा अधिकर केन्द्रीय सरकार के बजट के मुख्य अंग हुआ करते थे। आज वे स्थानीय और जिला बोर्डों की आय के मुख्य अंग हो गए हैं। ये आरम्भ-काल मे बम्बई और मद्रास मे १८६५ और १८६६ के बीच शुल्क किये गए थे और सड़कों के निर्माण तथा मरम्मत के लिए, स्कूलों और अस्पतालों को चलाने के लिए, गाँव की सफाई के लिए तथा अन्य स्थानीय सर्चों के लिए भूमि पर लगाये गए थे। इस सिद्धान्त का लाई मेयों की विकेन्द्रीकरण-योजना के अनुसार प्रसार किया गया था। इसी प्रकार वे उपकर बगल, उत्तर प्रदेश और पंजाब मे लगाए जाने के लिए एक विधेयक आस किये गए। पंजाब और अवध मे सड़कों, स्कूलों और जिलों के डाकखानों के लिए मालगुजारी का बन्दोबस्त होते समय निर्वाचित उपकर, नये सामान्य उपकर वे साथ-साथ जारी रहे। ऐसे ही बन्दोबस्तीय उपकर मध्य प्रदेश, बर्मा और प्रासाम मे लगाये गए, पर बाद मेरनका स्थान

सामान्य उपकर न ले लिया। १८७१ और १९०५ के बीच कुछ उपकर केन्द्रीय आवश्यकताओं के लिए लगाये गए। अकाल-सीमा-कोष १८७८ में आरम्भ हुआ, जिसमें कुछ प्रान्तों में अन्य गाँवों के कर्मचारियों को दने के लिए प्रान्तीय उपकर भी जोड़ दिये गए। भारत सरकार की आर्थिक स्थिति की उन्नति के कारण १९०५-६ में उन उपकरों को छोड़कर, जो स्थानीय आवश्यकताओं के लिए लगाये गए थे, और सब उपकर हटा दिये गए। इस सुधार का प्रभाव किसी-किसी स्थान पर आरोपित उपकरों की मात्रा में कमी करने का नहीं था, वरन् धन-राशि का प्रान्तों से स्थानीय आवश्यकताओं के लिए स्थानान्तरित करना था। प्रान्तीय सरकारों का यह चाटा केन्द्रीय सरकार न पूरा किया। हाल में कुछ प्रान्तों में उपकरों की दर में वृद्धि करने अथवा जैमा मद्रास ने किया है विशेष कार्यों, जैसे प्रारम्भिक शिक्षा आदि, के लिए नये प्रतिरिक्त उपकर लगान की प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है। भूमि पर लगाये हुए इन स्थानीय उपकरों का आधार मालगुजारी की प्रथा के अनुसार बदलता रहता है। भूमि पर उपकर यद्यपि कर देने की शक्ति के अनुपात में नहीं लगाया गया है, क्योंकि इसका आरोप समान रूप से एक ही दर पर होता है, फिर भी प्रत्येक स्थान पर इसे उचित कर मानते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग सम्पन्नि के लाभ के लिए किया जाता है, जिन्हे स्थानीय बोर्डों के कार्यों से लाभ पहुँचता है।

४०. नगरपालिका-वित्त—नगरपालिकाओं की आय के मुख्य स्रोत वर और शुल्क हैं, जिसे लगभग तु आय प्राप्त होती है। बची हुई तु आय नगरपालिका की सम्पत्ति और प्रान्तीय सरकारों की आय के अशान तथा अन्य साधनों से प्राप्त होती है। स्थानीय अधिकारियों द्वारा आरोपित कर चार वर्गों में बाट जा सकत है—
 (१) व्यापार पर कर, जैसे चुगी, सीमा-मार्ग शुल्क, (२) सम्पत्ति पर कर, जैसे घरों तथा उनकी स्थिति पर कर, (गाँवों में भूमि पर उपकर), (३) व्यक्तियों पर कर, जैसे व्यापारिति, व्यवसाय, व्यापार, वेशा, धार्मिक यात्री, धरेलू नौकर-चाकर आदि, (४) फीस और लाइसेन्स। फीस मुनिसिपैलिटी द्वारा की गई किसी विशेष सेवा, जैसे सफाई, के लिए वसूल की जाती है अथवा विलासिता पर कर वे रूप में वसूल जी जाती है, या कभी-कभी नियमित करने के लिए भी लगाई जाती है, जैसे गाने पर लाइसेन्स, गाडियों पर, कुत्तों और अन्य पशुओं पर। अत्रिय और स्तरनाक व्यापारों पर भी लाइसेन्स फीस लगाई जाती है। टेक्सेन इन्वेन्यारी कमेटी ने इस बात का संकेत किया था कि परोक्ष-करों वे सम्बन्ध में विशेष रूप से जागरूक रहने की आवश्यकता है, जैसे व्यापार पर कर, जो चुगी का रूप धारण करता है और सीमा-मार्ग शुल्क जिससे अन्तर्रान्तीय आवागमन में अनावश्यक बाधा पड़ती है। चुगी और मार्ग शुल्क पर, जो कि व्यापारों के सभी सिद्धान्तों वे विरुद्ध हैं, विशेष प्राप्ति की गई थी और उनके स्थान पर फुटकर विक्री अथवा पद्धतों पर कर लगाए जाने की राय दी गई थी। कमेटी ने दूसरा महत्वपूर्ण सुभाव नगर की सम्पत्ति पर जेंची दर से कर लगाने का दिया, क्योंकि उन्हें नगरपालिका के कार्यों से विशेष लाभ पहुँचता है। जो-कुछ भी हो, वर निर्धारित करने और वसूल वरन् वे धन्वंत्र को आज की

अपेक्षा और अधिक कुशल होने की आवश्यकता है। सबसे अधिक व्यय लोक स्वास्थ्य सुविधा तथा लोक-निर्माण और शिक्षा पर है। नगरपालिकाएँ प्रायः अपनी साधारण आय से अपना व्यय पूरा नहीं कर पाती और उन्हें प्राय सरकार अथवा जनता से उपया उधार लेना पड़ता है, विशेषकर अपनी ऐसी बड़ी-बड़ी योजनाओं को पूरा करने के लिए, जैसे पानी का प्रबन्ध और गन्दे पानी के बहने का प्रबन्ध आदि।

४१ स्थानीय संस्थाओं के अपर्याप्त साधन—अधिकारों के धीरे-धीरे स्थानीय संस्थाओं के प्रति हुए प्रबन्धमण्ड और विस्तृत कार्य, जो लाड़ भेड़ों के समय से और विशेषकर स्थानीय स्वशासन के जूने हुए मन्त्रियों के हाथ में आने के बाद से नगर-पालिकाओं, ग्राम-बोडी और पचायतों को दिये गए हैं, जैसे लोक-स्वास्थ्य और शिक्षा आदि को विचाराधीन रखते हुए यह कहा जा सकता है कि इन संस्थाओं के प्राय के ज्ञात नितान्त अपर्याप्त हैं। उनके लिए आधुनिक प्रशासन प्रणाली का प्रचलन उस समय तक असम्भव है। जब तक कि उनकी प्राय की बुद्धि का उपाय न किया जाए। १९१६ और १९३५ के विधान के अन्तर्गत स्थानीय संस्थाओं से यह आशा की जाती है कि वे उन सेवाओं का सर्व उठायेंगी जो पहले विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारियों द्वारा नि गुल्क प्राप्त होती थी। आरम्भ के उत्ताह में स्थानीय संस्थाएं यह भूल गईं कि “सारे कार्य घन के ऊपर मिर्झर हैं” और उन्होंने बड़ी महंगी शिक्षा, उपचार आदि की योजनाएँ आरम्भ कर दी जो उनकी शक्ति के बाहर थी। इस प्रकार उत्पन्न आधिक कठिनाई बाद में व्यय में कमी करके, प्रतिरित कर का प्रारोप करके और अधिक विचारपूर्ण ढग से साधनों का बटवारा करके दूर की गई। फिर भी यह कहा जा सकता है कि मूलतः स्थानीय संस्थाओं की आधिक स्थिति बहुत ही अधिक असन्तोषजनक है। उनकी कठिनाइयाँ हाल में व्यय में बुद्धि के कारण और भी अधिक बढ़ गई हैं, जोकि अम और पूंजी के मूल्य के बढ़ जाने, वेतन के पुनरीक्षण और महंगाई भत्ता देने के कारण हुई है, जबकि उनके प्राय ने साधन कम और लोधीन ही बने रहे हैं।^१

४२ साधनों के अपर्याप्त होने का कारण—वर्षाई की स्थानीय स्वशासन कमेटी (१९४०) ने कहा था कि “प्रान्तीय सरकारों और स्थानीय बोर्डों के बीच आय के साधनों का बटवारा स्पष्ट रूप से नहीं हुआ है और प्रान्तीय सरकार अच्छे आय के साधनों से लाभ उठाती रही है,” जो कि औचित्य के हित्तिकोण से स्थानीय बोर्डों को मिलने चाहिए थे। स्थानीय और प्रान्तीय आय-प्राप्ति के क्षेत्रों का स्पष्ट बटवारा अत्यन्त आवश्यक है। भारत में स्थानीय संस्थाओं की निर्धनता का एक कारण यह भी रहा है कि उनका विकास घनी, अद्व-स्वतन्त्र और छोटी-छोटी इकाइयों में बड़े राजनीतिक नघ के रूप से व्यवस्थित होने के बजाय अधिकारों के अवश्यमण्ड से हुआ है। दूसरा कारण यह भी है कि स्थानीय बोर्डों का अधिकार-

१. वेंडिंग, रिपोर्ट ऑफ दि प्रमिनिस्ट्रेटिव इन्वायरी कमेटी, दन्वड़ १९४०, पृष्ठ १५६।

क्षेत्र प्राय इच्छा विस्तृत होना है कि उनका करदाताओं से कोई प्रभावशाली सम्बन्ध ही नहीं रह पाता। यदि ऐसा न हुआ होता तो गांधी, घरों और व्यक्तियों पर स्थानीय बाड़ों द्वारा कर आरोप बड़ा सरल होता। इस हाप्टिकोण से गांधी-चायतों के प्रभाव को फिर से स्थापित करना तथा बर्तेमान स्थानीय बाड़ों के कर्नंब्यों को सीमित कर देना चाहनीय होगा।


४३ साधनों की उन्नति—यद्यपि विकेन्द्रीकरण आयोग के प्रस्तावों तथा १९१६ के सुधारों के प्रचलित होने से स्थानीय अधिकारियों को बहुत अधिक आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई है, फिर भी जहाँ तक आरोपित करों की प्रकृति से सम्बन्ध है, इसके सिवाय और कुछ नहीं हुआ है कि वे कर, जो बिना भारत सरकार की आज्ञा लिये हुए आरोपित किये जा सकते हैं, उनका स्पष्टीकरण परियण्ठित कर नियमों में कर दिया गया है। टेक्सेशन इन्वायरो कमेटी ने निम्न प्रस्ताव स्थानीय संस्थाओं के आय-साधनों की वृद्धि के हाप्टिकोण से किये हैं—(१) मालगुजारों का नीची दर पर प्रामाणिक कर देना, ताकि स्थानीय कर आरोप का अधिक अवसर प्राप्त हो सके, (२) प्रान्तीय सरकारों द्वारा नगरों से भूमि के बमूल किये हुए किराये और कृपि के अतिरिक्त आय काम में आने वाली भूमि पर बसूल किये हुए शुल्क का एक अश स्थानीय संस्थाओं को देना, (३) नगरपालिकाओं को विज्ञापन पर कर लगाने का अधिकार देना, (४) मनोरजन तथा जुए पर कर-आरोप के क्षेत्रों को बढ़ाना और स्थानीय संस्थाओं को इस प्रकार प्राप्त हुई आय का पर्याप्त अश देना, (५) परिस्थिति और सम्पत्ति तथा पेशों पर कर लगाने की व्यवस्था को अधिक उन्नत तथा विस्तृत करना, (६) मोटरगाडियों पर आयात-कर घटाना और प्रान्तीय सरकारों को इस योग्य बनाना कि वे एक प्रान्तीय कर मार्ग-शुल्क के स्थान पर लगा सके जो कि स्थानीय संस्थाओं को दिया जा सके, (७) चुने हुए क्षेत्रों में स्थानीय संस्थाओं को विवाहों के रजिस्ट्रेशन पर फीस लगान का अधिकार देना, और (८) स्थानीय संस्थाओं के साधनों को आर्थिक सहायता द्वारा बढ़ाना, जो कि साधारणतया राष्ट्रीय महत्ता की सेवाओं तक सीमित होनी चाहिए और इस प्रकार दी जानी चाहिए कि प्रान्तीय सरकार कुशलता पर जोर दे सके।^१ कम्बई की स्थानीय स्वशासन कमेटी ने इनमें से अधिकार सिफारियों को स्वीकार किया और स्थानीय संस्थाओं के साधनों को बढ़ाने के लिए निम्न सुझाव दिए। नगरपालिकाओं के आय के साधन निम्न प्रकार बढ़ाए जा सकते हैं—(१) स्थायी सम्पत्ति के स्थानान्तरण पर कर लगाकर, (२) नगरपालिकाओं के अन्दर भवनों के निर्माण किये जाने वाले भूमि के टुकड़ों पर लगाये हुए वर का एक अश देवर, (३) विवाह, गोद लेन तथा दावतों पर कर लगाकर और (४) मनोरजन वर के एक अश को दक्कर तथा विजली के अधिकार से प्राप्त आय का ५०% देवर। गांधी की स्थानीय संस्थाओं के निए कमेटी न निम्न मिफारियों की गई—(१) स्थानीय घनराशि पर उपकर १ आने के स्थान पर १०% अवधा २०% आने

^१. देखिए, 'सेशन इन्वायरी कोर्टी रिपोर्ट', पैरा १५४-१६।

करना, (२) जगल की प्रमुख उत्पत्ति से प्राप्त आय पर १०% आने का उपकर लगाना और (३) मालगुजारी के १०% का हस्ताकन करना। कमेटी ने ठीक ही कहा था कि स्थानीय संस्थाओं वे लिए सबसे उपयुक्त ढंग करो और उपकरों को व्यक्तियों के प्रति की गई निश्चित सेवाओं पर लगाना होना चाहिए, जैसे अनिवार्य शिक्षा पर उपकर।^१

१६४६ में नियुक्त स्थानीय वित्त जाँच समिति ने सिफारिश की थी कि सधीय सूची के दृवें मद में दर्ज रेल, हवाई या पानी से जाने वाले सामान और सवारी पर लगा टर्मिनल टैक्स तथा रेल के किराये और भाड़े पर लगे कर को स्थानीय संस्थाओं के लिए सुरक्षित कर देना चाहिए। इसके अलावा राज्यीय सूची की सातवी अनुसूची में दर्ज टाल टैक्स तथा अन्य कर, जेसे अलवारी विज्ञापन के अलावा अन्य विज्ञापन पर कर, विद्युत के उपयोग और विक्रय पर कर आदि, को स्थानीय संस्थाओं के उपयोग के लिए सुरक्षित कर देने की सिफारिश की। १६५३ में नियुक्त कर जाँच आयोग ने यह मत व्यक्त किया वि स्थानीय वित्त का ठोस आधार स्थानीय प्रत्यक्ष करारोपण ही हो सकता है। आयोग ने स्थानीय संस्थाओं को कर लगाने के सम्बन्ध में अधिकार प्रदान करने के लिए दो कसीटियाँ रखी। (१) कर का स्थायित्व तथा (२) करारोपण और प्रशासन की क्षमता। आयोग ने राज्य सरकारों द्वारा ऋण और आर्थिक सहायता देने की भी सिफारिश की।

पश्चिमी देशों में नागरिकाओं के क्षेत्र के विस्तार—भूमि की स्थायी सम्पत्ति तथा श्रीरामिक और व्यापारिक क्षेत्र—में वृद्धि हो रही है और म्युनिसि पैलिटियाँ द्वारा, पानी के कारखाने, गैस और विजली वे कारखाने, कव्रिस्तान, स्नानागार, मछली मारने के स्थान, जहाजों के ठहरने के स्थान, रोटी बनाने के स्थान, रगमच, सराय, जलपान-गृह, कारखाने, चबकी और दुधशालाएँ इत्यादि चला रही हैं। ये सब आर्थिक क्षार्य प्रभावशाली रूप से केवल सेवा ही नहीं हैं बरन् आय के अच्छे साधन भी हैं। भारत में स्थानीय वित्त के इस अग पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है और यदि स्थानीय संस्थाएँ इन साधनों के प्रयोग की सम्भावनाओं पर अपनी छोटी आय को बढ़ाने तथा नागरिक जीवन की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ध्यान दें तो बहुत अच्छा हो।



१. देस्तिष्ठ, 'बम्बड़े स्वशासन कमेटी की रिपोर्ट' (१६४०)।

अध्याय २६

वेरोज़गारी

१. अध्ययन का क्षेत्र—पाश्चात्य देशों में होने वाली श्रौद्धोगिक क्रान्ति के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न आर्थिक योजना में यत्किंवित् वेरोज़गारी (वृत्तिहीनता) अनिवार्य है। १९४४-५८ के युद्ध के उपरान्त वाली मन्दी से वृत्तिहीनता की एक अभूतपूर्व परिस्थिति उत्पन्न हो गई। तत्कालीन परिस्थिति की भयकरता और अभूतपूर्वता के बावजूद यह स्वीकार करना पड़ेगा कि पाश्चात्य देशों में इस प्रकार की परिस्थिति (श्रौद्धोगिक वृत्तिहीनता) बिलकुल नई नहीं थी।

भारतवर्ष में वेरोज़गारी से उत्पन्न समस्याओं के कुछ ऐसे पहलू हैं जो पाश्चात्य देशों के लिए बिलकुल नये प्रतीत होंगे। प्रथमतः देश की जनता का अधिकांश अपनी रोज़ी के लिए कृषि पर निर्भर है। हम पहले ही देख चुके हैं कि शिविल मौसमों में ५ से लेकर ६ महीने तक बेकारी रहती है। इस प्रकार की अनिवार्य बेकारी के लिए पूरक उद्योगों की चार्चा हो चुकी है। किन्तु बेकारी का एक और भयकर पथ भी है। यह परिस्थिति पूर्णतः या आशिक रूप से मानसून की विफलता का परिणाम होनी है, जिसे दुर्मिल उत्पन्न हो जाता है। एक विस्तृत क्षेत्र में कृषि-कार्य बन्द हो जाने से कृषि तथा उससे सम्बद्ध पूरक उद्योगों में लगे हुए श्रमिक बेकार हो जाते हैं। यह भारत में होने वाली बेकारी का सबसे भयकर पथ है।

उद्योगों तथा अन्य पेशों की ओर हटिपात करने पर हम देखते हैं कि श्रमिक दो वर्गों में विभाजित हैं—एक तो हाथ से काम करने वाले श्रमिक, दूसरे मस्तिष्क से काम करने वाले बाबू लोग, ग्राहीत् तथाकथित् पढ़े-लिखे मध्यवर्गीय लोग। जहाँ तक प्रथम वर्ग का प्रश्न है हमारी समस्या उतनी ही जटिल नहीं है। कारखानों के बन्द होने या उनके मजदूरों की छटनी (स्ट्रॉकमेष्ट) के कारण कितने ही साधारण और कुशल श्रमिक बेकार हो गए। किन्तु साधारण परिस्थितियों में यहाँ कुशल श्रमिकों की अधिकता और तजज्ञता बेकारी न होकर 'श्रौद्धोगिक थम' की कमी का ही अनुभव किया जाता है। इसके अनिरिक्त यदि यहाँ वृत्तिहीनता आनी भी है तो उसका रूप उतना भयकर नहीं होता जितना की पाश्चात्य देशों में। कारण यह है कि बहुत-से श्रौद्धोगिक श्रमिक खेती से भी सम्बद्ध होते हैं। प्राय कारखानों का काम केवल सहायक स्थान का अधिकारी माना जाता है, जो घनुप की दूसरी प्रत्यक्षा की तरह कृषि के बेकार और शिविल मौसम में काम देता है। अनेक भारत की वृत्तिहीनता पाश्चात्य वृत्तिहीनता से न केवल भाकार में भिन्न होती है बरन् सरकार के लिए तजज्ञ समस्याओं का रूप भी भिन्न होता है।

समग्रित उद्योगों की वृत्तिहीनता से भिन्न यक्तिक्षित् वेकारी कुटीर-अभिक्षो में भी पाई जाती है। भारत में 'आर्थिक-सक्रमण' वाले अध्याय तथा कुटीर-उद्योगों की स्थिति^१ के विवरण में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार भिन्न-भिन्न वर्ग के लोग आर्थिक सक्रमण से प्रभावित हुए। इस विवरण में ही हमें अपनी रोज़ी खो देने और कोई उपयुक्त रोज़ी न मिलने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों और दुखों का भी कुछ अनुमान मिल गया था।

एक और प्रकार की वृत्तिहीनता अभी हाल में ही विकसित होने लगी है। यह है मध्यवर्गीयों की वृत्तिहीनता। इससे वे लोग प्रभावित होते हैं जो कि एक स्तर तक शिक्षा पा चुके हैं और अपनी जीविका के लिए बाबूगीरी या बल्की पर निर्भर रहते हैं। हाल में यह समस्या प्रधान स्थान ग्रहण करने लगी थी।

ग्रामीण वृत्तिहीनता : दुर्भिक्ष का वर्तमान रूप और उसका उपचार

२. दुर्भिक्ष का उत्तरदायित्व—देश की राजनीतिक जागृति के साथ-साथ बार-बार दुर्भिक्षों के पड़ने के कारण इन दौरी आपत्तियों को एक प्रकार की प्रमुखता मिल गई जो कि अन्यथा अप्राप्य होती।

१९६७ के विशेष आयोग ने दुर्भिक्ष की परिभाषा करते हुए बताया कि जनता के बड़े समूह का भूख की यातना सहना दुर्भिक्ष है। लेकिन भारत के इतिहास का अध्ययन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि दो प्रधान कारणों से शब्द के इस अर्थ में परिवर्तन हो गया है। एक तो यातायात एवं परिवहन के साधनों में सुधार होने के कारण एक भाग के दुर्भिक्ष को दूसरे भाग की बहुलता से सहायता पहुँचाई जा सकती है। दूसरे, प्रशासन में भी दुर्भिक्षों का सामना करने की पद्धति में प्रगति हुई है। अतः एवं वर्तमान दुर्भिक्ष खाद्य दुर्भिक्ष न होकर द्रव्य-दुर्भिक्ष है। सरकार के सामने समस्या है कि ममुचित रूप में मजदूरी और काम की व्यवस्था करे।

द्रव्य दुर्भिक्ष या वृत्ति-विस्थापन के मुर्य कारण जब तक दूर नहीं किये जाएंगे, ग्रामीण बेरोज़गारी की समस्या हल नहीं हो सकेगी। ये कारण हैं—(१) जनता का कृषि पर अत्यधिक अवलम्बन—कृषि एक ऐसा पेशा है जो अनिश्चित वृष्टि पर निर्भर है, (२) पुराने उद्योगों का विनाश तथा कितने ही उद्योगों वी अनुपस्थिति; (३) जनता का कृष्ण में फूड़ा होना आदि। भारतीय जनता किसी प्रकार अपनी आजीविका प्राप्त करती है और उसके पास कोई सुरक्षित धनराशि नहीं रहती जिस पर वह कमी और अकाल के समय आश्रित रह सके। जनता वी आर्थिक दक्षि को सुहृद करने के तरीकों में अनेक बातें शामिल हैं, जैसे जनता के जीवन स्तर को बढ़ाना और उसकी शाख को कायम रखना, सुरक्षा-कार्य—मिचाई की नहरें, सड़कों का निर्माण, कुओं की भरमत इत्यादि; साधारण प्रशासन में सुधार, विशेष रूप से माल-प्रशासन के स्थगन और छुट की व्यवस्था; सुविचारित और उदार बन-नीति;

१. देखिष्य, खण्ड १, अध्याय ५।

२. देखिष्य, अध्याय २, सेवन ३६५६।

कृषि-महाविद्यालय, अनुसन्धान तथा प्रयोग-केन्द्रों द्वारा सुधार; सरकारी आन्दोलन का पूरा-पूरा उपयोग, बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास और छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन, सर्केप में, सब पहलुओं में आर्थिक धार्योजन।

हृष्ट का विषय है कि देश में आर्थिक धार्योजन १९५१-५२ से चल रहा है और उसके द्वारा वृत्तिहीनता की समस्या को हल करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। द्विनीय कृषि अम जांच (१९५६-५७) के अनुसार १९५०-५१ में ग्रामीण बेकारों की संख्या २८ लाख थी। योजना धार्योग के अनुसार १९५६ में ५३ लाख ग्रामीण बेकार थे। कार्यालय संगठन (प्रोप्राम एवं ल्यूएशन ग्रामनाइजेशन) की ग्राम्यनिकतम रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण ३० प्रतिशत मानव दिन (मैन डे) बेकार रहते हैं। अतएव हृषीय योजना में इस समस्या को हल करने के लिए पांच प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तावित किये गए हैं :

(१) अकुशल तथा अधंकुशन अम को अपेक्षा रखने वाली राजीय तथा स्थानीय सम्पादनों की योजनाएँ,

(२) विधान द्वारा निर्धारित ढग से जाति या समूह द्वारा लिये गए कार्य,

(३) वे विकास-काय जिनमें स्थानीय जनता अम देती है तथा सरकार कुछ सहायता देती है,

(४) वे योजनाएँ जो गाँवों की प्रतिकलात्मक सम्पत्ति के निर्माण में सहायक हों, तथा

(५) जिन धोनों में वेकारी अत्यधिक हो वहाँ पूरक योजनाएँ चालू की जाएँ।

इन योजनाओं में से ऐसा अनुमान है, योजना के प्रयम वर्ष में १ लाख व्यक्तियों को, द्विनीय वर्ष में ४-५ लाख व्यक्तियों वो, तृतीय वर्ष में १० लाख व्यक्तियों को तथा अन्तिम वर्ष में २५ लाख व्यक्तियों को रोज़ी मिलेगी। उपर्युक्त आधार पर ग्रामीण जन शक्ति के उपयोग के लिए ३' ग्रामगामी योजनाएँ प्रारम्भ की गई हैं। मार्च १९६२ तक प्रत्येक योजना के लिए २ लाख ६० निर्धारित किया गया है। प्रारम्भ की गई अग्रगामी योजनाओं में विचार्द, बनरोपण, सधार-सुधार आदि हैं।

मध्यवर्गीय वेरोजगारी

३ समस्या का विस्तार क्षब्र—यद्यपि सभी साधारण तौरेस 'विक्षित' और मध्यवर्गीय शब्द का प्रयोग करते हैं, किन्तु विक्षित और विक्षित के बीच का इन निश्चिन रेखा नहीं खींची जा सकती, न तो मध्यवर्ग के उच्चतर और निम्नतर स्तरों को ही अलग किया जा सकता है। साधारणतया 'विक्षित मध्यवर्ग' में ऐसे लोग आते हैं जो इतनी अच्छी आर्थिक स्थिति में नहीं हैं कि अपनी आय में अच्छी तरह अपना जीवन बिता सकें, जो कि शारीरिक अम नहीं करते तथा जिन्हें किसी-न किसी रूप में भाग्यमिक या उच्चतर शिक्षा मिली होती है। कभी-कभी वर्नावियुक्त और एम्लो वर्नावियुक्त को संपूरा करने वाले लोगों को भी इसमें शामिल किया जाता है।

४ मध्यवर्गीय बेरोजगारी की समस्या को गम्भीरता और प्रसार—मध्यवर्गीय वृत्ति-हीनता ने इधर हाल में भयकर भाकार ग्रहण कर लिया है।^१ कुछ समय से जनता का ध्यान इस और गया है। सरकारी तथा गैर-सरकारी और अद्वे-सरकारी संस्थाएँ, जैसे विश्वविद्यालयों, ने इसमें रुचि प्रदर्शित की है।^२ १९२४ और २८ के बीच विद्यालय रूप से आयुक्त समितियों द्वारा कितनी ही गदेषणाएँ की गई हैं। ये गदेषणाएँ एवं प्रयोग व गाल, मद्रास, पजाब और बम्बई-जैसे प्रान्तों एवं ट्रावनकोर-जैसी रियासतों में किये गए हैं। सबसे हाल में नियुक्त होने वाली समितियों में युक्त प्रान्त (सरतेजबहादुर सप्त्र की अध्यक्षता में) की ओर विहार की समितियों का नाम लिया जा सकता है।^३

इन समितियों की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया है कि मध्यवर्गीय वृत्तिहीनता भवित्व-भारतीय प्रकार की है।^४ मद्रास समिति ने बताया कि रोजी सोजने वाले विकित व्यक्तियों और रोजगार का अनुपात २ : १ है। स्कूल और कॉलेजों की वार्षिक उत्पत्ति और वर्ष में होने वाली स्थान रिक्तता की गणना के अनुसार वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वृत्तिहीनता की सूचा वस्तुत दुखद थी। १९२७ की पजाब समिति भी इसी प्रकार की गणना के उपरान्त इस ननीजे पर पहुँची। जबकि अप्रेजी वर्नाचियुलर स्कूलों की उत्पत्ति या उत्पादन ५ वर्ष में (१९२२-२७) बढ़कर दूना हो गया है, इसके विपरीत रोजगार में ऐसी कोई वृद्धि नहीं हुई है—न तो सरकारी नौकरी में और न व्यावसायिक क्षत्र में ही।

इस प्रकार की वृत्तिहीनता की भयकरता को हम पूर्णतया समझ नहीं पात। इससे वृत्तिहीन व्यक्ति का कष्ट तो पहुँचता ही है, साथ ही एक प्रकार का नीतिक पतन होता है जो साधारण रूप से समाज को ग्रस्त कर लेता है और पीढ़ी दर-पीढ़ी बढ़ता ही जाता है। इस प्रकार के असन्तुष्ट नवयुवकों का अधिक सूचा में बेकार होना दश वी राजनीतिक स्थिरता के लिए भी हानिकारक और भयकर है। क्रान्तिकारी समाज-वाद या साम्यवाद उन युवकों में बड़ी ही शोधस्त्र से जड़ जमा लेता है, जिनके दिल में वस्तुस्थिति के खिलाफ एक प्रकार का विरोधी भाव पहले से ही घर कर चुका होता है।

५ विशेष रूप से प्रभावित वर्ग—शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षितों में अप्रशिक्षितों की अपेक्षा कम बेकारी थी। कानूनी पेशे में बहुमत इस पक्ष में था कि यह ज़रूरत से ज्यादा

१. दिलीप मदायुद्ध ने वृत्ति के अनेक दार खोल दिए और कुछ समय के लिए १८ दश वृत्तिहीनता समाप्त हो गई। भारत सरकार के ४८ मन्त्रालय के वृत्ति विनियम, जोकि पहले पुराने नौकरी वालों और छोटे लोगों को अमोदलाने के लिए काम करते थे, अब सबके लिए खोल दिये गए हैं।

२. १९३० में हुए विश्वविद्यालय सम्मलन ने इस प्रश्न पर धिचार किया, लेकिन वे इसके आगे कोई सुझाव नहीं रख सके कि विश्वविद्यालय अपने स्नातकों की शृंखलीनता का पता लगायें।

३. दम्भई के अमालय ने १९३८ में विश्वविद्यालय के स्नातकों की वृत्तिहीनता की जो बात फिर से प्राप्त की।

४. १९३७ को नवे उद्योग सम्मेलन की बुलेटिनों में मारत के विभान प्रान्तों और रियासतों की मध्य-वर्गीय वृत्तिहीनता की परिस्थिति की समीक्षा और उसे दूर करने के लिए काम में लाये गए या नियारत व्यक्ताएँ का विवरण प्राप्त होता। 'बुलेटिन्स ऑफ एडिडेन इंडस्ट्रीज एंड लेव्स', न० ६५।

भर चुका है। इसी प्रकार औपचिं पेशे के लोग बाजारों, विक्रेताओं बड़े शहरों, में तो भरे पड़े हैं, जबकि छोटे-छोटे गाँवों में इनकी स्थाया अत्यन्त कम है, क्योंकि यहाँ पर जीवन की सुविधाएँ अपेक्षाकृत बहुत कम हैं और लोग औपचिंयों के लिए नियमित रूप से नकद फीस देने के मादी नहीं हैं। इन्हींनियरों की दशा कुछ ही अच्छी थी। रेलवे में रोजी खोजने वाले काफी बड़ी संख्या में थे, लेकिन प्रशिक्षित न होने के कारण नौकरी न पा सके। यहाँ तक बैंकिंग का प्रश्न है, जो लोग इस विषय में शिक्षा प्राप्त कर चुके थे वे बेवार न रहे, लेकिन जिन्हें प्रशिक्षा न प्राप्त थी वे नौकरी न पा सके।

वृत्ति विनियोगालय के सचालकालय के जन शक्ति विभाग ने १५ मई १९५७ को स्नातकीय बेकारों के सम्बन्ध में यह पाया कि इस प्रकार की बेकारी अन्य राज्यों द्वी शपथा परिवर्यी बगाल, उत्तर प्रदेश, बंगाल तथा दिल्ली में अधिक है। स्त्री-स्नातकों में सबसे अधिक बेकारी केरल में थी। बाम ढूँढने वाले बेवार स्नातकों में ६३% पुरुष तथा ७% स्त्रियाँ थीं। कला और विज्ञान की तुलना में वारिष्ठत्व के स्नातकों में बेकारी अधिक थी।

६. वृत्तिहीनता के कारण^{१०}—(१) युद्धोत्तर आर्थिक मन्दी और छटनी—अन्य देशों की भौति भारत में भी युद्धोत्तर आर्थिक मन्दी का प्रभाव पड़ा। बाकूगीरी और युद्ध के अन्य विभागों में वृत्ति प्राप्त लोग बड़ी संख्या में बाहर निकाल दिये गए। छटनी की कुलहड़ी के प्रहार सब दिशाओं में हुए और पुराने संस्थापन की यथास्थिति न रही। मध्यवर्ग बड़ों ही कठोर अनिपरीक्षा से होकर निकला।

(२) शिक्षा-पढ़ति के दोष—वृत्तिहीनता का दूसरा तथाक्षयित कारण देश की श्रीदोगिक प्रगति और देश में प्रचलित शिक्षा में सन्तुलन का अभाव है। ऐसा बहा जाता है कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली केवल बल्कि करने योग्य नवयुवक तैयार कर रही है और यह सरकारी नौकरी पाने का केवल एक द्वार मात्र है। प्राचीन समिति के लिए प्रस्तुत वीं गई अपनी सूची में सर एण्डरसन ने यह स्वीकार किया कि प्रारम्भ से ही (वर्तमान शिक्षा-पढ़ति) लड़कों को विदेशी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए बनाई गई थी, जिनका पास करना बहुतों के लिए एक प्रकार का भ्रमजाल था। इसका उद्देश्य लड़कों को बाकूगीरी की शिक्षा देना था। अब बाकूगीरी का पेशा जन-सकुल हो उठा है। इसमें अब नौकरी खोजने वालों की भीड़ के लिए बहुत ही कम स्थान रह गया है। उन्होंने मैट्रिक्युलेट की परिभाषा, जिसे वह वृत्ति समस्या का मूल मानते थे, इस प्रकार बी—“एक भ्रमणार्थी, जो विश्व में टहलता है, जिसे नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि वह नौकरी देने योग्य नहीं है।” भारत का साधारण शिक्षित व्यक्ति सर्वप्रथम जीविका के लिए सरकारी नौकरी की ओर मुक्ता है। उसके न

१०. दग्गल समिति ने वृत्तिहीनता का एक प्रकार का वर्णकरण बनने का सुझाव रखा—ऐसे लोग, जो अपने किसी अपराध या दोष के दिना ही नौकरी न पाने वाले हों, ऐसे व्यक्ति जोकि ऐसी रोकी जाह रहे हैं जिसके लिए बंजुर्युक्त है, उसका कारण बुधा उत्तरे उस वे दादर की शर्त में ही हो। त्रिभिर ‘दग्गल वृत्तिहीनता समिति की रिपोर्ट’, पैरा २।

मिलने पर अद्वं-सरकारी प्रकार की बलकी, जैसे रेलवे, म्युनिसिपल बोर्ड और अन्य स्थानीय संस्थाएँ, जैसे पोर्ट-ट्रस्ट इत्यादि, की बलकी हूँडता है। शिक्षा-पढ़ति के विषय में यह भी आरोप है कि यह लड़कों को अपने पैतृक पेशों के लिए भी बेकार बना देती है, जोकि वे एक क्षण के लिए हाथ से काम करके अपनी जीविका कमाने की बात नहीं सोच सकते। वे पचम श्रेणी का बलकं होना पसन्द करेंगे, चाहे उन्हें उससे हाथ का काम करने से कम की ही आमदनी बयो न हो। वे हृषि को भी हेय हृषि से देखने लगते हैं। इस प्रकार हाथ से काम न करने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। इसका कारण वर्तमान शिक्षा-प्रणाली का दूषित होना ही है जोकि मनुष्यादक होने के अतिरिक्त देश की मानसिक शक्ति को नष्ट कर देनी है। किसान, हस्तकार्य करने वाले तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोग भी अपने दच्चों को सरकारी नौकरी के सालच में पढ़कर, स्कूलों और कॉलेजों में भेजने लगे हैं। इस प्रवार वे सामाजिक सीढ़ी के ऊपर वाले ढड़ो पर चढ़ रहे हैं। साहित्यिक एवं अद्वं साहित्यिक पेशों का यह आवर्षण, जोकि अपनी परिधि में उन वर्गों को भी सन्निविष्ट कर रहा है जिनके पास कोई भी विद्या की पृष्ठभूमि नहीं है, तथा इससे प्रचलित वृत्तिहीनता और भी बढ़ रही है।

(३) सामाजिक कारण—कुछ सामाजिक कारण, जैसे जाति-प्रथा, शीघ्र विवाह, संयुक्त परिवार और सामुदायिक असमानताएँ, सब शान्त किन्तु सशक्त हृषि से नवयुवकों की आधिक महत्वाकांक्षाओं और भाग्य को निर्धारित करने में क्रियाशील है।^१ उदाहरण के लिए जाति-प्रथा युवकों को कितने ही ऐसे घन्थे करने से रोक देती है, जोकि बाभदायक है किन्तु जो सामाजिक हृषि से निम्न स्तर के माने जाते हैं। शीघ्र विवाह के परिणामस्वरूप नवयुवकों पर शीघ्र ही जिम्मेदारी पढ़ जाती है और प्रशिक्षा भी अवहृद हो जाती है। संयुक्त परिवार प्रथा इस प्रकार के उत्तरदायित्व का भार हलवा कर देती है और कमज़ोर तथा असहाय को सहायता और सुरक्षा देकर आधिक पराध्यता को जन्म देती है और वैयक्तिक महत्वाकांक्षा तथा प्रतिभा को समाप्त कर देती है। शिक्षित वर्ग में वृत्तिहीनता का एक कारण नवयुवकों में अपने घरबार से दूर जाकर अपने भाग्य-निर्माण की अनिच्छा भी है, जोकि संयुक्त परिवार-प्रथा की देन है। इसके विपरीत मद्रास समिति के मत में इस प्रकार की गतिहीनता अब घोर-घोरे घट रही है और इसका वृत्तिहीनता पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। वृत्तिहीनता मूलत मांग से पूर्ति का अधिक होना ही है।^२

(४) आधिक पिछड़ापन—देश के आधिक अविकास का कारण औद्योगिक हृषि से देश का पिछड़ा होना है, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षित नवयुवकों को वृत्ति के मार्ग नहीं मिलते। विलायत में सेना, नौसेना और सिविल सेविसेज को छोड़कर इस समय देश में कुल १६,००० पेशे हैं। भारत में कुल मिलाकर ४० से भी कम हैं।^३ यह याद रखना चाहिए कि केवल व्यावहारिक शिक्षा देने और उसकी सुविधाएँ करने

१. देखिय, मद्रास की रिपोर्ट, पृ० १८, खण्ड १, अध्याय ४ मी देखिय।

२. मद्रास रिपोर्ट, पृ० १८ और २७।

३. देखिय, बाबनकोर रिपोर्ट, पृ० ५८।

से ही परिस्थिति पर पूरी तरह से कावू नहीं पाया जा सकता। यह असदिग्ध है कि इससे देश की आधिकारिक प्रगति तीव्रतर हो जाएगी, लेकिन इससे आधिकारिक प्रगति का जन्म नहीं होगा, जब तक कि शिक्षित और प्रशिक्षित लोगों को खपा लेने वाले उद्योगों का विकास और ग्रोत्साहन नहीं किया जाता। जैसा कि बगाल-समिति का भत है—“एक आदर्श सुस्थिति विकास में आधिक प्रगति और टेक्निकल प्रशिक्षा का साथ-साथ विकास होगा, और एक-दूसरे को प्रोत्साहन देंगी। जब एक पीछे रहेगी तो दूसरी को भी भी रोकेगी और जब एक बढ़ेगी तो दूसरी को भी बढ़ाएगी।”

७ वृत्तिहीनता को दूर करने के उपचार : वृत्तिभूरो—वृत्तिहीनता के अनेक कारण हैं इसलिए इसकी कोई एक रामबाण-आपषिष्ठ नहीं हो सकती। पहले तो जो उपचार सामने रखे गए हैं उनके ऊपर विष्टिपात कर लेना चाहिए। सरकार, यूनिवर्सिटी और वैयक्तिक संस्थाओं द्वारा चकाये गए वृत्ति भूरो का मुझाव रामने रखा गया है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में नौकरी चाहने वालों और नौकरी देने वालों को एक दूसरे के सम्पर्क में लाने के लिए वृत्ति बोर्ड स्थापित किये गए। इनसे मत्यन्त ही महत्वपूर्ण और लाभदायक बाम होगा। यदि कुशलता से इनका प्रबन्ध किया गया तो जनता में एक प्रकार के विश्वास का सचार होगा।

जन-प्रवास (माइग्रेशन) भी वृत्तिहीनता को दूर करने का एक साधन माना गया है, किन्तु मध्यवर्गीय वृत्तिहीनता एक अखिल भारतीय प्रकार की है। इससे देश के अन्दर स्थानान्तरण सम्भव न होगा, इससे समस्या की सघनता का देश के सद भागों में समान रूप से विनाश हो जाएगा, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं। एक देश से दूसरे देश म जाने से भी समस्या का स्थायी निराकरण न हो सकेगा।

८. वृत्ति विनियोगालय (एम्प्लायमेंट एक्सचेंज) — द्वितीय विश्वयुद्ध में युद्ध की आव-शक्तियों द्वारा हेतु भविकारियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्र सेवा अभिक्षम्यालय (नेशनल सर्विस लेवर ट्रिब्यूनल) स्थापित किये गए। तब से ये सद सगठन शान्तिकाल में भी कुशल और अर्द्ध-कुशल व्यक्तियों की रजिस्ट्री और स्वेच्छास्थानान्तरणकाल के लिए प्रसारित और अनुकूल बनाये गए। १९४५ में युद्ध से निकाले गए अभिक्षमों और सिपाहियों तथा विस्थापित और छुड़ाये गए पूर्व-सेवकों (एकम-सर्विसमेंट) के पुनर्स्थापित और वृत्ति-दात के लिए वृत्ति पुनर्स्थापित के सामान्य सचालकालय (डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ रिसेटलमेण्ट एण्ड एम्प्लायमेण्ट) की स्थापना की गई। इवर हाल में वृत्ति विनियोगालयों का जारीकरण शरणार्थियों और साधारण रूप से आवासिक अभिक्षमों से सम्बन्धित वृत्ति और पुनर्स्थापित के लिए पर्याप्त विकसित कर दिया गया है। समूर्ण सगठन सचालक (डायरेक्ट्रेट-जनरल) की अधीनता में है, जिसमें तीन सचालकालय (डायरेक्ट्रेट) हैं—(१) वृत्ति-विनियोगालयों का सचालकालय, (२) प्रशिक्षण सचालकालय और (३) प्रमार सचालकालय। देश का विभाजन आठ भागों में दिया गया है और जिनमें से प्रत्येक विभाग एक सचालक के अधीन है। देश में ५४ वृत्ति विनियोगालय

और २३ जिला वृत्ति कार्यालय हैं। केन्द्रीय वृत्ति विनियोगालय का काम एक अन्तर्राष्ट्रीय निकास गृह (विलयरिंग हाउस) का है। यह विभिन्न भागों के थम की माँग और पूर्ति को व्यवस्थित करता है।

६ अन्य उपचार—जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि हर प्रकार और श्रेणी की वृत्ति-हीनता अन्तिम व्याख्या में देश के आर्थिक अविकास और पिछड़ेपन का प्रतिविम्ब-मान्य है। अतएव जिस किसी भी साधन से देश का आर्थिक विकास होगा उससे देश की वृत्तिहीनता की समस्या का समाधान होगा। भौतिक समृद्धि से न केवल वृत्ति के नवीन पर्यों का उद्घाटन होगा, वरन् देश की समृद्धि के स्तर के उठ जाने से बकीलों, डॉक्टरों, अध्यापकों इत्यादि की भी आवश्यकता बढ़ जाएगी। इसी प्रकार समृद्धि-तल के उठ जाने से प्रशासकीय सेवाम्भो में भी प्रसार होगा और अन्त में, सरकार द्वारा देश के आर्थिक पुनरुद्धार के किसी भी कार्य में शिक्षित वर्ग में से व्यक्ति अवश्य लिये जाएंगे।

मद्रास समिति का 'क्षेत्र-उपनिवेश' (फार्म कॉलोनीज) स्थापित करने का प्रस्ताव काफी आकर्षक था, किन्तु न्यावहारिक हृष्टि से उसकी उपयोगिता सीमित थी। पहले तो पजाब और ग्रासाम-जैसे प्रान्तों को छोड़कर शिक्षित वृत्तिहीनों को देने के लिए काफी भूमि नहीं पाई जा सकती, चाहे इसके लिए आमीण समाज और दसित-वर्ग के दावे को थोड़ी देर के लिए भुला भी दिया जाए। दूसरे, यदि यह पता चल गया कि सरकार शिक्षित वृत्तिहीनों के लिए भूमि देगी तो मध्य वर्ग के लोगों का प्रपने पुत्रों को स्कूल और कॉलिजों में भेजने का आकर्षण अधिक बढ़ जाएगा।

पहाड़ वृत्तिहीनता जैसी समिति के बहुमत ने यह सुझाव रखा कि वृत्तिहीनता चोकम करने का एक तरीका यह होगा कि उच्चतर शिक्षा के लिए केवल पर्याप्त योग्यता और तीक्ष्ण बुद्धि वाले छात्रों को ही भेजा जाए। वे यदि गरीब हैं तो उन्हे सरकारी सहायता भी दी जाए या उन लोगों को भेजा जाए जो इसकी पूरी कीमत दे सकें (पैरा १६)। हम यह ठीक नहीं समझते कि उच्चशिक्षा को खरचीली बनाने के लिए कुछ भी किया जाए या इसका क्षेत्र सकुचित किया जाए, हालांकि हम यह स्वीकार करते हैं कि छात्रों के अभिभावकों को इस बात का पता लग जाए कि बर्त-मान काल में सरकारी नौकरियों के लिए व्यक्तियों की माँग की अपेक्षा पूर्ति बहुत ही अधिक है, और यह कि उन्हे प्रपने बच्चों के लिए अन्य प्रकार के पेशें की बात सोचनी चाहिए। सप्रू समिति भी किसी भी कृत्रिम नियम द्वारा विश्वविद्यालयों में प्रवेश को चाहित करने के खिलाफ थी। ट्रावनकोर समिति के इस कथन में अधिक सार है कि हर प्रकार की सरकारी नौकरी को प्रतियोगिता परीक्षा के प्राप्तार पर होना चाहिए। परीक्षाओं को कठोर कर देने और मानदण्ड को ऊंचा उठा देने से कितने ही उम्मीदवार, जो अयोग्य होंगे, छेंट जाएंगे और इस प्रकार की शिक्षा में होने वाली शक्ति तथा धन का अपव्यय भी न होगा। जो प्रतियोगिता-परीक्षा में फेल होंगे वे जान जाएंगे कि उनके लिए सरकारी नौकरी मिलना सम्भव नहीं और वे अनिवार्यता काल तक इस आशा में तो नहीं रहेंगे कि शायद कभी उन्हे सरकारी नौकरी मिल ही जाए। इससे

शिक्षा का स्तर भी ऊँचा उठेगा और सेवा के लिए अधिक उपयुक्त व्यक्ति मिलेंगे । १०. सप्रू (वृत्तिहीनता) समिति—यहाँ हम सप्रू-समिति के कुछ महत्वपूर्ण सुभावों की ओर सकेत करना चाहेंगे । यह समिति युक्तप्रान्त की वृत्तिहीनता को जांच के लिए नियुक्त की गई थी, किन्तु इसके सुभावों को समस्त भारत पर लागू किया जा सकता है । इन्हें हम इस प्रकार विभाजित करते हैं—(क) वे, जो कि शिक्षित व्यक्तियों की माँग बढ़ाने से सम्बन्ध रखते हैं, (ख) वे, जो पूर्ति की अविकला को कम करने से सम्बन्ध रखते हैं; (ग) वे, जिनका उद्देश्य वास्तविक माँग और पूर्ति का समुचित सम्बन्ध स्थापित करना है ।

(१) जिला और नगरपालिकाओं को बाध्य करना चाहिए कि वे सड़कों और इमारतों को अपनी स्थिति में रखने के लिए कुशल और योग्य इजीनियर तथा निरी-क्षकों को नियुक्त बरें । यदि सरकार चाहे तो जन-ओपरेटर-सहायता के प्रसार द्वारा सुयोग्य व्यक्तियों को रोजी दे सकती है । जनता के अस्पतालों में अधिक डॉक्टरों की नियुक्ति—देशी दवाओं और जड़ी-बूटियों की प्रभवित्युता की द्वानवीन के लिए भी डॉक्टरों की नियुक्ति कर सकती है । नगरपालिकाओं तथा जिला-बोर्डों को चाहिए कि वे जनता के स्वास्थ्य और स्वच्छता की देख-रेख के लिए योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करें । कानून के पेशे में होने वाली भीड़ का निराकरण करने के लिए यह आवश्यक होगा कि लोग कानून की विशेष शास्त्राओं में विशिष्टता प्राप्त करें । उदाहरण के लिए, कुछ लोग केवल दस्तावेज की रूपरेखा तैयार करने में विशेष कुछ लोग केवल दस्तावेज की रूपरेखा तैयार करने में विशेष तुरन्त अवसर प्राप्त करें और कुछ मुकदमों की बहस में, इत्यादि । ५५ साल पर सेवा योग्यता प्राप्त करें और कुछ मुकदमों की बहस में, इत्यादि । अतिवार्य-प्रेरणा देनी चाहिए, ताकि वे बड़ी सह्या में नवयुवकों को खपा सकें । अतिवार्य-प्रारम्भिक-शिक्षा प्रचलित करने का जोर-शोर से प्रयास किया जाना चाहिए ।

(२) हाई स्कूल-परीक्षा में दो प्रकार के प्रमाण-पत्र प्राप्त होने चाहिए । एक तो शिक्षा की समाप्ति का होना चाहिए और उन छात्रों को सहायक सरकारी नौदिरियों में स्थान मिलने की योग्यता के प्रमाण-पत्रस्वरूप होना चाहिए, जिससे अवसर पठने पर औद्योगिक, कृषि और अन्य व्यादसायिक स्कूलों में भी प्रवेश पा सकें । दूसरा प्रमाण-पत्र कला और विज्ञान के महाविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए होना चाहिए ।

(३) व्यावहारिक शिक्षा के लिए मिलने वाली सुविधाएँ भी बढ़ानी चाहिए । समग्र रूप से और विशेष रूप से प्रारम्भिक कक्षाओं में—शिक्षा की प्रवृत्ति व्यावहारिक और ग्रामीण होनी चाहिए । दवा-दाह की शिक्षा प्राप्त करने और डॉक्टरी पेशा अस्तियार करने वालों को चाहिए कि सरकार उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में बसने वी सुविधा और सहायता दे । इस प्रकार वहे नगरों से डॉक्टरों की भीड़ भी कम हो जाएगी । फार्मसी, डेनिटस्ट्री (दान की विद्या), हिसाब-किताब, निर्माण और वास्तु-कला, पुस्तकालयक की शिक्षा, बीमा-कार्य और अस्वासारनवीसी-जैसे पेशे का विकास करना चाहिए । ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि डिप्लोमा-प्राप्त व्यक्ति वया कृषि-स्नातक

वैज्ञानिक कृपि की जीविका के साधन के रूप में अपनाएँ। उनके लिए वैज्ञानिक पशु-पालन में भी खपत होगी। यह भी कोशिश करनी चाहिए कि योग्य शिक्षित व्यक्ति नौकरी के लिए व्यवसाय घृहों के सम्पर्क में आ सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न संघों में पेशी की रहनुमाई के लिए प्राधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि समन्वित जीवन-पथों की सूचना दिया करें और इस प्रकार की व्यवस्था संगठित करें कि अभिभावकों को उनके लड़कों की मानसिक और शारीरिक कुशलता की परीक्षा करके उनके आगे की गति के विषय में सलाह दे। माध्यमिक पाठशालाओं को चाहिए कि वे अध्ययन के और भी अधिक विविध पाठ्य क्राम निर्धारित करें। विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक और पेशी की शिक्षा पर अधिक जोर दें। कैंपिंज यूनिवर्सिटी के नियुक्ति संघ (अपॉइंटमेंट्स बोर्ड्स) वे ढंग का नियुक्ति संघ यहाँ भी बनाया जाना चाहिए, जिसमें यूनिवर्सिटीयों के उप-कुलपति, कुछ विभागाध्यक्ष (उदाहरण के लिए शिक्षा, उद्योग और कृषि) तथा कुछ जनता के व्यक्ति और कुछ यूरोपीय तथा भारतीय व्यापारी हों। इसी प्रकार माध्यमिक पाठशालाओं के उत्पादनों वी समस्या को सुलझाने के लिए भी सधों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इन बोर्डों को चाहिए कि वे विश्वविद्यालयों के स्नातक तथा स्कूल और कॉलेजों के छात्रों की वृत्ति की समस्या सुलझाएँ।

तृतीय योजना में मध्यवर्गीय बेकारी दूर करने के सम्बन्ध में यहा गया है कि उद्योगीकरण, विकास की योजनाओं तथा ग्रामीण जन-शक्ति के उपयोग के लिए प्रारम्भिक कार्यक्रम स्वतः शिक्षितों को रोजगार देंगे। वृत्ति विनियमालय में दर्ज व्यक्तियों के सम्बन्ध में यह अनुमान कर लेने पर कि इनका प्रतिशत निश्चित रहा है, यह कहा जा सकता है कि १० लाख शिक्षित बेकार योजना के प्रारम्भ में होंगे और ३५ लाख नए शिक्षित बेकार योजना अवधि में आगे ढूँढ़ेंगे। अतएव यह सुभाव रखा गया है कि शिक्षा में इस प्रकार के परिवर्तन किए जाएं ताकि भविष्य के उपलब्ध कामों के लिए व्यक्ति मिल सकें। प्राविष्ठिक शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है तथा नई शिक्षा-सम्प्लाएँ खोली जा रही है। पेशी के सम्बन्ध में पथ-प्रदर्शन (वोकेशनल गाइड्स) करने की योजनाएँ भी पिछले पांच वर्ष में विकसित की गई हैं। निकट भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीण कार्यक्रमों में ही शिक्षितों को रोजगार मिलने की सम्भावना है। अतएव यह सुभाव रखा गया है कि शिक्षितों को विशेष कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाए। इस दिशा में शिक्षा-पढ़नि का पुनर्गठन तथा पेशेवर और प्राविष्ठिक शिक्षा की सुविधाओं का विकास सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है।

बेरोजगारी की समस्या पर उचित ढंग से विचार करने के लिए सभी प्रकार की बेरोजगारी पर दीर्घवालिक हृष्टि से विचार करना आवश्यक है। आगामी १५ वर्षों में अम शक्ति की वृद्धि ७०० लाख के लगभग होगी—तृतीय योजना में १७० लाख, चतुर्थ योजना में २३० लाख तथा पांचवीं योजना में ३०० लाख। पिछली दो योजनाओं का अनुभव मह है कि रोजगार के अवसर अधिकाशतः गैर कृपीय क्षेत्रों में बढ़े हैं। इस अनुमान पर कि यह प्रवृत्ति भविष्य में बनी रहेगी तथा आगामी १५ वर्षों में इ

अम शक्ति कृपि के बाहर काम पाएगी, यह सम्भव हो सकेगा कि १६७६ तक कृपि पर निभंर अम-शक्ति का अनुगम घटकर ६० प्रतिशत हो जाए।

११ वेरोजगारी तथा योजनाएँ—(क) पहली पचवर्षीय योजना—यह योजना एमे समय म बनी थी जबकि विभाजन तथा युद्ध के पश्चात् स्थिति के कारण वेरोजगारी के बारे मे ठीक प्रकार से कुछ नहीं कहा जा सकता था। इसलिए पहली योजना मे रोजगारी का अध्याय एक प्रकार से वर्णन-सा था। यह ठीक है कि बाद मे १६५३ के अन्न तक योजना आयोग ने रोजगारी अवसर की उन्नति के लिए ११ शावांग्रो बान्ना प्रोप्राप्त बनाया। इनके बाद भी पहली योजना मे कुछ अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई और प्रत्यक्ष रोजगारी कुल ४५ मिलियन तक ही रह गई।

(ख) दूसरी योजना—इस योजना के आरम्भ मे अपूर्ण वेरोजगारी ५३ मिलियन लोगो मे थी और यह आशा प्रवट की गई कि योजना के दोगन म १० मिलियन और लोगो की सामर्थ्य-शक्ति और बढ जाएगी। दूसरी योजना मे रोजगारी का लक्ष्य १० मिलियन रखा गया और यह सोचा गया कि ५३ मिलियन लोगो की सामर्थ्य अगली योजनाओं मे ठीक की जाएगी। परन्तु दुर्भाग्य से दूसरी योजना मे रोजगारी (चेनी को ढोडकर) कुल ६५ मिलियन लोगो मे बढ़ी। इस प्रकार वेरोजगारी की सामर्थ्य तीसरी योजना के आरम्भ होने के समय ६ मिलियन के लगभग थी। इससे यह प्रतीत होता है कि देश मे रोजगार लोगो के बढ़ने के साथ-साथ वेरोजगार तथा रोजगारी ढूँढने वाले लोगो की सह्या भी बढ़ती रही है।

(ग) तीसरी योजना—योजना आयोग के हिसाब के अनुसार तीसरी योजना मे भये रोजगार ढूँढने वालो की सह्या १७ मिलियन और हो जाएगी और पिछले ६ मिलियन वेरोजगारों को मिलाकर कुल वेरोजगारों की सह्या इस प्रकार बढ़कर २६ मिलियन हो जाएगी। परन्तु तीसरी योजना मे निवेदा तथा इसके स्तर को देखते हुए १४ मिलियन लोगो को नौकरियां मिलने की सम्भावना थी (३५ मिलियन चेनी में, १०५ मिलियन बाकी क्षेत्रों मे)। दुर्भाग्य से तीसरी योजना के मध्य मूल्याकन अनुसार चेती के बाहर ५ मिलियन ४७ प्रतिशत लोगो को नौकरियां मिलीं।

(घ) चौथी योजना—दर्तमान स्थिति को देखते हुए चौथी पचवर्षीय योजना मे नौकरियां ढूँढने वालो की सह्या ३५ मिलियन तक बढ जाएगी, जिसमे २३ मिलियन नई नौकरियां ढूँढने वाले होंगे और १२ मिलियन पुराने ही जो तीसरी योजना मे प्राप्त न कर पाए। परन्तु चौथी योजना मे २१,५००—२२,५०० करोड़ रुपया खर्च करके अधिक से अधिक १५-१६ मिलियन लोगो को और नौकरियां (चेती से बाहर) मिल सकती हैं। इससे यह स्पष्ट है कि अगर चौथी योजना मे बम से-बम २५ मिलियन लोगो को नौकरियां न मिली तो पांचवीं तथा अन्य योजनाओं मे रोजगारी की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। ऐसे संटक्काल को दूर रखने के लिए सरकार को अपनी रोजगारी, उत्पादन तथा राजकीय नीतियों से परिवर्तन लान होगे।

अध्याय २७

भारतीय पंचवर्षीय योजनाएँ

१. मूलिका—हम आज उस युग में से गुजर रहे हैं जबकि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सभी दिशाओं से राष्ट्र की आर्थिक उन्नति के लिए योजनाओं का बर्छुन हो रहा है। विशेष रूप से जब से रूस ने योजना के पथ पर अग्रसर होकर अपने-आपको विश्व के दड़े देशों में ऊँचा स्थान प्राप्त कर लिया है, तब से योजना के मार्ग को और भी उन्नत स्थान मिला है। वैसे तो भारत में काफी समय से योजना की आवश्यकता को महसूस किया गया था। १९३१ में सर आर्थर साल्टर और बाद में १९३५ में डॉ बाऊले तथा प्रोफेसर डी० एच० रॉबर्ट्सन ने योजना आरम्भ करने का विचार रखा। देश के एक सर्वथेष्ठ इक्जीनियर सर विश्वेश्वरेण्या ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था 'लैंड इकॉनमी ऑफ इण्डिया' (Planned Economy of India)। उसके पश्चात् १९३८ में नेताजी सुभागचन्द्र बोस ने, जोकि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 'राष्ट्र योजना समिति' देश की आर्थिक उन्नति के लिए बनाई। परन्तु दूसरे महायुद्ध के द्वितीय जाने तथा कांग्रेसी नेताओं के जेलों में भेज देने के कारण इस बैठकी के कार्य में विघ्न पड़ गया।

वैसे तो कई कागजी योजनाएँ बनी, जदा हरणतया 'बॉम्बे प्लॉन' (Bombay Plan), 'पीपल्स प्लॉन' (Peoples Plan), गांधियन प्लॉन (Gandhian Plan), तथा पोस्ट वार रिकन्स्ट्रक्शन एण्ड प्लॉनिंग (Post-war Reconstruction and Planning)। परन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात् सुचारू रूप से योजना के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने मार्च १९५० में (राष्ट्र के सभी स्रोतों वे ठीक उपयोग और उसके उत्पादन के सन्तुलित वितरण के लिए) योजना आयोग बनाया। काफी सोच-विचार के बाद पहली पंचवर्षीय योजना संसद के सम्मुख दिसम्बर, १९५२ में रखी गई। वैसे तो पहली योजना को १९५१ से ही चालू समझा गया।

२. योजनाओं के लक्ष्य—भारतीय योजनाओं के कई लक्ष्य हैं। पहली योजना में विशेष लक्ष्य को सामने रखते हुए, इसके अन्तर्गत वह एक नया उन्नति का मार्ग बनायेगी, जिससे जनता का रहन सहन ऊँचा हो सकेगा और अपने जीवन को उज्ज्वल बनाने के लिए अच्छे प्रवास भिलेगे। योजना वा मतलब न केवल साधनों को उन्नत करना होगा, बल्कि मानवता की कार्य-शक्ति और संस्था के ढांचे में परिवर्तन लाया जाएगा। दूसरा, लम्बे समय के लक्ष्य ये कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय को दुगुना किया जाए। यह आशा प्रकट की गई कि १९५५-५६ तक ६ प्रतिशत के लगभग बढ़ि डी दर हो ताकि राष्ट्रीय आय (१९५०-५१ की कीमतों को सामने रखते हुए) १९६०-६१ में

१४,५०० करोड से बढ़कर राष्ट्रीय आय १९७५-७६ में ३४,००० करोड रुपये हो जाए और प्रति व्यक्ति आय इस समय में ३१ प्रतिशत बढ़कर ३३० रुपये ने ५३० रुपये हो जाए। तीसरा, ४६ करोड लोगों के लिए रोजगार (खेती को छोड़कर) पैदा किये जाएं, जिससे जनसंख्या का दबाव खेती पर १० प्रतिशत से घटकर ६० प्रतिशत हो जाए। चौथा, चौदह वर्ष तक के बालकों को विधान के अनुसार व्यापक शिक्षा दी जाए। पांचवां, कुल निवेश दर दूसरी योजना के अन्त तक ११ से १४ प्रतिशत तीसरी में और १८ प्रतिशत चौथी योजना के सम्पूर्ण होने तक। कुल निवेश का बढ़ा भाग घरेलू जमा से वित्त का रूप ले और इस प्रकार शुद्ध जमा—आय अनुगत १९६०-६१ में ८.५ प्रतिशत से बढ़कर ११.५ प्रतिशत १९६६ म और १६ प्रतिशत १९७१ के अन्त तक हो जाए। यथा लक्ष्य यह है कि १० वर्षों में हम विदेशी सहायता को काफी हट तक कम कर लें और यह कार्य निर्णात की अच्छी नीतियों द्वारा ही हो सकता है।

३. पहली दो योजनाएँ—पहली योजना (१९५१-५६) न खेती, सिचाई, शक्ति और यातायात के साधनों पर जोर देते हुए भविष्य में आधिक एवं आर्थिक उन्नति का आधार बनाने की चेष्टा की और कुछ बुनियादी नीतियों में परिवर्तन किये। दूसरी योजना (१९५६-५१) में इन नीतियों को और अच्छा रूप दिया गया और राष्ट्र को समाजवादी आधार पर रखने की चेष्टा की गई। इस योजना में मौलिक तथा बड़े उद्योगों पर जोर दिया गया और यह आशा की गई कि राष्ट्र की आधिक उन्नति के लिए सरकारी क्षेत्र का बहुत महत्व होगा।

पहली दो योजनाओं में कुल निवेश १०,११० करोड रुपया—५२१० करोड रुपया सरकारी क्षेत्र में और ४६ करोड रुपया निजी क्षेत्र में था। इस प्रकार वार्षिक निवेश दर :०० करोड रुपये १९५१ से बढ़कर १६०० करोड रुपये १६६१ तक हो गई। पहली दो योजनाओं में खेती तथा सिचाई पर ३१ तथा २० प्रतिशत खर्च दिया गया। दूसरी योजना में आर्थिक उन्नति पर जोर देने के कारण उद्योग तथा खनिज पर ४ प्रतिशत प्रथम योजना से बढ़ाकर दूसरी योजना म २० प्रतिशत कर दिया। पहली तथा दूसरी योजना में शक्ति की उन्नति पर १३ तथा १० प्रतिशत दूसरी योजना में खर्चना निर्धारित हुमा। दोनों योजनाओं में ट्रांसपोर्ट और सचार पर एक ही जैसा जोर देते हुए लगभग २८ प्रतिशत धन व्यय हुआ। सेवा समितियों इत्यादि पर पहली पचवर्षीय योजना म २३ प्रतिशत तथा दूसरी में १८ प्रतिशत धन व्यय हुआ। प्रथम योजना में कुल सरकारी व्यय (Public Sector) का ६० प्रतिशत भाग घरेलू साधनों से प्राप्त हुआ और दूसरी योजना में ४,६०० करोड का ७६ प्रतिशत घरेलू साधनों से तथा दोप विदेश से प्राप्त हुआ। दूसरी पचवर्षीय योजना में विदेशी तौर पर टैक्सों पर जोर दिया गया और कई नये प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दबाव लगाये गए और जा रिक्त साधना में मिटा डासे या ता घाटे के बजट (Deficit Financing) से या विदेशी सहायता से दूर्ण किया गया। दूसरी योजना म घाट का बजट ६४८ करोड रुपये था।

पहली दो योजनाओं में राष्ट्रीय आय ४२ प्रतिशत बढ़ी, परन्तु प्रति वर्षीय आय तेजी से जनसूख्या के बढ़ने के कारण केवल १६ प्रतिशत ही बढ़ सकी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस समय में श्रीदोगिक उत्पादन ६२ प्रतिशत बढ़ गया और दिशेषतया दूसरी योजना में कई क्षेत्रों में उन्नति हुई और एक प्रकार का देश में श्रीदोगिक आनंदोलन चालू हो गया। श्रीदोगिक उन्नति और राष्ट्रीय आय के अधिक न बढ़ने के ये निम्नलिखित कारण हैं—

(१) खेती-उत्पादन दर न केवल अस्थायी रही बल्कि इसके साथ-साथ श्रीदोगिक और निर्यात को बढ़ाने में असफल थी।

(२) विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण कई सक्ति-साधनों को बढ़ाने वाले प्रोजेक्टों और रासायनिक प्रोजेक्टों को चलाने में बड़ी देर लगी।

(३) इन दस वर्षों में निर्यात स्थिर रहा और उतना न बढ़ पाया जितनी आवश्यक थी।

(४) श्रीदोगिक तथा खेती के क्षेत्रों में प्रशासन के ठीक न होने और योजना के कार्यों को ठीक प्रकार से कार्यान्वित न होने के कारण बहुत बाधाएँ पड़ी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि दूसरी योजना का समय बहुत सकटपूर्ण था। इन लकावटों को दूर करने के लिए और योजनाशो को कार्यान्वित करने के लिए तीसरी योजना में विशेष रूप से जोर दिया।

५. तीसरी पचवर्षीय योजना—(क) लक्ष्य—तीसरी पचवर्षीय योजना (१९६१-६६) में लम्बे समय के उद्देश्यों को सामने रखते हुए ये लक्ष्य रखे गए—

(१) राष्ट्रीय आय में लगभग ५ प्रतिशत की बढ़ोतरी हो और इस प्रकार का निवेश का आवार बने जिससे कि आत्म-निर्भरता की स्थिति बन सके।

(२) खेती की उन्नति इस प्रकार से हो कि खाद्य-पदार्थों में आत्म-निर्भरता हो, उद्योग तथा निर्यात की आवश्यकताएँ पूरी हो सकें।

(३) बुनियादी उद्योग-घन्थे, इस्पात, रासायनिक, दंधन-शक्ति आदि, मशीन व्यवस्था यन्त्र इस प्रकार से बढ़ें कि १० वर्ष के समय में श्रीदोगिक उन्नति स्वदेशी साधनों से पूरी हो सके।

(४) बहुबल साधनों का अधिक-से-अधिक उपयोग हो और राष्ट्र में रोजगारी के अवसर बढ़ सकें।

(५) आयों में अन्तर तथा भार्यिक साधनों के अकेन्द्रीकरण का कार्य पूरा करना।

(६) व्यय तथा धन-विभाजन—तीसरी योजना में भौतिक उत्पादन के लिए ८,००० करोड़ रुपया सरकारी क्षेत्र में, ४,१०० करोड़ रुपया निजी क्षेत्र में निर्धारित हुआ। परन्तु सरकारी क्षेत्र में वित्त साधन ७,५०० करोड़ रुपया ही मिलने की आशा की गई।

निम्नलिखित तालिका में दूसरी योजना के असली छर्चे के साथ तीसरी योजना के सम्भावित छर्चे विभिन्न क्षेत्रों में दिखाये गए हैं—

	दूसरी योजना		तीसरी योजना	
	कुल खर्च (करोड़ों में)	प्रतिशत	कुल निवारिति	प्रतिशत
कृषि तथा बहुमुखी योजनाएँ	५३०	११	१,०६८	१४
बड़ी तथा छोटी सिंचाई के साधन	४२०	६	६५०	८
शक्ति	४४५	१०	१,०१२	१३
ग्राम तथा लघु उद्योग	१७५	४	२६४	४
सगठित उद्योग तथा स्थनिज	६००	२०	१,५२०	२०
यातायात तथा सचार	१,३००	२८	१,४८६	२०
श्रम दान तथा अन्य विदेशी पदार्थ (Inventories)	८३०	१८	१,३००	१७
	—	—	२००	३

सरकारी क्षेत्र में ७,५०० करोड़ रुपये में से असल निवेश ६,३०० करोड़ रुपया होगा और बाकी का १२०० करोड़ रुपया चालू खाते पर व्यय होगा। इस योजना में निवी क्षेत्र में ४,१०० करोड़ रुपये का निवेश होगा। इस प्रकार कुल निवेश (शुद्ध निवेश) १०,४०० करोड़ होगा। जबकि दूसरी योजना में ६,६५० करोड़ रुपया और पहली योजना में ३,३६० करोड़ रुपया हुआ था।

योजना की पूर्ति के लिए धन इन साधनों से प्राप्त होने की सम्भावना यी जो निम्नलिखित राशिकां से पता लगता है—

तालिका

(करोड़ रुपयों में)

	दूसरी योजना	तीसरी योजना
१. शेष चालू वित्त (वर्तमान दर अनुसार)	५०	५५०
२. रेलवे का अनुदान	१५०	१००
३. सरकारी उद्यम का अनुदान	—	४५०
४. सोक उधार	७८०	८००
५. छोटी वयत	४००	६००
६. कोष इत्यादि	२३०	५४०
७. नये कर इत्यादि	१,०५२	१,७१०
८. विदेशी सहायता (बजट-प्राप्ति-पत्र)	१,०६६	२,२००
९. घाटे का बजट (Deficit Financing)	६४८	५५०
कुल	४,७०६	७,५००

५. तीसरी योजना प्रीत रोडगारी—दूसरी योजना में बेरोजगारी टीक प्रकार से दूर न हो सकी और इसके साथ-माय वटी हुई जनसंख्या के कारण बेरोजगारी जितनी सोची थी उससे अधिक बढ़ गई, जिससे तीसरी योजना में लगभग २६ मिलियन लोगों के लिए रोजगार ढूँढ़ने की समस्या बनी। इसका किसी हद तक हल टूँटने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक समझा गया—

(१) बेरोजगारी का पहले के अन्तर में तेजी और अच्छी तरह से हल ढूँडना होगा।

(२) ग्रामीण उद्योगों को उन्नत किया जाए तथा मानव-शक्ति और विज्ञप्ति का अश बढ़ाया जाए।

(३) ग्रामीण कार्यों को इस प्रकार से चालू किया जाए जिसके कम से-कम २५ लाख मनुष्यों के लिए वर्ष में १०० दिन का काम निकल आए।

परन्तु मध्यवालीन मूल्याक अनुसार 'हृषि' योजना के पहले दो वर्षों में रोजगारी के बेल गोर-हृषि क्षेत्र में ३२ लाख अधिक लोगों को मिल सकी। जैसा कि पहले बताया गया है कि तीसरी योजना के बेरोजगारी के लक्ष्य को पूरा नहीं किया गया। ६. तीसरी योजना का मूल्याक—तीसरी योजना के मध्य मूल्याक अनुसार यह पता चलता है कि आर्थिक उन्नति की दर तथा रोजगारी के अवसर पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किये गए। यह टीक है कि कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि यातायात, शक्ति की प्राप्ति निर्धारित रूप से हो पाई है। परन्तु बहुत-से क्षेत्रों में—मध्यीन, यन्त्र, ग्रलमूलियम, कपड़ा, इस्पात तथा कच्चा लोहा, सीमेन्ट, रासायनिक खाद, सिचाई, कपास, तेल निकासन के बीज और खाद्य पदार्थों में उत्पादन के लक्ष्य बिल्कुल पूरे न हो सके। इसलिए नेशनल प्रगति कॉन्सिल (National Development Council) ने इस बात का निर्णय किया कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें उन सभी विभिन्नों को दूर करके योजना के संस्थानों को पूरा करें। इस विषय में यह कहना उचित होगा कि योजना के पहले तीन वर्षों में राष्ट्रीय आय के बेल ६ प्रतिशत बढ़ी, जबकि बढ़ने का लक्ष्य ५ प्रतिशत प्रतिवर्ष था और प्रति व्यक्ति आय २६३ २ रुपये से (१९६१) बढ़कर केवल २६६ ८ तक (१९६४) बढ़ सकी। इसी प्रकार खेती का उत्पादन भी लगभग स्थिर रहा और राष्ट्र की आर्थिक स्थिति सकट में रही।

इस दशा के उपचार के लिए खेती के कार्यक्रम को थोष्ठ स्थान दिया गया। खेती पर पैसे का स्वर्च १९६१-६२ में ७२ ६ करोड़ से बढ़ाकर १९६४-६५ में १४६ ७ करोड़ कर दिया। इसके अतिरिक्त २१.५ करोड़ रुपया छोटी सिचाई के साधनों तथा उद्यानपन के सारक्षण के लिए और ७ करोड़ रुपया टेरी, मदजली उद्योग, लद्दान-विकास इत्यादि के लिए, जो खेती तथा इन उद्योगों के उत्पादन को जल्दी बढ़ा सके। इस प्रकार बड़ी सिचाई की योजनाओं पर भी अधिक धन व्यय किया गया जिससे कार्य जल्दी सम्पन्न किया जा सके। इस प्रकार १९६४-६५ में खेती पर व्यय ६५५ करोड़ रुपये हुआ जबकि पहले ५५ करोड़ रुपया होने वी सम्भावना थी।

ग्रामीणिक क्षेत्रों में प्रगति इननी सराव न थी जिननी इस हृषि क्षेत्र में। १९६१-६२ में ग्रामीणिक उत्पादन ६६ प्रतिशत से बढ़ा। अगले दो वर्षों में यह

इस प्रतिशत तक पहुँचा और योजना के अन्तिम वर्ष में ११ प्रतिशत पहुँचने की सम्भावना है। इस मध्यम प्रगति की दर के कारण विशेषतया कुल उत्पादन का गिर जाना और इस्तात, अलमूलियम, सीमेन्ट, ब्लट, पटसन उद्योग में उत्पादन की दर का इतनी तेजी से न बढ़ना था। इस प्रकार विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण शक्ति स्कीम बहुत कम उल्लंघन हो गई और देश के विभिन्न भागों में शक्ति के साधनों की कमी को महसूस किया गया। इसकी रोक्याम के लिए तीसरी योजना में कई कदम उठाये गए और प्रयत्न किया गया कि राष्ट्र में शक्ति के साधनों की स्थापना ५६ लाख विलोबाट (Kwt) (१९६०-६१) से बढ़कर ८८ लाख Kwt (१९६४-६५) में हो गई। इसी प्रकार तीसरी योजना में ऐलो तथा सड़कों इत्यादि तथा सामान लादने की शक्ति को बढ़ाने की कोशिश की गई और यह आशा प्रकट ही जाती है कि तीसरी योजना के २४.५ करोड टन के लक्ष्य से भी अधिक १.५ करोड टन लादने की शक्ति बढ़ सकेगी। परन्तु चीनी आक्रमण (अक्टूबर १९६२) और हाल ही में पाकिस्तान के आक्रमण के कारण बहुत-से सामाज-कल्याण के कार्यों को बहुत घटका पहुँचा, क्योंकि बहुत-सा पैसा सुरक्षा के कार्यों के लिए लगाना पड़ रहा है। यह ठीक है कि सरकार सुरक्षा तथा विकास दोनों पर जोर दे रही है, परन्तु ऐसा देखा गया है कि जब देश को सुरक्षा, लड़ाई इत्यादि पर अधिक धन व्यय करना पड़ता है तो आधिक विकास में विघ्न पड़ जाता है।

१९६१ से ६४-६५ तक तीसरी योजना में विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिदिन व्यय बढ़ना ही चला गया, जैसा कि निम्नलिखित तालिका से प्रतीत होता है—

तालिका

तीसरी योजना में व्यय तथा खर्चों की रूपरेखा

खड़े कार्य	वैन्द्रीय तथा गाज़िय सम्मिलित	
कृषि तथा बहुमुखी उद्योग	१९६१-६२	
सिवाई के बड़े तथा छोटे साधन तथा बाढ़ से बचाव	वित्तसंग्रह १,०६८	१९६१-६५
शक्ति	१,०१२	कुल व्यय ८१५
उद्योग तथा वनिज	१,५२०	४६३
ग्राम तथा लघु उद्योग	२६४	८६१
सचार तथा यातायात	१,४८६	१२३४
सामाजिक सेवा कार्य	१,३००	१,५८३
पदार्थ	२००	१,०५०
कुल	७,१००	६,२४६

यातायात पर दूसरे क्षेत्रों के अन्तर में न केवल भविक धन खर्च हुआ बल्कि १०७ करोड़ रुपया योजना के निर्धारित धन से किया गया। इसी प्रकार लेती, उद्योग, शक्ति, साधन इत्यादि पर भी धन वर्ष-प्रतिवर्ष बढ़ता ही चला गया। तीसरी योजना के पहले चार वर्षों में करोड़ से प्राप्ति काफी रही। केन्द्रीय सरकार ने और अधिक करोड़ से १६६१-६२ में १५ करोड़ से १६६५-६६ में २१३ करोड़ रुपया इकट्ठा किया। इसी प्रकार सरकारी उद्यम से भी धन की वैशी १६६१-६२ में २६ करोड़ से बढ़कर १६६४-६५ में १३० करोड़ हो गई। इसी प्रकार सार्वजनिक कर्जा और छोटी जमा १६६१-६२ में १४८ करोड़ तथा ६२ करोड़ से बढ़कर २१४ करोड़ तथा २०१ करोड़ हो गई। विदेशी सहायता योजना के प्रथम चार वर्षों में १७२३ करोड़ रुपये रही, जबकि योजना में २,२०० करोड़ रुपया इसके अन्तर्गत मिलने की सम्भावना थी। घाटे का बजट इन वर्षों में ६८६ करोड़ रुपये रहा, जबकि योजना में ५ वर्षों के लिए केवल ५५० करोड़ रुपया होना निश्चित था।

इस प्रकार यह देखा जाता है कि इन पहली तीन योजनाओं के कारण राष्ट्र की आर्थिक अवस्था में काफी उन्नति हुई। १६५१-६२ में राष्ट्रीय आय ४४ प्रतिशत और प्रति व्यक्ति आय १८.५ प्रतिशत बढ़ी। परन्तु तीसरी योजना में राष्ट्रीय आय-दर तथा प्रति व्यक्ति आय-दर इतनी नहीं बढ़ी जितनी कि योजना के अन्तर्गत निर्धारित थी। इससे अधिक दुख की बात तो कीमतों का दिन-प्रतिदिन बढ़ना और अदायगी क्षेत्र विदेशी सहायता के मिलने के पश्चात् भी खरात् होते चले जाना ही है।

तीसरी पचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में यो प्रतीत होता है कि योजना से कोई सुदृढ़ सफलता प्राप्त नहीं हुई।

७ चौथी पचवर्षीय योजना—अक्टूबर १६६४ में स्मृतिपत्र में चौथी पचवर्षीय योजना का १६६३-६४ की कीमतों को देखते हुए ढाँचा तयार किया गया। चौथी योजना की विशेष समस्या यह है कि राष्ट्रीय उत्पादन-शक्ति को इस प्रकार बढ़ाया जाए कि सामाजिक स्थिति को कोई हानि न पहुँचे। विशेषता भौतिक वस्तुएँ प्रत्येक व्यक्ति के उपभोग के लिए आवश्यक हैं, इनका उत्पादन बढ़े। मानव-जाति तथा आर्थिक साधनों पर निवेश बढ़े और राष्ट्र शीघ्रतांश्च विदेशी सहायता से मुक्त हो सके। तीसरी पचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य अपूरण रहे उनके कारणों तथा कीमतों के बढ़ने से जो स्थिति बनी है, इसे देखते हुए चौथी योजना के लक्ष्य तथा रचना इस प्रकार से हो कि मुद्रास्पीति को दूर रखा जा सके, जनता के रहने-सहन के स्तर को ऊचा किया जा सके और धन का वितरण ठीक प्रकार से हो सके, मानव-साधनों वा सेक्झी स विकास और उपयोग हो सके और राष्ट्र आत्म-निर्भर हो सके। इस प्रकार स्मृति-पत्र में पारिभाषिक लक्ष्य निम्नलिखित रखे गए हैं—

(१) कृषि-क्षेत्र में कम से-कम ५ प्रतिशत, अगर हो सके तो इससे अधिक आर्थिक दर ऊंची हो।

(२) इसकी पूर्ति के लिए रासायनिक खाद, कृषि-पत्तों तथा कीड़ों के विनाश की दवाइयों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए।

(३) आवश्यक उपभोग को बस्तुएँ, जैसे कि कपड़ा, चीनी, दवाइयाँ, मिट्टी का तेल, कागज इत्यादि के उत्पादन को तेजी से बढ़ाया जाए।

(४) सीमेट तथा भवन बनाने की सामग्री की वृद्धि की जाए।

(५) खनिज पदार्थों, रासायनिक पदार्थों, भवन-निर्माण की मशीनें, खानों, विद्युत् शक्ति तथा यातायात के उद्योगों की चालू स्कीमों को पूर्ण किया जाए और नई स्कीमों को जल्दी चालू किया जाए।

(६) अधिक-से अधिक सामाजिक उन्नति के लिए सहायता के साधनों की पूर्ति हो, जिससे वे उत्पादन की शक्ति को बढ़ाने में सहायक हो सकें।

(७) इन सभी शास्त्रीयों में विकास के लिए अधिक रोजगारी के अवसर बढ़ाए जाएं और सामाजिक न्याय प्रदान किया जाए।

इस योजना में अप्प—मौलिक आगणन के मनुसार २१,५०० करोड रुपये के लगभग चौथी योजना की पूर्ति के लिए धन प्राप्त होगा, जिसमें से ७,००० करोड रुपया निजी क्षेत्र में से प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्र में धन इकट्ठा करने के लिए इस बात का प्रयत्न किया जाएगा कि अनियोजित सर्वा कम-से-कम हो और बत्तमान करों के मनुसार अधिक-से अधिक धन इकट्ठा हो। यह आशा की जाती है कि २५०० करोड रुपया बजट के प्राप्ति पत्रों से मिलेगा और २५०० से होकर ३,००० करोड रुपये तक करों को बढ़ाने तथा करों के उपचरन को कम करके और सरकारी क्षेत्र के उदाम की कीमतों में कमीवेशी करके इकट्ठा किया जाएगा। चौथी योजना में ३,२०० करोड रुपया विदेशी सहायता के रूप में लिया जाएगा।

इस प्रकार चौथी योजना में विशेष क्षेत्रों के धन का वितरण निम्नलिखित रातिका से प्रतीत होता है। साथ ही में तीसरी योजना का सर्वा भी दिया गया है, ताकि इससे वितरण का ठीक मनुमान लगाया जा सके—

तात्त्विका

(करोड़ में)

बड़े उद्योग	अनुमानित व्यय तीसरी योजना में	चौथी योजना में वितरण तथा उनके स्थान
कुपि सिचाई	१,०६० ६४६	२,४०० १,०००
	१,७३६	३,४००
शक्ति छोटे उद्योग संगठित उद्योग यातायात तथा सचार	१,१५७ २३३ १,६६२ १,९४०	१,६५० ४५० ३,२०० ३,०००
	५,०२२	८,६००
शिक्षा वैज्ञानिक अनुसन्धान स्वास्थ्य भवन तथा निर्माण पिछड़ी जातियों की सहायता शिल्पकारी ट्रेनिंग तथा मजदूरों की सहायता } लोक कल्याण } ग्रामीण कार्य } किर से बसाना } आवश्यक पदार्थ } कुल	५५७ ७२ ३४५ ११२ १०४ २५० २५० १४५ १५ २५ ५० ५० ८,२००	१,४०० १७५ १,०६० ४०० २०५ ६५ १४५ १५ २५ ५० ५० १५,६२०

६. विशेष उद्देश्य—योजना के उद्देश्यों का निर्धारण इस विचार को देखते हुए रखा गया कि २२,५०० करोड़ रुपये का व्यय होगा और राष्ट्र की तकनीकी तथा प्रशासन-शक्ति इस प्रकार से होगी कि यह निम्न लक्षणों की पूर्ति हो सके।

खाद्य-पदार्थों का उत्पादन ६२ करोड़ टन ११६५-६६ से बढ़कर १२ करोड़ टन १६७०-७१ में हो जाए। कपास की गाँठें ६३ लाख से ८५ लाख तक बढ़ जाएंगी। गन्ने का उत्पादन ११० करोड़ से बढ़कर १३५

करोड हो जाए। सिवाई छोटी तथा मध्यम साधनों से १४० करोड एकड और भूमि को लाभ हो। स्थिर शक्ति उत्पादन ११७ लाख किलोवाट से बढ़कर २२० लाख किलोवाट हो जाए। औद्योगिक उन्नति, विदेश रूप से स्थनिक पदार्थ, रासायनिक, कृषि-पन्नों, उपभोग-सामग्री तथा पेट्रोल साफ करने की क्षमता बहुत बढ़ा दी जाए। यह आशा प्रकट की जाती है कि बच्चा इम्पात का उत्पादन १६६६-६७ में ८६ लाख टन से बढ़कर १६५ लाख टन १६७०-७१ तक हो जाए। कच्चे लोहे का उत्पादन १२ लाख टन से बढ़कर ४० लाख टन तथा अलमूनियम का ६८,००० से २०४ लाख टन हो जाए। इस प्रकार रासायनिक स्राव का उत्पादन चार गुना तथा प्रख्याती कागज ५ गुना, मीमेन्ट दुगुना। १६७०-७१ तक १६६५-६६ के अन्तर में ५० प्रतिशत और वज्र उठाने योग्य हो जाएगी। वाणिज्य-सम्बन्धी गाड़ियों की संख्या दुगुनी हो जाएगी। सचार के क्षेत्र में ७ लाख और टेलीफोन के सम्बन्ध मिलेंगे, शिक्षा के कार्यों को बढ़ाया जाएगा और प्रवेश की मात्रा इञ्जीनियरिंग तथा तकनीकी घाराओं में छिपी स्तर तक बढ़ाई जाएगी। १६७०-७१ तक ६८,६०० विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा सकेगी। इस प्रकार परिवार-नियोजन तथा डॉक्टरी आदि की शिक्षा का विकास भी होगा।

१० भारतीय योजनाओं में कभी—कुछ ऐसे आलोचक हैं जिन्हें भारतीय योजनाओं की आलोचना किये बिना चैन ही नहीं। ऐसे आलोचकों वो हम श्रेष्ठा कर सकते हैं। परन्तु कुछ ऐसी आदर्श विभूतियाँ हैं जिनकी योजनाओं की विवेचना को हम रद्द नहीं कर सकते। १२ अगस्त १६६५ के 'इण्डियन एक्सप्रेस' समाचार-पत्र के सम्पादकीय में योजनाओं के बारे में यह कहा गया कि "पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं की प्रगति से यह स्पष्ट है कि कहपना तथा अनुभव म बहुत अन्तर है। योजनाओं में ग्राहिक और कार्यान्वित करने पर दिया जाना चाहिये था और ग्राहर देश की आर्थिक दशा को ठोक प्रकार से सुधारना है तो इस बात की सोज करनी थी कि किनको प्रधानता देनी है।" क्योंकि ऐसा नहीं किया गया, इसलिए चारों तरफ से योजनाओं के लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो रही। जो योजना की ग्रसफलता पर निराश है उनका कहना है कि योजना से कुछ समय के लिए धबकाश मिलना चाहिए। योजना ग्रामीण की नीति ऐसी ही है जैसे उल्टे बाँस बरेती भेजना। इस योजना ने वे लक्ष्य रखे हैं जो किसी प्रकार से योड़े समय में पूर्ण नहीं हो सकते। ग्राम योजना की दशा ऐसी है कि वह तो व्यवस्थित नहीं है वरन् उसकी प्राप्ति नहीं हो रही और इस प्रकार घन व्यर्थ जा रहा है। विलक्षण ऐसे ही विचारों को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के श्री चक्रवर्ती सरकार ने सम्पादकीय में व्यक्त किया था।

परिशिष्ट

रूपये का अवमूल्यन

मूमिका—भारत सरकार ने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय किये हैं। आशा की जाती है कि उनका हमारी आर्थिक स्थिति पर ग्रच्छा प्रभाव पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय, जो भारत सरकार ने किया, वह ५ जून १९६६ को रूपये का विनिमय मूल्य १०० रूपये के लिए १८ ६६ शाम सोने से गिराकर ११ ८५ शाम कर देना है। इस प्रकार रूपये का बाहरी मूल्य ३६ ५ प्रतिशत घटा दिया गया, जिसका अर्थ यह हुआ कि अमरीका को एक डालर के बदले ४ ७६ रूपये के स्थान पर ७ ५ रूपये मिलेंगे। इसी प्रकार पौढ़ स्टिलिंग के बदले १३ ३३ रूपये की जगह पर २१ रूपये मिलेंगे।

अवमूल्यन का अर्थ—रूपये के विनिमय मूल्य का अर्थ है कि विदेशी विनिमय मूल्य के दाम में कमी। इसका मतलब यह हुआ कि रिजर्व में जो विदेशी मुद्रा दी जाए उसके बदले में किस हिसाब से रूपया मिले और उससे जो विदेशी मुद्रा ली जाये उसके बदले में किस हिसाब से रूपया लें। इस प्रकार हम देखते हैं कि और चीजों के दाम की तरह स्वदेशी मुद्रा का दाम भी होता है। यह कोई ऐसी घटना या मसला नहीं जिसके कारण देश के सम्मान को कोई ठेस पहुंचे। अन्य प्रकार के माल की तरह विदेशी मुद्रा के दाम तय करने के लिए केवल आर्थिक बातों का ध्यान रखा जाये और सब चीजें आर्थिक वास्तविकता के अनुमान हो।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि—इसमें कोई शक नहीं कि जो पिछले दस वर्षों में रूपये का मूल्य या वह आज नहीं। आज दाम ८० प्रतिशत पहले से अधिक है। परन्तु १९४६ के बाद रूपये के सरकारी विनिमय मूल्य में कोई तबदीली नहीं हुई। ससार के और बढ़े राष्ट्रों में, जिनके साथ हमारा आर्थिक व्यापार है, वहाँ की चीजों के दाम ग्राहिक नहीं बढ़े। इसका नतीजा यह हुआ कि और देशों के मुकाबले में वहाँ की मण्डियों में हमारा माल महँगा मिलता है। इसके साथ साथ हमें अपने निर्यात बढ़ाने तथा विदेशी मुद्रा को और वामाने की आवश्यकता तेज़ी से बढ़ती रही है। निर्यात को बढ़ाने के लिए पिछले वर्षों में औरों के मुकाबले में अपने माल को सस्ता करने के लिए हमने कई तरीके अपनाये हैं। उदाहरणतया निर्यात को सहारा देना तथा ऋणपत्रों की सुविधा, परन्तु इन उपायों का कोई खास असर न हुआ। हो सकता है कि अगर हमारी कठिनाइयाँ अस्थायी होती तो शायद इनसे लाभ होता। परन्तु हमारी कठिनाइयाँ बहुत गहरी हैं जिनको दूर करने के लिए उपाय भी गहरे होने आवश्यक थे।

ग्रवमूल्यन के प्रभाव—ग्रवमूल्यन का दरमसल मतलब ही यह था कि देश के

निर्यात को बढ़ाने के लिए अच्छे तथा मजबूत उपाय किये जाएं। अगर एक निर्यात करने वाला १०० डालर वा माल निर्यात करता है तो ४७३ रुपये के स्थान पर ७५० रुपये कमायेगा। इससे निर्यात को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, न केवल हमारा माल सस्ता होगा बल्कि निर्यात के उद्योग धनधो का निवेश और बढ़ायेगे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारी कुछ पुरानी निर्यात की चीजों को इस प्रकार की सहायता की जरूरत नहीं। इसी प्रकार अवमूल्यन से आयात की बहुत-सी चीजों को देश में ही बनाने की वृद्धि होगी। आयात की चीजों का मूल्य बढ़ जाएगा जिससे इनको देश में बनाने की कोशिश की जाएगी। यह बात खेती पर भी उसी प्रकार लागू होती है जिस प्रकार उद्योग के लिए। रूपि-उत्तरित से मास्टमनिर्मरता को बढ़ावा मिलेगा।

इस विनियम-दर का न केवल निर्यात और आयात पर ही प्रभाव पड़ेगा बल्कि देश से बाहर जाने वाले तथा बाहर से आने वाले भुगतान (Invisibles) पर भी यहरा असर पड़ेगा जिससे देश से भेजने में प्रोत्साहन मिलेगा, परन्तु देश में आने पर तुल्य रोक-टोक हो जाएगी। इस प्रकार विदेशी मुद्रा का बोझ पूँजी, मुनाफा, घन आदि को बाहर भेजने से होता है, उसकी छींजन अब कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जो नये लोग विदेशी पूँजी अब हमारे देश में लगायेंगे उन्हे और अधिक रुपया मिलेगा और इस प्रकार नये क्षेत्रों में तथा विदेशी यात्रियों (Tourists) को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ-साथ रुपय की जहर शक्ति में कमी आने के कारण जो बहुत-सी बुराइयाँ पैदा हो गई हैं, जैसे कि नियातकर्ता माल के बिल को कम बनाना, सीना, विदेशी मुद्रा, घटियाँ, कंमरे तथा ट्रांजिस्टरों की चोरबाजारी में कमो होगी। यह कहना गलत होगा कि अवमूल्यन के कारण, विकास-कार्यों वे लिए जूँण लेने वा बोझ बढ़ जाएगा। विदेशी मुद्रा के रुपय में न तो रुपय की कुल रकम तथा इसकी वापिच अदायगी की राशि में कोई विशेष वृद्धि होगी यद्यपि रुपये के रूप में जहर की अदायगी का बोझ जहर बढ़ेगा। सरकारी आयात तथा दूसरे विदेशी खर्चों का परिणाम भी रुपये के रूप में बढ़ जाएगा। परन्तु जैसे कि वित्तमन्त्री सचीन चौधरी ने अवमूल्यन की घोषणा करते हुए बताया है कि सरकार के बजट में कई प्रकार से लाभ होगा, अगर आयात के बारे में उदार नीति को हम ठीक तरह से लाला सकें।

कीमतें तथा उत्पादन—इसमें कोई सन्देह नहीं कि अवमूल्यन से आयात की बस्तुओं को लागत में वृद्धि होगी। इस प्रकार आयात की चीजों को देश में बनाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। आजकल इन चीजों का मूल्य उनके वास्तविक मूल्य से कही अधिक है, इसलिए यद्य प्रभोक्ता वो आयात दो ही बोझी चीजों की कीमत जो देनी पड़ेगी वह बर्तमान दामा से ज्यादा अधिक नहीं होगी। इसके साथ-साथ अवमूल्यन करते हुए सरकार ने इस बात वा प्रबन्ध किया है कि उदारक, पिट्ठी तथा डीजल तेज की कीमत बढ़ने नहीं दी जाएगी और विदेशी में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों के हितों का व्यापार रखा जाएगा।

असली बात तो यह है कि उत्पादन के बढ़ने से दामों में स्थिरता आ सकती है। सरकार कृषि-उत्पादन तथा उद्योग को बढ़ाने की पूरी कोशिश बररही है। हमारी

तीनों योजनाओं के अन्तर्गत जो कारखाने खुले वे अधिकतर बाहर से कच्चे माल तथा कलपुजों के प्राप्त न होने से पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं कर सके। इससे न केवल उत्पादन-शक्ति को घबका पहुँचा है बल्कि साथ साथ चीजों की लागत को बढ़ करने में भी कठिनाई पैदा हो गई है। इस प्रकार उत्पादन को बढ़ाने के लिए अवमूल्यन के साथ-साथ कई और तरीके अपनाने होंगे जिनसे नियंत्रित बढ़े और आयात के तरीके सरल हो जायें।

अवमूल्यन से देश के विदेशी व्यापार, आयात-नियंत्रित और विदेशी मुद्रा मूल्य पर क्या असर पड़ेगा? आयात का विदेशी मुद्रा मूल्य बढ़ने का कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार नियंत्रित में भी हमारी इन चीजों का, जो कि कुल विद्व-व्यापार का बहुत छोटा हिस्सा है, विदेशी मुद्रा मूल्य में बढ़ावा नहीं होगा, लेकिन चाय, पटसन, जैसी कुछ चीजें हैं जिनका विद्व-व्यापार में काफी बड़ा हिस्सा है और जिनकी मार्ग भी घटती बढ़ती रहती है, इनके दामों से कमी को रोकने के लिए सरकार को अवमूल्यन के बाद कुछ न-कुछ करना पड़ेगा।

अवमूल्यन तथा अधिक विकास—रक्षामन्त्री श्री चहूला ने अपने ८ जून १९६६ के रेडियो भाषण में इस बात पर जोर दिया कि “अवमूल्यन विकास के लिए जरूरी है। मूल्य रूप से विकास का अर्थ है कि राष्ट्र अपनी आवश्यकता का सामान तथा मशीने आदि स्वयं बनाये। अपने देश की जनता के सुख सुविधा और भलाई के साथनों को बढ़ा सके। इस प्रकार आत्म-निर्भरता देश के विकास-कार्यों का सबसे मुहूर लक्ष्य है। विकास-कार्यों में देश का हृपया तथा विदेशी मुद्रा लगाई जाती है। विदेशी मुद्रा विदेशों से ऋण तथा नियंत्रित करने से प्राप्त होती है। इनमें से नियंत्रित से मुद्रा कमाना कहीं अच्छा है। इससे बर्तमान तथा भविष्य दोनों को लाभ पहुँचा है और यह विदेशी ऋणों के मुकाबले में अधिक स्थिर होती है। इसलिए जितना नियंत्रित बढ़ता है उतना ही हमारी आत्म-निर्भरता भी। इस प्रकार नियंत्रित को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। नियंत्रित को बढ़ाने के लिए अवमूल्यन करना बहुत आवश्यक तथा लाभप्रद दिखाई पड़ता था। अवमूल्यन से अधिक विदेशी सहायता प्राप्त करने में भी मदद मिलती है, जोकि खेती तथा उद्योग दोनों बढ़ायेगी। आशा की जाती है वह दिन दूर नहीं जब विदेशी सहायता लेने की जल्हत ही न होगी। यदि देश का उत्पादन तथा ऋण चुकाने की क्षमता बढ़ाने के लिए विदेशी सहायता लेनी पड़े तो इसमें कोई हर्ज़ नहीं। स्मरण रहे कि देश में हृपये के मूल्य में कोई स्वास परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हाँ, बाहर से आने वाली चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर विदेशी सामान से देश में जो माल बने उसमें उत्पादन हो तो जल्दी ही आयातित भोग की चर्तुएँ शनै-शनै कम हो जाएंगी। अवमूल्यन के बाद जो चीजें साधारण जनता वे प्रतिदिन बवहार में आती हैं उनके दाम को न बढ़ने दिया जाए। जो चीजें आयातित मशीनों के प्रयोग से बनती हैं और जिनका उपयोग धनी लोग करते हैं, उदाहरणतया विलासिता उपभोग की बस्तुएँ, उनकी बात अलग है। अवमूल्यन के बाद व्यापारियों वे जो ऊँचे लाभ हैं उनमें अत्यधिक कमी होगी। इसके साथ-साथ बाहर से आने वाली

नीजों के दाम बढ़ने के कारण उन उद्योगों को संरक्षण मिलेगा जो भारत में पहली बार व्यापार करने तथा उत्पादन करने वी कोशिश में जुटे हैं।

बार व्यापार करने तथा उत्पादन करने पर जारी किया गया। अब मूल्यन घोषणा करने का यह पहला मौका नहीं है, अब मूल्यन घोषणा की समस्या देश के सामने आई जैसे कि १६२६ के इससे पहले भी कई बार अब मूल्यन की समस्या देश के सामने आई जैसे कि १६२६ के आर्थिक सकट के समय, १६३६ में जब यूरोप के कुछ देशों ने अब मूल्यन किया, १६३७ में, उसके पश्चात् १६ सितम्बर १६४६ को जब ब्रिटेन की सरकार ने अपनी मुद्रा के अब मूल्यन की घोषणा की। भारत सरकार ने भी अपनी मुद्रा को उसी प्रकार ३० ५ प्रतिशत गिरा दिया। इस बार भी सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय किया जब अब मूल्यन की घोषणा की गई। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ने एक बहुत बड़ा अपराध किया है जिससे राष्ट्र के सम्मान को बहुत बड़ा घबका पहुंचा है। यह भी कहा जाता है कि अब मूल्यन करने से पूर्व लोगों को इसकी खबर न दी गई। लोगों को पहले से बता देना बहुत खतरनाक होता जिससे करोड़ों रुपये का सदृश तथा हानि हो सकती थी। बाकी रही देश की सम्मान की बात, यह तो वही बात हूई कि आँपरेशन करने से एक रोगी की प्रतिष्ठा को घबका पहुंचना। मूल्य में लगातार वृद्धि होने के साथ, विदेश में भारतीय रुपये का मूल्य बहुत अधिक गिर गया था। एक अमरीकी डालर का काला बाजार में मूल्य १०-१२ रुपये के बीच था, जबकि विनियम की सरकारी दर इसी आधार पर ४-७५ पैसे थी, जिससे अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ रहा था। इससे निर्यात करना हानिकारक और आयात करना लाभप्रद सिद्ध हो रहा था। सरकार ने आयात शुल्क लगाया तथा निर्यात मूल्य में सहायता देने का प्रयत्न किया, परन्तु यह जल्दी सिद्ध हुआ कि ये उत्पाय एक तरफ पेचीदा थे बल्कि अपूर्ण तथा एकतरफा थे। इनसे न तो निर्यात ने वृद्धि हुई और न ही आयात के ढाँचे में बोई दरिकर्तन हुमा। इसके अतिरिक्त कई और प्रतिकूल परिणाम देखने में आये। मुग्नतान सतुलन की स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होने के कारण देश के उद्योगों के लिए न तो कच्चा माल और न ही कलपुर्ज ही मिल रहे थे जिससे कई कारखाने बन्द हो गए, और कुछ में काम कम हो गया, जिससे देश में देरोज़गारी, छटनी, उत्पादन की कमी, बस्तुओं का अभाव और डंची कीमतों का सामना करना पड़ा।

वस्तुओं का अमाव और ऊंची बीमतों का सामना करना पड़ा।
व्यापारिक तथा आद्योगिक उन्नति—अबमूल्यन कर देना पर्याप्त नहीं, जैसा कि श्रीएस० के० पाटिल रेसव मन्त्री ने ६ जून १९६६ को अपने रेडियो भाषण में कहा कि “अबमूल्यन के साथ-साथ उत्पादन, निर्यात, आयातित वस्तुओं के स्थान पर स्वदेशी बस्तुओं को बढ़ावा दिया जाए और सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था को ठीक रूप से रखा जाए जिससे भारतीयों वी आवश्यकता पूरी होगी, मूल्यों को ठीक स्तर पर रखा जा सके गा और राष्ट्र आत्मनिर्भरता वी और बढ़ सकेगा। यह आशा प्रकट की गई है कि दस वर्षों में हम अपने निर्यात म तिगुनी वृद्धि करके ८०० करोड से बढ़ावर २४०० करोड तक पहुँचा देंगे। अबमूल्यन से निर्यात उद्योगों में विनियोग को प्रायमिक्ता मिलेगी। वही वस्तुओं का व्यापार स्थापित हो सकेगा। परन्तु इस बात का ध्यान रखना होगा कि अबमूल्यन के बल हमारे ही देश की स्थिति को मजबूत बनाने म सफल

नहीं होगा जब तक हम अन्य उपायों पर ध्यान नहीं देंगे, जैसे कि कठिन परिश्रम, सामाजिक तथा आर्थिक संयम, उत्तम प्रबन्ध-व्यवस्था, लागत में कमी करने की प्रबल इच्छा, अधिक उत्पादन, वस्तुओं को बदादि न होने देता और संविधालय तथा सांबंजनिक क्षेत्र, दोनों की देख-रेख में कुशलता आदि। इस प्रकार अधिक-से-अधिक नियंत्रण तथा आत्म-नियंत्रण तथा कम-से-कम लागत में वस्तुएँ बनाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए।"

अबमूल्यन पर बाद-विवाद—अबमूल्यन की घोषणा के पश्चात् देश में इसके बारे में प्रत्येक नायरिक ने अपना ही नवीन मत दिया। जैसे कि सी० जी० के० रेडी तथा श्रीमती के अनुसार अबमूल्यन के पश्चात् समाचार-पत्रों को बहुत भारी आर्थिक सर्ट देखना होगा। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के उप-कुलपतियों की नैनीताल की गोटी में कहा गया कि विश्वविद्यालयों के बजट को बहुत भारी घरका पहुँचा है। दिल्ली के एक रिपोर्टर ने समाचार-पत्र में यह लिखा कि अबमूल्यन से पुस्तकें पढ़ने की आदत बहुत महंगी पड़ेगी क्योंकि बाहरी देशों से आने वाली पुस्तकों की कीमतों में बहुत बढ़ि हो जाएगी। इसी प्रकार श्री एस० एम० जोशी, अध्यक्ष संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ने कहा कि अबमूल्यन प्राम जनता के लिए एक बहुत बड़ी घटना है।

निष्कर्ष—भारत की प्रधान-मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने १२ जून १९६६ के रेडियो भाषण में कहा कि अबमूल्यन कोई जादू नहीं है, किन्तु यह देश की अर्थव्यवस्था में शार्झ हुई मौजूदा गिरावटों में कुछ शीघ्रता से सुधार कर सकता है। सरकार को भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में बदते हुए अन्तर के कारण यह कदम उठाना पड़ा। इसका महत्व और उद्देश्य यह है कि देश के नियंत्रित लाभप्रद हो, और जिन वस्तुओं का आयात होता है उनका स्थान स्वदेशी भान ले सके, जिससे सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में पूँजी लगाने के लिए अनुकूल चातावरण बन सके।

परन्तु अबमूल्यन का उद्देश्य पूरा होगा कि नहीं, इस बात पर नियंत्रण करता है कि अबमूल्यन के बाद सरकार बाकी कदम नया उठाती है। अबमूल्यन कोई एक अपने-आपमें ही अन्त नहीं है, बल्कि एक आर्थिक हितिको उन्नत बनाने का राहता है। सरकार को उत्तम प्रतिवन्धों से मुक्त कर देना चाहिए जो उत्पादन के मार्ग में विघ्न ढालते हैं। बैंकों को श्रीद्योगिक उन्नति के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सरकार को नये क्षेत्र न खोलकर कृपि, श्रीद्योगिक तथा अन्य सामाजिक क्षेत्रों से विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, जिससे निर्धारित लक्ष्य पूर्ण हो सकें। ऐसा करने से देश के कर के बोझ में काफी कमी हो सकेगी, जिससे निजी क्षेत्र में उपनिवेश होगा और उत्पादन अच्छी मात्रा में बढ़ेगा, इससे मुद्रास्फीति पर काढ़ पा लिया जा सकेगा।

